



सत्यमेव जयते

वित्त लेखे 2019-20 खण्ड-II



लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



छत्तीसगढ़ शासन

वित्त लेखे

खण्ड-II

2019-20

छत्तीसगढ़ शासन

| विषय-सूची | | |
|---------------|--|---------|
| विषय | | पृष्ठ |
| खण्ड-I | | |
| | भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र | iii-v |
| | वित्त लेखे की मार्गदर्शिका | vii-xiv |
| 1. | वित्तीय स्थिति का विवरण | 2-3 |
| 2. | प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण | 4-6 |
| | विवरण क्रमांक 2 का अनुलग्नक-रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश | 7-12 |
| 3. | समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण | 13-16 |
| 4. | समेकित निधि में व्यय का विवरण | 17-20 |
| | कार्यात्मक व्यय | |
| | व्यय का स्वरूप | |
| 5. | प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण | 24-28 |
| 6. | उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण | 29-32 |
| 7. | सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विवरण | 33-37 |
| 8. | वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 के लिए विभिन्न प्रतिष्ठानों के अंशपूंजी तथा ऋण पत्रों में सरकार के निवेशों का तुलनात्मक सार | 38 |
| 9. | सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों का विवरण | 39 |
| 10. | सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण | 40-42 |
| 11. | दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण | 43 |
| 12. | वर्ष 2019-20 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग (राजस्व खाते से भिन्न) का विवरण | 44-49 |
| 13. | समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश | 50-52 |
| | लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ | 53-68 |
| | अनुलग्नक- (क) आवधिक/अन्य समायोजनों का विवरण | 69-70 |
| | (ख) (i) पूंजीगत अनुभाग के दर्ज सहायता अनुदान का विवरण | 71 |
| | (ख) (ii) पूंजीगत अनुभाग में दर्ज कार्यालय व्यय का विवरण | 72 |
| | (ख) (iii) पूंजीगत अनुभाग में दर्ज व्यवसायिक सेवा का विवरण | 73 |
| | (ख) (iv) पूंजीगत अनुभाग में दर्ज अनुरक्षण कार्य का विवरण | 74 |
| | (ग) लघुशीर्ष-800 'अन्य व्यय' के अन्तर्गत दर्ज व्यय का मुख्य शीर्षवार विवरण | 75 |
| | (घ) लघुशीर्ष-800 'अन्य प्राप्तियों' के अन्तर्गत दर्ज प्राप्तियों का मुख्य शीर्षवार विवरण | 76 |
| | (ङ) व्यक्तिगत निक्षेप खाते का विवरण | 77 |
| | (च) ऋण जिसका अपलेखन किया जाना है का विस्तृत विवरण | 78-80 |
| | (छ) मुख्य उचंत एवं प्रेषण शीर्ष का विवरण | 81 |
| | (ज) राज्य शासन द्वारा लंबित लेखे वाले सार्वजनिक उपक्रमों में प्रदत्त अनुदान, आर्थिक सहायता एवं प्रत्याभूति | 82 |

(ii)

| विषय-सूची | | |
|------------------------|--|---------|
| विषय | | पृष्ठ |
| खण्ड-II | | |
| भाग-I | | |
| 14. | राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण | 84-130 |
| 15. | राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण | 131-189 |
| 16. | पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण | 190-346 |
| 17. | उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण | 347-362 |
| 18. | सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण | 363-401 |
| 19. | सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण | 402-430 |
| 20. | सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों का विवरण | 431-438 |
| 21. | आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखे संव्यवहारों का विस्तृत विवरण | 439-451 |
| 22. | उद्दिष्ट निधियों के निवेश का विस्तृत विवरण | 452-456 |
| भाग-II-परिशिष्ट | | |
| I | मुख्यशीर्ष वार वेतन पर व्यय का तुलनात्मक विवरण | 458-472 |
| II | आर्थिक सहायता पर व्यय का तुलनात्मक विवरण | 473-480 |
| III | सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता (संस्थावार तथा योजनावार) | 481-534 |
| IV | बाह्य सहायित परियोजनाएं की जानकारी | 535-536 |
| V | योजनाओं में व्यय | |
| (क) | केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं केन्द्रीय योजना) | 537-561 |
| (ख) | राज्य योजनागत योजनाएं | 562-566 |
| VI | भारत सरकार द्वारा राज्य में क्रियान्वयन अभिकरणों को निधियों का प्रत्यक्ष स्थानान्तरण (राज्य बजट के अलावा दी गई निधियों) (अलेखापरीक्षित आंकड़े) | 567-574 |
| VII | विवरण क्रमांक 18 एवं 21 में दर्शाए गए अन्तःशेषों का मिलान एवं स्वीकरण | 575-576 |
| VIII | (i) सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम | 577 |
| | (ii) विद्युत योजनाओं के वित्तीय परिणाम | 578 |
| IX | राज्य शासन की प्रतिबद्धता-अपूर्ण निर्माण कार्यों की सूची | 579-609 |
| X | अनुरक्षण व्यय का वेतन एवं गैर-वेतन भाग का विवरण | 610-627 |
| XI | वर्ष के दौरान मुख्य नीतिगत निर्णयों अथवा बजट में प्रस्तावित नवीन योजनाओं | 628-638 |
| XII | शासन के प्रतिबद्धित दायित्वों का विवरण | 639-641 |
| XIII | राज्यों के पुनर्गठन-राज्यों के मध्य शेषों के प्रभाजन नहीं किये गए मदों का विवरण | 642 |

भाग I

14. राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------|--|------------------|
| | 2019-20 | 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा) | | | | |
| क | कर राजस्व (यह आंकड़े वापसियों को लेखे में लेने के बाद निवल है) | | | |
| (क) | आय तथा व्यय पर कर | | | |
| 0005 | केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी.जी.एस.टी.) | | | |
| 901 | राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा | 5,73,371.00 | 5,78,933.00 | (-)0.96 |
| | योग-0005 | 5,73,371.00 | 5,78,933.00 | (-)0.96 |
| 0006 | राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) | | | |
| 101 | कर | 5,47,378.68 | 5,01,821.16 | (+)9.08 |
| 102 | ब्याज | 3,388.60 | 1,809.89 | (+)87.23 |
| 103 | शास्ति | 225.71 | 366.98 | (-)38.50 |
| 104 | फीस | 3,830.99 | 3,657.70 | (+)4.74 |
| 105 | एस.जी.एस.टी. एवं आई.जी.एस.टी का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रास उपयोग | 1,94,461.74 | 1,74,389.57 | (+)11.51 |
| 106 | आई.जी.एस.टी. का प्रभाजन-एस.जी.एस.टी. के कर भाग का अतः स्थानांतरण | 57,886.13 | 1,44,255.97 | (-)59.87 |
| 110 | आई.जी.एस.टी. में से अग्रिम प्रभाजन | (-)17,693.65 ¹ | (-)6,440.00 | (+)174.75 |
| 500 | वे प्राप्तियां जिनका अन्य लघु शीर्षों में अंतरण किया जाना है | 0.01 | 443.74 | (-)98.64 |
| 800 | अन्य प्राप्तियाँ | 3.85 | 35.77 | (-)89.24 |
| | योग-0006 | 7,89,482.06 | 8,20,340.78 | (-)3.76 |
| 0008 | एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई.जी.एस.टी.) | | | |
| 901 | राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा | 0.00 | 46,200.00 | (-)100.00 |
| | योग-0008 | 0.00 | 46,200.00 | (-)100.00 |
| 0020 | निगम कर | | | |
| 901 | राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा | 6,88,942.00 | 8,15,709.00 | (-)15.54 |
| | योग-0020 | 6,88,942.00 | 8,15,709.00 | (-)15.54 |

¹ वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 28.07.2019, 26.08.2019, 27.09.2019, 29.10.2019 एवं 25.12.2019 को आई.जी.एस.टी. अवशेष में कमी क्रमशः ₹ 4,615.50 लाख, ₹ 3,456.39 लाख, ₹ 2,327.87 लाख, ₹ 4,243.89 लाख एवं ₹ 3,050.00 लाख को पूरा करने हेतु अग्रिम प्रभाजन के समायोजन के कारण ऋणात्मक शेष दर्शित हो रहा है।

14. राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | | |
|--|--|-----------------------|--|-----------------|
| | 2019-20 | 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)—जारी | | | | |
| क | कर राजस्व—जारी | | | |
| (क) | आय तथा व्यय पर कर—समाप्त | | | |
| 0021 | आय पर निगम कर से भिन्न कर | | | |
| 901 | राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा | 5,39,834.00 | 6,00,735.00 | (-)10.14 |
| | योग—0021 | 5,39,834.00 | 6,00,735.00 | (-)10.14 |
| 0023 | होटल प्राप्तिकर | | | |
| 101 | उन होटलो से संग्रहण, जो कम्पनियों हैं | 7.54 | 92.09 | (-)91.81 |
| 102 | उन होटलो से संग्रहण, जो गैर-कम्पनियों हैं | 22.45 | 3.14 | (+)614.97 |
| 800 | अन्य प्राप्तियाँ | 33.29 | 4.96 | (+)571.17 |
| | योग—0023 | 63.28 | 100.19 | (-)36.84 |
| 0028 | आय तथा व्यय पर अन्य कर | | | |
| 107 | व्यवसाय, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर | 18.04 | 15.92 | (+)13.32 |
| 901 | राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा | 0.00 | 4,248.00 | (-)100.00 |
| | योग—0028 | 18.04 | 4,263.92 | (-)99.58 |
| | योग—(क)—आय तथा व्यय पर कर | 25,91,710.38 | 28,66,281.89 | (-)9.58 |
| (ख) | सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर | | | |
| 0029 | भू—राजस्व | | | |
| 101 | भू—राजस्व/ कर | 2,551.38 | 1,739.00 | (+)46.72 |
| 102 | बागानों पर कर | 3.53 | 188.97 | (-)98.13 |
| 103 | भूमि पर पौरकर और उपकर | 44,125.43 | 37,376.37 | (+)18.06 |
| 105 | सरकारी संपदाओं की बिक्री से प्राप्तियाँ | 1.43 | 6.53 | (-)78.10 |
| 106 | सर्वेक्षण और व्यवस्थापन कार्रवाई की बावत प्राप्तियाँ | 41.87 | 123.98 | (-)66.23 |
| 107 | परती भूमि की बिक्री से आगमन और भू—कर का प्रतिदान | 16.18 | 0.10 | (+)16,080.00 |
| 800 | अन्य प्राप्तियाँ | 8,410.38 ² | 9,322.19 | (-)9.78 |
| | योग—0029 | 55,150.20 | 48,757.14 | (+)13.11 |

² राजस्व की वापसी के कारण ₹ 160.62 लाख कमी की गई। यह राशि योजना शीर्ष 900-घटायें—वापसिया के अन्तर्गत संकलित किया गया है।

14.राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| शीर्ष | | वास्तविक आंकड़े | | |
|--|---|-----------------------|--------------------|--|
| | | 2019-20 | 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)-जारी | | | | |
| क | कर राजस्व-जारी | | | |
| (ख) | सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर-समाप्त | | | |
| 0030 | स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क | | | |
| 01 | स्टाम्प-न्यायिक | | | |
| 101 | स्टाम्पों से उगाही गयी न्यायालय शुल्क | 6,481.10 | 13,763.48 | (-)-52.91 |
| 102 | स्टाम्पों की बिक्री | 496.34 | 162.52 | (+)-205.40 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 34.33 | 1.42 | (+)-2,317.61 |
| | योग-01 | 7,011.77 | 13,927.42 | (-)-49.65 |
| 02 | स्टाम्प-न्यायिकेतर | | | |
| 102 | स्टाम्पों की बिक्री | 1,03,709.45 | 72,110.58 | (+)-43.82 |
| 103 | दस्तावेजों पर स्टाम्प-शुल्क लगाना | 3,074.60 | 305.07 | (+)-907.83 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 232.27 | 54.17 | (+)-328.78 |
| | योग-02 | 1,07,016.32 | 72,469.82 | (+)-47.67 |
| 03 | पंजीकरण शुल्क | | | |
| 104 | दस्तावेजों को पंजीकृत करने का शुल्क | 46,344.88 | 24,585.36 | (+)-88.51 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 3,089.50 ³ | (-)-137.08 | (+)-2,353.79 |
| | योग-03 | 49,434.38 | 24,448.28 | (+)-102.20 |
| | योग-0030 | 1,63,462.47 | 1,10,845.52 | (+)-47.47 |
| 0032 | धन कर | | | |
| 901 | राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा | 30.00 | 298.00 | (-)-89.93 |
| | योग-0032 | 30.00 | 298.00 | (-)-89.93 |
| | योग-(ख)-सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर | 2,18,642.67 | 1,59,900.66 | (+)-36.74 |

³ राजस्व की वापसी के कारण ₹ 598.95 लाख कमी की गई। यह राशि योजना शीर्ष 900-घटायें-वापसिया के अन्तर्गत संकलित किया गया है।

14. राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी

(₹ लाख में)

| शीर्ष | | वास्तविक आंकड़े | | |
|--|--|--------------------------|--------------------|--|
| | | 2019-20 | 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)—जारी | | | | |
| क | कर राजस्व—जारी | | | |
| (ग) | वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर— | | | |
| 0037 | सीमा शुल्क | | | |
| 901 | राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा | 1,28,078.00 | 1,66,266.00 | (-)22.97 |
| | योग—0037 | 1,28,078.00 | 1,66,266.00 | (-)22.97 |
| 0038 | संघ उत्पाद शुल्क | | | |
| 01 | शेयर करने योग्य शुल्क | | | |
| 901 | राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा | 89,049.00 | 1,10,493.00 | (-)19.41 |
| | योग—01 | 89,049.00 | 1,10,493.00 | (-)19.41 |
| | योग—0038 | 89,049.00 | 1,10,493.00 | (-)19.41 |
| 0039 | राज्य उत्पाद शुल्क | | | |
| 101 | देशी स्पिरिट | 2,17,791.24 | 2,13,118.69 | (+)2.19 |
| 102 | देशी किण्वित मदिरा | 0.04 | 0.00 | (+)100.00 |
| 103 | माल्ट मदिरा | 19,953.20 | 16,022.35 | (+)24.53 |
| 105 | विदेशी मदिरा और स्पिरिट | 1,49,381.62 | 1,17,938.39 | (+)26.66 |
| 106 | वाणिज्यिक और विकृत स्पिरिट तथा औषध युक्त मदिरा | 4,327.80 | 3,814.30 | (+)13.46 |
| 108 | अफीम, गांजा और अन्य स्वापक | 2.53 | 43.77 | (-)94.22 |
| 150 | अर्थदण्ड और समपहरण | 27.28 | 31.25 | (-)12.70 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 1,03,751.82 ⁴ | 97,933.68 | (+)5.94 |
| | योग—0039 | 4,95,235.53 | 4,48,902.43 | (+)10.32 |

⁴ राजस्व की वापसी के कारण ₹ 43.21 लाख कमी की गई। यह राशि योजना शीर्ष 900-घटायें-वापसिया के अन्तर्गत संकलित किया गया है।

14.राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | | |
|--|--|---|--|-----------------------------|
| | 2019-20 | 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)-जारी | | | | |
| क | कर राजस्व-जारी | | | |
| (ग) | वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर-जारी | | | |
| 0040 | बिक्री, व्यापार आदि पर कर | | | |
| 101 | केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियां | 3,085.48 ⁵ | 3,336.76 | (-) ⁷ 7.53 |
| 102 | राज्य बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियां | 4,01,534.16 | 4,13,309.81 | (-) ⁷ 2.85 |
| 111 | मूल्य संवर्धित कर | 1,452.23 | (-) ⁷ 8,452.74 | (+) ⁷ 117.18 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | (-) ⁷ 12,934.87 ⁶ | 578.45 | (-) ⁷ 2,336.12 |
| | योग-0040 | 3,93,137.00 | 4,08,772.28 | (-)⁷3.82 |
| 0041 | वाहन कर | | | |
| 101 | भारतीय मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियां | 23,485.83 | 25,123.48 | (-) ⁷ 6.52 |
| 102 | राज्य मोटर यान कराधान अधिनियमों के अंतर्गत प्राप्तियां | 97,639.48 | 92,400.84 | (+) ⁷ 5.67 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 6,359.85 ⁷ | 2,960.72 | (+) ⁷ 114.81 |
| | योग-0041 | 1,27,485.16 | 1,20,485.04 | (+)⁷5.81 |
| 0042 | माल तथा यात्री कर | | | |
| 106 | माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर | 3,998.47 | 5,307.94 | (-) ⁷ 24.67 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 51.99 | 143.24 | (-) ⁷ 63.70 |
| | योग-0042 | 4,050.46 | 5,451.18 | (-)⁷25.70 |
| 0043 | विद्युत कर तथा शुल्क | | | |
| 101 | विद्युत के उपभोग और बिक्री पर कर | 1,57,792.24 | 1,54,631.64 | (+) ⁷ 2.02 |
| 102 | भारतीय विद्युत नियमावली के अंतर्गत फीस | 676.50 | 465.69 | (+) ⁷ 45.05 |
| 103 | सिनेमा गृह के विद्युतीय निरीक्षण के लिए फीस | 2.47 | 0.72 | (+) ⁷ 381.94 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 25,229.16 | 23,929.32 | (+) ⁷ 5.62 |
| | योग-0043 | 1,83,700.37 | 1,79,027.37 | (+)⁷2.61 |

⁵ राजस्व की वापसी के कारण ₹ 40.63 लाख कमी की गई। यह राशि योजना शीर्ष 900-घटायें-वापसिया के अन्तर्गत संकलित किया गया है।

⁶ राजस्व की वापसी के कारण ₹ 13,113.92 लाख कमी की गई। यह राशि योजना शीर्ष 900-घटायें-वापसिया के अन्तर्गत संकलित किया गया है।

⁷ राजस्व की वापसी के कारण ₹ 7.26 लाख कमी की गई। यह राशि योजना शीर्ष 900-घटायें-वापसिया के अन्तर्गत संकलित किया गया है।

14.राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| शीर्ष | | वास्तविक आंकड़े | | |
|--|---|---------------------|---------------------|--|
| | | 2019-20 | 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)-जारी | | | | |
| क | कर राजस्व-समाप्त | | | |
| (ग) | वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर-समाप्त | | | |
| 0044 | सेवा कर | | | |
| 901 | राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा | 0.00 | 21,776.00 | (-)100.00 |
| | योग-0044 | 0.00 | 21,776.00 | (-)100.00 |
| 0045 | वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क | | | |
| 101 | मनोरंजन कर | 0.00 ⁸ | 3.30 | (-)100.00 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 0.16 | 24.26 | (-)99.34 |
| 901 | राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा | 1,280.00 | 1,211.00 | (+)5.69 |
| | योग-0045 | 1,280.16 | 1,238.56 | (+)3.36 |
| | योग-(ग)-वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर | 14,22,015.68 | 14,62,411.86 | (-)2.76 |
| | योग-क-कर राजस्व | 42,32,368.73 | 44,88,594.41 | (-)5.71 |
| ख | करेतर राजस्व | | | |
| (क) | राजकोषीय सेवाएं | | | |
| 0047 | अन्य राजकोषीय सेवाएं | | | |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 0.00 | 0.20 | (-)100.00 |
| | योग-0047 | 0.00 | 0.20 | (-)100.00 |
| | योग-(क) राजकोषीय सेवाएं | 0.00 | 0.20 | (-)100.00 |

⁸ राजस्व की वापसी के कारण ₹ 0.80 लाख कमी की गई। यह राशि योजना शीर्ष 900-घटायें-वापसिया के अन्तर्गत संकलित किया गया है।

14. राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी

(₹ लाख में)

| शीर्ष | | वास्तविक आंकड़े | | |
|--|--|-----------------------|------------------|--|
| | | 2019-20 | 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)—जारी | | | | |
| ख | करेतर राजस्व—जारी | | | |
| (ख) | ब्याज प्राप्तियां, लाभांश तथा लाभ | | | |
| 0049 | ब्याज प्राप्तियां | | | |
| 04 | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्तियां | | | |
| 110 | नगद शेषों के निवेश पर उगाही गयी ब्याज | 19,609.61 | 14,433.06 | (+)35.87 |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों से ब्याज | 0.00 | 1,797.80 | (-)100.00 |
| 191 | स्थानीय निकायों से ब्याज | 115.01 | 974.23 | (-)88.19 |
| 195 | सहकारी समितियों से ब्याज | 51.54 | 60.13 | (-)14.29 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 3,465.47 ⁹ | 1,694.09 | (+)104.56 |
| 900 | घटायें—वापसियां | (-)0.58 | (-)4.64 | (-)87.50 |
| | योग—04 | 23,241.05 | 18,954.67 | (+)22.61 |
| | योग—0049 | 23,241.05 | 18,954.67 | (+)22.61 |
| 0050 | लाभांश तथा लाभ | | | |
| 101 | सार्वजनिक उपक्रमों से लाभांश | 194.77 | 83.63 | (+)132.89 |
| 200 | अन्य निवेशों से लाभांश | 44.04 | 65.72 | (-)32.99 |
| | योग—0050 | 238.81 | 149.35 | (+)59.90 |
| | योग—(ख)—ब्याज, प्राप्तियां, लाभांश तथा लाभ | 23,479.86 | 19,104.02 | (+)22.90 |
| (ग) | अन्य करेतर राजस्व | | | |
| (i) | सामान्य सेवार्यें | | | |
| 0051 | लोक सेवा आयोग | | | |
| 105 | राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा शुल्क | 312.20 | 640.81 | (-)51.28 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 511.01 | 217.66 | (+)134.77 |
| | योग—0051 | 823.21 | 858.47 | (-)4.11 |

⁹ राज्य शासन द्वारा उगाये गये ऋणों पर प्राप्त प्रीमियम राशि ₹ 537.48 लाख सम्मिलित है।

14. राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| शीर्ष | | वास्तविक आंकड़े | | |
|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | | 2019-20 | 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)-जारी | | | | |
| ख | करेतर राजस्व-जारी | | | |
| (ग) | अन्य करेतर राजस्व-जारी | | | |
| (i) | सामान्य सेवायें-जारी | | | |
| 0055 | पुलिस | | | |
| 101 | अन्य सरकारों को भेजी गयी पुलिस | 7.77 | 15.01 | (-)48.23 |
| 102 | अन्य दलों को भेजी गयी पुलिस | 698.45 | 544.13 | (+)28.36 |
| 104 | शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियां | 0.00 | 17.13 | (-)100.00 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 1,467.89 | 2,344.49 | (-)37.38 |
| 900 | घटायें-वापसियां | (-)19.02 | (-)2.74 | (+)594.16 |
| | योग-0055 | 2,155.09 | 2,918.02 | (-)26.15 |
| 0056 | जेल | | | |
| 102 | जेल उत्पादों की बिक्री | 265.55 | 332.27 | (-)20.08 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 540.43 | 245.97 | (+)119.71 |
| 900 | घटायें-वापसियां | (-)0.54 | (-)0.18 | (-)200.00 |
| | योग-0056 | 805.44 | 578.06 | (+)39.34 |
| 0058 | लेखन सामग्री तथा मुद्रण | | | |
| 101 | लेखन सामग्री प्राप्तियां | 31.32 | 40.06 | (-)21.81 |
| 102 | राजपत्रों आदि की बिक्री | 2.03 | 4.18 | (-)51.44 |
| 200 | अन्य मुद्रणालय प्राप्तियां | 20.85 | 34.50 | (-)39.57 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 542.71 | 214.09 | (+)153.46 |
| 900 | घटायें-वापसियां | 0.00 | (-)8.63 | (-)100.00 |
| | योग-0058 | 596.91 | 284.20 | (+)110.03 |

14.राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|--|------------------|
| | 2019-20 | 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)-जारी | | | | |
| ख | करेतर राजस्व-जारी | | | |
| (ग) | अन्य करेतर राजस्व-जारी | | | |
| (i) | सामान्य सेवायें-जारी | | | |
| 0059 | लोक निर्माण कार्य | | | |
| 01 | कार्यालय भवन | | | |
| 011 | किराया | 0.88 | 1.85 | (-)52.43 |
| 102 | मशीन और उपस्कर का भाड़ा | 43.99 | 30.29 | (+)45.19 |
| 103 | प्रतिशतता प्रभारों की वसूली | 4.47 | 5.52 | (-)18.83 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 1,232.93 | 6,286.62 | (-)80.38 |
| | योग-01 | 1,282.27 | 6,324.28 | (-)79.72 |
| 60 | अन्य भवन | | | |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 0.00 | 1.02 | (-)100.00 |
| | योग-60 | 0.00 | 1.02 | (-)100.00 |
| 80 | सामान्य | | | |
| 011 | किराया | 123.65 | 112.32 | (+)10.08 |
| 102 | मशीन और उपस्कर का भाड़ा | 8.88 | 12.07 | (-)26.42 |
| 103 | प्रतिशतता प्रभारों की वसूली | 0.04 | 8.89 | (-)99.55 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 3,195.16 | 1,268.43 | (+)151.90 |
| 900 | घटायें-वापसियां | (-)11.61 | (-)370.48 | (-)96.86 |
| | योग-80 | 3,316.12 | 1,031.23 | (+)221.57 |
| | योग-0059 | 4,598.39 | 7,356.54 | (-)37.49 |
| 0070 | अन्य प्रशासनिक सेवायें | | | |
| 01 | न्याय प्रशासन | | | |
| 102 | अर्थदंड और समपहरण | 1,608.82 | 1,614.89 | (-)0.37 |
| 501 | सेवाएं एवं सेवा शुल्क | 4.57 | 9.60 | (-)52.39 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 295.57 | 1,083.67 | (-)72.72 |
| 900 | घटायें-वापसियां | (-)135.96 | (-)131.02 | (+)3.77 |
| | योग-01 | 1,773.00 | 2,577.14 | (-)31.20 |

14.राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | | |
|--|---|----------------------|--|------------------|
| | 2019-20 | 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)—जारी | | | | |
| ख | करेतर राजस्व—जारी | | | |
| (ग) | अन्य करेतर राजस्व—जारी | | | |
| (i) | सामान्य सेवार्य—जारी | | | |
| 0070 | अन्य प्रशासनिक सेवार्य—समाप्त | | | |
| 02 | <i>चुनाव</i> | | | |
| 104 | शुल्क, अर्थदण्ड और समपहरण | 123.98 | 59.80 | (+)107.32 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 61.56 | 160.22 | (-)61.58 |
| | योग-02 | 185.54 | 220.02 | (-)15.67 |
| 60 | <i>अन्य सेवार्य</i> | | | |
| 105 | होम गार्ड | 0.00 | 0.01 | (-)100.00 |
| 110 | सरकारी लेखापरीक्षा के लिये शुल्क | 428.68 | 290.29 | (+)47.67 |
| 118 | सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां | 36.50 | 36.90 | (-)1.08 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 1,151.67 | 1,085.79 | (+)6.07 |
| | योग-60 | 1,616.85 | 1,412.99 | (+)14.43 |
| | योग-0070 | 3,575.39 | 4,210.15 | (-)15.08 |
| 0071 | पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूली | | | |
| 01 | <i>सिविल</i> | | | |
| 101 | अभिदान और अंशदान | 8,015.03 | 1,574.09 | (+)409.19 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 216.51 | 748.65 | (-)71.08 |
| | योग-01 | 8,231.54 | 2,322.74 | (+)254.39 |
| | योग-0071 | 8,231.54 | 2,322.74 | (+)254.39 |
| 0075 | <i>विविध सामान्य सेवार्य</i> | | | |
| 101 | अदावाकृत जमा राशि | 656.61 | 5,607.34 | (-)88.29 |
| 108 | गारंटी फीस | 3,471.23 | 500.00 | (+)594.25 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 331.04 ¹⁰ | 80.21 | (+)312.72 |

¹⁰ कृषि मंत्रालय का अपलेखित ऋण ₹ 264.31 लाख सम्मिलित है।

14. राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | | |
|--|-----------------------------------|------------------|--|-----------------|
| | 2019-20 | 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)-जारी | | | | |
| ख | करेतर राजस्व-जारी | | | |
| (ग) | अन्य करेतर राजस्व-जारी | | | |
| (i) | सामान्य सेवाएँ-समाप्त | | | |
| 0075 | विविध सामान्य सेवाएँ-समाप्त | | | |
| 900 | घटायें-वापसियां | (-)410.48 | (-)233.40 | (+)75.87 |
| | योग-0075 | 4,048.40 | 5,954.15 | (-)32.01 |
| | योग-(i)-सामान्य सेवाएँ | 24,834.37 | 24,482.33 | (+)1.44 |
| (ii) | सामाजिक सेवाएँ | | | |
| 0202 | शिक्षा खेल कूद कला तथा संस्कृति | | | |
| 01 | सामान्य शिक्षा | | | |
| 101 | प्रारम्भिक शिक्षा | 3.04 | 39.05 | (-)92.22 |
| 102 | माध्यमिक शिक्षा | 57.21 | 47.14 | (+)21.37 |
| 103 | विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा | 332.88 | 404.16 | (-)17.64 |
| 104 | प्रौढ़ शिक्षा | 0.01 | 0.56 | (-)98.21 |
| 600 | सामान्य | 657.10 | 492.03 | (+)33.55 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 225.91 | 36.08 | (+)526.14 |
| 900 | घटायें-वापसियां | 0.00 | (-)4.76 | (+)100.00 |
| | योग-01 | 1,276.15 | 1,014.26 | (+)25.82 |
| 02 | तकनीकी शिक्षा | | | |
| 101 | शिक्षण और अन्य शुल्क | 132.09 | 140.93 | (-)6.28 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 13.00 | 206.97 | (-)93.72 |
| 900 | घटायें-वापसियां | (-)6.24 | 0.00 | (-)100.00 |
| | योग-02 | 138.85 | 347.90 | (-)60.09 |
| 03 | खेलकूद और युवा सेवाएँ | | | |
| 101 | शारीरिक शिक्षा-खेल और युवा कल्याण | 3.04 | 2.72 | (+)11.76 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 27.59 | 24.90 | (+)10.80 |

14. राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | | |
|--|--|-----------------|--|------------------|
| | 2019-20 | 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)—जारी | | | | |
| ख | करेतर राजस्व—जारी | | | |
| (ग) | अन्य करेतर राजस्व—जारी | | | |
| (ii) | सामाजिक सेवाएं—जारी | | | |
| 0202 | शिक्षा, खेल कूद, कला तथा संस्कृति—समाप्त | | | |
| 03 | खेलकूद और युवा सेवाएं—समाप्त | | | |
| 900 | घटायें—वापसियां | (-)2.50 | 0.00 | (-)100.00 |
| | योग-03 | 28.13 | 27.62 | (+)1.85 |
| 04 | कला और संस्कृति | | | |
| 101 | अभिलेखागार और संग्रहालय | 0.02 | 0.00 | (+)100.00 |
| 103 | सिनेमा फिल्म नियमों से प्राप्तियां | 0.23 | 0.00 | (+)100.00 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 39.66 | 14.39 | (+)175.61 |
| | योग-04 | 39.91 | 14.39 | (+)177.35 |
| | योग-0202 | 1,483.04 | 1,404.17 | (+)5.62 |
| 0210 | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | | | |
| 01 | शहरी स्वास्थ्य सेवायें | | | |
| 101 | कर्मचारी राज्य बीमा योजना से प्राप्तियां | 7,077.34 | 3,746.13 | (+)88.92 |
| 104 | चिकित्सा भंडार डिपो | 4.13 | 8.24 | (-)49.88 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 133.79 | 662.24 | (-)79.80 |
| 900 | घटायें—वापसियां | (-)0.32 | 0.00 | (-)100.00 |
| | योग-01 | 7,214.94 | 4,416.61 | (+)63.36 |
| 03 | चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान | | | |
| 101 | आयुर्वेद | 548.78 | 199.54 | (+)175.02 |
| 103 | यूनानी | 0.00 | 5.00 | (-)100.00 |
| 104 | सिद्ध | 0.00 | 0.06 | (-)100.00 |
| 105 | एलोपैथी | 435.87 | 180.92 | (+)140.92 |
| 200 | अन्य पद्धति | 0.00 | 0.31 | (-)100.00 |
| | योग-03 | 984.65 | 385.83 | (+)155.20 |

14. राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी

(₹ लाख में)

| शीर्ष | | वास्तविक आंकड़े | | |
|-----------------------------------|--|-----------------|----------|--|
| | | 2019-20 | 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)—जारी | | | | |
| ख | करेतर राजस्व—जारी | | | |
| (ग) | अन्य करेतर राजस्व—जारी | | | |
| (ii) | सामाजिक सेवाएं—जारी | | | |
| 0210 | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—समाप्त | | | |
| 04 | लोक स्वास्थ्य | | | |
| 104 | फीस और अर्थदण्ड आदि | 627.91 | 473.81 | (+)32.52 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 69.78 | 14.54 | (+)379.91 |
| 900 | घटायें—वापसियां | (-)9.08 | (-)5.23 | (-)73.62 |
| | योग-04 | 688.61 | 483.12 | (+)42.53 |
| 80 | सामान्य | | | |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 0.00 | 0.03 | (-)100.00 |
| | योग-80 | 0.00 | 0.03 | (-)100.00 |
| | योग-0210 | 8,888.20 | 5,285.59 | (+)68.16 |
| 0211 | परिवार कल्याण | | | |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 3.10 | 7.24 | (-)57.18 |
| | योग-0211 | 3.10 | 7.24 | (-)57.18 |
| 0215 | जल पूर्ति तथा सफाई— | | | |
| 01 | जल पूर्ति— | | | |
| 102 | ग्रामीण जल पूर्ति योजनाओं से प्राप्तियां | 0.00 | 1.52 | (-)100.00 |
| 501 | सेवाएं और सेवा शुल्क | 419.05 | 427.17 | (-)1.90 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 0.00 | 26.90 | (-)100.00 |
| | योग-01 | 419.05 | 455.59 | (-)8.02 |
| 02 | मल जल और सफाई | | | |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 0.00 | 1.03 | (-)100.00 |
| | योग-02 | 0.00 | 1.03 | (-)100.00 |
| | योग-0215 | 419.05 | 456.62 | (-)8.23 |

14. राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | | |
|--|-------------------------|----------|--|-------------|
| | 2019-20 | 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)—जारी | | | | |
| ख | करेतर राजस्व—जारी | | | |
| (ग) | अन्य करेतर राजस्व—जारी | | | |
| (ii) | सामाजिक सेवाएं—जारी | | | |
| 0216 | आवास | | | |
| 01 | सरकारी रिहायशी भवन | | | |
| 106 | साधारण पूल आवास | 452.45 | 433.42 | (+)4.39 |
| 107 | पुलिस आवास | 0.03 | 0.46 | (-)93.48 |
| | योग-01 | 452.48 | 433.88 | (+)4.29 |
| | योग-0216 | 452.48 | 433.88 | (+)4.29 |
| 0217 | शहरी विकास | | | |
| 60 | अन्य शहरी विकास योजनाएं | | | |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 5,368.45 | 3,032.37 | (+)77.03 |
| 900 | घटार्ये—वापसियां | (-)3.68 | (-)1.68 | (-)119.05 |
| | योग-04 | 5,364.77 | 3,030.69 | (+)77.01 |
| | योग-0217 | 5,364.77 | 3,030.69 | (+)77.01 |
| 0220 | सूचना तथा प्रचार | | | |
| 01 | फिल्म | | | |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 53.89 | 0.85 | (+)6,240.00 |
| | योग-01 | 53.89 | 0.85 | (+)6,240.00 |
| 60 | अन्य | | | |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 1.23 | 32.45 | (-)96.21 |
| | योग-60 | 1.23 | 32.45 | (-)96.21 |
| | योग-0220 | 55.12 | 33.30 | (+)65.53 |

14.राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | | |
|--|---|------------------|--|------------------|
| | 2019-20 | 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)-जारी | | | | |
| ख | करेतर राजस्व-जारी | | | |
| (ग) | अन्य करेतर राजस्व-जारी | | | |
| (ii) | सामाजिक सेवाएं-समाप्त | | | |
| 0230 | श्रम तथा रोजगार | | | |
| 101 | श्रम विधि से प्राप्तियां | 22.80 | 57.45 | (-)60.31 |
| 102 | व्यवसाय संघ के पंजीकरण के लिए शुल्क | 3.64 | 2.78 | (+)30.94 |
| 103 | वाष्प बायलरों के निरीक्षण के लिए शुल्क | 347.87 | 394.91 | (-)11.91 |
| 104 | कारखाना अधिनियम के अंतर्गत उगाहा गया शुल्क | 1,585.93 | 1,158.64 | (+)36.88 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 498.28 | 1,086.11 | (-)54.12 |
| 900 | घटायें-वापसियां | (-)15.15 | (-)25.24 | (-)39.98 |
| | योग-0230 | 2,443.37 | 2,674.65 | (-)8.65 |
| 0235 | सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | | | |
| 01 | पुनर्वास | | | |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 106.64 | 570.26 | (-)81.30 |
| | योग-01 | 106.64 | 570.26 | (-)81.30 |
| 60 | अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम | | | |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 153.87 | 0.00 | (+)100.00 |
| | योग-60 | 153.87 | 0.00 | (+)100.00 |
| | योग-0235 | 260.51 | 570.26 | (-)54.32 |
| 0250 | अन्य सामाजिक सेवाएं | | | |
| 101 | आहार (पोषण) | 17.89 | 0.73 | (+)2,350.69 |
| 102 | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | 826.37 | 810.88 | (+)1.91 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 830.29 | 0.00 | (+)100.00 |
| 900 | घटाएं-वापसियां | (-)1.45 | 0.00 | (-)100.00 |
| | योग-0250 | 1,673.10 | 811.61 | (+)106.15 |
| | योग-(ii)-सामाजिक सेवाएं | 21,042.74 | 14,708.01 | (+)43.07 |

14. राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी

(₹ लाख में)

| शीर्ष | | वास्तविक आंकड़े | | |
|--|--|-----------------|-----------------|--|
| | | 2019-20 | 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)—जारी | | | | |
| ख | करेतर राजस्व—जारी | | | |
| (ग) | अन्य करेतर राजस्व—जारी | | | |
| (iii) | आर्थिक सेवाएं— | | | |
| 0401 | फसल कृषि कर्म | | | |
| 104 | कृषि फार्मों खेतों से प्राप्तियां | 456.96 | 115.99 | (+)293.97 |
| 105 | खाद और उर्वरक की बिक्री | 0.00 | 0.44 | (-)100.00 |
| 119 | बागवानी और वनस्पति फसलों से प्राप्तियां | 742.70 | 595.07 | (+)24.81 |
| 120 | कृषि औजारों और ट्रैक्टर सहित मशीनों की बिक्री, भाड़ा और सेवाएं | 94.67 | 183.17 | (-)48.31 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 793.18 | 1,689.61 | (-)53.05 |
| 900 | घटाएं—वापसियां | (-)3.64 | (-)1.74 | (+)109.20 |
| | योग—0401 | 2,083.87 | 2,582.54 | (-)19.31 |
| 0403 | पशु पालन | | | |
| 102 | मवेशी और भैंस पालन के विकास से प्राप्तियां | 684.73 | 48.53 | (+)1,310.94 |
| 103 | मुर्गी पालन के विकास से प्राप्तियां | 137.47 | 198.89 | (-)30.88 |
| 104 | भेड़ पालन और ऊन विकास से प्राप्तियां | 3.91 | 1.06 | (+)268.87 |
| 105 | सुअर पालन के विकास से प्राप्तियां | 39.43 | 47.71 | (-)17.35 |
| 106 | चारे और चरागाह के विकास से प्राप्तियां | 0.00 | 71.38 | (-)100.00 |
| 108 | अन्य पशुधन के विकास से प्राप्तियां | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 501 | | 0.19 | 0.00 | (+)100.00 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 0.00 | 243.18 | (-)100.00 |
| | योग—0403 | 865.75 | 610.77 | (+)41.75 |
| 0405 | मछली पालन | | | |
| 011 | किराया | 52.21 | 55.79 | (-)6.42 |
| 102 | अनुज्ञापन शुल्क, अर्थदंड आदि | 0.00 | 11.75 | (-)100.00 |
| 103 | मछली, मछली बीज आदि की बिक्री | 226.47 | 265.85 | (-)14.81 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 148.72 | 211.18 | (-)29.58 |
| | योग—0405 | 427.40 | 544.57 | (-)21.52 |

14. राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी

(₹ लाख में)

| शीर्ष | | वास्तविक आंकड़े | | |
|--|--|------------------|------------------|--|
| | | 2019-20 | 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)—जारी | | | | |
| ख | करेतर राजस्व—जारी | | | |
| (ग) | अन्य करेतर राजस्व—जारी | | | |
| (iii) | आर्थिक सेवाएं—जारी | | | |
| 0406 | वानिकी तथा वन्य प्राणी | | | |
| 01 | वानिकी | | | |
| 101 | लकड़ी और अन्य वन उत्पाद की बिक्री | 974.98 | 1,156.65 | (-)15.71 |
| 203 | इमारती लकड़ी का राजकीय व्यापार | 14,151.64 | 14,651.60 | (-)3.41 |
| 204 | बांसों का राजकीय व्यापार | 706.96 | 555.84 | (+)27.19 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 9,277.65 | 9,235.17 | (+)0.46 |
| 900 | घटायें—वापसियां | (-)174.32 | (-)1,926.60 | (-)90.95 |
| | योग—01 | 24,936.91 | 23,672.66 | (+)5.30 |
| | योग—0406 | 24,936.91 | 23,672.66 | (+)5.30 |
| 0408 | खाद्य भंडारण तथा भांडागार | | | |
| 101 | खाद्य पदार्थ | 11.20 | 0.00 | (+)100.00 |
| 102 | भंडारण तथा भांडागार | 14.66 | 0.00 | (+)100.00 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 136.60 | 64.85 | (+)110.64 |
| 900 | घटायें—वापसियां | 0.00 | (-)1.36 | (+)100.00 |
| | योग—0408 | 162.46 | 63.49 | (+)155.88 |
| 0425 | सहकारिता | | | |
| 101 | लेखा परीक्षा शुल्क | 113.90 | 870.27 | (-)86.91 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 0.00 | 31.41 | (-)100.00 |
| 900 | घटायें—वापसियां | 0.00 | (-)107.84 | (+)100.00 |
| | योग—0425 | 113.90 | 793.84 | (-)85.65 |
| 0435 | अन्य कृषि कार्यक्रम | | | |
| 102 | कृषि उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण को श्रेणीबद्ध करने का शुल्क | 0.55 | 1.59 | (-)65.41 |
| 104 | मृदा और जल संरक्षण | 0.94 | 2.44 | (-)61.48 |

14. राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी

(₹ लाख में)

| शीर्ष | | वास्तविक आंकड़े | | |
|-----------------------------------|--|------------------|------------------|--|
| | | 2019-20 | 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)—जारी | | | | |
| ख | करेतर राजस्व—जारी | | | |
| (ग) | अन्य करेतर राजस्व—जारी | | | |
| (iii) | आर्थिक सेवाएं—जारी | | | |
| 0435 | अन्य कृषि कार्यक्रम—समाप्त | | | |
| 501 | अन्य सेवाएं और सेवा शुल्क | 0.49 | 0.58 | (-)15.52 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 125.39 | 123.39 | (+)1.62 |
| 900 | घटायें—वापसियां | (-)0.16 | (-)0.32 | (-)50.00 |
| | योग—0435 | 127.21 | 127.68 | (-)0.37 |
| 0515 | अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम | | | |
| 101 | पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत प्राप्तियां | 83.37 | 62.69 | (+)32.99 |
| 102 | सामुदायिक विकास परियोजनाओं से प्राप्तियां | 142.08 | 226.35 | (-)37.23 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 56.96 | 141.21 | (-)59.66 |
| | योग—0515 | 282.41 | 430.25 | (-)34.36 |
| 0700 | वृहद सिंचाई | | | |
| 01 | हसदेव—बांगों परियोजना | | | |
| 101 | सिंचाई प्रयोजन के लिए जल की बिक्री | 9.43 | 33.09 | (-)71.50 |
| 102 | घरेलू प्रयोजन के लिए जल की बिक्री | 115.07 | 100.05 | (+)15.01 |
| 103 | अन्य प्रयोजन के लिए जल की बिक्री | 34,990.29 | 40,476.28 | (-)13.55 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 50.18 | 1,493.65 | (-)96.64 |
| | योग—01 | 35,164.97 | 42,103.07 | (-)16.48 |
| 02 | महानदी परियोजना समूह | | | |
| 101 | सिंचाई प्रयोजन के लिए जल की बिक्री | 221.99 | 127.93 | (+)73.52 |
| 102 | घरेलू प्रयोजन के लिए जल की बिक्री | 1.76 | 2,037.23 | (-)99.91 |
| 103 | अन्य प्रयोजन के लिए जल की बिक्री | 8.11 | 0.00 | (+)100.00 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 189.71 | 51.99 | (+)264.90 |
| | योग—02 | 421.57 | 2,217.15 | (-)80.99 |

14.राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| शीर्ष | | वास्तविक आंकड़े | | |
|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | | 2019-20 | 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)-जारी | | | | |
| ख | करेतर राजस्व-जारी | | | |
| (ग) | अन्य करेतर राजस्व-जारी | | | |
| (iii) | आर्थिक सेवाएं-जारी | | | |
| 0700 | वृहद सिंचाई-जारी | | | |
| 03 | सौंदूर परियोजना | | | |
| 101 | सिंचाई प्रयोजन के लिए जल की बिक्री | 3.29 | 0.00 | (-)100.00 |
| | योग-04 | 3.29 | 0.00 | (-)100.00 |
| 04 | कोडार परियोजना | | | |
| 101 | सिंचाई प्रयोजन के लिए जल की बिक्री | 3.00 | 4.01 | (-)25.18 |
| | योग-04 | 3.00 | 4.01 | (-)25.18 |
| 05 | तांदुला परियोजना | | | |
| 101 | सिंचाई प्रयोजन के लिए जल की बिक्री | 13.81 | 9.61 | (+)43.70 |
| 103 | अन्य प्रयोजन के लिए जल की बिक्री | 8,037.21 | 7,664.98 | (+)4.86 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 9.54 | 3.18 | (+)200.00 |
| | योग-05 | 8,060.56 | 7,677.77 | (+)4.99 |
| 06 | पैरी परियोजना | | | |
| 101 | सिंचाई प्रयोजन के लिए जल की बिक्री | 4.82 | 0.41 | (+)1,075.61 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 4.18 | 0.71 | (+)488.73 |
| | योग-06 | 9.00 | 1.12 | (+)703.57 |
| 07 | जाँक परियोजना | | | |
| 101 | सिंचाई प्रयोजन के लिए जल की बिक्री | 2.28 | 11.07 | (-)79.40 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 0.00 | 12.19 | (-)100.00 |
| | योग-07 | 2.28 | 23.26 | (-)90.20 |
| 08 | समोदा परियोजना | | | |
| 101 | सिंचाई प्रयोजन के लिए जल की बिक्री | 0.00 | 0.86 | (-)100.00 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 0.00 | 73.40 | (-)100.00 |
| | योग-08 | 0.00 | 74.26 | (-)100.00 |

14.राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | | |
|--|------------------------------------|------------------|--|------------------|
| | 2019-20 | 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)-जारी | | | | |
| ख | करेतर राजस्व-जारी | | | |
| (ग) | अन्य करेतर राजस्व-जारी | | | |
| (iii) | आर्थिक सेवाएं-जारी | | | |
| 0700 | वृहद सिंचाई-समाप्त | | | |
| 09 | <i>केलो परियोजना</i> | | | |
| 103 | अन्य प्रयोजन के लिए जल की बिक्री | 22.84 | 48.22 | (-)52.63 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 3.06 | 26.48 | (-)88.44 |
| | योग-09 | 25.90 | 74.70 | (-)65.33 |
| 10 | <i>खारंग जलाशय</i> | | | |
| 101 | सिंचाई प्रयोजन के लिए जल की बिक्री | 6.53 | 5.58 | (+)17.03 |
| | योग-10 | 6.53 | 5.58 | (+)17.03 |
| 11 | <i>मनियारी जलाशय</i> | | | |
| 101 | सिंचाई प्रयोजन के लिए जल की बिक्री | 0.72 | 0.00 | (+)100.00 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 6.31 | 0.00 | (+)100.00 |
| | योग-11 | 7.03 | 0.00 | (+)100.00 |
| | योग-0700 | 43,704.13 | 52,180.92 | (-)16.24 |
| 0701 | मध्यम सिंचाई- | | | |
| 01 | <i>पिंद्रावन-</i> | | | |
| 101 | सिंचाई प्रयोजन के लिए जल की बिक्री | 0.98 | 0.00 | (+)100.00 |
| 103 | अन्य प्रयोजन के लिए जल की बिक्री | 0.50 | 0.19 | (+)163.16 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 6.29 | 11.66 | (-)46.06 |
| | योग-01 | 7.77 | 11.85 | (-)34.43 |
| 02 | <i>कुम्हारी</i> | | | |
| 101 | सिंचाई प्रयोजन के लिए जल की बिक्री | 2.97 | 0.10 | (+)2,870.00 |
| 102 | घरेलू प्रयोजन के लिए जल की बिक्री | 0.00 | 0.05 | (-)100.00 |
| 103 | अन्य प्रयोजन के लिए जल की बिक्री | 0.12 | 0.22 | (-)45.45 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 21.24 | 5.88 | (+)261.22 |
| | योग-02 | 24.33 | 6.25 | (+)289.28 |

14. राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी

(₹ लाख में)

| शीर्ष | | वास्तविक आंकड़े | | |
|--|------------------------------------|-----------------|---------------|--|
| | | 2019-20 | 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)—जारी | | | | |
| ख | करेतर राजस्व—जारी | | | |
| (ग) | अन्य करेतर राजस्व—जारी | | | |
| (iii) | आर्थिक सेवाएं—जारी | | | |
| 0701 | मध्यम सिंचाई—जारी | | | |
| 03 | बालेर | | | |
| 101 | सिंचाई प्रयोजन के लिए जल की बिक्री | 0.00 | 0.17 | (-)100.00 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 0.69 | 0.58 | (+)15.97 |
| | योग-03 | 0.69 | 0.75 | (-)8.00 |
| 04 | केशवा | | | |
| 101 | सिंचाई प्रयोजन के लिए जल की बिक्री | 0.47 | 0.27 | (+)74.07 |
| | योग-04 | 0.47 | 0.27 | (+)74.07 |
| 06 | खापरी | | | |
| 101 | सिंचाई प्रयोजन के लिए जल की बिक्री | 2.28 | 1.32 | (+)72.73 |
| | योग-06 | 2.28 | 1.32 | (+)72.73 |
| 08 | खरखरा | | | |
| 101 | सिंचाई प्रयोजन के लिए जल की बिक्री | 340.16 | 666.16 | (-)48.94 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 0.76 | 0.43 | (+)76.54 |
| | योग-08 | 340.92 | 666.59 | (-)48.86 |
| 10 | रुसे | | | |
| 101 | सिंचाई प्रयोजन के लिए जल की बिक्री | 0.00 | 0.04 | (-)100.00 |
| | योग-10 | 0.00 | 0.04 | (-)100.00 |
| 12 | पिपरिया | | | |
| 101 | सिंचाई प्रयोजन के लिए जल की बिक्री | 3.48 | 4.36 | (-)20.18 |
| | योग-12 | 3.48 | 4.36 | (-)20.18 |
| 13 | छीरपानी | | | |
| 101 | सिंचाई प्रयोजन के लिए जल की बिक्री | 0.02 | 7.32 | (-)99.73 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 0.00 | 0.05 | (-)100.00 |
| | योग-13 | 0.02 | 7.37 | (-)99.73 |

14.राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| शीर्ष | | वास्तविक आंकड़े | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|--|
| | | 2019-20 | 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)-जारी | | | | |
| ख | करेतर राजस्व-जारी | | | |
| (ग) | अन्य करेतर राजस्व-जारी | | | |
| (iii) | आर्थिक सेवाएं-जारी | | | |
| 0701 | मध्यम सिंचाई-जारी | | | |
| 14 | <i>सरोदा</i> | | | |
| 101 | सिंचाई प्रयोजन के लिए जल की बिक्री | 0.15 | 33.04 | (-)99.55 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 0.00 | 0.18 | (-)100.00 |
| | योग-14 | 0.15 | 33.22 | (-)99.55 |
| 15 | <i>घोंघा</i> | | | |
| 101 | सिंचाई प्रयोजन के लिए जल की बिक्री | 1.92 | 2.33 | (-)17.60 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 3.50 | 0.71 | (+)392.96 |
| | योग-15 | 5.42 | 3.04 | (+)78.29 |
| 16 | <i>झुमका</i> | | | |
| 101 | सिंचाई प्रयोजन के लिए जल की बिक्री | 0.19 | 0.55 | (-)65.45 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 0.27 | 0.29 | (-)6.90 |
| | योग-16 | 0.46 | 0.84 | (-)45.24 |
| 17 | <i>गेज़</i> | | | |
| 101 | सिंचाई प्रयोजन के लिए जल की बिक्री | 31.33 | 20.95 | (+)49.55 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 114.63 | 83.54 | (+)37.22 |
| | योग-17 | 145.96 | 104.49 | (+)39.69 |
| 18 | <i>केदार नाला</i> | | | |
| 101 | सिंचाई प्रयोजन के लिए जल की बिक्री | 0.22 | 0.33 | (-)33.33 |
| | योग-18 | 0.22 | 0.33 | (-)33.33 |
| 19 | <i>पुटका</i> | | | |
| 101 | सिंचाई प्रयोजन के लिए जल की बिक्री | 0.11 | 1.00 | (-)89.00 |
| | योग-19 | 0.11 | 1.00 | (-)89.00 |

14. राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|--|------------------|
| | 2019-20 | 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)—जारी | | | | |
| ख | करेतर राजस्व—जारी | | | |
| (ग) | अन्य करेतर राजस्व—जारी | | | |
| (iii) | आर्थिक सेवाएं—जारी | | | |
| 0701 | मध्यम सिंचाई—जारी | | | |
| 20 | <i>किनकारी नाला</i> | | | |
| 101 | सिंचाई प्रयोजन के लिए जल की बिक्री | 0.00 | 0.01 | (-)100.00 |
| | योग—20 | 0.00 | 0.01 | (-)100.00 |
| 21 | <i>खम्हार पाकुट</i> | | | |
| 101 | सिंचाई प्रयोजन के लिए जल की बिक्री | 0.00 | 0.76 | (-)100.00 |
| | योग—21 | 0.00 | 0.76 | (-)100.00 |
| 22 | <i>कुआरपुर</i> | | | |
| 101 | सिंचाई प्रयोजन के लिए जल की बिक्री | 0.99 | 0.35 | (+)182.86 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 0.01 | 0.15 | (-)93.33 |
| | योग—22 | 1.00 | 0.50 | (+)100.00 |
| 23 | <i>बांकी</i> | | | |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 0.00 | 83.20 | (-)100.00 |
| | योग—23 | 0.00 | 83.20 | (-)100.00 |
| 24 | <i>श्यामघुघट्टा</i> | | | |
| 101 | सिंचाई प्रयोजन के लिए जल की बिक्री | 0.09 | 2.56 | (-)96.48 |
| | योग—24 | 0.09 | 2.56 | (-)96.48 |
| 27 | <i>झिरम नदी</i> | | | |
| 101 | सिंचाई प्रयोजन के लिए जल की बिक्री | 2.23 | 0.61 | (+)265.57 |
| | योग—27 | 2.23 | 0.61 | (+)265.57 |
| 28 | <i>शिवनाथ व्यपवर्तन</i> | | | |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 0.00 | 0.31 | (-)100.00 |
| | योग—28 | 0.00 | 0.31 | (-)100.00 |
| 29 | <i>मांड व्यपवर्तन</i> | | | |
| 101 | सिंचाई प्रयोजन के लिए जल की बिक्री | 0.00 | 27.02 | (-)100.00 |

14.राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| शीर्ष | | वास्तविक आंकड़े | | |
|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | | 2019-20 | 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)-जारी | | | | |
| ख | करेतर राजस्व-जारी | | | |
| (ग) | अन्य करेतर राजस्व-जारी | | | |
| (iii) | आर्थिक सेवाएं-जारी | | | |
| 0701 | मध्यम सिंचाई-समाप्त | | | |
| 29 | मांड व्यपवर्तन-समाप्त | | | |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 0.00 | 0.02 | (-)100.00 |
| | योग-29 | 0.00 | 27.04 | (-)100.00 |
| 31 | बरनई | | | |
| 101 | सिंचाई प्रयोजन के लिए जल की बिक्री | 1.09 | 133.36 | (-)99.18 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 0.39 | 0.02 | (+)1,850.00 |
| | योग-31 | 1.48 | 133.38 | (-)98.89 |
| 32 | सुतियापाट | | | |
| 101 | सिंचाई प्रयोजन के लिए जल की बिक्री | 0.05 | 0.63 | (-)92.06 |
| | योग-32 | 0.05 | 0.63 | (-)92.06 |
| 34 | मोंगरा परियोजना | | | |
| 101 | सिंचाई प्रयोजन के लिए जल की बिक्री | 5.56 | 8.79 | (-)36.74 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 0.11 | 0.00 | (+)100.00 |
| | योग-34 | 5.67 | 8.79 | (-)35.49 |
| 80 | सामान्य | | | |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 28.58 | 32.60 | (-)12.33 |
| 900 | घटार्ये-वापसियां | (-)0.24 | 0.00 | (-)100.00 |
| | योग-80 | 28.34 | 32.60 | (-)13.07 |
| | योग-0701 | 571.14 | 1,132.11 | (-)49.55 |
| 0702 | लघु सिंचाई | | | |
| 01 | सतह जल | | | |
| 101 | सिंचाई प्रयोजन के लिए जल की बिक्री | 0.00 | 0.12 | (-)100.00 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 30,611.17 | 16,406.13 | (+)86.58 |

14. राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी

(₹ लाख में)

| शीर्ष | | वास्तविक आंकड़े | | |
|--|---|---------------------------|------------------|--|
| | | 2019-20 | 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)—जारी | | | | |
| ख | करेतर राजस्व—जारी | | | |
| (ग) | अन्य करेतर राजस्व—जारी | | | |
| (iii) | आर्थिक सेवाएं—जारी | | | |
| 0702 | लघु सिंचाई—समाप्त | | | |
| 01 | सतह जल—समाप्त | | | |
| 900 | घटार्ये—वापसियां | (-)1,858.71 | 0.00 | (-)100.00 |
| | योग—01 | 28,752.46 | 16,406.25 | (+)75.25 |
| 80 | सामान्य | | | |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 1.17 | 0.12 | (+)875.00 |
| | योग—80 | 1.17 | 0.12 | (+)875.00 |
| | योग—0702 | 28,753.63 | 16,406.37 | (+)75.25 |
| 0851 | ग्राम तथा लघु उद्योग | | | |
| 101 | औद्योगिक क्षेत्र | 1.89 | 0.02 | (+)9,350.00 |
| 102 | लघु उद्योग | 30.35 | 3.63 | (+)736.09 |
| 103 | हथकरघा उद्योग | 25.26 | 14.87 | (+)69.87 |
| 107 | रेशम—उत्पाद उद्योग | 231.13 | 519.68 | (-)55.52 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 329.69 | 23.92 | (+)1,278.30 |
| | योग—0851 | 618.32 | 562.12 | (+)10.00 |
| 0852 | उद्योग | | | |
| 08 | उपभोक्ता उद्योग | | | |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 648.65 | 531.58 | (+)22.02 |
| 900 | घटाएं—वापसियां | (-)7.86 | (-)0.78 | (+)907.69 |
| | योग—08 | 640.78 | 530.80 | (+)20.72 |
| | योग—0852 | 640.78 | 530.80 | (+)20.72 |
| 0853 | अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग | | | |
| 102 | खनिज रियायत शुल्क, किराया और स्वत्व शुल्क | 4,72,335.65 | 5,22,714.39 | (-)9.64 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 1,47,316.01 ¹¹ | 88,343.72 | (+)66.75 |

¹¹ कोल ब्लॉक के नीलामी से प्राप्त ₹ 81,268.67 लाख एवं कोल से भिन्न अन्य मुख्य खनिज के नीलामी से प्राप्त ₹ 241.09 लाख सम्मिलित है।

14. राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | | |
|--|--|--------------------|--|------------------|
| | 2019-20 | 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)—जारी | | | | |
| ख | करेतर राजस्व—जारी | | | |
| (ग) | अन्य करेतर राजस्व—जारी | | | |
| (iii) | आर्थिक सेवाएं—जारी | | | |
| 0853 | अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग—समाप्त | | | |
| 900 | घटाएं—वापसियां | (-)79.06 | (-)33.96 | (+)132.80 |
| | योग—0853 | 6,19,572.60 | 6,11,024.15 | (+)1.40 |
| 0875 | अन्न उद्योग—समाप्त | | | |
| 01 | अफीम तथा क्षारोद (एल्कलॉयड) उद्योग | | | |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 0.12 | 0.00 | (+)100.00 |
| | योग—01 | 0.12 | 0.00 | (+)100.00 |
| 02 | अन्य उद्योग | | | |
| 102 | अनुज्ञापत्र शुल्क | 0.01 | 0.00 | (+)100.00 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 0.02 | 0.00 | (+)100.00 |
| | योग—02 | 0.03 | 0.00 | (+)100.00 |
| 60 | अन्य | | | |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 0.07 | 0.00 | (+)100.00 |
| | योग—60 | 0.07 | 0.00 | (+)100.00 |
| | योग—0875 | 0.22 | 0.00 | (+)100.00 |
| 1053 | नागर विमानन | | | |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 0.00 | 17.16 | (-)100.00 |
| | योग—1053 | 0.00 | 17.16 | (-)100.00 |
| 1054 | सड़क तथा सेतु | | | |
| 102 | सड़कों पर पथकर | 81.55 | 209.55 | (-)61.08 |
| | योग—1054 | 81.55 | 209.55 | (-)61.08 |
| 1475 | अन्य सामान्य आर्थिक सेवार्ये | | | |
| 012 | सांख्यिकी | 13.58 | 22.10 | (-)38.55 |
| 101 | एकाधिकार तथा अवरोध व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969 के अंतर्गत उगाहा गया शुल्क | 0.00 | 0.50 | (-)100.00 |

14. राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | | |
|-----------------------------------|--|-------------|--|-----------|
| | 2019-20 | 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)—जारी | | | | |
| ख | करेतर राजस्व—समाप्त | | | |
| (ग) | अन्य करेतर राजस्व—समाप्त | | | |
| (iii) | आर्थिक सेवाएं—समाप्त | | | |
| 1475 | अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें—समाप्त | | | |
| 103 | ट्रेड-मार्क के पंजीकरण के लिए शुल्क | 0.00 | 0.34 | (-)100.00 |
| 105 | संयुक्त स्टॉक कंपनियों के विनियम | 0.00 | 0.04 | (-)100.00 |
| 106 | बाटों और मापों के मुद्रांकन के लिए शुल्क | 571.96 | 594.27 | (-)3.75 |
| 107 | जनगणना | 0.02 | 0.04 | (-)50.00 |
| 200 | अन्य कारोबार उपक्रमों के विनियम | 456.71 | 453.88 | (+)0.62 |
| 202 | मौसम—विज्ञान | 0.00 | 0.11 | (-)100.00 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 35.14 | 47.26 | (-)25.65 |
| | योग—1475 | 1,077.41 | 1,118.54 | (-)3.68 |
| | योग—(iii)—आर्थिक सेवायें | 7,24,019.70 | 7,12,007.52 | (+)1.69 |
| | योग—(ग)—अन्य करेतर राजस्व | 7,69,896.81 | 7,51,197.86 | (+)2.49 |
| | योग—ख—करेतर राजस्व | 7,93,376.67 | 7,70,302.08 | (+)3.00 |

14.राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | | |
|--|---|----------|--|-----------|
| | 2019-20 | 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)-जारी | | | | |
| ग | सहायता अनुदान तथा अंशदान | | | |
| 1601 | केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान¹² | | | |
| 06 | केन्द्रीय रूप से प्रयोजित स्कीमें | | | |
| 101 | केन्द्रीय सहायता/भाग | | | |
| | श्रम एवं रोजगार मंत्रालय | | | |
| | नेशनल कैरियर सर्विस-मिशन मोड प्रोजेक्ट पर रोजगार कार्यालयों को जोड़ना (सहायता अनुदान-सामान्य) | 0.00 | 5.69 | (-)100.00 |
| | नेशनल कैरियर सर्विस-रोजगार कार्यालय में मॉडल करियर केन्द्र (एमसीसी) की स्थापना | 51.09 | 0.00 | (+)100.00 |
| | बंधुआ मजदूर का पुनर्वास (सहायता अनुदान-सामान्य) | 0.00 | 193.35 | (-)100.00 |
| | जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय | | | |
| | त्वरित सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत केलो वृहद योजना (प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना)-कोषालय जमा | 409.00 | 2,540.90 | (-)83.90 |
| | उद्योग जल कर-कोषालय जमा | 0.00 | 10.15 | (-)100.00 |
| | प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना-सिंचाई संगणना | 0.00 | 187.94 | (-)100.00 |
| | उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय- | | | |
| | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अंतर्राज्यीय संचालन तथा उचित मूल्य दुकानदारों को मार्जिन (सहायता अनुदान-सामान्य) | 0.00 | 14,064.83 | (-)100.00 |
| | मूल्य नियंत्रण प्रकोष्ठ का सुदृढीकरण (सहायता अनुदान-सामान्य) | 0.00 | 12.35 | (-)100.00 |
| | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को राज्य खाद्य आयोग के लिये सहायता | 0.00 | 37.50 | (-)100.00 |
| | सार्वजनिक वितरण प्रणाली एकीकृत प्रबंधन | 92.35 | 0.00 | (+)100.00 |
| | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय | | | |
| | हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना (एकीकृत बागवानी विकास के लिए मिशन) (सहायता अनुदान-सामान्य) | 6,844.50 | 10,225.00 | (-)33.06 |

¹² महालेखा नियंत्रक, नई दिल्ली द्वारा जारी शुद्धि पत्र के अनुसार उप मुख्यशीर्ष '01-योजनेत्तर अनुदान', '02-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के योजना के लिए अनुदान', '03-केन्द्रीय आयोजना योजना हेतु अनुदान', '04-केन्द्र समर्थित योजनागत स्कीम एवं इनके अन्तर्गत लघु शीर्ष दिनांक 01.04.2017 से प्रचलन में नहीं रहे एवं नया उप मुख्यशीर्ष '06-केन्द्र समर्थित योजनाओं', '07-वित्त आयोग अनुदान' तथा '08-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (विधान मण्डल वाले) को स्थानांतरण/अनुदान प्रचलन में लाया गया। अतः उपमुख्य शीर्ष 01 से 04 के अन्तर्गत कोई भी राशि दर्ज नहीं किया गया है।

14.राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|--|-----------|
| | 2019-20 | 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)-जारी | | | | |
| ग | सहायता अनुदान तथा अंशदान-जारी | | | |
| 1601 | केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-जारी | | | |
| 06 | केन्द्रीय रूप से प्रयोजित स्कीम-जारी | | | |
| 101 | केन्द्रीय सहायता/भाग-जारी | | | |
| कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय | | | | |
| | हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना (एकीकृत बागवानी विकास के लिए मिशन-राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांबू मिशन)-(सहायता अनुदान-सामान्य) | 0.00 | 228.00 | (-)100.00 |
| | हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना-बीज एवं रोपण सामग्री पर उप मिशन (एनएमएडटी) (सहायता अनुदान-सामान्य) | 516.77 | 586.50 | (-)11.88 |
| | हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना-बीज एवं रोपण सामग्री पर मिशन-बीज अधोसंरचना सुविधाओं का सृजन (पूंजीगत संपत्तियों का निर्माण-अनुदान के लिए) | 840.00 | 0.00 | (+)100.00 |
| | हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना-कृषि विस्तार पर सबमिशन (आत्मा) (सहायता अनुदान-सामान्य) | 1,567.90 | 1,225.92 | (+)27.89 |
| | हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना-कृषि वानिकी पर राष्ट्रीय परियोजना (एन.एम.एस.ए.) (सहायता अनुदान-सामान्य) | 200.00 | 150.00 | (+)33.33 |
| | हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना-वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (एन.एम.एस.ए.) (सहायता अनुदान-सामान्य) | 0.00 | 650.00 | (-)100.00 |
| | हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना-राष्ट्रीय बांबू मिशन (सहायता अनुदान-सामान्य) | 376.00 | 0.00 | (+)100.00 |
| | हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना-मृदा स्वास्थ्य कार्ड-उपजाओं के प्रबंधन पर राष्ट्रीय मिशन (एन.एम.एस.ए.) (सहायता अनुदान-सामान्य) | 220.13 | 646.89 | (-)65.97 |
| | हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना-मृदा स्वास्थ्य तथा उर्वरता के प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना (एन.एम.एस.ए.) (सहायता अनुदान-सामान्य) | 185.00 | 493.51 | (-)62.51 |
| | हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना-परमपरागत कृषि विकास योजना (सहायता अनुदान-सामान्य) | 0.00 | 1,009.80 | (-)100.00 |
| | हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना-कृषि यंत्रिकीकरण पर उप मिशन (सहायता अनुदान-सामान्य) | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- कृषि और संबंधित क्षेत्र पुनरुद्धार लाभकारी दृष्टिकोण (आर.के.व्ही.वाय-रफ्तार)-सामान्य आर.के.व्ही.वाय के लिए | 12,600.00 | 5,505.00 | (+)128.88 |

14. राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | | |
|-----------------------------------|--|----------|--|-----------|
| | 2019-20 | 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)—जारी | | | | |
| ग | सहायता अनुदान तथा अंशदान—जारी | | | |
| 1601 | केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान—जारी | | | |
| 06 | केन्द्रीय रूप से प्रयोजित स्कीमें—जारी | | | |
| 101 | केन्द्रीय सहायता/भाग—जारी | | | |
| कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय | | | | |
| | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना—आर.के.व्ही.वाय—रफ्तार— रिक्लेमेशन आफ प्राब्लम स्वाइल (आरपीएस) | 0.00 | 100.00 | (-)100.00 |
| | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना— कृषि और संबंधित क्षेत्र पुनरुद्धार लाभकारी दृष्टिकोन (आर.के.व्ही.वाय—रफ्तार)—पशु स्वास्थ्य के लिए | 75.00 | 84.30 | (-)11.03 |
| | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना—आर.के.व्ही.वाय—रफ्तार— रिक्लेमेशन आफ प्राब्लम स्वाइल (आरपीएस) | 150.00 | 0.00 | (+)100.00 |
| | हरित क्रांति—कृषोन्नति योजना—राष्ट्रीय ई—गवर्नेन्स प्लान—कृषि (सहायता अनुदान—सामान्य) | 188.00 | 57.60 | (+)226.39 |
| | हरित क्रांति—कृषोन्नति योजना—तिलहन एवं पाम तेल पर राष्ट्रीय मिशन | 0.00 | 441.54 | (-)100.00 |
| | हरित क्रांति—कृषोन्नति योजना—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन—टारगेटेड राईस फेलो एरिया (टीआरएफए)—तिलहन एवं पाम तेल पर राष्ट्रीय मिशन (सहायता अनुदान—सामान्य) | 450.00 | 200.00 | (+)125.00 |
| | हरित क्रांति—कृषोन्नति योजना—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (सहायता अनुदान—सामान्य) | 2,892.68 | 5,953.58 | (-)51.41 |
| | हरित क्रांति—कृषोन्नति योजना—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन—टारगेटेड राईस फेलो एरिया (टीआरएफए) (सहायता अनुदान—सामान्य) | 3,000.00 | 1,905.36 | (+)57.45 |
| | हरित क्रांति—कृषोन्नति योजना—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन—दाल की कम पैदावार जिलों में पैदावार बढ़ाना | 2,640.00 | .. | .. |
| | हरित क्रांति—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सहायता अनुदान—सामान्य) | 0.00 | 5,705.00 | (-)100.00 |
| | प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना—प्रति बुंद अधिक फसल (सहायता अनुदान—सामान्य) | 3,215.00 | 4,339.00 | (-)25.90 |
| | नील क्रांति—एकीकृत मत्स्यिकी का विकास—मत्स्य क्षेत्र में भौगोलिक सूचना तन्त्र एवं डाटा बेस के सुदृढीकरण | 0.00 | 74.37 | (-)100.00 |

14.राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | | |
|--|--|-----------|--|-----------|
| | 2019-20 | 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)-जारी | | | | |
| ग | सहायता अनुदान तथा अंशदान-जारी | | | |
| 1601 | केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-जारी | | | |
| 06 | केन्द्रीय रूप से प्रयोजित स्कीम-जारी | | | |
| 101 | केन्द्रीय सहायता/भाग-जारी | | | |
| कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय | | | | |
| | नील क्रांति-एकीकृत मत्स्यकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन (सहायता अनुदान-सामान्य) | 3,293.90 | 971.32 | (+)239.11 |
| | श्वेत क्रांति-राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना (पशुधन स्वास्थ्य एवं रोगों पर नियंत्रण) (सहायता अनुदान-सामान्य) | 319.60 | 1,530.17 | (-)79.11 |
| | पेस्टी डेस पेटिट्स-नियंत्रण कार्यक्रम (पीपीआर-सीपी) | 0.00 | 81.00 | (-)100.00 |
| | श्वेत क्रांति-पशुधन जनगणना एवं एकीकृत नमूना सर्वेक्षण (सहायता अनुदान-सामान्य) | 10.11 | 0.00 | (+)100.00 |
| | श्वेत क्रांति-राष्ट्रीय पशुधन मिशन (सहायता अनुदान-सामान्य) | 7.74 | 0.00 | (+)100.00 |
| गृह मंत्रालय | | | | |
| | भारत की जनगणना एवं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का अद्यतन (सहायता अनुदान-सामान्य) | 1,270.39 | 0.00 | (+)100.00 |
| | नक्सल हिंसा में मृत व्यक्तियों से संबंधित भुगतान के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता-कोषालय जमा | 0.00 | 107.70 | (-)100.00 |
| | पुलिस बल के आधुनिकीकरण-वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के लिए सुरक्षा से संबंधित व्यय हेतु अनुदान (सहायता अनुदान-सामान्य) | 12,081.17 | 5,453.18 | (+)121.54 |
| | पुलिस बल के आधुनिकीकरण-राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण (पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान) | 835.00 | 658.74 | (+)15.12 |
| | पुलिस बल के आधुनिकीकरण-राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण (सहायता अनुदान-सामान्य)-स्टूडेंट पुलिस केडेअ प्रोग्राम | 0.00 | 66.60 | (-)100.00 |
| | ई-जेल का क्रियान्वयन (पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान) | 85.00 | 140.00 | (-)39.29 |
| | विशेष अधोसंरचना योजनान्तर्गत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में किलाबंद पुलिस थानों का निर्माण (पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान) | 2,362.50 | 0.00 | (+)100.00 |
| | वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता | 26,664.00 | 26,667.00 | (-)0.01 |

14.राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| शीर्ष | | वास्तविक आंकड़े | | |
|---|--|-----------------|-----------|---|
| | | 2019-20 | 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / कमी (-) का प्रतिशत |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)-जारी | | | | |
| ग | सहायता अनुदान तथा अंशदान-जारी | | | |
| 1601 | केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-जारी | | | |
| 06 | केन्द्रीय रूप से प्रयोजित स्कीमें-जारी | | | |
| 101 | केन्द्रीय सहायता/भाग-जारी | | | |
| पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय | | | | |
| | वन की आग की रोकथाम और प्रबंधन | 392.07 | 104.60 | (+)274.83 |
| | वन्य जीव वासस्थानों का समेकित विकास-राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों (सहायता अनुदान-सामान्य) | 310.03 | 350.55 | (-)11.56 |
| | वन्य जीव वासस्थानों का समेकित विकास -हाथी परियोजना (सहायता अनुदान-सामान्य) | 0.00 | 65.28 | (-)100.00 |
| | वन्य जीव वासस्थानों का समेकित विकास-बाघ परियोजना (सहायता अनुदान-सामान्य) | 358.53 | 536.14 | (-)33.13 |
| | ग्रीन इंडिया पर राष्ट्रीय मिशन (सहायता अनुदान-सामान्य) | 503.61 | 536.07 | (-)6.05 |
| | प्रबंधन कार्य योजना (सहायता अनुदान-सामान्य) | 0.00 | 50.55 | (-)100.00 |
| | राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम (सहायता अनुदान-सामान्य) | 571.37 | 781.87 | (-)26.92 |
| ग्रामीण विकास मंत्रालय | | | | |
| | महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान) | 61,440.38 | 48,901.25 | (+)25.64 |
| | राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)-आजीविका (सहायता अनुदान-सामान्य) | 10,763.97 | 10,317.47 | (+)4.33 |
| | राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)-डी.आर.डी.ए. (सहायता अनुदान-सामान्य) | 909.92 | 816.50 | (+)11.44 |
| | राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)-दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना-प्लेसमेंट लिंक कौशल विकास कार्यक्रम (सहायता अनुदान-सामान्य) | 13,913.07 | 0.00 | (+)100.00 |
| | स्टार्ट-अप विलेज उद्यमिकी कार्यक्रम (सहायता अनुदान-सामान्य) | 245.66 | 0.00 | (+)100.00 |
| | राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (सहायता अनुदान-सामान्य) | 0.00 | 172.99 | (-)100.00 |
| | राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान) | 0.00 | 551.01 | (-)100.00 |

14.राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|--|-----------|
| | 2019-20 | 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)-जारी | | | | |
| ग | सहायता अनुदान तथा अंशदान-जारी | | | |
| 1601 | केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-जारी | | | |
| 06 | केन्द्रीय रूप से प्रयोजित स्कीमें-जारी | | | |
| 101 | केन्द्रीय सहायता/भाग-जारी | | | |
| | ग्रामीण विकास मंत्रालय | | | |
| | प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-नियमित पीएमजीएसवायू के लिए कार्यक्रम घटक (पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान) | 95,941.20 | 21,414.00 | (+)348.03 |
| | प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के लिए सड़क कनेक्टिविटी परियोजना के लिए कार्यक्रम घटक (पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान) | 42,537.90 | 0.00 | (+)100.00 |
| | प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (सहायता अनुदान-सामान्य) | 4,707.00 | 5,703.00 | (-)17.46 |
| | राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (सहायता अनुदान-सामान्य) | 18,641.65 | 18,091.27 | (+)3.04 |
| | राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम-राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (सहायता अनुदान-सामान्य) | 1,158.56 | 1,161.76 | (-)0.28 |
| | राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम-राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (सहायता अनुदान-सामान्य) | 6,548.37 | 5,771.33 | (+)13.46 |
| | राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम-राष्ट्रीय परिवार लाभ पेंशन योजना (सहायता अनुदान-सामान्य) | 2,637.01 | 2,257.24 | (+)16.82 |
| | श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन (सहायता अनुदान-सामान्य) | 2,700.00 | 0.00 | (+)100.00 |
| | प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान) | 56,254.50 | 1,76,302.99 | (-)68.09 |
| | ग्रामीण विकास कार्यक्रम को प्रबंधन समर्थन एवं जिला योजना प्रक्रिया का सुदृढीकरण-ठाकूर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्था-कोषालय में जमा | 32.42 | 83.11 | (-)60.99 |

14. राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी

(₹ लाख में)

| शीर्ष | | वास्तविक आंकड़े | | |
|-----------------------------------|---|-----------------|-----------|--|
| | | 2019-20 | 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)—जारी | | | | |
| ग | सहायता अनुदान तथा अंशदान—जारी | | | |
| 1601 | केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान—जारी | | | |
| 06 | केन्द्रीय रूप से प्रयोजित स्कीमें—जारी | | | |
| 101 | केन्द्रीय सहायता/भाग—जारी | | | |
| | महिला एवं बाल विकास मंत्रालय | | | |
| | एकीकृत बाल विकास सेवा—आंगनवाड़ी सेवाएं—पूरक पोषण (सहायता अनुदान—सामान्य) | 20,930.70 | 24,279.95 | (-)13.79 |
| | एकीकृत बाल विकास योजना—सतत क्रियान्वयन (सहायता अनुदान—सामान्य) | 26,981.63 | 18,144.17 | (+)48.71 |
| | एकीकृत बाल विकास योजना—किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए योजना (सहायता अनुदान—सामान्य) | 48.40 | 724.75 | (-)93.32 |
| | एकीकृत बाल विकास योजना—किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए योजना—किशोरी शक्ति योजना (सहायता अनुदान—सामान्य) | 0.00 | 44.14 | (-)100.00 |
| | एकीकृत बाल विकास योजना—प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (सहायता अनुदान—सामान्य) | 384.79 | 308.00 | (+)24.93 |
| | एकीकृत बाल विकास योजना—राष्ट्रीय पोषण मिशन—कार्यक्रम घटक—पोषण अभियान (सहायता अनुदान—सामान्य) | 100.00 | 0.00 | .. |
| | एकीकृत बाल विकास योजना—राष्ट्रीय पोषण मिशन (सहायता अनुदान—सामान्य) | 0.00 | 9,629.51 | (-)100.00 |
| | एकीकृत बाल विकास योजना—आंगनवाड़ी सेवाएं—प्रशिक्षण कार्यक्रम (सहायता अनुदान—सामान्य) | 339.55 | 0.00 | .. |
| | एकीकृत बाल विकास योजना—आंगनवाड़ी सेवाएं (सहायता अनुदान—सामान्य) | 0.00 | 12,206.12 | (-)100.00 |
| | एकीकृत बाल विकास योजना—आंगनवाड़ी केन्द्र में शौचालयों का निर्माण एवं पेयजल सुविधा प्रदाय स्वच्छ एक्शन प्लान (पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान) | 87.79 | 238.12 | (-)63.13 |
| | एकीकृत बाल संरक्षण योजना (सहायता अनुदान—सामान्य) | 2,098.74 | 2,151.01 | (-)2.43 |
| | महिलाओं के सशक्तीकरण एवं संरक्षण मिशन—स्वाधार गृह योजना (सहायता अनुदान—सामान्य) | 22.96 | 30.25 | (-)24.09 |

14. राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी

(₹ लाख में)

| शीर्ष | | वास्तविक आंकड़े | | |
|-----------------------------------|---|-----------------|-----------|--|
| | | 2019-20 | 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)—जारी | | | | |
| ग | सहायता अनुदान तथा अंशदान—जारी | | | |
| 1601 | केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान—जारी | | | |
| 06 | केन्द्रीय रूप से प्रयोजित स्कीमें—जारी | | | |
| 101 | केन्द्रीय सहायता/भाग—जारी | | | |
| | महिला एवं बाल विकास मंत्रालय | | | |
| | महिलाओं के सशक्तीकरण एवं संरक्षण हेतु मिशन—महिला शक्ती केन्द्र (सहायता अनुदान—सामान्य) | 35.41 | 7.28 | (+)386.40 |
| | महिला सशक्तीकरण एवं संरक्षण पर राष्ट्रीय मिशन—उज्ज्वला योजना (सहायता अनुदान—सामान्य) | 34.36 | 9.67 | (+)255.33 |
| | मानव संसाधन विकास मंत्रालय | | | |
| | समग्र शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा)—(सहायता अनुदान—सामान्य) | 73,353.24 | 0.00 | .. |
| | समग्र शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा)—(पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान) | 9,401.03 | 0.00 | .. |
| | समग्र शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा)—(सहायता अनुदान—सामान्य) | 13,834.06 | 0.00 | .. |
| | समग्र शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा)—(पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान) | 4,114.00 | 0.00 | .. |
| | समग्र शिक्षा (शिक्षकों के लिए शिक्षा)—(सहायता अनुदान—सामान्य) | 620.40 | 0.00 | .. |
| | राष्ट्रीय शिक्षा मिशन—सर्व शिक्षा अभियान (सहायता अनुदान—सामान्य) | 0.00 | 72,117.00 | (-)100.00 |
| | राष्ट्रीय शिक्षा मिशन—अध्यापकों प्रशिक्षण तथा प्रौढ़ शिक्षा—शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण (सहायता अनुदान—सामान्य) | 0.00 | 815.43 | (-)100.00 |
| | राष्ट्रीय स्कूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (सहायता अनुदान—सामान्य) | 25,489.23 | 30,664.18 | (-)16.88 |
| | राष्ट्रीय स्कूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान) | 0.00 | 1,421.80 | (-)100.00 |
| | राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (सहायता अनुदान—सामान्य) | 0.00 | 8,412.60 | (-)100.00 |
| | राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान) | 0.00 | 6,861.40 | (-)100.00 |
| | मदरसा/अल्पसंख्यकों में गुणवत्ता शिक्षा प्रदाय योजना (सहायता अनुदान—सामान्य) | 0.00 | 209.67 | (-)100.00 |

14. राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी

(₹ लाख में)

| शीर्ष | | वास्तविक आंकड़े | | |
|---|---|-----------------|-----------|---|
| | | 2019-20 | 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / कमी (-) का प्रतिशत |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)—जारी | | | | |
| ग | सहायता अनुदान तथा अंशदान—जारी | | | |
| 1601 | केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान—जारी | | | |
| 06 | केन्द्रीय रूप से प्रयोजित स्कीमें—जारी | | | |
| 101 | केन्द्रीय सहायता/भाग—जारी | | | |
| मानव संसाधन विकास मंत्रालय | | | | |
| | राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान—आर.यू.एस.ए. (पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान) | 6,645.00 | 3,030.00 | (+119.31 |
| पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय | | | | |
| | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल परियोजना (सहायता अनुदान—सामान्य) | 0.00 | 4,818.72 | (-)100.00 |
| | सीवरेज एवं सफाई—स्वच्छ भारत मिशन—ग्रामीण (सहायता अनुदान—सामान्य) | 0.00 | 22,425.00 | (-)100.00 |
| | सीवरेज एवं सफाई—स्वच्छ भारत मिशन—बाह्य सहायित परियोजना (सहायता अनुदान—सामान्य) | 13,897.97 | 0.00 | .. |
| जल शक्ति मंत्रालय | | | | |
| | ग्रामीण परिवार में प्रत्येक घर में नल कनक्शन प्रदाय का राष्ट्रीय कार्यक्रम | 6,581.96 | 0.00 | .. |
| सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय | | | | |
| | अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | 0.00 | 2,172.00 | (-)100.00 |
| | अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | 327.00 | 323.00 | (+)1.23 |
| | अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मेट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति | 1,041.00 | 0.00 | .. |
| | अशक्तता अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन—बाधारहित वातावरण का निर्माण (सहायता अनुदान—सामान्य) | 1,988.22 | 0.00 | .. |
| | प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (सहायता अनुदान—सामान्य) | 4,552.30 | 603.20 | (+)654.69 |
| | विशेष केन्द्रीय सहायता—अनुसूचित जाति उप घटक (सहायता अनुदान—सामान्य) | 1,553.50 | 2,148.00 | (-)27.68 |
| | दवा की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) | 0.00 | 67.50 | (-)100.00 |
| | शराब एवं मादक पदार्थ (ड्रग्स) दुरुपयोग की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय योजना | 351.50 | 0.00 | .. |
| | अनुसूचित जाति के लिए विकास योजना—राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम | 0.00 | 100.00 | (-)100.00 |

14.राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| शीर्ष | | वास्तविक आंकड़े | | |
|--------------------------------------|--|-----------------|----------|---|
| | | 2019-20 | 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / कमी (-) का प्रतिशत |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)-जारी | | | | |
| ग | सहायता अनुदान तथा अंशदान-जारी | | | |
| 1601 | केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-जारी | | | |
| 06 | केन्द्रीय रूप से प्रयोजित स्कीमें-जारी | | | |
| 101 | केन्द्रीय सहायता / भाग-जारी | | | |
| सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय | | | | |
| | अन्य पिछड़ा वर्ग को मेट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति | 0.00 | 460.00 | (-)100.00 |
| | सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 | 1,696.40 | 0.00 | (+)100.00 |
| | केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत प्रभावित व्यक्ति को वित्तीय सहायता-कोषालय जमा | 0.32 | 63.00 | (-)99.49 |
| जनजातीय कार्य मंत्रालय- | | | | |
| | जनजाति उप योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान) | 6,154.56 | 8,274.12 | (-)25.61 |
| | जनजाति उप योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (सहायता अनुदान-सामान्य) | 3,260.97 | 2,068.53 | (+)57.65 |
| | अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम : वनबंधु कल्याण योजना-विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास (सहायता अनुदान-सामान्य) | 527.73 | 368.02 | (+)43.39 |
| | अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम : वनबंधु कल्याण योजना-विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास (पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान) | 783.62 | 683.48 | (+)14.65 |
| | अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम : वनबंधु कल्याण योजना-लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान) | 703.53 | 197.31 | (+)256.56 |
| | अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम-जनजाति अनुसंधान संस्थानों को सहायता (सहायता अनुदान-सामान्य) | 0.00 | 39.67 | (-)100.00 |
| | अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम-जनजाति अनुसंधान संस्थान को सहायता (पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान) | 0.00 | 464.82 | (-)100.00 |
| | व्यवसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों हेतु मेरिट सह माध्यम छात्रवृत्ति | 0.00 | 6.70 | (-)100.00 |

14.राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| शीर्ष | | वास्तविक आंकड़े | | |
|--|---|-----------------|-----------|--|
| | | 2019-20 | 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)-जारी | | | | |
| ग | सहायता अनुदान तथा अंशदान-जारी | | | |
| 1601 | केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-जारी | | | |
| 06 | केन्द्रीय रूप से प्रयोजित स्कीमें-जारी | | | |
| 101 | केन्द्रीय सहायता/भाग-जारी | | | |
| जनजातीय कार्य मंत्रालय | | | | |
| | अल्पसंख्यकों के लिए मेट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति | 0.00 | 10.53 | (-)100.00 |
| | अल्पसंख्यकों के लिए मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | 0.00 | 11.78 | (-)100.00 |
| | अनुसूचित जाति के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम-अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | 7,022.69 | 4,609.57 | (+)52.35 |
| | अनुसूचित जाति के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम-अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मेट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति | 4,796.94 | 4,755.63 | (+)0.86 |
| अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय | | | | |
| | अल्पसंख्यक के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम-प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम-(पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान) | 100.80 | 0.00 | .. |
| आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय | | | | |
| | अर्बन पुनर्जागरण मिशन-(अमृत)-(सहायता अनुदान-सामान्य) | 3,366.00 | 2,742.00 | (+)22.76 |
| | अर्बन पुनर्जागरण मिशन-(अमृत)-(पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान) | 14,567.20 | 20,595.00 | (-)29.27 |
| | प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) (सहायता अनुदान-सामान्य) | 0.00 | 37.38 | (-)100.00 |
| | प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी)-सबके लिए आवास (पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान) | 5,974.20 | 9,822.02 | (-)39.17 |
| | प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी)-जियो टैगिंग कार्यकलाप (सहायता अनुदान-सामान्य) | 36.34 | 81.19 | (-)55.24 |
| | प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी)-राज्य स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ (सहायता अनुदान-सामान्य) | 288.36 | 0.00 | .. |
| | प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी)-केन्द्र स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ (सीएलटीसी) की स्थापना (सहायता अनुदान-सामान्य) | 0.00 | 216.07 | (-)100.00 |

14.राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| शीर्ष | | वास्तविक आंकड़े | | |
|--|--|-----------------|-----------|--|
| | | 2019-20 | 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)-जारी | | | | |
| ग | सहायता अनुदान तथा अंशदान-जारी | | | |
| 1601 | केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-जारी | | | |
| 06 | केन्द्रीय रूप से प्रयोजित स्कीमें-जारी | | | |
| 101 | केन्द्रीय सहायता/भाग-जारी | | | |
| | आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय | | | |
| | प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी)-क्षमता निर्माण (सहायता अनुदान-सामान्य) | 140.59 | 27.50 | (+)411.24 |
| | प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी)-गुणवत्ता की जाँच | 91.58 | 0.00 | .. |
| | राष्ट्रीय शहरीय आजीविका मिशन-दीनदयाल अंत्योदया योजना (सहायता अनुदान-सामान्य) | 1,701.96 | 2,115.36 | (-)19.54 |
| | 100 स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत बिलासपुर स्मार्ट सिटी का विकास-(पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान) | 0.00 | 3,200.00 | (-)100.00 |
| | 100 स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत बिलासपुर स्मार्ट सिटी का विकास-(सहायता अनुदान-सामान्य) | 0.00 | 600.00 | (-)100.00 |
| | 100 स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत नया रायपुर स्मार्ट सिटी का विकास-(पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान) | 0.00 | 9,800.00 | (-)100.00 |
| | 100 स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत नया रायपुर स्मार्ट सिटी का विकास-(सहायता अनुदान-सामान्य) | 0.00 | 600.00 | (-)100.00 |
| | स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) (पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान) | 0.00 | 8,205.00 | (-)100.00 |
| | स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) (सहायता अनुदान-सामान्य) | 0.00 | 1,978.00 | (-)100.00 |
| | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय | | | |
| | परिवार कल्याण-अवसंरचना अनुरक्षण-शहरी परिवार कल्याण केन्द्र का सुधार (सहायता अनुदान-सामान्य) | 1,158.45 | 370.47 | (+)212.70 |
| | परिवार कल्याण-अवसंरचना अनुरक्षण-शहरी परिवार कल्याण केन्द्र (सहायता अनुदान-सामान्य) | 88.51 | 292.02 | (-)69.69 |
| | परिवार कल्याण-अवसंरचना अनुरक्षण-उप केन्द्र (सहायता अनुदान-सामान्य) | 7,383.21 | 19,964.10 | (-)63.02 |
| | परिवार कल्याण-अवसंरचना अनुरक्षण-निर्देशन और प्रशासन (सहायता अनुदान-सामान्य) | 839.79 | 1,449.49 | (-)42.06 |

14.राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| शीर्ष | | वास्तविक आंकड़े | | |
|-----------------------------------|--|-----------------|-----------|--|
| | | 2019-20 | 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)-जारी | | | | |
| ग | सहायता अनुदान तथा अंशदान-जारी | | | |
| 1601 | केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-जारी | | | |
| 06 | केन्द्रीय रूप से प्रयोजित स्कीमें-जारी | | | |
| 101 | केन्द्रीय सहायता/भाग-जारी | | | |
| | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय | | | |
| | परिवार कल्याण-अवसंरचना अनुरक्षण-बहुउद्देशीय कर्मों का प्रशिक्षण (सहायता अनुदान-सामान्य) | 176.93 | 165.34 | (+)7.01 |
| | परिवार कल्याण-अवसंरचना अनुरक्षण-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र (सहायता अनुदान-सामान्य) | 22.30 | 116.33 | (-)80.83 |
| | परिवार कल्याण-अवसंरचना अनुरक्षण-सहायक नर्स दाई/महिला स्वास्थ्य आंगतुक (सहायता अनुदान-सामान्य) | 43.57 | 281.30 | (-)84.51 |
| | राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन-संक्रामक रोगों के लिए फ्लेक्सिबल समूह (सहायता अनुदान-सामान्य) | 1,784.00 | 938.00 | (+)90.19 |
| | आशा बेनीफीट पैकेज | 5,491.00 | 2,706.00 | (+)102.91 |
| | राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत व्यापक स्वास्थ्य देखभाल | 294.00 | 708.00 | (-)58.47 |
| | एच.एस.एस. के अन्तर्गत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल | 2,708.00 | 3,262.00 | (-)16.98 |
| | राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अन्य स्वास्थ्य प्रणाली हेतु गतिविधियां सुरक्षा (सहायता अनुदान-सामान्य) | 33,926.00 | 25,408.00 | (+)33.52 |
| | राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अन्य स्वास्थ्य प्रणाली हेतु गतिविधियां सुरक्षा (पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान) | 3,029.00 | 2,953.00 | (+)2.57 |
| | राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन-असंक्रामक रोगों के लिए फ्लेक्सिबल समूह (सहायता अनुदान-सामान्य) | 464.00 | 1,904.00 | (-)75.63 |
| | राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन-असंक्रामक रोगों के लिए फ्लेक्सिबल समूह (पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान) | 52.00 | 211.00 | (-)75.35 |
| | राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन-आर.सी.एच. फ्लेक्सिबल समूह (सहायता अनुदान-सामान्य) | 12,138.00 | 9,844.00 | (+)23.30 |
| | राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढीकरण (पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान) | 0.00 | 88.00 | (-)100.00 |

14. राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी

(₹ लाख में)

| शीर्ष | | वास्तविक आंकड़े | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--|
| | | 2019-20 | 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)—जारी | | | | |
| ग | सहायता अनुदान तथा अंशदान—जारी | | | |
| 1601 | केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान—जारी | | | |
| 06 | केन्द्रीय रूप से प्रयोजित स्कीम—जारी | | | |
| 101 | केन्द्रीय सहायता/भाग—समाप्त | | | |
| स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय | | | | |
| | राज्य औषधि नियामक प्रणाली का सुदृढीकरण | 808.00 | 0.00 | .. |
| | राष्ट्रीय आयुष मिशन (सहायता अनुदान—सामान्य) | 0.00 | 308.96 | (-)100.00 |
| | राष्ट्रीय आयुष मिशन (पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान) | 0.00 | 757.91 | (-)100.00 |
| | टेरिशियरी केयर कार्यक्रम—कैन्सर, मधुमेह, हृदयघात के रोकथाम के लिए राष्ट्रीय मिशन (सहायता अनुदान—सामान्य) | 1,023.23 | 0.00 | .. |
| | स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन—नया चिकित्सा महाविद्यालय स्थापना की योजना (पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान) | 0.00 | 3,000.00 | (-)100.00 |
| | आयुष्मान भारत—राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं देखभाल केन्द्र | 3,662.00 | 0.00 | .. |
| विधि एवं न्याय मंत्रालय | | | | |
| | न्यायपालिका अवसंरचना सुविधा का विकास | 1,983.00 | 1,968.00 | (+)0.76 |
| | महिलाओं की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय मिशन—फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (निर्भया निधि) | 337.50 | 0.00 | .. |
| कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय | | | | |
| | महिला छात्रावास का निर्माण (पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान) | 9.84 | 46.29 | (-)78.74 |
| | कौशल विकास के माध्यम से जिले में मुख्यधारा महत्वकांशी कार्यक्रम | 0.00 | 100.00 | (-)100.00 |
| | नए पॉलिटेक्निक की स्थापना | 0.00 | 1,100.00 | (-)100.00 |
| | प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना | 2,238.00 | 0.00 | .. |
| | प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना—औद्योगिक मूल्य वृद्धि (एसटीआरआईव्हीई) हेतु कौशल सुदृढीकरण | 35.00 | 230.00 | (-)84.78 |
| | प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना—आजीविका संवर्धन (संकल्प) हेतु कौशल अधिग्रहण एवं ज्ञान जागरूकता (सहायता अनुदान—सामान्य) | 804.49 | 0.00 | .. |
| | योग—101 | 7,52,538.40 | 7,72,445.93 | (-)2.58 |

14.राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| शीर्ष | | वास्तविक आंकड़े | | |
|--|--|---------------------------------|--------------------|--|
| | | 2019-20 | 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)-जारी | | | | |
| ग | सहायता अनुदान तथा अंशदान-जारी | | | |
| 1601 | केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-जारी | | | |
| 06 | केन्द्रीय रूप से प्रयोजित स्कीमें-जारी | | | |
| 102 | बाह्य सहायित परियोजना-केन्द्र द्वारा समर्थित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान- | | | |
| | सस्टेनेबल अरबन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट (पूंजीगत संपत्तियों) | 0.00 | 11.32 | (-)100.00 |
| | राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन-फ्लेक्सिबल समूह-सामान्य | 556.00 | 2,605.00 | (-)78.65 |
| | राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अन्य स्वास्थ्य प्रणाली (पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान) | 61.00 | 1,390.00 | (-)95.61 |
| | राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन-संकामक रोगों के लिए फ्लेक्सिबल समूह (सहायता अनुदान-सामान्य) | 858.00 | 0.00 | .. |
| | पारिस्थितिकी तंत्र सुधार परियोजना (पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान) | 1,273.39 | 0.00 | .. |
| | प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-कार्यक्रम घटक (एडीबी) | 22,980.80 | 45,025.00 | (-)48.96 |
| | राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना | 2,256.60 | 0.00 | .. |
| | योग-102 | 28,285.79 | 49,031.32 | (-)42.31 |
| | योग-06 | 7,80,824.19¹³ | 8,21,477.25 | (-)4.95 |
| 07 | वित्त आयोग अनुदान | | | |
| 102 | ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान | | | |
| | मूलभूत अनुदान (सहायता अनुदान-सामान्य) | 1,41,589.00 | 1,04,786.00 | (+)35.12 |
| | योग-102 | 1,41,589.00 | 1,04,786.00 | (+)35.12 |
| 103 | शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान | | | |
| | मूलभूत अनुदान (सहायता अनुदान-सामान्य) | 38,109.00 | 28,204.00 | (+)35.12 |
| | निष्पादन अनुदान (सहायता अनुदान-सामान्य) | 7,047.00 | 0.00 | (+)100.00 |
| | योग-103 | 45,156.00 | 28,204.00 | (+)60.10 |
| 104 | राज्य आपदा उन्मोचन निधि के लिए सहायक अनुदान | 17,730.00 | 34,957.50 | (-)49.28 |
| | योग-07 | 2,04,475.00 | 1,67,947.50 | (+)21.75 |

¹³ कोषालय जमा के ₹ 441.74 लाख सम्मिलित है।

14.राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | | |
|--|---|------------------|--|-----------------|
| | 2019-20 | 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)-जारी | | | | |
| ग | सहायता अनुदान तथा अंशदान-जारी | | | |
| 1601 | केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-जारी | | | |
| 08 | अन्य स्थानांतरण/राज्य/विधान मण्डल वाले संघराज्य क्षेत्र को अनुदान | | | |
| 104 | संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत अनुदान | | | |
| | सहायता अनुदान-सामान्य | 10,696.49 | 4,187.50 | (+)155.44 |
| | पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान | 11,804.28 | 7,165.42 | (+)64.74 |
| | योग-104 | 22,500.77 | 11,352.92 | (+)98.19 |
| 108 | केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान | | | |
| | पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान | 37,161.00 | 21,402.30 | (+)73.63 |
| 113 | विशेष सहायता | | | |
| | आपदा तत्परता (सहायता अनुदान-सामान्य) | 50.00 | 103.64 | (-)51.76 |
| | हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना-कृषि गणना एवं सांख्यिकी पर एकीकृत योजना -कृषि सांख्यिकी पर सुधार (सहायता अनुदान-सामान्य) | 35.00 | 120.00 | (-)29.17 |
| | हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना-कृषि गणना एवं सांख्यिकी पर एकीकृत योजना -कृषि सांख्यिकी-सामयिक रिपोर्टिंग योजना (टीआरएस) (सहायता अनुदान-सामान्य) | 50.00 | 0.00 | .. |
| | हरित क्रांति- कृषोन्नति योजना-कृषि गणना एवं सांख्यिकी पर एकीकृत योजना-कृषि गणना (सहायता अनुदान-सामान्य) | 57.00 | 86.21 | (-)33.88 |
| | विशेष भारतीय रिजर्व बटालियन (सहायता अनुदान-सामान्य) | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| | भारतीय रिजर्व बटालियन (सहायता अनुदान-सामान्य) | 5,238.00 | 0.00 | .. |
| | देशव्यापी आपातकालीन आपदा प्रणाली-निर्भया निधि (सहायता अनुदान-सामान्य) | 44.09 | 0.00 | .. |
| | पुलिस स्टेशन एवं महिला सुरक्षा योजना के तहत महिलाओं की मदद हेतु मानव तस्करी विरोधी इकाई-निर्भया निधि (सहायता अनुदान-सामान्य) | 660.00 | 0.00 | .. |
| | राज्य/जिला स्तरीय अनुकरण अभ्यास (सहायता अनुदान-सामान्य) | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
| | श्वेत क्रांती-पशुधन जनगणना एवं एकीकृत नमूना सर्वेक्षण | 357.55 | 139.23 | (+)156.81 |
| | केन्द्रीय अंशदान-क्षेत्रीय सैनिक मण्डल का रखरखाव/आंचलिक सैनिक मण्डल-कोषालय में जमा | 0.00 | 296.18 | (-)100.00 |

14. राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | | |
|--|---|---------------------|--|------------------|
| | 2019-20 | 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)—समाप्त | | | | |
| ग | सहायता अनुदान तथा अंशदान—समाप्त | | | |
| 1601 | केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान—समाप्त | | | |
| 08 | अन्य स्थानांतरण/राज्य/विधान मण्डल वाले संघराज्य क्षेत्र को अनुदान—समाप्त | | | |
| 113 | विशेष सहायता—समाप्त | | | |
| | नक्सल हिंसा में मृत व्यक्तियों से संबंधित भुगतान के लिए सहायता—कोषालय में जमा | 0.00 | 42.90 | (-)100.00 |
| | योग—113 | 8,019.64 | 2,316.16 | (+)246.25 |
| 114 | वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने के कारण होने वाली राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति (सहायता अनुदान—सामान्य) | 3,08,143.50 | 2,26,100.00 | (+)36.29 |
| | योग—08 | 3,75,824.91 | 2,61,171.38 | (+)43.90 |
| | योग—1601 | 13,61,124.10 | 12,50,596.13 | (+)8.84 |
| | योग—ग—सहायता अनुदान तथा अंशदान | 13,61,124.10 | 12,50,596.13 | (+)8.84 |
| | प्राप्ति शीर्ष—राजस्व लेखा | 63,86,869.50 | 65,09,492.62 | (-)1.88 |
| प्राप्ति शीर्ष—पूंजीगत लेखा | | | | |
| 4000 | विविध पूंजीगत प्राप्ति | | | |
| 01 | सिविल | | | |
| 105 | पूंजी की निवृत्ति/सहकारी संस्थाओं से विनिवेश/बैंक | 469.86 | 265.79 | (-)76.78 |
| 800 | अन्य प्राप्तियां | 0.00 | 260.47 | (-)100.00 |
| | योग—4000 | 469.86 | 526.26 | (-)10.72 |
| | योग—(प्राप्ति शीर्ष—पूंजीगत लेखा) | 469.86 | 526.26 | (-)10.72 |
| | महायोग —(राजस्व + पूंजीगत) | 63,87,339.36 | 65,10,018.88 | (-)1.88 |

14.राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण-जारी
व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. राजस्व प्राप्तियां-वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियां ₹ 63,86,869.50 लाख थी, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। तुलनात्मक सुविधा के लिए 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के तदनुसार आंकड़े भी दिये गये हैं :-

(₹ लाख में)

| विवरण | | वास्तविक आंकड़े | |
|-------|---|---------------------|---------------------|
| | | 2019-20 | 2018-19 |
| | राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व | | |
| (i) | कर राजस्व | 22,11,784.73 | 21,42,725.41 |
| (ii) | करेत्तर राजस्व | 7,93,376.67 | 7,70,302.08 |
| | योग-(i+ii) | 30,05,161.40 | 29,13,027.49 |
| | भारत सरकार से प्राप्तियां :- | | |
| (iii) | संघ करों की निवल आगमों का अंश | | |
| | (क) निगम कर | 6,88,942.00 | 8,15,709.00 |
| | (ख) आय पर निगम कर से भिन्न कर | 5,39,834.00 | 6,00,735.00 |
| | (ग) आय तथा व्यय पर अन्य कर | 0.00 | 4,248.00 |
| | (घ) सम्पत्ति कर | 30.00 | 298.00 |
| | (ङ) सीमा शुल्क कर | 1,28,078.00 | 1,66,266.00 |
| | (च) संघ उत्पाद कर | 89,049.00 | 1,10,493.00 |
| | (छ) सेवा कर | 0.00 | 21,776.00 |
| | (ज) वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क | 1,280.00 | 1,211.00 |
| | (झ) केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर | 5,73,371.00 | 5,78,933.00 |
| | (त) एकीकृत केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर | 0.00 | 46,200.00 |
| | योग-(iii) | 20,20,584.00 | 23,45,869.00 |
| (iv) | अनुदान- | | |
| | केन्द्र प्रवर्तित योजना | 7,80,824.19 | 8,21,477.25 |
| | वित्त आयोग अनुदान | 2,04,475.00 | 1,67,947.50 |
| | अन्य स्थानांतरण/राज्य/राज्यसंघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान | 3,75,824.91 | 2,61,171.38 |
| | योग-(iv) | 13,61,124.10 | 12,50,596.13 |
| | योग-(iii+ iv) | 33,81,708.10 | 35,96,465.13 |
| | योग-(i से iv) | 63,86,869.50 | 65,09,492.62 |

2. वर्ष के दौरान प्रत्याशित कराधान परिवर्तन और स्रोतों का अन्य संचलन :-
वर्ष 2019-20 के दौरान कराधान आदि में कोई भी परिवर्तन नहीं किये गये हैं।

**14.राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण-जारी
व्याख्यात्मक टिप्पणियां-जारी**

राजस्व प्राप्तियों में ₹ 1,22,623.12 लाख की कमी (2019-20 की राशि ₹ 65,09,492.62 लाख से 2018-19 की राशि ₹ 63,86,869.50 लाख तक)
मुख्यतः निम्नानुसार रही :-

(₹ लाख में)

| लेखे का मुख्यशीर्ष | वर्ष 2018-19 की तुलना में कमी | कमी के कारण | |
|--------------------|--|-------------|---|
| 0005 | केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी.जी.एस.टी.) | 5,562.00 | राज्य को समनुदेशित निवल आगमो में कमी के कारण। |
| 0006 | राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) | 30,858.72 | मुख्यतः एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई.जी.एस.टी.) का विभाजन के कारण कमी हुई-राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) से कर घटक का अंतरण |
| 0008 | एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई.जी.एस.टी.) | 46,200.00 | राज्य को समनुदेशित निवल आगमो में कमी के कारण। |
| 0020 | निगम कर | 1,26,767.00 | राज्य को समनुदेशित निवल आगमो में कमी के कारण। |
| 0021 | आय पर निगम कर से भिन्न कर | 60,901.00 | राज्य को समनुदेशित निवल आगमो में कमी के कारण। |
| 0028 | आय तथा व्यय पर अन्य कर | 4,245.88 | राज्य को समनुदेशित निवल आगमो में कमी के कारण। |
| 0037 | सीमा शुल्क | 38,188.00 | राज्य को समनुदेशित निवल आगमो में कमी के कारण। |
| 0038 | संघ उत्पाद शुल्क | 21,444.00 | राज्य को समनुदेशित निवल आगमो में कमी के कारण। |
| 0040 | बिक्री, व्यापार आदि पर कर | 15,635.28 | मुख्यतः पेट्रोल तथा डिज़ल के विक्रय के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का वस्तु एवं सेवा कर में सम्मिलित करने के कारण। |
| 0042 | माल तथा यात्री कर | 1,400.72 | जानकारी अप्राप्त है। (अक्टूबर 2020) |
| 0044 | सेवा कर | 21,776.00 | राज्य को समनुदेशित निवल आगमो में कमी के कारण। |
| 0059 | लोक निर्माण | 2,758.15 | समय विस्तार के मामलों में कमी आंकड़े एवं निविदा फार्म इत्यादि में कमी के कारण। |
| 0075 | विविध सामान्य सेवाएं | 1,905.75 | मुख्यतः अदावा जमा से कम राशि स्थानांतरित के कारण। |
| 0700 | वृहद सिंचाई | 8,476.79 | जानकारी अप्राप्त है। (अक्टूबर 2020) |

टीप : मुख्यशीर्ष जिसमें गत वर्ष की तुलना में प्राप्तियों में वृद्धि/कमी ₹ 1,000.00 लाख या अधिक है, को व्याख्यात्मक टिप्पणी में शामिल किया गया है।

**14.राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण-समाप्त
व्याख्यात्मक टिप्पणियां-समाप्त**

आय की उपरोक्त कमी मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों में वृद्धि के कारण अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

(₹ लाख में)

| लेखे का मुख्यशीर्ष | वर्ष 2018-19 की तुलना में वृद्धि | वृद्धि के कारण | |
|--------------------|---|----------------|--|
| 0029 | भू-राजस्व | 6,393.06 | जानकारी अप्राप्त है। (अक्टूबर 2020) |
| 0030 | स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क | 52,616.95 | मुख्यतः राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की एक लीज में राजस्व प्राप्ति इत्यादि के कारण। |
| 0039 | राज्य उत्पाद शुल्क | 46,333.10 | जानकारी अप्राप्त है। (अक्टूबर 2020) |
| 0041 | वाहन कर | 7,000.12 | मुख्यतः वाहन पर जीवनकाल कर जमा, शुल्क एवं त्रे-मासिक कर, इत्यादि पर वृद्धि होने के कारण। |
| 0043 | विद्युत कर तथा शुल्क | 4,673.00 | मुख्यतः छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा विद्युत शुल्क एवं उपकर प्राप्त होने से राजस्व में वृद्धि होने के कारण। |
| 0049 | ब्याज प्राप्तियां | 4,286.38 | मुख्यतः रोकड़ शेष के निवेश से प्राप्त ब्याज में वृद्धि, सरकारी आदेशों के अनुसार बिना पहचान नवीन पेंशन योजना नियोक्ताओं अंशदान पर लाभांश की प्राप्ति इत्यादि के कारण। |
| 0071 | पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूली | 5,908.80 | मुख्यतः सरकारी आदेशों के अनुसार बिना पहचान नवीन पेंशन योजना नियोक्ताओं अंशदान का जमा के कारण। |
| 0210 | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | 3,602.61 | मुख्यतः कर्मचारी राज्य बीमा योजना से प्राप्ति के कारण। |
| 0217 | शहरी विकास | 2,334.08 | अवैध निर्माण के नियमितीकरण के कार्य अधिक होने के कारण राजस्व में वृद्धि। |
| 0406 | वानिकी तथा वन्य प्राणी | 1,264.25 | जानकारी अप्राप्त है। (अक्टूबर 2020) |
| 0702 | लघु सिंचाई | 12,347.26 | जानकारी अप्राप्त है। (अक्टूबर 2020) |
| 0853 | अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग | 8,548.45 | मुख्यतः राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा आम लागत की जमा, रेत रॉयल्टि पर आवेदन शुल्क पर जप्ती इत्यादि के कारण। |
| 1601 | केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान | 1,10,527.97 | केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान के प्राप्तियों में कमी के कारण। |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|-------|--|---|------|--------------------------|---|-------------|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | | |
| क | सामान्य सेवार्ये- | | | | | |
| (क) | राज्य के अंग- | | | | | |
| 2011 | संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल- | | | | | |
| 02 | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल- | | | | | |
| 101 | विधान सभा | 22.31 2,828.26 | 0.00 | 2,850.57 | 2,409.04 | (+)18.33 |
| 103 | विधानमंडल सचिवालय | 1,714.70 | 0.00 | 1,714.70 | 1,525.69 | (+)12.39 |
| | योग-02 | 22.31 4,542.96 | 0.00 | 4,565.27 | 3,934.73 | (+)16.02 |
| | योग-2011 | 22.31 4,542.96 | 0.00 | 4,565.27 | 3,934.73 | (+)16.02 |
| 2012 | राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक- | | | | | |
| 03 | राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक- | | | | | |
| 090 | सचिवालय | 461.88 | 0.00 | 461.88 | 446.19 | (+)3.52 |
| 101 | राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों की परिलब्धियां और भत्ते | 24.84 | 0.00 | 24.84 | 6.00 | (+)314.00 |
| 102 | विवेकाधीन अनुदान | 40.25 | 0.00 | 40.25 | 75.57 | (-)46.74 |
| 103 | परिवारिक स्थापना | 351.17 36.96 | 0.00 | 388.13 | 366.83 | (+)5.81 |
| 104 | आतिथ्य भत्ता | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | (-)100.00 |
| 105 | चिकित्सा सुविधाएं | 4.03 | 0.00 | 4.03 | 7.35 | (-)45.17 |
| 106 | मनोरंजन खर्च | 3.41 14.35 | 0.00 | 17.76 | 7.55 | (+)135.23 |
| 107 | संविदा भत्ते से व्यय | 14.53 | 0.00 | 14.53 | 0.86 | (+)1,589.53 |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारित व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|-------|--|---|--------|--------------------------|---|-----------|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | | |
| क | सामान्य सेवायें—जारी | | | | | |
| (क) | राज्य के अंग—जारी | | | | | |
| 2012 | राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक—समाप्त | | | | | |
| 03 | राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक—समाप्त | | | | | |
| 108 | दौरा खर्च | 6.15 | 0.00 | 6.15 | 1.60 | (+)284.38 |
| 800 | अन्य व्यय | 3.98 | 0.00 | 3.98 | 3.13 | (+)27.16 |
| | योग—03 | 910.23 | 0.00 | 961.55 | 915.18 | (+)5.07 |
| | योग—2012 | 910.23 | 0.00 | 961.55 | 915.18 | (+)5.07 |
| 2013 | मंत्रि परिषद— | | | | | |
| 101 | मंत्रियों और उप मंत्रियों का वेतन | 65.68 | 0.00 | 65.68 | 67.53 | (-)2.74 |
| 102 | आतिथ्य और अन्य भत्ते | 159.24 | 0.00 | 159.24 | 171.20 | (-)6.99 |
| 105 | मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान | 3,557.13 | 0.00 | 3,557.13 | 3,883.24 | (-)8.40 |
| 108 | दौरा खर्च | 529.08 | 0.00 | 529.08 | 369.67 | (+)43.12 |
| 800 | अन्य व्यय | 1,004.82 | 0.00 | 1,004.82 | 187.23 | (+)436.68 |
| | योग—2013 | 5,315.95 | 0.00 | 5,315.95 | 4,679.17 | (+)13.61 |
| 2014 | न्याय प्रशासन— | | | | | |
| 102 | उच्च न्यायालय | 6,132.10 | 0.00 | 6,499.42 | 5,561.23 | (+)16.87 |
| | | 367.32 | | | | |
| 105 | सिविल एवं सत्र न्यायालय | 18,896.27 | 121.82 | 19,018.09 | 18,163.24 | (+)4.71 |
| 108 | दण्ड न्यायालय | 3.31 | 0.00 | 3.31 | 0.53 | (+)524.53 |
| 114 | विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउंसिल) | 1,836.20 | 0.00 | 1,836.20 | 1,544.55 | (+)18.88 |
| 117 | परिवार न्यायालय | 1,676.79 | 0.00 | 1,676.79 | 1,473.56 | (+)13.79 |
| 118 | जिला एवं अधिनस्थ न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण | 586.54 | 0.00 | 586.54 | 694.49 | (-)15.54 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 0.00 | 426.27 | 426.27 | 400.93 | (+)6.32 |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|-------|--|---|--------|--------------------------|---|-------------|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | | |
| क | सामान्य सेवायें—जारी | | | | | |
| (क) | राज्य के अंग—समाप्त | | | | | |
| 2014 | न्याय प्रशासन—समाप्त | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय | 552.37 | 0.00 | 552.37 | 423.79 | (+)30.34 |
| | योग—2014 | 6,132.10 23,918.80 | 548.09 | 30,598.99 | 28,262.32 | (+)8.27 |
| 2015 | निर्वाचन— | | | | | |
| 101 | निर्वाचन आयोग | 4,941.98 | 0.00 | 4,941.98 | 1,681.57 | (+)193.89 |
| 102 | निर्वाचन अधिकारी | 1,683.76 | 0.00 | 1,683.76 | 1,547.91 | (+)8.78 |
| 103 | निर्वाचन नामावली तैयार करना और मुद्रण | 3,487.73 | 0.00 | 3,487.73 | 3,559.44 | (-)2.01 |
| 105 | संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार | 14,643.52 | 0.00 | 14,643.52 | 153.98 | (+)9,410.01 |
| 106 | राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल के चुनाव कराने के लिए प्रभार | 3,821.63 | 0.00 | 3,821.63 | 13,437.20 | (-)71.56 |
| 108 | मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना | 219.72 | 0.00 | 219.72 | 128.11 | (+)71.51 |
| 800 | अन्य व्यय | 9.90 | 0.00 | 9.90 | 6.12 | (+)61.76 |
| 911 | घटाएं—अधिक अदायगियों की वसूलियाँ | (-)2,000.00 | 0.00 | (-)2,000.00 | (-)1,500.00 | (+)33.33 |
| | योग—2015 | 26,808.24 | 0.00 | 26,808.24 | 19,014.33 | (+)40.99 |
| | योग—(क)—राज्य के अंग | 7,064.64 60,637.27 | 548.09 | 68,250.00 | 56,805.73 | (+)20.15 |
| (ख) | राजकोषीय सेवाएं— | | | | | |
| (ii) | संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण— | | | | | |
| 2029 | भू—राजस्व— | | | | | |
| 001 | निर्देशन तथा प्रशासन | 549.18 | 0.00 | 549.18 | 561.43 | (-)2.18 |
| 101 | संग्रहण प्रभार | 179.34 | 0.00 | 179.34 | 74.39 | (+)141.08 |
| 102 | सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य | 2,165.13 | 0.00 | 2,165.13 | 2,030.01 | (+)6.66 |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|-------------|---|---|---------------|--------------------------|---|--------------------|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | | |
| क | सामान्य सेवायें—जारी | | | | | |
| (ख) | राजकोषीय सेवाएं—जारी | | | | | |
| (ii) | संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण—जारी | | | | | |
| 2029 | भू-राजस्व—समाप्त | | | | | |
| 103 | भू अभिलेख | 29,365.21 | 877.84 | 30,243.05 | 25,620.86 | (+)18.04 |
| 797 | अधोसंरचना विकास उपकर निधि एवं पर्यावरण उपकर निधि को स्थानांतरण | 7,338.57 | 0.00 | 7,338.57 | 0.00 | 0.00 |
| 800 | अन्य व्यय | 9.98 | 0.00 | 9.98 | 10,000.00 | (-)99.90 |
| 902 | घटाईये— अधोसंरचना विकास उपकर निधि एवं पर्यावरण उपकर निधि से प्रतिपूरित राशि | (-)9.98 | 0.00 | (-)9.98 | (-)10,000.00 | (-)99.90 |
| | योग—2029 | 39,597.43 | 877.84 | 40,475.27 | 28,286.69 | (+)43.09 |
| 2030 | स्टाम्प तथा पंजीकरण — | | | | | |
| 01 | स्टाम्प—न्यायिक— | | | | | |
| 001 | निदेशन तथा प्रशासन | 174.79 | 0.00 | 174.79 | 149.37 | (+)17.01 |
| 101 | स्टाम्पों की लागत | 292.63 | 0.00 | 292.63 | 382.06 | (-)23.41 |
| 102 | स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय | 241.90 | 0.00 | 241.90 | 151.37 | (+)59.81 |
| | योग—01 | 709.32 | 0.00 | 709.32 | 682.80 | (+)3.88 |
| 02 | स्टाम्प—न्यायिकेतर — | | | | | |
| 101 | स्टाम्पों की लागत | 1,120.68 | 0.00 | 1,120.68 | 779.17 | (+)43.83 |
| 102 | स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय | 217.43 | 0.00 | 217.43 | 267.07 | (-)18.59 |
| 797 | पंचायत भू-राजस्व एवं स्टाम्प शुल्क निधि को स्थानांतरण | 6,000.00 11,035.45 | 0.00 | 17,035.45 ¹ | 0.00 | (+)100.00 |
| | योग—02 | 6,000.00 12,373.56 | 0.00 | 18,373.56 | 1,046.24 | (+)1,656.15 |

¹ पंचायत भू-राजस्व उपकर एवं स्टाम्प ड्यूटी निधि को स्थानांतरित ₹ 11,945.02 लाख एवं ग्रामीण विकास निधि को स्थानांतरित ₹ 5,090.43 लाख सम्मिलित है।

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|-------|---|---|--------|--------------------------|---|-----------|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | | |
| क | सामान्य सेवायें—जारी | | | | | |
| (ख) | राजकोषीय सेवाएं—जारी | | | | | |
| (ii) | संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण—समाप्त | | | | | |
| 2030 | स्टाम्प तथा पंजीकरण—समाप्त | | | | | |
| 03 | पंजीकरण— | | | | | |
| 001 | निदेशन तथा प्रशासन | 1,366.05 | 0.00 | 1,366.05 | 1,270.32 | (+)7.54 |
| | योग—03 | 1,366.05 | 0.00 | 1,366.05 | 1,270.32 | (+)7.54 |
| | योग—2030 | 6,000.00 | | | | |
| | | 14,448.93 | 0.00 | 20,488.93 | 2,999.36 | (+)581.78 |
| | योग—(ii)—संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण | 6,000.00 | | | | |
| | | 54,046.36 | 877.84 | 60,924.20 | 31,286.05 | (+)94.73 |
| (iii) | वस्तुओं और सेवाओं पर करों का संग्रहण— | | | | | |
| 2039 | राज्य उत्पाद शुल्क— | | | | | |
| 001 | निदेशन तथा प्रशासन | 7,397.75 | 0.00 | 7,397.75 | 7,165.66 | (+)3.24 |
| 102 | अफीम आदि का क्रय | 113.57 | 0.00 | 113.57 | 91.62 | (+)23.95 |
| 800 | अन्य व्यय | 14.67 | 0.00 | 14.67 | 14.15 | (+)3.68 |
| | योग—2039 | 7,525.98 | 0.00 | 7,525.98 | 7,271.43 | (+)3.50 |
| 2040 | बिक्री, व्यापार आदि पर कर— | | | | | |
| 001 | निदेशन तथा प्रशासन | 1,295.58 | 0.00 | 1,295.58 | 935.30 | (+)38.52 |
| 101 | संग्रहण प्रभार | 5,640.19 | 0.00 | 5,640.19 | 5,338.03 | (+)5.66 |
| | योग—2040 | 6,935.77 | 0.00 | 6,935.77 | 6,273.33 | (+)10.56 |
| 2041 | वाहन कर— | | | | | |
| 001 | निदेशन तथा प्रशासन | 555.21 | 0.00 | 555.21 | 442.14 | (+)25.57 |
| 101 | संग्रहण प्रभार | 1,586.23 | 0.00 | 1,586.23 | 1,443.83 | (+)9.86 |
| 102 | मोटर वाहनों का निरीक्षण | 814.87 | 0.00 | 814.87 | 650.68 | (+)25.23 |
| | योग—2041 | 2,956.32 | 0.00 | 2,956.32 | 2,536.65 | (+)16.54 |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|-------|---|---|--------|--------------------------|---|-----------|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | | |
| क | सामान्य सेवायें—जारी | | | | | |
| (ख) | राजकोषीय सेवाएं—समाप्त | | | | | |
| (iii) | वस्तुओं और सेवाओं पर करों का संग्रहण—समाप्त | | | | | |
| 2045 | वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क— | | | | | |
| 103 | संग्रहण प्रभार—विद्युत शुल्क | 902.93 | 0.00 | 902.93 | 869.59 | (+)3.83 |
| 797 | विद्युत विकास निधि को स्थानांतरित | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 22,300.31 | (+)3.14 |
| | योग—2045 | 23,000.00 | | | | |
| | | 902.93 | 0.00 | 23,902.93 | 23,169.90 | (+)3.16 |
| | योग—(iii)—वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण | 23,000.00 | | | | |
| | | 18,321.00 | 0.00 | 41,321.00 | 39,251.31 | (+)5.27 |
| | योग—(ख)—राजकोषीय सेवाएं | 29,000.00 | | | | |
| | | 72,367.36 | 877.84 | 1,02,245.20 | 70,537.36 | (+)44.95 |
| (ग) | ब्याज की अदायगी तथा ऋण शोधन— | | | | | |
| 2048 | ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन— | | | | | |
| 101 | निक्षेप निधि | 26,500.00 | 0.00 | 26,500.00 | 10,000.00 | (+)165.00 |
| | योग—2048 | 26,500.00 | 0.00 | 26,500.00 | 10,000.00 | (+)165.00 |
| 2049 | ब्याज अदायगियां— | | | | | |
| 01 | आंतरिक ऋण पर ब्याज— | | | | | |
| 101 | बाजार कर्जों पर ब्याज | 3,33,455.82 | 0.00 | 3,33,455.82 | 2,24,836.33 | (+)48.31 |
| 123 | राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज | 46,036.56 | 0.00 | 46,036.56 | 50,315.21 | (-)8.50 |
| 200 | अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज | 29,569.58 | | | | |
| | | 4,830.00 | 0.00 | 34,399.58 | 19,990.60 | (+)72.08 |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत |
|-------|--|---|------|--------------------------|---|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | |
| क | सामान्य सेवायें—जारी | | | | |
| (ग) | ब्याज की अदायगी तथा ऋण शोधन—समाप्त | | | | |
| 2049 | ब्याज अदायगियां—समाप्त | | | | |
| 01 | आंतरिक ऋण पर ब्याज—समाप्त | | | | |
| 305 | ऋण प्रबंध | 956.73 | 0.00 | 956.73 | 711.00 (+)34.56 |
| | योग-01 | 4,10,018.69 | | | |
| | | 4,830.00 | 0.00 | 4,14,848.69 | 2,95,853.14 (+)40.22 |
| 03 | अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज— | | | | |
| 104 | राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज | 52,824.52 | 0.00 | 52,824.52 ² | 48,885.48 (+)8.06 |
| | योग-03 | 52,824.52 | 0.00 | 52,824.52 | 48,885.48 (+)8.06 |
| 04 | केन्द्रीय सरकार से कर्जा तथा अग्रिमो पर ब्याज— | | | | |
| 101 | संघ/राज्य क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिए कर्जा पर ब्याज | 14,154.17 | 0.00 | 14,154.17 | 13,953.39 (+)7.44 |
| 911 | घटाएं—अधिक अदायगियों की वसूलियाँ | (-)778.50 | 0.00 | (-)778.50 | (-)4.94 (-)15,659.11 |
| | योग-04 | 13,375.67 | 0.00 | 13,375.67 | 13,948.45 (-)4.11 |
| 60 | अन्य दायित्वों पर ब्याज— | | | | |
| 701 | विविध | 7,835.71 | | | |
| | | 8,149.00 | 0.00 | 15,984.71 ³ | 6,567.73 (+)143.38 |
| | योग-60 | 7,835.71 | | | |
| | | 8,149.00 | 0.00 | 15,984.71 | 6,567.73 (+)143.38 |
| | योग-2049 | 4,84,054.59 | | | |
| | | 12,979.00 | 0.00 | 4,97,033.59 | 3,65,254.80 (+)36.08 |
| | योग-(ग)—ब्याज की अदायगी तथा ऋण शोधन | 5,10,554.59 | | | |
| | | 12,979.00 | 0.00 | 5,23,533.59 | 3,75,254.80 (+)39.51 |

² यह आंकड़े निवल हैं। वर्ष 2019-20 में सामान्य भविष्य निधि के अभिदाताओं को ₹ 52,846.81 लाख की राशि ब्याज के रूप में भुगतान किया गया था एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश से ₹ 22.29 लाख (निवल) प्राप्त हुआ।

³ मुख्यशीर्ष 8011-107-समूह बीमा योजना तथा मुख्यशीर्ष 8342-120-परिवार कल्याण निधि को स्थानांतरित राशि क्रमशः ₹ 6,649.27 लाख एवं ₹ 311.77 लाख सम्मिलित है।

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत |
|-------------|--------------------------------|---|-------------|--------------------------|---|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | |
| क | सामान्य सेवार्ये—जारी | | | | |
| (घ) | प्रशासनिक सेवा— | | | | |
| 2051 | लोक सेवा आयोग— | | | | |
| 102 | राज्य लोक सेवा आयोग | 1,450.92 44.80 | 0.00 | 1,495.72 | 1,471.18 (+)1.67 |
| | योग—2051 | 1,450.92 44.80 | 0.00 | 1,495.72 | 1,471.18 (+)1.67 |
| 2052 | सचिवालय—सामान्य सेवाएं— | | | | |
| 090 | सचिवालय | 0.01 8,074.80 | 0.00 | 8,074.81 | 7,668.33 (+)5.30 |
| 091 | संलग्न कार्यालय | 171.54 5,489.09 | 0.00 | 5,660.63 | 4,555.52 (+)24.26 |
| 092 | अन्य कार्यालय | 705.73 | 0.00 | 705.73 | 586.82 (+)20.26 |
| 099 | राजस्व बोर्ड | 368.08 | 0.00 | 368.08 | 322.17 (+)14.25 |
| | योग—2052 | 171.55 14,637.70 | 0.00 | 14,809.25 | 13,132.84 (+)12.77 |
| 2053 | जिला प्रशासन— | | | | |
| 093 | जिला स्थापनाएं | 5.35 29,415.11 | 0.00 | 29,420.46 | 26,299.98 (+)11.86 |
| 101 | आयुक्त | 964.41 | 0.00 | 964.41 | 862.23 (+)11.85 |
| 800 | अन्य व्यय | 218.02 | 0.00 | 218.02 | 138.64 (+)57.26 |
| | योग—2053 | 5.35 30,597.54 | 0.00 | 30,602.89 | 27,300.85 (+)12.09 |
| 2054 | खजाना तथा लेखा प्रशासन— | | | | |
| 003 | प्रशिक्षण | 55.50 | 0.00 | 55.50 | 60.96 (-)8.96 |
| 095 | लेखा तथा खजाना निदेशालय | 2,638.26 | 0.00 | 2,638.26 | 2,367.88 (+)11.42 |
| 097 | खजाना स्थापना | 3,437.72 | 0.00 | 3,437.72 | 3,289.94 (+)4.49 |
| 098 | स्थानीय निधि लेखा परीक्षा | 1,481.59 | 0.00 | 1,481.59 | 1,486.21 (-)0.31 |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण-जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|-------|-------------------------------------|---|-----------------|--------------------------|---|-----------------|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | | |
| क | सामान्य सेवार्ये-जारी | | | | | |
| (घ) | प्रशासनिक सेवाए-जारी | | | | | |
| 2054 | खजाना तथा लेखा प्रशासन-समाप्त | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 3.35 | (-)58.21 |
| | योग-2054 | 7,614.47 | 0.00 | 7,614.47 | 7,208.34 | (+)5.63 |
| 2055 | पुलिस- | | | | | |
| 001 | निदेशन तथा प्रशासन | 11,520.59 | 731.60 | 12,252.19 | 11,837.30 | (+)3.50 |
| 003 | शिक्षा और प्रशिक्षण | 4,610.78 | 0.00 | 4,610.78 | 4,013.48 | (+)14.88 |
| 101 | आपराधिक अन्वेषण और सर्तकता | 3,840.13 | 985.63 | 4,825.76 | 3,314.21 | (+)45.61 |
| 104 | विशेष पुलिस | 1,29,892.20 | 1,460.03 | 1,31,352.23 | 1,14,089.60 | (+)15.13 |
| 108 | राज्य मुख्यालय पुलिस | 1,052.70 | 0.00 | 1,052.70 | 759.20 | (+)38.66 |
| 109 | जिला पुलिस | 128.09 2,21,571.97 | 0.00 | 2,21,700.06 | 1,95,610.30 | (+)13.34 |
| 111 | रेल पुलिस | 3,070.15 | 0.00 | 3,070.15 | 2,892.26 | (+)6.15 |
| 113 | पुलिस कार्मिकों का कल्याण | 325.00 | 0.00 | 325.00 | 400.00 | (-)18.75 |
| 114 | बेतार और कम्प्यूटर | 4,131.98 | 0.00 | 4,131.98 | 3,598.38 | (+)14.83 |
| 115 | पुलिस बल का आधुनिकीकरण | 29,140.26 | 204.75 | 29,345.01 | 17,979.16 | (+)63.22 |
| | योग-2055 | 128.09 4,09,155.76 | 3,382.01 | 4,12,665.86 | 3,54,493.89 | (+)16.41 |
| 2056 | जेल- | | | | | |
| 001 | निदेशन तथा प्रशासन | 323.34 | 0.00 | 323.34 | 243.74 | (+)32.66 |
| 101 | जेल | 14,747.46 | 0.00 | 14,747.46 | 12,660.39 | (+)16.48 |
| 102 | जेल उत्पाद | 542.99 | 0.00 | 542.99 | 672.54 | (-)19.26 |
| | योग-2056 | 15,613.79 | 0.00 | 15,613.79 | 13,576.67 | (+)15.00 |
| 2058 | लेखन सामग्री तथा मुद्रण- | | | | | |
| 001 | निदेशन तथा प्रशासन | 62.22 | 0.00 | 62.22 | 67.99 | (-)8.49 |
| 101 | लेखन सामग्री भण्डार क्रय तथा पूर्ति | 126.43 | 0.00 | 126.43 | 117.28 | (+)7.80 |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत |
|-------------|--|---|-------------|--------------------------|---|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | |
| क | सामान्य सेवायें—जारी | | | | |
| (घ) | प्रशासनिक सेवाएँ—जारी | | | | |
| 2058 | लेखन सामग्री तथा मुद्रण— समाप्त | | | | |
| 102 | फार्मों का मुद्रण, भंडारण तथा वितरण | 1,050.08 | 0.00 | 1,050.08 | 542.65 (+)93.51 |
| 104 | अन्य साधनों से मुद्रण की लागत | 50.76 | 0.00 | 50.76 | 47.40 (+)7.09 |
| 800 | अन्य व्यय | 4.12 | 0.00 | 4.12 | 2.04 (+)101.96 |
| | योग—2058 | 1,293.61 | 0.00 | 1,293.61 | 777.36 (+)66.41 |
| 2059 | लोक निर्माण कार्य— | | | | |
| 01 | कार्यालय भवन— | | | | |
| 053 | अनुरक्षण तथा मरम्मत | 8,572.49 | 0.00 | 8,572.49 | 6,454.94 (+)32.81 |
| | योग—01 | 8,572.49 | 0.00 | 8,572.49 | 6,454.94 (+)32.81 |
| 60 | अन्य भवन— | | | | |
| 053 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 10,028.63 | 0.00 | 10,028.63 | 12,133.55 (-)17.35 |
| | योग—60 | 10,028.63 | 0.00 | 10,028.63 | 12,133.55 (-)17.35 |
| 80 | सामान्य— | | | | |
| 001 | निदेशन तथा प्रशासन | 30,322.29 | 0.00 | 30,322.29 | 27,983.25 (+)8.36 |
| 052 | मशीनरी तथा उपस्कर | 99.74 | 0.00 | 99.74 | 63.84 (+)56.23 |
| 799 | उचंचत | 93.65 | 0.00 | 93.65 | 106.69 (-)12.22 |
| 800 | अन्य व्यय | 27.45 | 0.00 | 27.45 | 13.10 (+)109.54 |
| | योग—80 | 30,515.68 | 0.00 | 30,543.13 | 28,166.88 (+)8.44 |
| | योग—2059 | 49,116.80 | 0.00 | 49,144.25 | 46,755.37 (+)5.11 |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारित व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|-------|---|---|----------|--------------------------|---|-----------|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | | |
| क | सामान्य सेवायें—जारी | | | | | |
| (घ) | प्रशासनिक सेवाएँ—समाप्त | | | | | |
| 2070 | अन्य प्रशासनिक सेवाएँ— | | | | | |
| 003 | प्रशिक्षण | 861.05 | 0.00 | 861.05 | 470.48 | (+)83.02 |
| 105 | विशेष जांच आयोग | 27.88 | 0.00 | 27.88 | 24.19 | (+)15.25 |
| 106 | सिविल रक्षा | 5.56 | 0.00 | 5.56 | 5.07 | (+)9.66 |
| 107 | होम गार्ड | 6.63 14,296.87 | 0.00 | 14,303.50 | 14,568.46 | (-)1.82 |
| 108 | अग्नि से बचाव तथा नियंत्रण | 1,489.96 | 0.00 | 1,489.96 | 1,242.83 | (+)19.88 |
| 114 | वाहन का क्रय तथा रख-रखाव | 1,035.57 | 0.00 | 1,035.57 | 902.95 | (+)14.69 |
| 800 | अन्य व्यय | 720.00 | 0.00 | 720.00 | 649.64 | (+)10.83 |
| | योग—2070 | 6.63 18,436.89 | 0.00 | 18,443.52 | 17,863.62 | (+)3.25 |
| | योग—(घ) प्रशासकीय सेवाएँ | 1,789.99 5,46,511.36 | 3,382.01 | 5,51,683.36 | 4,82,580.11 | (+)14.32 |
| (ङ) | पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएँ— | | | | | |
| 2071 | पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हितलाभ— | | | | | |
| 01 | सिविल— | | | | | |
| 101 | अधिवार्षिकी एवं सेवा निवृत्ति भत्ते | 3,49,350.36 | 0.00 | 3,49,350.36 | 2,96,924.46 | (+)17.66 |
| 102 | पेंशन का संराशिकृत मूल्य | 3,316.10 | 0.00 | 3,316.10 | 2,278.61 | (+)45.53 |
| 103 | अनुकंपा भत्ता | 13.13 | 0.00 | 13.13 | 3.06 | (+)329.08 |
| 104 | उपदान | 67,033.96 | 0.00 | 67,033.96 | 58,737.08 | (+)14.13 |
| 105 | परिवार पेंशन | 1,08,776.97 | 0.00 | 1,08,776.97 | 83,470.36 | (+)30.32 |
| 106 | उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन संबंधी प्रभार | 45.73 | 0.00 | 45.73 | 52.53 | (-)12.95 |
| 108 | भविष्य निधि के लिए अंशदान | 1.34 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 0.00 |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत |
|-------|--|---|-----------------|--------------------------------|---|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | |
| क | सामान्य सेवायें—समाप्त | | | | |
| (ड) | पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं—समाप्त | | | | |
| 2071 | पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हितलाभ—समाप्त | | | | |
| 01 | <i>सिविल—समाप्त</i> | | | | |
| 111 | विधायकों को पेंशन | 1,505.72 | 0.00 | 1,505.72 | 910.64 (+)65.35 |
| 115 | अवकाश नगदीकरण हितलाभ | 25,295.20 | 0.00 | 25,295.20 | 22,189.39 (+)14.00 |
| 117 | निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान | 1,05,720.95 | 0.00 | 1,05,720.95 ⁴ | 75,699.64 (+)39.66 |
| 797 | पेंशन निधि को स्थानान्तरण | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 0.00 |
| 800 | अन्य व्यय | 538.48 | 0.00 | 538.48 | 384.65 (+)40.00 |
| | योग-01 | 45.73 6,63,752.21 | 0.00 | 6,63,797.94 | 5,42,850.42 (+)22.28 |
| | योग-2071 | 45.73 6,63,752.21 | 0.00 | 6,63,797.94⁵ | 5,42,850.42 (+)22.28 |
| 2075 | विविध सामान्य सेवाएं— | | | | |
| 800 | अन्य व्यय | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.20 (+)11,900.00 |
| | योग-2075 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.20 (+)11,900.00 |
| | योग-(ड)-पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं | 45.73 6,63,776.21 | 0.00 | 6,63,821.94 | 5,42,850.62 (+)22.28 |
| | योग-क-सामान्य सेवाएं | 5,48,454.95 13,56,271.20 | 4,807.94 | 19,09,534.09 | 15,28,028.62 (+)24.97 |

⁴ पेंशन निधि विनियमन एवं विकास अधिकरण द्वारा पेंशन निधि के विनियमन का कार्य संपादन करने के पश्चात राज्य शासन का अंशदान मुख्यशीर्ष 2071 को नामें कर लोक लेखा शीर्ष 8342-117 के माध्यम से स्थानान्तरण न करते हुये ट्रस्टी बैंक को सीधे स्थानान्तरित किया गया है।

⁵ राज्य शासन से प्राप्त जानकारी अनुसार 31 मार्च 2020 की स्थिति में राज्य में 63,441 अधिवार्षिकी पेंशनर, 27,133 परिवार पेंशनर, 24 उच्च न्यायालय न्यायधीश एवं 367 भूतपूर्व विधायको द्वारा विभिन्न बैंको/कोषालयों एवं विभागीय प्राधिकारी के माध्यम से पेंशन आहरण कर रहे हैं।

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|-------|---|---|--------------------|--------------------------|---|-----------------|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | | |
| ख | सामाजिक सेवाएं— | | | | | |
| (क) | शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति— | | | | | |
| 2202 | सामान्य शिक्षा— | | | | | |
| 01 | प्रारंभिक शिक्षा— | | | | | |
| 001 | निदेशन तथा प्रशासन | 18,547.49 | 0.00 | 18,547.49 | 16,435.97 | (+)12.85 |
| 101 | शासकीय प्राथमिक विद्यालय | 3,59,793.57 | 0.00 | 3,59,793.57 | 2,51,873.46 | (+)42.85 |
| 102 | अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता | 6,468.02 | 0.00 | 6,468.02 | 3,349.82 | (+)93.09 |
| 105 | अनौपचारिक शिक्षा | 28.56 | 0.00 | 28.56 | 26.69 | (+)7.00 |
| 107 | शिक्षकों का प्रशिक्षण | 479.73 | 0.55 | 480.28 | 3,295.36 | (-)85.43 |
| 108 | पाठ्य पुस्तकें | 2,379.91 | 0.00 | 2,379.91 | 18.50 | (+)12,764.38 |
| 109 | छात्रवृत्तियाँ तथा प्रोत्साहन | 1,006.78 | 0.00 | 1,006.78 | 87.60 | (+)1,049.29 |
| 111 | सर्व शिक्षा अभियान | 0.00 | 69,987.12 | 69,987.12 | 66,338.03 | (+)5.50 |
| 112 | प्राथमिक शिक्षा के पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम | 248.73 | 18,760.60 | 19,009.33 | 14,208.99 | (+)33.78 |
| 192 | नगर पालिकाओं को सहायता | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 | 9,506.00 | (-)58.97 |
| 197 | जनपद पंचायतों को सहायता | 7,175.33 | 0.00 | 7,175.33 | 46,139.59 | (-)84.45 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 50,414.38 | 22,253.31 | 72,667.68 | 56,404.64 | (+)28.83 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना | 1,98,771.88 | 98,056.33 | 2,96,828.21 | 2,42,089.10 | (+)22.61 |
| | योग-01 | 6,49,214.38 | 2,09,057.91 | 8,58,272.29 | 7,09,773.75 | (+)20.92 |
| 02 | माध्यमिक शिक्षा— | | | | | |
| 104 | शिक्षकों एवं अन्य सेवाएं | 94.13 | 0.00 | 94.13 | 95.42 | (-)1.35 |
| 105 | शिक्षकों का प्रशिक्षण | 1,390.06 | 0.00 | 1,390.06 | 1,416.77 | (-)1.89 |
| 106 | पाठ्य पुस्तकें | 2,902.31 | 0.00 | 2,902.31 | 373.29 | (+)677.49 |
| 108 | परिक्षाएं | 37.88 | 0.00 | 37.88 | 25.25 | (+)50.02 |
| 109 | राजकीय माध्यमिक विद्यालय | 3,40,089.15 | 23,383.80 | 3,63,472.95 | 2,56,681.53 | (+)41.60 |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत |
|-------|--|---|------------------|--------------------------|---|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | |
| ख | सामाजिक सेवाएं—जारी | | | | |
| (क) | शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति—जारी | | | | |
| 2202 | सामान्य शिक्षा—जारी | | | | |
| 02 | माध्यमिक शिक्षा—समाप्त | | | | |
| 110 | अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता | 8,638.14 | 0.00 | 8,638.14 | 6,528.83 (+)32.31 |
| 192 | नगर पालिकाओं को सहायता | 3,130.00 | 0.00 | 3,130.00 | 5,600.00 (-)44.11 |
| 196 | जिला पंचायतों को सहायता | 6,055.55 | 0.00 | 6,055.55 | 17,752.65 (-)65.89 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 59,939.95 | 6,044.59 | 65,984.54 | 38,301.91 (+)72.27 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना | 1,56,044.07 | 13,735.76 | 1,69,779.83 | 1,19,368.79 (+)42.23 |
| 800 | अन्य व्यय | 484.00 | 0.00 | 484.00 | 88.00 (+)450.00 |
| | योग—02 | 5,78,805.24 | 43,164.15 | 6,21,969.39 | 4,46,232.44 (+)39.38 |
| 03 | विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा— | | | | |
| 001 | निदेशन तथा प्रशासन | 657.73 | 7,050.71 | 7,708.44 | 5,738.17 (+)34.34 |
| 102 | विश्वविद्यालयों को सहायता | 7,657.00 | 0.00 | 7,657.00 | 3,517.80 (+)117.66 |
| 103 | शासकीय महाविद्यालय एवं संस्थान | 52,397.05 | 0.00 | 52,397.05 | 42,352.56 (+)23.72 |
| 104 | अशासकीय महाविद्यालय एवं संस्थाओं को सहायता | 5,555.70 | 0.00 | 5,555.70 | 4,419.43 (+)25.71 |
| 107 | छात्रवृत्तियां | 1,201.21 | 0.00 | 1,201.21 | 0.00 0.00 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 4,079.34 | 1,955.00 | 6,034.34 | 3,919.66 (+)53.95 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना | 9,261.76 | 977.50 | 10,239.26 | 7,400.95 (+)38.35 |
| | योग—03 | 80,809.79 | 9,983.21 | 90,793.00 | 67,348.57 (+)34.81 |
| 04 | प्रौढ़ शिक्षा— | | | | |
| 200 | अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम | 208.40 | 0.00 | 208.40 | 1,169.50 (-)82.18 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.00 (-)100.00 |
| | योग—04 | 208.40 | 0.00 | 208.40 | 1,377.50 (-)84.87 |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|-------|---|---|-------------|--------------------------|---|-------------|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | | |
| ख | सामाजिक सेवाएं—जारी | | | | | |
| (क) | शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति—जारी | | | | | |
| 2202 | सामान्य शिक्षा—समाप्त | | | | | |
| 05 | भाषा विकास— | | | | | |
| 102 | आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्धन | 195.78 | 0.00 | 195.78 | 172.38 | (+)13.57 |
| 103 | संस्कृत शिक्षा | 83.13 | 0.00 | 83.13 | 56.61 | (+)46.85 |
| | योग—05 | 278.91 | 0.00 | 278.91 | 228.99 | (+)21.80 |
| 80 | सामान्य— | | | | | |
| 001 | निदेशन तथा प्रशासन | 2.38 1,884.94 | 252.47 | 2,139.79 | 1,669.20 | (+)28.19 |
| 800 | अन्य व्यय | 24.95 | 0.00 | 24.95 | 21.13 | (+)18.08 |
| | योग—80 | 2.38 1,909.89 | 252.47 | 2,164.74 | 1,690.33 | (+)28.07 |
| | योग—2202 | 2.38 13,11,226.61 | 2,62,457.74 | 15,73,686.73 | 12,26,651.58 | (+)28.29 |
| 2203 | तकनीकी शिक्षा— | | | | | |
| 001 | निदेशन तथा प्रशासन | 571.47 | 0.00 | 571.47 | 3,264.08 | (-)82.49 |
| 105 | बहुशिल्प (पॉलिटेक्नीक) विद्यालय | 5,402.32 | 61.81 | 5,464.13 | 4,822.44 | (+)13.31 |
| 107 | छात्रवृत्तियां | 16.44 | 0.00 | 16.44 | 9.38 | (+)75.27 |
| 112 | इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय तथा संस्थान | 4,467.78 | 0.00 | 4,467.78 | 3,537.97 | (+)26.28 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 771.00 | 0.00 | 771.00 | 620.73 | (+)24.21 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोगना | 4,297.78 | 60.25 | 4,358.03 | 3,889.01 | (+)12.06 |
| 800 | अन्य व्यय | 674.73 | 0.00 | 674.73 | 36.13 | (+)1,767.51 |
| | योग—2203 | 16,201.52 | 122.06 | 16,323.58 | 16,179.74 | (+)0.89 |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारित व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत |
|-------|--|---|--------------------|--------------------------|---|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | |
| ख | सामाजिक सेवाएं—जारी | | | | |
| (क) | शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति—समाप्त | | | | |
| 2204 | खेलकूद तथा युवा सेवाएं— | | | | |
| 101 | व्यायाम शिक्षा | 64.04 | 0.00 | 64.04 | 59.82 (+)7.05 |
| 102 | विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम | 1,735.44 | 0.00 | 1,735.44 | 1,528.13 (+)13.57 |
| 103 | गैर विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम | 821.35 | 0.00 | 821.35 | 723.77 (+)13.48 |
| 104 | क्रीड़ा तथा खेलकूद | 1,393.32 | 0.00 | 1,393.32 | 1,479.62 (-)5.83 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 32.78 | 0.00 | 32.78 | 24.01 (+)36.53 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना | 122.25 | 0.00 | 122.25 | 131.65 (-)7.14 |
| 800 | अन्य व्यय | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 8.76 (-)90.18 |
| | योग—2204 | 4,170.04 | 0.00 | 4,170.04 | 3,955.76 (+)5.42 |
| 2205 | कला एवं संस्कृति— | | | | |
| 001 | निदेशन तथा प्रशासन | 5.72 | 0.00 | 5.72 | 2.27 (+)151.98 |
| 101 | ललित कला शिक्षा | 36.68 | 0.00 | 36.68 | 20.85 (+)75.92 |
| 102 | कला एवं संस्कृति का संवर्धन | 2,387.28 | 0.00 | 2,387.28 | 2,661.61 (-)10.31 |
| 103 | पुरातत्व विज्ञान | 685.24 | 0.00 | 685.24 | 541.15 (+)26.63 |
| 104 | अभिलेखागार | 37.63 | 0.00 | 37.63 | 52.79 (-)28.72 |
| 105 | सार्वजनिक पुस्तकालय | 284.55 | 0.00 | 284.55 | 358.35 (-)20.59 |
| 107 | संग्रहालय | 340.37 | 0.00 | 340.37 | 300.74 (+)13.18 |
| 796 | आदिवासी क्षेत्र उप योजना | 332.91 | 0.00 | 332.91 | 469.24 (-)29.05 |
| | योग—2205 | 4,110.38 | 0.00 | 4,110.38 | 4,407.00 (-)6.73 |
| | योग—(क) शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति | 13,35,708.55 | 2,62,579.80 | 15,98,290.73 | 12,51,194.07 (+)27.74 |
| (ख) | स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण— | | | | |
| 2210 | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य— | | | | |
| 01 | शहरी स्वास्थ्य सेवाएं—एलोपैथी— | | | | |
| 001 | निदेशन तथा प्रशासन | 55.91 2,773.99 | 0.00 | 2,829.90 | 2,520.09 (+)12.29 |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

| शीर्ष | | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत |
|-------|--|-------------------------------|---|-------------|--------------------------|---|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | |
| ख | सामाजिक सेवाएं—जारी | | | | | |
| (ख) | स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण—जारी | | | | | |
| 2210 | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—जारी | | | | | |
| 01 | शहरी स्वास्थ्य सेवाएं—एलोपैथी—समाप्त | | | | | |
| 102 | कर्मचारी राज्य बीमा योजना | 7,996.39 | 0.00 | 7,996.39 | 5,690.79 | (+)40.51 |
| 110 | अस्पताल तथा औषधालय | 20,293.46 | 36.92 | 20,330.38 | 15,932.90 | (+)27.60 |
| 196 | जिला परिषद/पंचायत को सहायता | 1.91 | | | | |
| | | 18,764.72 | 0.00 | 18,766.63 | 15,171.77 | (+)23.69 |
| 200 | अन्य स्वास्थ्य योजनाएं | 14,970.00 | 10,500.00 | 25,470.00 | 27,399.35 | (-)7.04 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 6,570.43 | 5,720.00 | 12,290.43 | 8,510.21 | (+)44.42 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना | 22,823.75 | 11,180.00 | 34,003.75 | 27,225.05 | (+)24.90 |
| | योग—01 | 57.82 | | | | |
| | | 94,192.74 | 27,436.92 | 1,21,687.48 | 1,02,450.16 | (+)18.78 |
| 02 | शहरी स्वास्थ्य सेवाएं—अन्य चिकित्सा पद्धतियां— | | | | | |
| 101 | आयुर्वेद | 4,459.69 | 768.12 | 5,227.81 | 3,845.91 | (+)35.93 |
| 102 | होम्योपैथी | 400.72 | 0.00 | 400.72 | 371.13 | (+)7.97 |
| 103 | यूनानी | 45.15 | 0.00 | 45.15 | 32.41 | (+)39.31 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 606.65 | 290.00 | 896.65 | 491.92 | (+)82.28 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना | 490.07 | 720.00 | 1,210.07 | 924.04 | (+)30.95 |
| | योग—02 | 6,002.28 | 1,778.12 | 7,780.40 | 5,665.41 | (+)37.33 |
| 03 | ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं—एलोपैथी— | | | | | |
| 103 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | 5,136.59 | 0.00 | 5,136.59 | 10,965.79 | (-)53.16 |
| 110 | अस्पताल तथा औषधालय | 0.00 | 58,115.00 | 58,115.00 | 43,710.21 | (+)32.96 |
| 197 | जनपद पंचायत को सहायता | 14,560.86 | 0.00 | 14,560.86 | 12,660.84 | (+)15.01 |
| 198 | ग्राम पंचायतों को सहायता | 38,371.30 | 0.00 | 38,371.30 | 32,485.32 | (+)18.12 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 8,179.84 | 9,447.60 | 17,627.44 | 15,846.48 | (+)11.24 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना | 29,581.35 | 43,647.40 | 73,228.75 | 53,008.05 | (+)38.15 |
| | योग—03 | 95,829.94 | 1,11,210.00 | 2,07,039.94 | 1,68,676.69 | (+)22.74 |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारित व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|-------|---|---|-----------------|--------------------------|---|-----------------|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | | |
| ख | सामाजिक सेवाएं—जारी | | | | | |
| (ख) | स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण—जारी | | | | | |
| 2210 | चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य—जारी | | | | | |
| 04 | ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं—अन्य चिकित्सा पद्धतियां— | | | | | |
| 101 | आयुर्वेद | 9,631.71 | 0.00 | 9,631.71 | 8,729.11 | (+)10.34 |
| 102 | होम्योपैथी | 346.97 | 0.00 | 346.97 | 324.32 | (+)6.98 |
| 103 | यूनानी | 51.92 | 0.00 | 51.92 | 46.12 | (+)12.58 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना | 3,033.14 | 0.00 | 3,033.14 | 2,834.61 | (+)7.00 |
| | योग—04 | 13,063.74 | 0.00 | 13,063.74 | 11,934.16 | (+)9.47 |
| 05 | चिकित्सा शिक्षा— प्रशिक्षण तथा अनुसंधान— | | | | | |
| 101 | आयुर्वेद | 1,938.28 | 0.00 | 1,938.28 | 1,546.61 | (+)25.32 |
| 105 | एलोपैथी | 15,677.05 | 0.00 | 15,677.05 | 13,847.89 | (+)13.21 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 4,944.65 | 0.00 | 4,944.65 | 4,200.36 | (+)17.72 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना | 5,965.74 | 0.00 | 5,965.74 | 4,446.11 | (+)34.18 |
| | योग—05 | 28,525.72 | 0.00 | 28,525.72 | 24,040.97 | (+)18.65 |
| 06 | लोक स्वास्थ्य— | | | | | |
| 003 | प्रशिक्षण | 2,123.33 | 1,113.88 | 3,237.21 | 2,235.63 | (+)44.80 |
| 101 | रोगों का निवारण तथा नियंत्रण | 6,167.43 | 1,791.00 | 7,958.43 | 9,011.19 | (-)11.68 |
| 102 | खाद्य अपमिश्रण का निवारण | 766.88 | 0.00 | 766.88 | 674.40 | (+)13.71 |
| 104 | औषध नियंत्रण | 764.94 | 0.00 | 764.94 | 649.74 | (+)17.73 |
| 107 | लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं | 5.09 | 0.00 | 5.09 | 4.79 | (+)6.26 |
| 112 | लोक स्वास्थ्य शिक्षा | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 300.00 | (+)66.67 |
| 200 | अन्य पद्धतियां | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 1,404.90 | 480.00 | 1,884.90 | 869.78 | (+)116.71 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना | 5,002.04 | 3,052.56 | 8,054.60 | 4,013.30 | (+)100.70 |
| | योग—06 | 20,234.61 | 6,437.44 | 26,672.05 | 17,758.83 | (+)50.19 |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|-------|---|---|-------------|--------------------------|---|-----------|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | | |
| ख | सामाजिक सेवाएं—जारी | | | | | |
| (ख) | स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण—समाप्त | | | | | |
| 2210 | चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य—समाप्त | | | | | |
| 80 | सामान्य— | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय | 135.40 | 0.00 | 135.40 | 117.49 | (+)15.24 |
| | योग—80 | 135.40 | 0.00 | 135.40 | 117.49 | (+)15.24 |
| | योग—2210 | 57.82 | | | | |
| | | 2,57,984.43 | 1,46,862.48 | 4,04,904.73 | 3,30,643.71 | (+)22.46 |
| 2211 | परिवार कल्याण— | | | | | |
| 001 | निदेशन तथा प्रशासन | 0.00 | 1,055.25 | 1,056.34 | 944.12 | (+)11.89 |
| 003 | प्रशिक्षण | 0.00 | 98.56 | 98.56 | 348.84 | (-)71.75 |
| 101 | ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं | 0.00 | 10,663.18 | 10,663.18 | 9,679.92 | (+)10.16 |
| 102 | शहरी परिवार कल्याण सेवाएं | 0.00 | 383.51 | 383.51 | 293.93 | (+)30.48 |
| 200 | अन्य सेवाएं तथा पूर्तियां | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | (-)100.00 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 5.00 | 2,018.97 | 2,023.97 | 1,686.54 | (+)20.01 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना | 4.50 | 11,816.19 | 11,820.69 | 10,591.22 | (+)11.61 |
| | योग—2211 | 9.50 | 1,09 | 26,046.25 | 23,644.57 | (+)10.16 |
| | योग—(ख)—स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण | 57.82 | 1,09 | 4,30,950.98 | 3,54,288.28 | (+)21.64 |
| | | 2,57,993.93 | 1,72,898.14 | | | |
| (ग) | जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास— | | | | | |
| 2215 | जल पूर्ति तथा सफाई— | | | | | |
| 01 | जल पूर्ति— | | | | | |
| 001 | निदेशन तथा प्रशासन | 11.16 | | | | |
| | | 11,073.14 | 39.14 | 11,123.44 | 10,853.17 | (+)2.49 |
| 005 | सर्वेक्षण तथा जांच—पड़ताल | 131.44 | 0.00 | 131.44 | 44.56 | (+)194.97 |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत |
|-------|---|---|------------------|--------------------------|---|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | |
| ख | सामाजिक सेवाएं—जारी | | | | |
| (ग) | जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास—जारी | | | | |
| 2215 | जल पूर्ति तथा सफाई—समाप्त | | | | |
| 01 | जल पूर्ति—समाप्त | | | | |
| 052 | मशीनरी तथा उपस्कर | 128.12 | 0.00 | 128.12 | 82.44 (+)55.41 |
| 101 | शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम | 1,143.44 | 0.00 | 1,143.44 | 1,138.07 (+)0.47 |
| 102 | ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम | 7,566.58 | 0.00 | 7,566.58 | 7,192.17 (+)5.21 |
| 190 | | 22.47 | 0.00 | 22.47 | 0.00 0.00 |
| 191 | नगर निगमों को सहायता | 71.20 | 0.00 | 71.20 | 71.20 0.00 |
| 192 | नगर पालिकाओं को सहायता | 724.18 | 0.00 | 724.18 | 697.10 (+)3.88 |
| 193 | नगर पंचायतों को सहायता | 3,732.12 | 0.00 | 3,732.12 | 5,385.39 (-)30.70 |
| 198 | ग्राम पंचायतों को सहायता | 3,144.43 | 0.00 | 3,144.43 | 2,741.74 (+)14.69 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 549.50 | 0.00 | 549.50 | 465.00 (+)18.17 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना | 2,811.27 | 0.00 | 2,811.27 | 2,052.65 (+)36.96 |
| 799 | उर्ध्व | 942.69 | 0.00 | 942.69 | 369.62 (+)155.04 |
| 800 | अन्य व्यय | 186.86 | 0.00 | 186.86 | 169.18 (+)10.45 |
| | योग—01 | 11.16 32,227.44 | 39.14 | 32,277.74 | 31,262.29 (+)3.25 |
| 02 | मल जल तथा सफाई— | | | | |
| 107 | मल जल सेवाएं | 0.00 | 15,271.87 | 15,271.87 | 15,148.45 (+)0.81 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 0.00 | 4,389.66 | 4,389.66 | 8,702.00 (-)49.56 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना | 0.00 | 9,686.96 | 9,686.96 | 19,340.03 (-)49.91 |
| | योग—02 | 0.00 | 29,348.49 | 29,348.49 | 43,190.48 (-)32.05 |
| | योग—2215 | 11.16 32,227.44 | 29,387.63 | 61,626.23 | 74,452.77 (-)17.23 |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|-------|--|---|-----------|--------------------------|---|-----------|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | | |
| ख | सामाजिक सेवाएं—जारी | | | | | |
| (ग) | जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास—जारी | | | | | |
| 2216 | आवास— | | | | | |
| 02 | शहरी आवास— | | | | | |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | (-)100.00 |
| | योग—02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | (-)100.00 |
| 03 | ग्रामीण आवास— | | | | | |
| 105 | इंदिरा आवास योजना | 0.00 | 30,557.19 | 30,557.19 | 1,07,946.20 | (-)71.69 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 0.00 | 9,793.91 | 9,793.91 | 41,192.15 | (-)76.22 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना | 0.00 | 23,975.67 | 23,975.67 | 85,428.77 | (-)71.93 |
| | योग—03 | 0.00 | 64,326.77 | 64,326.77 | 2,34,567.12 | (-)72.58 |
| 05 | साधारण पुल आवास— | | | | | |
| 053 | अनुरक्षण तथा मरम्मत | 3,100.44 | 0.00 | 3,100.44 | 2,983.59 | (+)3.92 |
| | योग—05 | 3,100.44 | 0.00 | 3,100.44 | 2,983.59 | (+)3.92 |
| 80 | सामान्य— | | | | | |
| 001 | निर्देशन तथा प्रशासन | 37.72 | 0.00 | 37.72 | 24.00 | (+)57.17 |
| 800 | अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.34 | (-)100.00 |
| | योग—80 | 37.72 | 0.00 | 37.72 | 88.34 | (-)57.30 |
| | योग—2216 | 3,138.16 | 64,326.77 | 67,464.93 | 2,37,739.06 | (-)71.62 |
| 2217 | शहरी विकास— | | | | | |
| 01 | राज्य की राजधानी का विकास— | | | | | |
| 001 | निर्देशन तथा प्रशासन | 2,037.50 | 0.00 | 2,037.50 | 1,703.00 | (+)19.64 |
| 053 | अनुरक्षण तथा मरम्मत | 3,380.00 | 0.00 | 3,380.00 | 3,320.00 | (+)1.81 |
| | योग—01 | 5,417.50 | 0.00 | 5,417.50 | 5,023.00 | (+)7.85 |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|-------|---|---|--------------------|--------------------------|---|-----------------|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | | |
| ख | सामाजिक सेवाएं—जारी | | | | | |
| (ग) | जल पूर्ति सफाई, आवास तथा शहरी विकास —समाप्त | | | | | |
| 2217 | शहरी विकास—समाप्त | | | | | |
| 05 | अन्य शहरी विकास योजनाएं— | | | | | |
| 001 | निदेशन तथा प्रशासन | 1,714.25 | 0.00 | 1,714.25 | 1,195.22 | (+)43.43 |
| 191 | नगर निगमों को सहायता | 29,969.54 | 0.00 | 29,969.54 | 19,225.00 | (+)55.89 |
| 192 | नगर पालिका को सहायता | 12,544.40 | 0.00 | 12,544.40 | 3,698.00 | (+)239.22 |
| 193 | नगर पंचायत को सहायता | 11,985.44 | 0.00 | 11,985.44 | 3,607.50 | (+)232.24 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 1,399.67 | 0.00 | 1,399.67 | 1,331.00 | (+)5.16 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना | 3,876.85 | 0.00 | 3,876.85 | 3,642.00 | (+)6.45 |
| | योग—05 | 61,490.15 | 0.00 | 61,490.15 | 32,698.72 | (+)88.05 |
| 80 | सामान्य— | | | | | |
| 001 | निदेशन तथा प्रशासन | 1,671.34 | 0.00 | 1,671.34 | 2,404.74 | (-)30.50 |
| 191 | नगर निगमों को सहायता | 0.00 | 34,145.58 | 34,145.58 | 66,219.60 | (-)48.44 |
| 192 | नगर पालिका परिषद को सहायता | 0.00 | 1,360.17 | 1,360.17 | 5,467.77 | (-)75.12 |
| 193 | नगर पंचायत को सहायता | 0.00 | 1,020.79 | 1,020.79 | 2,328.73 | (-)56.17 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 0.00 | 11,913.71 | 11,913.71 | 7,468.49 | (+)59.52 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना | 0.00 | 15,106.87 | 15,106.87 | 12,214.46 | (+)23.68 |
| 800 | अन्य व्यय | 16.84 | 0.00 | 16.84 | 13.05 | (+)29.04 |
| | योग—80 | 1,688.18 | 63,547.12 | 65,235.30 | 96,116.84 | (-)32.13 |
| | योग—2217 | 68,595.83 | 63,547.12 | 1,32,142.95 | 1,33,838.56 | (-)1.27 |
| | योग—(ग)—जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास | 11.16 1,03,961.43 | 1,57,261.52 | 2,61,234.11 | 4,46,030.39 | (-)41.43 |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|-------|--|---|----------|--------------------------|---|-----------|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | | |
| ख | सामाजिक सेवाएं—जारी | | | | | |
| (घ) | सूचना तथा प्रसारण— | | | | | |
| 2220 | सूचना तथा प्रचार— | | | | | |
| 01 | फिल्म— | | | | | |
| 001 | निदेशन तथा प्रशासन | 8,544.85 | 0.00 | 8,544.85 | 10,169.03 | (-)15.97 |
| | योग—01 | 8,544.85 | 0.00 | 8,544.85 | 10,169.03 | (-)15.97 |
| 60 | अन्य— | | | | | |
| 106 | क्षेत्र प्रचार | 13,112.26 | 0.00 | 13,112.26 | 10,837.00 | (+)21.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना | 491.35 | 0.00 | 491.35 | 3,061.57 | (-)83.95 |
| | योग—60 | 13,603.61 | 0.00 | 13,603.61 | 13,898.57 | (-)2.12 |
| | योग—2220 | 22,148.46 | 0.00 | 22,148.46 | 24,067.60 | (-)7.97 |
| | योग—(घ) सूचना तथा प्रसारण | 22,148.46 | 0.00 | 22,148.46 | 24,067.60 | (-)7.97 |
| (ड) | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण— | | | | | |
| 2225 | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण— | | | | | |
| 01 | अनुसूचित जातियों का कल्याण— | | | | | |
| 102 | आर्थिक विकास | 176.33 | 0.00 | 176.33 | 134.82 | (+)30.79 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 826.74 | 5,692.64 | 6,519.38 | 4,796.25 | (+)35.93 |
| | योग—01 | 1,003.07 | 5,692.64 | 6,695.71 | 4,931.07 | (+)35.79 |
| 02 | अनुसूचित जनजातियों का कल्याण— | | | | | |
| 001 | निदेशन तथा प्रशासन | 32.00 6,951.39 | 0.00 | 6,983.39 | 6,410.66 | (+)8.93 |
| 102 | आर्थिक विकास | 186.24 | 0.00 | 186.24 | 173.13 | (+)7.57 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना | 2,052.19 | 3,648.06 | 5,700.25 | 1,914.47 | (+)197.75 |
| 800 | अन्य व्यय | 40.68 | 0.00 | 40.68 | 74.36 | (-)45.29 |
| | योग—02 | 32.00 9,230.50 | 3,648.06 | 12,910.56 | 8,572.62 | (+)50.60 |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|---------|--|---|----------|--------------------------|---|----------|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | | |
| ख | सामाजिक सेवाएं—जारी | | | | | |
| (ड) | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण—समाप्त | | | | | |
| 2225 | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण—समाप्त | | | | | |
| 03 | पिछड़े वर्गों का कल्याण— | | | | | |
| 102 | आर्थिक विकास | 118.05 | 0.00 | 118.05 | 115.41 | (+)2.29 |
| | योग—03 | 118.05 | 0.00 | 118.05 | 115.41 | (+)2.29 |
| 04 | अल्पसंख्यकों का कल्याण— | | | | | |
| 102 | आर्थिक विकास | 534.93 | 0.00 | 534.93 | 370.41 | (+)44.42 |
| 277 | शिक्षा | 230.00 | 16.41 | 246.41 | 200.63 | (+)22.82 |
| 800 | अन्य व्यय | 144.26 | 0.00 | 144.26 | 72.30 | (+)99.53 |
| | योग—04 | 909.19 | 16.41 | 925.60 | 643.34 | (+)43.87 |
| | योग—2225 | 32.00 | | | | |
| | | 11,260.81 | 9,357.11 | 20,649.92 | 14,262.44 | (+)44.79 |
| योग—(ड) | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | 32.00 | | | | |
| | | 11,260.81 | 9,357.11 | 20,649.92 | 14,262.44 | (+)44.79 |
| (च) | श्रमिक तथा श्रम कल्याण— | | | | | |
| 2230 | श्रम तथा रोजगार— | | | | | |
| 01 | श्रम— | | | | | |
| 001 | निर्देशन तथा प्रशासन | 496.30 | 0.00 | 496.30 | 438.71 | (+)13.13 |
| 101 | औद्योगिक संबंध | 1,791.64 | 0.00 | 1,791.64 | 1,599.93 | (+)11.98 |
| 102 | कार्य की परिस्थितियां तथा सुरक्षा | 506.23 | 0.00 | 506.23 | 429.83 | (+)17.77 |
| 103 | सामान्य श्रम कल्याण | 3,353.38 | 0.00 | 3,353.38 | 3,600.51 | (-)6.86 |
| 112 | बंधुआ मजदूर का पुनर्वास | 0.00 | 63.35 | 63.35 | 80.95 | (-)21.74 |
| | योग—01 | 6,147.55 | 63.35 | 6,210.90 | 6,149.93 | (+)0.99 |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|-------|--|---|----------|--------------------------|---|----------|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | | |
| ख | सामाजिक सेवाएं—जारी | | | | | |
| (च) | श्रमिक तथा श्रम कल्याण—समाप्त | | | | | |
| 2230 | श्रम तथा रोजगार—समाप्त | | | | | |
| 02 | रोजगार सेवाएं— | | | | | |
| 001 | निदेशन तथा प्रशासन | 165.48 | 68.56 | 234.04 | 209.20 | (+)11.87 |
| 101 | रोजगार सेवाएं | 1,352.03 | 0.00 | 1,352.03 | 1,084.77 | (+)24.64 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 47.13 | 0.00 | 47.13 | 35.15 | (+)34.08 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना | 146.14 | 0.00 | 146.14 | 102.40 | (+)42.71 |
| | योग-02 | 1,710.78 | 68.56 | 1,779.34 | 1,431.52 | (+)24.30 |
| 03 | प्रशिक्षण— | | | | | |
| 001 | निदेशन तथा प्रशासन | 323.34 | 0.00 | 323.34 | 272.17 | (+)18.80 |
| 003 | शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण | 9,852.01 | 2,160.58 | 12,012.59 | 9,478.54 | (+)26.73 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 862.61 | 213.80 | 1,076.41 | 610.28 | (+)76.38 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना | 5,180.75 | 593.08 | 5,773.83 | 4,771.01 | (+)21.02 |
| | योग-03 | 16,218.71 | 2,967.46 | 19,186.17 | 15,132.00 | (+)26.79 |
| | योग-2230 | 24,077.04 | 3,099.37 | 27,176.41 | 22,713.45 | (+)19.65 |
| | योग—(च) श्रम तथा श्रम कल्याण | 24,077.04 | 3,099.37 | 27,176.41 | 22,713.45 | (+)19.65 |
| (छ) | समाज कल्याण तथा पोषण— | | | | | |
| 2235 | सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण— | | | | | |
| 01 | पुनर्वास— | | | | | |
| 001 | निदेशन तथा प्रशासन | 19.49 | 0.00 | 19.49 | 23.35 | (-)16.53 |
| 200 | अन्य राहत उपाय | 120.62 | 0.00 | 120.62 | 124.63 | (-)3.22 |
| | योग-01 | 140.11 | 0.00 | 140.11 | 147.98 | (-)5.32 |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण-जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत |
|-------|---|---|-----------|--------------------------|---|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | |
| ख | सामाजिक सेवाएं-जारी | | | | |
| (छ) | समाज कल्याण तथा पोषण-जारी | | | | |
| 2235 | सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-जारी | | | | |
| 02 | समाज कल्याण- | | | | |
| 001 | निदेशन तथा प्रशासन | 4.72 | | | |
| | | 3,642.23 | 0.00 | 3,646.95 | 2,311.68 (+)57.76 |
| 101 | विकलांग व्यक्तियों का कल्याण | 2,802.58 | 0.00 | 2,802.58 | 2,192.03 (+)27.85 |
| 102 | बाल कल्याण | 9,986.31 | 29,256.28 | 39,242.59 | 26,672.35 (+)47.13 |
| 103 | महिला कल्याण | 2,558.63 | 531.24 | 3,089.87 | 2,698.44 (+)14.51 |
| 104 | वृद्ध अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण | 737.74 | 0.00 | 737.74 | 1,542.61 (-)52.18 |
| 105 | नशाबन्दी | 70.41 | 67.50 | 137.91 | 56.51 (+)144.05 |
| 106 | सुधारक सेवाएं | 178.43 | 0.00 | 178.43 | 156.31 (+)14.15 |
| 107 | स्वैच्छिक संगठनों को सहायता | 154.39 | 90.94 | 245.33 | 167.53 (+)46.44 |
| 200 | अन्य कार्यक्रम | 681.78 | 0.00 | 681.78 | 762.29 (-)10.56 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 2,071.87 | 8,818.06 | 10,889.93 | 7,834.17 (+)39.01 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोगना | 10,496.01 | 34,839.04 | 45,335.05 | 27,899.78 (+)62.49 |
| 800 | अन्य व्यय | 38.40 | 0.00 | 38.40 | 16.37 (+)134.58 |
| | योग-02 | 4.72 | | | |
| | | 33,418.78 | 73,603.06 | 1,07,026.56 | 72,310.08 (+)48.01 |
| 60 | अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम- | | | | |
| 107 | स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना | 1.71 | 0.00 | 1.71 | 1.40 (+)22.14 |
| 191 | नगर निगमों को सहायता | 6,577.83 | 0.00 | 6,577.83 | 5,304.39 (+)24.01 |
| 192 | नगर पालिका को सहायता | 3,588.98 | 0.00 | 3,588.98 | 2,823.99 (+)27.09 |
| 193 | नगर पंचायत को सहायता | 3,276.31 | 0.00 | 3,276.31 | 2,930.90 (+)11.79 |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारित व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत |
|-------|--|---|------------------|--------------------------------|---|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | |
| ख | सामाजिक सेवाएं—जारी | | | | |
| (छ) | समाज कल्याण तथा पोषण—जारी | | | | |
| 2235 | सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—समाप्त | | | | |
| 60 | अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम—समाप्त | | | | |
| 196 | जिला पंचायतों को सहायता | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 956.76 (-)100.00 |
| 198 | ग्राम पंचायतों को सहायता | 62,755.91 | 0.00 | 62,755.91 | 51,985.03 (+)20.72 |
| 200 | अन्य कार्यक्रम | 3,739.95 | 41.00 | 3,780.95 | 3,357.98 (+)12.60 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 4,388.14 | 0.00 | 4,388.14 | 4,022.29 (+)9.10 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना | 8,579.81 | 0.00 | 8,579.81 | 8,025.58 (+)6.91 |
| 800 | अन्य व्यय | 372.72 | 0.00 | 372.72 | 838.02 (-)55.52 |
| 911 | घटाएं—अधिक अदायगियों की वसूलियों | (-)96.00 | 0.00 | (-)96.00 | 0.00 0.00 |
| | योग—60 | 93,185.36 | 41.00 | 93,226.36 | 80,246.34 (+)16.18 |
| | योग—2235 | 1,26,744.25 | 73,644.06 | 2,00,393.03⁶ | 1,52,704.40 (+)31.23 |
| 2236 | पोषण— | | | | |
| 02 | पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण— | | | | |
| 101 | विशेष पोषण कार्यक्रम | 2,919.22 | 29,921.90 | 32,841.12 | 23,446.50 (+)40.07 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 671.34 | 7,420.98 | 8,092.32 | 5,364.78 (+)50.84 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना | 3,578.14 | 23,407.43 | 26,985.57 | 17,375.01 (+)55.31 |
| | योग—02 | 7,168.70 | 60,750.31 | 67,919.01 | 46,186.29 (+)47.05 |
| | योग—2236 | 7,168.70 | 60,750.31 | 67,919.01 | 46,186.29 (+)47.05 |

⁶ राज्य शासन द्वारा दिनांक 31.03.2020 की स्थिति में निम्नानुसार पेंशनरो की संख्या सूचित की गई है।

(i) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना—4,87,021 (ii) सुखद सहारा योजना—2,29,051 (iii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन—6,66,576 (iv) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन—1,84,863 (v) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना—32,439 (vi) राष्ट्रीय परिवार सहायता—7,698 (vii) मुख्य मंत्री पेंशन योजना—3,82,756 (viii) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन (राज्य)—259

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए अंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|-------|---|---|-------------|--------------------------|---|-----------------|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | | |
| ख | सामाजिक सेवाएं—जारी | | | | | |
| (छ) | समाज कल्याण तथा पोषण—जारी | | | | | |
| 2245 | प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत | | | | | |
| 01 | <i>सूखा—</i> | | | | | |
| 101 | आनुग्रहिक राहत | 109.02 | 0.00 | 109.02 | 781.33 | (-)86.05 |
| 102 | पीने के पानी की पूर्ति | 18.45 | 0.00 | 18.45 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-01 | 127.47 | 0.00 | 127.47 | 781.33 | (-)83.69 |
| 02 | <i>बाढ़ चक्रवात आदि—</i> | | | | | |
| 101 | आनुग्रहिक राहत | 505.17 | 0.00 | 505.17 | 536.52 | (-)5.84 |
| 107 | खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.59 | (-)100.00 |
| 110 | क्षतिग्रस्त जल प्रदाय एवं निकास व्यवस्था के मरम्मत एवं पुनःस्थापना हेतु सहायता | 40.18 | 0.00 | 40.18 | 108.41 | (-)62.94 |
| 111 | शोकाकुल वाले परिवार को अनुग्रह भुगतान | 1,752.50 | 0.00 | 1,752.50 | 1,359.52 | (+)28.91 |
| 112 | जनसंख्या का निष्क्रमण | 265.39 | 0.00 | 265.39 | 30.79 | (+)761.94 |
| 113 | मकानों के मरम्मत एवं पुनःनिर्माण हेतु सहायता | 953.62 | 0.00 | 953.62 | 595.79 | (+)60.06 |
| 114 | कृषि सामग्री क्रय हेतु किसानों को सहायता | 616.00 | 0.00 | 616.00 | 448.59 | (+)37.32 |
| 116 | कृषकों को क्षतिग्रस्त ट्यूब वेल एवं पम्पसेट की मरम्मत हेतु सहायता | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.52 | (+)21.15 |
| 117 | पशुधन के क्रय के लिए किसानों को सहायता | 625.80 | 0.00 | 625.80 | 526.75 | (+)18.80 |
| 122 | खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.08 | (-)100.00 |
| | योग-02 | 4,759.29 | 0.00 | 4,759.29 | 3,680.56 | (+)29.31 |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|-------|---|---|--------------------|--------------------------|---|-----------------|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | | |
| ख | सामाजिक सेवाएं—जारी | | | | | |
| (छ) | समाज कल्याण तथा पोषण—समाप्त | | | | | |
| 2245 | प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत—समाप्त | | | | | |
| 05 | आपदा राहत निधि— | | | | | |
| 101 | राज्य आपदा उन्मोचन निधि को अंतरण | 34,200.00 | 0.00 | 34,200.00 ⁷ | 27,150.00 | (+)25.97 |
| 901 | घटाएं—राज्य आपदा उन्मोचन निधि से प्रतिपूर्ति राशि | (-)25,254.00 | 0.00 | (-)25,254.00 | (-)12,823.03 | (+)96.94 |
| | योग-05 | 8,946.00 | 0.00 | 8,946.00 | 14,326.97 | (-)37.56 |
| 80 | सामान्य— | | | | | |
| 001 | निदेशन तथा प्रशासन | 110.84 | 0.00 | 110.84 | 69.69 | (+)59.05 |
| 101 | विनाश का सामना करने के प्रशिक्षण केन्द्र | 20.45 | 0.00 | 20.45 | 13.75 | (+)48.73 |
| 102 | विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध | 21.37 | 0.00 | 21.37 | 6.88 | (+)210.61 |
| 103 | राष्ट्रीय आपदा उन्मोदन निधि से राज्यों को सहायता—राज्य आपदा उन्मोचन निधि को अंतरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,931.00 | (-)100.00 |
| 800 | अन्य व्यय | 20,442.52 | 0.00 | 20,442.52 | 8,940.89 | (+)128.64 |
| 901 | घटाएं—राज्य आपदा उन्मोचन निधि से प्रतिपूर्ति राशि | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)530.25 | (-)100.00 |
| | योग-80 | 20,595.18 | 0.00 | 20,595.18 | 13,431.96 | (+)53.33 |
| | योग-2245 | 34,427.94 | 0.00 | 34,427.94 | 32,220.83 | (+)6.85 |
| | योग-(छ)—समाज कल्याण तथा पोषण | 4.72 1,68,340.89 | 1,34,394.37 | 3,02,739.98 | 2,31,111.51 | (+)30.99 |

⁷ केन्द्रांश के ₹ 23,565.00 लाख एवं राज्यांश के ₹ 10,635.00 लाख की राशि सम्मिलित है।

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण-जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|-------|--|---|---------------------|--------------------------|---|----------|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. / के.यो. सहित) | योग | | | |
| ख | सामाजिक सेवाएं-समाप्त | | | | | |
| (ज) | अन्य- | | | | | |
| 2250 | अन्य सामाजिक सेवाएं- | | | | | |
| 103 | पवित्र स्थानों, मंदिरों आदि का रख-रखाव | 389.12 | 0.00 | 389.12 | 380.70 | (+)2.21 |
| 800 | अन्य व्यय | 154.63 | 0.00 | 154.63 | 83.98 | (+)84.13 |
| | योग-2250 | 543.75 | 0.00 | 543.75 | 464.68 | (+)17.02 |
| 2251 | सचिवालय सामाजिक सेवाएं- | | | | | |
| 090 | सचिवालय | 1,522.59 | 0.00 | 1,522.59 | 1,361.90 | (+)11.80 |
| | योग-2251 | 1,522.59 | 0.00 | 1,522.59 | 1,361.90 | (+)11.80 |
| | योग-(ज)-अन्य | 2,066.34 | 0.00 | 2,066.34 | 1,826.58 | (+)13.13 |
| | योग-ख-सामाजिक सेवाएं | 108.08 19,25,557.45 | 1.09 7,39,590.31 | 26,65,256.93 | 23,45,494.33 | (+)13.63 |
| ग | आर्थिक सेवाएं- | | | | | |
| (क) | कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप- | | | | | |
| 2401 | फसल कृषि-कर्म- | | | | | |
| 001 | निदेशन तथा प्रशासन | 7.70 30,606.00 | 0.00 | 30,613.70 | 28,926.14 | (+)5.83 |
| 102 | खाद्यान्न फसलें | 18,753.81 | 6,211.91 | 24,965.72 | 4,09,311.04 | (-)93.90 |
| 103 | बीज | 4,648.61 | 1,095.09 | 5,743.70 | 5,313.46 | (+)8.10 |
| 105 | खाद तथा उर्वरक | 885.28 | 0.00 | 885.28 | 1,227.38 | (-)27.87 |
| 107 | वनस्पति रक्षण | 40.57 | 0.00 | 40.57 | 42.06 | (-)3.54 |
| 108 | वाणिज्यिक फसलें | 3,579.20 | 15,288.72 | 18,867.92 | 13,504.50 | (+)39.72 |
| 109 | विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण | 719.60 | 2,660.25 | 3,379.85 | 2,153.89 | (+)56.92 |
| 110 | फसल बीमा | 29,738.24 | 0.00 | 29,738.24 | 18,423.74 | (+)61.41 |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|-------|---|---|------------------|--------------------------|---|-----------------|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | | |
| ग | आर्थिक सेवाएं—जारी | | | | | |
| (क) | कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप—जारी | | | | | |
| 2401 | फसल कृषि—कर्म—समाप्त | | | | | |
| 113 | कृषि इंजीनियरी | 2,079.94 | 3,009.12 | 5,089.06 | 3,381.43 | (+)50.50 |
| 119 | बागवानी तथा वनस्पति फसलें | 16.86 10,281.42 | 12,669.89 | 22,968.17 | 14,728.75 | (+)55.94 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 11,206.04 | 7,914.41 | 19,120.45 | 88,215.46 | (-)78.33 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना | 38,642.95 | 23,859.72 | 62,502.68 | 2,98,761.32 | (-)79.08 |
| | योग—2401 | 24.56 1,51,181.66 | 72,709.12 | 2,23,915.34 | 8,83,989.17 | (-)74.67 |
| 2402 | भूमि एवं जल संरक्षण— | | | | | |
| 101 | भूमि सर्वेक्षण तथा परीक्षण | 1,064.52 | 0.00 | 1,064.52 | 948.15 | (+)12.27 |
| 102 | भूमि संरक्षण | 3,247.95 | 9,564.00 | 12,811.95 | 9,621.69 | (+)33.16 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 1,236.66 | (+)94.07 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना | 0.00 | 1,401.48 | 1,401.48 | 875.00 | (+)60.17 |
| | योग—2402 | 4,312.47 | 13,365.48 | 17,677.95 | 12,681.50 | (+)39.40 |
| 2403 | पशुपालन— | | | | | |
| 001 | निर्देशन तथा प्रशासन | 7.61 3,472.84 | 0.00 | 3,480.45 | 3,278.27 | (+)6.17 |
| 101 | पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य | 20,251.97 | 1,469.32 | 21,721.29 | 19,074.73 | (+)13.87 |
| 102 | पशु एवं भैंस विकास | 6,348.80 | 0.00 | 6,348.80 | 5,678.00 | (+)11.81 |
| 103 | कुक्कट विकास | 110.34 | 1,545.57 | 1,655.91 | 1,259.57 | (+)31.47 |
| 104 | भेड़ तथा ऊन विकास | 245.20 | 0.00 | 245.20 | 122.72 | (+)99.80 |
| 105 | सूअर—बाड़ा विकास | 335.22 | 0.00 | 335.22 | 332.17 | (+)0.92 |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|-------------|---|---|-----------------|--------------------------|---|-----------------|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | | |
| ग | आर्थिक सेवाएं—जारी | | | | | |
| (क) | कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप—जारी | | | | | |
| 2403 | पशुपालन—समाप्त | | | | | |
| 106 | अन्य पशुधन विकास | 34.88 | 0.00 | 34.88 | 27.42 | (+)27.21 |
| 108 | पशुधन तथा मुर्गी बीमा | 0.00 | 2,084.49 | 2,084.49 | 1,080.33 | (+)92.95 |
| 109 | विस्तार तथा प्रशिक्षण | 3,386.43 | 48.04 | 3,434.47 | 2,590.87 | (+)32.56 |
| 113 | प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी | 776.60 | 431.02 | 1,207.62 | 761.12 | (+)58.66 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 620.73 | 792.54 | 1,413.27 | 1,339.53 | (+)5.50 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना | 1,536.12 | 1,730.54 | 3,266.66 | 1,683.12 | (+)94.08 |
| 800 | अन्य व्यय | 1,387.36 | 0.00 | 1,387.36 | 605.67 | (+)129.06 |
| | योग—2403 | 7.61 | 8,101.52 | 46,615.62 | 37,833.52 | (+)23.21 |
| 2405 | मछली पालन— | | | | | |
| 001 | निर्देशन तथा प्रशासन | 344.59 | 0.00 | 344.59 | 367.28 | (-)6.18 |
| 101 | अन्तर्देशीय मछली—पालन | 3,797.54 | 1,933.35 | 5,730.89 | 4,796.16 | (+)19.49 |
| 109 | विस्तार तथा प्रशिक्षण | 293.11 | 0.00 | 293.11 | 270.15 | (+)8.50 |
| 120 | मछली पालन सहकारी समितियाँ | 244.00 | 10.90 | 254.90 | 223.18 | (+)14.21 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 123.18 | 699.87 | 823.05 | 256.03 | (+)221.47 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना | 934.36 | 2,174.17 | 3,108.53 | 1,421.43 | (+)118.69 |
| 800 | अन्य व्यय | 6.23 | 52.50 | 58.73 | 44.66 | (+)31.50 |
| | योग—2405 | 5,743.01 | 4,870.79 | 10,613.80 | 7,378.89 | (+)43.84 |
| 2406 | वानिकी तथा वन्य प्राणी— | | | | | |
| 01 | वानिकी— | | | | | |
| 001 | निर्देशन तथा प्रशासन | 500.71 | | | | |
| | | 3,143.04 | 0.00 | 3,643.75 | 2,629.90 | (+)38.55 |
| 003 | शिक्षा तथा प्रशिक्षण | 855.77 | 0.00 | 855.77 | 1,120.30 | (-)23.61 |
| 005 | वन संसाधनों का सर्वेक्षण तथा उपयोग | 22.60 | 0.00 | 22.60 | 3.87 | (+)483.98 |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत |
|-------|---|---|-----------------|--------------------------|---|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | |
| ग | आर्थिक सेवाएं—जारी | | | | |
| (क) | कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप—जारी | | | | |
| 2406 | वानिकी तथा वन्य प्राणी—जारी | | | | |
| 01 | वानिकी—समाप्त | | | | |
| 070 | संचार तथा भवन | 1,931.88 | 0.00 | 1,931.88 | 1,406.21 (+)37.38 |
| 101 | वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण | 52,252.16 | 0.00 | 52,252.16 | 44,690.76 (+)16.92 |
| 102 | समाज तथा फार्म वानिकी | 6,849.35 | 0.00 | 6,849.35 | 7,541.57 (-)9.18 |
| 105 | वन उत्पाद | 2.22 | 0.00 | 2.22 | 263.20 (-)99.16 |
| 203 | इमारती लकड़ी का राजकीय व्यापार | 6,032.36 | 0.00 | 6,032.36 | 4,171.82 (+)44.60 |
| 204 | बासों का राजकीय व्यापार | 868.97 | 0.00 | 868.97 | 1,736.90 (-)49.97 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 5,329.66 | 0.00 | 5,329.66 | 4,545.41 (+)17.25 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना | 18,709.05 | 937.04 | 19,646.09 | 17,500.39 (+)12.26 |
| 797 | वन विकास निधि में अन्तरण | 521.27 | 0.00 | 521.27 | 2,022.79 (-)74.23 |
| 800 | अन्य व्यय | 148.00 | 0.00 | 148.00 | 197.32 (-)24.99 |
| 902 | घटाईये—वन विकास निधि से प्रतिपूरित राशि | (-)427.20 | 0.00 | (-)427.20 | (-)1,405.50 (-)69.61 |
| 911 | घटाएं—अधिक अदायगियों की वसूलियाँ | (-)25.94 | 0.00 | (-)25.94 | 0.00 0.00 |
| | योग-01 | 1,021.98 | | | |
| | | 95,691.92 | 937.04 | 97,650.94 | 86,424.94 (+)12.99 |
| 02 | पर्यावरण वानिकी तथा वन्य जीवन— | | | | |
| 110 | वन्य जीवन परिरक्षण | 308.94 | | | |
| | | 9,601.86 | 422.81 | 10,333.61 | 8,593.79 (+)20.25 |
| 111 | चिड़ियाघर | 1,631.31 | 0.00 | 1,631.31 | 1,390.73 (+)17.30 |
| 112 | सार्वजनिक उद्यान | 158.81 | 0.00 | 158.81 | 134.59 (+)18.00 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 0.00 | 27.87 | 27.87 | 0.00 (+)100.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना | 2,810.36 | 1,157.02 | 3,967.38 | 2,969.66 (+)33.60 |
| 800 | अन्य व्यय | 267.06 | 0.00 | 267.06 | 108.76 (+)145.55 |
| | योग-02 | 308.94 | | | |
| | | 14,469.40 | 1,607.70 | 16,386.04 | 13,197.53 (+)24.16 |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|-------|--|---|------------------|--------------------------|---|-----------------|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | | |
| ग | आर्थिक सेवाएं—जारी | | | | | |
| (क) | कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप—जारी | | | | | |
| 2406 | वानिकी तथा वन्य प्राणी—समाप्त | | | | | |
| 04 | वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास | | | | | |
| 101 | राष्ट्रीय वनरोपण तथा पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम | 440.00 | 1,644.06 | 2,084.06 | 1,773.08 | (+)17.54 |
| 103 | राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण (एससीए) | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 104.00 | 364.37 | 468.37 | 104.00 | (+)350.36 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना | 320.00 | 200.00 | 520.00 | 320.00 | (+)62.50 |
| 902 | घटाईये—राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण (एससीए) से प्रतिपूरित राशि | (-)50,000.00 | 0.00 | (-)50,000.00 | 0.00 | .. |
| | योग—04 | 864.00 | 2,208.43 | 3,072.43 | 2,197.08 | (+)39.84 |
| | योग—2406 | 1,330.92 | 4,753.17 | 1,17,109.41 | 1,01,819.55 | (+)15.02 |
| 2408 | खाद्य, भंडारण तथा भांडागार— | | | | | |
| 01 | खाद्य— | | | | | |
| 001 | निदेशन तथा प्रशासन | 4,182.26 | 132.06 | 4,314.32 | 3,464.75 | (+)24.52 |
| 101 | प्रापण तथा पूर्ति | 0.00 | 12,512.58 | 12,512.58 | 3,183.63 | (+)293.03 |
| 102 | खाद्य सहायता | 2,64,618.22 | 0.00 | 2,64,618.22 | 1,87,262.88 | (+)41.31 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 63,425.01 | 0.00 | 63,425.01 | 44,941.47 | (+)41.13 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना | 2,28,670.35 | 0.00 | 2,28,670.35 | 1,71,731.07 | (+)33.16 |
| | योग—01 | 5,60,895.84 | 12,644.64 | 5,73,540.48 | 4,10,583.80 | (+)39.69 |
| | योग—2408 | 5,60,895.84 | 12,644.64 | 5,73,540.48 | 4,10,583.80 | (+)39.69 |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|-------|---|---|-------------|--------------------------|---|-----------|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | | |
| ग | आर्थिक सेवाएं—जारी | | | | | |
| (क) | कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप—समाप्त | | | | | |
| 2415 | कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा— | | | | | |
| 01 | फसल कृषि कर्म— | | | | | |
| 120 | अन्य संस्थाओं को सहायता | 14,007.50 | 0.00 | 14,007.50 | 9,525.00 | (+)47.06 |
| | योग—01 | 14,007.50 | 0.00 | 14,007.50 | 9,525.00 | (+)47.06 |
| 05 | मछली पालन— | | | | | |
| 004 | अनुसंधान | 122.95 | 0.00 | 122.95 | 87.41 | (+)40.66 |
| | योग—05 | 122.95 | 0.00 | 122.95 | 87.41 | (+)40.66 |
| | योग—2415 | 14,130.45 | 0.00 | 14,130.45 | 9,612.41 | (+)47.00 |
| 2425 | सहकारिता— | | | | | |
| 001 | निदेशन तथा प्रशासन | 4,925.35 | 0.00 | 4,925.35 | 4,584.63 | (+)7.43 |
| 003 | प्रशिक्षण | 64.90 | 0.00 | 64.90 | 108.96 | (-)40.44 |
| 107 | क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता | 1,53,733.00 | 0.00 | 1,53,733.00 | 1,54,318.00 | (-)0.38 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 20,211.00 | 0.00 | 20,211.00 | 36,676.00 | (-)44.89 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना | 64,002.00 | 0.00 | 64,002.00 | 1,16,142.00 | (-)44.89 |
| 800 | अन्य व्यय | 78.85 | 0.00 | 78.85 | 87.59 | (-)9.98 |
| | योग—2425 | 2,43,015.10 | 0.00 | 2,43,015.10 | 3,11,917.18 | (-)22.09 |
| 2435 | अन्य कृषि कार्यक्रम— | | | | | |
| 60 | अन्य— | | | | | |
| 101 | किसानों के लिए ऋण राहत योजना | 2,72,929.46 | 0.00 | 2,72,929.46 | 26,185.13 | (+)942.31 |
| | योग—60 | 2,72,929.46 | 0.00 | 2,72,929.46 | 26,185.13 | (+)942.31 |
| | योग—2435 | 2,72,929.46 | 0.00 | 2,72,929.46 | 26,185.13 | (+)942.31 |
| | योग—(क)—कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप | 1,363.09 | | | | |
| | | 14,01,739.80 | 1,16,444.72 | 15,19,547.61 | 18,02,001.15 | (-)15.67 |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|-------|--|---|-----------|--------------------------|---|-----------|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | | |
| ग | आर्थिक सेवाएं—जारी | | | | | |
| (ख) | ग्राम विकास— | | | | | |
| 2501 | ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम— | | | | | |
| 06 | स्वरोजगार कार्यक्रम— | | | | | |
| 102 | राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन | 0.00 | 27,157.53 | 27,157.53 | 8,497.92 | (+)219.58 |
| 196 | जिला पंचायतों को सहायता | 0.00 | 781.23 | 781.23 | 643.23 | (+)21.45 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | 0.00 | 12,109.14 | 12,109.14 | 3,720.07 | (+)225.51 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना | 0.00 | 10,418.97 | 10,418.97 | 3,103.15 | (+)235.75 |
| | योग—06 | 0.00 | 50,466.87 | 50,466.87 | 15,964.37 | (+)216.12 |
| | योग—2501 | 0.00 | 50,466.87 | 50,466.87 | 15,964.37 | (+)216.12 |
| 2505 | ग्राम रोजगार— | | | | | |
| 60 | अन्य कार्यक्रम— | | | | | |
| 101 | राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना | 120.36 | 0.00 | 120.36 | 1,152.87 | (-)89.56 |
| 196 | जिला पंचायतों को सहायता | 0.00 | 49,049.04 | 49,049.04 | 38,424.30 | (+)27.65 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 0.00 | 11,771.79 | 11,771.79 | 9,028.14 | (+)30.39 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना | 0.00 | 37,277.28 | 37,277.28 | 29,961.60 | (+)24.42 |
| | योग—60 | 120.36 | 98,098.11 | 98,218.47 | 78,566.91 | (+)25.01 |
| | योग—2505 | 120.36 | 98,098.11 | 98,218.47 | 78,566.91 | (+)25.01 |
| 2515 | अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम— | | | | | |
| 001 | निदेशन तथा प्रशासन | 6,988.66 | 0.00 | 6,988.66 | 6,139.78 | (+)13.83 |
| 003 | प्रशिक्षण | 57.27 | 334.69 | 391.96 | 293.77 | (+)33.42 |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण-जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|-------|---|---|-------------|--------------------------|---|------------|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | | |
| ग | आर्थिक सेवाएं-जारी | | | | | |
| (ख) | ग्राम विकास-समाप्त | | | | | |
| 2515 | अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-समाप्त | | | | | |
| 101 | पंचायती राज | 13,693.85 | 0.00 | 13,693.85 | 13,841.86 | (-)-1.06 |
| 102 | समुदायिक विकास | 12,092.40 | 29.40 | 12,121.80 | 11,130.81 | (+)-8.90 |
| 196 | जिला पंचायतों को सहायता | 732.45 | 0.00 | 732.45 | 1,982.57 | (-)-63.06 |
| 197 | जनपद पंचायतों को सहायता | 786.86 | 0.00 | 786.86 | 2,829.95 | (-)-72.20 |
| 198 | ग्राम पंचायत को सहायता | 2,47,976.01 | 890.93 | 2,48,866.94 | 1,01,934.65 | (+)-144.14 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 98.04 | 207.15 | 305.19 | 2,436.60 | (-)-87.47 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना | 2,976.94 | 655.98 | 3,632.92 | 8,195.81 | (-)-55.67 |
| | योग-2515 | 2,85,402.48 | 2,118.15 | 2,87,520.63 | 1,48,785.80 | (+)-93.24 |
| | योग (ख)-ग्राम विकास | 2,85,522.84 | 1,50,683.13 | 4,36,205.97 | 2,43,317.08 | (+)-79.27 |
| (घ) | सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण ⁸ - | | | | | |
| 2700 | मुख्य सिंचाई- | | | | | |
| 01 | हसदेव बांगो परियोजना- | | | | | |
| 101 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 3,639.99 | 0.00 | 3,639.99 | 3,214.13 | (+)-13.25 |
| | योग-01 | 3,639.99 | 0.00 | 3,639.99 | 3,214.13 | (+)-13.25 |
| 02 | महानदी परियोजना समूह- | | | | | |
| 101 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 2,583.50 | 0.00 | 2,583.50 | 2,583.64 | (-)-0.01 |
| | योग-02 | 2,583.50 | 0.00 | 2,583.50 | 2,583.64 | (-)-0.01 |
| 03 | सांडूर परियोजना- | | | | | |
| 101 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 310.95 | 0.00 | 310.95 | 253.10 | (+)-22.86 |
| | योग-03 | 310.95 | 0.00 | 310.95 | 253.10 | (+)-22.86 |

⁸ उपक्षेत्र (ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई व्यय दर्ज नहीं किया गया है।

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण-जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारित व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|-------|-------------------------------|---|------|--------------------------|---|----------|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | | |
| ग | आर्थिक सेवाएं-जारी | | | | | |
| (घ) | सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण-जारी | | | | | |
| 2700 | मुख्य सिंचाई-समाप्त | | | | | |
| 04 | कोडार परियोजना- | | | | | |
| 101 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 289.18 | 0.00 | 289.18 | 372.65 | (-)22.40 |
| | योग-04 | 289.18 | 0.00 | 289.18 | 372.65 | (-)22.40 |
| 05 | तांदूला परियोजना- | | | | | |
| 101 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 715.65 | 0.00 | 715.65 | 589.97 | (+)21.30 |
| | योग-05 | 715.65 | 0.00 | 715.65 | 589.97 | (+)21.30 |
| 06 | पेरी परियोजना- | | | | | |
| 101 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 659.21 | 0.00 | 659.21 | 490.29 | (+)34.45 |
| | योग-06 | 659.21 | 0.00 | 659.21 | 490.29 | (+)34.45 |
| 07 | जॉक परियोजना- | | | | | |
| 101 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 179.90 | 0.00 | 179.90 | 304.80 | (-)40.98 |
| | योग-07 | 179.90 | 0.00 | 179.90 | 304.80 | (-)40.98 |
| 08 | समोदा | | | | | |
| 101 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 35.03 | 0.00 | 35.03 | 18.51 | (+)89.25 |
| | योग-07 | 35.03 | 0.00 | 35.03 | 18.51 | (+)89.25 |
| 10 | खारंग जलाशय- | | | | | |
| 101 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 519.22 | 0.00 | 519.22 | 694.65 | (-)25.25 |
| | योग-10 | 519.22 | 0.00 | 519.22 | 694.65 | (-)25.25 |
| 11 | मनियारी जलाशय- | | | | | |
| 101 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 254.60 | 0.00 | 254.60 | 288.68 | (-)11.81 |
| | योग-11 | 254.60 | 0.00 | 254.60 | 288.68 | (-)11.81 |
| | योग-2700 | 9,187.23 | 0.00 | 9,187.23 | 8,810.42 | (+)4.28 |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|-------|-------------------------------|---|------|--------------------------|---|----------|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | | |
| ग | आर्थिक सेवाएं—जारी | | | | | |
| (घ) | सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण—जारी | | | | | |
| 2701 | मध्यम सिंचाई— | | | | | |
| 01 | पिंड्रावन— | | | | | |
| 101 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 55.57 | 0.00 | 55.57 | 46.93 | (+)18.41 |
| | योग—01 | 55.57 | 0.00 | 55.57 | 46.93 | (+)18.41 |
| 02 | कुम्हारी— | | | | | |
| 101 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 50.94 | 0.00 | 50.94 | 42.90 | (+)18.74 |
| | योग—02 | 50.94 | 0.00 | 50.94 | 42.90 | (+)18.74 |
| 03 | बलार— | | | | | |
| 101 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 80.49 | 0.00 | 80.49 | 75.43 | (+)6.71 |
| | योग—03 | 80.49 | 0.00 | 80.49 | 75.43 | (+)6.71 |
| 04 | केशवा— | | | | | |
| 101 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 131.43 | 0.00 | 131.43 | 104.88 | (+)25.31 |
| | योग—04 | 131.43 | 0.00 | 131.43 | 104.88 | (+)25.31 |
| 05 | गोंदली— | | | | | |
| 101 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 57.80 | 0.00 | 57.80 | 63.07 | (-)8.36 |
| | योग—05 | 57.80 | 0.00 | 57.80 | 63.07 | (-)8.36 |
| 06 | खापरी— | | | | | |
| 101 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 77.20 | 0.00 | 77.20 | 71.93 | (+)7.33 |
| | योग—06 | 77.20 | 0.00 | 77.20 | 71.93 | (+)7.33 |
| 07 | मरोडा— | | | | | |
| 101 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 51.45 | 0.00 | 51.45 | 38.93 | (+)32.16 |
| | योग—07 | 51.45 | 0.00 | 51.45 | 38.93 | (+)32.16 |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|-------|-------------------------------|---|------|--------------------------|---|----------|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | | |
| ग | आर्थिक सेवाएं—जारी | | | | | |
| (घ) | सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण—जारी | | | | | |
| 2701 | मध्यम सिंचाई—जारी | | | | | |
| 08 | <i>खरखरा—</i> | | | | | |
| 101 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 131.45 | 0.00 | 131.45 | 92.12 | (+)42.69 |
| | योग—08 | 131.45 | 0.00 | 131.45 | 92.12 | (+)42.69 |
| 09 | <i>मटिया मोती—</i> | | | | | |
| 101 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 71.24 | 0.00 | 71.24 | 66.01 | (+)7.92 |
| | योग—09 | 71.24 | 0.00 | 71.24 | 66.01 | (+)7.92 |
| 10 | <i>रुसे—</i> | | | | | |
| 101 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 53.09 | 0.00 | 53.09 | 51.69 | (+)2.71 |
| | योग—10 | 53.09 | 0.00 | 53.09 | 51.69 | (+)2.71 |
| 11 | <i>धारा—</i> | | | | | |
| 101 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 27.68 | 0.00 | 27.68 | 18.54 | (+)49.30 |
| | योग—11 | 27.68 | 0.00 | 27.68 | 18.54 | (+)49.30 |
| 12 | <i>पिपरिया—</i> | | | | | |
| 101 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 88.88 | 0.00 | 88.88 | 87.44 | (+)1.65 |
| | योग—12 | 88.88 | 0.00 | 88.88 | 87.44 | (+)1.65 |
| 13 | <i>छिरपानी—</i> | | | | | |
| 101 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 75.66 | 0.00 | 75.66 | 67.21 | (+)12.57 |
| | योग—13 | 75.66 | 0.00 | 75.66 | 67.21 | (+)12.57 |
| 14 | <i>सरोदा—</i> | | | | | |
| 101 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 111.92 | 0.00 | 111.92 | 86.94 | (+)28.73 |
| | योग—14 | 111.92 | 0.00 | 111.92 | 86.94 | (+)28.73 |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|-------|-------------------------------|---|------|--------------------------|---|-----------|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | | |
| ग | आर्थिक सेवाएं—जारी | | | | | |
| (घ) | सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण—जारी | | | | | |
| 2701 | मध्यम सिंचाई—जारी | | | | | |
| 15 | घोंघा— | | | | | |
| 101 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 144.88 | 0.00 | 144.88 | 148.20 | (-)2.24 |
| | योग—15 | 144.88 | 0.00 | 144.88 | 148.20 | (-)2.24 |
| 16 | झुमका— | | | | | |
| 101 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 41.18 | 0.00 | 41.18 | 44.31 | (-)7.06 |
| | योग—16 | 41.18 | 0.00 | 41.18 | 44.31 | (-)7.06 |
| 17 | गेज— | | | | | |
| 101 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 60.15 | 0.00 | 60.15 | 59.24 | (+)1.54 |
| | योग—17 | 60.15 | 0.00 | 60.15 | 59.24 | (+)1.54 |
| 18 | केदार नाला— | | | | | |
| 101 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 53.20 | 0.00 | 53.20 | 48.36 | (+)10.01 |
| | योग—18 | 53.20 | 0.00 | 53.20 | 48.36 | (+)10.01 |
| 19 | पुटका— | | | | | |
| 101 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 40.35 | 0.00 | 40.35 | 21.16 | (+)90.69 |
| | योग—19 | 40.35 | 0.00 | 40.35 | 21.16 | (+)90.69 |
| 20 | किंकारी नाला— | | | | | |
| 101 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 19.58 | (+)211.54 |
| | योग—20 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 19.58 | (+)211.54 |
| 21 | खम्हार पकूट— | | | | | |
| 101 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 41.49 | 0.00 | 41.49 | 39.69 | (+)4.54 |
| | योग—21 | 41.49 | 0.00 | 41.49 | 39.69 | (+)4.54 |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण-जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|-------|-------------------------------|---|------|--------------------------|---|-----------|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | | |
| ग | आर्थिक सेवाएं-जारी | | | | | |
| (घ) | सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण-जारी | | | | | |
| 2701 | मध्यम सिंचाई-जारी | | | | | |
| 22 | <i>कुवरपुर-</i> | | | | | |
| 101 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 86.14 | 0.00 | 86.14 | 118.66 | (-)27.41 |
| | योग-22 | 86.14 | 0.00 | 86.14 | 118.66 | (-)27.41 |
| 23 | <i>बांकी-</i> | | | | | |
| 101 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 63.30 | 0.00 | 63.30 | 48.05 | (+)31.74 |
| | योग-23 | 63.30 | 0.00 | 63.30 | 48.05 | (+)31.74 |
| 24 | <i>श्याम घुनगुड़ा-</i> | | | | | |
| 101 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 330.94 | 0.00 | 330.94 | 362.92 | (-)8.81 |
| | योग-24 | 330.94 | 0.00 | 330.94 | 362.92 | (-)8.81 |
| 25 | <i>परालकोट-</i> | | | | | |
| 101 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 110.07 | 0.00 | 110.07 | 35.82 | (+)207.29 |
| | योग-25 | 110.07 | 0.00 | 110.07 | 35.82 | (+)207.29 |
| 26 | <i>मयना-</i> | | | | | |
| 101 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 37.38 | 0.00 | 37.38 | 37.17 | (+)0.56 |
| | योग-26 | 37.38 | 0.00 | 37.38 | 37.17 | (+)0.56 |
| 27 | <i>झीरम नदी-</i> | | | | | |
| 101 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 28.93 | 0.00 | 28.93 | 26.19 | (+)10.46 |
| | योग-27 | 28.93 | 0.00 | 28.93 | 26.19 | (+)10.46 |
| 28 | <i>शिवनाथ व्यपवर्तन-</i> | | | | | |
| 101 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 79.44 | 0.00 | 79.44 | 58.61 | (+)35.54 |
| | योग-28 | 79.44 | 0.00 | 79.44 | 58.61 | (+)35.54 |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण-जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|-------|-------------------------------|---|------|--------------------------|---|-----------|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | | |
| ग | आर्थिक सेवाएं-जारी | | | | | |
| (घ) | सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण-जारी | | | | | |
| 2701 | मध्यम सिंचाई-जारी | | | | | |
| 29 | माण्ड व्यपवर्तन- | | | | | |
| 101 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 188.21 | 0.00 | 188.21 | 62.99 | (+)198.79 |
| | योग-29 | 188.21 | 0.00 | 188.21 | 62.99 | (+)198.79 |
| 30 | अपर जॉक- | | | | | |
| 101 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 47.59 | 0.00 | 47.59 | 31.35 | (+)51.80 |
| | योग-30 | 47.59 | 0.00 | 47.59 | 31.35 | (+)51.80 |
| 31 | बरनई- | | | | | |
| 101 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 40.01 | 0.00 | 40.01 | 34.32 | (+)16.58 |
| | योग-31 | 40.01 | 0.00 | 40.01 | 34.32 | (+)16.58 |
| 32 | सुतिया पाट | | | | | |
| 101 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 46.61 | 0.00 | 46.61 | 27.28 | (+)70.86 |
| | योग-32 | 46.61 | 0.00 | 46.61 | 27.28 | (+)70.86 |
| 33 | कोसरटेड़ा | | | | | |
| 101 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 59.92 | 0.00 | 59.92 | 22.37 | (+)167.86 |
| | योग-33 | 59.92 | 0.00 | 59.92 | 22.37 | (+)167.86 |
| 34 | मेंगरा | | | | | |
| 101 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 59.87 | 0.00 | 59.87 | 58.48 | (+)2.38 |
| | योग-34 | 59.87 | 0.00 | 59.87 | 58.48 | (+)2.38 |
| 80 | सामान्य- | | | | | |
| 001 | निदेशन तथा प्रशासन | 37,617.45 | 0.00 | 37,617.45 | 37,161.96 | (+)1.23 |
| 002 | डाटा संग्रहण | 118.75 | 0.00 | 118.75 | 111.63 | (+)6.38 |
| 052 | मशीन एवं उपकरण | 491.03 | 0.00 | 491.03 | 511.14 | (-)3.93 |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|-------|--|---|--------|--------------------------|---|----------|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | | |
| ग | आर्थिक सेवाएं—जारी | | | | | |
| (घ) | सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण—समाप्त | | | | | |
| 2701 | मध्यम सिंचाई—समाप्त | | | | | |
| 80 | सामान्य—समाप्त | | | | | |
| 799 | उर्ध्व | (-)45.14 | 0.00 | (-)45.14 | (-)69.78 | (-)35.31 |
| | योग—80 | 38,182.09 | 0.00 | 38,182.09 | 37,714.95 | (+)1.24 |
| | योग—2701 | 40,867.55 | 0.00 | 40,867.55 | 39,933.72 | (+)2.34 |
| 2702 | लघु सिंचाई | | | | | |
| 03 | अनुरक्षण— | | | | | |
| 101 | जल टंकी | 4,825.87 | 0.00 | 4,825.87 | 4,526.75 | (+)6.61 |
| 102 | उत्थान सिंचाई योजना | 275.14 | 0.00 | 275.14 | 231.22 | (+)18.99 |
| 103 | नलकूप | 2,114.10 | 0.00 | 2,114.10 | 2,122.14 | (-)0.38 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 218.95 | 0.00 | 218.95 | 152.74 | (+)43.35 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना | 692.15 | 0.00 | 692.15 | 706.68 | (-)2.06 |
| | योग—03 | 8,126.21 | 0.00 | 8,126.21 | 7,739.53 | (+)5.00 |
| 80 | सामान्य— | | | | | |
| 001 | निदेशन तथा प्रशासन | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| | योग—80 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| | योग—2702 | 8,126.33 | 0.00 | 8,126.33 | 7,739.53 | (+)5.00 |
| 2705 | कमान क्षेत्र विकास— | | | | | |
| 209 | महानदी कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण | 0.00 | 144.85 | 144.85 | 175.98 | (-)17.69 |
| 210 | हसदेव (द्वितीय चरण) कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण | 0.00 | 62.55 | 62.55 | 67.40 | (-)7.20 |
| | योग—2705 | 0.00 | 207.40 | 207.40 | 243.38 | (-)14.78 |
| | योग—(घ)—सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण | 58,181.11 | 207.40 | 58,388.51 | 56,727.05 | (+)2.93 |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारित व्यय है)

| शीर्ष | | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत |
|-------|--|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------|---|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | |
| ग | आर्थिक सेवाएं—जारी | | | | | |
| (ड़) | ऊर्जा— | | | | | |
| 2801 | बिजली— | | | | | |
| 06 | ग्रामीण विद्युतीकरण— | | | | | |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 57,264.30 | 0.00 | 57,264.30 | 37,035.00 | (+)54.62 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना | 62,754.40 | 0.00 | 62,754.40 | 53,662.00 | (+)16.94 |
| | योग—06 | 1,20,018.70 | 0.00 | 1,20,018.70 | 90,697.00 | (+)32.33 |
| 80 | सामान्य— | | | | | |
| 101 | विद्युत बोर्डों को सहायता | 2,56,748.55 | 0.00 | 2,56,748.55 | 97,685.00 | (+)162.83 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 16,819.56 | 0.00 | 16,819.56 | 845.00 | (+)1,890.48 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना | 75,491.94 | 0.00 | 75,491.94 | 18,650.00 | (+)304.78 |
| | योग—80 | 3,49,060.05 | 0.00 | 3,49,060.05 | 1,17,180.00 | (+)197.88 |
| | योग—2801 | 4,69,078.75 | 0.00 | 4,69,078.75 | 2,07,877.00 | (+)125.65 |
| 2810 | नवीन एवं अक्षय ऊर्जा स्रोत | | | | | |
| 101 | सौर ताप ऊर्जा कार्यक्रम | 2,820.00 | 0.00 | 2,820.00 | 1,182.00 | (+)138.58 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 626.72 | 0.00 | 626.72 ⁹ | 238.40 | (+)162.89 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना | 2,186.28 | 0.00 | 2,186.28 ¹⁰ | 1,134.60 | (+)92.69 |
| 800 | अन्य व्यय | 1,098.00 | 0.00 | 1,098.00 | 560.00 | (+)96.07 |
| 902 | घटाईये—विद्युत विकास निधि से प्रतिपूरित राशि | (-)955.00 | 0.00 | (-)955.00 | (-)490.00 | (+)94.90 |
| | योग—2810 | 5,776.00 | 0.00 | 5,776.00 | 2,625.00 | (+)120.04 |
| | योग—(ड़)—ऊर्जा | 4,74,854.75 | 0.00 | 4,74,854.75 | 2,10,502.00 | (+)125.58 |

⁹ इस शीर्ष में ₹ 855.92 लाख का व्यय दर्ज किया गया है एवं ₹ 229.20 लाख की प्रतिपूरित ऊर्जा विकास निधि (8229-110) से किया गया है।

¹⁰ इस शीर्ष में ₹ 2,912.08 लाख का व्यय दर्ज किया गया है एवं ₹ 725.80 लाख की प्रतिपूरित ऊर्जा विकास निधि (8229-110) से किया गया है।

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत |
|-------|---|---|-------------|--------------------------|---|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | |
| ग | आर्थिक सेवाएं—जारी | | | | |
| (च) | उद्योग एवं खनिज— | | | | |
| 2851 | ग्रामीण तथा लघु उद्योग— | | | | |
| 102 | लघु उद्योग | 3,057.20 | 0.00 | 3,057.20 | 2,497.15 (+)22.43 |
| 103 | हथकरघा उद्योग | 1,069.03 | 0.00 | 1,069.03 | 848.10 (+)26.05 |
| 104 | हस्तशिल्प उद्योग | 821.93 | 0.00 | 821.93 | 630.11 (+)30.44 |
| 105 | खादी ग्रामोद्योग | 741.99 | 0.00 | 741.99 | 591.27 (+)25.49 |
| 107 | रेशम उत्पादन उद्योग | 6,727.59 | 0.00 | 6,727.59 | 6,263.75 (+)7.41 |
| 110 | सम्मिश्र ग्राम एवं लघु उद्योग तथा सहकारी समितियां | 40.42 | 0.00 | 40.42 | 35.82 (+)12.84 |
| 200 | अन्य ग्रामोद्योग | 2,322.93 | 0.00 | 2,322.93 | 2,212.30 (+)5.00 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 1,321.43 | 0.00 | 1,321.43 | 1,048.75 (+)26.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना | 3,093.51 | 0.00 | 3,093.51 | 2,526.56 (+)22.44 |
| 800 | अन्य व्यय | 4.69 | 0.00 | 4.69 | 3.17 (+)47.95 |
| | योग—2851 | 19,200.72 | 0.00 | 19,200.72 | 16,656.98 (+)15.27 |
| 2852 | उद्योग— | | | | |
| 80 | सामान्य — | | | | |
| 001 | निदेशन तथा प्रशासन | 7.70 | | | |
| | | 880.63 | 0.00 | 888.33 | 756.61 (+)17.41 |
| 102 | औद्योगिक उत्पादकता | 10,272.58 | 0.00 | 10,272.58 | 12,592.65 (-)18.42 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 1,663.32 | 0.00 | 1,663.32 | 763.96 (+)117.72 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना | 2,508.25 | 0.00 | 2,508.25 | 1,742.75 (+)43.92 |
| 800 | अन्य व्यय | 1,102.69 | 0.00 | 1,102.69 | 105.79 (+)942.34 |
| | योग—80 | 7.70 | | | |
| | | 16,427.47 | 0.00 | 16,435.17 | 15,961.75 (+)2.97 |
| | योग—2852 | 7.70 | | | |
| | | 16,427.47 | 0.00 | 16,435.17 | 15,961.75 (+)2.97 |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत |
|-------|--|---|------|--------------------------|---|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | |
| ग | आर्थिक सेवाएं—जारी | | | | |
| (च) | उद्योग एवं खनिज—समाप्त | | | | |
| 2853 | अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग— | | | | |
| 01 | भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण | | | | |
| 800 | अन्य व्यय | 4.85 | 0.00 | 4.85 | 0.00 |
| | योग-01 | 4.85 | 0.00 | 4.85 | 0.00 |
| 02 | खानों का विनियमन तथा विकास— | | | | |
| 001 | निर्देशन तथा प्रशासन | 0.64 | | | |
| | | 3,818.35 | 0.00 | 3,818.99 | 3,617.29 |
| 004 | अनुसंधान तथा विकास | 16.94 | 0.00 | 16.94 | 0.00 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 3,427.05 | 0.00 | 3,427.05 | 971.13 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना | 2,374.09 | 0.00 | 2,374.09 | 784.77 |
| 797 | खनिज विकास निधि को/से अंतरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,800.00 |
| 800 | अन्य व्यय | 7,035.01 | 0.00 | 7,035.01 | 1,953.21 |
| | योग-02 | 0.64 | | | |
| | | 16,671.44 | 0.00 | 16,676.93 | 19,126.40 |
| | योग-2853 | 0.64 | | | |
| | | 16,676.29 | 0.00 | 16,676.93 | 19,126.40 |
| 2885 | उद्योगो तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय— | | | | |
| 60 | अन्य— | | | | |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रम को सहायता | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,048.00 |
| | योग-60 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,048.00 |
| | योग-2885 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,048.00 |
| | .योग-(च)—उद्योग एवं खनिज | 8.34 | | | |
| | | 53,604.48 | 0.00 | 53,612.82 | 52,793.13 |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण-जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|-------|--------------------------------|---|------|--------------------------|---|----------|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | | |
| ग | आर्थिक सेवाएं-जारी | | | | | |
| (छ) | परिवहन- | | | | | |
| 3053 | नागर विमानन | | | | | |
| 60 | अन्य वैमानिक सेवाएं | | | | | |
| 102 | नौपरिवहन तथा हवाई मार्ग सेवाएं | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 24.68 | (+)1.30 |
| | योग-60 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 24.68 | (+)1.30 |
| | योग-3053 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 24.68 | (+)1.30 |
| 3054 | सड़क तथा सेतु- | | | | | |
| 01 | राष्ट्रीय राजमार्ग- | | | | | |
| 337 | सड़क निर्माण कार्य | 1,620.04 | 0.00 | 1,620.04 | 1,608.83 | (+)0.70 |
| | योग-01 | 1,620.04 | 0.00 | 1,620.04 | 1,608.83 | (+)0.70 |
| 03 | राजकीय राजमार्ग- | | | | | |
| 337 | सड़क निर्माण कार्य | 15,146.51 | 0.00 | 15,146.51 | 11,871.90 | (+)27.58 |
| 797 | सड़क विकास निधि को/से अंतरण | 19,854.70 | 0.00 | 19,854.70 | 20,000.00 | (-)0.73 |
| | योग-03 | 35,001.21 | 0.00 | 35,001.21 | 31,871.90 | (+)9.82 |
| 04 | जिला तथा अन्य सड़कें- | | | | | |
| 105 | रख-रखाव तथा मरम्मत | 38,592.18 | 0.00 | 38,592.18 | 26,035.85 | (+)48.23 |
| 337 | सड़क निर्माण कार्य | 25,906.58 | 0.00 | 25,906.58 | 40,691.33 | (-)36.33 |
| | योग-04 | 64,498.76 | 0.00 | 64,498.76 | 66,727.18 | (-)3.34 |
| 80 | सामान्य- | | | | | |
| 001 | निदेशन तथा प्रशासन | 867.88 | 0.00 | 867.88 | 1,336.12 | (-)35.04 |
| | योग-80 | 867.88 | 0.00 | 867.88 | 1,336.12 | (-)35.04 |
| | योग-3054 | 1,01,987.89 | 0.00 | 1,01,987.89 | 1,01,544.03 | (+)0.44 |
| | योग-(छ)-परिवहन | 1,02,012.89 | 0.00 | 1,02,012.89 | 1,01,568.71 | (+)0.44 |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|-------|---|---|------|--------------------------|---|-----------|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | | |
| ग | आर्थिक सेवाएं—जारी | | | | | |
| (ज) | संचार— | | | | | |
| 3275 | अन्य संचार सेवा— | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय | 7,138.50 | 0.00 | 7,138.50 | 5,014.93 | (+)42.34 |
| | योग—3275 | 7,138.50 | 0.00 | 7,138.50 | 5,014.93 | (+)42.34 |
| | योग—(ज)—संचार | 7,138.50 | 0.00 | 7,138.50 | 5,014.93 | (+)42.34 |
| (झ) | विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण— | | | | | |
| 3425 | अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान— | | | | | |
| 60 | अन्य— | | | | | |
| 200 | अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता | 751.75 | 0.00 | 751.75 | 573.00 | (+)31.20 |
| | योग—60 | 751.75 | 0.00 | 751.75 | 573.00 | (+)31.20 |
| | योग—3425 | 751.75 | 0.00 | 751.75 | 573.00 | (+)31.20 |
| | योग—(झ)—विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण | 751.75 | 0.00 | 751.75 | 573.00 | (+)31.20 |
| (ञ) | सामान्य आर्थिक सेवाएं— | | | | | |
| 3451 | सचिवालय आर्थिक सेवाएं— | | | | | |
| 090 | सचिवालय | 1,663.94 | 0.00 | 1,663.94 | 1,470.51 | (+)13.15 |
| 101 | योजना आयोग / योजना बोर्ड | 387.92 | 0.00 | 387.92 | 299.51 | (+)29.52 |
| 102 | जिला योजना संगठन | 27.50 | 0.00 | 27.50 | 27.31 | (+)0.70 |
| | योग—3451 | 2,079.36 | 0.00 | 2,079.36 | 1,797.33 | (+)15.69 |
| 3452 | पर्यटन— | | | | | |
| 80 | सामान्य — | | | | | |
| 001 | निदेशन तथा प्रशासन | 2,199.00 | 0.00 | 2,199.00 | 570.00 | (+)285.79 |
| | योग—80 | 2,199.00 | 0.00 | 2,199.00 | 570.00 | (+)285.79 |
| | योग—3452 | 2,199.00 | 0.00 | 2,199.00 | 570.00 | (+)285.79 |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत |
|-------|--|---|-------------|--------------------------|---|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | |
| ग | आर्थिक सेवाएं—समाप्त | | | | |
| (ज) | सामान्य आर्थिक सेवाएं—समाप्त | | | | |
| 3454 | जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी | | | | |
| 01 | जनगणना | | | | |
| 800 | अन्य व्यय | 663.38 | 0.00 | 663.38 | 1.71 (+)38,694.15 |
| | योग-01 | 663.38 | 0.00 | 663.38 | 1.71 (+)38,694.15 |
| 02 | सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी— | | | | |
| 110 | राजविवरणिका तथा सांख्यिकीय संस्मरण | 32.45 | 0.00 | 32.45 | 34.82 (-)6.81 |
| 111 | जन्म-मृत्यु सांख्यिकी | 245.67 | 0.00 | 245.67 | 348.97 (-)29.60 |
| 201 | राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन | 139.02 | 0.00 | 139.02 | 122.53 (+)13.46 |
| 203 | कम्प्यूटर सेवाएं | 1.91 | 0.00 | 1.91 | 11.27 (-)83.05 |
| 205 | राज्य सांख्यिकीय एजेंसी | 2,170.97 | 0.00 | 2,170.97 | 1,931.94 (+)12.37 |
| 800 | अन्य व्यय | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.11 (+)218.18 |
| | योग-02 | 2,590.37 | 0.00 | 2,590.37 | 2,449.64 (+)5.74 |
| | योग-3454 | 3,253.75 | 0.00 | 3,253.75 | 2,451.35 (+)32.73 |
| 3475 | अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं— | | | | |
| 106 | भार एवं माप का विनियमन | 667.15 | 0.00 | 667.15 | 605.39 (+)10.20 |
| 200 | अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों का विनियमन | 195.39 | 0.00 | 195.39 | 156.86 (+)24.56 |
| 800 | अन्य व्यय | 0.98 | 0.00 | 0.98 | 0.82 (+)19.51 |
| | योग-3475 | 863.52 | 0.00 | 863.52 | 763.07 (+)13.16 |
| | योग-(ज)—सामान्य आर्थिक सेवाएं | 8,395.63 | 0.00 | 8,395.63 | 5,581.75 (+)50.41 |
| | योग-ग—आर्थिक सेवाएं | 1,371.43 23,92,201.75 | 2,67,335.25 | 26,60,908.43 | 24,78,078.79 (+)7.38 |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| शीर्ष | वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय | | | 2018-19 के वास्तविक व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत |
|-------|---|---|------------------------------------|--------------------------|---|
| | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | |
| घ | सहायता अनुदान एवं अंशदान— | | | | |
| 3604 | स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन— | | | | |
| 191 | नगर निगम को सहायता | 4,924.50 65,424.20 | 0.00 | 70,348.70 | 55,686.17 (+)26.33 |
| 192 | नगर पालिका को सहायता | 950.00 20,812.94 | 0.00 | 21,762.94 | 17,467.78 (+)24.59 |
| 193 | नगर पंचायत को सहायता | 1,260.00 18,660.18 | 0.00 | 19,920.18 | 16,361.63 (+)21.75 |
| 197 | जनपद पंचायतों को सहायता | 5,544.30 | 0.00 | 5,544.30 | 2,472.09 (+)124.28 |
| 902 | घटाईये—पंचायत भू—राजस्व उपकर एवं मुद्रांक शुल्क निधि से प्रतिपूरित राशि | (-)5,544.30 | 0.00 | (-)5,544.30 | (-)2,472.09 (+)124.28 |
| | योग—3604 | 7,134.50 1,04,897.32 | 0.00 | 1,12,031.82 | 89,515.58 (+)25.15 |
| | योग—घ—सहायता अनुदान एवं अंशदान | 7,134.50 1,04,897.32 | 0.00 | 1,12,031.82 | 89,515.58 (+)25.15 |
| | योग—व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) | 5,57,068.96 57,78,927.72 | 1.09 10,11,733.50 | 73,47,731.27 | 64,41,117.32 (+)14.08 |
| | | | | वेतन | 20,85,762.53 17,03,103.88 (+)22.47 |
| | | | | आर्थिक सहायता | 11,48,323.31 8,32,300.93 (+)37.97 |
| | | | | सहायता अनुदान | 20,32,874.20 22,89,866.55 (-)11.22 |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
व्याख्यात्मक टिप्पणी

1. वर्ष 2019-20 के दौरान राजस्व व्यय ₹ 73,47,731.27 लाख था जो पूर्व वर्ष 2018-19 ₹ 64,41,117.32 लाख के विरुद्ध ₹ 9,06,613.95 लाख की वृद्धि दर्शाता है।
वृद्धि मुख्यतः निम्न मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

(₹ लाख में)

| लेखे का मुख्य शीर्ष | | वर्ष 2018-19 की तुलना में वृद्धि | वृद्धि का कारण |
|---------------------|--|----------------------------------|---|
| 2014 | न्याय प्रशासन | 2,336.67 | मुख्यतः वेतन एवं भत्ते पर व्यय में वृद्धि इत्यादि के कारण। |
| 2015 | निर्वाचन | 7,793.91 | मुख्यतः वेतन एवं भत्ते पर व्यय, बकाया देयकों का भुगतान, वर्ष 2019-20 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायत में चुनाव करवाने, इत्यादि के व्यय में वृद्धि के कारण। |
| 2029 | भू-राजस्व | 12,188.58 | जानकारी अपेक्षित (अक्टूबर 2020) |
| 2030 | स्टाम्प तथा पंजीकरण | 8,736.51 | मुख्यतः छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत भूमि के अंतरण पर उपकर का "ग्रामीण विकास निधि" में अंतरण एवं छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम के अंतर्गत लगाये गये स्टाम्प शुल्क का "पंचायत भू-राजस्व उपकर" तथा "स्टाम्प शुल्क निधि" में अंतरण, इत्यादि के व्यय में वृद्धि के कारण। |
| 2048 | ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन | 16,500.00 | निक्षेप निधि में स्थानांतरण के कारण। |
| 2049 | ब्याज अदायगियां | 1,31,778.79 | मुख्यतः बाजार ऋण पर ब्याज भुगतान, सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज, इत्यादि के व्यय में वृद्धि के कारण। |
| 2052 | सचिवालय-सामान्य सेवाएं | 1,676.41 | मुख्यतः वेतन एवं भत्ते पर व्यय, व्यावसायिक सेवाएं पर व्यय, फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण पर व्यय, सरकारी हेलीकाप्टर का अगस्ता 109 इंजिन के मरम्मत का कार्य एवं एक नवीन इंजिन का क्रय, राज्य गठन दिवस कार्यक्रम पर व्यय, राष्ट्रीय त्यौहार का आयोजन, चाणक्य भवन, नई दिल्ली का लाइसेन्स फीस में वृद्धि एवं छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली का गृह व्यवस्था एवं अन्य व्यय इत्यादि के कारण। |
| 2053 | जिला प्रशासन | 3,302.04 | राज्य सरकार द्वारा जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण। (अक्टूबर 2020) |
| 2055 | पुलिस | 58,171.97 | मुख्यतः वेतन एवं भत्ते पर व्यय, लघु कार्य, नक्सल प्रभावित जिलों पर व्यय, इत्यादि में वृद्धि के कारण। |
| 2056 | जेल | 2,037.12 | मुख्यतः वेतन एवं भत्ते पर व्यय, बंदियों के भोजन पर व्यय, उपचार, शिक्षा एवं अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाओं के व्यय में वृद्धि के कारण। |

नोट : जिस मुख्यशीर्ष में पूर्व वर्ष की तुलना में व्यय ₹ 1,000.00 लाख या अधिक की वृद्धि/कमी हुई हो, उन्ही को व्याख्यात्मक टिप्पणी में सम्मिलित किया गया है।

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
व्याख्यात्मक टिप्पणी—जारी

(₹ लाख में)

| लेखे का मुख्य शीर्ष | | वर्ष 2018-19 की तुलना में वृद्धि | वृद्धि का कारण |
|---------------------|---|----------------------------------|---|
| 2059 | लोक निर्माण कार्य | 2,388.88 | मुख्यतः वेतन एवं भत्ते पर व्यय, मोबाईल प्रयोगशाला वाहन एवं उपकरण का क्रय, कार्यालय भवन का रखरखाव इत्यादि पर व्यय में वृद्धि के कारण। |
| 2071 | पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हितलाभ | 1,20,947.52 | मुख्यतः अधिवार्षिकी एवं सेवानिवृत्ति भत्ते, उपदान, परिवार पेंशन, पारिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में शासन का अंशदान, इत्यादि के व्यय में वृद्धि के कारण। |
| 2202 | सामान्य शिक्षा | 3,47,035.15 | मुख्यतः स्कूल शिक्षा विभाग में पंचायत शिक्षकों को संविलियन से वेतन एवं भत्ते पर व्यय में वृद्धि, "राजभाषा आयोग" के पुस्तकों के मुद्रण पर व्यय, "राज्य अलंकरण सम्मान समारोह का आयोजन", "बालिकाओं के लिए गणवेश", "अशासकीय स्कूलों के लिए ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति", "समग्र शिक्षा", "शालाओं में मध्याह्न भोजन", "हाईस्कूल के छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय", "छात्रवृत्ति", विज्ञान एवं गणित शिक्षा के प्रसार हेतु कक्षा ग्यारहवीं एवं बारहवीं के छात्रों को प्रोत्साहन, इत्यादि के व्यय में वृद्धि के कारण। |
| 2210 | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | 74,261.02 | मुख्यतः वेतन एवं भत्ते पर व्यय, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मुख्य मंत्री दवा पेटी, मुख्य मंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत बकाया दावों का भुगतान, इत्यादि के व्यय में वृद्धि के कारण। |
| 2211 | परिवार कल्याण | 2,401.68 | मुख्यतः वेतन एवं भत्ते पर व्यय में वृद्धि के कारण। |
| 2225 | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | 6,387.48 | जानकारी अपेक्षित (अक्टूबर 2020) |
| 2230 | श्रम तथा रोजगार | 4,462.96 | मुख्यतः वेतन एवं भत्ते पर व्यय, श्रम कल्याण बोर्ड, संविधा श्रमिक, घरेलु कार्यरत महिलायें एवं हमाल बोर्ड, असंगठित सफाई कर्मकार कल्याण बोर्ड, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना, औद्योगिक उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु कौशल प्रशिक्षण, जीवन निर्वाह हेतु प्रशिक्षण, युवा क्षमता विकास योजना इत्यादि के व्यय में वृद्धि के कारण। |
| 2235 | सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | 47,688.63 | मुख्यतः वेतन एवं भत्ते पर व्यय में वृद्धि के कारण। |
| 2236 | पोषण | 21,732.72 | जानकारी अपेक्षित (अक्टूबर 2020) |
| 2245 | प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत | 2,207.11 | मुख्यतः राज्य आपदा मोचन निधि में अंतरण के व्यय में वृद्धि होने के कारण। |
| 2402 | भूमि एवं जल संरक्षण | 4,996.45 | मुख्यतः वेतन एवं भत्ते पर व्यय, भूमि सर्वेक्षण, एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम इत्यादि के व्यय में वृद्धि के कारण। |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
व्याख्यात्मक टिप्पणी—जारी

(₹ लाख में)

| लेखे का मुख्य शीर्ष | | वर्ष 2018-19 की तुलना में वृद्धि | वृद्धि का कारण |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| 2403 | पशुपालन | 8,782.10 | मुख्यतः वेतन एवं भत्ते पर व्यय, राज्य बकरी उद्यमिता विकास, पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, राज्य पोषित डेयरी उद्यमिता विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, पशु रोग नियंत्रण, पशु संगणना, दुग्ध उत्पादन एवं अधोसंरचना, कुक्कुट विकास प्रक्षेत्रों का विस्तार, प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता योजना इत्यादि के व्यय में वृद्धि के कारण। |
| 2405 | मछली पालन | 3,234.91 | मुख्यतः वेतन एवं भत्ते पर व्यय, नील कान्ति अंतर्गत मत्स्य पालन विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रम, मत्स्यकी महाविद्यालय कवर्धा हेतु अनुदान, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इत्यादि के व्यय में वृद्धि के कारण। |
| 2406 | वन | 15,289.86 | जानकारी अपेक्षित (अक्टूबर 2020) |
| 2408 | खाद्य भण्डारण तथा भांडागार | 1,62,956.68 | मुख्यतः वेतन एवं भत्ते पर व्यय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली डीलर का मार्जिन, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न क्रय पर हानि की प्रतिपूर्ति, "मुख्य मंत्री खाद्यान्न वितरण योजना" के अन्तर्गत शक्कर वितरण योजना इत्यादि के व्यय में वृद्धि के कारण। |
| 2415 | कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा | 4,518.04 | मुख्यतः इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान के व्यय में वृद्धि के कारण। |
| 2435 | अन्य कृषि कार्यक्रम | 2,46,744.33 | मुख्यतः अल्पावधि कृषि ऋण माफी योजना के अन्तर्गत राज्य ग्रामीण बैंक एवं अन्य बैंकों को किये गये भुगतान में वृद्धि होने के कारण। |
| 2501 | ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम | 34,502.50 | जानकारी अपेक्षित (अक्टूबर 2020) |
| 2505 | ग्रामीण रोजगार | 19,651.56 | जानकारी अपेक्षित (अक्टूबर 2020) |
| 2515 | अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम | 1,38,734.83 | मुख्यतः वेतन एवं भत्ते पर व्यय, चौदहवें वित्त आयोग अनुदान, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान पर व्यय, त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं का क्षमता विकास, ग्राम पंचायतों को मूलभूत कार्य हेतु अनुदान, सचिवीय व्यवस्था, इत्यादि के व्यय में वृद्धि के कारण। |
| 2801 | ऊर्जा | 2,61,201.75 | जानकारी अपेक्षित (अक्टूबर 2020) |
| 2810 | नवीन एवं अक्षय ऊर्जा स्रोत | 3,151.00 | जानकारी अपेक्षित (अक्टूबर 2020) |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
व्याख्यात्मक टिप्पणी—जारी

(₹ लाख में)

| लेखे का मुख्य शीर्ष | | वर्ष 2018-19 की तुलना में वृद्धि | वृद्धि का कारण |
|---------------------|--|----------------------------------|--|
| 2851 | ग्रामीण तथा लघु उद्योग | 2,543.74 | मुख्यतः वेतन एवं भत्ते पर व्यय, "समग्र हाथकरघा विकास योजना", "कुम्भकार टेराकोटा शिल्प योजना", खादी वस्त्र उत्पादन पर छुट, खादी बोर्ड के स्थापना व्यय, खादी बोर्ड के परिवार मूलक ईकाइयों की स्थापना, हाथकरघा उत्पादों के प्रचार-प्रसार, उद्योगों को ब्याज अनुदान मामलों की संख्या में वृद्धि, "टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम" योजना के अन्तर्गत श्रम लागत एवं पौधों का रोपण में वृद्धि, हस्थशिल्प विकास निगम को विकास योजनाओं हेतु अनुदान, शिल्प सिटी, कोंडागांव की स्थापना, इत्यादि के व्यय में वृद्धि के कारण। |
| 3275 | अन्य संचार सेवा | 2,123.57 | मुख्यतः लंबित भवन किराया का भुगतान, लंबित देयकों का भुगतान, छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन परियोजना पर व्यय, राज्य एरिया नेटवर्क प्रोजेक्ट, ई-जिला परियोजना एवं स्टैंट डाटा सेंटर की स्थापना, इत्यादि व्यय में वृद्धि के कारण। |
| 3452 | पर्यटन | 1,629.00 | मुख्यतः छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन विकास मंडल एवं भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान इत्यादि को अनुदान व्यय में वृद्धि के कारण। |
| 3604 | स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन | 22,516.24 | अर्थदण्ड शुल्क एवं अन्य प्राप्तियां के स्थानांतरण के कारण वृद्धि, विदेशी मदिरा का लायसंस फीस, स्थानीय निकायों को प्रवेश कर, स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान इत्यादि के व्यय में वृद्धि के कारण। |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
व्याख्यात्मक टिप्पणी—समाप्त

व्यय की उपरोक्त वृद्धि मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों में कमी के कारण अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

(₹ लाख में)

| लेखे का मुख्य शीर्ष | | वर्ष 2018-19 की तुलना में कमी | कमी का कारण |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| 2215 | जल पूर्ति तथा सफाई | 12,826.54 | मुख्यतः "स्वच्छ भारत अभियान", इत्यादि, के अन्तर्गत कम व्यय (लेखे के अनुसार) होने के कारण। |
| 2216 | आवास | 1,70,274.13 | जानकारी अपेक्षित (अक्टूबर 2020) |
| 2217 | शहरी विकास | 1,695.61 | मुख्यतः "स्वच्छ भारत अभियान", "सबके लिए आवास", "स्मार्ट सिटी" इत्यादि, के अन्तर्गत कम व्यय होने के कारण। |
| 2220 | सूचना तथा प्रचार | 1,919.14 | मुख्यतः आदिवासी क्षेत्रों में केम्प का आयोजन, विशेष अवसरों पर प्रचार इत्यादि पर कम व्यय होने के कारण। |
| 2401 | फसल कृषि-कर्म | 6,60,073.83 | मुख्यतः "खाद्यान्न उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना", "चना उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना", "गन्ना कृषको को बोनस", "जैविक खेती मिशन", "फसल प्रदर्शन योजना", "कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना" इत्यादि पर कम व्यय होने के कारण। |
| 2425 | सहकारिता | 68,902.08 | मुख्यतः अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना, राज्य/जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको का सहकारी बैंको में विलय, इत्यादि, पर कम व्यय होने के कारण। |
| 2853 | अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग | 2,449.47 | मुख्यतः खनिज विकास निधि में अंतरण इत्यादि, पर कम व्यय होने के कारण। |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
विवरण क्रमांक-15 का अनुलग्नक

(₹ लाख में)

| राज्य बजट के अनुसार योजना क्रमांक | ऐसी योजनाएं जिनके लिए भारत सरकार द्वारा अनुदान जारी किया जाता है | पीएफएमएस पोर्टल के अनुसार सभी योजनाओं के लिए जारी राशि (पूँजीगत व्यय हेतु सहायता भी सम्मिलित) | भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार क्लियरेंस मेमो/स्वीकृति आदेश के अनुसार मुख्यशीर्ष "1601-केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान" में दर्ज राशि (पूँजीगत व्यय हेतु सहायता भी सम्मिलित) | इन योजनाओं पर किये गये व्यय (पूँजीगत व्यय भी सम्मिलित) | वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|---|---|---|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5-4) |
| 5397 | राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना | 2,637.01 | 2,637.01 | 1,609.40 | (-)1,027.61 |
| 5401 | राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना | 18,641.65 | 18,641.65 | 18,455.37 | (-)186.28 |
| 7336 | राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना | 6,548.37 | 6,548.37 | 6,710.95 | (+)162.58 |
| 7340 | राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना | 1,158.56 | 1,158.56 | 1,184.88 | (+)26.32 |
| 8050 | अनुसूचित जाति के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम- छात्रवृत्ति | 1,368.00 | 1,368.00 | 644.73 | (-)723.27 |
| 5024 | अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम : आदिवासी विशेष पिछड़े समूह | 0.00 | 0.00 | 990.55 | (+)990.55 |
| 7626 | अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम : स्थानीय विकास कार्यक्रम हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता | 9,415.53 | 9,415.53 | 11,613.18 | (+)2,197.65 |
| 5480 | अनुसूचित जनजाति का विकास के लिए अम्ब्रेला योजना: आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार (अनुच्छेद 275 (1)) (अ.के.स.) | 22,500.77 | 22,500.77 | 15,276.52 | (-)7,224.25 |
| 5231 | अनुसूचित जनजाति का विकास के लिए अम्ब्रेला योजना: लघु वन उत्पाद | 703.53 | 703.53 | 937.04 | (+)233.51 |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—जारी
विवरण क्रमांक—15 का अनुलग्नक

(₹ लाख में)

| राज्य बजट के अनुसार योजना क्रमांक | ऐसी योजनाएं जिनके लिए भारत सरकार द्वारा अनुदान जारी किया जाता है | पीएफएमएस पोर्टल के अनुसार सभी योजनाओं के लिए जारी राशि (पूँजीगत व्यय हेतु सहायता भी सम्मिलित) | भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार विलयरेन्स मेमो/स्वीकृति आदेश के अनुसार मुख्यशीर्ष "1601—केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान" में दर्ज राशि (पूँजीगत व्यय हेतु सहायता भी सम्मिलित) | इन योजनाओं पर किये गये व्यय (पूँजीगत व्यय भी सम्मिलित) | वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|---|---|--|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5-4) |
| 7672 | अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम : वनबंधु कल्याण योजना | 1,344.35 | 1,344.35 | 0.00 | (-)1,344.35 |
| 8050 | पिछड़े वर्ग, निःशक्तजन एवं अन्य कमजोर समूहों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम : छात्रवृत्ति | 0.00 | 0.00 | 900.38 | (+)900.38 |
| 2817 | हरित क्रांति (कृषि उन्नति योजनाएं एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना) : कृषि सांख्यिकी सुधार योजना | 35.00 | 35.00 | 29.65 | (-)5.35 |
| 3542 | हरित क्रांति (कृषि उन्नति योजनाएं एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना) : क्षेत्र एवं उत्पादकता का अनुमान समय पर उपलब्ध कराने की योजना (के.यो.) | 50.00 | 50.00 | 54.63 | (+)4.63 |
| 908 | हरित क्रांति (कृषि उन्नति योजनाएं एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना) : कृषि जनगणना | 57.00 | 57.00 | 93.56 | (+)36.56 |
| 5505 | श्वेत क्रांति : (पशुपालन एवं डेयरी)—पशु जनगणना कार्यक्रम | 367.66 | 367.66 | 438.29 | (+)70.63 |
| 5625 | नील क्रांति—एकीकृत मत्स्य पालन का विकास एवं प्रबंधन : मत्स्य क्षेत्र में भौगोलिक सूचना तन्त्र एवं डाटा बेस के सुदृढीकरण | 0.00 | 0.00 | 52.50 | (+)52.50 |
| 9981 | प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना : लघु सिंचाई योजनाओं की गणना, मानदेय एवं अन्य आकस्मिक व्यय | 0.00 | 0.00 | 45.53 | (+)45.53 |
| 2668 | राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (एन.ई.एम) : पोलीटेक्निक संस्थाएं | 0.00 | 0.00 | 203.51 | (+)203.51 |
| 7284 | राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (एन.ई.एम) : छात्रावास/आश्रम भवन का निर्माण (अ.के.स.) | 0.00 | 0.00 | 5.00 | (+)5.00 |

15. राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण—समाप्त
विवरण क्रमांक—15 का अनुलग्नक

(₹ लाख में)

| राज्य बजट के अनुसार योजना क्रमांक | ऐसी योजनाएं जिनके लिए भारत सरकार द्वारा अनुदान जारी किया जाता है | पीएफएमएस पोर्टल के अनुसार सभी योजनाओं के लिए जारी राशि (पूँजीगत व्यय हेतु सहायता भी सम्मिलित) | भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार विलयरेन्स मेमो/स्वीकृति आदेश के अनुसार मुख्यशीर्ष "1601—केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान" में दर्ज राशि (पूँजीगत व्यय हेतु सहायता भी सम्मिलित) | इन योजनाओं पर किये गये व्यय (पूँजीगत व्यय भी सम्मिलित) | वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|---|---|---|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5-4) |
| 7491 | महिलाओं के सशक्तीकरण एवं संरक्षण मिशन— निःशक्तजनो को बाधा रहित सुविधाओं का विकास | 1,988.22 | 1,988.22 | 0.00 | (-)1,988.22 |
| 9147 | रोजगार एवं कौशल विकास : रोजगार कार्यालय (के.यो.) | 51.09 | 51.09 | 68.56 | (+)17.47 |
| 5502 | पर्यावरण, वानिकी एवं वन्य जीवन : प्रोजेक्ट एलीफैंट (के.यो.) | 0.00 | 0.00 | 90.63 | (+)90.63 |
| 7633 | पुलिस बल का आधुनिकीकरण (सुरक्षा से संबंधित व्यय सहित) : क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क सिस्टम | 0.00 | 0.00 | 765.66 | (+)765.66 |
| 7935 | पुलिस बल का आधुनिकीकरण (सुरक्षा से संबंधित व्यय सहित) : नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साईकोट्रापिक अपराधो का नियंत्रण (के.यो.) | 0.00 | 0.00 | 7.24 | (+)7.24 |
| 7811 | पुलिस बल का आधुनिकीकरण (सुरक्षा से संबंधित व्यय सहित) : डायल 100/112 (के.यो.) | 0.00 | 0.00 | 731.60 | (+)731.60 |
| 7933 | पुलिस बल का आधुनिकीकरण (सुरक्षा से संबंधित व्यय सहित) : महिलाओं एवं बच्चों के बचाव के लिए फोरेंसिक लैब एवं ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना (के.यो.) | 0.00 | 0.00 | 212.74 | (+)212.74 |
| 7882 | मूल्य नियंत्रण संरचना : मूल्य नियंत्रण प्रकोष्ठ (के.यो.) | 0.00 | 0.00 | 2.63 | (+)2.63 |
| 2245 | शराब एवं मादक पदार्थ (ड्रग्स) दुरुपयोग की रोकथाम के लिए योजना : नशाबन्दी कार्यक्रम (के.यो.) | 351.50 | 351.50 | 67.50 | (-)284.00 |
| 7660 | पुलिस बल का आधुनिकीकरण : महिला अपराध अनुसंधान इकाई | 660.00 | 660.00 | 0.00 | (-)660.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|--|---|----------------------------|---|-------------|---------------------------|--|--------------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| क-सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा- | | | | | | | |
| 4055 | पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय- | | | | | | |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश- | | | | | | |
| | छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस आवास निगम में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 207 | राज्य पुलिस- | | | | | | |
| | राज्य मुख्यालय | 68.44 | 251.43 | 0.00 | 251.43 | 1,471.33 | (+)267.37 |
| | जिला स्थापना | 36.02 | 990.02 | 0.00 | 990.02 | 4,263.71 | (+)2,648.53 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.33 | 0.00 |
| | योग-207 | 104.46 | 1,241.45 | 0.00 | 1,241.45 | 5,909.37 | (+)1,088.45 |
| 208 | विशेष पुलिस- | | | | | | |
| | पुलिस थाना, कर्मचारी आवास एवं प्रशिक्षण हास्टल का निर्माण | 1,288.58 | 3,025.00 | 0.00 | 3,025.00 | 17,511.06 | (+)134.75 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 22.37 | 0.00 | 22.37 | 2,540.54 | 0.00 |
| | योग-208 | 1,288.58 | 3,047.37 | 0.00 | 3,047.37 | 20,051.60 | (+)136.49 |
| 210 | अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण- | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.57 | 0.00 |
| 211 | पुलिस आवास- | | | | | | |
| | पुलिस | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,056.87 | 0.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना- | | | | | | |
| | पुलिस थाना, कर्मचारी आवास एवं प्रशिक्षण हास्टल का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457.04 | 0.00 |
| 800 | अन्य व्यय- | | | | | | |
| | योग-4055 | 1,393.04 | 4,301.60 | 0.00 | 4,301.60 | 27,700.19 | (+)208.79 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|--|--|----------------------------|--|-------------|---------------------------|--|-------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | | |
| क-सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | | |
| 4058 | लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय- | | | | | | |
| 103 | सरकारी मुद्रणालय- | | | | | | |
| | सरकारी मुद्रणालय, रायपुर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.90 | 0.00 |
| | मशीनरी एवं उपस्कर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.23 | 0.00 |
| | पंचायती राज मुद्रणालय, उज्जैन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.00 |
| | मुद्रण मशीन का क्रय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.97 | 0.00 |
| | योग-103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459.20 | 0.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना- | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.58 | 0.00 |
| 800 | अन्य व्यय- | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.01 | 0.00 |
| | सहकारी मुद्रणालय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| | योग-800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.16 | 0.00 |
| | योग-4058 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473.94 | 0.00 |
| 4059 | लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय- | | | | | | |
| 01 | कार्यालय भवन- | | | | | | |
| 051 | निर्माण- | | | | | | |
| | रायपुर में नया विश्रामगृह का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,240.50 | 0.00 |
| | बिलासपुर में नया उच्च न्यायालय भवन का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,587.00 | 0.00 |
| | बिलासपुर उच्च न्यायालय में वकीलों के लिए द्वितीय तल पर कमरा का निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.98 | 0.00 |
| | दिल्ली में छत्तीसगढ़ भवन का निर्माण | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 2,254.09 | (+)100.00 |
| | तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त सहायता अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,629.84 | 0.00 |
| | भू-राजस्व कार्यालय भवन | 848.32 | 447.51 | 0.00 | 447.51 | 16,156.36 | (-)47.25 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|---------------------------------------|--|----------------------------|--|------|---------------------------|--|-----------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | | |
| क-सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | | |
| 4059 | लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-जारी | | | | | | |
| 01 | कार्यालय भवन-जारी | | | | | | |
| 051 | निर्माण-जारी | | | | | | |
| | बारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त सहायता अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,142.76 | 0.00 |
| | राज्य शिक्षण संस्था एवं एस.सी.ई.आर.टी. का गठन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.00 | 0.00 |
| | आबकारी विभाग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.41 | 0.00 |
| | जगदलपुर में कम्पोजिट भवन का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,171.59 | 0.00 |
| | बीजापुर में कम्पोजिट भवन का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.52 | 0.00 |
| | दंतेवाड़ा में कम्पोजिट भवन का निर्माण | 58.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,009.65 | (-)100.00 |
| | बिलासपुर में कम्पोजिट भवन का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,570.39 | 0.00 |
| | बेमेतरा में कम्पोजिट भवन का निर्माण | 117.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,040.94 | (-)100.00 |
| | अम्बिकापुर में कम्पोजिट भवन का निर्माण | 226.46 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 873.82 | (-)99.96 |
| | बलरामपुर में कम्पोजिट भवन का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 878.21 | 0.00 |
| | बलौदाबाजार में कम्पोजिट भवन का निर्माण | 124.92 | 15.98 | 0.00 | 15.98 | 1,032.63 | (-)87.21 |
| | मुंगेली में कम्पोजिट भवन का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554.76 | 0.00 |
| | परिवहन कार्यालय भवन का निर्माण | 25.95 | 51.53 | 0.00 | 51.53 | 5,120.44 | (+)98.57 |
| | जेल भवन का निर्माण | 896.72 | 1,452.52 | 0.00 | 1,452.52 | 7,203.80 | (+)61.98 |
| | जिला प्रशासन भवन का निर्माण | 17.87 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 3,036.91 | (-)77.62 |
| | सामान्य प्रशासन भवन का निर्माण | 38.26 | 53.53 | 0.00 | 53.53 | 6,194.19 | (+)39.91 |
| | पुलिस | 256.86 | 39.35 | 0.00 | 39.35 | 8,401.74 | (-)84.68 |
| | लोक निर्माण भवन | 6,026.10 | 4,392.86 | 0.00 | 4,392.86 | 23,408.91 | (-)27.10 |
| | लोक निर्माण विभाग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.35 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारित व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018—19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019—20 के दौरान व्यय | | योग | 2019—20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019—20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|--|--|----------------------------|--|---------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| क—सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | | |
| 4059 | लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 01 | कार्यालय भवन—जारी | | | | | | |
| 051 | निर्माण—समाप्त | | | | | | |
| | राष्ट्रीय विधि स्कूलों की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,482.00 | 0.00 |
| | राज्य विधान मंडल भवन का निर्माण | 42.38 | 20.72 | 0.00 | 20.72 | 3,130.53 | (-)51.11 |
| | निमोरा अतिथि गृह का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 0.00 |
| | नया प्रशासनिक अकादमी भवन (वित्त) का निर्माण | 7.42 | 3.96 | 0.00 | 3.96 | 22.66 | (-)46.63 |
| | कोषालय एवं लेखा प्रशासन | 3.62 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 8.44 | (-)72.38 |
| | न्याय प्रशासन | 1,917.10 | 657.93 | 821.88 | 1,479.81 | 4,527.66 | (-)22.81 |
| | छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | (-)100.00 |
| | माध्यमिक और कार्य मानक प्रयोगशाला भवन का निर्माण | 48.41 | 0.00 | 1.44 | 1.44 | 306.14 | (-)97.03 |
| | जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र भवन का निर्माण | 0.00 | 362.81 | 0.00 | 362.81 | 373.04 | (+)100.00 |
| | नवा रायपुर सेक्टर 18 में राज भवन, मुख्य मंत्री एवं केबिनेट मंत्री भवन का निर्माण | 0.00 | 3,744.74 | 0.00 | 3,744.74 | 3,744.74 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 10,193.93 | 2,148.24 | 0.00 | 2,148.24 | 55,083.84 | (-)78.93 |
| | योग—051 | 21,351.09 | 13,397.33 | 823.32 | 14,220.65 | 1,84,584.76 | (-)33.96 |
| 201 | भूमि का अधिग्रहण— | | | | | | |
| | वाणिज्यिक कर विभाग के लिए कार्यालय भवन का क्रय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.35 | 0.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना— | | | | | | |
| | भू-राजस्व कार्यालय भवन का निर्माण | 235.42 | 125.78 | 0.00 | 125.78 | 3,851.63 | (-)46.57 |
| | विशेष अधोसंरचना विकास योजना | 14.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.95 | (-)100.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018—19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019—20 के दौरान व्यय | | योग | 2019—20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019—20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|--|---|----------------------------|--|---------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| क—सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | | |
| 4059 | लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 01 | कार्यालय भवन—समाप्त | | | | | | |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना— समाप्त | | | | | | |
| | जगदलपुर में खान एवं खनिज कार्यालय का क्षेत्रीय कार्यालय में प्रयोगशाला भवन का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,855.31 | 0.00 |
| | गरियाबंद में कम्पोजिट भवन का निर्माण | 518.62 | 163.97 | 0.00 | 163.97 | 2,033.88 | (-)68.38 |
| | कोण्डागांव में कम्पोजिट भवन का निर्माण | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,846.33 | (-)100.00 |
| | सूरजपुर में कम्पोजिट भवन का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.60 | 0.00 |
| | सुकमा में कम्पोजिट भवन का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 737.42 | 0.00 |
| | बलरामपुर में कम्पोजिट भवन का निर्माण | 1,081.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,981.93 | (-)100.00 |
| | लोक निर्माण विभाग भवन | 17.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 668.58 | (-)100.00 |
| | जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र भवन का निर्माण | 5.69 | 3.81 | 0.00 | 3.81 | 60.65 | (-)33.04 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 26.47 | 72.03 | 6.16 | 78.19 | 965.38 | (+)195.39 |
| | योग—796 | 1,904.86 | 365.59 | 6.16 | 371.75 | 14,575.66 | (+)80.48 |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.00 |
| | योग—01 | 23,255.95 | 13,762.92 | 829.48 | 14,592.40 | 1,99,261.53 | (-)37.25 |
| 60 | अन्य भवन— | | | | | | |
| 051 | निर्माण— | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,151.01 | 0.00 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के विशेष उपयोजना— | | | | | | |
| | नया पुलिस थाना की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.04 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|--|--|----------------------------|---|---------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| क-सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | | |
| 4059 | लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-समाप्त | | | | | | |
| 60 | अन्य भवन-समाप्त | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय- | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.55 | 0.00 |
| | योग-60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,273.60 | 0.00 |
| 80 | सामान्य- | | | | | | |
| 001 | निदेशन और प्रशासन- | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 29.14 | 75.89 | 0.00 | 75.89 | 294.84 | (+)160.43 |
| 051 | कार्यालय भवन- | | | | | | |
| | अधोसंरचना विकास उपकर निधि | 498.90 | 2,690.28 | 0.00 | 2,690.28 | 18,799.79 | (+)439.24 |
| 052 | मशीनरी एवं उपस्कर- | | | | | | |
| | भारी मशीनरी का क्रय | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 131.04 | (+)100.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 85.37 | 215.32 | 0.00 | 215.32 | 861.75 | (+)152.22 |
| | योग-052 | 85.37 | 216.32 | 0.00 | 216.32 | 992.79 | (+)153.40 |
| 201 | भूमी का अर्जन- | | | | | | |
| | पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ परिवहन निगम की जमीन/सम्पत्ति का क्रय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,198.00 | 0.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना- | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.67 | 0.00 |
| 800 | अन्य व्यय- | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.48 | 0.00 |
| 902 | घटाएं- अधोसंरचना विकास उपकर निधि से प्रतिपूरित व्यय | | | | | | |
| | | (-)498.90 | (-)2,690.28 | 0.00 | (-)2,690.28 | (-)18,799.79 | (+)439.24 |
| | योग-80 | 114.51 | 292.21 | 0.00 | 292.21 | 18,685.78 | (+)155.18 |
| | योग-4059 | 23,370.46 | 14,055.13 | 829.48 | 14,884.61¹ | 2,20,220.91 | (-)36.31 |

¹ पूंजीगत सम्पत्तियों के निर्माण हेतु ₹ 601.48 लाख का व्यय सम्मिलित है।

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|--|---|----------------------------|---|---------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| क—सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा—समाप्त | | | | | | | |
| 4070 | अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय— | | | | | | |
| 789 | अनुसूचित जातियों के विशेष उपयोजना— | | | | | | |
| | अन्य व्यय | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.51 | (-)100.00 |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | | |
| | कोषालय स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 985.46 | 0.00 |
| | अधीक्षक | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 781.69 | 27.92 234.24 | 0.00 | 262.16 | 1,185.09 | (-)66.46 |
| | योग—800 | 781.69 | 27.92 234.24 | 0.00 | 262.16 | 4,770.55 | (-)66.46 |
| | योग—4070 | 788.35 | 27.92 234.24 | 0.00 | 262.16 | 4,784.06 | (-)66.75 |
| | योग—क—सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा | 25,551.85 | 27.92 18,590.97 | 829.48 | 19,448.37 | 2,53,179.10 | (-)23.89 |
| ख—सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा— | | | | | | | |
| (क) | शिक्षा खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा— | | | | | | |
| 4202 | शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय— | | | | | | |
| 01 | सामान्य शिक्षा— | | | | | | |
| 201 | प्रारंभिक शिक्षा— | | | | | | |
| | माध्यमिक विद्यालय को मूलभूत सेवायें | 130.24 | 221.37 | 0.00 | 221.37 | 4,136.23 | (+)69.97 |
| | शासकीय प्राथमिक शालाओं का निर्माण मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के अंतर्गत | 298.48 | 468.05 | 0.00 | 468.05 | 6,370.01 | (+)56.81 |
| | भवन का अनुरक्षण कार्य—लघु कार्य एवं मरम्मत | 5,500.00 | 1,794.59 | 0.00 | 1,794.59 | 27,488.56 | (-)67.37 |
| | शासकीय ग्रंथालय | 48.66 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 885.90 | (-)38.35 |
| | विज्ञान केन्द्र की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|---------------------------------------|--|----------------------------|---|---------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | | |
| (क) | शिक्षा खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 4202 | शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-जारी | | | | | | |
| 01 | सामान्य शिक्षा-जारी | | | | | | |
| 201 | प्रारंभिक शिक्षा-समाप्त | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,693.34 | 0.00 |
| | योग-201 | 5,977.38 | 2,514.01 | 0.00 | 2,514.01 | 44,674.04 | (-)57.94 |
| 202 | माध्यमिक शिक्षा- | | | | | | |
| | माध्यमिक विद्यालय भवन का निर्माण | 7,295.59 | 5,852.54 | 0.00 | 5,852.54 | 63,707.63 | (-)19.78 |
| | उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन का निर्माण | 297.57 | 62.77 | 0.00 | 62.77 | 18,158.22 | (-)78.91 |
| | छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,178.07 | 0.00 |
| | आदर्श शाला का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,928.64 | 0.00 |
| | ग्यारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रशासन का उन्नयन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.88 | 0.00 |
| | छात्रावास | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 |
| | सैनिक शालाएं की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,662.96 | 0.00 |
| | राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,623.92 | 0.00 |
| | छात्रावास एवं आश्रम भवन का निर्माण | 117.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.72 | (-)100.00 |
| | भवनों का अनुरक्षण-निर्माण कार्य एवं मरम्मत | 1,968.79 | 480.00 | 0.00 | 480.00 | 2,648.79 | (-)75.62 |
| | संचालनालय लोक शिक्षण | 35.66 | 18.26 | 0.00 | 18.26 | 107.08 | (-)48.79 |
| | ब्लॉक शिक्षक प्रशिक्षण | 94.20 | 0.00 | 96.23 | 96.23 | 238.42 | (+)2.15 |
| | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (मूलभूत न्यूनतम सेवाएं) | 99.92 | 0.00 | 212.80 | 212.80 | 312.72 | (+)112.97 |
| | किराया खरीद आधार पर आवास मंडल द्वारा उच्चतर माध्यमिक शाला का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.88 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,976.17 | 0.00 |
| | योग-202 | 9,908.95 | 6,413.57 | 309.03 | 6,722.60 | 1,13,172.10 | (-)32.16 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|---------------------------------------|--|----------------------------|--|-------------|---------------------------|--|-----------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | | |
| ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | | |
| (क) | शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 4202 | शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-जारी | | | | | | |
| 01 | सामान्य शिक्षा-जारी | | | | | | |
| 203 | विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा- | | | | | | |
| | महाविद्यालय भवनों का निर्माण | 966.06 | 1,271.57 | 0.00 | 1,271.57 | 18,323.15 | (+)31.62 |
| | विज्ञान महाविद्यालय परिसर में आडिटोरियम भवन का निर्माण | 29.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,896.69 | (-)100.00 |
| | दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगांव में आडिटोरियम भवन का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.01 | 0.00 |
| | उच्चतर विद्यालय तथा विश्वविद्यालय भवन का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,215.39 | 0.00 |
| | राज्य में राष्ट्रीय विधि स्कूल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,166.42 | 0.00 |
| | रविशंकर विश्वविद्यालय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.71 | 0.00 |
| | इंदिरा कला विश्वविद्यालय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,069.87 | 0.00 |
| | स्व.कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.29 | 0.00 |
| | पं. सुन्दरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.48 | 0.00 |
| | बिलासपुर विश्वविद्यालय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.85 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 5.72 | 11.24 | 0.00 | 11.24 | 2,070.56 | (+)96.50 |
| | योग-203 | 1,000.98 | 1,282.81 | 0.00 | 1,282.81 | 31,422.42 | (+)28.15 |
| 205 | भाषा विकास- | | | | | | |
| | हिन्दी ग्रंथ अकादमी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.20 | 0.00 |
| | योग-205 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.20 | 0.00 |
| 600 | सामान्य- | | | | | | |
| | भवन का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.03 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|--|--|----------------------------|---|-------------|---------------------------|--|-----------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | | |
| (क) | शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 4202 | शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-जारी | | | | | | |
| 01 | सामान्य शिक्षा-जारी | | | | | | |
| 789 | अनुसूचित जातियों के विशेष उपयोजना- | | | | | | |
| | आश्रम एवं छात्रावास का निर्माण | 267.04 | 472.47 | 0.00 | 472.47 | 12,040.71 | (+)76.92 |
| | मॉडल स्कूल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| | शैक्षणिक संस्थाओं के भवनों का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,001.00 | 0.00 |
| | माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.96 | 0.00 |
| | छात्रावास, आश्रम एवं अधीक्षक भवन का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,495.31 | 0.00 |
| | महाविद्यालय भवन का निर्माण | 10.54 | 29.59 | 0.00 | 29.59 | 1,149.01 | (+)180.74 |
| | भवन का रखरखाव-लघु कार्य एवं मरम्मत | 2,000.00 | 575.00 | 0.00 | 575.00 | 2,575.00 | (-)71.25 |
| | योग-789 | 2,277.58 | 1,077.06 | 0.00 | 1,077.06 | 18,762.99 | (-)52.71 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना- | | | | | | |
| | विवेकानन्द गुरुकुल उन्नयन योजना | 11,757.76 | 10,898.01 | 0.00 | 10,898.01 | 85,648.25 | (-)7.31 |
| | आदर्श पाठशाला योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,688.58 | 0.00 |
| | छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,425.51 | 0.00 |
| | शैक्षणिक संस्थाओं के भवन का निर्माण | 711.82 | 119.67 | 0.00 | 119.67 | 14,662.22 | (-)83.19 |
| | महाविद्यालय भवनों का निर्माण | 1,218.15 | 1,065.64 | 0.00 | 1,065.64 | 16,083.93 | (-)12.52 |
| | भवन का रखरखाव-लघु निर्माण कार्य और मरम्मत | 5,499.02 | 2,785.00 | 0.00 | 2,785.00 | 16,153.82 | (-)49.35 |
| | माध्यमिक शालाएं | 130.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.48 | (-)100.00 |
| | सरगुजा विश्वविद्यालय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.00 | 0.00 |
| | सरगुजा विश्वविद्यालय में यांत्रिकी महाविद्यालय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 |
| | आश्रम एवं छात्रावास भवनों का निर्माण | 5.89 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 1,598.27 | (-)15.11 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|--|--|----------------------------|--|---------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | | |
| (क) | शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 4202 | शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-जारी | | | | | | |
| 01 | <i>सामान्य शिक्षा-समाप्त</i> | | | | | | |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना-समाप्त | | | | | | |
| | माध्यमिक शाला का निर्माण | 320.29 | 604.09 | 0.00 | 604.09 | 1,237.87 | (+)88.61 |
| | बस्तर विश्वविद्यालय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| | राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,889.56 | 0.00 |
| | प्राथमिक शालाएं | 137.76 | 307.90 | 0.00 | 307.90 | 640.82 | (+)123.50 |
| | अव्ययित राशि की वापसी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)9.80 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 290.90 | 0.00 | 290.90 | 1,149.58 | (+)100.00 |
| | योग-796 | 19,780.93 | 16,076.21 | 0.00 | 16,076.21 | 1,48,751.09 | (-)18.72 |
| 797 | रिजर्व निधि एवं जमा लेखा में स्थानांतरण- | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)12.05 | 0.00 |
| 800 | अन्य व्यय- | | | | | | |
| | राज्य शिक्षा एवं एस.सी.ई.आर.टी. संस्थान का गठन | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 18.50 | (+)100.00 |
| | सरकारी शैक्षिक महाविद्यालय | 409.91 | 59.05 | 0.00 | 59.05 | 605.76 | (-)85.59 |
| | योग-800 | 409.91 | 65.05 | 0.00 | 65.05 | 624.26 | (-)84.13 |
| | योग-01 | 39,355.73 | 27,428.71 | 309.03 | 27,737.73 | 3,57,632.07 | (-)29.52 |
| 02 | <i>तकनीकी शिक्षा-</i> | | | | | | |
| 001 | निदेशन और प्रशासन- | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.16 | 0.00 |
| | निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,853.88 | 0.00 |
| | इन्दौर में इलेक्ट्रानिक्स प्रशिक्षण केन्द्र | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.73 | 0.00 |
| | योग-001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,869.77 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारित व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|--|---|----------------------------|---|--------------|---------------------------|--|-----------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | | |
| (क) | शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 4202 | शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-जारी | | | | | | |
| 02 | तकनीकी शिक्षा-जारी | | | | | | |
| 103 | तकनीकी शिक्षा- | | | | | | |
| | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान-मशीनरी एवं उपस्कर | 37.58 | 45.01 | 0.00 | 45.01 | 6,772.22 | (+)19.77 |
| | लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095.65 | 0.00 |
| | स्वायत्त तकनीकी संस्थाओं को सहायता | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 |
| | आजीविका कालेज | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,517.43 | 0.00 |
| | संचालनालय तकनीकी शिक्षा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.46 | 0.00 |
| | योग-103 | 37.58 | 45.01 | 0.00 | 45.01 | 15,620.76 | (+)19.77 |
| 104 | पॉलीटेक्निकस- | | | | | | |
| | पॉलीटेक्निक संस्थाएं-मशीनरी एवं उपस्कर तथा सामुदायिक महाविद्यालय एवं छात्रावास का निर्माण | 397.04 | 50.77 | 18.64 | 69.41 | 4,875.29 | (-)82.51 |
| | राजनांदगांव में शासकीय पॉलीटेक्निक भवन का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,284.96 | 0.00 |
| | महासमुन्द में शासकीय पॉलीटेक्निक भवन का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 957.99 | 0.00 |
| | पॉलीटेक्निक भवनों का निर्माण | 1,351.12 | 983.41 | 0.00 | 983.41 | 9,910.60 | (-)27.22 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.69 | 0.00 |
| | योग-104 | 1,748.16 | 1,034.19 | 18.64 | 1,052.83 | 17,051.54 | (-)39.77 |
| 105 | यांत्रिकी/तकनीकी महाविद्यालय तथा संस्थान- | | | | | | |
| | यांत्रिकी महाविद्यालय-मशीनरी एवं उपस्कर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,966.50 | 0.00 |
| | यांत्रिकी/तकनीकी महाविद्यालय एवं संस्थान भवनों का निर्माण | 162.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,333.80 | (-)100.00 |
| | रायपुर में यांत्रिकी महाविद्यालय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,994.98 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|--|---|----------------------------|--|-------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | | |
| (क) | शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 4202 | शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-जारी | | | | | | |
| 02 | तकनीकी शिक्षा-जारी | | | | | | |
| 105 | यांत्रिकी/तकनीकी महाविद्यालय तथा संस्थान-समाप्त | | | | | | |
| | शासकीय यांत्रिकी महाविद्यालय में आवासीय भवनों का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,959.52 | 0.00 |
| | घटायें-पूंजीगत लेखे में प्राप्तियां और वसूलिया | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)0.24 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 1,152.99 | (+)100.00 |
| | योग-105 | 162.83 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 14,407.55 | (+)53.53 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के विशेष उपयोजना- | | | | | | |
| | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं | 5.84 | 21.02 | 0.00 | 21.02 | 482.82 | (+)259.93 |
| | पॉलीटेक्निक संस्थाएं | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.80 | (-)100.00 |
| | योग-789 | 8.79 | 21.02 | 0.00 | 21.02 | 616.62 | (+)139.13 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना- | | | | | | |
| | मिनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना-मशीनरी एवं उपस्कर तथा भवन का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,142.33 | 0.00 |
| | पॉलीटेक्निक संस्थाएं-मशीनरी एवं उपस्कर तथा सामुदायिक महाविद्यालय एवं छात्रावास का निर्माण | 1,690.15 | 322.54 | 0.00 | 322.54 | 7,923.83 | (-)80.92 |
| | पॉलीटेक्निक-मशीनरी एवं उपस्कर | 0.00 | 4.12 | 62.81 | 66.93 | 3,207.67 | (+)100.00 |
| | तकनीकी शिक्षा के लिए भवनों का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 952.55 | 0.00 |
| | राज्य कौशल विकास मिशन-मशीनरी एवं उपस्कर तथा राज्य कला विकास मिशन केन्द्रों का निर्माण | 348.78 | 0.00 | 143.53 | 143.53 | 4,071.08 | (-)58.85 |
| | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं-मशीनरी एवं उपस्कर तथा भवन का निर्माण | 31.36 | 86.18 | 0.00 | 86.18 | 903.74 | (+)174.81 |
| | लाईवलीहुड कालेज | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,394.99 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|--|---|----------------------------|---|---------------|---------------------------|--|-----------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | | |
| (क) | शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 4202 | शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-जारी | | | | | | |
| 02 | तकनीकी शिक्षा-समाप्त | | | | | | |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना-समाप्त | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,019.34 | 0.00 |
| | योग-796 | 2,070.29 | 412.84 | 206.34 | 619.18 | 23,615.53 | (-70.09) |
| 800 | अन्य व्यय- | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 0.00 |
| | योग-02 | 4,027.65 | 1,763.06 | 224.98 | 1,988.04 | 73,184.21 | (-50.64) |
| 03 | खेलकूद तथा युवा सेवा- | | | | | | |
| 101 | युवा छात्रावास- | | | | | | |
| | छात्रावास भवनों का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.50 | 0.00 |
| 102 | खेलकूद स्टेडियम- | | | | | | |
| | नया रायपुर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 | 0.00 |
| | बिलासपुर में राज्य खेलकूद प्रशिक्षण भवन | 545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,630.34 | (-100.00) |
| | खेलकूद प्रशिक्षण भवनों का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,504.87 | 0.00 |
| | राजनांदगांव में खेलकूद परिसर/भवन का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,036.81 | 0.00 |
| | मूलभूत सुविधाओं के विकास योजना के अन्तर्गत मिनी स्टेडियम का निर्माण | 4,387.75 | 1,439.73 | 0.00 | 1,439.73 | 13,025.42 | (+67.19) |
| | विज्ञान महाविद्यालय रायपुर में सिन्थेटिक ट्रैक निर्माण | 669.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,979.55 | (-100.00) |
| | विज्ञान महाविद्यालय के परिसर में आस्ट्रोर्टफ स्टेडियम का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.20 | 0.00 |
| | आंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम रायपुर में अभ्यास पिच का निर्माण एवं उन्नयन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.10 | 0.00 |
| | योग-102 | 5,602.72 | 1,439.73 | 0.00 | 1,439.73 | 35,937.29 | (-74.30) |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|--|---|----------------------------|---|-------------|---------------------------|--|-----------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | | |
| (क) | शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 4202 | शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-जारी | | | | | | |
| 03 | <i>खेलकूद तथा युवा सेवा-समाप्त</i> | | | | | | |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना- | | | | | | |
| | मूलभूत सुविधाओं, स्टेडियम के विकास योजना के अन्तर्गत मिनी स्टेडियम | 417.50 | 366.68 | 0.00 | 366.68 | 2,481.91 | (+)12.17 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.24 | 0.00 |
| | योग-796 | 417.50 | 366.68 | 0.00 | 366.68 | 2,604.15 | (+)12.17 |
| 800 | अन्य व्यय- | | | | | | |
| | मूलभूत सुविधाओं, स्टेडियम के विकास योजना के अन्तर्गत मिनी स्टेडियम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,751.40 | 0.00 |
| | खेलकूद प्रशिक्षण भवनों का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,716.97 | 0.00 |
| | एन.सी.सी. भवन का निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.32 | 0.00 |
| | शहरी खेलकूद अधोसंरचना योजना के अन्तर्गत कोण्डागांव में बहुउद्देशीय खेलकूद इन्डोर हाल का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.00 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.15 | 0.00 |
| | योग-800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,721.84 | 0.00 |
| 911 | अव्ययित राशि की वापसी- | | | | | | |
| | | (-)366.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)366.74 | 0.00 |
| | योग-03 | 5,653.48 | 1,806.41 | 0.00 | 1,806.41 | 42,205.04 | (-)68.04 |
| 04 | <i>कला तथा संस्कृति-</i> | | | | | | |
| 104 | बहुशिल्प- | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018—19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019—20 के दौरान व्यय | | योग | 2019—20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019—20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|--|--|----------------------------|--|---------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ख—सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | | |
| (क) | शिक्षा खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा—समाप्त | | | | | | |
| 4202 | शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय—समाप्त | | | | | | |
| 04 | कला तथा संस्कृति—समाप्त | | | | | | |
| 106 | संग्रहालय— | | | | | | |
| | बारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त सहायता अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.09 | 0.00 |
| | तेहरवें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त सहायता अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 866.57 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.97 | 0.00 |
| | योग—106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,309.63 | 0.00 |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | | |
| | माध्यमिक शिक्षा (डी.आई.ई.टी) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.81 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.72 | 0.00 |
| | निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.26 | 0.00 |
| | योग—800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.79 | 0.00 |
| | योग—04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,455.54 | 0.00 |
| | योग—4202 | 49,036.86 | 30,998.18 | 534.01 | 31,532.19² | 4,74,476.87 | (-)35.70 |
| योग—(क) | शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा | 49,036.86 | 30,998.18 | 534.01 | 31,532.19 | 4,74,476.87 | (-)35.70 |

² पूंजीगत सम्पत्तियों के निर्माण हेतु ₹ 6.43 लाख का व्यय सम्मिलित है।

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|--|--|----------------------------|---|---------------|---------------------------|--|-----------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | | |
| (ख) | स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा- | | | | | | |
| 4210 | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय- | | | | | | |
| 01 | शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- | | | | | | |
| 110 | अस्पताल तथा औषधालय- | | | | | | |
| | सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, रायपुर | 1,548.82 | 1,132.00 | 0.00 | 1,132.00 | 4,238.68 | (-)26.91 |
| | चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबंधित औषधालय | 532.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,554.13 | (-)100.00 |
| | न्यूनतम मूलभूत कार्यक्रम के अंतर्गत चिकित्सालय तथा औषधालय का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,345.41 | 0.00 |
| | पंड़री में जिला चिकित्सालय का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,206.56 | 0.00 |
| | चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालय | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 5,152.70 | (+)100.00 |
| | चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालय राजनांदगांव | 8.06 | 46.65 | 0.00 | 46.65 | 2,714.61 | (+)478.78 |
| | चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालय रायगढ़ | 1,109.25 | 0.00 | 187.25 | 187.25 | 2,250.45 | (-)83.12 |
| | जिला चिकित्सालय-मशीनरी एवं उपस्कर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,017.00 | 0.00 |
| | मानसिक चिकित्सालय | 34.14 | 44.75 | 0.00 | 44.75 | 152.73 | (+)31.07 |
| | औषधालय | 38.56 | 26.34 | 0.00 | 26.34 | 152.01 | (-)31.69 |
| | निदेशक और प्रशासन | 0.00 | 19.61 | 0.00 | 19.61 | 25.17 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,965.55 | 0.00 |
| | योग-110 | 3,271.28 | 1,305.35 | 187.25 | 1,492.60 | 29,775.00 | (-)54.37 |
| 196 | जिला पंचायत को सहायता- | | | | | | |
| | निदेशक और प्रशासन-राजीव गांधी मिशन मूलभूत सेवाएं | 0.00 | 212.00 | 0.00 | 212.00 | 618.15 | 0.00 |
| | जिला चिकित्सालय-मशीनरी एवं उपस्कर | 1,568.84 | 2,306.92 | 0.00 | 2,306.92 | 7,079.43 | (+)47.04 |
| | योग-196 | 1,568.84 | 2,518.92 | 0.00 | 2,518.92 | 7,697.58 | (+)60.56 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|--|--|----------------------------|---|---------------|---------------------------|--|------------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | | |
| (ख) | स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 4210 | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-जारी | | | | | | |
| 01 | <i>शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-समाप्त</i> | | | | | | |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- | | | | | | |
| | अस्पताल तथा औषधालय | 450.21 | 10.42 | 0.00 | 10.42 | 932.76 | (-)97.68 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना- | | | | | | |
| | निदेशक और प्रशासन-राजीव गांधी मिशन - मूलभूत सेवाएं | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.15 | 0.00 |
| | चिकित्सालयों तथा औषधालयों | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,381.26 | 0.00 |
| | जिला चिकित्सालय-मशीनरी एवं उपस्कर | 1,332.17 | 4,494.21 | 0.00 | 4,494.21 | 12,085.69 | (+)237.36 |
| | बर्न एवं ट्रामा केयर सेंटर | 179.50 | 0.00 | 55.20 | 55.20 | 234.70 | (-)69.25 |
| | चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबंध चिकित्सालय | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.60 | (-)100.00 |
| | चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबंध चिकित्सालय, जगदलपुर | 499.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,714.89 | (-)100.00 |
| | चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबंध चिकित्सालय, सरगुजा | 124.44 | 0.00 | 0.91 | 0.91 | 206.80 | (-)99.27 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.79 | 0.00 |
| | योग-796 | 2,142.06 | 4,494.21 | 56.11 | 4,550.32 | 17,627.88 | (+)112.43 |
| 800 | अन्य व्यय- | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.00 |
| | योग-01 | 7,432.39 | 8,328.90 | 243.36 | 8,572.26 | 56,034.56 | (+)15.33 |
| 02 | <i>ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-</i> | | | | | | |
| 101 | <i>स्वास्थ्य उप-केन्द्र-</i> | | | | | | |
| | उप स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण | 14.73 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 7,591.00 | (-)72.84 |
| | तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त सहायता अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,177.21 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|--|--|----------------------------|---|-------------|---------------------------|--|------------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | | |
| (ख) | स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 4210 | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-जारी | | | | | | |
| 02 | ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-जारी | | | | | | |
| 101 | स्वास्थ्य उप-केन्द्र-समाप्त | | | | | | |
| | उप स्वास्थ्य केन्द्र | 102.62 | 256.00 | 0.00 | 256.00 | 1,198.43 | (+)149.46 |
| | योग-101 | 117.35 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 9,966.64 | (+)121.56 |
| 103 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र- | | | | | | |
| | न्यूनतम मूलभूत कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों का निर्माण | 550.99 | 56.41 | 0.00 | 56.41 | 9,817.53 | (-)89.76 |
| | पंडरी, रायपुर में जिला अस्पताल भवन का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.58 | 0.00 |
| | युरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,563.96 | 0.00 |
| | तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त सहायता अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.38 | 0.00 |
| | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मूलभूत सेवाएं) | 0.41 | 667.56 | 0.00 | 667.56 | 1,737.15 | (+)1,62,719.51 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.73 | 0.00 |
| | योग-103 | 551.40 | 723.97 | 0.00 | 723.97 | 15,953.33 | (+)31.30 |
| 104 | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र- | | | | | | |
| | युरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407.50 | 0.00 |
| | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,447.92 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 779.34 | 0.00 |
| | योग-104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,634.76 | 0.00 |
| 110 | अस्पताल तथा औषधालय- | | | | | | |
| | तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त सहायता अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.28 | 0.00 |
| 196 | जिला पंचायतों को सहायता | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | (+)100.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत |
|--|--|----------------------------|--|-------------|---------------------------|---|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | |
| ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| (ख) | स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | |
| 4210 | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-जारी | | | | | |
| 02 | ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-जारी | | | | | |
| 197 | जिला पंचायतों को सहायता- | | | | | |
| | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र | 969.34 | 2,487.34 | 0.00 | 2,487.34 | 3,456.68 (+)156.60 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,572.95 0.00 |
| | योग-197 | 969.34 | 2,487.34 | 0.00 | 2,487.34 | 6,029.63 (+)156.60 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- | | | | | |
| | यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 802.00 0.00 |
| | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भवन निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.67 0.00 |
| | प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों का निर्माण | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,605.12 (-)100.00 |
| | उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण | 8.63 | 2.79 | 0.00 | 2.79 | 2,458.51 (-)67.67 |
| | उप स्वास्थ्य केन्द्र | 28.51 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 338.34 (+)198.14 |
| | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र | 473.03 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 1,589.56 (+)16.27 |
| | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मूलभूत सेवाएं) | 128.59 | 314.86 | 0.00 | 314.86 | 1,124.01 (+)144.86 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.19 0.00 |
| | योग-789 | 645.03 | 952.65 | 0.00 | 952.65 | 9,581.40 (+)47.69 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोगना- | | | | | |
| | यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,815.95 0.00 |
| | ग्रामीण योजना के अंतर्गत प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,193.46 0.00 |
| | प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों का निर्माण | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 8,376.64 (+)100.00 |
| | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र | 1,645.10 | 2,049.59 | 0.00 | 2,049.59 | 5,025.80 (+)24.59 |
| | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,351.33 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|--|---|----------------------------|---|-------------|---------------------------|--|------------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | | |
| (ख) | स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 4210 | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-जारी | | | | | | |
| 02 | ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-समाप्त | | | | | | |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना-समाप्त | | | | | | |
| | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण | 20.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,886.75 | (-)100.00 |
| | अस्पतालों में अतिरिक्त बिस्तर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,727.68 | 0.00 |
| | उप स्वास्थ्य केन्द्रों का भवनों का निर्माण | 37.98 | 25.52 | 0.00 | 25.52 | 10,592.25 | (-)32.81 |
| | उप स्वास्थ्य केन्द्र | 39.91 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 1,761.85 | (+)526.41 |
| | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मूलभूत सेवाएं) | 451.96 | 568.39 | 0.00 | 568.39 | 2,133.03 | (+)25.76 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.41 | 0.00 |
| | योग-796 | 2,195.46 | 2,913.50 | 0.00 | 2,913.50 | 43,274.15 | (+)32.70 |
| | योग-02 | 4,478.58 | 7,387.46 | 0.00 | 7,387.46 | 89,302.19 | (+)64.95 |
| 03 | चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान- | | | | | | |
| 101 | आयुर्वेद- | | | | | | |
| | आयुर्वेदिक भवन | 304.00 | 818.24 | 0.00 | 818.24 | 4,122.56 | (+)169.16 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.91 | (-)100.00 |
| | योग-101 | 320.00 | 818.24 | 0.00 | 818.24 | 4,254.47 | (+)155.70 |
| 102 | होम्योपैथी- | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.36 | 0.00 |
| 103 | यूनानी- | | | | | | |
| | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-मशीनरी एवं उपस्कर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 668.86 | 0.00 |
| 105 | एलोपैथी- | | | | | | |
| | रायपुर में जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय भवन का निर्माण-मशीनरी और उपस्कर | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,136.70 | (-)100.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारित व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|--|--|----------------------------|---|-----------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | | |
| (ख) | स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 4210 | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-जारी | | | | | | |
| 03 | चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-जारी | | | | | | |
| 105 | एलोपैथी-समाप्त | | | | | | |
| | रायपुर में जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय भवन का निर्माण-निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.78 | 0.00 |
| | रायगढ़ में चिकित्सा महाविद्यालय भवन का निर्माण | 24.99 | 542.40 | 0.00 | 542.40 | 23,379.06 | (+)2,070.47 |
| | डॉ. बी.आर. आंबेडकर मेमोरियल चिकित्सालय में भवन का विस्तार/मजबूतीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.93 | 0.00 |
| | पं. जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय में ओडिटोरियम का निर्माण | 108.70 | 11.80 | 0.00 | 11.80 | 1,686.03 | (-)89.14 |
| | डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर मेमोरियल चिकित्सालय में ओडिटोरियम का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 763.74 | 0.00 |
| | शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय | 660.95 | 1,417.79 | 0.00 | 1,417.79 | 12,126.73 | (+)114.51 |
| | मशीनरी एवं उपस्कर-चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ | 157.93 | 298.25 | 0.00 | 298.25 | 1,300.38 | (+)88.85 |
| | दंत महाविद्यालय | 11.39 | 95.38 | 0.00 | 95.38 | 4,121.69 | (+)737.40 |
| | चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,849.24 | 0.00 |
| | चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव | 3,854.22 | 1,696.13 | 3,250.00 | 4,946.13 | 29,261.69 | (+)28.33 |
| | सिकल सेल संस्थान की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 8.68 | 59.03 | 0.00 | 59.03 | 420.40 | (+)580.06 |
| | योग-105 | 6,476.86 | 4,120.78 | 3,250.00 | 7,370.78 | 89,986.37 | (+)13.80 |
| 200 | अन्य पद्धतियां- | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.21 | 0.00 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष धटक योजना- | | | | | | |
| | आयुर्वेद महाविद्यालय एवं औषधालय | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.31 | (-)100.00 |
| | आयुर्वेद विश्वविद्यालय-बिलासपुर | 208.00 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 435.24 | (-)86.54 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारित व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत |
|--|---|----------------------------|---|-----------------|---------------------------|--|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | |
| ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| (ख) | स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | |
| 4210 | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-जारी | | | | | |
| 03 | चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-समाप्त | | | | | |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष धटक योजना-समाप्त | | | | | |
| | आयुर्वेद महाविद्यालय-बिलासपुर | 200.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 363.17 (-)90.00 |
| | चिकित्सा महाविद्यालय-बिलासपुर | 399.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,547.40 (-)100.00 |
| | योग-789 | 815.50 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 2,682.12 (-)94.11 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना- | | | | | |
| | चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालय | 829.81 | 9.25 | 0.00 | 9.25 | 3,938.71 (-)98.89 |
| | जगदलपुर में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय भवन का निर्माण | 186.73 | 558.56 | 0.00 | 558.56 | 21,916.01 (+)199.13 |
| | जगदलपुर में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय भवन का निर्माण (द्वितीय चरण) | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,527.28 (-)100.00 |
| | शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर में बिजली सयंत्र एवं उपकेन्द्र की स्थापना | 399.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,859.08 (-)100.00 |
| | आयुर्वेद महाविद्यालय एवं औषधालय | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.52 (-)100.00 |
| | चिकित्सा महाविद्यालय-जगदलपुर | 419.33 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 3,392.32 (-)4.61 |
| | चिकित्सा महाविद्यालय-सरगुजा | 16.48 | 5,000.00 | 6,000.00 | 11,000.00 | 12,636.64 (+)66,647.57 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | (-)0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 867.50 (-)100.00 |
| | योग-796 | 1,890.43 | 5,967.81 | 6,000.00 | 11,967.81 | 47,555.06 (+)533.07 |
| | योग-03 | 9,502.79 | 10,954.83 | 9,250.00 | 20,204.83 | 1,45,222.45 (+)112.62 |
| 04 | लोक स्वास्थ्य- | | | | | |
| 101 | रोगों का निवारण तथा नियंत्रण- | | | | | |
| | मलेरिया | 33.85 | 17.89 | 0.00 | 17.89 | 117.57 (-)47.15 |
| 107 | लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं- | | | | | |
| | औषधि नियन्त्रण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.23 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारित व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|--|--|----------------------------|--|-----------------|---------------------------|---|------------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | | |
| ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | | |
| (ख) | स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 4210 | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-समाप्त | | | | | | |
| 04 | लोक स्वास्थ्य-समाप्त | | | | | | |
| 107 | लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं-समाप्त | | | | | | |
| | खाद्यों में मिलावट की रोकथाम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.40 | 0.00 |
| | योग-107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.63 | 0.00 |
| 112 | लोक स्वास्थ्य शिक्षा- | | | | | | |
| | मूलभूत नर्सिंग शिक्षा कार्यक्रम द्वारा लोक स्वास्थ्य की एकीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.29 | 0.00 |
| | चिकित्सा विश्वविद्यालय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,660.00 | 0.00 |
| | चिकित्सा विश्वविद्यालय में फार्मसी महाविद्यालय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| | योग-112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,997.29 | 0.00 |
| 200 | अन्य कार्यक्रम- | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.05 | 0.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना- | | | | | | |
| | मूलभूत नर्सिंग शिक्षा कार्यक्रम द्वारा लोक स्वास्थ्य की एकीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.19 | 0.00 |
| | फाइलेरिया | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.00 | (-)100.00 |
| | योग-796 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.79 | (-)100.00 |
| | योग-04 | 34.85 | 17.89 | 0.00 | 17.89 | 3,385.33 | (-)48.67 |
| 80 | सामान्य- | | | | | | |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश- | | | | | | |
| | मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन के अंशपूंजी में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.00 | 0.00 |
| | योग-80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.00 | 0.00 |
| | योग-4210 | 21,448.61 | 26,689.08 | 9,493.36 | 36,182.44 | 2,94,289.53 | (+)68.69 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारित व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|--|--|----------------------------|---|-----------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ख—सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | | |
| (ख) | स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा—समाप्त | | | | | | |
| 4211 | परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय— | | | | | | |
| 101 | ग्रामीण परिवार कल्याण सेवा— | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 997.26 | 0.00 |
| 800 | अन्य व्यय | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 633.44 | 0.00 |
| | योग—4211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,630.70 | 0.00 |
| | योग—(ख)—स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा | 21,448.61 | 26,689.08 | 9,493.36 | 36,182.44 | 2,95,920.23 | (+)68.69 |
| (ग) | जल पूर्ति सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा— | | | | | | |
| 4215 | जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय— | | | | | | |
| 01 | जल पूर्ति— | | | | | | |
| 001 | प्रशासन— | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 161.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.67 | (-)100.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 28.00 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 951.21 | (-)81.43 |
| | योग—001 | 189.67 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 1,112.88 | (-)97.26 |
| 101 | शहरी जल पूर्ति— | | | | | | |
| | नगर निगम में ट्यूबवेल खनन कार्य | 104.88 | 98.22 | 0.00 | 98.22 | 203.10 | (-)6.35 |
| | नगरीय निकायों की जल आवर्धन योजना | 2,400.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 12,400.00 | (-)316.67 |
| | पर्यावरण संरक्षण कार्य एवं प्रदूषण नियंत्रण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.43 | 0.00 |
| | स्थापना का आनुपातिक अंशलेखा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 718.27 | 0.00 |
| | योग—101 | 2,504.88 | 10,098.22 | 0.00 | 10,098.22 | 13,328.88 | (+)303.14 |
| 102 | ग्रामीण जल पूर्ति— | | | | | | |
| | ग्रामीण जल प्रदाय योजना | 218.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,152.25 | (-)100.00 |
| | औजार एवं संयंत्र | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,317.95 | 0.00 |
| | पाईप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना | 5,980.73 | 4,984.85 | 0.00 | 4,984.85 | 19,784.91 | (-)16.65 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|--|--|----------------------------|--|-----------------|---------------------------|---|------------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | | |
| ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | | |
| (ग) | जल पूर्ति सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 4215 | जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-जारी | | | | | | |
| 01 | जल पूर्ति-जारी | | | | | | |
| 102 | ग्रामीण जल पूर्ति-समाप्त | | | | | | |
| | राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम | 2,820.99 | 0.00 | 2,875.95 | 2,875.95 | 18,605.81 | (-)49.16 |
| | सौर ऊर्जा पर आधारित ग्रामीण पेय जल योजना | 77.47 | 4.79 | 0.00 | 4.79 | 3,803.51 | (+)1.94 |
| | शालाओं में पेयजल की व्यवस्था | 511.67 | 386.16 | 0.00 | 386.16 | 1,397.65 | (-)24.53 |
| | समस्याग्रस्त गावों में पेयजल आपूर्ति | 2,758.31 | 2,799.87 | 0.00 | 2,799.87 | 7,482.47 | (+)1.50 |
| | ग्रामीण जल प्रदाय योजना को आर्थिक सहायता | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.27 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 524.67 | 0.00 | 524.67 | 724.66 | (+)100.00 |
| | योग-102 | 12,367.40 | 8,700.34 | 2,875.95 | 11,576.29 | 67,431.48 | (-)6.39 |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश- | | | | | | |
| | ट्यूबवेल खुदाई कार्य एवं आंगनवाड़ी तथा अस्पताल | 0.00 | 422.99 | 0.00 | 422.99 | 422.99 | (+)100.00 |
| | योग-190 | 0.00 | 422.99 | 0.00 | 422.99 | 422.99 | (+)100.00 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष- | | | | | | |
| | ग्रामीण जल प्रदाय योजना | 518.56 | 798.60 | 0.00 | 798.60 | 9,141.90 | (+)54.00 |
| | नगर निगम क्षेत्रों में ट्यूबवेल खनन कार्य | 21.49 | 35.81 | 0.00 | 35.81 | 81.28 | (+)66.64 |
| | शालाओं में पेयजल की व्यवस्था | 118.93 | 104.86 | 0.00 | 104.86 | 365.60 | (-)11.83 |
| | समस्याग्रस्त गावों में पेयजल आपूर्ति | 877.67 | 884.65 | 0.00 | 884.65 | 2,393.01 | (+)0.79 |
| | राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम | 1,147.18 | 0.00 | 1,552.63 | 1,552.63 | 5,125.90 | (+)35.34 |
| | सौर ऊर्जा पर आधारित ग्रामीण पेय जल योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.34 | 0.00 |
| | ट्यूबवेल खुदाई कार्य एवं आंगनवाड़ी तथा अस्पताल | 0.00 | 119.04 | 0.00 | 119.04 | 119.04 | (+)100.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 82.47 | 0.00 | 82.47 | 82.47 | (+)100.00 |
| | योग-789 | 2,683.83 | 2,025.43 | 1,552.63 | 3,578.06 | 17,413.54 | (+)33.32 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|--|--|----------------------------|--|------------------|---------------------------|---|-----------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | | |
| ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | | |
| (ग) | जल पूर्ति सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 4215 | जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-जारी | | | | | | |
| 01 | जल पूर्ति-समाप्त | | | | | | |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना- | | | | | | |
| | ग्रामीण जल प्रदाय योजना | 2,798.01 | 1,870.13 | 0.00 | 1,870.13 | 18,675.38 | (-)33.16 |
| | औजार एवं संयंत्र | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,852.29 | 0.00 |
| | राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम | 3,725.19 | 0.00 | 5,751.72 | 5,751.72 | 19,351.10 | (+)54.40 |
| | सौर ऊर्जा पर आधारित ग्रामीण पेय जल योजना | 824.78 | 111.24 | 0.00 | 111.24 | 10,293.47 | (-)86.51 |
| | नगर निगम क्षेत्रों में ट्यूबवेल खनन कार्य | 63.34 | 78.47 | 0.00 | 78.47 | 190.97 | (+)23.89 |
| | नवीन शहरी जल आपूर्ति आवर्धन योजनाएं | 1.75 | 184.77 | 0.00 | 184.77 | 186.52 | (+)10,458.29 |
| | शालाओं में पेयजल की व्यवस्था | 391.95 | 285.95 | 0.00 | 285.95 | 1,055.45 | (-)27.04 |
| | समस्याग्रस्त गावों में पेयजल आपूर्ति | 2,450.48 | 2,710.86 | 0.00 | 2,710.86 | 7,060.48 | (+)10.63 |
| | चिरमिरी जल आवर्धन प्रदाय योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| | ट्यूबवेल खुदाई कार्य एवं आंगनवाड़ी तथा अस्पताल | 0.00 | 356.69 | 0.00 | 356.69 | 356.69 | (+)100.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 114.62 | 487.35 | 0.00 | 487.35 | 758.54 | (+)325.19 |
| | योग-796 | 10,370.12 | 6,085.46 | 5,751.72 | 11,837.18 | 60,280.89 | (+)14.15 |
| 800 | अन्य व्यय- | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 778.51 | 0.00 |
| | योग-800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 778.51 | 0.00 |
| | योग-01 | 28,115.90 | 27,337.64 | 10,180.30 | 37,517.94 | 1,60,769.17 | (+)33.44 |
| 02 | मल-जल तथा सफाई- | | | | | | |
| 101 | शहरी सफाई सेवाएं- | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत |
|--|--|----------------------------|--|------------------|------------------------------|---------------------------|---|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | | |
| ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | | |
| (ग) | जल पूर्ति सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 4215 | जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-समाप्त | | | | | | |
| 02 | मल-जल तथा सफाई-समाप्त | | | | | | |
| 106 | मल-जल सेवाएं- | | | | | | |
| | शालाओं में शौचालयों का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,601.31 | 0.00 |
| | बटालियन एवं पुलिस लाइन हेतु शौचालय का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.79 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.35 | 0.00 |
| | योग-106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,995.45 | 0.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना- | | | | | | |
| | शालाओं में शौचालयों का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,617.54 | 0.00 |
| 800 | अन्य व्यय- | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.27 | 0.00 |
| | योग-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,638.52 | 0.00 |
| | योग-4215 | 28,115.90 | 27,337.64 | 10,180.30 | 37,517.94³ | 1,64,407.69 | (+)33.44 |
| 4216 | आवास पर पूंजीगत परिव्यय- | | | | | | |
| 01 | सरकारी रिहायशी भवन- | | | | | | |
| 106 | साधारण पूल आवास- | | | | | | |
| | पुलिस प्रशासन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,631.94 | 0.00 |
| | ग्यारहवें एवं बारहवें वित्त आयोग के अनुसार प्रशासन का उन्नयन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,262.04 | 0.00 |
| | न्याय प्रशासन (स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण) | 988.74 | 0.00 | 1,397.68 | 1,397.68 | 7,750.23 | (+)41.36 |
| | कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों का निर्माण | 0.00 | 2,311.29 | 0.00 | 2,311.29 | 6,600.25 | 0.00 |
| | तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त सहायता अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,487.00 | 0.00 |
| | उच्च न्यायालय के लिए आवासीय परिसर | 101.52 | 155.36 | 0.00 | 155.36 | 1,419.90 | (+)53.03 |

³ पूंजीगत सम्पत्तियों के निर्माण हेतु ₹ 10,184.77 लाख का व्यय सम्मिलित है।

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|--|--|----------------------------|--|-----------------|---------------------------|---|------------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | | |
| ख—सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | | |
| (ग) | जल पूर्ति सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4216 | आवास पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 01 | सरकारी रिहायशी भवन—जारी | | | | | | |
| 106 | साधारण पूल आवास—समाप्त | | | | | | |
| | उच्च न्यायालय के लिए आवासीय भवन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,127.66 | 0.00 |
| | सामान्य प्रशासन विभाग | 893.24 | 518.15 | 0.00 | 518.15 | 2,999.06 | (-)41.99 |
| | भू-राजस्व | 43.81 | 26.25 | 0.00 | 26.25 | 221.48 | (-)40.08 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 927.54 | 0.00 |
| | योग—106 | 2,027.31 | 3,011.05 | 1,397.68 | 4,408.73 | 54,427.10 | (+)117.46 |
| 107 | पुलिस आवास— | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517.30 | 0.00 |
| | मध्य प्रदेश पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.58 | 0.00 |
| | निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.69 | 0.00 |
| | योग—107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 705.57 | 0.00 |
| 700 | अन्य आवास— | | | | | | |
| | वाणिज्यिक कर विभाग के विभागीय पूल हेतु आवास भवनो का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.64 | 0.00 |
| | पंजीयन एवं स्टाम्प | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.20 | 0.00 |
| | अपेक्स हाऊसिंग संघ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.85 | 0.00 |
| | निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.56 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.17 | 0.00 |
| | योग—700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,366.42 | 0.00 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष धटक योजना— | | | | | | |
| | सामान्य प्रशासन विभाग | 166.36 | 1.56 | 0.00 | 1.56 | 488.48 | (-)99.06 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|--|--|----------------------------|--|-----------------|---------------------------|---|-----------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | | |
| ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | | |
| (ग) | जल पूर्ति सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 4216 | आवास पर पूंजीगत परिव्यय-जारी | | | | | | |
| 01 | सरकारी रिहायशी भवन-समाप्त | | | | | | |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना- | | | | | | |
| | भाड़ा गृह निर्माण योजना के अंतर्गत आवास गृहों का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 858.81 | 0.00 |
| | नारायणपुर में 82 शासकीय आवासीय भवन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,073.57 | 0.00 |
| | अन्य जिलो में विशेष अधोसंरचना विकास योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,243.44 | 0.00 |
| | बीजापुर में विशेष अधोसंरचना विकास योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.52 | 0.00 |
| | आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक हेतु आवास गृहों का निर्माण | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,054.06 | (-)100.00 |
| | पुलिस प्रशासन | 325.84 | 499.98 | 0.00 | 499.98 | 2,826.46 | (+)53.44 |
| | जगदलपुर में पुलिस मुख्यालय के लिए कुल 600 "जी" टाईप आवासीय भवन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,067.75 | 0.00 |
| | शासकीय आवासीय का उन्नयन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.45 | 0.00 |
| | सामान्य प्रशासन विभाग | 495.81 | 423.36 | 0.00 | 423.36 | 1,350.95 | (-)14.61 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.11 | 0.00 |
| | योग-796 | 891.65 | 923.34 | 0.00 | 923.34 | 11,961.12 | (+)3.55 |
| 800 | अन्य व्यय- | | | | | | |
| | सामान्य प्रशासन विभाग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,292.73 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.14 | 0.00 |
| | योग-800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,312.87 | 0.00 |
| | योग-01 | 3,085.32 | 3,935.95 | 1,397.68 | 5,333.63 | 74,261.56 | (+)72.87 |
| 02 | शहरी आवास- | | | | | | |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश- | | | | | | |
| | आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आवास योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,504.15 | 0.00 |
| | नक्सल पीड़ित परिवार के लिए आवास योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
| | आवास अन्य उपक्रमों | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.54 | 0.00 |
| | योग-190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,545.69 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|--|---|----------------------------|--|-------------|---------------------------|---|-------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | | |
| ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | | |
| (ग) | जल पूर्ति सफाई आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 4216 | आवास पर पूंजीगत परिव्यय-जारी | | | | | | |
| 02 | शहरी आवास-समाप्त | | | | | | |
| 191 | नगर निगम में निवेश- | | | | | | |
| | किराये के आवास | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 664.71 | 0.00 |
| 195 | सहकारिताओं में निवेश- | | | | | | |
| | किराये के भवन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.08 | 0.00 |
| | अन्य निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.01 | 0.00 |
| | मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.65 | 0.00 |
| | मध्य प्रदेश राज्य आवास वित्त सहकारी समिति | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.14 | 0.00 |
| | मध्य प्रदेश राज्य आवास संघ, भोपाल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.68 | 0.00 |
| | योग-195 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424.56 | 0.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना- | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.00 |
| 800 | अन्य व्यय- | | | | | | |
| | बस्तर क्षेत्र में आवासों का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.61 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.65 | 0.00 |
| | योग-800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.26 | 0.00 |
| | योग-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,790.28 | 0.00 |
| 03 | ग्रामीण आवास- | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय- | | | | | | |
| | मध्य प्रदेश आवास संघ, भोपाल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.83 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.11 | 0.00 |
| | योग-800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.94 | 0.00 |
| | योग-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.94 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत |
|---------------------------------------|---|----------------------------|---|----------|----------|---------------------------------|--|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | | |
| (ग) | जल पूर्ति सफाई आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 4216 | आवास पर पूंजीगत परिव्यय-समाप्त | | | | | | |
| 80 | सामान्य- | | | | | | |
| 001 | निर्देशन और प्रशासन- | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.30 | 0.00 |
| 052 | मशीनरी एवं उपस्कर- | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.79 | 0.00 |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश- | | | | | | |
| | अन्य निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.82 | 0.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना- | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.17 | 0.00 |
| 800 | अन्य व्यय- | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.22 | 0.00 |
| | योग-80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.30 | 0.00 |
| | योग-4216 | 3,085.32 | 3,935.95 | 1,397.68 | 5,333.63 | 82,549.08 | (+)72.87 |
| 4217 | शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय- | | | | | | |
| 01 | राज्य की राजधानी का विकास- | | | | | | |
| 001 | निर्देशन और प्रशासन- | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.33 | 0.00 |
| 050 | भूमि- | | | | | | |
| | भूमि अधिग्रहण का भुगतान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,700.00 | 0.00 |
| | नया रायपुर विकास प्राधिकरण | 4,000.00 | 7,785.45 | 0.00 | 7,785.45 | 59,706.06 | (-)94.64 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.02 | 0.00 |
| | योग-050 | 4,000.00 | 7,785.45 | 0.00 | 7,785.45 | 1,09,536.08 | (-)94.64 |
| 051 | निर्माण- | | | | | | |
| | नया रायपुर विकास प्राधिकरण | 10,970.45 | 7,534.39 | 0.00 | 7,534.39 | 1,32,310.37 | (-)31.32 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|--|-------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | | |
| (ग) | जल पूर्ति सफाई आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 4217 | शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-जारी | | | | | | |
| 01 | राज्य की राजधानी का विकास-समाप्त | | | | | | |
| 051 | निर्माण-समाप्त | | | | | | |
| | रायपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| | राजधानी विकास परियोजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,381.93 | 0.00 |
| | सड़कें एवं पुल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,347.78 | 0.00 |
| | बारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त सहायता अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,382.28 | 0.00 |
| | वैश्विक पर्यावरण निधि सहायित राज्य शहरीय परिवहन योजना | 126.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,440.84 | (-)100.00 |
| | घटायें-पूंजीगत लेखे में प्राप्तियां और वसूलिया | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)84.33 | 0.00 |
| | तेहरवें वित्त आयोग अनुदान | 0.00 | 242.51 | 0.00 | 242.51 | 38,362.08 | (+)100.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,915.27 | 0.00 |
| | योग-051 | 11,096.71 | 7,776.90 | 0.00 | 7,776.90 | 2,59,656.22 | (-)29.92 |
| 052 | मशीनरी तथा उपस्कर- | | | | | | |
| | मशीनरी तथा उपस्कर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534.99 | 0.00 |
| | योग-052 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694.99 | 0.00 |
| 799 | उर्ध्वत- | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| 800 | अन्य व्यय- | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.30 | 0.00 |
| | योग-01 | 15,096.71 | 15,562.35 | 0.00 | 15,562.35 | 3,70,139.41 | (+)3.08 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारित व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|---------------------------------------|--|----------------------------|---|-------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ख—सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | | |
| (ग) | जल पूर्ति सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा—समाप्त | | | | | | |
| 4217 | शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय—समाप्त | | | | | | |
| 60 | अन्य शहरी विकास योजनाएं— | | | | | | |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश— | | | | | | |
| | मध्य प्रदेश शहरी विकास वित्त निगम में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.00 |
| 191 | नगर निगम को सहायता | 10,000.00 | 13,548.71 | 0.00 | 13,548.71 | 78,328.62 | (+)35.49 |
| 192 | नगर पालिका को सहायता | 5,000.00 | 14,143.04 | 0.00 | 14,143.04 | 39,581.58 | (+)182.86 |
| 193 | नगर पंचायत को सहायता | 1,100.00 | 2,578.79 | 0.00 | 2,578.79 | 13,837.82 | (+)134.44 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष | 3,370.50 | 3,606.42 | 0.00 | 3,606.42 | 20,209.29 | (+)6.99 |
| 793 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.47 | 0.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना | 3,300.00 | 3,531.00 | 0.00 | 3,531.00 | 30,521.06 | (+)7.00 |
| | योग—60 | 22,770.50 | 37,407.96 | 0.00 | 37,407.96 | 1,82,483.42 | (+)64.28 |
| | योग—4217 | 37,867.21 | 52,970.31 | 0.00 | 52,970.31⁴ | 5,52,622.83 | (+)39.88 |
| योग—(ग) | जल पूर्ति सफाई आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा | 69,068.43 | 84,243.90 | 11,577.98 | 95,821.88 | 7,99,579.60 | (+)38.73 |
| (घ) | सूचना तथा प्रसारण का पूंजीगत लेखा— | | | | | | |
| 4220 | सूचना तथा प्रसार पर पूंजीगत परिव्यय— | | | | | | |
| 60 | अन्य— | | | | | | |
| 101 | भवन— | | | | | | |
| | मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम, भोपाल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.64 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.68 | 0.00 |
| | योग—101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.32 | 0.00 |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश— | | | | | | |
| | समाचार भारती के अंशपूजी में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.00 |
| | योग—190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 0.00 |

⁴ पूंजीगत सम्पत्तियों के निर्माण हेतु ₹ 37,407.96 लाख का व्यय सम्मिलित है।

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारित व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|--|------|---------------------------------|--|-----------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | | |
| (घ) | सूचना तथा प्रसारण का पूंजीगत लेखा-समाप्त | | | | | | |
| 4220 | सूचना तथा प्रसार पर पूंजीगत परिव्यय-समाप्त | | | | | | |
| 60 | अन्य-समाप्त | | | | | | |
| 052 | मशीनरी तथा उपस्कर- | | | | | | |
| | फोटो सेवाएं | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 4.76 | 18.72 | (+)100.00 |
| 800 | अन्य व्यय- | | | | | | |
| | इलेक्ट्रानिक मीडिया के द्वारा विज्ञापन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.11 | 0.00 |
| | मुक्तिबोध अकादमी की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.73 | 0.00 |
| | योग-800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.84 | 0.00 |
| | योग-60 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 4.76 | 167.29 | (+)100.00 |
| | योग-4220 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 4.76 | 167.29 | (+)100.00 |
| | योग-(घ) सूचना तथा प्रसारण का पूंजीगत लेखा | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 4.76 | 167.29 | (+)100.00 |
| (ङ) | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा- | | | | | | |
| 4225 | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय- | | | | | | |
| 01 | अनुसूचित जातियों का कल्याण- | | | | | | |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश- | | | | | | |
| | मध्य प्रदेश अत्यावसायी विकास निगम के अंशपूजी में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.77 | 0.00 |
| 195 | सहकारी समितियों में निवेश- | | | | | | |
| | ग्रामीण/विपणन में बड़े पैमाने पर गोदाम का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.59 | 0.00 |
| 277 | शिक्षा- | | | | | | |
| | छात्रावास तथा आश्रमों का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 719.80 | 0.00 |
| 283 | आवासीय- | | | | | | |
| | निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.65 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018—19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019—20 के दौरान व्यय | | योग | 2019—20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019—20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|--|---|----------------------------|--|---------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ख—सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | | |
| (ड) | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4225 | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 01 | <i>अनुसूचित जातियों का कल्याण—जारी</i> | | | | | | |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष— | | | | | | |
| | प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना | 0.00 | 0.00 | 158.31 | 158.31 | 8,183.31 | (+)100.00 |
| | मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सहकारी वित्त एवं विकास निगम में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.53 | 0.00 |
| | ग्रामीण विपणन बड़े पैमाने पर गोदाम की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.97 | 0.00 |
| | अनुसूचित जाति के विकास के लिए समग्र शिक्षा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,050.69 | 0.00 |
| | आश्रम एवं छात्रावास | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,027.21 | 0.00 |
| | छत्तीसगढ़ राज्य अत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम की अंशपूंजी में निवेश | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 1,989.22 | (+)100.00 |
| | गिरौदपुरी में जैत खम्भ का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,193.03 | 0.00 |
| | विशेष केन्द्रीय सहायता निधि से स्थानीय विकास कार्यक्रम | 982.97 | 0.00 | 63.00 | 63.00 | 3,438.17 | (+)93.59 |
| | अनुसूचित जनजाति हेतु विकास प्राधिकरण | 2,598.23 | 2,793.49 | 0.00 | 2,793.49 | 32,464.38 | (+)7.51 |
| | गिरौदपुरी/भण्डारपुरी का समन्वित विकास | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,511.76 | 0.00 |
| | तेलाशी बाड़ा का समन्वय विकास | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| | क्षेत्रीय विकास के लिए अनाबद्ध निधि | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 835.62 | 0.00 |
| | छात्रावास तथा आश्रमों का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 857.76 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.96 | 0.00 |
| | योग—789 | 3,581.20 | 2,799.49 | 221.31 | 3,020.80 | 60,194.61 | (-)15.64 |
| 793 | अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता— | | | | | | |
| | छात्रावास तथा आश्रमों का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 0.00 |
| | स्थानीय विकास के लिए अनाबद्ध निधि | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.95 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018—19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019—20 के दौरान व्यय | | योग | 2019—20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019—20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|--|---|----------------------------|--|---------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ख—सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | | |
| (ड) | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4225 | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 01 | <i>अनुसूचित जातियों का कल्याण—समाप्त</i> | | | | | | |
| 793 | अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता—समाप्त | | | | | | |
| | क्षेत्रीय विकास के लिए अनाबद्ध निधि | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.09 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.03 | 0.00 |
| | योग—793 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557.57 | 0.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना— | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.77 | 0.00 |
| 800 | अन्य व्यय | | | | | | |
| | निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.35 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.61 | 0.00 |
| | योग—800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,394.96 | 0.00 |
| 911 | अधिक भुगतान की वसूली— | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)1.70 | 0.00 |
| | योग—01 | 3,581.20 | 2,799.49 | 221.31 | 3,020.80 | 63,603.02 | (-)15.64 |
| 02 | <i>अनुसूचित जनजातियों का कल्याण—</i> | | | | | | |
| 102 | आर्थिक विकास— | | | | | | |
| | सामुदायिक भवन का निर्माण | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.93 | (-)100.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 |
| | योग—102 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.93 | (-)100.00 |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश— | | | | | | |
| | अन्य निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 |
| 195 | सहकारी समितियों में निवेश— | | | | | | |
| | ग्रामीण/विपणन में बड़े पैमाने पर गोदाम का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.22 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|--|---|----------------------------|---|-------------|---------------------------|--|-------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | | |
| (ड) | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 4225 | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-जारी | | | | | | |
| 02 | <i>अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-जारी</i> | | | | | | |
| 277 | शिक्षा- | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.29 | 0.00 |
| 283 | आवासीय- | | | | | | |
| | अनुसूचित जनजातियों के लिए आवास का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.48 | 0.00 |
| 794 | जनजाति उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता- | | | | | | |
| | एकीकृत आदिवासी परियोजना में स्थानीय विकास कार्यक्रम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,249.30 | 0.00 |
| | अनाबद्ध आदिवासी विकास परियोजना में स्थानीय कार्यक्रम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,159.96 | 0.00 |
| | शिक्षा-आश्रम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,286.84 | 0.00 |
| | माड़ा क्षेत्र में स्थानीय विकास | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 711.78 | 0.00 |
| | आदिवासी क्षेत्र में स्थानीय विकास कार्यक्रम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 736.28 | 0.00 |
| | आदर्श विद्यालय भवन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 |
| | निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,429.11 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.87 | 0.00 |
| | योग-794 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,697.14 | 0.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना- | | | | | | |
| | एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं में स्थानीय विकास कार्यक्रम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,240.14 | 0.00 |
| | माड़ा क्षेत्रों में स्थानीय विकास कार्यक्रम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 933.28 | 0.00 |
| | आदिवासी अंचलों में स्थानीय विकास कार्यक्रम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.26 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|--|----------|---------------------------|--|----------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | | |
| ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | | |
| (ङ) | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 4225 | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-जारी | | | | | | |
| 02 | अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-जारी | | | | | | |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना-जारी | | | | | | |
| | विशेष केन्द्रीय सहायता निधि द्वारा पोषित स्थानीय विकास कार्यक्रम | 12,665.20 | 0.00 | 6,013.03 | 6,013.03 | 45,794.68 | (-)52.52 |
| | जनजाति क्षेत्रों हेतु सुविधा विकास | 10,461.68 | 5,025.45 | 0.00 | 5,025.45 | 93,822.98 | (-)51.96 |
| | विशेष पिछड़ा जनजाति वर्ग | 362.20 | 0.00 | 382.57 | 382.57 | 2,018.66 | (+)5.62 |
| | शिक्षा-आश्रम तथा छात्रावास भवन/विवेकानंद गुरुकुल उन्नयन योजना | 4.29 | 6.89 | 0.00 | 6.89 | 10,677.74 | (+)60.61 |
| | शिक्षकों के लिए आवास भवनों का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,849.01 | 0.00 |
| | विभागीय एजेंसियां | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,401.54 | 0.00 |
| | शिक्षण संस्थाओं के भवन का निर्माण | 252.89 | 64.89 | 0.00 | 64.89 | 19,899.71 | (-)74.34 |
| | सोनाखान का समन्वित विकास | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 744.24 | 0.00 |
| | शिक्षा अधिकारी कार्यालय भवन का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 753.35 | 0.00 |
| | बस्तर विकास प्राधिकरण | 3,175.39 | 3,199.98 | 0.00 | 3,199.98 | 35,315.65 | (+)0.77 |
| | सरगुजा/जशपुर विकास प्राधिकरण | 3,189.14 | 3,199.68 | 0.00 | 3,199.68 | 37,524.75 | (+)0.33 |
| | वन बंधु कल्याण योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510.94 | 0.00 |
| | विशेष पिछड़ी जनजाति संस्था | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.90 | 0.00 |
| | घटायें-पूंजीगत लेखे में प्राप्तियां और वसूलिया | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)2.70 | 0.00 |
| | छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम की अंशपूंजी में निवेश | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 688.00 | 0.00 |
| | आदिम विकास वित्त निगम में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.58 | 0.00 |
| | आश्रम एवं छात्रावास के लिए भवन का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.18 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|--|---|----------------------------|--|-----------------|---------------------------|---|-----------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | | |
| ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | | |
| (ड) | अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 4225 | अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-जारी | | | | | | |
| 02 | <i>अनुसूचित जनजातियो का कल्याण- समाप्त</i> | | | | | | |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना-समाप्त | | | | | | |
| | निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,695.69 | 0.00 |
| | केन्द्रीय क्षेत्र आदिम विकास प्राधिकरण | 0.00 | 1,775.00 | 0.00 | 1,775.00 | 1,775.00 | (+)100.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.95 | 0.00 |
| | योग-796 | 30,110.79 | 13,291.89 | 6,395.60 | 19,687.49 | 2,68,979.53 | (-)34.61 |
| 800 | अन्य व्यय- | | | | | | |
| | निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.25 | 0.00 |
| | जनजाति वित्त विकास निगम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.79 | 0.00 |
| | योग-800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 544.04 | 0.00 |
| | योग-02 | 30,113.44 | 13,291.89 | 6,395.60 | 19,687.49 | 2,86,723.02 | (-)34.61 |
| 03 | <i>पिछड़े वर्गों का कल्याण-</i> | | | | | | |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश- | | | | | | |
| | छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम की अंशपूँजी में निवेश | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 507.00 | 0.00 |
| 277 | शिक्षा- | | | | | | |
| | छात्रावास | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.71 | 0.00 |
| 800 | अन्य व्यय- | | | | | | |
| | अल्प संख्यक समुदाय हेतु शमशान की चार दीवारी का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.72 | 0.00 |
| | छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम की अंशपूँजी में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.50 | 0.00 |
| | पूर्व परीक्षा केन्द्र भवन का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.29 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|--|--|----------------------------|--|-----------------|------------------------------|---|------------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | | |
| ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | | |
| (ड) | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा-समाप्त | | | | | | |
| 4225 | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-समाप्त | | | | | | |
| 03 | पिछड़े वर्गों का कल्याण- समाप्त | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय-समाप्त | | | | | | |
| | मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं वित्त विकास निगम में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.96 | 0.00 |
| | छत्तीसगढ़ राज्य अत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम की अंशपूंजी में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.00 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 113.90 | (+)100.00 |
| | योग-800 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 906.37 | (+)100.00 |
| | योग-03 | 60.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 1,728.08 | (+)166.67 |
| 04 | अल्पसंख्यकों का कल्याण- | | | | | | |
| 102 | आर्थिक विकास- | | | | | | |
| | अल्प बहुभाषीय विकास योजना | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 168.00 | 2,423.08 | (+)100.00 |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश- | | | | | | |
| | छत्तीसगढ़ राज्य अत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम की अंशपूंजी में निवेश | 195.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 288.00 | (-)94.87 |
| | योग-04 | 195.00 | 10.00 | 168.00 | 178.00 | 2,711.08 | (-)8.71 |
| 80 | सामान्य- | | | | | | |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना- | | | | | | |
| | छात्रावास भवन का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.86 | 0.00 |
| | योग-80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.86 | 0.00 |
| | योग-4225 | 33,949.64 | 16,261.38 | 6,784.91 | 23,046.29⁵ | 3,54,771.06 | (-)32.12 |
| | योग-(ड)-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा | 33,949.64 | 16,261.38 | 6,784.91 | 23,046.29 | 3,54,771.06 | (-)32.12 |

⁵ पूंजीगत सम्पत्तियों के निर्माण हेतु ₹ 17,363.75 लाख का व्यय सम्मिलित है।

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|--|--|----------------------------|--|-------------|---------------------------|--|-------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | | |
| ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | | |
| (च) | समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा- | | | | | | |
| 4235 | सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय- | | | | | | |
| 01 | पुनर्वास- | | | | | | |
| 201 | अन्य पुनर्वास योजनाएं- | | | | | | |
| | पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु रायपुर जिले में मत्स्य उद्योग का विकास | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.39 | 0.00 |
| | योग-201 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.80 | 0.00 |
| 800 | अन्य व्यय- | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.15 | 0.00 |
| | निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,205.09 | 0.00 |
| | योग-800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,251.24 | 0.00 |
| | योग-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,314.04 | 0.00 |
| 02 | समाज कल्याण- | | | | | | |
| 001 | निदेशन और प्रशासन- | | | | | | |
| | रायपुर में जिला पुनर्वास केन्द्र की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.60 | 0.00 |
| 101 | विकलांग व्यक्तियों का कल्याण- | | | | | | |
| | पुनर्वास केन्द्र, बिलासपुर हेतु भवन का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.99 | 0.00 |
| | नेत्रहीन/बहरे एवं गूंगों के लिए विद्यालय एवं संस्थाएं का निर्माण | 1.17 | 6.84 | 0.00 | 6.84 | 105.23 | (+)484.62 |
| | छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम की अंश पूंजी में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारित व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|--|--|----------------------------|--|-----------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | | |
| (च) | समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 4235 | सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-जारी | | | | | | |
| 02 | समाज कल्याण-जारी | | | | | | |
| 101 | विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-समाप्त | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.25 | 0.00 |
| | योग-101 | 1.17 | 6.84 | 0.00 | 6.84 | 570.47 | (-)484.62 |
| 102 | बाल कल्याण- | | | | | | |
| | अनुसंधान केन्द्र भवन का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,226.49 | 0.00 |
| | परियोजना कार्यालय तथा अनुसंधान केन्द्र के लिए भवन का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 782.47 | 0.00 |
| | तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त सहायता अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,061.00 | 0.00 |
| | आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य | 662.24 | 0.00 | 1,220.90 | 1,220.90 | 11,527.22 | (+)84.35 |
| | किशोर न्यायिक अधिनियम के अधीन भवन का निर्माण | 101.31 | 72.25 | 0.00 | 72.25 | 769.97 | (-)28.68 |
| | एकीकृत बाल संरक्षण योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,947.74 | 0.00 |
| | योग-102 | 763.55 | 72.25 | 1,220.90 | 1,293.15 | 45,414.89 | (+)69.36 |
| 103 | महिला कल्याण- | | | | | | |
| | महिला प्रशिक्षण संस्थान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.50 | 0.00 |
| | वन स्टाप केन्द्र का स्थापना एवं निदेशन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.22 | 0.00 |
| | नारी निकेतन भवन का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.79 | 0.00 |
| | योग-103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.51 | 0.00 |
| 106 | सुधारक सेवाएं- | | | | | | |
| | समाज कल्याण संस्थाओं का एकीकृत परिसर (माना केम्प) घरोंदा योजना | 154.16 | 80.06 | 0.00 | 80.06 | 389.18 | (-)48.06 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|--|--|----------------------------|--|---------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ख—सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | | |
| (च) | समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4235 | सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 02 | समाज कल्याण—जारी | | | | | | |
| 106 | सुधारक सेवाएं—समाप्त | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.13 | 0.00 |
| | योग—106 | 154.16 | 80.06 | 0.00 | 80.06 | 411.31 | (-)48.06 |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश— | | | | | | |
| | मध्य प्रदेश महिला वित्तीय निगम में अन्य निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 |
| | महिला सहकारी समिति को वित्तीय सहायता | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10 | 0.00 |
| | योग—190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.58 | 0.00 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.61 | 0.00 |
| | आंगनवाड़ियों भवनों का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 471.25 | 471.25 | 5,879.62 | (+)100.00 |
| | नेत्रहीन/बधीर एवं मूक के लिए शाला/विद्यालय का निर्माण | 0.00 | 24.97 | 0.00 | 24.97 | 448.58 | (+)100.00 |
| | परियोजना कार्यालय तथा अनुसंधान केन्द्र के लिए भवन का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 485.54 | 0.00 |
| | योग—789 | 0.00 | 24.97 | 471.25 | 496.22 | 7,301.35 | (+)100.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उप योजना— | | | | | | |
| | आंगनवाड़ी भवन का निर्माण तथा मरम्मत | 0.00 | 0.00 | 1,207.85 | 1,207.85 | 17,266.70 | (+)100.00 |
| | नेत्रहीन बधीर एवं मूक स्कूल तथा संस्थाएं | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326.48 | (-)100.00 |
| | परियोजना कार्यालय तथा अनुसंधान केन्द्र के लिए भवन का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| | आंगनवाड़ी भवन (नाबार्ड) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536.62 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / कमी (-) का प्रतिशत | |
|--|---|----------------------------|--|-----------------|---------------------------|---|------------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. / के.यो.सहित) | | | | |
| ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | | |
| (च) | समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा-समाप्त | | | | | | |
| 4235 | सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-समाप्त | | | | | | |
| 02 | समाज कल्याण-समाप्त | | | | | | |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उप योजना-समाप्त | | | | | | |
| | छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम की अंश पूंजी में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| | नारी निकेतन भवनों का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.79 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 634.11 | 0.00 |
| | योग-796 | 73.00 | 0.00 | 1,207.85 | 1,207.85 | 19,535.70 | (-)93.67 |
| 800 | अन्य व्यय- | | | | | | |
| | जिला सैनिक बोर्ड | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.50 | 0.00 |
| | संचालनालय महिला एवं बाल कल्याण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.98 | 0.00 |
| | एकीकृत सेवा योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.98 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.33 | 0.00 |
| | मध्य प्रदेश महिला वित्त निगम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.58 | 0.00 |
| | योग-800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 595.37 | 0.00 |
| | योग-02 | 991.88 | 184.12 | 2,900.00 | 3,084.12 | 74,099.78 | (+)210.93 |
| 60 | अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम- | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय- | | | | | | |
| | सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 914.97 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 |
| | योग-800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 925.97 | 0.00 |
| | योग-60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 925.97 | 0.00 |
| | योग-4235 | 991.88 | 184.12 | 2,900.00 | 3,084.12 | 76,339.79 | (+)210.93 |
| | योग-(च) सामाजिक कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा | 991.88 | 184.12 | 2,900.00 | 3,084.12 | 76,339.79 | (+)210.93 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|--|--|----------------------------|---|--------------|---------------------------|--|-----------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | | |
| (छ) | अन्य समाज सेवाओं का पूंजीगत लेखा- | | | | | | |
| 4250 | अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय- | | | | | | |
| 191 | श्रम सहकारिता | | | | | | |
| | वन एवं अन्य श्रमिक सहकारिता में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| | वन श्रमिक सहकारिता समिति में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
| | योग-191 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.00 |
| 201 | श्रम- | | | | | | |
| | प्रदेश में बीड़ी श्रमिकों के लिए आवास गृह का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.84 | 0.00 |
| 203 | रोजगार- | | | | | | |
| | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन तथा छात्रावास का निर्माण | 584.32 | 189.04 | 0.00 | 189.04 | 17,476.78 | (-)67.64 |
| | रोजगार कार्यालय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.40 | 0.00 |
| | आजीविका महाविद्यालय | 343.08 | 159.48 | 0.00 | 159.48 | 685.62 | (-)53.51 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.15 | 0.00 |
| | योग-203 | 927.40 | 348.52 | 0.00 | 348.52 | 18,750.95 | (-)62.41 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- | | | | | | |
| | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्यालय भवन का निर्माण | 136.77 | 70.89 | 0.00 | 70.89 | 1,589.52 | (-)48.17 |
| | श्रमिक सहकारिता में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
| | योग-789 | 136.77 | 70.89 | 0.00 | 70.89 | 1,589.94 | (-)48.17 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उप योजना- | | | | | | |
| | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्यालय भवन तथा छात्रावास का निर्माण | 1,298.79 | 568.66 | 19.26 | 587.92 | 17,585.36 | (-)54.73 |
| | आजीविका महाविद्यालय | 348.61 | 412.33 | 0.00 | 412.33 | 945.79 | (+)18.27 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.29 | (-)100.00 |
| | योग-796 | 1,653.51 | 980.99 | 19.26 | 1,000.25 | 18,770.44 | (-)39.51 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|--|---|----------------------------|---|------------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ख—सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—समाप्त | | | | | | | |
| (छ) | अन्य समाज सेवाओं का पूंजीगत लेखा—समाप्त | | | | | | |
| 4250 | अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय—समाप्त | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | | |
| | मंदिर एवं धार्मिक स्थलों के पास धर्मशाला आदि का निर्माण | 165.68 | 141.44 | 0.00 | 141.44 | 849.53 | (-)14.63 |
| | श्रमिक सहकारिता समिति में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.80 | 0.00 |
| | योग—800 | 165.68 | 141.44 | 0.00 | 141.44 | 881.18 | (-)14.63 |
| | योग—4250 | 2,883.36 | 1,541.84 | 19.26 | 1,561.10 | 40,374.09 | (-)45.86 |
| | योग—(छ)—अन्य समाज सेवाओं का पूंजीगत लेखा | 2,883.36 | 1,541.84 | 19.26 | 1,561.10 | 40,374.09 | (-)45.86 |
| | योग—ख—सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा | 1,77,378.78 | 1,59,923.26 | 31,309.52 | 1,91,232.78 | 20,41,628.93 | (+)7.81 |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा— | | | | | | |
| (क) | कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा— | | | | | | |
| 4401 | फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय— | | | | | | |
| 101 | कृषि सहकारिता— | | | | | | |
| | कृषि सहकारिता में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.55 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.00 |
| | योग—101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.91 | 0.00 |
| 103 | बीज— | | | | | | |
| | घटायें—पूंजीगत लेखे में प्राप्तियां और वसूलिया | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)0.73 | 0.00 |
| | बीज गुणक एवं वितरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663.32 | 0.00 |
| | मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं कृषि सहकारिता में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.19 | 0.00 |
| | मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.91 | 0.00 |
| | सहकारिता कृषि समिति | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 0.00 |
| | भूमिहीन कृषि सहकारिता समिति | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.01 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारित व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|---|----------------------------|---|-------------|---------------------------------|--|-------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| (क) | कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 4401 | फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-जारी | | | | | | |
| 103 | बीज-समाप्त | | | | | | |
| | संयुक्त कृषि समिति एवं प्रशिक्षण केन्द्र | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
| | मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 0.00 |
| | अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.49 | 0.00 |
| | योग-103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 995.63 | 0.00 |
| 104 | कृषि फार्म- | | | | | | |
| | कृषि कार्यालय भवन का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.98 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.69 | 0.00 |
| | योग-104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.67 | 0.00 |
| 105 | खाद तथा उर्वरक- | | | | | | |
| | इफको अमला उर्वरक | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | 0.00 |
| | अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.49 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.00 |
| | योग-105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.38 | 0.00 |
| 107 | वनस्पति संरक्षण | | | | | | |
| | एन.एम.ई.टी. सबमिशन ऑन प्लांट प्रोटेक्शन एण्ड क्वारंटाईन योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.61 | 0.00 |
| | मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.45 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.08 | 0.00 |
| | योग-107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.14 | 0.00 |
| 108 | वाणिज्यिक फसलें- | | | | | | |
| | एन.एम.एस.ए. स्वाइल हेल्थ मैनेजमेंट योजना | 136.40 | 0.00 | 27.69 | 27.69 | 407.23 | (-)79.70 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|--|---------------|---------------------------|---|------------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (क) | कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4401 | फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 113 | कृषि इंजीनियरी— | | | | | | |
| | अंबिका आलू उत्पादन विपणन समिति पलासा, इन्दौर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.71 | 0.00 |
| | सहकारिता कृषि समिति | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.44 | 0.00 |
| | कृषि मैकेनिज़म मिशन के अन्तर्गत कृषि उपकरण को अनुदान | 0.00 | 0.00 | 602.13 | 602.13 | 602.13 | (+)100.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 0.00 |
| | योग—113 | 0.00 | 0.00 | 602.13 | 602.13 | 637.72 | (+)100.00 |
| 119 | बागवानी तथा वनस्पति फसलें— | | | | | | |
| | राज भवन में मुख्य उद्यान का विकास | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 0.00 |
| | बागवानी विकास कार्यक्रम | 22.81 | 39.83 | 0.00 | 39.83 | 99.90 | (+)74.62 |
| | जवाहर लाल सहकारिता कृषि उत्पादन समिति, खरगौन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07 | 0.00 |
| | केला तथा फल विकास निगम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
| | निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.25 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.06 | 0.00 |
| | योग—119 | 22.81 | 39.83 | 0.00 | 39.83 | 220.99 | (+)74.62 |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश— | | | | | | |
| | छत्तीसगढ़ राज्य कृषि तथा बीज विकास निगम की अंश पूंजी में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| | निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | 0.00 |
| | योग—190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.46 | 0.00 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— | | | | | | |
| | एन.एम.एस.ए. स्वाइल हेल्थ मैनेजमेंट योजना | 22.65 | 0.00 | 6.66 | 6.66 | 54.20 | (-)70.59 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|---|---------------|---------------------------|--|------------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (क) | कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4401 | फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय—समाप्त | | | | | | |
| 794 | जनजाति उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता— | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.71 | 0.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उप योजना— | | | | | | |
| | एन.एम.एस.ए. स्वाइल हेल्थ मैनेजमेंट योजना | 94.73 | 0.00 | 22.26 | 22.26 | 282.83 | (-)76.50 |
| | निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.24 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.29 | 0.00 |
| | योग-796 | 94.73 | 0.00 | 22.26 | 22.26 | 409.36 | (-)76.50 |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | | |
| | आदिवासी कृषकों हेतु विशेष योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| | घटायें—पूंजीगत लेखों में प्राप्तियाँ और वसूलिया | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)0.01 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.88 | 0.00 |
| | योग-800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.87 | 0.00 |
| | योग-4401 | 276.59 | 39.83 | 658.74 | 698.57 | 3,179.27 | (+)152.56 |
| 4402 | मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय— | | | | | | |
| 102 | मृदा संरक्षण— | | | | | | |
| | मृदा संरक्षण एवं भूमि विकास | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.81 | 0.00 |
| | माइक्रो माइनर सिंचाई योजना | 533.21 | 942.14 | 0.00 | 942.14 | 4,091.94 | (+)76.69 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 865.14 | 0.00 |
| | योग-102 | 533.21 | 942.14 | 0.00 | 942.14 | 4,961.89 | (+)76.69 |
| 203 | भूमि सुधार तथा विकास— | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.81 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|---|----------------------------|---|-------------|---------------------------|--|-----------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (क) | कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4402 | मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय—समाप्त | | | | | | |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— | | | | | | |
| | माइक्रो माइनर सिंचाई योजना | 280.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 3,296.26 | (+)7.14 |
| | माइक्रो माइनर सिंचाई योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,454.82 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.13 | 0.00 |
| | योग—789 | 280.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 4,810.21 | (+)7.14 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना— | | | | | | |
| | वन विभाग के अधीनस्थो को बंदुक क्रय हेतु अग्रिम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,536.81 | 0.00 |
| | माइक्रो माइनर सिंचाई योजना | 967.90 | 1,249.63 | 0.00 | 1,249.63 | 10,956.84 | (+)29.10 |
| | घटायें—पूंजीगत लेखे में प्राप्तियां और वसूलिया | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)3.91 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 815.28 | 0.00 |
| | योग—796 | 967.90 | 1,249.63 | 0.00 | 1,249.63 | 14,305.02 | (+)29.10 |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | | |
| | माइक्रो माइनर सिंचाई योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,730.87 | 0.00 |
| | माइक्रो प्रबंधन कार्य योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 863.61 | 0.00 |
| | ग्यारहवें वित्त विभाग के आयोग के अनुसार प्रशासन का उन्नयन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.02 | 0.00 |
| | घटायें—पूंजीगत लेखे में प्राप्तियां और वसूलिया | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)0.07 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,405.29 | 0.00 |
| | योग—800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,377.72 | 0.00 |
| | योग—4402 | 1,781.11 | 2,491.77 | 0.00 | 2,491.77 | 36,457.65 | (+)39.90 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|--|-------------|---------------------------|---|-----------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (क) | कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4403 | पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय— | | | | | | |
| 001 | निर्देशन तथा प्रशासन— | | | | | | |
| | संचालक स्तरीय | 11.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.59 | (-)100.00 |
| 101 | पशु चिकित्सा सेवा तथा पशु स्वास्थ्य— | | | | | | |
| | पशु प्रजनन फार्म | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.96 | 0.00 |
| | पशुओं की बीमारी पर नियंत्रण | 116.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,840.79 | (-)100.00 |
| | पशु चिकित्सा भवन का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| | पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 643.85 | 0.00 |
| | अंजोरा पशु चिकित्सा महाविद्यालय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 |
| | पशु पालन | 118.80 | 7.33 | 0.00 | 7.33 | 459.54 | (-)93.83 |
| | पशु माता महामारी की रोकथाम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.72 | 0.00 |
| | पशु औषधालय एवं चिकित्सालय | 51.75 | 58.84 | 0.00 | 58.84 | 208.95 | (+)13.70 |
| | मध्य प्रदेश पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, भोपाल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.36 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.73 | 0.00 |
| | योग—101 | 287.15 | 66.17 | 0.00 | 66.17 | 3,381.11 | (-)76.96 |
| 102 | पशु तथा भैंस विकास— | | | | | | |
| | निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.18 | 0.00 |
| | अन्य योजनाएँ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.50 | 0.00 |
| | योग—102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.68 | 0.00 |
| 103 | कुक्कुट विकास— | | | | | | |
| | कुक्कुट विकास योजना | 118.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.28 | (-)100.00 |
| | मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.78 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|---|----------------------------|--|-------------|---------------------------|---|------------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (क) | कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4403 | पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 103 | कुक्कुट विकास—समाप्त | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.41 | 0.00 |
| | योग—103 | 118.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.47 | (-)100.00 |
| 104 | भेड़ तथा ऊन विकास— | | | | | | |
| | बकरी पालन फर्म की स्थापना एवं सुदृढीकरण | 24.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.05 | (-)100.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 0.00 |
| | योग—104 | 24.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.82 | (-)100.00 |
| 105 | सूअर—बाड़ा विकास— | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 104.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.54 | (-)100.00 |
| 109 | विस्तार एवं प्रशिक्षण— | | | | | | |
| | कामधेनु पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय | 1,500.00 | 618.71 | 0.00 | 618.71 | 3,643.71 | (-)58.75 |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश— | | | | | | |
| | अन्य निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.25 | 0.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना— | | | | | | |
| | पशु सेवार्ये तथा पशु स्वास्थ्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.78 | 0.00 |
| | पशु पालन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.40 | 0.00 |
| | मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, भोपाल में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.95 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.98 | 0.00 |
| | योग—796 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.11 | 0.00 |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | | |
| | बस्तर जिले में पशु विकास | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.25 | 0.00 |
| | पशु पालन के लिए भवन निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.65 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|--|-------------|---------------------------|---|------------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (क) | कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4403 | पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय—समाप्त | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय—समाप्त | | | | | | |
| | दुग्ध उत्पादन एवं अधोसंरचना | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.80 | (-)100.00 |
| | जिला एवं संभागीय स्तर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.73 | 0.00 |
| | रोग की जाँच | 76.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.02 | (-)100.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| | योग—800 | 95.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590.48 | (-)100.00 |
| | योग—4403 | 2,141.15 | 684.88 | 0.00 | 684.88⁶ | 8,370.76 | (-)68.01 |
| 4404 | डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय— | | | | | | |
| 102 | डेरी विकास परियोजनाएं— | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.57 | 0.00 |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश— | | | | | | |
| | दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.00 |
| | दुग्ध युनियन, इन्दौर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
| | मध्य प्रदेश दुग्ध महासंघ सहकारी मर्यादित, भोपाल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.17 | 0.00 |
| | योग—190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.48 | 0.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोगना— | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.82 | 0.00 |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | | |
| | निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.44 | 0.00 |
| | योग—4404 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.31 | 0.00 |

⁶ पूंजीगत सम्पत्तियों के निर्माण हेतु ₹ 618.71 लाख का व्यय सम्मिलित है।

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|---|-------------|---------------------------|--|------------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (क) | कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4405 | मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय— | | | | | | |
| 101 | अन्तर्देशीय मछली पालन— | | | | | | |
| | मत्स्य बीज उत्पादन | 50.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 595.04 | (+)50.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.88 | 0.00 |
| | योग—101 | 50.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 608.92 | (+)50.00 |
| 109 | विस्तार तथा प्रशिक्षण— | | | | | | |
| | मत्स्य महाविद्यालय कवर्धा हेतु अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.60 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.31 | 0.00 |
| | योग—109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.91 | 0.00 |
| 191 | मछुआ सहकारिताएं— | | | | | | |
| | मत्स्य पालन सहकारिता संघ में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 796 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— | | | | | | |
| | मत्स्य बीज उत्पादन | 60.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 552.32 | (+)25.00 |
| | अन्तर्देशीय मत्स्य उद्योग—मत्स्य बीज उत्पादन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.24 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.08 | 0.00 |
| | योग—796 | 60.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 614.64 | (+)25.00 |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | | |
| | मत्स्य पालन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.95 | 0.00 |
| | मत्स्य पालन महाविद्यालय कवर्धा के लिए अनुदान | 0.00 | 169.27 | 0.00 | 169.27 | 1,037.62 | (+)100.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 0.00 |
| | योग—800 | 0.00 | 169.27 | 0.00 | 169.27 | 1,111.74 | (+)100.00 |
| | योग—4405 | 110.00 | 319.27 | 0.00 | 319.27 | 2,360.43 | (+)190.25 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|---|---------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (क) | कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4406 | वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय— | | | | | | |
| 01 | वानिकी— | | | | | | |
| 070 | संचार तथा भवन— | | | | | | |
| | भवनो एवं सडकों का निर्माण | 240.22 | 295.41 | 0.00 | 295.41 | 3,980.35 | (+)22.97 |
| | राज्य वन अनुसंधान संस्थान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.07 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,739.14 | 0.00 |
| | योग—070 | 240.22 | 295.41 | 0.00 | 295.41 | 6,033.56 | (+)22.97 |
| 101 | वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण— | | | | | | |
| | एकीकृत वन सुरक्षा योजना | 251.78 | 0.00 | 242.54 | 242.54 | 6,870.99 | (-)3.67 |
| | बारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त सहायता अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,617.90 | 0.00 |
| | तेरहवें वित्त आयोग सहायता अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,995.79 | 0.00 |
| | क्षेत्रीय वन मण्डल | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 70.97 | (+)100.00 |
| | राज्य में वानिकी अनुसंधान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 0.00 |
| | निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.35 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 12.91 | 0.00 | 12.91 | 12.91 | (+)100.00 |
| | योग—101 | 251.78 | 42.91 | 242.54 | 285.44 | 13,598.07 | (+)13.36 |
| 102 | समाज तथा फार्म वानिकी— | | | | | | |
| | वनों में आधुनिक अग्नि सुरक्षा योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 0.00 |
| | साईजिंग और कलेण्डरिंग संयंत्र, जबलपुर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| | साईजिंग और कलेण्डरिंग संयंत्र, बुरहानपुर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 0.00 |
| | ग्वालियर साईजिंग संयंत्र | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| | वन साधन सहकारी समिति | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
| | नर्सरी का विकेन्द्रीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.45 | 0.00 |
| | योग—102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.31 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|--|--------------|---------------------------------|--|----------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (क) | कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4406 | वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 01 | वानिकी—जारी | | | | | | |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश— | | | | | | |
| | छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654.50 | 0.00 |
| | मध्य प्रदेश राज्य वन उपज एवं व्यापार संघ मर्यादित, भोपाल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.42 | 0.00 |
| | निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.17 | 0.00 |
| | योग—190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,658.09 | 0.00 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— | | | | | | |
| | एकीकृत वन सुरक्षा (संरक्षण) योजना | 48.59 | 0.00 | 84.07 | 84.07 | 132.66 | (+)73.01 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोगना— | | | | | | |
| | वन मार्गों पर रपटा एवं पुलिया निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,494.26 | 0.00 |
| | कर्मचारी कल्याण योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427.56 | 0.00 |
| | सडकों एवं भवनों का निर्माण | 878.04 | 811.37 | 0.00 | 811.37 | 13,992.84 | (-)7.59 |
| | वन उत्पादों के लिए गोदाम का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.83 | 0.00 |
| | निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557.53 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 46.79 | 0.00 | 91.38 | 91.38 | 138.17 | (+)95.29 |
| | योग—796 | 924.83 | 811.37 | 91.38 | 902.75 | 17,932.19 | (-)2.39 |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | | |
| | राज्य वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 913.60 | 0.00 |
| | प्रशासन का सुदृढीकरण | 14.97 | 17.60 | 0.00 | 17.60 | 91.38 | (+)17.56 |
| | वन अधोसंरचना का सर्वेक्षण एवं उपयोगिता | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.05 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|--|--------|---------------------------------|--|-------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (क) | कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4406 | वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय—समाप्त | | | | | | |
| 01 | वानिकी—समाप्त | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय—समाप्त | | | | | | |
| | निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 928.36 | 0.00 |
| | योग—800 | 14.97 | 17.60 | 0.00 | 17.60 | 1,951.39 | (+)17.56 |
| | योग—01 | 1,480.39 | 1,167.29 | 417.99 | 1,585.28 | 41,414.28 | (+)7.08 |
| 02 | पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव— | | | | | | |
| 110 | वन्य जीव | | | | | | |
| | तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त सहायता अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.51 | 0.00 |
| | प्रधान मुख्य संरक्षक (वन्यप्राणी) कार्यालय की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 0.00 |
| | राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य विकास | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.19 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 232.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.75 | (-)100.00 |
| | योग—110 | 232.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.65 | (-)100.00 |
| 111 | चिड़िया घर— | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 22.83 | 874.10 | 0.00 | 874.10 | 896.93 | (+)3,728.73 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना— | | | | | | |
| | सडकों एवं भवनों का निर्माण | 317.92 | 258.07 | 0.00 | 258.07 | 890.27 | (-)18.83 |
| | योग—02 | 573.50 | 1,132.17 | 0.00 | 1,132.17 | 2,134.85 | (+)97.41 |
| | योग—4406 | 2,053.89 | 2,299.46 | 417.99 | 2,717.45 | 43,549.13 | (+)32.30 |
| 4408 | खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत व्यय— | | | | | | |
| 01 | खाद्य— | | | | | | |
| 001 | अधिप्राप्ति तथा पूर्ति— | | | | | | |
| | उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ | 23.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.63 | (-)100.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|--|-------------|---------------------------|---|------------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. / के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (क) | कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4408 | खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत व्यय—जारी | | | | | | |
| 01 | खाद्य—समाप्त | | | | | | |
| 101 | अधिप्राप्ति तथा पूर्ति—अनाज आपूर्ति योजना— | | | | | | |
| | अनाज आपूर्ति योजना (सकल) से संबंधित अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,483.65 | 0.00 |
| | घटायें—पूंजीगत लेखे में प्राप्तियां और वसूलियां | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)8,523.00 | 0.00 |
| | योग—101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)39.35 | 0.00 |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश— | | | | | | |
| | छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 |
| | वर्षाकाल में पहुँच क्षेत्रों में खाद्यान्न भण्डारण हेतु सहायता | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.72 | 0.00 |
| | घटायें—पूंजीगत लेखे में प्राप्तियां और वसूलिया | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)45.73 | 0.00 |
| | योग—190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.99 | 0.00 |
| 195 | सहकारी समितियों में निवेश— | | | | | | |
| | राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.46 | 0.00 |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | | |
| | घटायें—पूंजीगत लेखे में प्राप्तियां और वसूलिया | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)53.15 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 11.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.74 | (-)100.00 |
| | योग—800 | 11.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)41.41 | (-)100.00 |
| | योग—01 | 35.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.32 | (-)100.00 |
| 02 | भंडारण तथा भांडागार— | | | | | | |
| 101 | ग्रामीण गोदाम कार्यक्रम— | | | | | | |
| | ग्रामीण गोदाम का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.87 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018—19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019—20 के दौरान व्यय | | योग | 2019—20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019—20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|---|----------------------------|---|-------------|---------------------------------|--|-------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (क) | कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4408 | खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत व्यय—जारी | | | | | | |
| 02 | भंडारण तथा भांडागार—जारी | | | | | | |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश— | | | | | | |
| | मध्य प्रदेश सहकारी विपणन समिति मर्यादित, नागपुर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.00 |
| | मध्य प्रदेश सहकारी विपणन समिति मर्यादित, जबलपुर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.00 |
| | क्षेत्रीय सहकारी विपणन समिति मर्यादित, जबलपुर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.32 | 0.00 |
| | क्षेत्रीय जनजाति सहकारी विपणन समिति मर्यादित, जबलपुर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.19 | 0.00 |
| | भांडागार समितियां | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426.05 | 0.00 |
| | अपेक्स विपणन संघ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.53 | 0.00 |
| | अतिरिक्त गोदामों का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.43 | 0.00 |
| | अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.92 | 0.00 |
| | छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352.56 | 0.00 |
| | छत्तीसगढ़ राज्य भंडारण निगम में पूंजी निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.92 | 0.00 |
| | खाद्यानों की खरीद | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.06 | 0.00 |
| | गोदाम का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| | घटायें—पूंजीगत परिव्यय पर प्राप्तियां एवं वसूलियां | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)236.14 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)11.84 | 0.00 |
| | योग—190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,681.75 | 0.00 |
| 195 | सहकारी समितियों में निवेश— | | | | | | |
| | नगर निगम क्षेत्र में भाण्डागार तथा उचित मूल्य दुकानों का निर्माण | 0.00 | 33.98 | 0.00 | 33.98 | 5,679.25 | (+)100.00 |
| | क्षेत्रीय विपणन समितियां | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.20 | 0.00 |
| | विभागीय भण्डार, उज्जैन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारित व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|---|----------------------------|--|-------------|---------------------------|---|------------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (क) | कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4408 | खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत व्यय—जारी | | | | | | |
| 02 | भंडारण तथा भांडागार—जारी | | | | | | |
| 195 | सहकारी समितियों में निवेश—समाप्त | | | | | | |
| | विभागीय भण्डार, शिवपुरी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| | थोक उपभोक्ता भण्डार, उज्जैन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
| | विश्वविद्यालय/डिग्री कॉलेज उपभोक्ता भण्डार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| | उपभोक्ता भण्डारों द्वारा सहकारी बाजारों की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.07 | 0.00 |
| | सामुहिक रसोई घर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| | उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.61 | 0.00 |
| | विभागीय भण्डार का स्वसेवा केन्द्र | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.25 | 0.00 |
| | सहकारी भण्डारों का विकास | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| | विद्यार्थी सहकारी स्टोर्स | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| | ग्रामीण तिलहन सहकारी समिति | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.59 | 0.00 |
| | फल एवं बीज मंडी क्षेत्र, इन्दौर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.96 | 0.00 |
| | अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.55 | 0.00 |
| | पुर्नगठन योजना अन्तर्गत सहकारी विपणन समितियों को अतिरिक्त अंशपूजी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.01 | 0.00 |
| | अंशपूजी आधारित प्राथमिक विपणन समितियों का सुदृढीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.47 ⁷ | 0.00 |
| | घटार्ये—पूंजीगत परिव्यय पर प्राप्तियां एवं वसूलियां | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)-1.60 | 0.00 |
| | बाजार विपणन संघ को गोदाम निर्माण हेतु सहायता | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.43 | 0.00 |
| | ग्रामीण क्षेत्र में दुकान सह गोदाम का निर्माण | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10 | 0.00 |
| | योग—195 | 15.10 | 33.98 | 0.00 | 33.98 | 6,325.72 | (+)125.03 |

⁷ सहकारी समितियों एवं बैंको की पूंजी निवृत्ति के कारण ₹ 0.83 लाख की कमी हुई है।

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|--|------|---------------------------|---|-----------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (क) | कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4408 | खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत व्यय—समाप्त | | | | | | |
| 02 | भंडारण तथा भांडागार—समाप्त | | | | | | |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— | | | | | | |
| | ग्रामीण क्षेत्र में दुकान सह गोदाम का निर्माण | 3.62 | 8.15 | 0.00 | 8.15 | 11.77 | (+)125.13 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोगना— | | | | | | |
| | गोदामों का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.58 ⁸ | 0.00 |
| | ग्रामीण क्षेत्र में दुकान सह गोदाम का निर्माण | 11.48 | 25.82 | 0.00 | 25.82 | 37.30 ⁹ | (+)124.91 |
| | योग—796 | 11.48 | 25.82 | 0.00 | 25.82 | 48.88 | (+)124.91 |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.99 | 0.00 |
| | घटायें—पूंजीगत लेखे में प्राप्तियां और वसूलिया | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)44.53 | 0.00 |
| | योग—800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.46 | 0.00 |
| 911 | अधिक भुगतान की वसूली— | (-)3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)3.92 | (+)100.00 |
| | योग—02 | 26.28 | 67.95 | 0.00 | 67.95 | 8,239.53 | (+)158.56 |
| | योग—4408 | 61.65 | 67.95 | 0.00 | 67.95 | 8,329.85 ¹⁰ | (+)10.22 |
| 4415 | कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय— | | | | | | |
| 01 | फसल कृषि कर्म— | | | | | | |
| 004 | अनुसंधान | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.56 | 0.00 |
| 277 | शिक्षा— | | | | | | |
| | कृषि महाविद्यालय की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.39 | 0.00 |
| | इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय | 1,064.00 | 1,792.00 | 0.00 | 1,792.00 | 4,166.00 | (+)68.42 |

⁸ ₹ 11.48 लाख की कमी हुई। यह राशि "ग्रामीण क्षेत्र में दुकान सह गोदाम का निर्माण" से संबंधित है जो वर्ष 2018-19 में त्रुटिपूर्वक इस लाइन आइटम के विरुद्ध दर्शाया गया था।

⁹ ₹ 11.48 लाख की वृद्धि हुई। यह राशि वर्ष 2018-19 में त्रुटिपूर्वक "गोदाम का निर्माण" के लाइन आइटम के विरुद्ध दर्शाया गया था।

¹⁰ सहकारी समितियों एवं बैंकों की पूंजी निवृत्ति के कारण ₹ 0.83 लाख की कमी हुई है।

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारित व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|--|------|---------------------------|---|-----------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| (क) | कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 4415 | कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय-समाप्त | | | | | | |
| 01 | फसल कृषि कर्म-समाप्त | | | | | | |
| 277 | शिक्षा-समाप्त | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.40 | 0.00 |
| | योग-277 | 1,064.00 | 1,792.00 | 0.00 | 1,792.00 | 4,230.79 | (-)68.42 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- | | | | | | |
| | इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय | 125.00 | 62.50 | 0.00 | 62.50 | 385.50 | (-)50.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोगना- | | | | | | |
| | इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय | 375.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 1,375.00 | (+)100.00 |
| | योग-01 | 1,564.00 | 2,604.50 | 0.00 | 2,604.50 | 6,010.85 | (+)66.53 |
| | योग-4415 | 1,564.00 | 2,604.50 | 0.00 | 2,604.50 | 6,010.85 | (+)66.53 |
| 4425 | सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय- | | | | | | |
| 001 | निदेशन तथा प्रशासन- | | | | | | |
| | घटायें-पूंजीगत लेखे में प्राप्तियां और वसूलिया | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)0.58 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 29.88 | 0.00 | 29.88 | 29.88 | (+)100.00 |
| | योग-001 | 0.00 | 29.88 | 0.00 | 29.88 | 29.30 | (+)100.00 |
| 106 | बहुउद्देशीय ग्रामीण सहकारी समितियों में निवेश- | | | | | | |
| | घटायें-पूंजीगत लेखे में प्राप्तियां और वसूलिया | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)17.51 | 0.00 |
| 107 | क्रेडिट सहकारी समितियों में निवेश- | | | | | | |
| | एकीकृत सहकारी विकास परियोजना रायगढ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.56 ¹¹ | 0.00 |
| | एकीकृत सहकारी विकास परियोजना जशपुर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.05 ¹² | 0.00 |
| | कृषक सहकारी संस्थाओं को मार्जिन मनी सहायता | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)4.15 | 0.00 |

¹¹ सहकारी समितियाँ एवं बैंको की पूंजी निवृत्ति के कारण ₹ 2.50 लाख की कमी हुई है।

¹² सहकारी समितियाँ एवं बैंको की पूंजी निवृत्ति के कारण ₹ 5.00 लाख की कमी हुई है।

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत |
|----------------|---|----------------------------|---|------|---------------------------|--|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | |
| (क) | कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | |
| 4425 | सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | |
| 107 | क्रेडिट सहकारी समितियों में निवेश—जारी | | | | | |
| | क्षेत्रिय ग्रामीण बैंकों की अंश पूंजी में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,073.64 |
| | राज्य सहकारी कृषि और ग्राम विकास बैंक, रायपुर की अंश पूंजी में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 ¹³ |
| | प्राथमिक कृषि साख समितियों/कृषक सेवा/ बड़ी सहकारी समितियों की अंश पूंजी में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.26 ¹⁴ |
| | प्राथमिक कृषि साख समितिया की अंश पूंजी में निवेश (राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.64 ¹⁵ |
| | केन्द्रीय सहकारी बैंकों की अंश पूंजी में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.33 |
| | दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 832.50 |
| | भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| | छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 757.16 ¹⁶ |
| | दि बैंक ऑफ देवास मर्यादित, देवास | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| | केन्द्रीय सहकारी बैंक | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.35 |
| | मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.86 |
| | प्राथमिक भूमि विकास बैंक मर्यादित, मध्य प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.71 |
| | मध्य प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक मर्यादित, भोपाल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.51 |
| | मदंसौर वाणिज्यिक सहकारी बैंक मर्यादित, मदंसौर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |

¹³ सहकारी समितियों एवं बैंक की पूंजी निवृत्ति के कारण ₹ 20.00 लाख की कमी हुई है।

¹⁴ सहकारी समितियों एवं बैंक की पूंजी निवृत्ति के कारण ₹ 19.22 लाख की कमी हुई है। वर्ष 2018-19 के वित लेखे में स्पष्ट रूप में दर्शाया ग्राम सेवा सहकारी समितियां एवं बहुउद्देशीय समितियां से संबंधित ₹ 225.50 लाख एवं ₹ 62.27 लाख सम्मिलित है।

¹⁵ सहकारी समितियों एवं बैंक की पूंजी निवृत्ति के कारण ₹ 32.89 लाख की कमी हुई है।

¹⁶ सहकारी समितियों एवं बैंक की पूंजी निवृत्ति के कारण ₹ 114.98 लाख की कमी हुई है।

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत |
|----------------|--|----------------------------|--|-------------|---------------------------|---|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | |
| (क) | कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | |
| 4425 | सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | |
| 107 | क्रेडिट सहकारी समितियों में निवेश—समाप्त | | | | | |
| | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होशंगाबाद, बिलासपुर, रायपुर, रीवां सीधी, टीकमगढ़, छतरपुर और सतना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 733.38 |
| | नगर सहकारी बैंक शिवपुरी, रायपुर और बैतूल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
| | साईजिंग और कलेण्डरिंग संयंत्र बुरहानपुर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.92 |
| | एकीकृत विकास परियोजना, नरसिंहपुर, राजगढ़, रायसेन, खरगौन, बस्तर, रतलाम, छिंदवाड़ा, भिण्ड और रायपुर, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451.47 ¹⁷ |
| | लीड/लिक सहकारी समितियों को सहायता | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | मध्य प्रदेश राज्य सहकारी ग्रामीण संघ मर्यादित | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 |
| | कमजोर वर्गों की सहकारी समितियां | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 |
| | अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.74 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 |
| | योग—107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,922.35 |
| 108 | अन्य सहकारी समितियों में निवेश— | | | | | |
| | महामाया सहकारी शक्कर कारखाना में निवेश | 202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,953.76 |
| | भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना में निवेश | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,370.20 |
| | लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारिता शक्कर कारखाना, पंडरिया | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,160.00 |
| | जिला सहकारी बैंक बिलासपुर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 865.00 |
| | एकीकृत सहकारी विकास परियोजना रायपुर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ¹⁸ |

¹⁷ ₹ 24.64 लाख की कमी की गयी। यह राशि एकीकृत सहकारी विकास परियोजना रायपुर के वर्ष 2001-02 में (₹ 21.64 लाख) एवं वर्ष 2016-17 (₹ 3.00 लाख) में निवेश की वापसी से संबंधित है एवं मुख्यशीर्ष 4425-108 के अन्तर्गत दर्शाया गया था।

¹⁸ ₹ 24.64 लाख की वृद्धि। यह राशि वर्ष 2001-02 में (₹ 21.64 लाख) एवं वर्ष 2016-17 (₹ 3.00 लाख) में निवेश की वापसी से संबंधित है एवं मुख्यशीर्ष 4425-107 के अन्तर्गत एकीकृत विकास परियोजना नरसिंहपुर, राजगढ़, रायसेन, खरगौन, बस्तर, रतलाम, छिंदवाड़ा, भिण्ड एवं रायपुर के विरुद्ध दर्शाया गया है।

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|--|------|---------------------------|---|------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेंवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (क) | कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4425 | सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 108 | अन्य सहकारी समितियों में निवेश—जारी | | | | | | |
| | विपणन सहकारी समितियाँ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.18 ¹⁹ | 0.00 |
| | प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियाँ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,310.32 ²⁰ | 0.00 |
| | एकीकृत सहकारी विकास परियोजना जिला रायगढ़ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.24 | 0.00 |
| | उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)5.75 | 0.00 |
| | एकीकृत सहकारी विकास परियोजना, बस्तर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)13.83 ²¹ | 0.00 |
| | घटायें—पूंजीगत लेखे में प्राप्तियां और वसूलिया | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)376.42 | 0.00 |
| | विपणन समितियां | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.60 | 0.00 |
| | मध्य प्रदेश राज्य विपणन संघ, भोपाल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.21 | 0.00 |
| | प्राथमिक विपणन समितियां | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.41 | 0.00 |
| | सहकारी चावल मिल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.98 | 0.00 |
| | चावल, चोकर, तेल इकाई, दुर्ग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.55 | 0.00 |
| | संसाधन समितियां | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.12 | 0.00 |
| | शीत भंडार गृह संयंत्र सहकारी समितियां | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.08 | 0.00 |
| | सोलवेंट एक्सट्रैशन संयंत्र, दुर्ग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10 | 0.00 |
| | सोलवेंट एक्सट्रैशन स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |

¹⁹ सहकारी समितियाँ एवं बैंक की पूंजी निवृत्ति के कारण ₹ 0.27 लाख की कमी हुई है।

²⁰ सहकारी समितियाँ एवं बैंक की पूंजी निवृत्ति के कारण ₹ 89.57 लाख की कमी हुई है। वर्ष 2018-19 के वित लेखे में स्पष्ट रूप में दर्शया प्राथमिक कृषि साख समितियां एवं आदिम सेवा सहकारी समितियां से संबंधित ₹ 1,005.04 लाख एवं ₹ 363.75 लाख सम्मिलित है।

²¹ सहकारी समितियाँ एवं बैंक की पूंजी निवृत्ति के कारण ₹ 1.97 लाख की कमी हुई है।

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|---|----------------------------|---|------|---------------------------------|--|------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (क) | कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4425 | सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 108 | अन्य सहकारी समितियों में निवेश—जारी | | | | | | |
| | मध्य प्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ, भोपाल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,013.10 | 0.00 |
| | साबुन फैक्ट्री दुर्ग की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 0.00 |
| | वनस्पति कॉम्पलेक्स स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.97 | 0.00 |
| | सोयाबीन प्रसंस्करण संयंत्र छिंदवाड़ा की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.18 | 0.00 |
| | मुरैना मस्टर्ड कॉम्पलेक्स | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.49 | 0.00 |
| | सिहोर में तेल शोधक की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.21 | 0.00 |
| | महाकाल सहकारी शीत गृह उज्जैन एवं मां चामुन्डा सहकारी शीत गृह | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.85 | 0.00 |
| | मालवा सहकारी शक्कर कारखाना बरलाई जिला इन्दौर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.26 | 0.00 |
| | नवल सिंह सहकारी शक्कर कारखाना, बुरहानपुर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.03 | 0.00 |
| | मध्य प्रदेश सहकारी शक्कर महासंघ मर्यादित, भोपाल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 |
| | भारत सहकारी कताई कारखाना मर्यादित, जबलपुर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 0.00 |
| | रतलाम सहकारी जवाहर स्मारक कताई कारखाना मर्यादित, रतलाम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 0.00 |
| | सहकारी कताई कारखाना मर्यादित, बुरहानपुर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.27 | 0.00 |
| | सहकारी कताई मिल खरगोन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.01 | 0.00 |
| | सहकारी सूती मिलों की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.97 | 0.00 |
| | थोक उपभोक्ता सहकारी भंडार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.72 ²² | 0.00 |
| | मध्य प्रदेश थोक उपभोक्ता सहकारी भंडार संघ, भोपाल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.12 | 0.00 |

²² सहकारी समितियों एवं बैंक की पूंजी निवृत्ति के कारण ₹ 0.30 लाख की कमी हुई है।

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत |
|----------------|---|----------------------------|---|-------------|---------------------------|--|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | |
| (क) | कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | |
| 4425 | सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | |
| 108 | अन्य सहकारी समितियों में निवेश—समाप्त | | | | | |
| | बागवानी सहकारी समिति | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | सायकल रिक्शा चालक सहकारी समितियां | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | कस्टम हाईरिंग केन्द्रों की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| | अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 |
| | योग—108 | 702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)100.00 |
| 200 | अन्य निवेश— | | | | | |
| | घटार्ये—पूंजीगत लेखे में प्राप्तियां और वसूलिया | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)1.95 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)14.55 |
| | योग—200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)16.50 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— | | | | | |
| | प्राथमिक कृषि साख कृषक सेवा को पूंजी आधार सुदृढीकरण हेतु शेयर पूंजी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.33 ²³ |
| | बहुउद्देशीय सहकारी समिति में बड़े पैमाने पर अंश पूंजी निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.06 |
| | लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना, पंडरिया | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,810.00 |
| | प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों/कृषकों को बड़े पैमाने पर अंश पूंजी निवेश | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 353.45 ²⁴ |
| | निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.36 |
| | योग—789 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | (+)100.00 |

²³ सहकारी समितियों एवं बैंक की पूंजी निवृत्ति के कारण ₹ 3.32 लाख की कमी हुई है।

²⁴ सहकारी समितियों एवं बैंक की पूंजी निवृत्ति के कारण ₹ 26.11 लाख की कमी हुई है।

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|---|-------------|---------------------------------|--|-------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (क) | कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4425 | सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 794 | जनजाति उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता— | | | | | | |
| | बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की अंश पूंजी में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 0.00 |
| | अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.23 | 0.00 |
| | योग—794 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.62 | 0.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना— | | | | | | |
| | विपणन सहकारी समितियाँ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.15 | 0.00 |
| | प्राथमिक कृषि साख समितियाँ/कृषको/बहु- उद्देशीय सहकारी समितियों की अंश पूंजी में निवेश | 0.00 | 118.00 | 0.00 | 118.00 | 559.95 ²⁵ | (+)100.00 |
| | अनुसूचित जनजाति सहकारी समितियाँ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.64 | 0.00 |
| | भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| | लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना, पंडरिया में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 |
| | जिला सहकारी बैंक अंबिकापुर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.10 ²⁶ | 0.00 |
| | केन्द्रीय सहकारी बैंकों की अंश पूंजी में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.10 ²⁷ | 0.00 |
| | महामाया सहकारी शक्कर कारखाना में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,806.00 ²⁸ | 0.00 |
| | दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 |
| | सोयाबीन कॉम्प्लेक्स की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 727.08 | 0.00 |
| | मुरैना मण्डल सहकारी शक्कर कारखाना, मर्यादित, केलारस | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.59 | 0.00 |
| | कृषक सहकारी शक्कर कारखाना नारायणपुर, गुना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.05 | 0.00 |

²⁵ सहकारी समितियाँ एवं बैंक की पूंजी निवृत्ति के कारण ₹ 82.67 लाख की कमी हुई है।

²⁶ सहकारी समितियाँ एवं बैंक की पूंजी निवृत्ति के कारण ₹ 10.00 लाख की कमी हुई है।

²⁷ सहकारी समितियाँ एवं बैंक की पूंजी निवृत्ति के कारण ₹ 60.90 लाख की कमी हुई है।

²⁸ ₹ 1,700.00 लाख का अंशपूंजी निवेश सम्मिलित है। यह राशि वर्ष 2007-08 में केन्द्रीय सहकारी बैंक के विरुद्ध दर्शायी गई थी।

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|--|----------|---------------------------|---|-----------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (क) | कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा—समाप्त | | | | | | |
| 4425 | सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय—समाप्त | | | | | | |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोगना—समाप्त | | | | | | |
| | कृषि विपणन सहकारी समितियां, भोपाल के लिए सर्विसिंग तथा मरम्मत | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |
| | निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.91 | 0.00 |
| | योग—796 | 0.00 | 118.00 | 0.00 | 118.00 | 7,269.74 | (+)100.00 |
| | योग—4425 | 702.00 | 167.88 | 0.00 | 167.88 | 29,184.51 ²⁹ | (-)76.08 |
| 4435 | अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय— | | | | | | |
| 01 | विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण— | | | | | | |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश— | | | | | | |
| | निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.45 | 0.00 |
| | प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.36 | 0.00 |
| | योग—190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.81 | 0.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोगना— | | | | | | |
| | राज्य मशीन ट्रैक्टर भाग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.55 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0.00 |
| | योग—796 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.16 | 0.00 |
| | योग—01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.97 | 0.00 |
| 60 | अन्य— | | | | | | |
| | राज्य मशीन ट्रैक्टर भाग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.06 | 0.00 |
| | योग—4435 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.03 | 0.00 |
| योग—(क) | कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा | 8,690.39 | 8,675.54 | 1,076.72 | 9,752.26 | 1,37,866.57 | (+)12.21 |

²⁹ ₹ 469.70 लाख की कमी की गयी। वर्ष 2019-20 में सहकारी समितियों एवं बैंक की पूंजी निवृत्ति के कारण ₹ 469.03 लाख की कमी हुई एवं वर्ष 2013-14 में ₹ 0.67 लाख की सहकारी समितियों एवं बैंक की पूंजी निवृत्ति मुख्यशीर्ष 6425 के अन्तर्गत त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के सुधार के कारण कम की गयी।

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारित व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|--|-----------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (ख) | ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा— | | | | | | |
| 4515 | अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय— | | | | | | |
| 101 | पंचायती राज— | | | | | | |
| | भवन निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790.00 | 0.00 |
| | पंचायत राज वित्त निगम में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.45 | 0.00 |
| | पंचायती राज प्रशिक्षण शाला | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335.60 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.72 | (-)100.00 |
| | योग—101 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,138.77 | (-)100.00 |
| 102 | सामुदायिक विकास— | | | | | | |
| | सामुदायिक विकास | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.88 | 0.00 |
| | सामुदायिक विकास परियोजना (सकल) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.37 | 0.00 |
| | घटायें—पूंजीगत लेखे पर प्राप्तियां एवं वसूलियां | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)14.86 | 0.00 |
| | निवल व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.51 | 0.00 |
| | संसद आदर्श ग्राम योजना | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 973.15 | (+)100.00 |
| | भवन निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 672.53 | 0.00 |
| | गांव की गलियों का आंतरिक विद्युतीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,184.93 | 0.00 |
| | विधायक आदर्श ग्राम योजना | 0.00 | 485.00 | 0.00 | 485.00 | 1,253.36 | (+)100.00 |
| | ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा | 17.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.55 | (-)100.00 |
| | श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी मिशन | 2,591.67 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 11,325.01 | (-)30.55 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 76.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.38 | (-)100.00 |
| | योग—102 | 2,686.49 | 985.00 | 1,800.00 | 2,785.00 | 15,646.30 | (+)3.67 |
| 103 | ग्राम विकास— | | | | | | |
| | छत्तीसगढ़ गौरव और हमारा छत्तीसगढ़ योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,737.45 | 0.00 |
| | ग्राम विकास योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,558.00 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारित व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|--|-------------|---------------------------|--|-----------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (ख) | ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4515 | अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 103 | ग्राम विकास—समाप्त | | | | | | |
| | मुख्यमंत्री ग्राम विकास योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,048.65 | 0.00 |
| | छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास कार्यक्रम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,889.71 | 0.00 |
| | ग्राम गौरव योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.50 | 0.00 |
| | विधान सभा चुनाव क्षेत्र विकास योजना | 5,096.79 | 10,160.64 | 0.00 | 10,160.64 | 40,330.41 | (+)99.35 |
| | विकास आयुक्त | 5.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.72 | (-)100.00 |
| | मध्य प्रदेश स्थानीय क्षेत्र विकास योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 863.65 | 0.00 |
| | योग—103 | 5,102.66 | 10,160.64 | 0.00 | 10,160.64 | 67,948.09 | (+)99.12 |
| 196 | जिला पंचायत को सहायता— | | | | | | |
| | मुख्य मंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654.49 | 0.00 |
| 198 | ग्राम पंचायत को सहायता— | | | | | | |
| | मुख्य मंत्री समग्र ग्राम विकास योजना | 11,497.84 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 75,730.45 | (-)47.82 |
| | अटल समरस्ता भवन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,244.25 | 0.00 |
| | छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण तथा पिछड़ा वर्ग का विकास | 6,262.04 | 6,137.29 | 0.00 | 6,137.29 | 34,427.70 | (-)1.99 |
| | ज्यादा जनसंख्या वाले गांवों में मिनी स्टेडियम का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,118.35 | 0.00 |
| | गांव की गलियों का आंतरिक विद्युतीकरण | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 4,800.00 | (+)100.00 |
| | योग—198 | 17,759.88 | 12,437.29 | 0.00 | 12,437.29 | 1,18,320.75 | (-)29.97 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— | | | | | | |
| | मुख्यमंत्री ग्राम विकास योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,122.60 | 0.00 |
| | मुख्य मंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.08 | 0.00 |
| | छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास कार्यक्रम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,556.00 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारित व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|--|-------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (ख) | ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4515 | अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—समाप्त | | | | | | |
| | ग्राम विकास योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 828.00 | 0.00 |
| | लोक सहकारी योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 978.07 | 0.00 |
| | छत्तीसगढ़ गौरव एवं हमारा छत्तीसगढ़ योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.00 | 0.00 |
| | विधायकों की स्वविवेक राशि | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.26 | 0.00 |
| | विधान सभा चुनाव क्षेत्र विकास योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.60 | 0.00 |
| | विधान सभा क्षेत्र विकास योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,812.75 | 0.00 |
| | विधायक क्षेत्र विकास निधि | 992.51 | 1,990.73 | 0.00 | 1,990.73 | 7,652.04 | (+)100.57 |
| | ग्राम गौरव योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 |
| | छत्तीसगढ़ स्थानीय विकास योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 636.22 | 0.00 |
| | अटल समरसता भवन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 |
| | मुख्य मंत्री समग्र ग्राम विकास योजना | 7,600.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 32,011.91 | (-)47.37 |
| | ज्यादा जनसंख्या वाले गांवों में मिनी स्टेडियम का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.67 | 0.00 |
| | श्यामा प्रसाद मुखर्जी अरबन मिशन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,178.00 | 0.00 |
| | गांव की गलियों का आंतरिक विद्युतीकरण | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.66 | 0.00 |
| | योग-789 | 8,592.51 | 6,190.73 | 0.00 | 6,190.73 | 56,933.86 | (-)27.95 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना— | | | | | | |
| | मुख्यमंत्री ग्राम विकास योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,590.00 | 0.00 |
| | मुख्य मंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497.41 | 0.00 |
| | छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास कार्यक्रम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,835.04 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|--|-----------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (ख) | ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4515 | अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना—समाप्त | | | | | | |
| | विधान सभा चुनाव क्षेत्र विकास योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 779.21 | 0.00 |
| | लोक सहकारिता योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,285.45 | 0.00 |
| | ग्राम विकास योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,684.80 | 0.00 |
| | छत्तीसगढ़ गौरव एवं हमारा छत्तीसगढ़ योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,090.00 | 0.00 |
| | विधान सभा क्षेत्र विकास योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,425.83 | 0.00 |
| | सांसद क्षेत्र विकास निधि | 2,854.15 | 5,745.65 | 0.00 | 5,745.65 | 23,232.44 | (+)101.31 |
| | विधायको की स्वविवेक राशि | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.10 | 0.00 |
| | छत्तीसगढ़ स्थानीय विकास योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,066.07 | 0.00 |
| | ग्राम गौरव योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.98 | 0.00 |
| | भवन निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| | अटल समरसता भवन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.00 | 0.00 |
| | मुख्य मंत्री सामग्र ग्राम विकास योजना | 19,003.22 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 78,250.43 | (-)47.38 |
| | 3000 जनसंख्या वाले गांवों में मिनी स्टेडियम का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.35 | 0.00 |
| | श्यामा प्रसाद मुखर्जी अरबन मिशन | 2,861.00 | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 10,830.33 | (-)5.63 |
| | गांव की गलियों का आंतरिक विद्युतीकरण | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 4,399.99 | (+)100.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,733.31 | (-)100.00 |
| | योग—796 | 24,721.03 | 16,245.65 | 2,700.00 | 18,945.65 | 1,66,810.74 | (-)23.36 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|--|-----------------|-------------------------------|--|-----------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेंवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (ख) | ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा—समाप्त | | | | | | |
| 4515 | अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय—समाप्त | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | | |
| | प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,296.35 | 0.00 |
| | लोक सहकारी योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,103.19 | 0.00 |
| | राज्य विधान सभा चुनाव क्षेत्र विकास योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,733.52 | 0.00 |
| | छत्तीसगढ़ स्थानीय विकास योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,117.74 | 0.00 |
| | घटायें—पूंजीगत लेखे में प्राप्तियां और वसूलिया | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)4.91 | 0.00 |
| | विधायक क्षेत्र विकास निधि | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,354.90 | 0.00 |
| | भारत भवन न्यास में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.62 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,680.58 | 0.00 |
| | योग—800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,307.99 | 0.00 |
| 911 | अधिक भुगतान की वसूली— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)13.07 | 0.00 |
| | योग—4515 | 58,868.29 | 46,019.31 | 4,500.00 | 50,519.31³⁰ | 4,83,747.92 | (-)14.18 |
| | योग—(ख)—ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा | 58,868.29 | 46,019.31 | 4,500.00 | 50,519.31 | 4,83,747.92 | (-)14.18 |
| (घ) | सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा— | | | | | | |
| 4700 | वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय— | | | | | | |
| 01 | हसदेव बांगो परियोजना— | | | | | | |
| 001 | निदेशन और प्रशासन— | 4,054.65 | 4,027.01 | 0.00 | 4,027.01 | 42,966.81 | (-)0.68 |
| 052 | मशीनरी तथा उपस्कर— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.96 | 0.00 |
| 789 | अनुसूचित जन जातियों हेतु विशेष घटक योजना— | | | | | | |
| | बोध तथा सम्बद्ध कार्य | 450.34 | 128.95 | 0.00 | 128.95 | 13,207.02 | (-)71.37 |

³⁰ पूंजीगत सम्पत्तियों के निर्माण हेतु ₹ 31,637.73 लाख का व्यय सम्मिलित है।

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत |
|----------------|---|----------------------------|--|------|---------------------------|--|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | |
| (घ) | सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | |
| 4700 | वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | |
| 01 | हसदेव बांगो परियोजना—समाप्त | | | | | |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना— | | | | | |
| | बाँध तथा सम्बद्ध कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 902.20 | 0.00 |
| 799 | उचंत— | (-)3.15 | 0.00 | 0.00 | 123.57 | (-)100.00 |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | |
| | बाँध तथा सम्बद्ध कार्य | 2,877.39 | 1,524.90 | 0.00 | 1,524.90 | (-)47.00 |
| | बाँध सुरक्षा तथा सुदृढीकरण | 0.00 | 3.88 | 0.00 | 475.85 | (+)100.00 |
| | योग—800 | 2,877.39 | 1,528.78 | 0.00 | 1,94,421.04 | (-)46.86 |
| | योग—01 | 7,379.23 | 5,684.74 | 0.00 | 2,51,660.60 | (-)22.96 |
| 02 | महानदी परियोजना समूह— | | | | | |
| 001 | निदेशन तथा प्रशासन— | | | | | |
| | स्थापना व्यय | 9,175.82 | 9,549.20 | 0.00 | 84,416.09 | (+)4.06 |
| 052 | मशीनरी तथा उपस्कर— | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 438.31 | (+)100.00 |
| 789 | अनुसूचित जन जातियों हेतु विशेष घटक योजना— | | | | | |
| | बाँध तथा सम्बद्ध कार्य | 1,649.15 | 1,247.18 | 0.00 | 20,827.52 | (-)24.37 |
| 799 | उचंत— | (-)1.17 | 0.00 | 0.00 | (-)44.54 | (-)100.00 |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | |
| | बाँध तथा सम्बद्ध कार्य | 1,848.34 | 2,277.86 | 0.00 | 63,195.69 | (+)23.24 |
| | वृहद सिंचाई परियोजना (नाबार्ड) | 9,697.24 | 3,149.42 | 0.00 | 31,859.78 | (-)67.52 |
| | बाँध सुरक्षा तथा सुदृढीकरण | 554.25 | 383.56 | 0.00 | 6,774.97 | (-)30.80 |
| | योग—800 | 12,099.83 | 5,810.84 | 0.00 | 1,01,830.44 | (-)51.98 |
| | योग—02 | 22,923.63 | 16,609.88 | 0.00 | 2,07,467.82 | (-)27.54 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत |
|----------------|---|----------------------------|--|------|---------------------------|---|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | |
| (घ) | सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | |
| 4700 | वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | |
| 03 | साँदूर परियोजना— | | | | | |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोगना— | | | | | |
| | निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 0.00 |
| | बाँध तथा सम्बद्ध कार्य | 133.43 | 1,457.83 | 0.00 | 24,962.22 | (+)992.58 |
| | बाँध सुरक्षा तथा सुदृढीकरण | 0.96 | 95.36 | 0.00 | 1,610.38 | (+)9,833.33 |
| | योग—796 | 134.39 | 1,553.19 | 0.00 | 26,582.10 | (+)1,055.73 |
| 800 | अन्य व्यय— | 1,203.35 | 1,097.18 | 0.00 | 6,484.10 | (-)8.82 |
| | योग—03 | 1,337.74 | 2,650.37 | 0.00 | 33,066.20 | (+)98.12 |
| 04 | कोडार परियोजना— | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय | | | | | |
| | बाँध तथा सम्बद्ध कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,797.90 | 0.00 |
| | वृहद सिंचाई परियोजना | 427.33 | 970.67 | 0.00 | 1,414.39 | (+)127.14 |
| | योग—800 | 427.33 | 970.67 | 0.00 | 6,212.29 | (+)127.14 |
| 911 | अधिक भुगतान की वसूली | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)24.87 | 0.00 |
| | योग—04 | 427.33 | 970.67 | 0.00 | 6,187.42 | (+)127.14 |
| 05 | तांदुला परियोजना— | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | |
| | निर्माण कार्य | 1,455.88 | 1,009.06 | 0.00 | 36,508.50 | (-)30.69 |
| | बाँध सुरक्षा तथा सुदृढीकरण | 52.14 | 7.65 | 0.00 | 697.36 | (-)85.32 |
| | योग—800 | 1,508.02 | 1,016.71 | 0.00 | 37,205.86 | (-)32.57 |
| | योग—05 | 1,508.02 | 1,016.71 | 0.00 | 37,205.86 | (-)32.57 |
| 06 | पैरी परियोजना— | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय | 1,951.57 | 2,142.30 | 0.00 | 17,894.72 | (+)9.77 |
| 07 | जोंक परियोजना— | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय | 2,004.45 | 0.00 | 0.00 | 14,384.45 | (-)100.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत |
|----------------|---|----------------------------|--|----------|---------------------------|---|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | |
| (घ) | सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | |
| 4700 | वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | |
| 08 | समोदा परियोजना— | | | | | |
| 789 | अनुसूचित जन जातियों हेतु विशेष घटक योजना— | | | | | |
| | बांध तथा सम्बद्ध कार्य | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 3,131.54 | (-)100.00 |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | |
| | बांध तथा सम्बद्ध कार्य | 1,720.92 | 829.86 | 0.00 | 8,635.62 | (-)51.78 |
| | योग—08 | 1,730.92 | 829.86 | 0.00 | 11,767.16 | (-)52.05 |
| 09 | केलो परियोजना— | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय | | | | | |
| | | 2,991.40 | 0.00 | 2,365.94 | 49,046.59 | (-)20.90 |
| 10 | खारंग जलाशय— | | | | | |
| 789 | अनुसूचित जन जातियों हेतु विशेष घटक योजना | | | | | |
| | बांध तथा सम्बद्ध कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,372.66 | 0.00 |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | |
| | बांध तथा सम्बद्ध कार्य | 745.90 | 183.62 | 0.00 | 6,867.51 | (-)75.38 |
| | योग—10 | 745.90 | 183.62 | 0.00 | 12,240.17 | (-)75.38 |
| 11 | मनियारी जलाशय— | | | | | |
| 789 | अनुसूचित जन जातियों हेतु विशेष घटक योजना | | | | | |
| | बांध तथा सम्बद्ध कार्य | 311.79 | 291.31 | 0.00 | 1,290.21 | (+)6.57 |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | |
| | बांध तथा सम्बद्ध कार्य | 254.40 | 272.85 | 0.00 | 13,961.49 | (+)7.25 |
| | निर्माण कार्य | 8.53 | 11.04 | 0.00 | 19.58 | (+)29.43 |
| | योग—800 | 262.93 | 283.89 | 0.00 | 13,981.07 | (+)7.97 |
| | योग—11 | 574.72 | 575.20 | 0.00 | 15,271.27 | (+)0.08 |
| 12 | हसदेव बांगो परियोजना ईकाई -III-अरपा भैंसाझर परियोजना— | | | | | |
| 789 | अनुसूचित जन जातियों हेतु विशेष घटक योजना— | | | | | |
| | बांध तथा सम्बद्ध कार्य | 1,045.92 | 172.39 | 0.00 | 5,498.16 | (-)83.52 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारित व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|---|----------------------------|--|------|---------------------------|---|----------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (घ) | सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4700 | वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 12 | हसदेव बांगो परियोजना ईकाई -III-अरपा भैंसाझर परियोजना—समाप्त | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,626.76 | 0.00 |
| | वृहद सिंचाई परियोजना (नाबार्ड) | 17,934.01 | 4,719.62 | 0.00 | 4,719.62 | 74,974.70 | (-)73.68 |
| | बांध तथा सम्बद्ध कार्य | 775.43 | 786.34 | 0.00 | 786.34 | 21,030.13 | (+)1.40 |
| | योग—800 | 18,709.44 | 5,505.96 | 0.00 | 5,505.96 | 1,01,631.59 | (-)70.57 |
| | योग—12 | 19,755.36 | 5,678.35 | 0.00 | 5,678.35 | 1,07,129.75 | (-)71.26 |
| 13 | हसदेव दाई तट नहर— | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,417.92 | 0.00 |
| 14 | हसदेव परियोजना— | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.75 | 0.00 |
| 15 | अरपा परियोजना— | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506.58 | 0.00 |
| 16 | अरपा परियोजना—हायड्रो मेट्रोलाजी— | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,288.58 | 0.00 |
| 17 | सुक्ता परियोजना— | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.96 | 0.00 |
| 18 | रविशंकर सागर परियोजना— | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,630.15 | 0.00 |
| 19 | हाइड्रो मेट्रोलाजी नेटवर्क | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.59 | 0.00 |
| 20 | राष्ट्रीय हाइड्रोलाजी परियोजना— | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,455.59 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|---|-----------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (घ) | सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4700 | वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—समाप्त | | | | | | |
| 49 | हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल नेटवर्क— | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.36 | 0.00 |
| 57 | राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी परियोजना— | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 822.32 | 0.00 |
| 80 | सामान्य— | | | | | | |
| 052 | मशीनरी तथा उपस्कर— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506.75 | 0.00 |
| 005 | सर्वेक्षण— | | | | | | |
| | सर्वे | 41.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,019.55 | (-)100.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोगना— | | | | | | |
| | सहकारी सिंचाई समितियां | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 181.11 | 18.67 | 0.00 | 18.67 | 199.78 | (-)89.69 |
| | योग—796 | 181.11 | 18.67 | 0.00 | 18.67 | 774.88 | (-)89.69 |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | | |
| | डिक्री धन का भुगतान | 3.32 | 0.59 | 0.00 | 0.59 | 99.70 | (-)82.22 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 11.78 | 11.78 | 81.40 | (+)100.00 |
| | योग—800 | 3.32 | 0.59 | 11.78 | 12.37 | 181.10 | (+)272.59 |
| | योग—80 | 225.89 | 0.59 | 11.78 | 31.04 | 2,482.28 | (-)86.25 |
| 85 | पाटने परियोजना— | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | | |
| | निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,457.35 | 0.00 |
| | योग—4700 | 63,556.16 | 36,360.37 | 2,377.72 | 38,738.68 | 8,29,823.45 | (-)39.04 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|---|-------------|---------------------------|--|------------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (घ) | सिंचाई तथा बाढ़, नियंत्रण का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4701 | मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय— | | | | | | |
| 01 | पिन्नावन— | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | | |
| | निर्माण कार्य (नाबार्ड) | 63.60 | 35.36 | 0.00 | 35.36 | 541.82 | (-)44.40 |
| | बॉध तथा सम्बद्ध कार्य | 136.84 | 118.74 | 0.00 | 118.74 | 282.96 | (-)13.22 |
| | योग-01 | 200.44 | 154.10 | 0.00 | 154.10 | 824.78 | (-)23.11 |
| 02 | कुम्हारी— | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | | |
| | बॉध तथा सम्बद्ध कार्य | 524.62 | 251.03 | 0.00 | 251.03 | 1,268.79 | (-)52.15 |
| 03 | बल्लास— | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | | |
| | बॉध तथा सम्बद्ध कार्य | 61.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,739.43 | (-)100.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.55 | 0.00 |
| | योग-03 | 61.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,098.98 | (-)100.00 |
| 05 | गोंदली— | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय | | | | | | |
| | | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 2.83 | 1,087.49 | (+)100.00 |
| 06 | खपरी— | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | | |
| | निर्माण कार्य (नाबार्ड) | 5.29 | 32.55 | 0.00 | 32.55 | 1,693.80 | (+)515.31 |
| 08 | खरखरा— | | | | | | |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना | 202.26 | 116.95 | 0.00 | 116.95 | 8,486.31 | (-)42.17 |
| 09 | मातिया मोति— | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय | | | | | | |
| | | 1,444.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,872.11 | (-)100.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|--|-------------|---------------------------|---|------------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. / के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (घ) | सिंचाई तथा बाढ़, नियंत्रण का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4701 | मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 10 | रूस— | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | | |
| | बोध तथा सम्बद्ध कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,098.85 | 0.00 |
| 12 | पिपरिया शाखा नहर— | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | | |
| | मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड) | 154.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,051.06 | (-)100.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418.79 | 0.00 |
| | योग—800 | 154.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,469.85 | (-)100.00 |
| | योग—12 | 154.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,469.85 | (-)100.00 |
| 13 | छिरपानी— | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,151.26 | 0.00 |
| 14 | समोदा जलाशय— | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय | | | | | | |
| | | 0.00 | 280.17 | 0.00 | 280.17 | 5,243.24 | (+)100.00 |
| 15 | घोंघा जलाशय— | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.21 | 0.00 |
| 16 | झुमका परियोजना— | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.46 | 0.00 |
| 17 | गेज परियोजना— | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 1,329.94 | 0.00 | 1,329.94 | 1,675.29 | (+)100.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|--|------|---------------------------------|--|-------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (घ) | सिंचाई तथा बाढ़, नियंत्रण का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4701 | मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 32 | सुतियापाट— | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | | |
| | बाँध तथा सम्बद्ध कार्य | 1.53 | 32.68 | 0.00 | 32.68 | 3,052.29 | (+)2,035.95 |
| | निर्माण कार्य (नाबार्ड) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,328.27 | 0.00 |
| | योग—800 | 1.53 | 32.68 | 0.00 | 32.68 | 8,380.56 | (+)2,035.95 |
| | योग—32 | 1.53 | 32.68 | 0.00 | 32.68 | 8,380.56 | (+)2,035.95 |
| 33 | कोसरटेड़ा परियोजना— | | | | | | |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना | 1,246.84 | 234.42 | 0.00 | 234.42 | 13,919.96 | (-)81.20 |
| 34 | मोंगरा परियोजना— | | | | | | |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना | 382.54 | 111.83 | 0.00 | 111.83 | 8,608.44 | (-)70.77 |
| 800 | अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,418.40 | 0.00 |
| | योग—34 | 382.54 | 111.83 | 0.00 | 111.83 | 23,026.84 | (-)70.77 |
| 35 | खरखरा परियोजना— | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,526.61 | 0.00 |
| 36 | सूखा नाला— | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय | 129.85 | 38.51 | 0.00 | 38.51 | 11,636.75 | (-)70.34 |
| 37 | घुमरिया नाला— | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय | 418.04 | 1,097.93 | 0.00 | 1,097.93 | 6,456.89 | (+)162.63 |
| 38 | करा नाला— | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय | 93.47 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 10,898.23 | (-)99.59 |
| 40 | सपनई परियोजना— | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारित व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|---|----------------------------|--|------|---------------------------------|--|------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (घ) | सिंचाई तथा बाढ़, नियंत्रण का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4701 | मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 41 | <i>बिच्छिया जलाशय परियोजना—</i> | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.18 | 0.00 |
| 42 | <i>छापी नदी परियोजना—</i> | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.44 | 0.00 |
| 43 | <i>दुधावा परियोजना—</i> | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.22 | 0.00 |
| 44 | <i>बांध मुख्य कार्य और तांदुला नहर का ढांचा परिवर्तन—</i> | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.87 | 0.00 |
| 45 | <i>हसदेव जलाशय परियोजना—</i> | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,104.35 | 0.00 |
| 46 | <i>केशवा परियोजना—</i> | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.32 | 0.00 |
| 47 | <i>कोडार जलाशय—</i> | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.29 | 0.00 |
| 48 | <i>पिपरिया नाला—</i> | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 563.22 | 0.00 |
| 49 | <i>महानदी नहर का ढांचा परिवर्तन—</i> | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.95 | 0.00 |
| 50 | <i>जोंक नदी परियोजना का सर्वेक्षण—</i> | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.73 | 0.00 |
| 51 | <i>तिलवारा परियोजना—</i> | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,945.30 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारित व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत |
|----------------|--|----------------------------|--|-------------|---------------------------|--|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | |
| (घ) | सिंचाई तथा बाढ़, नियंत्रण का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | |
| 4701 | मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | |
| 52 | माता सुतियापाट— | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.97 |
| 53 | कनहार गांव— | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.49 |
| 54 | जोंक बैराज— | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.83 |
| 55 | आदिवासी क्षेत्र परियोजना— | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | |
| | मध्यम परियोजना का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,732.35 |
| | मध्यम सिंचाई योजना का निर्माण (नाबार्ड) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,366.47 |
| | योग-55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,098.82 |
| 56 | अन्य व्यय— | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | |
| | निदेशन एवं प्रशासन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
| | मध्यम सिंचाई योजना का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,222.24 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.59 |
| | योग-56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,399.02 |
| 62 | किटखेड़ी मध्यम परियोजना— | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | |
| | निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,924.80 |
| | योग-62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,924.80 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|---|-------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (घ) | सिंचाई तथा बाढ़, नियंत्रण का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4701 | मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 80 | सामान्य— | | | | | | |
| 001 | निदेशन और प्रशासन— | 42.00 | 21.10 | 0.00 | 21.10 | 275.00 | (-)49.76 |
| 002 | आंकड़े का संकलन— | | | | | | |
| | सर्वेक्षण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,040.38 | 0.00 |
| | जल मौसम विज्ञान नेट वर्क तथा संचालनालय स्थापना | 1,449.61 | 1,475.12 | 0.00 | 1,475.12 | 13,215.92 | (+)1.75 |
| | राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी परियोजना फेस-II | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541.81 | 0.00 |
| | निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 749.10 | 0.00 |
| | योग-002 | 1,449.61 | 1,475.12 | 0.00 | 1,475.12 | 15,547.21 | (+)1.75 |
| 005 | सर्वेक्षण एवं अन्वेषण— | | | | | | |
| | अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,062.86 | 0.00 |
| | मध्यम परियोजना सर्वे | 90.00 | 30.26 | 0.00 | 30.26 | 540.58 | (-)66.37 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.04 | 0.00 |
| | योग-005 | 90.00 | 30.26 | 0.00 | 30.26 | 2,619.48 | (-)66.37 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोगना— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045.34 | 0.00 |
| | डिक्रीधन का भुगतान | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 239.34 | (+)100.00 |
| | मध्यम परियोजना सर्वेक्षण | 71.65 | 113.64 | 0.00 | 113.64 | 234.89 | (+)58.60 |
| | योग-796 | 71.65 | 113.64 | 0.00 | 118.64 | 1,519.57 | (+)65.58 |
| 800 | अन्य व्यय— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,464.67 | 0.00 |
| | मध्य प्रदेश उदवहन सिंचाई निगम मर्यादित | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.95 | 0.00 |
| | छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,643.66 | 0.00 |
| | डिक्रीधन का भुगतान | 6.79 | 14.20 | 0.00 | 14.20 | 613.70 | (+)109.13 |
| | योग-800 | 6.79 | 14.20 | 0.00 | 14.20 | 14,877.98 | (+)109.13 |
| | योग-80 | 1,660.05 | 1,640.12 | 0.00 | 1,659.32 | 34,839.24 | (-)0.04 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|--|------|---------------------------------|--|-----------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (घ) | सिंचाई तथा बाढ़, नियंत्रण का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4701 | मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—समाप्त | | | | | | |
| 99 | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.15 | 0.00 |
| | योग—4701 | 6,524.60 | 19.20 5,808.46 | 0.00 | 5,827.66 | 1,97,788.48 | (-)10.68 |
| 4702 | लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय— | | | | | | |
| 101 | सतही जल— | | | | | | |
| | माइनर एवं माइक्रो माइनर सिंचाई योजना | 6,568.17 | 6,784.92 | 0.00 | 6,784.92 | 48,950.98 | (-)3.30 |
| | मनीयारी बैराज | 338.21 | 76.95 | 0.00 | 76.95 | 5,274.76 | (-)77.25 |
| | पथरिया बैरेज | 140.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,481.87 | (-)100.00 |
| | प्रधानपठ बैरेज | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,854.03 | 0.00 |
| | बिलासपुर व्यपवर्तन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,887.43 | 0.00 |
| | खाटूलेला बैरेज | 267.57 | 162.86 | 0.00 | 162.86 | 6,047.83 | (-)39.13 |
| | पाराघाट फीडर | 424.90 | 424.47 | 0.00 | 424.47 | 4,268.52 | (-)0.10 |
| | मोहलाई व्यपवर्तन | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.75 | (-)100.00 |
| | घुमरिया नाला | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,380.29 | 0.00 |
| | सुतियापाट परियोजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,345.18 | 0.00 |
| | भेन्द्रा जलाशय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,119.37 | 0.00 |
| | सपनई बैराज | 919.88 | 35.96 | 0.00 | 35.96 | 3,030.88 | (-)96.09 |
| | जोंक बैराज | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,232.55 | 0.00 |
| | सकरी रीमोडिलिंग कार्य | 718.70 | 751.25 | 0.00 | 751.25 | 4,019.10 | (+)4.52 |
| | लारीपारा व्यपवर्तन | 116.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,091.33 | (-)100.00 |
| | सहसपुर व्यपवर्तन | 532.64 | 7.53 | 0.00 | 7.53 | 2,497.99 | (-)98.59 |
| | समोदा बैराज | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,113.97 | 0.00 |
| | बलोदा जलाशय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.73 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारित व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|---|----------------------------|---|------|---------------------------------|--|-----------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (घ) | सिंचाई तथा बाढ़, नियंत्रण का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4702 | लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 101 | सतही जल—जारी | | | | | | |
| | सीलडाह जलाशय | 30.45 | 14.78 | 0.00 | 14.78 | 1,319.84 | (-)51.46 |
| | लोवर जॉक बैराज | 1,694.90 | 429.51 | 0.00 | 429.51 | 7,195.94 | (-)74.66 |
| | डर्बेकरा एनीकट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,422.57 | 0.00 |
| | पोरसी तुलसी एनीकट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527.49 | 0.00 |
| | शिवनाथ नदी पर तकाम एनीकट सह पक्की सड़क | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.01 | 0.00 |
| | रंगाबोद (कुन्दा) व्यपवर्तन | 286.33 | 385.86 | 0.00 | 385.86 | 2,186.27 | (+)34.76 |
| | थूवा (कुबा) व्यपवर्तन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.97 | 0.00 |
| | हाथमुडी व्यपवर्तन नहर लाईनिंग कार्य | 865.91 | 96.43 | 0.00 | 96.43 | 1,486.92 | (-)88.86 |
| | बहिगा एनीकट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190.49 | 0.00 |
| | मरम्मत/नवनीकरण/जीर्णोद्धार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,728.49 | 0.00 |
| | हेम्प राईट बैंक कनेल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,215.30 | 0.00 |
| | छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,957.04 | 0.00 |
| | नाबार्ड सहायता के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना | 7,710.58 | 2,570.03 | 0.00 | 2,570.03 | 52,664.50 | (-)66.67 |
| | करा व्यपवर्तन का रिमॉडलिंग तथा लाईनिंग कार्य | 0.00 | 624.86 | 0.00 | 624.86 | 624.86 | (+)100.00 |
| | झिपानियों व्यपवर्तन का रिमॉडलिंग तथा लाईनिंग कार्य | 0.00 | 469.33 | 0.00 | 469.33 | 469.33 | (+)100.00 |
| | झिपानियों जलाशय बायें नहर का रिमॉडलिंग तथा लाईनिंग कार्य | 0.00 | 95.45 | 0.00 | 95.45 | 95.45 | (+)100.00 |
| | नर्मदा व्यपवर्तन मुख्य नहर का रिमॉडलिंग तथा लाईनिंग कार्य | 0.00 | 483.40 | 0.00 | 483.40 | 483.40 | (+)100.00 |
| | सिंगबहाल जलाशय परियोजना | 84.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,738.10 | (-)100.00 |
| | लाछंनपुर व्यपवर्तन | 291.10 | 16.94 | 0.00 | 16.94 | 4,091.68 | (-)94.18 |
| | लीलाधर व्यपवर्तन | 262.10 | 557.36 | 0.00 | 557.36 | 4,781.58 | (+)112.65 |
| | कोमा जलाशय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.49 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|--|-------------|---------------------------|---|-----------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (घ) | सिंचाई तथा बाढ़, नियंत्रण का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4702 | लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 101 | सतही जल—समाप्त | | | | | | |
| | बलमदेही व्यपवर्तन | 0.00 | (-)2.00 | 0.00 | (-)2.00 ³¹ | 166.14 | (+)100.00 |
| | हेम्प व्यपवर्तन हाफ ब्रान्च नहर लाईनिंग कार्य | 222.79 | 86.34 | 0.00 | 86.34 | 876.11 | (-)61.25 |
| | फॉक व्यपवर्तन नहर लाईनिंग कार्य | 134.26 | 287.13 | 0.00 | 287.13 | 1,153.45 | (+)113.86 |
| | मोहपार जलाशय | 11.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 621.84 | (-)100.00 |
| | खारून व्यपवर्तन | 283.76 | 135.32 | 0.00 | 135.32 | 2,896.94 | (-)32.70 |
| | नाबार्ड सहायतित लघु सिंचाई योजना | 119.33 | 2,342.95 | 0.00 | 2,342.95 | 3,999.03 | (+)1,863.42 |
| | सालका व्यपवर्तन | 180.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,669.77 | (-)100.00 |
| | अमामुन्डा व्यपवर्तन | 190.45 | 128.18 | 0.00 | 128.18 | 3,775.23 | (-)32.70 |
| | लाथनाला व्यपवर्तन | 314.55 | 371.01 | 0.00 | 371.01 | 3,757.83 | (+)17.95 |
| | पैरी घुमर व्यपवर्तन | 584.11 | 203.27 | 0.00 | 203.27 | 3,496.62 | (-)65.20 |
| | रेहार व्यपवर्तन | 2,750.98 | 72.53 | 0.00 | 72.53 | 4,848.96 | (-)97.36 |
| | मांड व्यपवर्तन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,164.65 | 0.00 |
| | उरमुल जलप्लावन परियोजना | 199.85 | 658.90 | 0.00 | 658.90 | 5,133.17 | (+)229.69 |
| | डोंगरा पढ़ारा एनीकट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,807.51 | 0.00 |
| | सिलयारी व्यपवर्तन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,315.69 | 0.00 |
| | सर्वे कार्य | 475.14 | 444.46 | 0.00 | 444.46 | 2,752.02 | (-)6.46 |
| | मोंकी तालाब | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,778.18 | 0.00 |
| | भुरदु टुटेगा जलाशय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,307.99 | 0.00 |
| | मचीनसी खातूटोला | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,388.34 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,474.32 | 0.00 |
| | निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,716.48 | 0.00 |
| | योग—101 | 26,720.48 | 18,715.97 | 0.00 | 18,715.97 | 2,78,698.54 | (-)29.96 |

³¹ ठेकेदार से वसूली के कारण ऋणात्मक आंकड़े हैं।

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|---|------|---------------------------------|--|------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (घ) | सिंचाई तथा बाढ़, नियंत्रण का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4702 | लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 102 | भूजल— | | | | | | |
| | एनीकेट/स्टापडेम का निर्माण | 4,002.46 | 4,308.34 | 0.00 | 4,308.34 | 65,093.99 | (+)7.64 |
| | मडकु एनीकट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.23 | 0.00 |
| | खट्टी एनीकट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,497.03 | 0.00 |
| | धुधारी खुशी एनीकट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.42 | 0.00 |
| | टिला एनीकट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,668.02 | 0.00 |
| | दुलना एनीकट | 47.93 | 14.53 | 0.00 | 14.53 | 9,497.40 | (-)69.68 |
| | मेघा एनीकट | 621.34 | 26.44 | 0.00 | 26.44 | 5,185.77 | (-)95.74 |
| | परसडीह स्टापडेम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| | मुडीयाडीह एनीकट | 561.25 | 452.83 | 0.00 | 452.83 | 2,505.85 | (-)19.31 |
| | कुंद्री एनीकट | 10.62 | 19.44 | 0.00 | 19.44 | 8,848.47 | (+)83.05 |
| | रोयर एनीकट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,040.57 | 0.00 |
| | महादेव घाट एनीकट | 187.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 809.83 | (-)100.00 |
| | हरदी एनीकट (रायपुर) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,853.41 | 0.00 |
| | महादेव घाट एनीकट नदी के उपर एवं नीचे के ओर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 885.51 | 0.00 |
| | हरदी एनीकट फेज-2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,685.57 | 0.00 |
| | महानदी मुख्य नहर—जीर्णोद्धार कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.76 | 0.00 |
| | तरशीवा एनीकट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.71 | 0.00 |
| | राजीम एनीकट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,855.07 | 0.00 |
| | जंगलेश्वर मोखला एनीकट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,739.80 | 0.00 |
| | अमलीडीह एनीकट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,505.34 | 0.00 |
| | विनायकपुर एनीकट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 797.47 | 0.00 |
| | धामनसरा (मोहाड़) एनीकट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.70 | 0.00 |
| | सूखा नियंत्रण हेतु लघु सिंचाई की व्यवस्था | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,148.16 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|--|-------------|---------------------------|---|----------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (घ) | सिंचाई तथा बाढ़, नियंत्रण का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4702 | लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 102 | भूजल—समाप्त | | | | | | |
| | ट्यूबवेल की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,393.71 | 0.00 |
| | न्यू मोहमारा एनीकट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,245.71 | 0.00 |
| | औद्योगिक जल संरचना का निर्माण | 4,147.67 | 5,044.28 | 0.00 | 5,044.28 | 19,994.33 | (+)21.62 |
| | हसदेव (सोथी) एनीकट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914.89 | 0.00 |
| | सतिगुड़ी एनीकट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,378.79 | 0.00 |
| | समोदा बैराज | 227.24 | 343.00 | 0.00 | 343.00 | 11,227.03 | (+)50.94 |
| | साराडीह बैराज | 1,496.20 | 1,399.61 | 0.00 | 1,399.61 | 53,431.72 | (-)6.46 |
| | कलमा एनीकट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,139.77 | 0.00 |
| | गोपालपुर स्टापडेम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.51 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,794.79 | 0.00 |
| | निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,058.14 | 0.00 |
| | योग—102 | 11,301.84 | 11,608.47 | 0.00 | 11,608.47 | 2,98,440.97 | (+)2.71 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— | | | | | | |
| | लघु सिंचाई योजनाएँ | 1,614.38 | 645.28 | 0.00 | 645.28 | 11,635.54 | (-)60.02 |
| | भरारी व्यपवर्तन | 364.63 | 826.74 | 0.00 | 826.74 | 5,589.71 | (+)126.73 |
| | राजादेरा जलाशय | 33.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,582.98 | (-)100.00 |
| | बाकोरी जलाशय | 51.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.51 | (-)100.00 |
| | मयूरसागर जलाशय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.33 | 0.00 |
| | बिल्लानाला जलाशय | 479.46 | 417.36 | 0.00 | 417.36 | 2,244.18 | (-)12.95 |
| | नहरनार जलाशय | 3.20 | 155.42 | 0.00 | 155.42 | 1,071.99 | (+)4,756.87 |
| | औद्योगिक जल संरचना का निर्माण | 7.56 | 1,263.81 | 0.00 | 1,263.81 | 2,689.52 | (+)16,617.06 |
| | बसंतपुर बैराज | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,903.42 | 0.00 |
| | मिरोनी बैराज | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,260.39 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारित व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|--|-------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| (घ) | सिंचाई तथा बाढ़, नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 4702 | लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-जारी | | | | | | |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-समाप्त | | | | | | |
| | शिवरी नारायण बैराज | 10.32 | 11.41 | 0.00 | 11.41 | 13,261.85 | (+)10.56 |
| | एनीकट/स्टापडेम का निर्माण | 2,502.45 | 1,234.21 | 0.00 | 1,234.21 | 21,760.98 | (-)50.68 |
| | हरदी एनीकट-बिलासपुर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,092.72 | 0.00 |
| | राहतटटोर एनीकट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,668.11 | 0.00 |
| | तालदेवरी एनीकट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 985.96 | 0.00 |
| | बेलकारी एनीकट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.38 | 0.00 |
| | समोदा फेज़-II | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.88 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,407.98 | 0.00 |
| | योग-789 | 5,066.62 | 4,554.23 | 0.00 | 4,554.23 | 1,31,506.03 | (-)10.11 |
| 794 | जनजाति उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता- | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.62 | 0.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना- | | | | | | |
| | बिलोरा जलाशय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,772.89 | 0.00 |
| | उरमल जलाशय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,165.78 | 0.00 |
| | सर्वेक्षण | 920.55 | 833.25 | 0.00 | 833.25 | 7,067.61 | (-)9.48 |
| | एनीकेट/स्टापडेम का निर्माण | 2,640.61 | 3,046.31 | 0.00 | 3,046.31 | 85,496.06 | (+)15.36 |
| | अम्बेतीक्रा एनीकट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 704.29 | 0.00 |
| | बागोद एनीकट | 1,274.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,787.36 | (-)100.00 |
| | मारागांव एनीकट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,703.83 | 0.00 |
| | मोहनपुर एनीकट | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 839.03 | (-)100.00 |
| | भोंड एनीकट | 90.82 | 4.86 | 0.00 | 4.86 | 199.70 | (-)94.65 |
| | भूरसी डोंगरी एनीकट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,228.09 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|---|------|---------------------------|--|-----------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (घ) | सिंचाई तथा बाढ़, नियंत्रण का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4702 | लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना—जारी | | | | | | |
| | डूमरपाली एनीकट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,812.31 | 0.00 |
| | मोहरा एनीकट | 1,424.38 | 29.34 | 0.00 | 29.34 | 5,043.04 | (-)97.94 |
| | मैनी एनीकट | 514.01 | 500.75 | 0.00 | 500.75 | 2,728.67 | (-)2.58 |
| | नवागांव एनीकट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 742.71 | 0.00 |
| | सूखा नियंत्रण के लिए लघु सिंचाई की व्यवस्था | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,742.48 | 0.00 |
| | लघु सिंचाई योजना | 19,663.25 | 18,922.76 | 0.00 | 18,922.76 | 1,05,037.70 | (-)3.77 |
| | रामपुर जलाशय | 635.78 | 439.80 | 0.00 | 439.80 | 1,189.59 | (-)30.83 |
| | सलका व्यपवर्तन | 0.00 | 201.55 | 0.00 | 201.55 | 1,853.49 | (+)100.00 |
| | केन्दा व्यपवर्तन | 667.35 | 236.12 | 0.00 | 236.12 | 2,298.69 | (-)64.62 |
| | लोवर जॉक परियोजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 988.29 | 0.00 |
| | घरजीयन बथान टैंक | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,617.97 | 0.00 |
| | जौरानाला एनीकट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,184.05 | 0.00 |
| | खटपाली व्यपवर्तन | 1,441.34 | 721.85 | 0.00 | 721.85 | 9,885.56 | (-)49.92 |
| | कटघोरा व्यपवर्तन | 1,048.20 | 1,104.33 | 0.00 | 1,104.33 | 4,578.34 | (+)5.35 |
| | लोकार टैंक | 66.33 | 285.51 | 0.00 | 285.51 | 2,792.51 | (+)330.44 |
| | सकालो जलाशय | 77.64 | 58.51 | 0.00 | 58.51 | 1,704.47 | (-)24.64 |
| | कुम्हारी व्यपवर्तन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,327.96 | 0.00 |
| | मलेन्जर व्यपवर्तन | 81.18 | 10.32 | 0.00 | 10.32 | 4,204.09 | (-)87.29 |
| | गेरानाला जलाशय | 143.15 | 15.59 | 0.00 | 15.59 | 288.03 | (-)89.11 |
| | घगी व्यपवर्तन | 267.22 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 1,361.85 | (-)99.57 |
| | अशकला बल्गा व्यपवर्तन | 56.73 | 49.15 | 0.00 | 49.15 | 1,337.01 | (-)13.36 |
| | भंवरमल जलाशय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.95 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|--|------|---------------------------------|--|-----------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (घ) | सिंचाई तथा बाढ़, नियंत्रण का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4702 | लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना—जारी | | | | | | |
| | दर्री व्यपवर्तन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,848.93 | 0.00 |
| | रेनकोटा जलाशय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,021.80 | 0.00 |
| | सोनकछार जलाशय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,322.36 | 0.00 |
| | भरारी जलाशय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,036.87 | 0.00 |
| | घरजीबथन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.95 | 0.00 |
| | खमगरहा जलाशय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.76 | 0.00 |
| | आतुरबेड़ा जलाशय रावघाट परियोजना | 19.99 | 192.70 | 0.00 | 192.70 | 756.62 | (+)863.98 |
| | सिंगोर व्यपवर्तन | 0.00 | 62.84 | 0.00 | 62.84 | 142.20 | 0.00 |
| | सरब कम्बो व्यपवर्तन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.85 | 0.00 |
| | चम्पाझारिया व्यपवर्तन | 37.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 919.86 | (-)100.00 |
| | जोगीडोंगरी जलाशय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.94 | 0.00 |
| | छेलानाला व्यपवर्तन | 914.40 | 511.50 | 0.00 | 511.50 | 3,486.52 | (-)44.06 |
| | रताखण्ड व्यपवर्तन | 827.24 | 134.29 | 0.00 | 134.29 | 1,944.19 | (-)83.77 |
| | भेजीपदर जलाशय | 1,133.38 | 645.39 | 0.00 | 645.39 | 2,905.81 | (-)43.06 |
| | बन्धनपुर जलाशय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,082.61 | 0.00 |
| | घुमर पदर जलाशय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.65 | 0.00 |
| | सहनपुर नाला व्यपवर्तन | 11.40 | 37.31 | 0.00 | 37.31 | 1,771.84 | (+)227.28 |
| | दुधीछुई जलाशय | 156.31 | 43.62 | 0.00 | 43.62 | 552.78 | (-)72.09 |
| | बेल नाला जलाशय | 11.47 | 26.87 | 0.00 | 26.87 | 1,116.63 | (+)134.26 |
| | करोली व्यपवर्तन | 105.85 | 48.71 | 0.00 | 48.71 | 1,514.01 | (-)53.98 |
| | उदमकेला व्यपवर्तन | 145.35 | 26.93 | 0.00 | 26.93 | 2,079.38 | (-)81.47 |
| | अटेम व्यपवर्तन | 519.67 | 178.48 | 0.00 | 178.48 | 1,482.46 | (-)65.66 |
| | लेंगू व्यपवर्तन | 169.43 | 148.85 | 0.00 | 148.85 | 2,264.65 | (-)12.14 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारित व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|--|-------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| (घ) | सिंचाई तथा बाढ़, नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 4702 | लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-जारी | | | | | | |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना-समाप्त | | | | | | |
| | चेन्द्रा जलाशय | 1,182.44 | 24.83 | 0.00 | 24.83 | 3,938.09 | (-)97.90 |
| | दुधावा सरोना लाईनिंग कार्य | 1,121.49 | 204.60 | 0.00 | 204.60 | 6,573.96 | (-)81.76 |
| | बिंगांगा जलाशय | 10.25 | 101.95 | 0.00 | 101.95 | 233.17 | (+)894.63 |
| | गागर फीडर | 887.24 | 1,105.92 | 0.00 | 1,105.92 | 5,419.25 | (+)24.65 |
| | हुदिका बंध जलाशय | 69.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,744.43 | (-)100.00 |
| | अंजनी जलाशय | 142.20 | 64.39 | 0.00 | 64.39 | 2,572.13 | (-)54.72 |
| | देवगांव जलाशय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.94 | 0.00 |
| | सपना व्यपवर्तन | 233.06 | 360.10 | 0.00 | 360.10 | 1,566.78 | (+)54.50 |
| | चिरमिरी जलाशय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,637.46 | 0.00 |
| | राकाली एनीकट | 105.98 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 1,355.41 | (-)95.47 |
| | औद्योगिक संरचना | 2,503.96 | 1,318.14 | 0.00 | 1,318.14 | 14,459.17 | (-)47.36 |
| | मोहर जलाशय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,540.27 | 0.00 |
| | बैहामुड़ा एनीकट | 373.29 | 214.41 | 0.00 | 214.41 | 3,695.43 | (-)42.56 |
| | मोहाड जलाशय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,191.11 | 0.00 |
| | रतिझा एनीकट | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,026.77 | (-)100.00 |
| | बेटूका एनीकट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,684.96 | 0.00 |
| | कुदूरमल एनीकट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,003.03 | 0.00 |
| | मरम्मत/नवनीकरण/जीर्णोद्धार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,438.17 | 0.00 |
| | डिक्रीधन का भुगतान | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401.12 | (-)100.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,12,060.65 | 0.00 |
| | योग-796 | 41,801.47 | 31,917.78 | 0.00 | 31,917.78 | 4,73,707.37 | (-)23.64 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|---|----------------------------|--|------|---------------------------|--|----------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (घ) | सिंचाई तथा बाढ़, नियंत्रण का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4702 | लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—समाप्त | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | | |
| | रामपुर टैंक | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,613.32 | 0.00 |
| | डोंगरा पथरा देवपुर एनीकट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,561.51 | 0.00 |
| | पैरी घुमार व्यपवर्तन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 756.56 | 0.00 |
| | लघु सिंचाई कार्य (नाबार्ड) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.86 | 0.00 |
| | रेहार व्यपवर्तन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 902.42 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,737.34 | 0.00 |
| | योग—800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,590.01 | 0.00 |
| 911 | अधिक भुगतान की वसूली— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)121.75 | 0.00 |
| | योग—4702 | 84,890.41 | 66,796.45 | 0.00 | 66,796.45 | 11,99,119.79 | (-)21.31 |
| 4705 | कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय— | | | | | | |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश— | | | | | | |
| | कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम, भोपाल में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.99 | 0.00 |
| 206 | हसदेव—खारंग एवं मनियारी कमान क्षेत्र विकास— | | | | | | |
| | मैदानी जलमार्गों का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,190.07 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.15 | 0.00 |
| | योग—206 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,226.22 | 0.00 |
| 209 | महानदी कमान क्षेत्र विकास— | | | | | | |
| | मैदानी जलमार्गों का निर्माण | 837.62 | 99.95 | 0.00 | 99.95 | 25,804.70 | (-)88.07 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,251.53 | 0.00 |
| | योग—209 | 837.62 | 99.95 | 0.00 | 99.95 | 27,056.23 | (-)88.07 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारित व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|--|------|---------------------------------|--|----------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (घ) | सिंचाई तथा बाढ़, नियंत्रण का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4705 | कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय—समाप्त | | | | | | |
| 210 | हसदेव आयाकट क्षेत्र विकास (फेज़-II)— | | | | | | |
| | मैदानी जलमार्गों का निर्माण | 300.00 | 51.90 | 0.00 | 51.90 | 17,217.72 | (-)82.70 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.31 | 0.00 |
| | योग—210 | 300.00 | 51.90 | 0.00 | 51.90 | 17,720.03 | (+)82.70 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना— | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.54 | 0.00 |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| | योग—4705 | 1,137.62 | 151.85 | 0.00 | 151.85 | 47,013.22 | (+)86.65 |
| 4711 | बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय— | | | | | | |
| 01 | बाढ़ नियंत्रण— | | | | | | |
| 103 | सिविल निर्माण कार्य— | | | | | | |
| | बाढ़ नियंत्रण परियोजना कमारसेन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.93 | 0.00 |
| | बाढ़ नियंत्रण परियोजना | 2,736.70 | 1,021.48 | 0.00 | 1,021.48 | 13,075.76 | (-)62.67 |
| | मुंगेली नगर के लिये बाढ़ नियंत्रण परियोजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.20 | 0.00 |
| | गोबरा बाढ़ नियंत्रण परियोजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.51 | 0.00 |
| | बाढ़ नियंत्रण परियोजना तुमा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.80 | 0.00 |
| | बाढ़ नियंत्रण परियोजना तोहाड़ी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.73 | 0.00 |
| | धौधारा बाढ़ नियंत्रण योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.95 | 0.00 |
| | यदूनंदन नगर बाढ़ बचाव | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.00 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.76 | 0.00 |
| | योग—103 | 2,736.70 | 1,021.48 | 0.00 | 1,021.48 | 13,932.64 | (-)62.67 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | | |
|----------------|--|----------------------------|---|-------|---------------------------|--|--------------|----------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | | |
| (घ) | सिंचाई तथा बाढ़, नियंत्रण का पूंजीगत लेखा—समाप्त | | | | | | | |
| 4711 | बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय—समाप्त | | | | | | | |
| 01 | बाढ़ नियंत्रण—समाप्त | | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.98 | 0.00 | |
| | योग—01 | 2,736.70 | 1,021.48 | 0.00 | 1,021.48 | 14,134.62 | (-)62.67 | |
| | योग—4711 | 2,736.70 | 1,021.48 | 0.00 | 1,021.48 | 14,134.62 | (-)62.67 | |
| | योग—(घ)—सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा | 1,58,845.49 | 1,10,138.60 | 19.79 | 2,377.72 | 1,12,536.11 | 22,87,879.55 | (-)29.15 |
| (ङ) | उर्जा का पूंजीगत लेखा— | | | | | | | |
| 4801 | बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय— | | | | | | | |
| 01 | हाइडल उत्पादन | | | | | | | |
| 052 | मशीनरी तथा उपस्कर— | | | | | | | |
| | निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)3.11 | 0.00 | |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश— | | | | | | | |
| | देवास (सीनियर) बिजली आपूर्ति कम्पनी (निजी) मर्यादित, देवास | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | |
| | टाटा पावर कम्पनी मर्यादित मुंबई | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 0.00 | |
| | मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम, भोपाल में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.35 | 0.00 | |
| | अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | |
| | योग—190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.86 | 0.00 | |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोगना— | | | | | | | |
| | ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियाँ पांडुरना तथा बनावर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.74 | 0.00 | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.90 | 0.00 | |
| | योग—796 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467.64 | 0.00 | |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|---|------|---------------------------|--|------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (ड) | उर्जा का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4801 | बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 01 | हाइडल उत्पादन—समाप्त | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | | |
| | राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 0.00 |
| | योग—01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 489.05 | 0.00 |
| 02 | ताप विद्युत शक्ति उत्पादन— | | | | | | |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश— | | | | | | |
| | छत्तीसगढ़ राज्य पावर होल्डिंग कम्पनी के अंशपूंजी में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,23,600.00 | 0.00 |
| | छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| | योग—190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,25,200.00 | 0.00 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— | | | | | | |
| | छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोग— | | | | | | |
| | छत्तीसगढ़ राज्य पावर होल्डिंग कम्पनी के अंशपूंजी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| | छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 |
| | योग—796 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,460.00 | 0.00 |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |
| | योग—02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,58,800.56 | 0.00 |
| 05 | पारेषण एवं वितरण— | | | | | | |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश— | | | | | | |
| | छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 |
| | योग—190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 |
| | योग—05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|---|-------------|---------------------------|--|----------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेंवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (ड) | उर्जा का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4801 | बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 06 | ग्रामीण विद्युतीकरण— | | | | | | |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश— | | | | | | |
| | मुख्य मंत्री माजरा टोला विद्युतीकरण योजना | 411.00 | 410.00 | 0.00 | 410.00 | 7,771.00 | (-)0.24 |
| | राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 |
| | निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,672.07 | 0.00 |
| | योग—190 | 411.00 | 410.00 | 0.00 | 410.00 | 10,693.07 | (-)0.24 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— | | | | | | |
| | दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,171.60 | 0.00 |
| | अटल ज्योति योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.16 | 0.00 |
| | कृषि पंपों का ऊर्जाकरण | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 7,046.45 | 0.00 |
| | राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| | घटाएँ—छत्तीसगढ़ विद्युत विकास निधि से प्रतिपूरित व्यय | (-)1,200.00 | (-)1,200.00 | 0.00 | (-)1,200.00 | (-)6,071.45 | 0.00 |
| | मुख्य मंत्री माजरा टोला विद्युतीकरण योजना | 545.00 | 543.00 | 0.00 | 543.00 | 4,716.00 | (-)0.37 |
| | घटायें—पूंजीगत लेखे में प्राप्तियाँ और वसूलियाँ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)10,000.00 | 0.00 |
| | योग—789 | 545.00 | 543.00 | 0.00 | 543.00 | 9,162.76 | (-)0.37 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोगना— | | | | | | |
| | कृषि पंपों का ऊर्जाकरण | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 | 23,226.00 | 0.00 |
| | घटाएँ—छत्तीसगढ़ विद्युत विकास निधि से प्रतिपूरित व्यय | (-)3,800.00 | (-)3,800.00 | 0.00 | (-)3,800.00 | (-)20,976.00 | 0.00 |
| | दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,328.40 | 0.00 |
| | मुख्य मंत्री माजरा टोला विद्युतीकरण योजना | 2,044.00 | 2,055.60 | 0.00 | 2,055.60 | 17,171.60 | (+)0.57 |
| | राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 |
| | योग—796 | 2,044.00 | 2,055.60 | 0.00 | 2,055.60 | 23,700.00 | (+)0.57 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|---|----------------------------|--|-------------|---------------------------|--|-----------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| (ड) | उर्जा का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 4801 | बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-जारी | | | | | | |
| 06 | ग्रामीण विद्युतीकरण-समाप्त | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय- | | | | | | |
| | अटल ज्योति योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| | कृषि पम्प का ऊर्जाकरण | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 46,993.51 | 0.00 |
| | योग-800 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 49,493.51 | 0.00 |
| 902 | घटाएं-छत्तीसगढ़ विद्युत विकास निधि से प्रतिपूरित व्यय | (-)5,000.00 | (-)5,000.00 | 0.00 | (-)5,000.00 | (-)39,718.51 | 0.00 |
| | योग-06 | 3,000.00 | 3,008.60 | 0.00 | 3,008.60 | 53,330.83 | (+)0.29 |
| 80 | सामान्य- | | | | | | |
| 001 | निदेशन और प्रशासन- | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.89 | 0.00 |
| 004 | अनुसंधान तथा विकास- | | | | | | |
| | केन्द्रीय अनुसंधान संस्था द्वारा ग्रंथालय की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.06 | 0.00 |
| 101 | राज्य विद्युत बोर्ड में निवेश- | | | | | | |
| | शासकीय शालाओं/अस्पतालों/आंगणवाड़ी में विद्युतीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| | मुख्य मंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना | 2,500.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 11,800.00 | (-)76.00 |
| | सौभाग्य योजना | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | (-)100.0 |
| | योग-101 | 5,500.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 15,800.00 | (-)89.09 |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपकरणों में निवेश- | | | | | | |
| | छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,47,590.00 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारित व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|---|----------------------------|--|-------------|------------------------------|---|-----------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (ड) | उर्जा का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4801 | बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय—समाप्त | | | | | | |
| 80 | सामान्य—समाप्त | | | | | | |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— | | | | | | |
| | शासकीय शालाओं/अस्पतालों/आंगणवाड़ी में विद्युतीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| | मुख्य मंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना | 500.00 | 168.00 | 0.00 | 168.00 | 1,796.00 | (-)66.40 |
| | सौभाग्य योजना | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 | (-)100.00 |
| | योग—789 | 1,220.00 | 168.00 | 0.00 | 168.00 | 3,316.00 | (-)86.23 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना— | | | | | | |
| | शासकीय शालाओं/अस्पतालों/आंगणवाड़ी में विद्युतीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 |
| | मुख्य मंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना | 1,000.00 | 432.00 | 0.00 | 432.00 | 5,413.00 | (-)56.80 |
| | सौभाग्य योजना | 2,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,280.00 | (-)100.00 |
| | योग—796 | 3,280.00 | 432.00 | 0.00 | 432.00 | 13,393.00 | (-)86.83 |
| 902 | घटाएं—विद्युत विकास निधि से प्रतिपूर्ति व्यय— | | | | | | |
| | योग—80 | 10,000.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 4,80,114.89 | (-)88.00 |
| | योग—4801 | 13,000.00 | 4,208.60 | 0.00 | 4,208.60³² | 7,47,735.33 | (-)67.63 |
| 4810 | अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर पूंजीगत परिव्यय— | | | | | | |
| 101 | जैव-ऊर्जा | | | | | | |
| | सोलर पम्प को सहायता अनुदान | 26,798.50 | 23,850.40 | 0.00 | 23,850.40 | 86,686.90 | (-)11.00 |
| | मुख्य मंत्री माजरा टोला विद्युतीकरण योजना | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 254.00 | (+)100.00 |
| | दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना | 0.00 | 1,911.00 | 0.00 | 1,911.00 | 1,911.00 | (+)100.00 |
| | प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य योजना) | 1,250.00 | 1,994.60 | 0.00 | 1,994.60 | 4,494.60 | (+)59.57 |
| | योग—101 | 28,048.50 | 27,756.80 | 0.00 | 27,756.80 | 93,346.50 | (-)1.04 |

³² पूंजीगत सम्पत्तियों के निर्माण हेतु ₹ 14,208.60 लाख का व्यय सम्मिलित है।

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारित व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|---|----------------------------|--|-------------|-------------------------------|---|-----------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (ड) | उर्जा का पूंजीगत लेखा—समाप्त | | | | | | |
| 4810 | अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर पूंजीगत परिव्यय—समाप्त | | | | | | |
| 102 | सौर ऊर्जा— | | | | | | |
| | दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| | सोलर पम्प को सहायता अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,772.00 | 0.00 |
| | योग—102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,272.00 | 0.00 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— | | | | | | |
| | दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना | 0.00 | 458.00 | 0.00 | 458.00 | 1,200.50 | (+)100.00 |
| | सोलर पम्प को सहायता अनुदान | 6,364.24 | 5,732.20 | 0.00 | 5,732.20 | 24,634.01 | (-)9.93 |
| | मुख्य मंत्री माजरा टोला विद्युतीकरण योजना | 0.00 | 24.40 | 0.00 | 24.40 | 237.04 | (+)100.00 |
| | प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य योजना) | 300.00 | 501.36 | 0.00 | 501.36 | 1,101.36 | (+)67.12 |
| | घटाएं— विद्युत विकास निधि से प्रतिपूरित व्यय | (-)1,143.24 | (-)983.76 | 0.00 | (-)983.76 | (-)7,059.64 | (-)13.94 |
| | योग—789 | 5,521.00 | 5,732.20 | 0.00 | 5,732.20 | 20,113.27 | (+)3.82 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोगना— | | | | | | |
| | दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना | 0.00 | 1,453.00 | 0.00 | 1,453.00 | 5,098.50 | (+)100.00 |
| | सोलर पम्प को सहायता अनुदान | 20,363.26 | 18,149.40 | 0.00 | 18,149.40 | 75,369.26 | (-)10.87 |
| | प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य योजना) | 950.00 | 1,587.64 | 0.00 | 1,587.64 | 3,487.64 | (+)67.12 |
| | मुख्य मंत्री माजरा टोला विद्युतीकरण योजना | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 798.21 | (+)100.00 |
| | घटाएं— विद्युत विकास निधि से प्रतिपूरित व्यय | (-)3,620.26 | (-)3,117.04 | 0.00 | (-)3,117.04 | (-)19,514.71 | (-)13.90 |
| | योग—796 | 17,693.00 | 18,073.80 | 0.00 | 18,073.80 | 65,238.90 | (+)2.15 |
| 902 | घटाएं—से प्रतिपूरित व्यय | | | | | | |
| | | (-)4,763.50 | (-)4,100.40 | 0.00 | (-)4,100.40 | (-)26,196.10 | (-)13.92 |
| | योग—4810 | 46,499.00 | 47,462.40 | 0.00 | 47,462.40³³ | 1,67,774.57 | (+)2.07 |
| | योग—(ड) उर्जा का पूंजीगत लेखा | 59,499.00 | 51,671.00 | 0.00 | 51,671.00 | 9,15,509.89 | (-)13.16 |

³³ पूंजीगत सम्पत्तियों के निर्माण हेतु ₹ 55,663.60 लाख का व्यय सम्मिलित है।

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरा वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत |
|----------------|--|----------------------------|---|------|---------------------------------|---|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | |
| (च) | उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा— | | | | | |
| 4851 | ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय— | | | | | |
| 101 | औद्योगिक क्षेत्र— | | | | | |
| | जगदलपुर में एग्रो पार्क की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | भिलाई में साफ्टवेयर पार्क की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
| | राजनांदगांव में फुड पार्क की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,901.08 |
| | भूमि अधिग्रहण एवं विकास—क्षतिपूर्ति का भुगतान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,541.20 |
| | सर्वेक्षण एवं सीमांकन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.35 |
| | औद्योगिक क्षेत्र/संपदा में सड़कों/पुलियों का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,581.38 |
| | औद्योगिक क्षेत्र/संपदा में जल आपूर्ति | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,356.67 |
| | औद्योगिक क्षेत्र में बिजली आपूर्ति | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.61 |
| | औद्योगिक पार्कों के लिए अनुदान | 499.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,946.37 |
| | घटायें—पूंजीगत लेखे में प्राप्तियां और वसूलिया | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)2.14 |
| | छत्तीसगढ़ उद्योग केन्द्र की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,825.00 |
| | उद्योग भवन का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.62 |
| | औद्योगिक विकास हेतु सड़क निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.00 |
| | औद्योगिक क्षेत्र में अधोसंरचना उन्नयन | 1,455.52 | 723.30 | 0.00 | 723.30 | 14,690.37 |
| | जिला औद्योगिक कार्यालय भवन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.70 |
| | मध्य राज्य उद्योग विकास निगम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,249.18 |
| | मध्य प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646.95 |
| | मध्य प्रदेश राज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम भोपाल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388.19 |
| | मध्य प्रदेश राज्य विद्युत करघा वस्त्र विपणन संघ बुरहानपुर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.55 |
| | निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.86 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|---|----------------------------|---|-------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| (च) | उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 4851 | ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-जारी | | | | | | |
| 101 | औद्योगिक क्षेत्र-समाप्त | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.48 | 0.00 |
| | योग-101 | 1,954.56 | 723.30 | 0.00 | 723.30 | 59,435.42 | (-62.99) |
| 102 | लघु उद्योग- | | | | | | |
| | मध्य प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.45 | 0.00 |
| | मध्य प्रदेश राज्य उद्योग इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम भोपाल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.64 | 0.00 |
| | शासकीय औद्योगिक उपकरणों में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.68 | 0.00 |
| | प्रुडेनशियल निवेश कंपनी मुम्बई | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.81 | 0.00 |
| | विस्थापित व्यक्तियों का औद्योगिक पुनर्वास | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.73 | 0.00 |
| | घटायें-पूंजीगत लेखे में प्राप्तियां और वसूलियों | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)0.18 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.87 | 0.00 |
| | योग-102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,073.00 | 0.00 |
| 103 | हथकरघा उद्योग- | | | | | | |
| | भारतीय हाथकरघा औद्योगिक संस्थान की स्थापना | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 559.03 | (+)100.00 |
| | घटायें-पूंजीगत लेखे में प्राप्तियां और वसूलियों | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)0.62 | 0.00 |
| | योग-103 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 558.41 | (+)100.00 |
| 104 | हस्तशिल्प उद्योग- | | | | | | |
| | घटायें-पूंजीगत लेखे में प्राप्तियां और वसूलिया | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)0.01 | 0.00 |
| 105 | खादी तथा ग्राम उद्योग | | | | | | |
| | खादी बोर्ड की स्थापना के लिए अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.12 | 0.00 |
| | चमड़ा विकास निगम के अंशपूंजी में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.32 | 0.00 |
| | बंगाल नागपुर सूती कारखाना मर्यादित, राजनांदगांव | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| | अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.87 | 0.00 |
| | योग-105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.43 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|--|-------------|---------------------------|---|------------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (च) | उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4851 | ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 107 | रेशम उत्पादन उद्योग— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 |
| | रेशम केन्द्रों में सिंचाई सुविधायें तथा अन्य निर्माण कार्य | 14.34 | 74.98 | 0.00 | 74.98 | 906.00 | (+)422.87 |
| | टसर कार्यक्रम का विस्तार एवं विकास | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 613.92 | 0.00 |
| | घटायें—पूंजीगत लेखे में प्राप्तियां और वसूलिया | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)3.78 | 0.00 |
| | मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.28 | 0.00 |
| | मध्य प्रदेश चमड़ा विकास निगम भोपाल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.65 | 0.00 |
| | योग—107 | 14.34 | 74.98 | 0.00 | 74.98 | 1,595.97 | (+)422.87 |
| 108 | बिजली करघा उद्योग— | | | | | | |
| | बिजली करघा सहकारिता | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.81 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 0.00 |
| | योग—108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.58 | 0.00 |
| 109 | सम्मिश्रण ग्राम तथा लघु उद्योग सहकारी समितियां— | | | | | | |
| | रिवाल्विंग फण्ड | 15.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 196.07 | (-)20.00 |
| | घटायें—पूंजीगत लेखे में प्राप्तियां और वसूलिया | (-)12.16 | (-)3.55 | 0.00 | (-)3.55 | (-)41.61 | (-)70.80 |
| | योग | 2.84 | 8.45 | 0.00 | 8.45 | 142.46 | (+)197.53 |
| | सामान्य सुविधा केन्द्रों/वाहनसुविधाओं/पुनर्वास हेतु परियोजना पैकेज (हाथकरघा) योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.18 | 0.00 |
| | घटायें—पूंजीगत लेखे में प्राप्तियां और वसूलिया | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)4.31 | 0.00 |
| | योग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.87 | 0.00 |
| | औद्योगिक सहकारिता के लिए वित्तीय आधार का सुदृढीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 |
| | घटायें—पूंजीगत लेखे में प्राप्तियां और वसूलिया | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)0.76 | 0.00 |
| | योग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.34 | 0.00 |
| | दि कल्याणमल मिल्स मर्यादित, इन्दौर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारित व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|--|-------------|---------------------------|---|------------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (च) | उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4851 | ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 109 | सम्मिश्रण ग्राम तथा लघु उद्योग सहकारी समितियां—समाप्त | | | | | | |
| | मध्य प्रदेश हाथकरघा बुनकर केन्द्रीय सहकारी समिति, जबलपुर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.39 | 0.00 |
| | औद्योगिक सहकारी समितियां | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.09 | 0.00 |
| | मध्य प्रदेश हाथकरघा बुनकर सहकारी समितियां | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.04 | 0.00 |
| | बुनकर सहकारी समिति, चंदेरी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 |
| | अखिल भारतीय हाथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति, मर्यादित, मुंबई | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| | सहकारी कताई कारखाना मर्यादित, बुरहानपुर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.79 | 0.00 |
| | प्राथमिक विद्युतकरघा बुनकर सहकारी समितियों की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 0.00 |
| | विद्युतकरघा कर्मशाला | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00 |
| | प्राथमिक हाथकरघा बुनकर समितियां | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.61 | 0.00 |
| | विद्युत करघा कॉम्पलेक्स | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.82 | 0.00 |
| | साईजिंग प्लांट की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 0.00 |
| | अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.70 | 0.00 |
| | योग-109 | 2.84 | 8.45 | 0.00 | 8.45 | 672.96 | (+)197.53 |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश— | | | | | | |
| | मध्य प्रदेश व्यापार निवेश सुगमता निगम मर्यादित | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.05 | 0.00 |
| | श्रमिक सहकारी सूती कारखाना मर्यादित, उज्जैन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.87 | 0.00 |
| | योग-190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.96 | 0.00 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष— | | | | | | |
| | खादी एवं ग्राम उद्योग-रेशम उद्योगों का विकास | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.98 | 0.00 |
| | रिवाल्विंग फंड | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.06 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|---|-------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| (च) | उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 4851 | ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-जारी | | | | | | |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष-समाप्त | | | | | | |
| | घटायें-पूंजीगत लेखे में प्राप्तियां और वसूलिया | 0.00 | (-)0.39 | 0.00 | (-)0.39 | (-)27.52 | (+)100.00 |
| | रेशम उद्योगों हेतु विकास कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.75 | 0.00 |
| | औद्योगिक सहकारिता के लिये वित्तीय आधार का सुदृढीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 0.00 |
| | परियोजना पैकेज (हाथकरघा) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.53 | 0.00 |
| | निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.47 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.50 | 0.00 |
| | योग-789 | 19.20 | (-)0.39 | 0.00 | (-)0.39 | 216.09 | (-)97.97 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना- | | | | | | |
| | वित्तीय आधार के सुदृढीकरण हेतु सहायता (औद्योगिक सहकारिता) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.00 |
| | नवीन औद्योगिक परिसर की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,257.91 | 0.00 |
| | दल्लीराजहरा रावघाट जगदलपुर रेल लाईन परियोजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| | रिवाल्विंग फंड | 6.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 55.59 | (-)25.00 |
| | घटायें-पूंजीगत लेखे में प्राप्तियां और वसूलिया | (-)4.00 | (-)0.76 | 0.00 | (-)0.76 | (-)20.69 | (-)81.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.72 | 0.00 |
| | निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 511.59 | 0.00 |
| | योग-796 | 2.00 | 3.74 | 0.00 | 3.74 | 3,744.16 | (+)87.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|---|----------------------------|---|-------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेंवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (च) | उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4851 | ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय—समाप्त | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | | |
| | घटायें—पूंजीगत लेखे में प्राप्तियां और वसूलियां | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)0.01 | 0.00 |
| | औद्योगिक निवेश ट्रस्ट मर्यादित, मुंबई | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| | मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र विपणन संघ, बुरहानपुर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| | मध्य प्रदेश रेशम संघ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.92 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 |
| | योग—800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.33 | 0.00 |
| | योग—4851 | 1,992.94 | 885.08 | 0.00 | 885.08 | 67,638.30 | (-)55.59 |
| 4852 | लौह तथा इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय— | | | | | | |
| 01 | खनन— | | | | | | |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश— | | | | | | |
| | लौह तथा इस्पात कम्पनी मर्यादित, मुंबई में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.33 | 0.00 |
| | योग—01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.33 | 0.00 |
| 02 | विनिर्माण— | | | | | | |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश— | | | | | | |
| | अधोसंरचना के लिए आर्थिक सहायता | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,630.00 | 0.00 |
| | योग—02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,630.00 | 0.00 |
| | योग—4852 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,639.33 | 0.00 |
| 4853 | अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय— | | | | | | |
| 01 | खनिज अन्वेषण तथा विकास— | | | | | | |
| 004 | अनुसंधान तथा विकास— | | | | | | |
| | छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि से व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,780.00 | 0.00 |
| | यातायात नेटवर्क (नागर विमानन) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,300.00 | 0.00 |
| | यातायात नेटवर्क (रेल मार्ग) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,220.45 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|---|----------------------------|---|-------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (च) | उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4853 | अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 01 | खनिज अन्वेषण तथा विकास—समाप्त | | | | | | |
| 004 | अनुसंधान तथा विकास—समाप्त | | | | | | |
| | यातायात नेटवर्क (सड़क) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 392.25 | 222.34 | 0.00 | 222.34 | 4,771.42 | (-)43.32 |
| | योग—004 | 392.25 | 222.34 | 0.00 | 222.34 | 1,30,071.87 | (-)43.32 |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश— | | | | | | |
| | छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन की अंशपूजी में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| | अन्य निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 0.00 |
| | योग—190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.35 | 0.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना— | | | | | | |
| | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | | | | | | |
| | अन्य निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| | योग—796 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.82 | 0.00 |
| 902 | घटाएं—छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि से प्रतिपूरित व्यय | (-)340.24 | (-)185.07 | 0.00 | (-)185.07 | (-)1,29,870.46 | (-)45.61 |
| | योग—01 | 52.02 | 37.27 | 0.00 | 37.27 | 309.69 | (-)28.35 |
| 02 | अलौह धातु— | | | | | | |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश— | | | | | | |
| | मैंगनीज अयस्क (इंडिया) मर्यादित | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.14 | 0.00 |
| | मेसर्स श्यामा इंजन वाल्वस मर्यादित, नई दिल्ली | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत |
|----------------|---|----------------------------|--|------|---------------------------|---|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | |
| (घ) | उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | |
| 4853 | अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय—समाप्त | | | | | |
| 02 | अलौह धातु—समाप्त | | | | | |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश—समाप्त | | | | | |
| | लौह अयस्क खान श्रमिक सहकारी समिति, दुर्ग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| | अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
| | योग—190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.37 |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| | योग—02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.17 |
| 60 | अन्य खनन तथा धातुकर्म उद्योग— | | | | | |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश— | | | | | |
| | राज्य खनन निगम में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.84 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोगना— | | | | | |
| | मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम मर्यादित में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.40 |
| | अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | |
| | मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम मर्यादित में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.22 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| | योग—60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.90 |
| | योग—4853 | 52.02 | 37.27 | 0.00 | 37.27 | 424.76 |
| 4854 | सीमेंट तथा धातुरहित खनिज उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय— | | | | | |
| 01 | सीमेंट— | | | | | |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश— | | | | | |
| | एसोसिएटेड सीमेन्ट कम्पनी मर्यादित, मुंबई | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 |
| | योग—4854 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 |
| | | | | | | (-) 28.35 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|---|----------------------------|--|------|---------------------------|---|------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (च) | उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 4858 | इंजीनियरी उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय— | | | | | | |
| 60 | अन्य खनन तथा धातुकर्म उद्योग— | | | | | | |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश— | | | | | | |
| | मशीनरी मैनुफैक्चरिंग निगम मर्यादित, मुंबई | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
| | हिन्दालको मर्यादित, मुंबई | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 |
| | इंजीनियरों और डिप्लोमा धारियों के लिए सहकारी समिति, भोपाल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| | अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| | योग—190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.00 |
| | योग—4858 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.00 |
| 4860 | उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय— | | | | | | |
| 01 | वस्त्रोद्योग— | | | | | | |
| 004 | अनुसंधान तथा विकास— | | | | | | |
| | मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र उद्योग निगम, भोपाल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.32 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.99 | 0.00 |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश— | | | | | | |
| | मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र उद्योग निगम, भोपाल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.29 | 0.00 |
| | योग—01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.60 | 0.00 |
| 03 | चमड़ा— | | | | | | |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश— | | | | | | |
| | मध्य प्रदेश चमड़ा विकास निगम, भोपाल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.50 | 0.00 |
| 04 | चीनी— | | | | | | |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश— | | | | | | |
| | जिवाजी राव शक्कर कम्पनी मर्यादित दलोदा, जिला मंदसौर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 0.00 |
| | महारानी पार्वतीबाई शक्कर कारखाना मर्यादित, सारंगपुर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत |
|----------------|---|----------------------------|--|-------------|---------------------------|---|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | |
| (च) | उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | |
| 4860 | उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय—समाप्त | | | | | |
| 04 | चीनी—समाप्त | | | | | |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश—समाप्त | | | | | |
| | विक्रम शक्कर कारखाना मर्यादित, आलोट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
| | केसर शक्कर कारखाना मर्यादित मुंबई | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| | ग्वालियर शक्कर कारखाना, डबरा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.74 |
| | सहकारी वस्त्र कारखाना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.82 |
| | अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.22 |
| | योग—190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.37 |
| 05 | कागज तथा अखबारी कागज— | | | | | |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश— | | | | | |
| | कागज विनिर्माण कारखाना मर्यादित, नेपालगर में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.18 |
| 60 | अन्य— | | | | | |
| 600 | अन्य— | | | | | |
| | रेशम उद्योग का विकास | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोगना— | | | | | |
| | मध्य प्रदेश राज्य वस्त्रोद्योग निगम, भोपाल में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.90 |
| | अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.49 |
| | योग—60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.59 |
| | योग—4860 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.24 |
| 4875 | अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय— | | | | | |
| 60 | अन्य उद्योग— | | | | | |
| 004 | अनुसंधान तथा विकास— | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.23 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत |
|----------------|--|----------------------------|--|-------------|---------------------------|---|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | |
| (च) | उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | |
| 4875 | अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय—समाप्त | | | | | |
| 60 | अन्य उद्योग—समाप्त | | | | | |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना— | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| | निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.63 | 0.00 |
| | योग—796 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.69 | 0.00 |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.03 | 0.00 |
| | निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970.59 | 0.00 |
| | योग—60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.62 | 0.00 |
| | योग—4875 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,213.54 | 0.00 |
| 4885 | उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय— | | | | | |
| 01 | औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं में निवेश— | | | | | |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश— | | | | | |
| | राज्य वित्त निगम में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.73 | 0.00 |
| | छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,110.06 | 0.00 |
| | छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 |
| | योग—190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,945.79 | 0.00 |
| 200 | अन्य निवेश— | | | | | |
| | अन्य उद्योग संस्थान में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.89 | 0.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना— | | | | | |
| | उद्योग निगम में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.51 | 0.00 |
| | योग—01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,587.19 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत |
|----------------|--|----------------------------|---|-------------|---------------|---------------------------------|--|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (च) | उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा—समाप्त | | | | | | |
| 4885 | उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय—समाप्त | | | | | | |
| 02 | पिछड़े क्षेत्रों का विकास— | | | | | | |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोगना— | | | | | | |
| | राज्य वित्त निगम में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.63 | 0.00 |
| | उद्योग निगम में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.73 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| | योग—796 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.40 | 0.00 |
| | योग—02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.40 | 0.00 |
| 60 | अन्य— | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.03 | 0.00 |
| | योग—4885 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,634.62 | 0.00 |
| | योग—(च)—उद्योग एवं खनिजों का पूंजीगत लेखा | 2,044.96 | 922.35 | 0.00 | 922.35 | 76,871.11 | (-)54.90 |
| (छ) | परिवहन का पूंजीगत लेखा— | | | | | | |
| 5053 | नागर विमानन पर पूंजीगत व्यय— | | | | | | |
| 02 | विमान पत्तन— | | | | | | |
| 001 | निदेशन और प्रशासन— | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.78 | 0.00 |
| 102 | हवाई अड्डा— | | | | | | |
| | विमानपट्टियों का निर्माण एवं विस्तार | 0.00 | 167.72 | 0.00 | 167.72 | 9,510.85 | (+)100.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.77 | 0.00 |
| | योग—102 | 0.00 | 167.72 | 0.00 | 167.72 | 9,647.62 | (+)100.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोगना— | | | | | | |
| | बलरामपुर में हवाई पट्टी का निर्माण | 140.11 | 8.61 | 0.00 | 8.61 | 1,359.80 | (-)93.85 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|---|----------------------------|---|-------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (छ) | परिवहन का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 5053 | नागर विमानन पर पूंजीगत व्यय—समाप्त | | | | | | |
| 02 | विमान पत्तन—समाप्त | | | | | | |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना—समाप्त | | | | | | |
| | अम्बिकापुर में दरीमा हवाई पट्टी का उन्नयन एवं नवीनीकरण | 68.48 | 10.37 | 0.00 | 10.37 | 1,437.91 | (-)84.85 |
| | विमानपट्टियों का निर्माण एवं विस्तार | 8.15 | 516.04 | 0.00 | 516.04 | 1,954.79 | (+)6,231.78 |
| | योग—796 | 216.74 | 535.02 | 0.00 | 535.02 | 4,752.50 | (+)146.85 |
| | योग—02 | 216.74 | 702.74 | 0.00 | 702.74 | 14,406.90 | (+)224.23 |
| 60 | अन्य वैमानिक सेवायें— | | | | | | |
| 052 | मशीनरी तथा उपस्कर— | | | | | | |
| | हवाई जहाज/हेलीकाप्टर की खरीदी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,802.12 | 0.00 |
| 102 | नौसंचालन तथा वायुमार्ग सेवा— | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.63 | 0.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना— | | | | | | |
| | विमानपट्टियों का निर्माण एवं विस्तार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 0.00 |
| | योग—60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,836.91 | 0.00 |
| | योग—5053 | 216.74 | 702.74 | 0.00 | 702.74 | 21,243.81 | (-)224.23 |
| 5054 | सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय— | | | | | | |
| 03 | राज्य राजमार्ग— | | | | | | |
| 001 | निदेशन और प्रशासन— | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.20 | 0.00 |
| 052 | मशीनरी एवं उपस्कर— | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.94 | 0.00 |
| 101 | सेतु— | | | | | | |
| | नाबार्ड ऋण सहायता के अन्तर्गत वृहद पुलों का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,980.80 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|---|------|---------------------------------|--|-----------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (छ) | परिवहन का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 5054 | सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 03 | राज्य राजमार्ग—जारी | | | | | | |
| 101 | सेतु—जारी | | | | | | |
| | अभनपुर—राजीम—गरियाबन्द मार्ग में महानदी नदी पर पुल का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,985.59 | 0.00 |
| | पैरी पुल पांडूका | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,072.79 | 0.00 |
| | अन्तागढ़ मार्ग में शिवनाथ नदी मोहरा के पास पुल का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,331.01 | 0.00 |
| | वृहद पुलों का निर्माण | 13,405.61 | 11,117.24 | 0.00 | 11,117.24 | 79,014.50 | (-)-17.07 |
| | शिवनाथ नदी पर अर्जुनी रातापली सड़क का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,046.16 | 0.00 |
| | भाटापारा में रेलवे ओव्हर ब्रिज का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,933.60 | 0.00 |
| | डोंगरगांव में रेलवे ओव्हर ब्रिज का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,165.75 | 0.00 |
| | घोडापाली—पकरीया—नवापारा मार्ग पर पुल का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,365.52 | 0.00 |
| | महानदी में जैतपुर—हसोद मार्ग पर पुल का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.86 | 0.00 |
| | सोनेसर अर्जुनी सड़क में शिवनाथ नदी में घाघई में पुल का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,667.71 | 0.00 |
| | रेलवे ओव्हर ब्रिज का निर्माण | 7,208.94 | 5,054.30 | 0.00 | 5,054.30 | 27,856.43 | (-)-29.89 |
| | जोरा—सड्डू—धनेली मार्ग पर फ्लाई ओव्हर का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,801.25 | 0.00 |
| | दोनार—बोरसी सड़क महानदी नदी पर पुल का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,165.21 | 0.00 |
| | सुरजगढ़ के पास महानदी नदी पर उच्च दर्जे का पुल का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,616.45 | 0.00 |
| | पेंड़ी—गोमता सड़क में हसदेव नदी पर पुल का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,463.19 | 0.00 |
| | रायपुर बलौदाबाजार मार्ग पर पुल का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,335.40 | 0.00 |
| | पुसार एवं सरिया के मध्य महानदी नदी पर पुल का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,263.84 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत |
|----------------|--|----------------------------|---|------|---------------------------------|--|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | |
| (छ) | परिवहन का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | |
| 5054 | सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-जारी | | | | | |
| 03 | राज्य राजमार्ग-जारी | | | | | |
| 101 | सेतु-जारी | | | | | |
| | रावेली भारेगांव शिवनाथ नदी पर पुल का निर्माण | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,085.88 (-)100.00 |
| | जिला रायपूर बलौदा बाजार मार्ग पर फोरलेन पुल का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.95 0.00 |
| | राजिम के चिंगरौड़ मार्ग पर सुखा नदी पर पुल का निर्माण | 17.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,489.14 (-)100.00 |
| | राधापूर-घुगवा मार्ग मांड नदी पर पुल का निर्माण | 129.52 | 158.37 | 0.00 | 158.37 | 834.65 (+)22.27 |
| | रायगढ़ में पनझार देवी मार्ग में मांड नदी पर पुल का निर्माण | 165.70 | 146.60 | 0.00 | 146.60 | 798.42 (-)11.53 |
| | चक्रभाटा-मोटरी मार्ग रेल्वे क्रॉसिंग पर ओव्हर ब्रिज का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,147.96 0.00 |
| | रायपुर नाका दुर्ग में वाई शेप रेल्वे ओवर ब्रिज का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,530.69 0.00 |
| | तिल्दा बलौदा बाजार मार्ग में हावड़ा-मुंबई रेल लाईन पर रेलवे ओव्हर ब्रिज का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,705.09 0.00 |
| | लाल खदान क्रॉसिंग में हावड़ा-मुंबई रेल लाईन पर रेलवे ओव्हर ब्रिज का निर्माण | 86.60 | 54.65 | 0.00 | 54.65 | 1,902.17 (-)36.89 |
| | डोंगरगढ़ में रेलवे ओव्हर ब्रिज का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.59 0.00 |
| | जॉजगीर चापा यार्ड में रेलवे ओव्हर ब्रिज का निर्माण | 137.03 | 78.82 | 0.00 | 78.82 | 2,455.98 (-)42.48 |
| | राम नगर से समता कालोनी के मध्य रेलवे अंडर ब्रिज का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,605.47 0.00 |
| | राजनांदगांव ममता नगर में अंडर ब्रिज का निर्माण | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,216.67 (-)100.00 |
| | राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कोटा मार्ग का अंडरब्रिज का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,287.00 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारित व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|---|----------------------------|---|-------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (छ) | परिवहन का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 5054 | सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 03 | राज्य राजमार्ग—जारी | | | | | | |
| 101 | सेतु—समाप्त | | | | | | |
| | सिरसा गेट में रेलवे अंडर ब्रिज का निर्माण | 242.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,073.02 | (-)100.00 |
| | नेहरू नगर भिलाई में रेलवे अंडर ब्रिज का निर्माण | 9.93 | 124.74 | 0.00 | 124.74 | 396.86 | (+)1,156.19 |
| | जांजगीर चापा में खोकसा रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण | 109.79 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 2,082.91 | (-)54.46 |
| | बिलासपुर कटनी रेलवे लाईन पर गौरेला में रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.17 | 0.00 |
| | अकलतरा में रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 855.37 | 0.00 |
| | मरोदा में रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण | 0.42 | 498.84 | 0.00 | 498.84 | 3,335.89 | (+)1,18,671.43 |
| | गौरेला में बिलासपुर कटनी रेल लाइन पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण | 1,036.79 | 633.06 | 0.00 | 633.06 | 2,484.15 | (-)38.94 |
| | चक्रभाटा में रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.89 | 0.00 |
| | शंकर नगर, रायपुर में रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण | 765.94 | 517.64 | 0.00 | 517.64 | 7,195.59 | (-)32.42 |
| | नेहरू नगर, भिलाई में रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण | 24.34 | 34.85 | 0.00 | 34.85 | 1,906.90 | (+)43.17 |
| | पैसार घाट के पास भुईगांव शिवनाथ नदी पर पुल का निर्माण | 175.19 | 325.23 | 0.00 | 325.23 | 777.81 | (+)85.64 |
| | अंजोरा चांगोरी अलबरस विनायकपुर मार्ग में शिवनाथ नदी पर पुल का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 837.07 | 0.00 |
| | रेवे से खमरियों मार्ग में शिवनाथ नदी पर उच्च दर्जा का पुल का निर्माण | 131.20 | 262.89 | 0.00 | 262.89 | 1,223.45 | (+)100.37 |
| | रैं दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 18.83 | 0.00 | 18.83 | 28,921.70 | (+)100.00 |
| | योग—101 | 23,647.89 | 19,076.06 | 0.00 | 19,076.06 | 2,12,413.50 | (-)19.33 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|--|------|---------------------------|---|--------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (छ) | परिवहन का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 5054 | सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 337 | सड़क निर्माण कार्य— | | | | | | |
| | राष्ट्रीय राजमार्ग नं.6 से हवाई अड्डे तक छ: लाईन सड़क | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,581.58 | 0.00 |
| | केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) | 26,687.37 | 31,794.20 | 0.00 | 31,794.20 | 1,15,519.60 | (+)19.13 |
| | जशपुर—आस्था कुसमी मार्ग का निर्माण (सीआरएफ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,172.23 | 0.00 |
| | जिला बिलासपुर में सिपत—बलौदा—कोरबा मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण (सीआरएफ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,041.13 | 0.00 |
| | बसना—भंवरपुर—सेंगारपाली मार्ग का चौड़ीकरण तथा मजबूतीकरण (सीआरएफ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,453.31 | 0.00 |
| | केन्द्री (चोटियों)—बार्डर (खड़गांव) बैकुण्ठपुर—सोनहत मार्ग 14 कि.मी. का चौड़ीकरण तथा मजबूतीकरण (सीआरएफ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.60 | 0.00 |
| | सीपत बेलतरा मार्ग (सीआरएफ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,499.26 | 0.00 |
| | मनेन्द्रगड—केन्द्री (चोटियों)—बार्डर (खड़गांव) बैकुण्ठपुर—सोनहत मार्ग 12.60 कि.मी. का चौड़ीकरण तथा मजबूतीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,561.91 | 0.00 |
| | कासाबेल—सरायपानी मार्ग का चौड़ीकरण तथा मजबूतीकरण का कार्य (सीआरएफ) | 355.82 | 419.84 | 0.00 | 419.84 | 1,037.24 | (+)17.99 |
| | गौरैला—करंगरा मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण (सीआरएफ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,633.47 | 0.00 |
| | काशीराम नगर के पास नहर पर पलाई ओवर का निर्माण (सीआरएफ) | 7.58 | 904.50 | 0.00 | 904.50 | 5,345.21 | (+)11,832.72 |
| | पिथौरा—बागबहारा—कोमाखान—चूरा—गरियाबंद मार्ग पर पुल का निर्माण (सीआरएफ) | 11.91 | 39.30 | 0.00 | 39.30 | 1,738.90 | (+)229.97 |
| | गोगांव—गुढीयारी मार्ग पर ओवर ब्रिज एवं अंडर ब्रिज का निर्माण (सीआरएफ) | 48.43 | 9.46 | 0.00 | 9.46 | 483.64 | (-)80.47 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत |
|----------------|---|----------------------------|---|------|---------------------------------|--|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | |
| (छ) | परिवहन का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | |
| 5054 | सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | |
| 337 | सड़क निर्माण कार्य—जारी | | | | | |
| | लेवल क्रॉसिंग नं. 424-बी-गुढीयारी-गोंदवारा मार्ग पर रेल्वे अंडर ब्रिज का निर्माण (सीआरएफ) | 770.05 | 93.50 | 0.00 | 93.50 | 2,511.61 (-)87.86 |
| | राजनांदगांव-अर्जूनदा-गुण्दरदेही मार्ग कुम्हालोरी नाला पर पुल का निर्माण (सीआरएफ) | 84.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596.47 (-)100.00 |
| | दुर्ग-धमधा-बेमेतरा मार्ग में करुहा नाला पर पुल का निर्माण (सीआरएफ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596.77 0.00 |
| | राजनांदगांव-कवर्धा-पोण्डी मार्ग में करर् नाला पर पुल का निर्माण (सीआरएफ) | 116.41 | 8.43 | 0.00 | 8.43 | 481.64 (-)92.76 |
| | रायगढ़ में घरघोरा बायपास मार्ग का उन्नयन कार्य | 0.00 | 388.87 | 0.00 | 388.87 | 388.87 (+)100.00 |
| | रायपुर (35 कि.मी.) पंडरिया-डोटोपार-भालूकोना मार्ग का उन्नयन कार्य | 0.00 | 1,632.73 | 0.00 | 1,632.73 | 1,632.73 (+)100.00 |
| | रायगढ़ में पथलगांव कापू मार्ग का उन्नयन कार्य (10.50 कि.मी.) | 0.00 | 1,449.55 | 0.00 | 1,449.55 | 1,449.55 (+)100.00 |
| | बलौदाबाजार (19.20 कि.मी.) भाटापारा से धनेली मार्ग का उन्नयन कार्य | 0.00 | 2,442.65 | 0.00 | 2,442.65 | 2,442.65 (+)100.00 |
| | भाटापारा से निपोनिया (19 कि.मी.) मार्ग निर्माण | 0.00 | 2,780.30 | 0.00 | 2,780.30 | 2,780.30 (+)100.00 |
| | महासमुन्द-राजिम मार्ग का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,783.80 0.00 |
| | मुंगेली 51 से पोन्डी 105 कि.मी. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,259.70 0.00 |
| | अम्बिकापुर-सेमरसोत मार्ग निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,543.61 0.00 |
| | कपसरा-वाङ्गनगर-धनचर रामानुजगंज मार्ग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,596.85 0.00 |
| | कुम्हारी-अहिवारा-बेमेतरा-बेरला मार्ग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,698.89 0.00 |
| | मोहला-महाराष्ट्र बार्डर मार्ग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,751.91 0.00 |
| | राजनांदगांव-मोहला मार्ग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,082.34 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|---|------|---------------------------------|--|-----------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (छ) | परिवहन का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 5054 | सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 337 | सड़क निर्माण कार्य—जारी | | | | | | |
| | कुकमेरा—कवर्धा मार्ग का उन्नयन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,382.68 | 0.00 |
| | मुंगेली—पोन्डी मार्ग का उन्नयन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295.29 | 0.00 |
| | राजनांदगांव—कुकमेरा मार्ग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,165.71 | 0.00 |
| | घनेली—सड्डु मार्ग का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,188.86 | 0.00 |
| | धनोरा—मुरुमगाँव मार्ग का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,340.81 | 0.00 |
| | कुम्हारी—बेहटा—बेमेतरा—नवागढ.—मुंगेली मार्ग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,237.32 | 0.00 |
| | अम्बिकापुर—सेमरसोत मार्ग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,099.40 | 0.00 |
| | हथबंध—सिमगा—कपसरा—वाङ्गफनगर— धनवार—रामानुजगंज मार्ग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,078.71 | 0.00 |
| | पधरी—पंडरिया—मुंगेली—तखतपुर मार्ग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,366.15 | 0.00 |
| | अभनपुर—राजिम—गरियाबन्द मार्ग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,894.12 | 0.00 |
| | कापसरी हाथीदाड मार्ग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,731.00 | 0.00 |
| | छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास परियोजना (सीएसआरडीएसपी) | 21,875.37 | 5,392.35 | 0.00 | 5,392.35 | 87,436.07 | (-)75.35 |
| | कोण्डागांव मार्ग (सीएसआरडीएसपी) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850.96 | 0.00 |
| | धमतरी नगरी मार्ग का निर्माण (सीएसआरडीएसपी) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,577.71 | 0.00 |
| | धमधा—रोहदा—जोहरातराई—अतरिया—खैरागढ़ मार्ग | 628.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,867.34 | (-)100.00 |
| | चंदखुरी—मारो—संबलपुर—नवराह—चिरहा—उमरीया मार्ग का निर्माण (सीएसआरडीएसपी) | 2,408.70 | 451.08 | 0.00 | 451.08 | 7,967.30 | (-)81.27 |
| | रतनपुर—कोटा—लोरमी—पंडरिया—मुंगेली मार्ग (सीएसआरडीएसपी) | 3,373.40 | 1,323.30 | 0.00 | 1,323.30 | 11,753.46 | (-)60.77 |
| | जयराम नगर—मस्तुरी—मल्हार—जोधरा—लवन मार्ग का निर्माण (सीएसआरडीएसपी) | 679.22 | 222.26 | 0.00 | 222.26 | 10,703.06 | (-)67.27 |
| | नंदघाट—भाटापारा—बलौदाबाजार—कसडोल—गिधोरी मार्ग | 1,575.00 | 1,092.67 | 0.00 | 1,092.67 | 23,346.94 | (-)30.62 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत |
|----------------|--|----------------------------|--|------|---------------------------|---|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | |
| ग | आर्थिक सेंवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | |
| (छ) | परिवहन का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | |
| 5054 | सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | |
| 03 | राज्य राजमार्ग—जारी | | | | | |
| 337 | सड़क निर्माण कार्य—जारी | | | | | |
| | शिवरी नारायण—बिरा—चापा मार्ग का निर्माण (सीएसआरडीएसपी) | 895.95 | 370.69 | 0.00 | 370.69 | 10,445.38 (-)58.63 |
| | रायपुर—उरला—पथरीधी—बेरला—कोटबा मार्ग (सीएसआरडीएसपी) | 2,378.84 | 467.69 | 0.00 | 467.69 | 7,947.35 (-)80.34 |
| | खैरागढ़—डोंगरगढ़—तुम्बीबोड़ मार्ग (सीएसआरडीएसपी) | 704.19 | 5.49 | 0.00 | 5.49 | 7,887.36 (-)99.22 |
| | सिमगा—तिल्दा—खरोरा—आरंग—नयापारा—कुरुद मार्ग (सीएसआरडीएसपी) | 4,456.06 | 1,453.18 | 0.00 | 1,453.18 | 25,233.24 (-)67.39 |
| | रायपुर—बलौदा बाजार मार्ग (सीएसआरडीएसपी) | 2,707.77 | 961.62 | 0.00 | 961.62 | 18,891.69 (-)64.49 |
| | राजनांदगांव मार्ग (सीएसआरडीएसपी) | 2,130.47 | 892.44 | 0.00 | 892.44 | 19,028.19 (-)58.11 |
| | बालोद—धमतरी मार्ग (सीएसआरडीएसपी) | 1,103.76 | 355.72 | 0.00 | 355.72 | 5,093.90 (-)67.77 |
| | चिल्फी—रेंगाखर—सेलवेहरा मार्ग (सीएसआरडीएसपी) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050.68 0.00 |
| | अंडा—फुण्डा मार्ग का निर्माण (सीएसआरडीएसपी) | 476.10 | 11.35 | 0.00 | 11.35 | 5,538.40 (-)97.62 |
| | बोदला तारेगांव दलदली मार्ग (सीएसआरडीएसपी) | 482.21 | 1,737.87 | 0.00 | 1,737.87 | 6,053.02 (+)260.40 |
| | छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास अंचल परियोजना | 158.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,483.87 (-)100.00 |
| | राजनांदगांव में अग्रवाल ट्रान्सपोर्ट चौक से लखौटी चौक तक सड़क का निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,528.16 0.00 |
| | पंडरी से जीरो प्वाइंट विधान सभा तक फोरलेन सड़क | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,654.12 0.00 |
| | राज्य के राजमार्गों का निर्माण | 3,467.99 | 1,389.37 | 0.00 | 1,389.37 | 36,908.48 (-)59.94 |
| | अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम फरसादा के चारों तरफ सिमेंट कांक्रीट की दीवार का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.99 0.00 |
| | उत्तई—पाटन—तरी घाट मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,758.93 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारित व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|---|----------------------------|---|------|---------------------------------|--|----------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (छ) | परिवहन का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 5054 | सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 03 | राज्य राजमार्ग—जारी | | | | | | |
| 337 | सड़क निर्माण कार्य—जारी | | | | | | |
| | जलबंधा मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,547.12 | 0.00 |
| | अहिरवारा से पथारिया चौक मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,173.01 | 0.00 |
| | बेमेतरा—दुर्ग—धमधा मार्ग का नवीनीकरण का कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,848.53 | 0.00 |
| | दुर्ग—बेमेतरा मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295.85 | 0.00 |
| | गौरीनगर वसिलीयान स्कूल मोतीपूर प्यारेलाल चौक से स्टेट स्कूल तक मार्ग का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 946.37 | 0.00 |
| | महामाया मंदिर—रतनपुर बाय पास मार्ग का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,060.90 | 0.00 |
| | खैरागढ़—जलबंधा मार्ग का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,625.27 | 0.00 |
| | जोरा—सड़डू—धनेली द्वि मार्ग का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,909.55 | 0.00 |
| | बेमेतरा में सिमेंट नाली सहित सिमेंट मार्ग का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503.35 | 0.00 |
| | बलौदा बाजार बायपास का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,977.66 | 0.00 |
| | कटघोरा बायपास मार्ग का निर्माण | 771.96 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 3,331.16 | (-)99.96 |
| | बिजली—तिराहा—भाटापारा पतपर नाका मार्ग का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,331.29 | 0.00 |
| | बेमेतरा में सिमेंट क्रांकिट मार्ग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.79 | 0.00 |
| | राजनांदगांव—अर्जुनदा—गुन्दहरदेही मार्ग पर कन्डूल—दुधीया मार्ग का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.57 | 0.00 |
| | धमधा—गंडई—साजा मार्ग का चौड़ीकरण तथा मजबूतीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 667.18 | 0.00 |
| | दुर्ग—कोटनी (शहरी मार्ग) मजबूतीकरण एवं नवीनीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 855.40 | 0.00 |
| | जिला जांजगीर चापा में सक्ति से अदभार फागूराम खरसीया मार्ग का निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,812.20 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|---|----------------------------|---|------|---------------------------------|--|-----------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (छ) | परिवहन का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 5054 | सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 03 | राज्य राजमार्ग—जारी | | | | | | |
| 337 | सड़क निर्माण कार्य—जारी | | | | | | |
| | जिला धमतरी बिरेझर सिरी मौरीकला मार्ग का मजबूतीकरण | 1,832.47 | 5.84 | 0.00 | 5.84 | 3,859.36 | (-)99.68 |
| | जिला राजनांदगांव बसंतपूर चौक से फरहाद चौक तक फोरलेन मार्ग का निर्माण (लं. 4 कि.मी.) | 419.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,359.71 | (-)100.00 |
| | बालौद से तरौद देहान मार्ग (बालौद बायपास) लं. 10.80 कि.मी. मार्ग का निर्माण | 82.40 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 208.91 | (-)40.53 |
| | डामरीकरण | 103.40 | 3.28 | 0.00 | 3.28 | 257.47 | (-)96.83 |
| | छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र विकास परियोजना तृतीय चरण | 0.00 | 7,564.84 | 0.00 | 7,564.84 | 7,564.84 | (+)100.00 |
| | ठेलकाडीह—दुर्ग (31 कि.मी.) मार्ग का पुनर्निर्माण एवं उन्नयन कार्य | 0.00 | 211.23 | 0.00 | 211.23 | 211.23 | (+)100.00 |
| | अण्डा—रेन्चीराज—जामगांव (33.60 कि.मी.) मार्ग का पुनर्निर्माण एवं उन्नयन कार्य | 0.00 | 799.91 | 0.00 | 799.91 | 799.91 | (+)100.00 |
| | डोंगरगांव—खूर्जी—पीनकापूर—जेवरतल्ला (23 कि.मी.) मार्ग का पुनर्निर्माण एवं उन्नयन कार्य | 0.00 | 214.35 | 0.00 | 214.35 | 214.35 | (+)100.00 |
| | छुईखदान—उदयपुर—बुंदेली (27 कि.मी.) मार्ग का पुनर्निर्माण एवं उन्नयन कार्य | 0.00 | 105.85 | 0.00 | 105.85 | 105.85 | (+)100.00 |
| | करहीभदार—निपानी—मोका—बटलेर—जामगांव (31 कि.मी.) मार्ग का पुनर्निर्माण एवं उन्नयन कार्य | 0.00 | 1,347.48 | 0.00 | 1,347.48 | 1,347.48 | (+)100.00 |
| | बिहारीकला—दानगढ़—समाटोला—खड़गांव (39 कि.मी.) मार्ग का पुनर्निर्माण एवं उन्नयन कार्य | 0.00 | 874.43 | 0.00 | 874.43 | 874.43 | (+)100.00 |
| | गोटिया—पलारी—बटगांव—घुरपूरी—चिखली—समोदा—अचली—तुमगांव (40 कि.मी.) मार्ग का पुनर्निर्माण एवं उन्नयन कार्य | 0.00 | 748.69 | 0.00 | 748.69 | 748.69 | (+)100.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|--|-------------|---------------------------|---|-----------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (छ) | परिवहन का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 5054 | सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 03 | राज्य राजमार्ग—जारी | | | | | | |
| 337 | सड़क निर्माण कार्य—समाप्त | | | | | | |
| | बुदेनी—नयापारा—परसवानी—मगरलोड—मोहनंदी—बोरसी—भोहेना मार्ग का पुनर्निर्माण एवं उन्नयन कार्य | 0.00 | 3,596.00 | 0.00 | 3,596.00 | 3,596.00 | (+)100.00 |
| | राजीम—चुरा—तरींघाट (45 कि.मी.) मार्ग का पुनर्निर्माण एवं उन्नयन कार्य | 0.00 | 158.95 | 0.00 | 158.95 | 158.95 | (+)100.00 |
| | पांडूका—जतमई—घटारानी—गयदाब्री—मंदेली—मुदागांव (40 कि.मी.) मार्ग का पुनर्निर्माण एवं उन्नयन कार्य | 0.00 | 302.48 | 0.00 | 302.48 | 302.48 | (+)100.00 |
| | मंगला से भेसरजार (26 कि.मी.) मार्ग का पुनर्निर्माण एवं उन्नयन कार्य | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 2.39 | 2.39 | (+)100.00 |
| | पुरुर—फगुण्डा—पलारी—अरकार—जामगांव (35 कि.मी.) मार्ग का पुनर्निर्माण एवं उन्नयन कार्य | 0.00 | 34.88 | 0.00 | 34.88 | 34.88 | (+)100.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,816.11 | (+)100.00 |
| | योग—337 | 80,794.01 | 74,110.35 | 0.00 | 74,110.35 | 6,18,302.66 | (-)8.27 |
| 902 | घटाएं—केन्द्रीय सड़क निधि से प्रतिपूर्ति राशि | (-)25,162.00 | (-)19,854.70 | 0.00 | (-)19,854.70 | (-)79,198.58 | (-)21.09 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष— | | | | | | |
| | समोदा—अटोला मार्ग के महानदी नदी पर पुल का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,436.35 | 0.00 |
| | जिला बिलासपुर के रहातातोर से नयापारा मार्ग तक शिवनाथ नदी पर पुल का निर्माण | 407.94 | 180.76 | 0.00 | 180.76 | 974.91 | (-)55.69 |
| | वृहद पुल का निर्माण | 2,584.00 | 3,174.23 | 0.00 | 3,174.23 | 13,543.17 | (+)22.84 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,672.39 | 0.00 |
| | योग—789 | 2,991.94 | 3,354.99 | 0.00 | 3,354.99 | 22,626.82 | (+)12.13 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत |
|----------------|--|----------------------------|--|------|---------------------------|---|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | |
| (छ) | परिवहन का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | |
| 5054 | सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | |
| 03 | राज्य राजमार्ग—जारी | | | | | |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना— | | | | | |
| | बड़े पुलों का निर्माण | 9,059.44 | 9,081.38 | 0.00 | 9,081.38 | 85,955.05 (+)0.24 |
| | पुल का निर्माण (नाबार्ड) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,172.63 0.00 |
| | बिलासपुर—कटघोरा—अंबिकापुर मार्ग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,714.92 0.00 |
| | अंबिकापुर—धनबाद—वाराणसी मार्ग का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,018.50 0.00 |
| | चार दिशाओं को जोड़ने हेतु कारिडोर का निर्माण | 91.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,378.84 (-)100.00 |
| | बैकुण्ठपुर—सोनहात—रामगढ़ मार्ग का उन्नयन कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,803.45 0.00 |
| | राज्य के राजमार्ग | 5,556.53 | 216.90 | 0.00 | 216.90 | 22,851.51 (-)96.09 |
| | सराईबादर—जादजादा—गरियाबंद मार्ग में सोडूर नदी पर पुल का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,024.91 0.00 |
| | सिंहावा—मानपुर—खरियार मार्ग पर पांच पुलियाँ (रपटा) का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 748.91 0.00 |
| | नहरगांव—नागाबुड़ा—बरूला मार्ग में पैरी नदी पर पुल का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 983.82 0.00 |
| | गरियाबन्द—कोचवे मार्ग पैरी नदी पर पुल | 3.42 | 37.82 | 0.00 | 37.82 | 1,253.01 (+)1,005.85 |
| | मारागांव—गरियाबंद मार्ग में महानदी नदी पर पुल का निर्माण | 83.41 | 53.77 | 0.00 | 53.77 | 994.18 (-)35.54 |
| | शाहवाड़ा—तरसगांव—कांकेर मार्ग में महानदी नदी पर पुल का निर्माण | 142.51 | 142.06 | 0.00 | 142.06 | 1,966.30 (-)0.32 |
| | पांगरी चौक (महिलाघाट) में शिवनाथ नदी पर पुल का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,415.91 0.00 |
| | सुकमा में नगर पंचायत कोंटा से उड़िसा पहुँच मार्ग के शबरी नदी पर पुल का निर्माण | 238.20 | 177.42 | 0.00 | 177.42 | 1,034.09 (-)25.52 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारित व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|---|----------------------------|---|------|---------------------------------|--|-----------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| (छ) | परिवहन का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 5054 | सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-जारी | | | | | | |
| 03 | राज्य राजमार्ग-जारी | | | | | | |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना-जारी | | | | | | |
| | धमतरी में बीरगुडी-भूमका-बेलगांव मार्ग में महानदी नदी पर पहुंच मार्ग के साथ पुल का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,430.35 | 0.00 |
| | बंगारसुता-महाराजगंज मार्ग पर पुल का निर्माण | 90.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549.05 | (-)100.00 |
| | डब्ल्यू.बी. मार्ग पर रेहांड पुल एवं संबद्ध कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 838.36 | 0.00 |
| | कटघोरा-छोटियां-अम्बिकापुर मार्ग का उन्नयन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,889.58 | 0.00 |
| | कोटमी-पसान-कटघोरा मार्ग का डांबरीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,022.44 | 0.00 |
| | बैकुंठपुर में पटनासर-भोका-कुंदेली-भड़ी मार्ग का उन्नयन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,811.33 | 0.00 |
| | काटाडोल-जनकपुर मार्ग का चौड़ीकरण एवं डांबरीकरण का कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,503.21 | 0.00 |
| | प्रेमनगर सुरजपुर में रिंग रोड़ का निर्माण कार्य | 49.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,924.20 | (-)100.00 |
| | बैकुण्ठपुर कोरिया में पटना-सरभोका-कुन्देली भादी मार्ग का निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,258.78 | 0.00 |
| | सुकमा में क्रांकीट सड़क (क्रांकीट ड्रेनिज सहित) का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,614.11 | 0.00 |
| | चांति जनकपुर मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण | 310.44 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 2,097.93 | (-)99.72 |
| | जिला बिलासपुर के पेन्द्रा बायपास मार्ग का निर्माण (लं. 14 कि.मी.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.76 | 0.00 |
| | केशकाल बंसकोट मकड़ी अमरावती मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.44 | 0.00 |
| | नगरनार-भेजापदर-बोरगांव मार्ग में इन्द्रावती नदी पर उच्च दर्जे का पुल का निर्माण | 272.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,068.79 | (-)100.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018—19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019—20 के दौरान व्यय | | योग | 2019—20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019—20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|---|-------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (छ) | परिवहन का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 5054 | सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 03 | राज्य राजमार्ग—समाप्त | | | | | | |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना—समाप्त | | | | | | |
| | कोटा गजेनार से कोन्द्रीपाल घाट शबरी नदी पर पुल का निर्माण | 193.80 | 216.59 | 0.00 | 216.59 | 557.58 | (+)11.75 |
| | जिला कांकेर नाला, कांकेर दुधावा मार्ग पर पुल का निर्माण | 643.23 | 51.52 | 0.00 | 51.52 | 1,626.48 | (-)91.99 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 14.51 | 0.00 | 14.51 | 34,680.86 | (+)100.00 |
| | योग—796 | 16,736.14 | 9,992.85 | 0.00 | 9,992.85 | 2,25,377.28 | (-)40.29 |
| | योग—03 | 99,007.98 | 86,679.55 | 0.00 | 86,679.55 | 9,99,783.82 | (-)12.45 |
| 04 | जिला तथा अन्य सड़कें— | | | | | | |
| 101 | सेतु— | | | | | | |
| | प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सड़कों पर पुल का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,109.78 | 0.00 |
| 337 | सड़क निर्माण— | | | | | | |
| | मुख्य मंत्री ग्राम सड़क विकास योजना | 6,693.50 | 5,021.36 | 0.00 | 5,021.36 | 1,06,388.55 | (-)24.98 |
| | मुख्य सड़क का सर्वेक्षण | 4.95 | 6.46 | 0.00 | 6.46 | 42.37 | (+)30.50 |
| | डामरीकरण | 294.74 | 40.80 | 0.00 | 40.80 | 877.38 | (-)86.15 |
| | मुख्य मंत्री ग्राम गौरव पथ योजना | 2,550.44 | 1,903.93 | 0.00 | 1,903.93 | 54,486.28 | (-)25.35 |
| | चंद्रपूर में मुख्य जिला मार्ग धूरकोट—पेडूरवा—चंद्रपूर—मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,619.43 | 0.00 |
| | प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना | 48,000.00 | 0.00 | 72,807.00 | 72,807.00 | 2,39,210.30 | (+)51.68 |
| | बायपास मार्ग का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 848.29 | 0.00 |
| | जिला में मुख्य मार्ग का निर्माण | 20,984.53 | 10,905.75 | 0.00 | 10,905.75 | 91,278.25 | (-)48.03 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|---|------|---------------------------------|--|-----------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (छ) | परिवहन का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 5054 | सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 04 | जिला तथा अन्य सड़कें—जारी | | | | | | |
| 337 | सड़क निर्माण—जारी | | | | | | |
| | कमरिया—देवकर—साजा मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.09 | 0.00 |
| | रायपुर में नहर पर मार्ग का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,961.18 | 0.00 |
| | चतौना—कुटेसर—बड़गांव—कुन्दा—लाखौली मार्ग का चौड़ीकरण तथा मजबूतीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,091.45 | 0.00 |
| | रायपुर मुख्य मार्ग—45 में चतुरदिक मार्ग का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.24 | 0.00 |
| | बोदला मोहगांव प्रतापपुर मार्ग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,751.57 | 0.00 |
| | देवकर—गोटा—जलबंधा मार्ग का चौड़ीकरण तथा मजबूतीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,168.50 | 0.00 |
| | राजनांदगांव बायपास मार्ग | 59.49 | 168.05 | 0.00 | 168.05 | 7,048.78 | (+)182.48 |
| | धनगर—भूपदेवपुर मार्ग का चौड़ीकरण तथा डामरीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,089.49 | 0.00 |
| | चिरंनचारी—पीटेपानी—पीपरखार—बोरतलाव मार्ग का निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503.70 | 0.00 |
| | बालौद से पडकीभात बायपास मार्ग का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,938.20 | 0.00 |
| | गुण्डदेही में पसौद—सुरेगांव—अर्जून्दा मार्ग का निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,866.64 | 0.00 |
| | विधान सभा मार्ग से टेकारी—धनेली तक छ: लाईन मार्ग का निर्माण | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,821.17 | (-)100.00 |
| | सड़कू—उरकेरा एवं धरसीवा मार्ग का उन्नयन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,348.77 | 0.00 |
| | ताटीबंद से खमताराई तक चार लेन रिंग रोड का चौड़ीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,467.63 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018—19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019—20 के दौरान व्यय | | योग | 2019—20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019—20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत |
|----------------|---|----------------------------|---|------|---------------------------------|--|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | |
| (छ) | परिवहन का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | |
| 5054 | सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | |
| 04 | जिला तथा अन्य सड़कें—जारी | | | | | |
| 337 | सड़क निर्माण—जारी | | | | | |
| | पिरदा—भेंवरपूर मार्ग का उन्नयन तथा मजबूतीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 798.39 |
| | जिला दुर्ग में मोतीपूर पाटन मार्ग का चौड़ीकरण एवं डामरीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,676.64 |
| | रायपुर के चौतरफा सिमेंट क्रांकेट सड़क का निर्माण | 77.02 | 2.92 | 0.00 | 2.92 | 2,087.73 |
| | जौजगीर चापा में सकरा—कटारी मार्ग का निर्माण | 7.34 | 41.67 | 0.00 | 41.67 | 1,008.89 |
| | आरंगकलाई—खमतराई—भोतली—गुखेरा का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,252.61 |
| | जांजगीर चापा में शक्ती—टून्झा मार्ग का चौड़ीकरण तथा डामरीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,076.13 |
| | चंद्रपूर में मालखराता—छपरा—डभरा राज्य मार्ग का चौड़ीकरण तथा मजबूतीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,562.57 |
| | बेमेतरा में कुसमी—खुदमुड़ी—सीलतरा मार्ग का चौड़ीकरण तथा मजबूतीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,625.66 |
| | आरंग में नवापारा—चाटा—कटीयां मार्ग का उन्नयन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,536.03 |
| | दात्रेन्गा—रवेली—परसदा—खोरपा मार्ग का पुल—पुलिया सहित चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं डामरीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,369.10 |
| | बिलासपुर मुंगेली लोरमी मार्ग का चौड़ीकरण तथा मजबूतीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 662.72 |
| | तड़ेसरा—मूढपार—कालडब्री मार्ग का चौड़ीकरण तथा मजबूतीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,742.45 |
| | महोबा बाजार—कोटा—गुढीयारी फोरलेन मार्ग का स्ट्रीट लाईट एवं रोड़ डिवायडर सहित चौड़ीकरण तथा मजबूतीकरण | 131.86 | 146.80 | 0.00 | 146.80 | 1,215.73 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|---|----------------------------|---|------|---------------------------------|--|-----------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (छ) | परिवहन का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 5054 | सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 04 | जिला तथा अन्य सड़कें—जारी | | | | | | |
| 337 | सड़क निर्माण—जारी | | | | | | |
| | आमापारा—गुढ़ीयारी मार्ग भूमी अधिग्रहण सहित चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य | 1,503.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,066.56 | (-)100.00 |
| | ताटीबंध—हिरापुर फोरलेन मार्ग का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.98 | 0.00 |
| | गुढ़ीयारी—गोंदवारा फोरलेन मार्ग का निर्माण | 653.76 | 35.44 | 0.00 | 35.44 | 3,271.95 | (-)94.57 |
| | राष्ट्रीय राजमार्ग 53 से तेंदूवाही मार्ग का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.03 | 0.00 |
| | कुरुद—भाखरा शहर मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण | 10.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,049.89 | (-)100.00 |
| | बोरसी—धनोरा—उतई मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य | 626.87 | 55.41 | 0.00 | 55.41 | 710.38 | (-)91.16 |
| | लवन—धरसीवा—उडान—खटौरा मार्ग का डामरीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.20 | 0.00 |
| | काथकोनी—मुधापार मार्ग का निर्माण | 35.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,116.83 | (-)100.00 |
| | जिला बिलासपुर सिपत बेमेतरा मार्ग (लं. 10 कि.मी.) का उन्नयन कार्य | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,479.47 | (-)100.00 |
| | जिला रायपुर में रामनगर से कोटा मार्ग का फोर लाईन का निर्माण | 383.94 | 19.59 | 0.00 | 19.59 | 1,614.10 | (-)94.90 |
| | डोंगरगढ़ कालडाबरी—घुमका—पटेवा (लं.14.80 कि.मी.) मार्ग का चौड़ीकरण तथा मजबूतीकरण | 503.37 | 62.37 | 0.00 | 62.37 | 2,855.83 | (-)87.61 |
| | सजा सोमईकला चिल्फी बेन्डारची रनबीरपुर (18 कि. मी.) मार्ग का उन्नयन कार्य | 362.80 | 4.56 | 0.00 | 4.56 | 1,306.25 | (-)98.74 |
| | खैरागढ़ में बायपास मार्ग का निर्माण (लं. 4.65 कि.मी.) | 460.48 | 416.49 | 0.00 | 416.49 | 1,821.72 | (-)9.55 |
| | बैकुण्ठपुर के बंजारीडांड—चिरमिरी मार्ग का पुल सहित निर्माण (लं. 16 कि.मी.) | 64.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.43 | (-)100.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|--|------|---------------------------|---|------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (छ) | परिवहन का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 5054 | सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 04 | जिला तथा अन्य सड़कें—जारी | | | | | | |
| 337 | सड़क निर्माण—जारी | | | | | | |
| | अभनपुर—जामगांव—सुंदरकेरा—मांडलोरपोड—डंगनीया मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,098.17 | 0.00 |
| | बिल्हा—बरतप्रो—अमलीडीह मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,598.16 | 0.00 |
| | बीरगांव—उरला—बेन्द्री—करबेला—गोमची—नंदनवन द्वि मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,615.11 | 0.00 |
| | तिल्दा—टंडवा—किराणा—रैता—धरसीवाँ मार्ग का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.00 |
| | कवर्धा—रेंगाखर व्हाया मधाघाट मार्ग का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.71 | 0.00 |
| | गुजरा—धामिनी—कोटनी—पालोद मार्ग का चौड़ीकरण तथा मजबूतीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 842.66 | 0.00 |
| | शंकर नगर से रायपुर—बलौदा बाजार मार्ग का चौड़ीकरण तथा मजबूतीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,243.69 | 0.00 |
| | रायपुर में विविध चतुर्दिक मार्ग का क्रांकीटीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,429.69 | 0.00 |
| | रायपुर में विविध चतुर्दिक मार्ग का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.01 | 0.00 |
| | महासमुन्द में पिरदा—भंवरपूर मार्ग का डामरीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.72 | 0.00 |
| | मालवीय नगर चौक, जेल तिराहा तथा मिनीमाता चौक मार्ग का चौड़ीकरण, डामरीकरण तथा मजबूतीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,074.30 | 0.00 |
| | लोहारा बालौद मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,922.72 | 0.00 |
| | गुण्डरदेही में सिकोसा—अर्जूनदा मार्ग का निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,236.37 | 0.00 |
| | धरसीवा—कुन्रा—पडेरभाटा—खरीखूट—संगेरा—लखरा—भूमियाँ मार्ग का पुल—पुलीयाँ सहित चौड़ीकरण तथा मजबूतीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.02 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारित व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|--|------|---------------------------------|--|------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (छ) | परिवहन का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 5054 | सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 04 | जिला तथा अन्य सड़कें—जारी | | | | | | |
| 337 | सड़क निर्माण—जारी | | | | | | |
| | तिल्दा—तडंवा—किराणा—रतिया—धरसीवा मार्ग का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,009.01 | 0.00 |
| | तिल्दा—नेवरा—चांपा—मानपुर—कोखा—परवानी—चिंगोरी चंचनपैरी—मोहरा मार्ग का चौड़ीकरण तथा मजबूतीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,647.03 | 0.00 |
| | बीरगांव—उरला—बेन्द्री—करेबेरा—गोमची—नंदनवन मार्ग का चौड़ीकरण तथा मजबूतीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,615.12 | 0.00 |
| | सारागांव देवरी मार्ग का चौड़ीकरण तथा उन्नयन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,662.01 | 0.00 |
| | गड्डूआ—खारझीटी—डंगनीया—बोरीयां—सियापूरकापा—नवगांवकला मार्ग का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 995.20 | 0.00 |
| | जोरा से विधान सभा चार लेन मार्ग का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,640.27 | 0.00 |
| | रायपुर में उपरवारा—छेरियां—कुरु मार्ग का चौड़ीकरण तथा उन्नयन कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.13 | 0.00 |
| | अभनपूर में तोरला—टीला—चम्पारण्य मार्ग का चौड़ीकरण तथा मजबूतीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,277.54 | 0.00 |
| | रायपुर में खिलोरा—सोनपरी—टीकेरी—कोलार मार्ग का चौड़ीकरण तथा उन्नयन कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620.70 | 0.00 |
| | गरियाबन्द से नयापारा राजिम तक चार लेन का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.67 | 0.00 |
| | आरंग—गूलू—समोदा—चिकली लाईन का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 |
| | अभनपूर तोरला मार्ग का चौड़ीकरण तथा उन्नयन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.03 | 0.00 |
| | अभनपूर पुरुलीडीह मार्ग का चौड़ीकरण तथा उन्नयन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,302.64 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|---|----------------------------|---|------|---------------------------------|--|------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (छ) | परिवहन का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 5054 | सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 04 | जिला तथा अन्य सड़कें—जारी | | | | | | |
| 337 | सड़क निर्माण—जारी | | | | | | |
| | रायपुर—केन्द्री—सिंगरभाटा—सांसेनपेरी मार्ग का चौड़ीकरण तथा मजबूतीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 711.80 | 0.00 |
| | भाटापारा—जारुद—सुहेला—हिरमी—मोहरा मार्ग का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,565.57 | 0.00 |
| | बिल्हा में बावली—उमरिया—खारसूल मार्ग का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,062.59 | 0.00 |
| | तखतपूर में खापरी—बीजा—खरगी मार्ग का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,117.47 | 0.00 |
| | चकरभाटा से डोंगरी मार्ग का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं डामरीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,947.79 | 0.00 |
| | बिल्हा—महामाड़—पड़कखार व्हाया हरितोना सरवाने मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,666.33 | 0.00 |
| | बुटेना—धौराभाटा मार्ग का मजबूतीकरण एवं डामरीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625.05 | 0.00 |
| | बिलासपुर में भोजपूर से अमलीडीह मार्ग का उन्नयन तथा डामरीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,178.61 | 0.00 |
| | चापली—बायंग—नंदेली मार्ग का डामरीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,457.24 | 0.00 |
| | बिलासपुर में सहनाम—तखतपूर—पथरिया मार्ग का चौड़ीकरण तथा मजबूतीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,322.99 | 0.00 |
| | चंद्रपूर—कंचनपूर मार्ग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,767.25 | 0.00 |
| | कोण्डातराई—सूरजगढ़ मार्ग का चौड़ीकरण तथा उन्नयन कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050.52 | 0.00 |
| | भाखारा—रामपूर—सिलघाट मार्ग का उन्नयन कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,931.47 | 0.00 |
| | कवर्धा बायपास मार्ग का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 903.25 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|---|------|---------------------------------|--|-----------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (छ) | परिवहन का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 5054 | सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 04 | जिला तथा अन्य सड़कें—जारी | | | | | | |
| 337 | सड़क निर्माण—जारी | | | | | | |
| | न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम | 11,216.53 | 11,067.74 | 0.00 | 11,067.74 | 36,591.92 | (-)1.33 |
| | जलसो भरारी मार्ग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.49 | 0.00 |
| | राष्ट्रीय राजमार्ग 30 भाटागांव धनेली (5 कि.मी.) | 0.00 | 267.82 | 0.00 | 267.82 | 267.82 | (+)100.00 |
| | सुन्द्रेली से मानसीयाकला मार्ग (30 कि.मी.पुल-पुलिया सहित) का निर्माण | 0.00 | 116.47 | 0.00 | 116.47 | 116.47 | (+)100.00 |
| | बिलासपुर शहरी क्षेत्र में विभिन्न मार्गों का उन्नयन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,342.53 | 0.00 |
| | बिल्हा-धोड़की-पौसरी मार्ग का उन्नयन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.14 | 0.00 |
| | बिलासपुर-बेलतरा-जयरामनगर मार्ग का उन्नयन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,935.17 | 0.00 |
| | लेंगवारा-तरालीम-बेरला मार्ग का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 744.36 | 0.00 |
| | जिला जॉजगीर-चापा सक्ती से बसनीपात मार्ग (लं. 5 कि.मी.) मार्ग का उन्नयन | 186.12 | 25.66 | 0.00 | 25.66 | 742.70 | (-)86.21 |
| | जिला रायपुर धनेली-गिरोड-टेकारी-बरौदा (लं. 11 कि.मी.) का उन्नयन | 64.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,537.41 | (-)100.00 |
| | जिला बेमेतरा सांध रेवे देवारबीजा (लं. 9 कि.मी.) मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन | 620.37 | 857.45 | 0.00 | 857.45 | 2,490.21 | (+)38.22 |
| | मूलभूत न्यूनतम सेवाएं के अन्तर्गत ग्रामीण मार्ग | 14,705.61 | 15,415.71 | 0.00 | 15,415.71 | 60,813.54 | (+)4.83 |
| | बिलासपुर में कोनी-मोपका मार्ग का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,108.53 | 0.00 |
| | रायगढ़ में चपले-बंसपाली-सोनका मार्ग का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 858.33 | 0.00 |
| | कुरुद में गौरवपथ-भाखरा मार्ग का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523.54 | 0.00 |
| | कुरुद में भाखरा-सुपेला-सिलघाट मार्ग का निर्माण | 195.08 | 347.07 | 0.00 | 347.07 | 907.45 | (+)77.91 |
| | अंजोरा-बीरेझर-चुंगोरी मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण | 431.35 | 16.23 | 0.00 | 16.23 | 506.39 | (-)96.24 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|---|----------------------------|--|------------------|---------------------------|---|----------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सँवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (छ) | परिवहन का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 5054 | सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 04 | जिला तथा अन्य सड़कें—जारी | | | | | | |
| 337 | सड़क निर्माण—समाप्त | | | | | | |
| | जिला जॉजगीर चापा के ग्राम—नागारदा से बारदवार मार्ग (लं. 11 कि.मी.) का निर्माण | 945.20 | 262.06 | 0.00 | 262.06 | 1,910.99 | (-)72.27 |
| | भिलाई-3 से मोतीपूर मार्ग (1 कि.मी. 15/6 (100 मी.) (लं. 14.50 कि.मी.) का मजबूतीकरण | 203.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,483.08 | (-)100.00 |
| | राजनांदगांव में सीतागांव—मदनवाड़ा मार्ग का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,197.84 | 0.00 |
| | अभनपूर में पोड—भूरका—तामसिवनी मार्ग का उन्नयन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048.37 | 0.00 |
| | नाबाई ऋण सहायता के अन्तर्गत ग्रामीण मार्ग का निर्माण | 4,971.19 | 5,545.02 | 0.00 | 5,545.02 | 36,935.70 | (+)11.54 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 149.33 | 0.00 | 149.33 | 792.73 | 0.00 |
| | योग—337 | 1,16,954.76 | 52,902.16 | 72,807.00 | 1,25,709.16 | 7,97,150.83 | (+)7.49 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— | | | | | | |
| | खर्चा से दत्तानं पहुँच मार्ग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,269.73 | 0.00 |
| | जांजगीर—केरा मार्ग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,267.30 | 0.00 |
| | मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना | 1,065.26 | 843.00 | 0.00 | 843.00 | 26,128.48 | (-)20.86 |
| | प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना | 11,200.00 | 0.00 | 17,473.68 | 17,473.68 | 63,298.74 | (+)56.01 |
| | कवर्धा—भोरमदेव मार्ग का चौड़ीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,129.55 | 0.00 |
| | बाराद्वार—जैजीपूर हसौद मार्ग का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,274.16 | 0.00 |
| | मुख्य मंत्री ग्राम गौरव पथ योजना | 484.98 | 142.18 | 0.00 | 142.18 | 6,277.77 | (-)70.68 |
| | अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में सड़क निर्माण | 9,180.46 | 6,556.51 | 0.00 | 6,556.51 | 51,305.39 | (-)28.58 |
| | अकलतरा—बालोद मार्ग का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,190.67 | 0.00 |
| | रायपुर में भांसोज—जरोड़—कालेरी मार्ग (8 कि.मी.) का चौड़ीकरण | 0.00 | 907.92 | 0.00 | 907.92 | 907.92 | (+)100.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|---|------|---------------------------------|--|-----------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (छ) | परिवहन का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 5054 | सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 04 | जिला तथा अन्य सड़कें—जारी | | | | | | |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—जारी | | | | | | |
| | रायपुर में रासनी कौरा फारफौद फारदहा मार्ग का चौड़ीकरण | 0.00 | 2,293.85 | 0.00 | 2,293.85 | 2,293.85 | (+)100.00 |
| | बाराद्वार—हसौद—भटगांव मार्ग का उन्नयन एवं चौड़ीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,505.43 | 0.00 |
| | जांजगीर में तरौद—तागा—धरसीवा मार्ग का डामरीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.72 | 0.00 |
| | रोगदा—बीरगानी मार्ग, नैला—बलौदा मार्ग एवं नैला—पंतोरा मार्ग का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,599.36 | 0.00 |
| | चापा—अमोदा मार्ग का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.66 | 0.00 |
| | महानदी पुल पर बिरा—भटगांव मार्ग का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.05 | 0.00 |
| | बेमेतरा—बालसमुद—चन्दीखूर्द मार्ग का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,947.44 | 0.00 |
| | बेलतुक्री—पुटपूरा—बुंदेली—गिदवारा मार्ग का निर्माण | 14.00 | 3.05 | 0.00 | 3.05 | 460.85 | (-)78.21 |
| | जिला बलौदा बाजार शिवरीनारायण—सारंगढ़ राज्य मार्ग का डामरीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.06 | 0.00 |
| | भैसा—भंडार—तेलसी—सिरपूर मार्ग का निर्माण | 194.49 | 23.54 | 0.00 | 23.54 | 2,459.84 | (-)87.90 |
| | मकालपूरीका—मूरमुण्डा से खोदामारा—नानकट्टी—दानिया मार्ग का उन्नयन | 22.51 | 92.51 | 0.00 | 92.51 | 2,594.87 | (+)310.97 |
| | बसंतपूर पापरसदा—घोघरी डीएमआर मार्ग का निर्माण | 483.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,464.79 | (-)100.00 |
| | जिला जाँजगीर चापा शिवरीनारायण बायपास मार्ग (लं. 8 कि.मी.) मार्ग का निर्माण | 1,094.33 | 81.95 | 0.00 | 81.95 | 2,014.30 | (-)92.51 |
| | जिला जाँजगीर चापा औराइकला—उसलापूर—जरवे (लं. 6.50 कि.मी.) मार्ग का मजबूतीकरण एवं उन्नयन कार्य | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 772.43 | (-)100.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारित व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|---|----------------------------|--|------------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (छ) | परिवहन का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 5054 | सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 04 | जिला तथा अन्य सड़कें—जारी | | | | | | |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—समाप्त | | | | | | |
| | नवागांव—गोधी—भानसोज (लं. 8.40 कि.मी. मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,289.34 | 0.00 |
| | भीलोना—चक्रवाई—बड़नेरा मार्ग का निमा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 938.33 | 0.00 |
| | नांदघाट—मालदा—बीटकूली मार्ग का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,577.32 | 0.00 |
| | मुंगेली बायपास मार्ग का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,409.13 | 0.00 |
| | जॉजगीर चापा में नैला—बालौद पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,034.80 | 0.00 |
| | तुमगांव अछोला मार्ग का चौड़ीकरण तथा मजबूतीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 836.67 | 0.00 |
| | नाबार्ड ऋण सहायता के अन्तर्गत ग्रामीण मार्ग का निर्माण | 1,186.40 | 711.18 | 0.00 | 711.18 | 7,713.15 | (-)40.06 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,417.26 | 0.00 |
| | योग—789 | 24,941.97 | 11,655.69 | 17,473.68 | 29,129.37 | 2,32,186.36 | (+)16.79 |
| 794 | जनजाति उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता— | | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,231.74 | 0.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना— | | | | | | |
| | बिलासपुर—रतनपुर—मजवानी—केन्दा—केवची मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,978.53 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|--|-----------|---------------------------------|--|-----------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (छ) | परिवहन का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 5054 | सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 04 | जिला तथा अन्य सड़कें—जारी | | | | | | |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना—जारी | | | | | | |
| | बसंतपुर करीयम मरवाही मार्ग का चौड़ीकरण तथा मजबूतीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,152.54 | 0.00 |
| | जिला सड़कें | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,954.47 | 0.00 |
| | जनजाति क्षेत्रों में सड़क का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,128.04 | 0.00 |
| | प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के सड़कों पर पुल निर्माण | 242.45 | 48.20 | 0.00 | 48.20 | 5,304.71 | (-)80.11 |
| | मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना | 2,757.71 | 951.78 | 0.00 | 951.78 | 44,220.42 | (-)65.49 |
| | मुख्य मंत्री ग्राम गौरव पथ योजना | 1,854.84 | 927.86 | 0.00 | 927.86 | 36,637.63 | (-)49.98 |
| | नाबार्ड ऋण सहायता के अन्तर्गत ग्रामीण मार्ग का निर्माण | 1,970.06 | 3,510.00 | 0.00 | 3,510.00 | 29,946.17 | (+)78.17 |
| | जिला सरगुजा चेन्द्र चौकी से करौती दर्रा घाट मार्ग का निर्माण | 24.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.95 | (-)100.00 |
| | केशकाल—बस्कोट—मकड़ी अमरावती मार्ग का निर्माण | 0.00 | 219.55 | 0.00 | 219.55 | 3,622.96 | (+)100.00 |
| | बेडमा—धनोरा—ईरागांव मार्ग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,530.85 | 0.00 |
| | प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना | 37,000.00 | 0.00 | 55,326.90 | 55,326.90 | 1,98,044.84 | (+)49.53 |
| | भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा | 789.33 | 223.51 | 0.00 | 223.51 | 1,974.08 | (-)71.68 |
| | सर्वेक्षण | 127.27 | 97.65 | 0.00 | 97.65 | 497.65 | (-)23.27 |
| | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | 5,264.02 | 8,264.46 | 0.00 | 8,264.46 | 72,663.13 | (+)57.00 |
| | धनपूंजी—तिक्रिपदर मार्ग का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.58 | 0.00 |
| | रामगढ़—कोटा—डोलमा मार्ग का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.10 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|---|------|---------------------------|--|-----------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (छ) | परिवहन का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 5054 | सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 04 | जिला तथा अन्य सड़कें—जारी | | | | | | |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना—जारी | | | | | | |
| | अम्बिकापुर के सीमा में रिंग रोड का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 954.64 | 0.00 |
| | बिलासपुर—रतनपुर—मजवानी—केन्द्रा—केवडीह मार्ग का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,629.76 | 0.00 |
| | मुख्य जिला सड़के | 11,525.01 | 5,714.16 | 0.00 | 5,714.16 | 48,346.73 | (-)50.42 |
| | लैलुंगा—कोटबा—लवाकेरा मार्ग का मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,402.59 | 0.00 |
| | कांकेर में दूधावा—मूरुमसिली मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,726.21 | 0.00 |
| | कोण्डागांव—फरसागांव—रंधावा—मकड़ी—इरला मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,017.12 | 0.00 |
| | पीपरखूट—अमागोहन—खूगसरा मार्ग का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,112.69 | 0.00 |
| | मरवाही में सेवरा—धनपूर—सिवनी मार्ग का उन्नयन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,594.78 | 0.00 |
| | घरघोड़ा—लैलुंगा मार्ग का उन्नयन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,515.42 | 0.00 |
| | रामानुंजगंज रिंग रोड का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.24 | 0.00 |
| | जशपूर सन्ना मार्ग का चौड़ीकरण तथा डामरीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,630.32 | 0.00 |
| | दुधावा—मूरुमसिल्ली—बनरोड़ मार्ग का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.99 | 0.00 |
| | सिंहावा—सीतानदी—बोरई मार्ग का पुल—पुलिया सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण | 0.00 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | 1,629.43 | (+)100.00 |
| | मनेन्द्रगढ़ में अमरपूर—चिरमिरी मार्ग का उन्नयन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 766.09 | 0.00 |
| | खरसिया में डोमनारा—बर्बा जोही—कोफरमार मार्ग का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,395.04 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|---|----------------------------|---|-----------|---------------------------|--|-----------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (छ) | परिवहन का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 5054 | सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 04 | जिला तथा अन्य सड़कें—जारी | | | | | | |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना—जारी | | | | | | |
| | बैकुण्ठपुर पचरापोरी मार्ग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,579.70 | 0.00 |
| | कोरबी जलके मार्ग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 686.47 | 0.00 |
| | स्याही सनवाल मार्ग | 304.20 | 95.92 | 0.00 | 95.92 | 4,815.14 | (-)68.47 |
| | बीजापुर बायपास मार्ग का निर्माण | 0.00 | 15.76 | 0.00 | 15.76 | 615.01 | (+)100.00 |
| | जिला सरगुजा दरिमा-बारेदमाली-लखनपुर (लं. 10 कि.मी.) मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य | 481.21 | 4.51 | 0.00 | 4.51 | 1,659.29 | (-)99.06 |
| | जिला सरगुजा के जरहाडांड से मुदरडांड (बकोई) (लं. 13 कि.मी.) मार्ग का निर्माण | 941.44 | 1,016.24 | 0.00 | 1,016.24 | 2,449.45 | (+)7.94 |
| | जिला धमतरी के सीतान्दी से ओड़िशा बार्डर (लं. 5 कि.मी.) मार्ग का उन्नयन | 412.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 856.50 | (-)100.00 |
| | जिला गरियाबन्द के छूरा-फिंगेश्वर (लं. 28 कि.मी.) मार्ग का मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण | 1,161.75 | 539.97 | 0.00 | 539.97 | 2,085.08 | (-)53.32 |
| | कटघोरा में दर्री से गेरुआघाट (लं. 4.50 कि.मी.) मार्ग का निर्माण | 943.14 | 182.75 | 0.00 | 182.75 | 1,404.10 | (-)80.62 |
| | सिंहावा-करेगांव-गत्तासिल्ली-बीरगुड़ी (लं. 24.80 कि.मी.) मार्ग का चौड़ीकरण | 669.07 | 705.54 | 0.00 | 705.54 | 2,091.42 | (+)5.45 |
| | जिला कांकेर के पी.व्ही. 102 से पानावर (लं. 7 कि.मी.) मार्ग का निर्माण | 191.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.45 | (-)100.00 |
| | जिला बस्तर के नानगूर-नेतानार-कोलेंग (लं. 25.50 कि.मी.) मार्ग का निर्माण | 712.49 | 762.17 | 0.00 | 762.17 | 2,650.87 | (+)6.97 |
| | जिला सुकमा के पुसारीपारा-कुम्हारस पहुँच मार्ग का उन्नयन कार्य (लं. 4.60 कि.मी.) | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 823.80 | (-)100.00 |
| | आर.आर.पी. युनिट-II | 12,680.09 | 0.00 | 66,593.70 | 66,593.70 | 97,943.45 | (+)425.18 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत |
|----------------|--|----------------------------|---|--------------------|---------------------------------|--|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | |
| (छ) | परिवहन का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | |
| 5054 | सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-जारी | | | | | |
| 04 | जिला तथा अन्य सड़कें-जारी | | | | | |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना-समाप्त | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,794.83 |
| | योग-796 | 80,072.02 | 223.51 23,071.12 | 1,21,920.60 | 1,45,215.23 | 6,60,453.27 (+)81.36 |
| 800 | अन्य व्यय- | | | | | |
| | धमतरी-रानीतराई मार्ग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,086.04 |
| | आधारभूत न्यूनतम सेवार्य के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,748.92 |
| | राजनांदगाव-अर्जूनदा गुण्डरदेही मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,509.50 |
| | कसडोल-बलौदा-कछार मार्ग का उन्नयन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,752.80 |
| | मुख्य जिला मार्ग का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,170.85 |
| | कवर्धा-रंगरवार मार्ग (व्हाया माडाघाटा) का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020.39 |
| | चालगली-आरागही मार्ग का निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,108.62 |
| | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,794.04 |
| | सक्ति से पेण्डी बायपास मार्ग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,208.86 |
| | नाबार्ड के सहायता से ग्रामीण सड़क का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,896.52 |
| | सक्ति-टूड़ा मार्ग का चौड़ीकरण एवं डामरीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,313.71 |
| | कोदवा-साजा-सिलहाती मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,060.96 |
| | सल्फा-मोतीमपुर-बसीन-अमलीडीह मार्ग का चौड़ीकरण एवं डांबरीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,584.00 |
| | देवकर-साजा-खमारिया मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,003.47 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|--|--------------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (छ) | परिवहन का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 5054 | सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय—जारी | | | | | | |
| 04 | जिला तथा अन्य सड़कें—समाप्त | | | | | | |
| 800 | अन्य व्यय—समाप्त | | | | | | |
| | देवरबीजा—खमरिया मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,143.07 | 0.00 |
| | निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 683.42 | 0.00 |
| | मध्य प्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम मर्यादित, भोपाल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.79 | 0.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,510.44 | 0.00 |
| | योग—800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,67,715.40 | 0.00 |
| | योग—04 | 2,21,968.75 | 223.51 87,628.97 | 2,12,201.28 | 3,00,053.76 | 18,66,847.38 | (+)35.18 |
| 05 | सड़कें— | | | | | | |
| 101 | सेतु— | | | | | | |
| | सड़कें एवं पुलों का निर्माण | 1,369.66 | 983.74 | 0.00 | 983.74 | 2,687.25 | (-)28.18 |
| 337 | सड़क निर्माण कार्य— | | | | | | |
| | छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम द्वारा सड़क निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
| | इंजीनियरिंग, प्राक्यूरमेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन | 0.00 | 444.99 | 0.00 | 444.99 | 42,944.99 | (+)100.00 |
| | अधोसंरचना एवं पर्यावरण निधि | 8,165.65 | 4,703.70 | 0.00 | 4,703.70 | 20,967.71 | (-)42.40 |
| | योग—337 | 8,165.65 | 5,148.69 | 0.00 | 5,148.69 | 64,662.70 | (-)36.95 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— | | | | | | |
| | इंजीनियरिंग, प्राक्यूरमेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन | 25,340.00 | 260.51 | 0.00 | 260.51 | 34,800.51 | (-)98.97 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना— | | | | | | |
| | इंजीनियरिंग, प्राक्यूरमेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन | 27,040.00 | 84.66 | 0.00 | 84.66 | 33,624.66 | (-)99.69 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारित व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत |
|----------------|--|----------------------------|--|-------------|---------------------------|--|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | |
| (छ) | परिवहन का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | |
| 5054 | सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय—समाप्त | | | | | |
| 05 | <i>सड़कें—समाप्त</i> | | | | | |
| 902 | घटाएं—अधोसंरचना एवं पर्यावरण निधि से प्रतिपूरित व्यय | (-)8,165.65 | (-)4,703.70 | 0.00 | (-)4,703.70 | (-)20,967.71 |
| | योग—05 | 53,749.66 | 1,773.90 | 0.00 | 1,773.90 | (-)96.70 |
| 80 | <i>सामान्य—</i> | | | | | |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना— | | | | | |
| | मध्य प्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.97 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,812.29 |
| | योग—796 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,828.26 |
| 797 | रिजर्व निधि एवं जमा लेखा से स्थानांतरण— | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)2.77 |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश— | | | | | |
| | छत्तीसगढ़ राजमार्ग विकास कम्पनी में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 |
| | छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.00 |
| | योग—190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | |
| | डिक्रीधन राशि का भुगतान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 955.20 |
| | भूमि अधिग्रहण का भुगतान | 1,824.75 | 4,378.52 | 0.00 | 4,378.52 | 14,196.10 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.52 |
| | योग—800 | 1,824.75 | 4,378.52 | 0.00 | 4,378.52 | 15,794.90 |
| | योग—80 | 1,824.75 | 4,378.52 | 0.00 | 4,378.52 | 19,370.39 |
| | योग—5054 | 3,76,551.14 | 1,76,305.93 | 2,12,201.28 | 3,92,885.73 | 30,00,809.00 |
| | | | | | | (+)4.34 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारित व्यय हैं)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|--|----------------------------|--|--------------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (छ) | परिवहन का पूंजीगत लेखा—समाप्त | | | | | | |
| 5055 | सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय— | | | | | | |
| 050 | भूमि तथा भवन— | | | | | | |
| | प्रमाण पत्र के वितरण और अल्ट्रा आधुनिक वाहन की समाप्ति के लिए केन्द्र की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपकरणों में निवेश— | | | | | | |
| | मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.22 | 0.00 |
| | धार परिवहन कम्पनी मर्यादित, धार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| | सेन्ट्रल प्राविन्सेज ट्रांसपोर्ट सर्विसेज मर्यादित, नागपुर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 0.00 |
| | योग—190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,603.20 | 0.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोगना— | | | | | | |
| | मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.22 | 0.00 |
| | अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| | योग—796 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.23 | 0.00 |
| 800 | अन्य व्यय— | | | | | | |
| | मोटर गैरेज | 297.38 | 544.87 | 0.00 | 544.87 | 1,142.24 | (+)83.52 |
| | प्रवर्तन | 0.00 | 24.76 | 0.00 | 24.76 | 81.65 | (+)100.00 |
| | वसूली प्रभार | 11.94 | 24.70 | 0.00 | 24.70 | 54.14 | (+)106.87 |
| | मुख्यालय स्थापना | 0.00 | 5.97 | 0.00 | 5.97 | 34.77 | 0.00 |
| | मोटर यातायात सेवाएं | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)8.49 | 0.00 |
| | योग—800 | 309.32 | 600.30 | 0.00 | 600.30 | 1,304.31 | (+)94.07 |
| | योग—5055 | 309.32 | 600.30 | 0.00 | 600.30 | 5,133.74 | (+)94.07 |
| | योग—(छ)—परिवहन का पूंजीगत लेखा | 3,77,077.20 | 1,77,385.46 | 2,12,201.28 | 3,94,188.77 | 30,27,186.55 | (+)4.53 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत |
|----------------|--|----------------------------|--|------|---------------------------|---|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | |
| (ज) | संचार का पूंजीगत लेखा- | | | | | |
| 5275 | अन्य संचार पर पूंजीगत व्यय- | | | | | |
| 101 | अन्य संचार सुविधाएं- | | | | | |
| | संचार क्रांति योजना | 10,400.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 25,489.00 (+)44.23 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- | | | | | |
| | संचार क्रांति योजना | 2,496.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 4,917.36 (-)3.85 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना- | | | | | |
| | संचार क्रांति योजना | 7,904.00 | 7,600.00 | 0.00 | 7,600.00 | 15,571.64 (-)3.85 |
| 800 | अन्य व्यय- | | | | | |
| | डिजिटल सरकार की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.00 0.00 |
| | कोर इनक्यूबेटर-सह एक्सीलरेटर संस्थान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482.00 0.00 |
| | योग-800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 718.00 0.00 |
| | योग-5275 | 20,800.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 ³⁴ | 46,696.00 (+)20.19 |
| | योग-(ज) संचार का पूंजीगत लेखा | 20,800.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 46,696.00 (+)20.19 |
| (झ) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण का पूंजीगत लेखा- | | | | | |
| 5425 | अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय- | | | | | |
| 600 | अन्य सेवाएं- | | | | | |
| | केन्द्रीय प्रयोगशाला की स्थापना | 12.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513.52 (-)100.00 |
| | विज्ञान भवन की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 0.00 |
| | युवा क्षमता विकास योजना | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 (-)100.00 |
| | योग-600 | 212.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,103.52 (-)100.00 |
| | योग-5425 | 212.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,103.52 (-)100.00 |
| | योग-(झ)-विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण का पूंजीगत लेखा | 212.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,103.52 (-)100.00 |

³⁴ पूंजीगत सम्पत्तियों के निर्माण का व्यय राशि दर्शाता है।

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत |
|----------------|--|----------------------------|--|---------------|------------------------------|---|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | |
| (ज) | सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा- | | | | | |
| 5452 | पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय- | | | | | |
| 01 | पर्यटक अवसंरचना- | | | | | |
| 101 | पर्यटक केन्द्र- | | | | | |
| | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं राज्यांश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,448.87 |
| | पर्यटक केन्द्र का विकास | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 3,373.12 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.55 |
| | योग-101 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 6,908.54 |
| 102 | पर्यटक आवास स्थान- | | | | | |
| | जिलों में नवीन टुरिस्ट मोटल्स का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,063.72 |
| | पर्यटन क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों हेतु अनुदान | 1,276.83 | 1,268.00 | 0.00 | 1,268.00 | (-)0.69 |
| | योग-102 | 1,276.83 | 1,268.00 | 0.00 | 1,268.00³⁵ | (+)219.21 |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपकरणों में निवेश- | | | | | |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.03 |
| | निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66 |
| | मध्य प्रदेश पर्यटक विकास निगम, भोपाल में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.64 |
| | योग-190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576.33 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना- | | | | | |
| | मध्य प्रदेश पर्यटक विकास निगम, भोपाल में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.56 |
| | अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| | ₹ दस करोड़ से कम लागत के अन्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.98 |
| | योग-796 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.54 |
| | योग-01 | 1,376.83 | 1,268.00 | 100.00 | 1,368.00 | (-)0.64 |
| | योग-5452 | 1,376.83 | 1,268.00 | 100.00 | 1,368.00 | (-)0.64 |

³⁵ पूंजीगत सम्पत्तियों के निर्माण पर व्यय राशि दर्शाता है।

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत | |
|----------------|---|----------------------------|---|------|---------------------------|--|------|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो.सहित) | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| (ज) | सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | | |
| 5465 | सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश— | | | | | | |
| 01 | सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश— | | | | | | |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश— | | | | | | |
| | इन्वेस्टमेन्ट कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.00 |
| | अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| | योग—190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.00 |
| 02 | व्यापारिक संस्थाओं में निवेश— | | | | | | |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश— | | | | | | |
| | छत्तीसगढ़ राज्य बिजनेस निगम में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.53 | 0.00 |
| | योग—02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.53 | 0.00 |
| | योग—5465 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 0.00 |
| 5475 | अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय— | | | | | | |
| 101 | भूमि सीमा (कृषीय भूमि को छोड़कर)— | | | | | | |
| | मध्य प्रदेश सीलिंग कृषि जोत अधिनियम 1960 के अंतर्गत अधिक भूमि को समर्पित करने के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति का भुगतान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.14 | 0.00 |
| | नगरीय भूमि सीमा अधिनियम 1976 बान्ड्स के अंतर्गत भूमिधारकों को मुआवजे का भुगतान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.71 | 0.00 |
| | नगरीय भूमि सीमा अधिनियम 1975 के अंतर्गत भूमिधारक को मुआवजे का भुगतान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.21 | 0.00 |
| | योग—101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06 | 0.00 |
| 202 | जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन हो जाने पर भूमिधारियों को क्षतिपूर्ति प्राप्ति कर— | | | | | | |
| | जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन हो जाने पर भूमिधारियों को भुगतान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.99 | 0.00 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
(इटालिक में दर्शाए गए आंकड़े भारत व्यय है)

(₹ लाख में)

| व्यय का स्वरूप | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय | | योग | 2019-20 के अंत तक का व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत |
|----------------|--|----------------------------|--|---|---------------------------|---|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—समाप्त | | | | | |
| (ज) | सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—समाप्त | | | | | |
| 5475 | अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय—समाप्त | | | | | |
| 202 | जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन हो जाने पर भूमिधारियों को क्षतिपूर्ति प्राप्ति कर—समाप्त | | | | | |
| | जागीरदारी प्रणाली का उन्मूलन हो जाने पर भूमिधारियों को भुगतान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.10 |
| | लघु स्वामियों को पुनर्वास अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.34 |
| | निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.54 |
| | योग-202 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.97 |
| | योग-5475 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.03 |
| | योग-(ज)-सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा | 1,376.83 | 1,268.00 | 100.00 | 1,368.00 | 17,715.00 |
| | योग-ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा | 6,87,414.70 | 4,621.82 | 2,20,255.73 | 6,45,957.82 | 69,94,575.35 |
| | महायोग (क+ख+ग) | 8,90,345.33 | 4,649.74 | 2,52,394.73 | 8,56,638.97 | 92,89,383.38 ³⁶ |
| | | | | वेतन | 14,134.39 | 14,389.57 |
| | | | | पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान | 1,93,960.60 | 2,00,404.45 |

(S) शासन के मुख्यशीर्षवार निवेश को दर्शाने वाले व्यय वर्ष के दौरान एवं वर्षान्त पूंजीगत परिव्यय के योग में सम्मिलित है, जिसे इस विवरण के संलग्न अनुलग्नक में दर्शाया गया है। कृपया पृष्ठ क्रमांक 341 से 343 देखें।

³⁶ ₹ 470.53 लाख की कमी हुई। वर्ष 2019-20 में सहकारी समितियों/बैंकों की पूंजी निवृत्ति के कारण ₹ 469.86 लाख की कमी हुई एवं वर्ष 2013-14 में मुख्यशीर्ष 6425 के अन्तर्गत सहकारी समितियों/बैंकों की पूंजी निवृत्ति में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण सुधार के कारण ₹ 0.67 लाख कमी हुई।

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-जारी

विवरण संख्या 16 का अनुलग्नक

पृष्ठ 340 पर टिप्पणी (S) के संदर्भ में

(₹ लाख में)

| मुख्य शीर्ष | विवरण | वर्ष के दौरान व्यय | | वर्ष के अंत में प्रगामी व्यय | |
|--|---|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|
| | | निवेश | अन्य पूंजीगत व्यय | निवेश | अन्य पूंजीगत व्यय |
| क-सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा- | | | | | |
| 4055 | पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 4,301.60 | 200.00 | 27,500.19 |
| 4058 | लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 472.69 |
| 4059 | लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 14,884.61 | 0.00 | 2,20,220.91 |
| 4070 | अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 262.16 | 0.00 | 4,784.06 |
| योग-क | | 0.00 | 19,448.37 | 201.25 | 2,52,977.85 |
| ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा- | | | | | |
| 4202 | शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 31,532.19 | 3.73 | 4,74,473.14 |
| 4210 | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 36,182.43 | 345.00 | 2,93,944.52 |
| 4211 | परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,630.70 |
| 4215 | जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 39,851.36 | 0.00 | 1,64,407.69 |
| 4216 | आवास पर पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 5,333.63 | 378.73 | 82,170.35 |
| 4217 | शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 52,970.31 | 0.58 | 5,52,622.25 |
| 4220 | सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 4.76 | 30.04 | 137.25 |
| 4225 | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | 96.00 | 22,950.30 | 4,911.33 | 3,49,859.74 |
| 4235 | सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 3,084.12 | 526.68 | 75,813.11 |
| 4250 | अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 1,561.10 | 1.16 | 40,372.93 |
| योग-ख | | 96.00 | 1,91,136.78 | 6,197.25 | 20,35,431.68 |
| ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा- | | | | | |
| 4401 | फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 698.57 | 474.95 | 2,704.32 |
| 4402 | मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 2,491.77 | 0.00 | 36,457.65 |
| 4403 | पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 684.88 | 36.09 | 8,334.67 |
| 4404 | डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 0.00 | 89.48 | 109.83 |
| 4405 | मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 319.27 | 0.22 | 2,360.21 |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी

विवरण संख्या 16 का अनुलग्नक—जारी

पृष्ठ 340 पर टिप्पणी (S) के संदर्भ में

(₹ लाख में)

| मुख्य शीर्ष | विवरण | वर्ष के दौरान व्यय | | वर्ष के अंत में प्रगामी व्यय | |
|---|--|--------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| | | निवेश | अन्य पूंजीगत व्यय | निवेश | अन्य पूंजीगत व्यय |
| ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी | | | | | |
| 4406 | वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 2,717.45 | 1,607.27 | 41,941.86 |
| 4408 | खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 67.95 | 2,916.32 ³⁷ | 5,413.53 |
| 4415 | कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 2,604.50 | 0.00 | 6,010.85 |
| 4425 | सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय | 138.00 | 29.88 | 29,096.01 ³⁸ | 88.50 |
| 4435 | अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 0.00 | 61.36 | 162.67 |
| 4515 | अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 50,519.31 | 34.07 | 4,83,713.85 |
| 4700 | वृहद् सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 38,738.69 | 1.57 | 8,29,821.89 |
| 4701 | मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 5,827.66 | 155.95 | 1,97,632.53 |
| 4702 | लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 66,796.45 | 0.00 | 11,99,119.79 |
| 4705 | कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 151.84 | 4.00 | 47,009.21 |
| 4711 | बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 1,021.48 | 0.00 | 14,134.62 |
| 4801 | बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 4,208.60 | 6,59,393.23 | 88,342.10 |
| 4810 | अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 47,462.40 | 0.00 | 1,67,774.57 |
| 4851 | ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | 11.80 | 873.28 | 4,762.04 | 62,876.26 |
| 4852 | लौह तथा इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 0.00 | 9.33 | 4,630.00 |
| 4853 | अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 37.27 | 198.55 | 226.21 |
| 4854 | सीमेंट तथा धातुरहित खनिज उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 |
| 4858 | इंजीनियरी उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.17 |
| 4860 | उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 0.00 | 285.34 | 32.90 |
| 4875 | अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,213.54 |
| 4885 | उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 0.00 | 1,530.06 | 1,104.56 |

³⁷ सहकारी समितियों/बैंकों की पूंजी निवृत्ति के कारण ₹ 0.83 लाख से कम की गई।

³⁸ ₹ 469.70 लाख की कमी हुई। वर्ष 2019-20 में सहकारी समितियों/बैंकों की पूंजी निवृत्ति के कारण ₹ 469.03 लाख की कमी हुई एवं वर्ष 2013-14 में मुख्यशीर्ष 6425 के अन्तर्गत सहकारी समितियों/बैंकों की पूंजी निवृत्ति में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण ₹ 0.67 लाख कमी हुई।

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी
विवरण संख्या 16 का अनुलग्नक—समाप्त
पृष्ठ 340 पर टिप्पणी (S) के संदर्भ में

(₹ लाख में)

| मुख्य शीर्ष | विवरण | वर्ष के दौरान व्यय | | वर्ष के अंत में प्रगामी व्यय | |
|---|---|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|
| | | निवेश | अन्य पूंजीगत व्यय | निवेश | अन्य पूंजीगत व्यय |
| ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-समाप्त | | | | | |
| 5053 | नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 702.74 | 0.00 | 21,243.81 |
| 5054 | सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 3,92,885.73 | 885.76 | 29,99,923.24 |
| 5055 | सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 600.30 | 3,779.42 | 1,354.32 |
| 5275 | अन्य संचार पर पूंजीगत व्यय | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 46,696.00 |
| 5425 | अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,103.52 |
| 5452 | पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 1,368.00 | 622.20 | 16,678.26 |
| 5465 | सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश | 0.00 | 0.00 | 15.47 | 0.04 |
| 5475 | अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.03 |
| योग-ग | | 149.80 | 6,45,808.02 | 7,05,960.84^{39,40} | 62,88,614.51 |
| योग | | 245.80 | 8,56,393.17 | 7,12,359.34^{39,40} | 85,77,024.04 |
| योग (निवेश+अन्य पूंजीगत व्यय) | | | 8,56,638.97 | 92,89,383.38³⁹ | |
| आरक्षित निधियों से निवेश | | | 0.00 | 14,220.45 | |
| विवरण क्रमांक 19 में कुल दर्शाया गया निवेश | | | 245.80 | 7,26,579.79 | |

³⁹ ₹ 470.53 लाख की कमी हुई। वर्ष 2019-20 में सहकारी समितियों/बैंकों की पूंजी निवृत्ति के कारण ₹ 470.52 लाख की कमी हुई (₹ 469.86 लाख) एवं वर्ष 2013-14 में मुख्यशीर्ष 6425 के अन्तर्गत सहकारी समितियों/बैंकों की पूंजी निवृत्ति में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण (₹ 0.67 लाख) कमी हुई।

⁴⁰ वर्ष 2018-19 में योग में त्रुटि के कारण ₹ 0.01 लाख की वृद्धि हुई।

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—जारी

व्याख्यात्मक टिप्पणी

चालू वर्ष के पूंजीगत व्यय ₹ 8,56,638.97 लाख गत वर्ष के पूंजीगत व्यय ₹ 8,90,345.33 लाख की तुलना में ₹ 33,706.36 लाख से कमी हुई। कमी मुख्यतः निम्नानुसार है :

(₹ लाख में)

| लेखे का मुख्य शीर्ष | वर्ष 2018-19 की तुलना में कमी | कमी का कारण | |
|---------------------|--|-------------|--|
| 4059 | लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | 8,485.84 | मुख्यतः कार्यों पर प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त में विलंब होने, भू-राजस्व भवन निर्माण में कम व्यय होने के कारण। |
| 4202 | शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | 17,504.67 | मुख्यतः उच्च माध्यमिक शिक्षा, शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण, रखरखाव, लघु निर्माण कार्य एवं भवन का मरम्मत तथा राज्य कौशल विकास मिशन इत्यादि के अन्तर्गत व्यय में कमी के कारण। |
| 4225 | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | 10,903.33 | मुख्यतः “केन्द्रीय विशेष सहायता वित्तीय पोषित स्थानीय विकास कार्यक्रम”, “अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक क्षेत्रों अनुच्छेद 275 (1) में सेवाओं का विस्तार” के अंतर्गत हितग्राहियों की संख्या में कमी, “अल्पसंख्यक बहुक्षेत्रीय विकास योजनाएं”, तथा “प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना” इत्यादि के अन्तर्गत व्यय में कमी होने के कारण। |
| 4250 | अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 1,322.26 | मुख्यतः औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन पर कम व्यय, लाइवलीहुड कॉलेज, धर्मशाला, तकनीकी संस्थानों निर्माण इत्यादि पर कम व्यय होने के कारण। |
| 4403 | पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय | 1,456.27 | मुख्यतः “पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय”, “मुर्गी पालन”, “सूअर विकास क्षेत्र का सुदृढीकरण” इत्यादि के अन्तर्गत व्यय में कमी होने के कारण। |
| 4515 | अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय | 8,348.98 | मुख्यतः “मुख्य मंत्री समग्र विकास योजना” इत्यादि के अंतर्गत कम व्यय होने के कारण। |
| 4700 | वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | 24,817.47 | जानकारी अपेक्षित (अक्टूबर 2020) |
| 4702 | लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | 18,093.96 | जानकारी अपेक्षित (अक्टूबर 2020) |
| 4711 | बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 1,715.12 | जानकारी अपेक्षित (अक्टूबर 2020) |
| 4801 | बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 8,791.40 | जानकारी अपेक्षित (अक्टूबर 2020) |

नोट : मुख्यशीर्षों जहाँ पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 1,000.00 लाख या अधिक की वृद्धि/कमी को व्याख्यात्मक टिप्पणी में सम्मिलित किया गया है।

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-जारी

व्याख्यात्मक टिप्पणी

(₹ लाख में)

| लेखे का मुख्य शीर्ष | वर्ष 2018-19 की तुलना में कमी | कमी का कारण | |
|---------------------|---|-------------|--|
| 4851 | ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | 1,107.86 | मुख्यतः "उद्योग केन्द्रों का नवीनीकरण", "औद्योगिक क्षेत्र में अधोसंरचना विकास कार्य", "रिवॉल्विंग फण्ड स्कीम" इत्यादि के अन्तर्गत व्यय में कमी होने के कारण। |

पूंजीगत व्यय में मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों में वृद्धि के कारण अंशतः प्रति संतुलित हुई है।

(₹ लाख में)

| लेखे का मुख्य शीर्ष | वर्ष 2018-19 की तुलना में वृद्धि | वृद्धि का कारण | |
|---------------------|---|----------------|---|
| 4055 | पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय | 2,908.56 | मुख्यतः निर्माण कार्य एवं मशीनरी की खरीद इत्यादि पर व्यय होने के कारण। |
| 4210 | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय | 14,733.83 | मुख्यतः चिकित्सा शिक्षा विद्यालय के अन्तर्गत व्यय में वृद्धि, उप-स्वास्थ्य केन्द्र, जिला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त होने इत्यादि के कारण। |
| 4215 | जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय | 9,402.04 | "राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम", आंगणवाड़ी एवं अस्पताल में ट्यूबवेल खनन कार्य इत्यादि के अन्तर्गत व्यय में वृद्धि होने कारण। |
| 4216 | आवास पर पूंजीगत परिव्यय | 2,248.31 | "न्यायिक प्रशासन के आवासगृहों का निर्माण", "पुलिस प्रशासन" इत्यादि के अन्तर्गत व्यय में वृद्धि होने कारण। |
| 4217 | शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय | 15,103.10 | मुख्यतः स्थानीय निकायों को अधोसंरचना अनुदान पर व्यय, नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के कार्यों में वृद्धि इत्यादि के कारण। |
| 4235 | सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | 2,092.25 | जानकारी अपेक्षित (अक्टूबर 2020) |
| 4415 | कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय | 1,040.50 | "इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय" इत्यादि के अन्तर्गत व्यय में वृद्धि होने कारण। |

16. पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण—समाप्त

व्याख्यात्मक टिप्पणी

(₹ लाख में)

| लेखे का मुख्य शीर्ष | | वर्ष 2018-19 की तुलना में वृद्धि | वृद्धि का कारण |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| 5054 | सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | 16,334.59 | मुख्यतः "न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम", "नाबार्ड सहायता के अन्तर्गत ग्रामीण सड़को का निर्माण", "केन्द्रीय सड़क निधि", "शहरी क्षेत्रों में सड़के", "भू अर्जन हेतु मुआवजा", "ग्रामीण सड़क कार्यक्रम" एवं "छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेव्हलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट फेस-III" इत्यादि के अन्तर्गत व्यय में वृद्धि होने कारण। |
| 5275 | अन्य संचार पर पूंजीगत व्यय | 4,200.00 | मुख्यतः "सूचना क्रांति योजना" के अन्तर्गत बकाया बिल का भुगतान इत्यादि के कारण। |

17. उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण
(क) लोक ऋण और अन्य दायित्वों का विवरण

(₹ लाख में)

| ऋण का विवरण (1) | 1 अप्रैल 2019 का शेष (2) | वर्ष के दौरान वृद्धि (3) | वर्ष के दौरान उन्मोचन (4) | 31 मार्च 2020 को शेष (5) | निवल वृद्धि (+)/कमी (-) | | ब्याज का भुगतान (8) | |
|--|---|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | | राशि (6) | प्रतिशत में (7) | | |
| ड-लोक ऋण - | | | | | | | | |
| 6003 | राज्य सरकार का आंतरिक ऋण- | | | | | | | |
| 101 | बाज़ार कर्ज | 39,45,209.92 | 11,68,000.00 | 70,000.00 | 50,43,209.92 | (+)10,98,000.00 | (+)27.83 | 3,33,455.82 |
| 103 | भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्ज | 2,028.51 | 0.00 | 0.00 | 2,028.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | भारतीय सामान्य बीमा निगम से कर्ज | 145.42 | 0.00 | 0.00 | 145.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105 | राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से कर्ज | 4,26,696.04 | 96,967.64 | 66,480.10 | 4,57,183.58 | (+)30,487.54 | (+)7.15 | 28,830.53 |
| 106 | प्रतिकर तथा अन्य बंध पत्र | 91,852.33 | 0.00 | 0.00 | 91,852.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108 | राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज | 765.03 | 0.00 | 16.84 | 748.19 | (-)16.84 | (-)2.20 | 5.70 |
| 111 | केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों | 4,88,686.67 | 0.00 | 45,587.52 | 4,43,099.15 | (-)45,587.52 | (-)9.33 | 46,036.56 |
| 112 | विशेष आहरण सुविधा | 0.00 | 6,65,868.00 | 6,65,868.00 | 0.00 | 0.00 | .. | 733.35 |
| योग-6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण | | 49,55,383.92 | 19,30,835.64 | 8,47,952.46 | 60,38,267.10 | (+)10,82,883.18 | (+)21.85 | 4,09,061.96 |
| 6004 | केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम- | | | | | | | |
| 01 | योजनेतर कर्ज- | | | | | | | |
| 107 | राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए कर्ज | 55.45 | 0.00 | 0.00 | 55.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 800 | अन्य कर्ज | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| योग-01-योजनेतर कर्ज | | 55.65 | 0.00 | 0.00 | 55.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज- | | | | | | | |
| 101 | एकमुश्त कर्ज | 1,68,168.70 | 78.45 | 19,584.21 ¹ | 1,48,662.94 | (-)19,505.76 | (-)11.60 | 13,375.67 |
| योग-02-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज | | 1,68,168.70 | 78.45 | 19,584.21 | 1,48,662.94 | (-)19,505.76 | (-)11.60 | 13,375.67 |
| 03 | केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज | | | | | | | |
| 800 | अन्य कर्ज | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| योग-03-केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज | | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

¹ ₹ 1,042.81 लाख सम्मिलित है। वित्त मंत्रालय द्वारा तेरहवें वित्त आयोग के अनुशंसानुसार कृषि मंत्रालय के 31 मार्च 2010 की स्थिति में केन्द्र क्षेत्रीय योजना/केन्द्र प्रवर्तित योजना से संबंधित ऋण के अपलेखन पश्चात्, कृषि मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से प्राप्त किये गये अधिक ऋण के पुनर्भुगतान (₹ 264.31 लाख) एवं ब्याज भुगतान (₹ 778.50 लाख) कुल ₹ 1,042.81 लाख को वित्त मंत्रालय के लेखे में स्थानान्तरित किया गया तथा इस राशि को वित्त मंत्रालय के लेखे में ऋण अवशेष के विरुद्ध समायोजित किया गया।

17. उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण—जारी
(क) लोक ऋण और अन्य दायित्वों का विवरण—जारी

(₹ लाख में)

| ऋण का विवरण | 1 अप्रैल 2019 का शेष | वर्ष के दौरान वृद्धि | वर्ष के दौरान उन्मोचन | 31 मार्च 2020 को शेष | निवल वृद्धि(+)/कमी(-) | | ब्याज का भुगतान |
|---|--|----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | राशि | प्रतिशत में | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| ड—लोक ऋण—समाप्त | | | | | | | |
| 6004 | केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम—समाप्त | | | | | | |
| 04 | केन्द्र प्रयोजित योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज | | | | | | |
| 103 | वृहद एवं लघु उद्योगों के लिए कर्ज | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| योग—04—केन्द्र प्रयोजित योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज | | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 07 | 1984-85 के पूर्व के कर्ज | | | | | | |
| 102 | राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कर्ज स्कीम | 68.16 | 0.00 | 0.00 | 68.16 | 0.00 | 0.00 |
| योग—07—1984-85 के पूर्व के कर्ज | | 68.16 | 0.00 | 0.00 | 68.16 | 0.00 | 0.00 |
| 09 | राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमों के लिए अन्य कर्ज | | | | | | |
| 101 | एकमुश्त कर्ज | 1,01,726.63 | 27,839.16 | 1,966.52 | 1,27,599.27 | (+)25,872.64 | (+)25.43 |
| योग—09—राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमों के लिए अन्य कर्ज | | 1,01,726.63 | 27,839.16 | 1,966.52 | 1,27,599.27 | (+)25,872.64 | (+)25.43 |
| योग—6004—केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम | | 2,70,038.07 | 27,917.61 | 21,550.73 | 2,76,404.95 | (+)6,366.88 | (+)2.36 |
| योग—ड—लोक ऋण | | 52,25,421.99 | 19,58,753.25 | 8,69,503.19 | 63,14,672.05 | (+)10,89,250.06 | (+)20.85 |
| झ | अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि— | | | | | | |
| (ख) | राज्य भविष्य निधियां— | | | | | | |
| 8009 | राज्य भविष्य निधि | जमा 5,95,285.76 | 1,75,485.68 | 1,01,867.62 | जमा 6,68,903.82 | (+)73,618.06 | (+)12.37 |
| 8011 | बीमा एवं पेंशन निधि | जमा 87,955.40 | 25,814.74 | 20,906.28 | जमा 92,863.86 | (+)4,908.46 | (+)5.58 |
| योग—झ—अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि | | जमा 6,83,241.16 | 2,01,300.42 | 1,22,773.90 | जमा 7,61,767.68 | (+)78,526.52 | (+)11.49 |
| ज | आरक्षित निधि— | | | | | | |
| (क) | ब्याज वाली आरक्षित निधियां | | | | | | |
| 8121 | सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां | जमा 40,069.78 | 6,23,556.54 ³ | 5,53,449.50 | जमा 1,10,176.82 | (+)70,107.04 | (+)174.96 |
| योग—(क)— ब्याज वाली आरक्षित निधियां | | जमा 40,069.78 | 6,23,556.54 | 5,53,449.50 | जमा 1,10,176.82 | (+)70,107.04 | (+)174.96 |

² ऋण का प्रबंधन पर ₹ 956.73 लाख का व्यय, निक्षेप निधि का रखरखाव पर ₹ 874.67 लाख का व्यय एवं "आफ बजट लाईबिलिटीज" ₹ 12,979.00 लाख का ब्याज सम्मिलित नहीं है।

³ भारत सरकार द्वारा नेशनल कम्पेन्सेटरी एफोरेस्टेशन डिपाजिट से स्थानांतरित ₹ 5,79,170.20 लाख के कैम्पा फण्ड तथा कैम्पा फण्ड के निवेश से प्राप्त ₹ 8,124.65 लाख सम्मिलित है। इस राशि में कम्पेन्सेटरी एफोरेस्टेशन फण्ड में अनुपयोगी शेष ₹ 1,889.29 लाख सम्मिलित है जिसे राज्य सरकार की सहमति से मुख्यशीर्ष 8229-200-0028 से स्थानांतरित किया गया।

17. उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण—जारी
(क) लोक ऋण और अन्य दायित्वों का विवरण—समाप्त

(₹ लाख में)

| ऋण का विवरण | 1 अप्रैल 2019 का शेष | वर्ष के दौरान वृद्धि | वर्ष के दौरान उन्मोचन | 31 मार्च 2020 को शेष | निवल वृद्धि (+) / कमी (-) | | ब्याज का भुगतान | |
|--|---|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|
| | | | | | राशि | प्रतिशत में | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| ज-आरक्षित निधि-समाप्त | | | | | | | | |
| (ख) | बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां- | | | | | | | |
| 8222 | निक्षेप निधि | 0.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8223 | अकाल राहत निधि | जमा 861.82 | 4.87 | 0.00 | जमा 866.69 | (+)4.87 | (+)0.57 | 0.00 |
| 8228 | राजस्व आरक्षित निधि | जमा 389.88 | 0.00 | 0.00 | जमा 389.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8229 | विकास तथा कल्याण निधि | जमा 1,24,230.63 ⁴ | 50,723.20 | 39,911.02 ⁴ | जमा 1,35,042.81 | (+)10,812.18 | (+)8.70 | 0.00 |
| 8235 | सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधि | जमा 0.80 | 0.00 | 0.00 | जमा 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| योग-(ख)-बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां | | जमा 1,25,483.13 | 77,228.07 | 66,411.02⁵ | जमा 1,36,300.18 | (+)10,817.05 | (+)8.62 | 0.00 |
| योग-ज-आरक्षित निधि | | जमा 1,65,552.91 | 7,00,784.61 | 6,19,860.52 | जमा 2,46,477.00 | (+)80,924.09 | (+)48.88 | 0.00 |
| (ट) | जमा तथा अग्रिम | | | | | | | |
| (क) | ब्याज वाली जमा | | | | | | | |
| 8342 | अन्य जमा | जमा 4,290.40 | 1,06,995.89 | 1,07,557.51 | जमा 3,728.78 | (-)561.62 | (-)13.09 | 311.77 |
| योग-(क)-ब्याज वाली जमा | | जमा 4,290.40 | 1,06,995.89 | 1,07,557.51 | जमा 3,728.78 | (-)561.62 | (-)13.09 | 311.77 |
| (ख) | बिना ब्याज वाली जमा | | | | | | | |
| 8443 | सिविल जमा | जमा 5,96,310.71 | 1,95,537.45 | 2,47,380.89 | जमा 5,44,467.27 | (-)51,843.44 | (-)8.69 | 0.00 |
| 8448 | स्थानीय निधियों की जमा | जमा 18.68 | 0.00 | 0.00 | जमा 18.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8449 | अन्य जमा | जमा 114.95 | 28,800.99 | 28,800.99 | जमा 114.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| योग-(ख)-बिना ब्याज वाली जमा | | जमा 5,96,444.34 | 2,24,338.44 | 2,76,181.88 | जमा 5,44,600.90 | (-)51,843.44 | (-)8.69 | 0.00 |
| योग-ट-जमा तथा अग्रिम | | जमा 6,00,734.74 | 3,31,334.33 | 3,83,739.39 | जमा 5,48,329.68⁶ | (-)52,405.06 | (-)8.72 | 311.77 |
| योग-लोक ऋण तथा अन्य दायित्व | | जमा 66,74,950.80 | 31,92,172.61 | 19,95,877.00 | जमा 78,71,246.41⁷ | (+)11,96,295.61 | (+)17.92 | 4,82,223.19 |

⁴ पूर्णांक में सुधार के कारण ₹ 0.01 करोड़ की कमी।

⁵ राज्य सरकार के सहमति से क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि का अनुपयोगि शेष ₹ 1,889.29 लाख मुख्य शीर्ष 8121-129 को स्थानंतरित किया गया है।

⁶ ₹ 183.93 लाख (नामे) का अग्रिम सम्मिलित नहीं है।

⁷ "लोक ऋण तथा अन्य दायित्व" की राशि में "ऑफ बजट दायित्व" के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (सी.एस.पी.डी.सी.एल.) को "कृषक जीवन ज्योति योजना" के अन्तर्गत देय राशि की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 1,95,500.00 लाख, छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कॉर्पोरेशन (सी.पी.एच.सी.एल.) को पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों के निर्माण के लिए ₹ 80,000.00 लाख, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल (सी.एच.बी.) को सरकारी कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों निर्माण के लिए ₹ 80,000.00 लाख एवं भवनों के क्रय हेतु ₹ 19,500.00 लाख तथा राज्य शहरी विकास प्राधिकरण (सूडा) को प्रधान मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत राज्य शासन का हिस्सा हेतु ₹ 3,35,700.00 लाख की प्रत्याभूति जारी किया गया। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को जारी गारंटी आदेश, गृह विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुलिस हाऊसिंग कॉर्पोरेशन सूडा को भुगतान किये गये ब्याज/मूलधन के स्वीकृति आदेश तथा आवास एवं पर्यावरण विभाग एवं छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के मध्य संपादित करार में उल्लेख किया गया है कि उक्त कम्पनी/निगम/बोर्ड द्वारा गारंटी के विरुद्ध प्राप्त ऋण एवं ब्याज का भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जावेगा। 31 मार्च 2020 तक उक्त प्रत्याभूति के विरुद्ध सी.एस.पी.डी.सी.एल., सी.पी.एच.सी.एल., सी.एच.बी तथा सूडा द्वारा क्रमशः ₹ 1,95,500.00 लाख, ₹ 47,039.25 लाख ₹ 84,023.81 लाख एवं ₹ 50,000.00 लाख का ऋण प्राप्त किया गया।

17. उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण—जारी
(ख) परिपक्वता विवरणी
(i) आन्तरिक ऋण की परिपक्वता विवरणी

(₹ लाख में)

| वर्ष | बाजार ऋणों का विवरण | ऋण जहाँ से लिये गये | | | प्रतिकर तथा अन्य बंध पत्र | अर्थोपाय अग्रिम | केन्द्रीय सरकार के राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ | राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण | योग |
|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|---|-----------------------------------|--------------|
| | | छत्तीसगढ़ राज्य के विकास हेतु कर्ज | भारतीय जीवन बीमा निगम | सामान्य बीमा निगम | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 2019—20 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2020—21 | 2,50,000.00 | 0.00 | 63.08 | 82,713.50 | 2,416.10 | 0.00 | 45,619.15 | 12.54 | 3,80,824.37 |
| 2021—22 | 3,00,000.00 | 0.00 | 24.54 | 87,437.67 | 8,701.20 | 0.00 | 45,619.14 | 9.91 | 4,41,792.46 |
| 2022—23 | 4,20,000.00 | 0.00 | 19.11 | 90,913.74 | 8,701.20 | 0.00 | 45,619.15 | 5.30 | 5,65,258.50 |
| 2023—24 | 5,00,000.00 | 0.00 | 13.14 | 77,445.26 | 8,701.20 | 0.00 | 45,619.14 | 1.93 | 6,31,780.67 |
| 2024—25 | 6,20,000.00 | 0.00 | 6.57 | 59,484.86 | 8,701.20 | 0.00 | 45,618.73 | 1.92 | 7,33,813.28 |
| 2025—26 | 5,55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 37,726.99 | 8,701.20 | 0.00 | 37,835.83 | 0.00 | 6,39,264.02 |
| 2026—27 | 5,20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,393.53 | 8,701.20 | 0.00 | 29,142.53 | 0.00 | 5,77,237.26 |
| 2027—28 | 11,10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,701.20 | 0.00 | 27,560.48 | 0.00 | 11,46,261.68 |
| 2028—29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,701.20 | 0.00 | 24,806.78 | 0.00 | 33,507.98 |
| 2029—30 | 7,68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,701.20 | 0.00 | 21,424.83 | 0.00 | 7,98,126.03 |
| 2030—31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,701.20 | 0.00 | 16,947.23 | 0.00 | 25,648.43 |
| 2031—32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,044.02 | 0.00 | 12,044.02 |
| 2032—33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,218.23 | 0.00 | 8,218.23 |
| 2033—34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,815.22 | 0.00 | 7,815.22 |
| 2034—35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,341.25 | 0.00 | 6,341.25 |

17. उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण—जारी

(ख) परिपक्वता विवरणी—जारी

(i) आन्तरिक ऋण की परिपक्वता विवरणी—समाप्त

(₹ लाख में)

| वर्ष | बाजार ऋणों का विवरण | ऋण जहाँ से लिये गये | | | प्रतिकर तथा अन्य बंध पत्र | अर्थोपाय अग्रिम | केन्द्रीय सरकार के राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ | राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण | योग |
|---|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| | | भारतीय जीवन बीमा निगम | सामान्य बीमा निगम | नाबार्ड | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 2035—36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,214.98 | 0.00 | 6,214.98 |
| 2036—37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,597.98 | 0.00 | 3,597.98 |
| 2037—38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,538.12 | 0.00 | 2,538.12 |
| 2038—39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.97 | 0.00 | 1,276.97 |
| परिपक्वता वर्ष का विवरण नहीं उपलब्ध है। | 0.00 | 2,028.51 | 18.98 | 2,068.03 | 2,424.23 | 0.00 | 9,239.39 | 716.59 | 16,495.73 |
| पूर्व वर्षों में परिपक्व हुए। | 209.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.92 |
| योग | 50,43,209.92 | 2,028.51 | 145.42 | 4,57,183.58 | 91,852.33 | 0.00 | 4,43,099.15 | 748.19 | 60,38,267.10 |

17. उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण—जारी
(ख) परिपक्वता विवरणी—जारी
(ii) केन्द्र सरकार से कर्ज तथा पेशगियों की परिपक्वता विवरणी

(₹ लाख में)

| वर्ष | आयोजनेतर ऋण | राज्य/संघ क्षेत्र योजनागत योजनाओं के लिए ऋण | राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की योजनाओं के लिए अन्य कर्ज | केन्द्रीय योजनाओं के लिए ऋण | केन्द्र प्रयोजित योजनाओं के लिए ऋण | 1984-85 के पूर्व के ऋण | योग |
|---------|-------------|---|--|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 2019-20 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2020-21 | 0.00 | 20,119.20 | 11,447.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,566.38 |
| 2021-22 | 0.00 | 19,626.45 | 5,974.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,600.75 |
| 2022-23 | 0.00 | 19,626.47 | 5,974.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,600.77 |
| 2023-24 | 0.00 | 19,626.45 | 5,974.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,600.75 |
| 2024-25 | 0.00 | 11,432.58 | 6,501.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,934.39 |
| 2025-26 | 0.00 | 7,752.71 | 6,777.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,530.08 |
| 2026-27 | 0.00 | 7,333.29 | 6,777.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,110.65 |
| 2027-28 | 0.00 | 7,329.39 | 6,777.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,106.76 |
| 2028-29 | 0.00 | 6,689.42 | 6,777.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,466.78 |
| 2029-30 | 0.00 | 5,443.63 | 6,651.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,095.02 |
| 2030-31 | 0.00 | 3,864.01 | 6,525.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,389.42 |
| 2031-32 | 0.00 | 2,915.91 | 6,525.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,441.31 |
| 2032-33 | 0.00 | 2,829.30 | 6,525.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,354.71 |
| 2033-34 | 0.00 | 2,667.01 | 6,525.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,192.41 |
| 2034-35 | 0.00 | 2,667.01 | 6,525.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,192.42 |
| 2035-36 | 0.00 | 2,667.01 | 6,525.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,192.41 |
| 2036-37 | 0.00 | 2,667.00 | 6,525.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,192.41 |
| 2037-38 | 0.00 | 2,667.02 | 6,525.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,192.43 |

17. उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण—जारी
 (ख) परिपक्वता विवरणी—समाप्त
 (ii) केन्द्र सरकार से कर्जे तथा पेशगियों की परिपक्वता विवरणी—समाप्त

(₹ लाख में)

| वर्ष | आयोजनेतर ऋण | राज्य/संघ क्षेत्र योजनागत योजनाओं के लिए ऋण | राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की योजनाओं के लिए अन्य कर्ज | केन्द्रीय योजनाओं के लिए ऋण | केन्द्र प्रयोजित योजनाओं के लिए ऋण | 1984-85 के पूर्व के ऋण | योग |
|--------------------------------|--------------|---|--|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 2038-39 | 0.00 | 261.11 | 4,292.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,553.19 |
| 2039-40 | 0.00 | 261.11 | 1,270.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,531.46 |
| 2040-41 | 0.00 | 202.61 | 85.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.07 |
| 2041-42 | 0.00 | 14.25 | 85.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.82 |
| 2042-43 | 0.00 | 0.00 | 14.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.91 |
| 2043-44 | 0.00 | 0.00 | 14.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.91 |
| परिपक्वता वर्ष उपलब्ध नहीं है। | 55.65 | 0.00 | 0.00 | 18.92 | 0.01 | 68.16 | 142.74 |
| योग | 55.65 | 1,48,662.94 | 1,27,599.27 | 18.92 | 0.01 | 68.16 | 2,76,404.95 |

17. उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण—जारी
(ग) बकाया ऋणों की ब्याज दर की विवरणी
(i) राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण

(₹ लाख में)

| ब्याज दर | 31 मार्च 2020 को बकाया राशि | | | | | | | योग में अंश (प्रतिशत में) |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---|---|--------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------|
| | ब्याज वाले बाजार कर्ज | प्रतिकर तथा अन्य बंध पत्र | केन्द्रीय सरकार के राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों | भारतीय जीवन बीमा निगम/ सामान्य बीमा निगम | नाबार्ड | राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 3.00 से 7.99 | .. | .. | .. | .. | 87,614.09 | .. | 87,614.09 | 1.45 |
| 4.00 से 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,17,539.62 | 0.00 | 1,17,539.62 | 1.95 |
| 5.00 से 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,64,112.19 | 0.00 | 1,64,112.19 | 2.72 |
| 6.00 से 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,229.24 | 0.00 | 41,229.24 | 0.68 |
| 7.00 से 7.99 | 28,08,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,620.41 | 0.00 | 28,52,620.41 | 47.24 |
| 8.00 से 8.99 | 19,60,000.00 | 89,428.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,49,428.10 | 33.94 |
| 9.00 से 9.99 | 2,75,000.00 | 0.00 | 3,77,488.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,52,488.95 | 10.81 |
| 10.00 से 10.99 | 0.00 | 0.00 | 56,370.81 | 0.00 | 0.00 | 8.53 | 56,379.34 | 0.93 |
| 11.00 से 11.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12.00 से 12.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.57 | 20.57 | 0.00 |
| 13.00 से 13.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.44 | 0.00 | 2.50 | 128.94 | 0.00 |
| राज्य शासन द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई जानकारी | 209.92 | 2,424.23 | 9,239.39 | 2,047.49 | 2,068.03 | 716.59 | 16,705.65 | 0.28 |
| योग | 50,43,209.92 | 91,852.33 | 4,43,099.15 | 2,173.93 | 4,57,183.58 | 748.19 | 60,38,267.10 | 100.00 |

17. उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण—जारी
 (ग) बकाया ऋणों की ब्याज दर की विवरणी—जारी
 (ii) केन्द्र सरकार से कर्जे तथा पेशगियों

(₹ लाख में)

| ब्याज दर (प्रतिशत) | 31 मार्च 2020 को बकाया राशि | | | | | | | योग में अंश (प्रतिशत में) |
|--|--|-------------------------|--|--|---|------------------|--------------------|------------------------------|
| | कृषि विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निधि | एशियन डेवलपमेंट बैंक | अन्तर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट एजेंसी | अन्तर्राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण और विकास बैंक | वैश्विक पर्यावरण निधि एवं अन्तर्राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण एवं विकास बैंक | भारत सरकार | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 7.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,901.43 | 37,901.43 | 13.71 |
| 9 | 1,856.11 | 29,692.70 | 9,278.13 | 0.00 | 0.00 | 10,216.03 | 51,042.97 | 18.47 |
| 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| परिवर्तनीय ब्याज दर पर एकल मुद्रा कर्ज | 0.00 | 1,79,526.92 | 0.00 | 1,374.84 | 6,416.05 | 0.00 | 1,87,317.81 | 67.77 |
| ब्याज मुक्त ऋण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.74 | 142.74 | 0.05 |
| योग | 1,856.11 | 2,09,219.62 | 9,278.13 | 1,374.84 | 6,416.05 | 48,260.20 | 2,76,404.95 | 100.00 |

17. उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण—जारी
(ग) बकाया ऋणों की ब्याज दर की विवरणी—समाप्त
(iii) केन्द्र सरकार से कर्ज तथा पेशगियों

(₹ लाख में)

| संस्था का नाम | योजना का नाम | ब्याज की दर | 31 मार्च 2020 का शेष |
|---|--|--|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| कृषि विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निधि | छत्तीसगढ़ जनजाति विकास कार्यक्रम | 9 प्रतिशत | 1,856.11 |
| एशियन डेव्हलपमेंट बैंक | छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास परियोजना | 9 प्रतिशत | 29,692.70 |
| | छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास परियोजना फेज-2 | परिवर्तनीय ब्याज दर पर एकल मुद्रा कर्ज | 1,61,080.99 |
| | छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना | परिवर्तनीय ब्याज दर पर एकल मुद्रा कर्ज | 10,179.38 |
| अन्तर्राष्ट्रीय डेव्हलपमेंट एजेंसी | जिला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन परियोजना | 9 प्रतिशत | 9,278.13 |
| अन्तर्राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण और विकास बैंक | राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना फेज-2 | परिवर्तनीय ब्याज दर पर एकल मुद्रा कर्ज | (-)10.94 |
| वैश्विक पर्यावरण निधि एवं अन्तर्राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण एवं विकास बैंक | सुगम शहरी परिवहन योजना | परिवर्तनीय ब्याज दर पर एकल मुद्रा कर्ज | 6,416.05 |
| भारत सरकार | बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार समेकित कर्ज | 7.5 प्रतिशत | 37,901.43 |
| | अन्य योजनाएं | 9 प्रतिशत | 10,216.03 |
| | पूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये नये प्रवासियों के पुर्नवास हेतु कर्ज | ब्याज मुक्त ऋण | 17.81 |
| | विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं राहत | ब्याज मुक्त ऋण | 1.11 |
| | भारतीय रिजर्व बटालियन | ब्याज मुक्त ऋण | 0.01 |
| | राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति | ब्याज मुक्त ऋण | 123.61 |
| | विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास हेतु जल प्रदाय के लिए कर्ज | ब्याज मुक्त ऋण | 0.20 |
| एशियन डेव्हलपमेंट बैंक | छत्तीसगढ़ सड़क कनेक्टिविटी परियोजना | परिवर्तनीय ब्याज दर पर एकल मुद्रा कर्ज | 8,266.55 |
| अन्तर्राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण और विकास बैंक | छत्तीसगढ़ लोक वित्तीय प्रबंधन लेखा कार्यक्रम | परिवर्तनीय ब्याज दर पर एकल मुद्रा कर्ज | 1,385.78 |
| योग | | | 2,76,404.95 |

17. उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण—जारी
विवरण क्रमांक 17 का अनुलग्नक

(₹ लाख में)

| ऋण का विवरण | | कब लिया गया | 1 अप्रैल 2019 का शेष | वर्ष के दौरान वृद्धि | वर्ष के दौरान उन्मोचन | 31 मार्च 2020 को शेष |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| ड-लोक ऋण | | | | | | |
| 6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण | | | | | | |
| 101 | बाजार कर्ज-ब्याज वाले बाजार कर्ज- | | | | | |
| 97 | 8.65 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2023 | 2012-13 | 1,50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,50,000.00 |
| 96 | 8.25 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य प्रतिभूति 2019 | 2009-10 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| 98 | 8.12 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2023 | 2013-14 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 99 | 8.02 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2023 | 2013-14 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 100 | 9.30 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2023 | 2013-14 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 101 | 9.60 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2023 | 2013-14 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 102 | 9.22 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2024 | 2014-15 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 103 | 8.98 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2024 | 2014-15 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 104 | 9.03 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2024 | 2014-15 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 105 | 8.85 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2024 | 2014-15 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 106 | 8.08 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2025 | 2014-15 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 107 | 8.02 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2025 | 2014-15 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 108 | 8.06 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2025 | 2014-15 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 1008 | 8.32 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2025 | 2015-16 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 1009 | 8.19 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2025 | 2015-16 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 1010 | 8.23 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2025 | 2015-16 | 1,50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,50,000.00 |
| 1011 | 8.32 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2026 | 2015-16 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 1012 | 8.08 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2026 | 2015-16 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 1013 | 8.53 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2026 | 2015-16 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 1014 | 7.22 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2027 | 2016-17 | 1,20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,20,000.00 |
| 1015 | 7.88 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2027 | 2016-17 | 1,40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,40,000.00 |
| 1016 | 7.80 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2027 | 2016-17 | 1,60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,60,000.00 |
| 1017 | 7.47 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2027 | 2017-18 | 2,00,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,00,000.00 |
| 1018 | 7.68 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2027 | 2017-18 | 1,00,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00,000.00 |
| 1019 | 7.79 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2028 | 2017-18 | 1,00,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00,000.00 |

17. उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण—जारी
विवरण क्रमांक—17 का अनुलग्नक—जारी

(₹ लाख में)

| ऋण का विवरण | | कब लिया गया | 1 अप्रैल 2019 का शेष | वर्ष के दौरान वृद्धि | वर्ष के दौरान उन्मोचन | 31 मार्च 2020 को शेष |
|------------------------------------|--|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| ड-लोक ऋण—जारी | | | | | | |
| 6003—राज्य सरकार का आंतरिक ऋण—जारी | | | | | | |
| 101 | बाजार कर्ज—ब्याज वाले बाजार कर्ज—जारी | | | | | |
| 1020 | 8.11 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2028 | 2017—18 | 1,10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,10,000.00 |
| 1021 | 8.33 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2028 | 2017—18 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1022 | 8.15 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2028 | 2017—18 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 1023 | 8.41 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2028 | 2017—18 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 1024 | 8.28 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2028 | 2017—18 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1025 | 8.13 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2028 | 2017—18 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1026 | 8.04 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2020 | 2018—19 | 1,00,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00,000.00 |
| 1027 | 7.90 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2021 | 2018—19 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1028 | 8.11 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2021 | 2018—19 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1029 | 8.07 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2021 | 2018—19 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1030 | 7.64 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2021 | 2018—19 | 1,50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,50,000.00 |
| 1031 | 7.94 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2023 | 2018—19 | 2,00,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,00,000.00 |
| 1032 | 8.14 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2025 | 2018—19 | 1,00,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00,000.00 |
| 1033 | 7.93 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2024 | 2018—19 | 1,00,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00,000.00 |
| 1034 | 8.18 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2025 | 2018—19 | 1,00,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00,000.00 |
| 1035 | 7.48 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2022 | 2018—19 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 1036 | 7.68 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2024 | 2018—19 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1037 | 8.04 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2026 | 2018—19 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 1038 | 7.57 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2023 | 2018—19 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 1039 | 7.69 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2024 | 2018—19 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1040 | 7.43 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2022 | 2018—19 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 1041 | 7.03 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2026 | 2019—20 | 0.00 | 1,00,000.00 | 0.00 | 1,00,000.00 |
| 1042 | 7.28 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2027 | 2019—20 | 0.00 | 1,00,000.00 | 0.00 | 1,00,000.00 |
| 1043 | 7.18 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2027 | 2019—20 | 0.00 | 2,00,000.00 | 0.00 | 2,00,000.00 |

17. उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण—जारी
विवरण क्रमांक—17 का अनुलग्नक—जारी

(₹ लाख में)

| ऋण का विवरण | कब लिया गया | 1 अप्रैल 2019 का शेष | वर्ष के दौरान वृद्धि | वर्ष के दौरान उन्मोचन | 31 मार्च 2020 को शेष | |
|---|--|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| ड—लोक ऋण—जारी | | | | | | |
| 6003—राज्य सरकार का आंतरिक ऋण—जारी | | | | | | |
| 101 | बाजार कर्ज—ब्याज वाले बाजार कर्ज—समाप्त | | | | | |
| 1044 | 7.17 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2030 | 2019—20 | 0.00 | 1,00,000.00 | 0.00 | 1,00,000.00 |
| 1045 | 7.18 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2030 | 2019—20 | 0.00 | 1,00,000.00 | 0.00 | 1,00,000.00 |
| 1046 | 7.08 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2030 | 2019—20 | 0.00 | 1,00,000.00 | 0.00 | 1,00,000.00 |
| 1047 | 7.11 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2030 | 2019—20 | 0.00 | 1,00,000.00 | 0.00 | 1,00,000.00 |
| 1048 | 7.59 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2030 | 2019—20 | 0.00 | 1,00,000.00 | 0.00 | 1,00,000.00 |
| 1049 | 7.35 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर्ज 2030 | 2019—20 | 0.00 | 2,68,000.00 | 0.00 | 2,68,000.00 |
| योग—ब्याज वाले बाजार कर्ज | | | 39,45,000.00 | 11,68,000.00 | 70,000.00 | 50,43,000.00 |
| 101 | बाजार कर्ज—बिना ब्याज वाले बाजार कर्ज— | | | | | |
| 86 | 5.75 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास कर्ज 1979 | 1967—68 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 6.30 |
| 84 | 11.50 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास कर्ज 2011 | 1991—92 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 83 | 12 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास कर्ज 2011 | 1991—92 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 1.70 |
| 81 | 5.75 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास कर्ज 1984 | 1972—73 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
| 80 | 5.75 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास कर्ज 1985 | 1973—74 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 5.47 |
| 79 | 6 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास कर्ज 1984 | 1974—75 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 4.89 |
| 78 | 6 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास कर्ज 1985 | 1975—76 | 30.36 | 0.00 | 0.00 | 30.36 |
| 77 | 6 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास कर्ज 1986 | 1976—77 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 76 | 6 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास कर्ज 1987 | 1977—78 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 1.23 |
| 69 | 12 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास कर्ज 2010 | 2000—01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 70 | 10.52 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास कर्ज 2010 | 2000—01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 71 | 11 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास कर्ज 2010 | 1999—2000 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 82 | 13 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास कर्ज 2007 | 1992—93 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 2.33 |
| 91 | 13.75 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास कर्ज 2007 | 1996—97 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 3.15 |
| 92 | 13.05 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास कर्ज 2007 | 1997—98 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |

17. उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण—जारी
विवरण क्रमांक—17 का अनुलग्नक—जारी

(₹ लाख में)

| ऋण का विवरण | कब लिया गया | 1 अप्रैल 2019 का शेष | वर्ष के दौरान वृद्धि | वर्ष के दौरान उन्मोचन | 31 मार्च 2020 को शेष |
|---|--|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| ड-लोक ऋण—जारी | | | | | |
| 6003—राज्य सरकार का आंतरिक ऋण—जारी | | | | | |
| 101 | बाजार कर्ज—बिना ब्याज वाले बाजार कर्ज—समाप्त | | | | |
| 93 | 12.30 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास कर्ज 2007 | 1997—98 | 0.51 | 0.00 | 0.51 |
| 94 | 12.15 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास कर्ज 2008 | 1998—99 | 3.31 | 0.00 | 3.31 |
| 95 | 12.50 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास कर्ज 2008 | 1998—99 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 72 | 7 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास कर्ज 1993 | 1981—82 | 1.03 | 0.00 | 1.03 |
| 71 | 7.50 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास कर्ज 1997 | 1982—83 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 70 | 9.75 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास कर्ज 1998 | 1985—86 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
| 69 | 9 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास कर्ज 1999 | 1984—85 | 1.96 | 0.00 | 1.96 |
| 67 | 11 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास कर्ज 2001 | 1986—87 | 4.52 | 0.00 | 4.52 |
| 87 | 11.50 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास कर्ज 2008 | 1988—89 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 90 | 13.50 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास कर्ज 2003 | 1993—94 | 51.86 | 0.00 | 51.86 |
| 80 | 14 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास कर्ज 2005 | 1995—96 | 2.55 | 0.00 | 2.55 |
| 81 | 12.50 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास कर्ज 2004 | 1994—95 | 77.20 | 0.00 | 77.20 |
| 86 | 11.50 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास कर्ज 2004 | 1989—90 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| योग—बिना ब्याज वाले बाजार कर्ज | | | 209.92 | 0.00 | 0.00 |
| योग—101—बाजार कर्ज | | | 39,45,209.92 | 11,68,000.00 | 70,000.00 |
| स्वायत्तशासी निकायों से कर्ज— | | | | | |
| 103 | भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्ज | 1960—2001 | 2,028.51 | 0.00 | 2,028.51 |
| 104 | भारतीय सामान्य बीमा निगम से कर्ज | 1960—2001 | 145.42 | 0.00 | 145.42 |
| 105 | राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से कर्ज | 1962—2018 | 4,26,696.04 | 96,967.64 | 66,480.10 |
| 106 | प्रतिकर तथा अन्य बंध पत्र—शहरी भूमि सीमा तथा नियमन अधिनियम 1976 के बदले में नगद भुगतान हेतु जारी बॉन्ड्स | 1995—2016 | 91,852.33 | 0.00 | 91,852.33 |

17. उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण—जारी
विवरण क्रमांक-17 का अनुलग्नक—जारी

(₹ लाख में)

| ऋण का विवरण | कब लिया गया | 1 अप्रैल 2019 का शेष | वर्ष के दौरान वृद्धि | वर्ष के दौरान उन्मोचन | 31 मार्च 2020 को शेष | |
|---|---|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| ड-लोक ऋण—जारी | | | | | | |
| 6003—राज्य सरकार का आंतरिक ऋण—समाप्त | | | | | | |
| स्वायतशासी निकायों से कर्ज—समाप्त | | | | | | |
| 108 | राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज | 1960—2017 | 765.03 | 0.00 | 16.84 | 748.19 |
| योग—स्वायतशासी निकायों से कर्ज | | | 5,21,487.33 | 96,967.64 | 66,496.94 | 5,51,958.03 |
| 110 | भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम | .. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां | 1999—2016 | 4,88,686.67 | 0.00 | 45,587.52 | 4,43,099.15 |
| 112 | विशेष आहरण सुविधा | .. | 0.00 | 6,65,868.00 | 6,65,868.00 | 0.00 |
| योग—6003—राज्य सरकार का आंतरिक ऋण | | | 49,55,383.92 | 19,30,835.64 | 8,47,952.46 | 60,38,267.10 |
| 6004—केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम— | | | | | | |
| राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति | | 1948—1974 1979—1991 | 123.61 | 0.00 | 0.00 | 123.61 |
| विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु जल प्रदाय के लिए कर्ज | | 1990—1991 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| छत्तीसगढ़ जनजाति विकास कार्यक्रम | | 2005—2012 | 2,059.47 | 0.00 | 203.36 | 1,856.11 |
| छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास परियोजना | | 2005—2013 | 32,688.13 | 0.00 | 2,995.43 | 29,692.70 |
| छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास परियोजना—फेज—II | | 2015—2019 | 1,45,925.82 | 18,186.83 | 3,031.66 | 1,61,080.99 |
| जिला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन परियोजना | | 2005—2011 | 10,403.62 | 0.00 | 1,125.49 | 9,278.13 |
| राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना फेज—II | | 2007—2015 | 72.41 | 0.00 | 83.35 | (-)10.94 |
| छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना | | 2008—2014 | 11,146.85 | 0.00 | 967.47 | 10,179.38 |
| ब्लाक ऋण के अन्तर्गत अन्य योजनाएं | | 2004—2013 | 12,573.02 | 78.45 | 2,435.44 | 10,216.03 |
| सुगम शहरी परिवहन योजना | | 2013—2019 | 6,755.64 | 0.00 | 339.59 | 6,416.05 |
| बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार समेकित कर्ज | | 2005—2006 | 48,270.37 | 0.00 | 10,368.94 | 37,901.43 |
| पूर्ववर्ती पूर्वी पाकिस्तान से आये नये प्रवासियों के पुनर्वास हेतु कर्ज | | 1979—1989 | 17.81 | 0.00 | 0.00 | 17.81 |
| विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं राहत | | 1987—1990 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 1.11 |

17. उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण—समाप्त
विवरण क्रमांक-17 का अनुलग्नक—समाप्त

(₹ लाख में)

| ऋण का विवरण | कब लिया गया | 1 अप्रैल 2019 का शेष | वर्ष के दौरान वृद्धि | वर्ष के दौरान उन्मोचन | 31 मार्च 2020 को शेष |
|---|-------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| ड-लोक ऋण—समाप्त | | | | | |
| 6004—केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम—समाप्त | | | | | |
| बड़े एवं मध्यम उद्योगों के लिए कर्ज | 1996—2000 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| छत्तीसगढ़ सड़क कनेक्टिविटी परियोजना | .. | 0.00 | 8,266.55 | 0.00 | 8,266.55 |
| छत्तीसगढ़ लोक वित्तीय प्रबंधन लेखा कार्यक्रम | .. | 0.00 | 1,385.78 | 0.00 | 1,385.78 |
| योग—6004—केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम | | 2,70,038.07 | 27,917.61 | 21,550.73 | 2,76,404.95 |
| योग—ड-लोक ऋण | | 52,25,421.99 | 19,58,753.25 | 8,69,503.19 | 63,14,672.05 |

18-सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण
सेक्शन 1-कर्ज तथा उधारों का मुख्य एवं लघुशीर्ष वार विवरण

(₹ लाख में)

| लेखा शीर्ष मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष लघु शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष | वर्ष के दौरान प्रदत्त ऋण राशि | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि | वसूली योग्य नहीं ऐसे कर्ज तथा उधारों का अपलेखन | 31 मार्च 2020 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी(-) | प्राप्त तथा जमा किया गया ब्याज |
|---|---|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--|--------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| च | कर्ज तथा उधार- | | | | | | |
| क | सामान्य सेवार्यों के लिए कर्ज- | | | | | | |
| (छ) | पेंशन तथा विविध सेवाओं के लिए कर्ज- | | | | | | |
| 6075 | विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज- | | | | | | |
| 800 | अन्य कर्ज - | | | | | | |
| | राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों की ऐच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम को कर्ज | 100.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.16 | 0.00 |
| | छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड, रायपुर | 17,400.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 7,400.00 | (-)10,000.00 |
| | योग-800 | 17,500.16 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 7,500.16 | (-)10,000.00 |
| | योग-6075 | 17,500.16 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 7,500.16 | (-)10,000.00 |
| | योग-(छ) | 17,500.16 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 7,500.16 | (-)10,000.00 |
| | योग-क | 17,500.16 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 7,500.16 | (-)10,000.00 |
| ख | सामाजिक सेवाओं के लिये कर्ज- | | | | | | |
| (क) | शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज- | | | | | | |
| 6202 | शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज- | | | | | | |
| 01 | सामान्य शिक्षा- | | | | | | |
| 203 | विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा- | | | | | | |
| | विश्वविद्यालयों को कर्ज | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 |
| | छात्रवृत्ति हेतु राष्ट्रीय ऋण योजना | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| | योग-203 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| | योग-01 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 02 | तकनीकी शिक्षा- | | | | | | |
| 800 | अन्य कर्ज- | | | | | | |
| | इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विमानन अकादमी प्रशिक्षण हेतु कर्ज तथा उधार | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| | योग-800 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| | योग-02 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |

18-सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण-जारी
सेक्शन 1-कर्ज तथा उधारों का मुख्य एवं लघुशीर्ष वार विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| लेखा शीर्ष मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष लघु शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष | वर्ष के दौरान प्रदत्त ऋण राशि | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि | वसूली योग्य नहीं ऐसे कर्ज तथा उधारों का अपलेखन | 31 मार्च 2020 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी(-) | प्राप्त तथा जमा किया गया ब्याज | |
|---|---|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--|--------------------------------------|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| च | कर्ज तथा उधार-जारी | | | | | | | |
| ख | सामाजिक सेवाओं के लिये कर्ज-जारी | | | | | | | |
| (क) | शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज-समाप्त | | | | | | | |
| 6202 | शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज-समाप्त | | | | | | | |
| 04 | कला तथा संस्कृति- | | | | | | | |
| 800 | अन्य कर्ज- | | | | | | | |
| | छात्रवृत्ति हेतु राष्ट्रीय ऋण योजना | 89.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.63 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-800 | 89.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.63 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-04 | 89.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.63 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-6202 | 90.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.81 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-(क) | 90.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.81 | 0.00 | 0.00 |
| (ख) | स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के लिए कर्ज- | | | | | | | |
| 6210 | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के लिए कर्ज- | | | | | | | |
| 03 | चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान- | | | | | | | |
| 105 | एलोपैथी- | | | | | | | |
| | अन्य विविध कर्ज | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-105 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-03 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-6210 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-(ख) | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 0.00 | 0.00 |
| (ग) | जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास के लिए कर्ज- | | | | | | | |
| 6215 | जल पूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज- | | | | | | | |
| 01 | जल पूर्ति- | | | | | | | |
| 101 | शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम- | | | | | | | |
| | राष्ट्रीय जल पूर्ति योजना हेतु नगर निगम को कर्ज | 25.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.97 | 0.00 | 0.00 |
| | नवीन शहरी जल प्रदाय योजना हेतु नगर निगम को कर्ज | 974.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 974.96 | 0.00 | 0.00 |

18-सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण-जारी
सेक्शन 1-कर्ज तथा उधारों का मुख्य एवं लघुशीर्ष वार विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| लेखा शीर्ष मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष लघु शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष | वर्ष के दौरान प्रदत्त ऋण राशि | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि | वसूली योग्य नहीं ऐसे कर्ज तथा उधारों का अपलेखन | 31 मार्च 2020 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी(-) | प्राप्त तथा जमा किया गया ब्याज | |
|---|---|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--|--------------------------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| च | कर्ज तथा उधार-जारी | | | | | | | |
| ख | सामाजिक सेवाओं के लिये कर्ज-जारी | | | | | | | |
| (ग) | जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास के लिए कर्ज-जारी | | | | | | | |
| 6215 | जल पूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज-जारी | | | | | | | |
| 01 | जल पूर्ति-समाप्त | | | | | | | |
| 101 | शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम-समाप्त | | | | | | | |
| | अनुसूचित जाति हेतु हरिजन विशेषांक के लिए कर्ज | 209.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.08 | 0.00 | 0.00 |
| | अन्य विविध कर्ज | 157.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.27 | 0.00 | 0.00 |
| | नवीन शहरी जल आपूर्ति योजना | 3,396.16 | 2,629.86 | 0.00 | 0.00 | 6,026.02 | (+)2,629.86 | 115.01 |
| | योग-101 | 4,763.44 | 2,629.86 | 0.00 | 0.00 | 7,393.30 | (+)2,629.86 | 115.01 |
| 102 | ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम | | | | | | | |
| | नगर निगम को कर्ज | 94.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.17 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | स्थानीय संस्थाओं और नगर पालिकाओं आदि को कर्ज | | | | | | | |
| | नवीन शहरी जल प्रदाय योजना | 115.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.09 | 0.00 | 0.00 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | | | | | | | |
| | नवीन शहरी जल प्रदाय योजना | 444.90 | 26.43 | 0.00 | 0.00 | 471.33 | (+)26.43 | 0.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उप-योजना- | | | | | | | |
| | नवीन शहरी जल प्रदाय योजना | 803.74 | 365.47 | 0.00 | 0.00 | 1,169.21 | (+)365.47 | 0.00 |
| 800 | अन्य कर्ज- | | | | | | | |
| | शहरी जल प्रदाय योजना | 307.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.88 | 0.00 | 0.00 |
| | नवीन शहरी जल प्रदाय योजना | 45.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.25 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-800 | 353.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.13 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-01 | 6,574.47 | 3,021.76 | 0.00 | 0.00 | 9,596.23 | (+)3,021.76 | 115.01 |
| 02 | मल-जल तथा सफाई- | | | | | | | |
| 191 | स्थानीय निकाओं, नगरपालिकाओं आदि को कर्ज- | | | | | | | |
| | अन्य विविध कर्ज | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |

18-सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण-जारी
सेक्शन 1-कर्ज तथा उधारों का मुख्य एवं लघुशीर्ष वार विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| लेखा शीर्ष मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष लघु शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष | वर्ष के दौरान प्रदत्त ऋण राशि | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि | वसूली योग्य नहीं ऐसे कर्ज तथा उधारों का अपलेखन | 31 मार्च 2020 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी(-) | प्राप्त तथा जमा किया गया ब्याज | |
|---|---|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--|--------------------------------------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| च | कर्ज तथा उधार-जारी | | | | | | | |
| ख | सामाजिक सेवाओं के लिये कर्ज-जारी | | | | | | | |
| (ग) | जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास के लिए कर्ज-जारी | | | | | | | |
| 6215 | जल पूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज-समाप्त | | | | | | | |
| 02 | मल-जल तथा सफाई-समाप्त | | | | | | | |
| 800 | अन्य कर्ज- | | | | | | | |
| | सीवरेज योजना | 603.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.82 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-02 | 603.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.92 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-6215 | 7,178.39 | 3,021.76 | 0.00 | 0.00 | 10,200.15 | (+)3,021.76 | 115.01 |
| 6216 | आवास के लिए कर्ज- | | | | | | | |
| 02 | शहरी आवास- | | | | | | | |
| 195 | आवास सहकारिता के लिये कर्ज | | | | | | | |
| | अन्य विविध कर्ज | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | आवास बोर्ड को कर्ज | | | | | | | |
| | निम्न आय वर्गीय आवास योजना | 42.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.99 | 0.00 | 0.00 |
| | भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वित्त पोषित निम्न आय वर्गीय योजना | 20.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.13 | 0.00 | 0.00 |
| | मध्यम आय वर्गीय आवास योजना | 40.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.15 | 0.00 | 0.00 |
| | भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वित्त पोषित मध्यम आय वर्गीय योजना | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 |
| | मध्यम आय वर्गीय आवास योजना हेतु जीवन बीमा निगम द्वारा कर्ज | 415.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.27 | 0.00 | 0.00 |
| | उच्च आय वर्गीय आवास योजना | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.66 | 0.00 | 0.00 |
| | समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवास योजना | 39.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.58 | 0.00 | 0.00 |
| | औद्योगिक आवास योजना को सहायता | 19.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.82 | 0.00 | 0.00 |
| | मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल को चालू वर्ष के लिए बाजार कर्ज | 742.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 742.15 | 0.00 | 0.00 |

18-सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण-जारी
सेक्शन 1-कर्ज तथा उधारों का मुख्य एवं लघुशीर्ष वार विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| लेखा शीर्ष मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष लघु शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष | वर्ष के दौरान प्रदत्त ऋण राशि | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि | वसूली योग्य नहीं ऐसे कर्ज तथा उधारों का अपलेखन | 31 मार्च 2020 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी(-) | प्राप्त तथा जमा किया गया ब्याज | |
|---|--|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--|--------------------------------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| च | कर्ज तथा उधार-जारी | | | | | | | |
| ख | सामाजिक सेवाओं के लिये कर्ज-जारी | | | | | | | |
| (ग) | जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास के लिए कर्ज-जारी | | | | | | | |
| 6216 | आवास के लिए कर्ज-जारी | | | | | | | |
| 02 | शहरी आवास-समाप्त | | | | | | | |
| 201 | आवास बोर्ड को कर्ज-समाप्त | | | | | | | |
| | समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भूमि अधिग्रहण एवं विकास हेतु जीवन बीमा निगम द्वारा कर्ज | 14.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.14 | 0.00 | 0.00 |
| | भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वित्त पोषित समाज क आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए आवास योजना | 80.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.98 | 0.00 | 0.00 |
| | जी.आई.सी. द्वारा वित्त पोषित समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए आवास योजना | 272.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.35 | 0.00 | 0.00 |
| | भू-अधिग्रहण एवं आवास खण्डों का विकास | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 0.00 |
| | अन्य विविध कर्ज | 29.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.15 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-201 | 1,727.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,727.69 | 0.00 | 0.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना- | | | | | | | |
| | जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत कर्ज | 280.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.47 | 0.00 | 0.00 |
| 800 | अन्य कर्ज- | | | | | | | |
| | अनुसूचित जातियों के लिए विशेषांश योजना-मध्यम आय समूह आवास योजना के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कर्ज | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.55 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-02 | 2,034.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,034.82 | 0.00 | 0.00 |
| 03 | ग्रामीण आवास- | | | | | | | |
| 201 | आवास बोर्ड को कर्ज- | | | | | | | |
| | ग्रामीण आवास योजना | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 |

18-सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण-जारी
सेक्शन 1-कर्ज तथा उधारों का मुख्य एवं लघुशीर्ष वार विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| लेखा शीर्ष मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष लघु शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष | वर्ष के दौरान प्रदत्त ऋण राशि | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि | वसूली योग्य नहीं ऐसे कर्ज तथा उधारों का अपलेखन | 31 मार्च 2020 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी(-) | प्राप्त तथा जमा किया गया ब्याज |
|---|---|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--|--------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| च | कर्ज तथा उधार-जारी | | | | | | |
| ख | सामाजिक सेवाओं के लिये कर्ज-जारी | | | | | | |
| (ग) | जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास के लिए कर्ज-जारी | | | | | | |
| 6216 | आवास के लिए कर्ज-जारी | | | | | | |
| 03 | ग्रामीण आवास-समाप्त | | | | | | |
| 201 | आवास बोर्ड को कर्ज-समाप्त | | | | | | |
| | भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा ग्रामीण आवास योजना | 4.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.61 | 0.00 |
| | सामान्य बीमा निगम द्वारा ग्रामीण आवास योजना | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 0.00 |
| | भारतीय जीवन बीमा निगम आवास योजना | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.60 | 0.00 |
| | अन्य विविध कर्ज | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 0.00 |
| | योग-201 | 31.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.32 | 0.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना- | | | | | | |
| | जनजाति क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत कर्ज | 17.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.81 | 0.00 |
| | योग-03 | 49.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.13 | 0.00 |
| 80 | सामान्य- | | | | | | |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज | | | | | | |
| | अन्य विविध कर्ज | 139.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.81 | 0.00 |
| 201 | आवास बोर्ड को कर्ज- | | | | | | |
| | भूमि अधिग्रहण एवं विकास योजना | 45.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.66 | 0.00 |
| | मध्य प्रदेश पुलिस गृह निर्माण मंडल को कर्ज | 2,522.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,522.51 | 0.00 |
| | जी.आई.सी. द्वारा वित्त पोषित समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवास योजना | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 0.00 |
| | अन्य विविध कर्ज | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
| | योग-201 | 2,572.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,572.79 | 0.00 |

18-सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण-जारी
सेक्शन 1-कर्ज तथा उधारों का मुख्य एवं लघुशीर्ष वार विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| लेखा शीर्ष मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष लघु शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष | वर्ष के दौरान प्रदत्त ऋण राशि | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि | वसूली योग्य नहीं ऐसे कर्ज तथा उधारों का अपलेखन | 31 मार्च 2020 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी(-) | प्राप्त तथा जमा किया गया ब्याज | |
|---|---|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--|--------------------------------------|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| च | कर्ज तथा उधार-जारी | | | | | | | |
| ख | सामाजिक सेवाओं के लिये कर्ज-जारी | | | | | | | |
| (ग) | जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास के लिए कर्ज-जारी | | | | | | | |
| 6216 | आवास के लिए कर्ज-समाप्त | | | | | | | |
| 80 | सामान्य-समाप्त | | | | | | | |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना- | | | | | | | |
| | जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत कर्ज | 132.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.90 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-80 | 2,845.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,845.50 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-6216 | 4,929.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,929.45 | 0.00 | 0.00 |
| 6217 | शहरी विकास के लिए कर्ज- | | | | | | | |
| 01 | राज्य की राजधानी का विकास- | | | | | | | |
| 800 | अन्य कर्ज- | | | | | | | |
| | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी कार्य | 586.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 586.35 | 0.00 | 0.00 |
| | रायपुर में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु अटल नगर विकास प्राधिकरण को ऋण | 7,080.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,580.00 | (+)1,500.00 | 0.00 |
| | भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | पेयजल आपूर्ति योजना-अटल नगर विकास प्राधिकरण | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-800 | 8,816.35 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,316.35 | (+)1,500.00 | 0.00 |
| | योग-01 | 8,816.35 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,316.35 | (+)1,500.00 | 0.00 |
| 04 | गन्दी क्षेत्र का विकास- | | | | | | | |
| 191 | स्थानीय निकाय, निगमों आदि को कर्ज- | | | | | | | |
| | गन्दी बस्ती क्षेत्र विकास | 421.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421.12 | 0.00 | 0.00 |
| 800 | अन्य कर्ज- | | | | | | | |
| | गन्दी बस्ती क्षेत्र विकास | 72.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.99 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-04 | 494.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494.11 | 0.00 | 0.00 |

18-सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण-जारी
सेक्शन 1-कर्ज तथा उधारों का मुख्य एवं लघुशीर्ष वार विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| लेखा शीर्ष मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष लघु शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष | वर्ष के दौरान प्रदत्त ऋण राशि | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि | वसूली योग्य नहीं ऐसे कर्ज तथा उधारों का अपलेखन | 31 मार्च 2020 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी(-) | प्राप्त तथा जमा किया गया ब्याज | |
|---|---|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--|--------------------------------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| च | कर्ज तथा उधार-जारी | | | | | | | |
| ख | सामाजिक सेवाओं के लिये कर्ज-जारी | | | | | | | |
| (ग) | जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास के लिए कर्ज-जारी | | | | | | | |
| 6217 | शहरी विकास के लिए कर्ज-जारी | | | | | | | |
| 60 | अन्य शहरी विकास योजनाएं- | | | | | | | |
| 191 | स्थानीय निकायों, निगमों आदि को कर्ज- | | | | | | | |
| | योजना क्रियान्वयन हेतु स्थानीय निकायों को कर्ज | 199.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.76 | 0.00 | 0.00 |
| | नगरपालिका कर्जों पर सरकार द्वारा दी गई गारन्टी के लागू किये जाने पर भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान करने हेतु नगर पालिकाओं को कर्ज | 46.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.97 | 0.00 | 0.00 |
| | नगर नियोजन हेतु नगर पालिकाओं को कर्ज | 323.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.28 | 0.00 | 0.00 |
| | नगर पालिकाओं को अन्य कर्ज | 67.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.83 | 0.00 | 0.00 |
| | छोटे एवं मझोले नगरों के एकीकृत विकास के लिये कर्ज | 142.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.47 | 0.00 | 0.00 |
| | विश्व बैंक योजना के लिये राज्य सरकार का तुल्य अंश | 308.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.42 | 0.00 | 0.00 |
| | गन्दी बस्ती सफाई हेतु नगर सुधार न्यास को कर्ज | 17.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03 | 0.00 | 0.00 |
| | भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा स्थानीय निकायों को फायर इंजन खरीदने के लिये कर्ज | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.25 | 0.00 | 0.00 |
| | स्थानीय निकायों/निगमों को अन्य कर्ज | 3,407.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,407.69 | 0.00 | 0.00 |
| | शहरी निकायों के अधोसंरचना विकास के लिये ऋण | 11,261.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,261.52 | 0.00 | 0.00 |
| | विशिष्ट प्रयोजनार्थ हेतु नगर निगम को कर्ज | 1,857.26 | 0.00 | 348.69 | 0.00 | 1,508.57 | (-)348.69 | 0.00 |
| | अन्य विविध कर्ज | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-191 | 17,649.41¹ | 0.00 | 348.69 | 0.00 | 17,300.72 | (-)348.69 | 0.00 |

¹ सुधार के कारण ₹ 0.01 लाख की वृद्धि की गई।

18-सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण-जारी
सेक्शन 1-कर्ज तथा उधारों का मुख्य एवं लघुशीर्ष वार विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| लेखा शीर्ष मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष लघु शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष | वर्ष के दौरान प्रदत्त ऋण राशि | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि | वसूली योग्य नहीं ऐसे कर्ज तथा उधारों का अपलेखन | 31 मार्च 2020 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी(-) | प्राप्त तथा जमा किया गया ब्याज | |
|---|--|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--|--------------------------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| च | कर्ज तथा उधार-जारी | | | | | | | |
| ख | सामाजिक सेवाओं के लिये कर्ज-जारी | | | | | | | |
| (ग) | जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास के लिए कर्ज-समाप्त | | | | | | | |
| 6217 | शहरी विकास के लिए कर्ज-समाप्त | | | | | | | |
| 60 | अन्य शहरी विकास योजनाएं-समाप्त | | | | | | | |
| 192 | नगर परिषद को कर्ज | | | | | | | |
| | शहरी निकायों के अधोसंरचना विकास के लिये ऋण | 3,313.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,313.00 | 0.00 | 0.00 |
| 193 | नगर पंचायतों को कर्ज | | | | | | | |
| | शहरी निकायों के अधोसंरचना विकास के लिये ऋण | 180.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.28 | 0.00 | 0.00 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- | | | | | | | |
| | नगर निगमों को अन्य ऋण | 1,258.49 | 0.00 | 54.60 | 0.00 | 1,203.89 | (-)54.60 | 0.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोगना- | | | | | | | |
| | जनजाति क्षेत्र उपयोगना के अन्तर्गत ऋण | 97.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.97 | 0.00 | 0.00 |
| | शौचालय को पलश शौचालय में बदलवाने हेतु ऋण | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 0.00 |
| 800 | अन्य कर्ज- | | | | | | | |
| | हरिजन विशेषांक हेतु कर्ज | 20.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.35 | 0.00 | 0.00 |
| | नगरपालिका ऋणों पर सरकार द्वारा दी गई गारंटी के लागू करने के संदर्भ में भारतीय जीवन बीमा निगम की भुगतान हेतु नगर पालिकाओं को कर्ज | 128.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.25 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-800 | 148.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.60 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-60 | 22,649.23 | 0.00 | 403.29 | 0.00 | 22,245.94 | (-)403.29 | 0.00 |
| | योग-6217 | 31,959.69 | 1,500.00 | 403.29 | 0.00 | 33,056.40 | (+)1,096.71 | 0.00 |
| | योग-(ग) | 44,067.53 | 4,521.76 | 403.29 | 0.00 | 48,186.00 | (+)4,118.47 | 115.01 |

18-सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण-जारी
सेक्शन 1-कर्ज तथा उधारों का मुख्य एवं लघुशीर्ष वार विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| लेखा शीर्ष मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष लघु शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष | वर्ष के दौरान प्रदत्त ऋण राशि | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि | वसूली योग्य नहीं ऐसे कर्ज तथा उधारों का अपलेखन | 31 मार्च 2020 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी(-) | प्राप्त तथा जमा किया गया ब्याज | |
|---|---|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--|--------------------------------------|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| च | कर्ज तथा उधार-जारी | | | | | | | |
| ख | सामाजिक सेवाओं के लिये कर्ज-जारी | | | | | | | |
| (ड) | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये कर्ज- | | | | | | | |
| 6225 | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये कर्ज- | | | | | | | |
| 01 | अनुसूचित जातियों का कल्याण- | | | | | | | |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना- | | | | | | | |
| | सफाई कामगारों के लिये मुक्ति एवं पुनर्वास योजना | 38.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.78 | 0.00 | 0.00 |
| 800 | अन्य कर्ज- | | | | | | | |
| | अन्य विविध कर्ज | 199.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.28 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-01 | 238.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.06 | 0.00 | 0.00 |
| 02 | अनुसूचित जनजातियों का कल्याण- | | | | | | | |
| 794 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 0.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत योजनाओं को कर्ज | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.37 | 0.00 | 0.00 |
| 800 | अन्य कर्ज- | | | | | | | |
| | अन्य विविध कर्ज | 9.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.91 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-02 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.10 | 0.00 | 0.00 |
| 03 | पिछड़े वर्गों का कल्याण- | | | | | | | |
| 800 | अन्य कर्ज- | | | | | | | |
| | मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम को कर्ज | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.39 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-03 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.39 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-6225 | 270.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.55 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-(ड) | 270.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.55 | 0.00 | 0.00 |

18-सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण-जारी
सेक्शन 1-कर्ज तथा उधारों का मुख्य एवं लघुशीर्ष वार विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| लेखा शीर्ष मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष लघु शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष | वर्ष के दौरान प्रदत्त ऋण राशि | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि | वसूली योग्य नहीं ऐसे कर्ज तथा उधारों का अपलेखन | 31 मार्च 2020 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी(-) | प्राप्त तथा जमा किया गया ब्याज |
|---|--|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--|--------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| च | कर्ज तथा उधार-जारी | | | | | | |
| ख | सामाजिक सेवाओं के लिये कर्ज-जारी | | | | | | |
| (छ) | सामाजिक कल्याण तथा पोषाहार के लिए कर्ज- | | | | | | |
| 6235 | सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज- | | | | | | |
| 01 | पुनर्वास- | | | | | | |
| 103 | भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति- | | | | | | |
| | अन्य विविध कर्ज | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.99 | 0.00 |
| 200 | अन्य राहत उपाय- | | | | | | |
| | अन्य विविध कर्ज | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना- | | | | | | |
| | जनजाति क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजनाओं के लिये कर्ज | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 800 | अन्य कर्ज- | | | | | | |
| | पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों के पुनर्वास हेतु कर्ज | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.81 | 0.00 |
| | अन्य विविध कर्ज | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| | योग-800 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.85 | 0.00 |
| | योग-01 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.86 | 0.00 |
| 60 | अन्य समाज सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम- | | | | | | |
| 200 | अन्य कार्यक्रम- | | | | | | |
| | रोजगार उन्नयन कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगारों को कर्ज | 14.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.43 | 0.00 |
| | सीमांत धन के लिये शिक्षित बेरोजगारों को कर्ज | 66.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.29 | 0.00 |
| | अन्य विविध कर्ज | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 0.00 |
| | योग-200 | 82.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.73 | 0.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना- | | | | | | |
| | जनजाति क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजनाओं के लिये कर्ज | 8.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.53 | 0.00 |

18-सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण-जारी
सेक्शन 1-कर्ज तथा उधारों का मुख्य एवं लघुशीर्ष वार विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| लेखा शीर्ष मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष लघु शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष | वर्ष के दौरान प्रदत्त ऋण राशि | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि | वसूली योग्य नहीं ऐसे कर्ज तथा उधारों का अपलेखन | 31 मार्च 2020 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी(-) | प्राप्त तथा जमा किया गया ब्याज |
|---|--|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--|--------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| च | कर्ज तथा उधार-जारी | | | | | | |
| ख | सामाजिक सेवाओं के लिये कर्ज-जारी | | | | | | |
| (छ) | सामाजिक कल्याण तथा पोषाहार के लिए कर्ज-समाप्त | | | | | | |
| 6235 | सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज-समाप्त | | | | | | |
| 60 | अन्य समाज सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-समाप्त | | | | | | |
| 800 | अन्य कर्ज- | | | | | | |
| | अन्य विविध कर्ज | 20.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.06 | 0.00 |
| | योग-60 | 111.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.32 | 0.00 |
| | योग-6235 | 123.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.18 | 0.00 |
| 6245 | प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज- | | | | | | |
| 01 | सूखा- | | | | | | |
| 102 | पीने के पानी की पूर्ति- | | | | | | |
| | प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न जल अभाव के लिये कर्ज | 21.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.54 | 0.00 |
| 800 | अन्य कर्ज- | | | | | | |
| | प्राकृतिक आपदाओं से हुई विपत्ति से राहत हेतु कृषकों/गैर कृषकों को कर्ज | 48.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.28 | 0.00 |
| | प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न जल अभाव हेतु कर्ज | 13.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.03 | 0.00 |
| | योग-800 | 61.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.31 | 0.00 |
| | योग-01 | 82.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.85 | 0.00 |
| | योग-6245 | 82.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.85 | 0.00 |
| | योग-(छ) | 206.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.03 | 0.00 |
| (ज) | अन्य समाज सेवाओं के लिए कर्ज- | | | | | | |
| 6250 | अन्य समाज सेवाओं के लिए कर्ज- | | | | | | |
| 60 | अन्य- | | | | | | |
| 195 | श्रम सहकारितायें - | | | | | | |
| | अन्य विविध कर्ज | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |

18-सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण-जारी
सेक्शन 1-कर्ज तथा उधारों का मुख्य एवं लघुशीर्ष वार विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| लेखा शीर्ष मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष लघु शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष | वर्ष के दौरान प्रदत्त ऋण राशि | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि | वसूली योग्य नहीं ऐसे कर्ज तथा उधारों का अपलेखन | 31 मार्च 2020 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी(-) | प्राप्त तथा जमा किया गया ब्याज | |
|---|--|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--|--------------------------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| च | कर्ज तथा उधार-जारी | | | | | | | |
| ख | सामाजिक सेवाओं के लिये कर्ज-समाप्त | | | | | | | |
| (ज) | अन्य समाज सेवाओं के लिए कर्ज-समाप्त | | | | | | | |
| 6250 | अन्य समाज सेवाओं के लिए कर्ज-समाप्त | | | | | | | |
| 60 | अन्य-समाप्त | | | | | | | |
| 800 | अन्य कर्ज- | | | | | | | |
| | शिक्षित बेरोजगारों को कर्ज | 10.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.73 | 0.00 | 0.00 |
| | बेरोजगारी के लिए कर्ज | 78.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.27 | 0.00 | 0.00 |
| | अन्य विविध कर्ज | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-800 | 91.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.08 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-60 | 91.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.11 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-6250 | 91.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.11 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-(ज) | 91.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.11 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-ख | 44,729.19 | 4,521.76 | 403.29 | 0.00 | 48,847.66 | (+)4,118.47 | 115.01 |
| ग | आर्थिक सेवाओं के लिये कर्ज- | | | | | | | |
| (क) | कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप- | | | | | | | |
| 6401 | फसल कृषि-कर्म के लिए कर्ज- | | | | | | | |
| 105 | खाद तथा उर्वरक- | | | | | | | |
| | स्थानीय खाद्य स्रोतों की योजना हेतु नगर पालिकाओं और नगर निगमों को कर्ज | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.10 | 0.00 | 0.00 |
| | मोटर सायकल क्रय करने हेतु कर्ज | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
| | अन्य विविध कर्ज | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-105 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.93 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | छोटे तथा मार्जिनल कृषकों और कृषि श्रमिकों के लिए योजना- | | | | | | | |
| | अन्य विविध कर्ज- | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज | | | | | | | |
| | मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को अल्प अवधि के लिए कर्ज | 70.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.79 | 0.00 | 0.00 |

18-सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण-जारी
सेक्शन 1-कर्ज तथा उधारों का मुख्य एवं लघुशीर्ष वार विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| लेखा शीर्ष मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष लघु शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष | वर्ष के दौरान प्रदत्त ऋण राशि | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि | वसूली योग्य नहीं ऐसे कर्ज तथा उधारों का अपलेखन | 31 मार्च 2020 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी(-) | प्राप्त तथा जमा किया गया ब्याज |
|---|--|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--|--------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| च | कर्ज तथा उधार-जारी | | | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं के लिये कर्ज-जारी | | | | | | |
| (क) | कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप-जारी | | | | | | |
| 6401 | फसल कृषि-कर्म के लिए कर्ज-समाप्त | | | | | | |
| 195 | कृषि सहकारिताओं को कर्ज | | | | | | |
| | अन्य विविध कर्ज- | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.27 | 0.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना- | | | | | | |
| | जनजाति क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजनाओं के लिये कर्ज | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.56 | 0.00 |
| 800 | अन्य कर्ज- | | | | | | |
| | (i) 31-03-74 तक विभागीय एजेन्सियों द्वारा स्वीकृत उधार | 411.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.65 | 0.00 |
| | (ii) विभागीय एजेन्सियों द्वारा स्वीकृत कर्ज- | | | | | | |
| | (क) भूमि सुधार ऋण अधिनियम | 168.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.49 | 0.00 |
| | (ख) कृषक ऋण अधिनियम | 635.46 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 635.02 | (-)0.44 |
| | (iii) वन तकावी अग्रिम | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 0.00 |
| | (iv) मोटर सायकल खरीदने हेतु कर्ज | 60.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.44 | 0.00 |
| | (v) कृषक ऋण अधिनियम | 363.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.54 | 0.00 |
| | (vi) अन्य विविध कर्ज | 18.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.53 | 0.00 |
| | मध्य प्रदेश बीज एवं कृषि विकास निगम को कर्ज | 693.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 693.36 | 0.00 |
| | योग-800 | 2,352.92 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 2,352.48 | (-)0.44 |
| | योग-6401 | 2,455.02 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 2,454.58 | (-)0.44 |
| 6402 | मृदा एवं जल संरक्षण के लिए कर्ज- | | | | | | |
| 102 | मृदा संरक्षण- | | | | | | |
| | भूमि सुधार ऋण अधिनियम | 136.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.10 | 0.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना- | | | | | | |
| | | 346.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.58 | 0.00 |

18-सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण-जारी
सेक्शन 1-कर्ज तथा उधारों का मुख्य एवं लघुशीर्ष वार विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| लेखा शीर्ष मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष लघु शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष | वर्ष के दौरान प्रदत्त ऋण राशि | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि | वसूली योग्य नहीं ऐसे कर्ज तथा उधारों का अपलेखन | 31 मार्च 2020 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी(-) | प्राप्त तथा जमा किया गया ब्याज | |
|---|---|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--|--------------------------------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| च | कर्ज तथा उधार-जारी | | | | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं के लिये कर्ज-जारी | | | | | | | |
| (क) | कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप-जारी | | | | | | | |
| 6402 | मृदा एवं जल संरक्षण के लिए कर्ज-समाप्त | | | | | | | |
| 800 | अन्य कर्ज- | | | | | | | |
| | भूमि सुधार कर्ज अधिनियम के अन्तर्गत कर्ज | 322.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.01 | 0.00 | 0.00 |
| | अन्य विविध कर्ज | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-800 | 323.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.62 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-6402 | 806.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 806.30 | 0.00 | 0.00 |
| 6403 | पशुपालन के लिए कर्ज- | | | | | | | |
| 102 | पशु तथा भैंस विकास- | | | | | | | |
| | अन्य विविध कर्ज | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | कुक्कुट विकास- | | | | | | | |
| | अन्य विविध कर्ज | 24.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.56 | 0.00 | 0.00 |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज | | | | | | | |
| | पुनर्वास योजना के अन्तर्गत रायपुर दुग्ध महासंघ को कर्ज | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-6403 | 155.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.82 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | डेरी विकास के लिए कर्ज- | | | | | | | |
| 195 | दुग्ध सहकारिता के लिये कर्ज- | | | | | | | |
| | अन्य विविध कर्ज | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-6404 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 |
| 6405 | मछली पालन के लिए कर्ज- | | | | | | | |
| 195 | मत्स्योद्योग सहकारिता के लिये कर्ज- | | | | | | | |
| | अन्य विविध कर्ज | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-6405 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |

18-सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण-जारी
सेक्शन 1-कर्ज तथा उधारों का मुख्य एवं लघुशीर्ष वार विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| लेखा शीर्ष मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष लघु शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष | वर्ष के दौरान प्रदत्त ऋण राशि | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि | वसूली योग्य नहीं ऐसे कर्ज तथा उधारों का अपलेखन | 31 मार्च 2020 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी(-) | प्राप्त तथा जमा किया गया ब्याज | |
|---|---|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--|--------------------------------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| च | कर्ज तथा उधार-जारी | | | | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं के लिये कर्ज-जारी | | | | | | | |
| (क) | कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप-जारी | | | | | | | |
| 6406 | वानिकी तथा वन्य जीवन के लिए कर्ज | | | | | | | |
| 104 | वानिकी | | | | | | | |
| | मध्य प्रदेश वन विकास निगम को कर्ज | 1,274.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,274.54 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-6406 | 1,274.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,274.54 | 0.00 | 0.00 |
| 6408 | खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार के लिये कर्ज- | | | | | | | |
| 01 | खाद्य- | | | | | | | |
| 101 | प्रापण तथा पूर्ति | | | | | | | |
| | वर्षा ऋतु में पहुंचविहीन क्षेत्रों में खाद्यान भण्डारण हेतु सहायता | 3.94 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 3.94 | 0.00 | 0.00 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | | | | | | | |
| | वर्षा ऋतु में पहुंचविहीन क्षेत्रों में खाद्यान भण्डारण हेतु सहायता | 0.00 | 30.00 | 29.26 | 0.00 | 0.74 | (+)0.74 | 0.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोगना- | | | | | | | |
| | वर्षा ऋतु में पहुंचविहीन क्षेत्रों में खाद्यान भण्डारण हेतु सहायता | 0.00 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज | | | | | | | |
| | गोदाम का निर्माण | 23.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.27 | 0.00 | 0.00 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | | | | | | | |
| | उचित मूल्य की दुकान चलाने हेतु पंचायत को कर्ज | 191.68 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 188.23 | (-)3.45 | 0.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उप-योजना के अन्तर्गत कर्ज | | | | | | | |
| | उचित मूल्य की दुकान चलाने हेतु पंचायत को कर्ज | 1,033.09 | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 1,023.10 | (-)9.99 | 0.00 |
| 800 | अन्य कर्ज | | | | | | | |
| | उचित मूल्य की दुकान चलाने हेतु पंचायत को कर्ज | 54.16 | 0.00 | 15.27 | 0.00 | 38.89 | (-)15.27 | 0.00 |
| | योग-01 | 1,365.00 | 250.00 | 277.97 | 0.00 | 1,337.03 | (-)27.97 | 0.00 |

18-सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण-जारी
सेक्शन 1-कर्ज तथा उधारों का मुख्य एवं लघुशीर्ष वार विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| लेखा शीर्ष मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष लघु शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष | वर्ष के दौरान प्रदत्त ऋण राशि | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि | वसूली योग्य नहीं ऐसे कर्ज तथा उधारों का अपलेखन | 31 मार्च 2020 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी(-) | प्राप्त तथा जमा किया गया ब्याज | |
|---|--|--|---|---|----------------------------|--|--------------------------------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| च | कर्ज तथा उधार-जारी | | | | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं के लिये कर्ज-जारी | | | | | | | |
| (क) | कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप-जारी | | | | | | | |
| 6408 | खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार के लिये कर्ज-जारी | | | | | | | |
| 02 | भण्डारण एवं भाण्डागार- | | | | | | | |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज- | | | | | | | |
| | भाण्डारण निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य भाण्डागार निगम को ऋण | 7,457.17 | 419.49 | 1,654.93 | 0.00 | 6,221.73 | (-)1,235.44 | 0.00 |
| | योग-190 | 7,457.17 | 419.49 | 1,654.93 | 0.00 | 6,221.73 | (-)1,235.44 | 0.00 |
| 195 | सहकारिता के लिये कर्ज- | | | | | | | |
| | विपणन सहकारी समिति, बिल्हा | 5.28 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 5.01 | (-)0.27 | 0.00 |
| | विपणन सहकारी समिति, अकलतरा | 14.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.86 | 0.00 | 0.00 |
| | आदिम सहकारी एवं प्रक्रिया समिति, कौंटा | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 0.00 |
| | छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ को कर्ज | 676.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 676.61 | 0.00 | 0.00 |
| | प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (जिला सहकारी बैंक द्वारा) को गोदाम निर्माण के लिए कर्ज | 687.94 | 0.00 | 36.28 | 0.00 | 651.66 | (-)36.28 | 46.76 |
| | शीत भण्डार संयंत्र की स्थापना के लिये सहकारी समितियों को कर्ज | 17.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.57 | 0.00 | 0.00 |
| | गोदाम निर्माण के लिए विपणन समिति से कर्ज | 15.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.57 | 0.00 | 0.51 |
| | अन्य विविध कर्ज | 24.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.18 | 0.00 | 0.00 |
| | मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम खाद्यान्न खरीद हेतु कर्ज | 100.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.11 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-195 | 1,550.72 | 0.00 | 36.55 | 0.00 | 1,514.17 | (-)36.55 | 47.27 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उप योजना- | | | | | | | |
| | जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत कर्ज | 268.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.09 | 0.00 | 0.00 |
| | गोदाम की स्थापना करने हेतु सहकारी समितियों को कर्ज | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 0.00 |
| | प्राथमिक विपणन सहकारी समिती दंतेवाड़ा को कर्ज | 3.09 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 2.38 | (-)0.71 | 0.00 |

18-सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण-जारी
सेक्शन 1-कर्ज तथा उधारों का मुख्य एवं लघुशीर्ष वार विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| लेखा शीर्ष मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष लघु शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष | वर्ष के दौरान प्रदत्त ऋण राशि | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि | वसूली योग्य नहीं ऐसे कर्ज तथा उधारों का अपलेखन | 31 मार्च 2020 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी(-) | प्राप्त तथा जमा किया गया ब्याज | |
|---|---|--|--|---|----------------------------|--|--------------------------------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| च | कर्ज तथा उधार-जारी | | | | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं के लिये कर्ज-जारी | | | | | | | |
| (क) | कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप-जारी | | | | | | | |
| 6408 | खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार के लिये कर्ज-समाप्त | | | | | | | |
| 02 | भण्डारण एवं भाण्डागार-समाप्त | | | | | | | |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उप योजना-समाप्त | | | | | | | |
| | आदिम सहकारी एवं प्रक्रिया समिति बीजापुर | 9.36 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 7.02 | (-)2.34 | 0.00 |
| | आदिम सहकारी एवं प्रक्रिया समिति, कोंटा | 11.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.81 | 0.00 | 0.00 |
| | गोदाम निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य भाण्डागार निगम को कर्ज | 4,142.77 | 318.82 | 1,257.69 | 0.00 | 3,203.90 | (-)938.87 | 0.00 |
| | योग-796 | 4,439.23 | 318.82 | 1,260.74 | 0.00 | 3,497.31 | (-)941.92 | 0.00 |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना- | | | | | | | |
| | प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (जिला सहकारी बैंक द्वारा) को गोदाम निर्माण के लिए कर्ज | 223.86 | 0.00 | 5.94 | 0.00 | 217.92 | (-)5.94 | 0.00 |
| | गोदाम निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य भाण्डागार निगम को कर्ज | 2,099.63 | 100.68 | 397.17 | 0.00 | 1,803.14 | (-)296.49 | 0.00 |
| | योग-789 | 2,323.49 | 100.68 | 403.11 | 0.00 | 2,021.06 | (-)302.43 | 0.00 |
| 794 | जनजाति क्षेत्र उपयोजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता | | | | | | | |
| | राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को पहाड़ी क्षेत्र में खाद्यान्न आपूर्ति के लिए वाहन क्रय हेतु कर्ज | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | 0.00 | 0.00 |
| 900 | घटाएं वापसियां | | | | | | | |
| | योग-02 | 15,776.90 | 838.99 | 3,355.33 | 0.00 | 13,260.56 | (-)2,516.34 | 47.27 |
| | योग-6408 | 17,141.90 | 1,088.99 | 3,633.30 | 0.00 | 14,597.59 | (-)2,544.31 | 47.27 |
| 6425 | सहकारिता के लिए कर्ज | | | | | | | |
| 107 | जमा सहकारी समितियों को कर्ज | | | | | | | |
| | सहकारी समितियों के माध्यम से तकावी के वितरण हेतु राज्य सहकारी बैंक को कर्ज- | | | | | | | |
| | (क) कृषक ऋण अधिनियम के अन्तर्गत | 29.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.57 | 0.00 | 0.00 |

18-सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण-जारी
सेक्शन 1-कर्ज तथा उधारों का मुख्य एवं लघुशीर्ष वार विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| लेखा शीर्ष मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष लघु शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष | वर्ष के दौरान प्रदत्त ऋण राशि | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि | वसूली योग्य नहीं ऐसे कर्ज तथा उधारों का अपलेखन | 31 मार्च 2020 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी(-) | प्राप्त तथा जमा किया गया ब्याज | |
|---|---|---|---|---|----------------------------|--|--------------------------------------|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| च | कर्ज तथा उधार-जारी | | | | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं के लिये कर्ज-जारी | | | | | | | |
| (क) | कृषि एवं सम्बद्ध कार्यक्रम-जारी | | | | | | | |
| 6425 | सहकारिता के लिए कर्ज-जारी | | | | | | | |
| 107 | जमा सहकारी समितियों को कर्ज-जारी | | | | | | | |
| | सहकारी समितियों के माध्यम से तकावी के वितरण हेतु राज्य सहकारी बैंक को कर्ज- | | | | | | | |
| | (ख) सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.92 | 0.00 | 0.00 |
| | उन्नत बीजों के वितरण के लिये सहकारी समितियों को कर्ज | 17.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.32 | 0.00 | 0.00 |
| | कृषि साख स्थिरीकरण निधि के सुदृढीकरण हेतु मध्य प्रदेश सहकारी बैंक को कर्ज | 105.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.61 | 0.00 | 0.00 |
| | सुत विकास के लिये सहकारी समितियों को कर्ज | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.92 | 0.00 | 0.00 |
| | मध्य प्रदेश भूमि विकास बैंक को कर्ज | 9.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.66 | 0.00 | 0.00 |
| | जनजाति क्षेत्र में कालातीत कर्जों को आकृत करने के लिये कमजोर सहकारी बैंकों को दीर्घकालीन कर्ज | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.57 | 0.00 | 0.00 |
| | दुर्ग में एकीकृत सहकारिता कार्यक्रम का क्रियान्वयन | 22.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.93 | 0.00 | 0.00 |
| | छत्तीसगढ़ सहकारी भूमि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जारी ऋण पत्र जारी | (-)109.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)109.18 ² | 0.00 | 0.00 |
| | हरिजन कृषकों को क्षयशील कर्ज | 20.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.22 | 0.00 | 0.00 |
| | मध्य प्रदेश सहकारी विकास बैंक के ऋण पत्रों का जारी किया जाना | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.06 | 0.00 | 0.00 |
| | हरिजन कृषकों को कर्ज | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| | प्रसंस्करण इकाइयों को कार्यशील पूंजी हेतु सीमांत धन सहायता | 1.04 ³ | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.84 | (-)0.20 | 0.00 |

² राज्य विभाजन पूर्व के समय के ऋण की वापसी के कारण ऋणात्मक शेष है।

³ ₹ 0.98 लाख की वृद्धि की गई। वर्ष 2013-14 के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि के अन्तर्गत त्रुटिपूर्वक दर्ज की गई थी एवं 'यह राशि 'ग्राहक सहकारी समिति' (₹ 0.20 लाख), 'अन्य विविध ऋण' का पुनर्भुगतान (₹ 0.11 लाख) तथा अंशपूंजी निवेश की पूंजी निवृत्ति (₹ 0.67 लाख) से संबंधित है।

18-सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण-जारी
सेक्शन 1-कर्ज तथा उधारों का मुख्य एवं लघुशीर्ष वार विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| लेखा शीर्ष मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष लघु शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष | वर्ष के दौरान प्रदत्त ऋण राशि | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि | वसूली योग्य नहीं ऐसे कर्ज तथा उधारों का अपलेखन | 31 मार्च 2020 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी(-) | प्राप्त तथा जमा किया गया ब्याज | |
|---|--|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--|--------------------------------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| च | कर्ज तथा उधार-जारी | | | | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं के लिये कर्ज-जारी | | | | | | | |
| (क) | कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप-जारी | | | | | | | |
| 6425 | सहकारिता के लिए कर्ज-जारी | | | | | | | |
| 107 | जमा सहकारी समितियों को कर्ज-समाप्त | | | | | | | |
| | कालातीत कर्जों को आकृत करने हेतु कमजोर केन्द्रीय सहकारी बैंको को दीर्घकालिक कर्ज | 42.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.02 | 0.00 | 0.00 |
| | अन्य विविध कर्ज | 83.31 ⁴ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.31 | 0.00 | 0.00 |
| | एकीकृत सहकारी विकास परियोजना, जशपुर | 43.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.80 | 0.00 | 0.00 |
| | एकीकृत सहकारी विकास परियोजना, रायगढ़ | 141.95 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 141.36 | (-)0.59 | 0.00 |
| | एकीकृत सहकारी विकास परियोजना जिला-जगदलपुर | 31.65 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 31.02 | (-)0.63 | 2.54 |
| | योग-107 | 496.57⁵ | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 495.15 | (-)1.42 | 2.54 |
| 108 | अन्य सहकारी समितियों को कर्ज | | | | | | | |
| | (क) संसाधन सहकारिताओं के लिये कर्ज- | | | | | | | |
| | संसाधन इकाइयों की स्थापना के लिये सहकारी समितियों को कर्ज | 18.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.86 | 0.00 | 0.00 |
| | शीत भण्डारों की स्थापना के लिये सहकारी समितियों को कर्ज | 26.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.04 | 0.00 | 0.00 |
| | चावल मिलों को सीमांत कर्ज | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.99 | 0.00 | 0.00 |
| | सोयाबीन काम्पलेक्स की स्थापना हेतु सहकारी समितियों को कर्ज | 39.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.12 | 0.00 | 0.00 |
| | साबुन कारखाना दुर्ग | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.29 | 0.00 | 0.00 |
| | एकीकृत सहकारी विकास परियोजना रायपुर को कर्ज | 71.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.90 | 0.00 | 0.00 |
| | राष्ट्रीय सहकारिता विकास परियोजना | 17.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.47 | 0.00 | 0.00 |

⁴ ₹ 0.11 लाख कमी की गई। वर्ष 2013-14 में अन्य विविध ऋण से संबंधित ₹ 0.11 लाख की पुनर्भुगतान त्रुटिपूर्वक प्रसंस्करण इकाइयों को कार्यशील पूंजी हेतु सीमांत धन सहायता के अन्तर्गत दर्ज किया गया था।

⁵ ₹ 0.87 लाख की वृद्धि की गई। वर्ष 2013-14 में पुनर्भुगतान की राशि त्रुटिपूर्वक दर्ज की गई थी एवं 'ग्राहक सहकारी समिति' से (₹ 0.20 लाख) तथा अंशपूजी निवेश की पूंजी निवृत्ति (₹ 0.67 लाख) से संबंधित है।

18-सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण-जारी
सेक्शन 1-कर्ज तथा उधारों का मुख्य एवं लघुशीर्ष वार विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| लेखा शीर्ष मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष लघु शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष | वर्ष के दौरान प्रदत्त ऋण राशि | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि | वसूली योग्य नहीं ऐसे कर्ज तथा उधारों का अपलेखन | 31 मार्च 2020 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी(-) | प्राप्त तथा जमा किया गया ब्याज |
|---|---|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--|--------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| च | कर्ज तथा उधार-जारी | | | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं के लिये कर्ज-जारी | | | | | | |
| (क) | कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप-जारी | | | | | | |
| 6425 | सहकारिता के लिए कर्ज-जारी | | | | | | |
| 108 | अन्य सहकारी समितियों को कर्ज-समाप्त | | | | | | |
| | (क) संसाधन सहकारिताओं के लिये कर्ज-समाप्त | | | | | | |
| | अन्य विविध कर्ज | 116.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.04 | 0.00 |
| | विपणन सहकारी समितियों का सुदृढीकरण | 79.63 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 76.13 | (-)3.50 |
| | भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, कवर्धा | 7,500.01 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 7,400.01 | (-)100.00 |
| | दंतेश्वरी मैयूया सहकारी शक्कर कारखाना, बालौद | 6,582.50 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 6,482.50 | (-)100.00 |
| | लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना, कवर्धा | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 |
| | महामाया सहकारी शक्कर कारखाना | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| | योग-(क)-संसाधन सहकारिताओं के लिये कर्ज | 20,183.85 | 0.00 | 203.50 | 0.00 | 19,980.35 | (-)203.50 |
| | (ख) उपभोक्ता सहकारिताओं को कर्ज- | | | | | | |
| | थोक उपभोक्ता भण्डार जगदलपुर | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 |
| | ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के लिये कर्ज | 28.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.89 | 0.00 |
| | उपभोक्ता सहकारी संगठन समितियों के गठन के लिये कर्ज | 6.03 ⁶ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.03 | 0.00 |
| | थोक उपभोक्ता भण्डारों में कम्प्यूटरों की स्थापना | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 0.00 |
| | अन्य विविध कर्ज | 97.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.02 | 0.00 |
| | योग-(ख)-उपभोक्ता सहकारिताओं को कर्ज | 135.13⁶ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.13 | 0.00 |
| | (ग) सहकारी कताई मिलों को कर्ज- | | | | | | |
| | अन्य विविध कर्ज | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 0.00 |
| | योग-108 | 20,321.80⁶ | 0.00 | 203.50 | 0.00 | 20,118.30 | (-)203.50 |

⁶ ₹ 0.20 लाख कमी की गई। वर्ष 2013-14 में ₹ 0.20 लाख का पुनर्भुगतान त्रुटिपूर्वक प्रसंस्करण इकाइयों को कार्यशील पूंजी हेतु सीमांत धन सहायता का पुनर्भुगतान के अन्तर्गत दर्ज किया गया था।

18-सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण-जारी
सेक्शन 1-कर्ज तथा उधारों का मुख्य एवं लघुशीर्ष वार विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| लेखा शीर्ष मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष लघु शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष | वर्ष के दौरान प्रदत्त ऋण राशि | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि | वसूली योग्य नहीं ऐसे कर्ज तथा उधारों का अपलेखन | 31 मार्च 2020 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी(-) | प्राप्त तथा जमा किया गया ब्याज | |
|---|---|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--|--------------------------------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| च | कर्ज तथा उधार-जारी | | | | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं के लिये कर्ज-जारी | | | | | | | |
| (क) | कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप-जारी | | | | | | | |
| 6425 | सहकारिता के लिए कर्ज-जारी | | | | | | | |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना- | | | | | | | |
| | कृषकों के लिये उपभोक्ता कर्ज- | 36.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.49 | 0.00 | 0.00 |
| | अन्य विविध कर्ज | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 0.00 |
| | अनुसूचित जाति के सदस्यों को भूमि विकास बैंक से शेयर खरीदने हेतु कर्ज | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 |
| | आदिवासी तथा अनुसूचित जाति के किसानों को भूमि विकास बैंक से शेयर खरीदने हेतु कर्ज | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 |
| | लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना, कवर्धा | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-789 | 3,542.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,542.57 | 0.00 | 0.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उप योजना- | | | | | | | |
| | आदिवासी तथा अनुसूचित जाति के सदस्यों को भूमि विकास बैंक से शेयर खरीदने हेतु कर्ज | 17.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.90 | 0.00 | 0.00 |
| | सामाजिक उपभोग हेतु आदिवासी को कर्ज | 28.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.93 | 0.00 | 0.00 |
| | महामाया सहकारी शक्कर कारखाने को कर्ज, अंबिकापुर | 8,517.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 7,967.00 | (-)550.00 | 0.00 |
| | दंतेश्वरी मैय्या सहकारी शक्कर कारखाना, बालोद | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | विपणन सहकारी समितियों का सुदृढीकरण | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-796 | 10,430.51 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 9,880.51 | (-)550.00 | 0.00 |
| 800 | अन्य कर्ज- | | | | | | | |
| | (क) मछुआरा सहकारी समितियों को कर्ज- | | | | | | | |
| | अन्य विविध कर्ज | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |

18-सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण-जारी
सेक्शन 1-कर्ज तथा उधारों का मुख्य एवं लघुशीर्ष वार विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| लेखा शीर्ष मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष लघु शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष | वर्ष के दौरान प्रदत्त ऋण राशि | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि | वसूली योग्य नहीं ऐसे कर्ज तथा उधारों का अपलेखन | 31 मार्च 2020 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी(-) | प्राप्त तथा जमा किया गया ब्याज |
|---|--|--|---|---|----------------------------|--|--------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| च | कर्ज तथा उधार-जारी | | | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं के लिये कर्ज-जारी | | | | | | |
| (क) | कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप-समाप्त | | | | | | |
| 6425 | सहकारिता के लिए कर्ज-समाप्त | | | | | | |
| 800 | अन्य कर्ज-समाप्त | | | | | | |
| | (ख) अन्य सहकारिताओं के लिये कर्ज- | | | | | | |
| | हरिजन कृषकों को उपभोक्ता कर्ज | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00 |
| | अन्य विविध कर्ज | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.59 | 0.00 |
| | योग-(ख) | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.28 | 0.00 |
| | मध्य प्रदेश राज्य आदिम सहकारी विकास निगम को कर्ज | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.70 | 0.00 |
| | योग-800 | 16.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.99 | 0.00 |
| | योग-6425 | 34,808.44⁷ | 0.00 | 754.92 | 0.00 | 34,053.52 | (-)754.92 |
| 6435 | अन्य कृषि कार्यक्रमों के लिये कर्ज- | | | | | | |
| 01 | विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण- | | | | | | |
| 101 | विपणन सुविधाएं- | | | | | | |
| | अन्य विविध कर्ज | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.19 | 0.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उपयोजनान्तर्गत योजनाओं के लिए कर्ज | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.00 |
| | योग-01 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 0.00 |
| | योग-6435 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 0.00 |
| | योग-(क) | 56,645.67⁷ | 1,088.99 | 4,388.66 | 0.00 | 53,346.00 | (-)3,299.67 |
| (ख) | ग्रामीण विकास- | | | | | | |
| 6515 | अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों के लिए कर्ज | | | | | | |
| 102 | सामुदायिक विकास- | | | | | | |
| | सामुदायिक विकास परियोजनाओं को वित्त पोषण करने हेतु कर्ज | 14.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.47 | 0.00 |

⁷ ₹ 0.67 लाख की वृद्धि की गई। अंशपूंजी निवेश की पूंजी निवृत्ति की राशि ₹ 0.67 लाख त्रुटिपूर्वक प्रसंस्करण इकाइयों को कार्यशील पूंजी हेतु सीमांत धन सहायता का पुनर्भुगतान के अन्तर्गत दर्ज किया गया था।

18-सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण-जारी
सेक्शन 1-कर्ज तथा उधारों का मुख्य एवं लघुशीर्ष वार विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| लेखा शीर्ष मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष लघु शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष | वर्ष के दौरान प्रदत्त ऋण राशि | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि | वसूली योग्य नहीं ऐसे कर्ज तथा उधारों का अपलेखन | 31 मार्च 2020 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी(-) | प्राप्त तथा जमा किया गया ब्याज | |
|---|---|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--|--------------------------------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| च | कर्ज तथा उधार-जारी | | | | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं के लिये कर्ज-जारी | | | | | | | |
| (ख) | ग्रामीण विकास-समाप्त | | | | | | | |
| 6515 | अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों के लिए कर्ज-समाप्त | | | | | | | |
| 102 | सामुदायिक विकास-समाप्त | | | | | | | |
| | अन्य विविध कर्ज | 5.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.23 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-102 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.70 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | ग्रामीण निर्माण कार्य कार्यक्रम- | | | | | | | |
| | लोकोपयोगी निर्माण कार्यों के लिये पंचायतों को कर्ज | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.14 | 0.00 | 0.00 |
| | ग्रामीण जन शक्ति के उपयोग के लिये निर्माण कार्यक्रम की परियोजनाओं के अन्तर्गत समोच्च बांध निर्माण | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.36 | 0.00 | 0.00 |
| | निर्धन व्यक्तियों को अल्प कालीन कर्ज देने हेतु पराक्रमी निधि के सृजन के लिये ग्राम पंचायतों को कर्ज | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.40 | 0.00 | 0.00 |
| | अन्य विविध कर्ज | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-103 | 38.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.44 | 0.00 | 0.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उप-योजना- | | | | | | | |
| | जनजाति क्षेत्र उप-योजनांतर्गत योजनाओं के लिये कर्ज | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-6515 | 58.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.30 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-(ख) | 58.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.30 | 0.00 | 0.00 |
| (घ) | सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण- | | | | | | | |
| 6702 | लघु सिंचाई के लिये कर्ज- | | | | | | | |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उप-योजना- | | | | | | | |
| | जनजाति क्षेत्र उप-योजनांतर्गत योजनाओं के लिये कर्ज | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |

18-सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण-जारी
सेक्शन 1-कर्ज तथा उधारों का मुख्य एवं लघुशीर्ष वार विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| लेखा शीर्ष मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष लघु शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष | वर्ष के दौरान प्रदत्त ऋण राशि | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि | वसूली योग्य नहीं ऐसे कर्ज तथा उधारों का अपलेखन | 31 मार्च 2020 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी(-) | प्राप्त तथा जमा किया गया ब्याज | |
|---|---|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--|--------------------------------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| च | कर्ज तथा उधार-जारी | | | | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं के लिये कर्ज-जारी | | | | | | | |
| (घ) | सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण-समाप्त | | | | | | | |
| 6702 | लघु सिंचाई के लिये कर्ज-समाप्त | | | | | | | |
| 800 | अन्य कर्ज | | | | | | | |
| | अन्य विविध कर्ज | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-6702 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.85 | 0.00 | 0.00 |
| 6705 | कमान क्षेत्र विकास के लिये कर्ज- | | | | | | | |
| 800 | अन्य कर्ज- | | | | | | | |
| | अन्य विविध कर्ज | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.65 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-6705 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.65 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-(घ) | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 0.00 |
| (ड) | ऊर्जा- | | | | | | | |
| 6801 | बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज- | | | | | | | |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज- | | | | | | | |
| | मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल को कर्ज | 2,138.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,138.45 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | संचरण तथा वितरण | | | | | | | |
| | मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल को इंटर स्टेट पावर ग्रिड | 73.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.20 | 0.00 | 0.00 |
| | मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल से पारेषण एवं वितरण योजना हेतु कर्ज | 1,918.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,918.52 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-205 | 1,991.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,991.72 | 0.00 | 0.00 |
| 789 | अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष योजना | | | | | | | |
| | त्वरित ऊर्जा विकास परियोजना हेतु उधार | 253.50 | 0.00 | 253.50 | 0.00 | 0.00 | (-)253.50 | 0.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उप-योजना- | | | | | | | |
| | त्वरित ऊर्जा विकास परियोजना हेतु उधार | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | (-)800.00 | 0.00 |
| | आदिम क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत कर्ज | 10,686.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,686.44 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-796 | 11,486.44 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 10,686.44 | (-)800.00 | 0.00 |

18-सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण-जारी
सेक्शन 1-कर्ज तथा उधारों का मुख्य एवं लघुशीर्ष वार विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| लेखा शीर्ष मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष लघु शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष | वर्ष के दौरान प्रदत्त ऋण राशि | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि | वसूली योग्य नहीं ऐसे कर्ज तथा उधारों का अपलेखन | 31 मार्च 2020 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी(-) | प्राप्त तथा जमा किया गया ब्याज | |
|---|---|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--|--------------------------------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| च | कर्ज तथा उधार-जारी | | | | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं के लिये कर्ज-जारी | | | | | | | |
| (ड) | ऊर्जा-समाप्त | | | | | | | |
| 6801 | बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज-समाप्त | | | | | | | |
| 800 | विद्युत मण्डल के लिए अन्य कर्ज- | | | | | | | |
| | ऊर्जा विकास प्रोजेक्ट को कर्ज | 513.00 | 0.00 | 513.00 | 0.00 | 0.00 | (-)513.00 | 0.00 |
| | त्वरित उर्जा परियोजना को कर्ज | 3,248.63 | 0.00 | 3,248.63 | 0.00 | 0.00 | (-)3,248.63 | 0.00 |
| | छत्तीसगढ़.राज्य विद्युत मंडल सार्वजनिक उपक्रमों के दायित्वों का भुगतान | 6,055.99 | 0.00 | 6,055.87 | 0.00 | 0.12 | (-)6,055.87 | 0.00 |
| | मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल को कर्ज | 1,504.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,504.13 | 0.00 | 0.00 |
| | अनुसूचित जाति राज्य आयोजना के लिए विशेष घटक योजना | 694.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694.51 | 0.00 | 0.00 |
| | विद्युत मण्डल को अन्य कर्ज | 10,159.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,159.21 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-800 | 22,175.47 | 0.00 | 9,817.50 | 0.00 | 12,357.97 | (-)9,817.50 | 0.00 |
| | योग-6801 | 38,045.58 | 0.00 | 10,871.00 | 0.00 | 27,174.58 | (-)10,871.00 | 0.00 |
| | योग-(ड) | 38,045.58 | 0.00 | 10,871.00 | 0.00 | 27,174.58 | (-)10,871.00 | 0.00 |
| (च) | उद्योग एवं खनिज- | | | | | | | |
| 6851 | ग्राम एवं लघु उद्योगों के लिये कर्ज- | | | | | | | |
| 101 | औद्योगिक क्षेत्र | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | हथकरघा उद्योग- | | | | | | | |
| | अन्य विविध कर्ज | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 |
| 105 | खादी तथा ग्राम उद्योग- | | | | | | | |
| | अन्य विविध कर्ज- | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 109 | सम्मिश्र ग्राम तथा लघु उद्योग सहकारी समितियों- | | | | | | | |
| | संसाधन ईकाईयों की स्थापना के लिये प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों को कर्ज | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | 0.00 | 0.00 |

18-सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण-जारी
सेक्शन 1-कर्ज तथा उधारों का मुख्य एवं लघुशीर्ष वार विवरण-जारी

लाख में)

| लेखा शीर्ष मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष लघु शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष | वर्ष के दौरान प्रदत्त ऋण राशि | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि | वसूली योग्य नहीं ऐसे कर्ज तथा उधारों का अपलेखन | 31 मार्च 2020 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी(-) | प्राप्त तथा जमा किया गया ब्याज | |
|---|---|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--|--------------------------------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| च | कर्ज तथा उधार-जारी | | | | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं के लिये कर्ज-जारी | | | | | | | |
| (घ) | उद्योग एवं खनिज-जारी | | | | | | | |
| 6851 | ग्राम एवं लघु उद्योगों के लिये कर्ज-जारी | | | | | | | |
| 109 | सम्मिश्र ग्राम तथा लघु उद्योग सहकारी समितियाँ-समाप्त | | | | | | | |
| | बिजली करघा सहकारिताओं को कर्ज | 11.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.41 | 0.00 | 0.00 |
| | हथकरघे का बिजली करघे में परिवर्तन | 4.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.61 | 0.00 | 0.00 |
| | कार्यशालाओं की स्थापना के लिये बुनकर सहकारी समितियों को कर्ज | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| | मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा बुनकर संघ को सूती धागे उपलब्ध कराने हेतु परिक्रमी निधि की स्थापना | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 |
| | अन्य विविध कर्ज | 38.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.24 | 0.00 | 0.00 |
| | हथकरघा विकास के लिये कर्ज | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
| | परियोजना पैकेज के अन्तर्गत हथकरघा योजना के लिए औजार/अंशपूँजी/सामान्य सुविधा केन्द्र/कार्यालय सह-गोदाम हेतु कर्ज | 18.32 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 16.20 | (-)2.12 | 0.86 |
| | औद्योगिक सहकारिताओं के वित्तीय आधार का सुदृढीकरण | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
| | पैकेज एवं प्रक्रिया परियोजना | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 |
| | लघु हाथकरघा इकाई | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-109 | 104.27 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 102.15 | (-)2.12 | 0.86 |
| 200 | अन्य ग्राम उद्योग- | | | | | | | |
| | ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के लिये कर्ज | 19.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.25 | 0.00 | 0.00 |
| | जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना के लिये कर्ज | 21.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.21 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-200 | 40.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.46 | 0.00 | 0.00 |

18-सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण-जारी
सेक्शन 1-कर्ज तथा उधारों का मुख्य एवं लघुशीर्ष वार विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| लेखा शीर्ष मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष लघु शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष | वर्ष के दौरान प्रदत्त ऋण राशि | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि | वसूली योग्य नहीं ऐसे कर्ज तथा उधारों का अपलेखन | 31 मार्च 2020 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी(-) | प्राप्त तथा जमा किया गया ब्याज | |
|---|---|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--|--------------------------------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| च | कर्ज तथा उधार-जारी | | | | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं के लिये कर्ज-जारी | | | | | | | |
| (घ) | उद्योग एवं खनिज-जारी | | | | | | | |
| 6851 | ग्राम एवं लघु उद्योगों के लिये कर्ज-समाप्त | | | | | | | |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | | | | | | | |
| | औद्योगिक सहकारिताओं के लिये वित्तीय आधार सहायता | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | 0.00 | 0.00 |
| | अधोसंरचना/उत्पादन एवं प्रक्रिया को सहायता (औद्योगिक सहकारिता) | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 |
| | औद्योगिक सहकारिताओं के वित्तीय आधार का सुदृढीकरण | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-789 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.25 | 0.00 | 0.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उप योजना- | | | | | | | |
| | जनजाति क्षेत्र उप-योजनांतर्गत योजनाओं के लिये कर्ज | 54.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.61 | 0.00 | 0.00 |
| | वित्तीय आधार का सुदृढीकरण | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| | रेशम उत्पादन एवं प्रक्रिया हेतु सहायता (औद्योगिक सहकारिता) | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-796 | 56.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.07 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-6851 | 209.49 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 207.37 | (-)2.12 | 0.86 |
| 6853 | अलौह खनन तथा घातुकर्म उद्योग के लिये कर्ज | | | | | | | |
| 01 | खनिज अन्वेषण तथा विकास- | | | | | | | |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज- | | | | | | | |
| | अन्य विविध कर्ज | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.00 |
| | छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम को कर्ज | 8,264.95 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 12,614.95 | (+)4,350.00 | 0.00 |
| | योग-190 | 8,266.09 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 12,616.09 | (+)4,350.00 | 0.00 |

18-सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण-जारी
सेक्शन 1-कर्ज तथा उधारों का मुख्य एवं लघुशीर्ष वार विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| लेखा शीर्ष मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष लघु शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष | वर्ष के दौरान प्रदत्त ऋण राशि | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि | वसूली योग्य नहीं ऐसे कर्ज तथा उधारों का अपलेखन | 31 मार्च 2020 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी(-) | प्राप्त तथा जमा किया गया ब्याज | |
|---|--|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--|--------------------------------------|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| च | कर्ज तथा उधार-जारी | | | | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं के लिये कर्ज-जारी | | | | | | | |
| (घ) | उद्योग एवं खनिज-जारी | | | | | | | |
| 6853 | अलौह खनन तथा घातुकर्म उद्योग के लिये कर्ज-समाप्त | | | | | | | |
| 01 | खनिज अन्वेषण तथा विकास-समाप्त | | | | | | | |
| 902 | छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि से प्रतिपूरित व्यय | (-)8,264.95 | (-)4,350.00 | 0.00 | 0.00 | (-)12,614.95 | (-)4,350.00 | 0.00 |
| | योग-01 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-6853 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.00 |
| 6860 | उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज- | | | | | | | |
| 01 | वस्त्र उद्योग- | | | | | | | |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज | | | | | | | |
| | मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र निगम को कर्ज | 89.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.58 | 0.00 | 0.00 |
| | मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम को कर्ज | 8.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.78 | 0.00 | 0.00 |
| | अन्य विविध कर्ज | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.45 | 0.00 | 0.00 |
| | छोटे शक्तिकरघा इकाईयों को सहायता | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-190 | 105.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.01 | 0.00 | 0.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उप-योजना- | | | | | | | |
| | प्रोजेक्ट पैकेज के लिये कर्ज | 10.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.68 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-01 | 115.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.69 | 0.00 | 0.00 |
| 03 | चमड़ा- | | | | | | | |
| 800 | अन्य कर्ज- | | | | | | | |
| | अन्य विविध कर्ज | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 |
| 04 | चीनी- | | | | | | | |
| 190 | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज | 37.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.80 | 0.00 | 0.00 |

18-सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण-जारी
सेक्शन 1-कर्ज तथा उधारों का मुख्य एवं लघुशीर्ष वार विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| लेखा शीर्ष मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष लघु शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष | वर्ष के दौरान प्रदत्त ऋण राशि | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि | वसूली योग्य नहीं ऐसे कर्ज तथा उधारों का अपलेखन | 31 मार्च 2020 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी(-) | प्राप्त तथा जमा किया गया ब्याज | |
|---|--|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--|--------------------------------------|-------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| च | कर्ज तथा उधार-जारी | | | | | | | |
| ग | आर्थिक सेवाओं के लिये कर्ज-समाप्त | | | | | | | |
| (छ) | परिवहन | | | | | | | |
| 7055 | सड़क परिवहन के लिए कर्ज- | | | | | | | |
| 101 | सड़क परिवहन निगम को स्थायी ऋण | | | | | | | |
| | मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को कर्ज | 616.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616.92 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-7055 | 616.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616.92 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-(छ) | 616.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616.92 | 0.00 | 0.00 |
| (ज) | सामान्य आर्थिक सेवाएं- | | | | | | | |
| 7452 | पर्यटन के लिये कर्ज- | | | | | | | |
| 01 | पर्यटन अधोसंरचना- | | | | | | | |
| 101 | पर्यटक केन्द्र | | | | | | | |
| | अन्य विविध कर्ज | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 |
| 796 | जनजाति क्षेत्र उप योजना- | | | | | | | |
| | जनजाति क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत कर्ज | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 0.00 |
| 800 | अन्य कर्ज | | | | | | | |
| | योग-7452 | 552.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552.70 | 0.00 | 0.00 |
| 7465 | सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं के लिए कर्ज | | | | | | | |
| 101 | सामान्य वित्तीय संस्थाएं | | | | | | | |
| | अन्य विविध कर्ज | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-7465 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-(ज) | 553.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 553.31 | 0.00 | 0.00 |
| | योग-ग | 96,946.19 ⁸ | 1,088.99 | 15,261.78 | 0.00 | 82,773.40 | (-14,172.79) | 51.54 |

⁸ ₹ 0.67 लाख की वृद्धि की गई। अंशपूंजी निवेश की पूंजी निवृत्ति की राशि ₹ 0.67 लाख त्रुटिपूर्वक प्रसंस्करण इकाइयों को कार्यशील पूंजी हेतु सीमांत धन सहायता का पुनर्भुगतान के अन्तर्गत दर्ज किया गया था।

18-सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण-जारी
सेक्शन 1-कर्ज तथा उधारों का मुख्य एवं लघुशीर्ष वार विवरण-समाप्त

(₹ लाख में)

| लेखा शीर्ष मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष लघु शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष | वर्ष के दौरान प्रदत्त ऋण राशि | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि | वसूली योग्य नहीं ऐसे कर्ज तथा उधारों का अपलेखन | 31 मार्च 2020 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी(-) | प्राप्त तथा जमा किया गया ब्याज | |
|---|---|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--|--------------------------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| च | कर्ज तथा उधार-समाप्त | | | | | | | |
| घ | सरकारी कर्मचारियों को कर्ज- | | | | | | | |
| 7610 | सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि - | | | | | | | |
| 201 | भवन निर्माण अग्रिम | 195.32 | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 191.69 | (-)3.63 | 0.00 |
| 202 | मोटर वाहन का क्रय करने के लिये अग्रिम | 16.58 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 16.24 | (-)0.34 | 0.00 |
| 203 | अन्य वाहनों का क्रय करने के लिये अग्रिम | 39.49 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 38.87 | (-)0.62 | 0.00 |
| 204 | कम्प्यूटरों का क्रय करने के लिये अग्रिम | 2.73 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 2.40 | (-)0.33 | 0.00 |
| 800 | अन्य अग्रिम | 345.53 | 0.00 | 8.32 | 0.00 | 337.21 | (-)8.32 | 0.00 |
| | योग-7610 | 599.65 | 0.00 | 13.24 | 0.00 | 586.41 | (-)13.24 | 0.00 |
| | योग-घ-शासकीय कर्मचारियों को कर्ज | 599.65 | 0.00 | 13.24 | 0.00 | 586.41 | (-)13.24 | 0.00 |
| | योग-च-कर्ज तथा उधार | 1,59,775.19⁸ | 5,610.75 | 25,678.31 | 0.00 | 1,39,707.63 | (-)20,067.56 | 166.55 |

18-सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण-जारी
सेक्शन 2-अन्य ऋणी संस्थाओं से ऋणों के बकाया राशि

(₹ लाख में)

| ऋणी समूह | 31 मार्च 2020 को बकाया राशि | | | निकटतम अवधि जिससे बकाया संबंधित है | दिनांक 31 मार्च 2020 की स्थिति में संस्थाओं के विरुद्ध कुल बकाया ऋण |
|---|-----------------------------|----------|----------|------------------------------------|---|
| | मूलधन | ब्याज | योग | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सरकारी कम्पनियों⁹ | | | | | |
| छत्तीसगढ़ उद्योग विकास निगम | 0.00 | 557.10 | 557.10 | 2005-06 | 0.00 |
| सहकारी समितियों/बैंक/शक्कर कारखाना | | | | | |
| भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना (6425) | 2,900.00 | 757.04 | 3,657.04 | 2016-17 | 7,400.01 |
| दंतेश्वरी मैय्या सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित (6425) | 5,682.50 | 2,204.41 | 7,886.91 | 2011-12 | 7,482.50 |
| महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित (6425) | 5,967.00 | 2,690.29 | 8,657.29 | 2010-11 | 8,967.00 |
| लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित (6425) | 2,500.00 | 612.68 | 3,112.68 | 2017-18 | 8,200.00 |
| प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (6408) | 1,306.25 | 20.04 | 1,326.29 | 2019-20 | 869.58 |
| एकीकृत सहकारी विकास परियोजना, जगदलपुर (6425) | 126.54 | 103.20 | 229.74 | 2000-01 से पूर्व | 31.02 |
| एकीकृत सहकारी विकास परियोजना, जशपुर (6425) | 49.44 | 22.36 | 71.80 | 2000-01 से पूर्व | 43.80 |
| एकीकृत सहकारी विकास परियोजना, रायगढ़ (6425) | 49.16 | 20.78 | 69.94 | 2000-01 से पूर्व | 141.36 |
| प्राथमिक विपणन सहकारी समिति, डोन्डीलोहारा (6408) | 1.48 | 0.57 | 2.05 | 2014-15 | 1.48 |
| प्राथमिक विपणन सहकारी समिति, सारागांव (6408) | 2.81 | 2.46 | 5.27 | 2015-16 | 2.81 |
| प्राथमिक विपणन सहकारी समिति, अकलतरा (6408) | 14.44 | 4.89 | 19.33 | 2015-16 | 14.86 |
| थोक ग्राहक सहकारी समिति, जगदलपुर (6425) | 1.60 | 0.61 | 2.21 | 2014-15 | 1.60 |
| रायपुर दुग्ध महासंघ (6403) | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 2000-01 से पूर्व | 130.00 |
| छत्तीसगढ़ पर्यटन विकास मंडल (7452) | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 2009-10 | 550.00 |
| मेसर्स कंचन स्टोन, बरबसपुर, महासमुन्द (6851) | 2.22 | 1.44 | 3.66 | 2016-17 | 2.22 |
| मेसर्स एम.आई. पॉलिमर्स, उरला, रायपुर (6851) | 0.00 | 2.46 | 2.46 | 2013-14 | 0.00 |
| अन्य | | | | | |
| शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज (6202) | 90.43 | 0.00 | 90.43 | 2000-01 से पूर्व | 90.81 |
| | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 2000-01 के बाद | |
| चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के लिए कर्ज (6210) | 3.16 | 0.00 | 3.16 | 2000-01 से पूर्व | 3.16 |
| जल पूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज (6215) | 2,657.44 | 0.00 | 2,657.44 | 2000-01 से पूर्व | 2,657.44 |
| आवास के लिए कर्ज (6216) | 4,929.53 | 0.00 | 4,929.53 | 2000-01 से पूर्व | 4,929.53 |

⁹ छत्तीसगढ़ राज्य पावर उत्पादन कंपनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य पावर पारेषण कंपनी मर्यादित एवं छत्तीसगढ़ राज्य पावर वितरण कंपनी मर्यादित से बकाया ऋण की विस्तृत जानकारी अपेक्षित है।

18-सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण-जारी
सेक्शन 2-अन्य ऋणी संस्थाओं से ऋणों के बकाया राशि-जारी

(₹ लाख में)

| ऋणी समूह | 31 मार्च 2020 को बकाया राशि | | | निकटतम अवधि जिससे बकाया संबंधित है | दिनांक 31 मार्च 2020 की स्थिति में संस्थाओं के विरुद्ध कुल बकाया ऋण |
|---|-----------------------------|-------|----------|------------------------------------|---|
| | मूलधन | ब्याज | योग | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| अन्य | | | | | |
| शहरी विकास के लिए कर्ज (6217) | 1,863.61 | 0.00 | 1,863.61 | 2000-01 से पूर्व | 2,449.96 |
| | 586.35 | 0.00 | 586.35 | 2000-01 के बाद | |
| अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये कर्ज (6225) | 270.54 | 0.0 | 270.54 | 2000-01 से पूर्व | 270.54 |
| सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज (6235) | 116.36 | 0.00 | 116.36 | 2000-01 से पूर्व | 123.17 |
| | 6.81 | 0.00 | 6.81 | 2000-01 के बाद | |
| प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज (6245) | 82.85 | 0.00 | 82.85 | 2000-01 से पूर्व | 82.85 |
| अन्य समाज सेवाओं के लिए कर्ज (6250) | 91.13 | 0.00 | 91.13 | 2000-01 से पूर्व | 91.13 |
| फसल कृषि-कर्म के लिए कर्ज (6401) | 2,091.04 | 0.00 | 2,091.04 | 2000-01 से पूर्व | 2,454.58 |
| | 363.54 | 0.00 | 363.54 | 2010-11 से पूर्व | |
| मृदा एवं जल संरक्षण के लिए कर्ज (6402) | 806.30 | 0.00 | 806.30 | 2000-01 से पूर्व | 806.30 |
| पशुपालन के लिए कर्ज (6403) | 25.84 | 0.00 | 25.84 | 2000-01 से पूर्व | 25.84 |
| डेरी विकास के लिए कर्ज (6404) | 0.82 | 0.00 | 0.82 | 2000-01 से पूर्व | 0.82 |
| वानिकी तथा वन्य जीवन के लिए कर्ज (6406) | 1,274.54 | 0.00 | 1,274.54 | 2000-01 से पूर्व | 1,274.54 |
| खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार के लिये कर्ज (6408) | 513.65 | 0.00 | 513.65 | 2000-01 से पूर्व | 513.65 |
| सहकारिता के लिए कर्ज (6425) | 1,725.62 ¹⁰ | 42.37 | 1,767.99 | 2000-01 से पूर्व | 1,725.61 |
| अन्य कृषि कार्यक्रमों के लिये कर्ज (6435) | 2.78 | 0.00 | 2.78 | 2000-01 से पूर्व | 2.78 |
| अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों के लिए कर्ज (6515) | 58.30 | 0.00 | 58.30 | 2000-01 से पूर्व | 58.30 |
| लघु सिंचाई के लिये कर्ज (6702) | 11.85 | 0.00 | 11.85 | 2000-01 से पूर्व | 11.85 |
| कमान क्षेत्र विकास के लिये कर्ज (6705) | 4.65 | 0.00 | 4.65 | 2000-01 से पूर्व | 4.65 |
| ग्राम एवं लघु उद्योगों के लिये कर्ज (6851) | 181.22 | 0.00 | 181.22 | 2000-01 से पूर्व | 182.68 |
| | 1.46 | 0.00 | 1.46 | 2005-06 | |

¹⁰ ₹ 0.67 लाख की वृद्धि की गई। यह राशि वर्ष 2013-14 में पुनर्भुगतान के रूप में त्रुटिपूर्वक दर्ज किया गया था जो वस्तुतः अंशपूजी निवेश की पूजी निवृत्ति से संबंधित है।

18—सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण—जारी
सेक्शन 2—अन्य ऋणी संस्थाओं से ऋणों के बकाया राशि—जारी

(₹ लाख में)

| ऋणी समूह (1) | 31 मार्च 2020 को बकाया राशि | | | निकटतम अवधि जिससे बकाया संबंधित है (5) | दिनांक 31 मार्च 2020 की स्थिति में संस्थाओं के विरुद्ध कुल बकाया ऋण (6) |
|--|-----------------------------|-----------------|------------------|--|--|
| | मूलधन (2) | ब्याज (3) | योग (4) | | |
| अन्य | | | | | |
| अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग के लिये कर्ज (6853) | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 2000-01 से पूर्व | 1.14 |
| उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज (6860) | 155.73 | 0.00 | 155.73 | 2000-01 से पूर्व | 155.73 |
| उद्योग और खनिज के लिए अन्य कर्ज (6885) | 643.36 | 0.00 | 643.36 | 2000-01 से पूर्व | 643.36 |
| सड़क परिवहन के लिए कर्ज (7055) | 616.92 | 0.00 | 616.92 | 2000-01 से पूर्व | 616.92 |
| पर्यटन के लिये कर्ज (7452) | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 2000-01 से पूर्व | 2.70 |
| सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं के लिए कर्ज (7465) | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 2000-01 से पूर्व | 0.61 |
| योग | 38,464.10 | 7,042.70 | 45,506.80 | | 53,018.89 |

नोट : राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 2000-01 के पूर्व से संबंधित कर्ज मध्य प्रदेश शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को प्रभाजित की गई है।

18-सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण-जारी
सेक्शन 2-अन्य ऋणी संस्थाओं से ऋणों के बकाया राशि-जारी
अतिरिक्त प्रकटन

1. वर्ष के दौरान किये गये नये ऋण तथा उधार

(₹ लाख में)

| ऋणी संस्था | ऋणों की संख्या | ऋणों की कुल राशि | नियम तथा शर्तें | |
|---|----------------|------------------|--|----------------------------------|
| | | | ब्याज दर | स्थगन अवधि, यदि हो तो |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| (i) नगर पंचायत | | | | |
| सिमगा जल आपूर्ति कार्यक्रम (6215) | 1 | 133.06 | 10.50 प्रतिशत एवं तीन प्रतिशत द्वांड़िक ब्याज | ऋण की अवधि-8 वर्ष स्थगन-निरंक |
| पाली जल आपूर्ति कार्यक्रम (6215) | 1 | 238.25 | 10.50 प्रतिशत एवं तीन प्रतिशत द्वांड़िक ब्याज | ऋण की अवधि-8 वर्ष स्थगन-निरंक |
| तुमगांव जल आपूर्ति कार्यक्रम (6215) | 1 | 279.01 | 10.50 प्रतिशत एवं तीन प्रतिशत द्वांड़िक ब्याज | ऋण की अवधि-8 वर्ष स्थगन-निरंक |
| बागबहारा जल आपूर्ति कार्यक्रम (6215) | 1 | 25.74 | 10.50 प्रतिशत एवं तीन प्रतिशत द्वांड़िक ब्याज | ऋण की अवधि-8 वर्ष स्थगन-निरंक |
| पुसौर जल आपूर्ति कार्यक्रम (6215) | 1 | 58.78 | 10.50 प्रतिशत एवं तीन प्रतिशत द्वांड़िक ब्याज | ऋण की अवधि-8 वर्ष स्थगन-निरंक |
| सरिया जल आपूर्ति कार्यक्रम (6215) | 1 | 16.23 | 10.50 प्रतिशत एवं तीन प्रतिशत द्वांड़िक ब्याज | ऋण की अवधि-8 वर्ष स्थगन-निरंक |
| उतई जल आपूर्ति कार्यक्रम (6215) | 1 | 439.77 | 10.50 प्रतिशत एवं तीन प्रतिशत द्वांड़िक ब्याज | ऋण की अवधि-8 वर्ष स्थगन-निरंक |
| घरघोड़ा जल आपूर्ति कार्यक्रम (6215) | 1 | 26.84 | 10.50 प्रतिशत एवं तीन प्रतिशत द्वांड़िक ब्याज | ऋण की अवधि-8 वर्ष स्थगन-निरंक |
| गौरला जल आपूर्ति कार्यक्रम (6215) | 1 | 32.23 | 10.50 प्रतिशत एवं तीन प्रतिशत द्वांड़िक ब्याज | ऋण की अवधि-8 वर्ष स्थगन-निरंक |
| डोंगरगांव जल आपूर्ति कार्यक्रम (6215) | 1 | 94.90 | 10.50 प्रतिशत एवं तीन प्रतिशत द्वांड़िक ब्याज | ऋण की अवधि-8 वर्ष स्थगन-निरंक |
| भाखरा-भथेली जल आपूर्ति कार्यक्रम (6215) | 1 | 185.99 | 10.50 प्रतिशत एवं तीन प्रतिशत द्वांड़िक ब्याज | ऋण की अवधि-8 वर्ष स्थगन-निरंक |
| राजीम जल आपूर्ति कार्यक्रम (6215) | 1 | 42.42 | 10.50 प्रतिशत एवं तीन प्रतिशत द्वांड़िक ब्याज | ऋण की अवधि-8 वर्ष स्थगन-निरंक |

18—सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण—जारी
सेक्शन 2—अन्य ऋणी संस्थाओं से ऋणों के बकाया राशि—जारी
अतिरिक्त प्रकटन—जारी

1. वर्ष के दौरान किये गये नये ऋण तथा उधार

(₹ लाख में)

| ऋणी संस्था | ऋणों की संख्या | ऋणों की कुल राशि | नियम तथा शर्तें | |
|---|----------------|------------------|--|-------------------------------|
| | | | ब्याज दर | स्थगन अवधि, यदि हो तो |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| (i) नगर पंचायत—समाप्त | | | | |
| कुरुद जल आपूर्ति कार्यक्रम (6215) | 1 | 121.30 | 10.50 प्रतिशत एवं तीन प्रतिशत दांडिक ब्याज | ऋण की अवधि—8 वर्ष स्थगन—निरंक |
| मगरलोडभैसमुड़ी जल आपूर्ति कार्यक्रम (6215) | 1 | 87.24 | 10.50 प्रतिशत एवं तीन प्रतिशत दांडिक ब्याज | ऋण की अवधि—8 वर्ष स्थगन—निरंक |
| आरंग जल आपूर्ति कार्यक्रम (6215) | 1 | 170.80 | 10.50 प्रतिशत एवं तीन प्रतिशत दांडिक ब्याज | ऋण की अवधि—8 वर्ष स्थगन—निरंक |
| अर्जून्दा जल आपूर्ति कार्यक्रम (6215) | 1 | 28.41 | 10.50 प्रतिशत एवं तीन प्रतिशत दांडिक ब्याज | ऋण की अवधि—8 वर्ष स्थगन—निरंक |
| चिखलकसा जल आपूर्ति कार्यक्रम (6215) | 1 | 11.88 | 10.50 प्रतिशत एवं तीन प्रतिशत दांडिक ब्याज | ऋण की अवधि—8 वर्ष स्थगन—निरंक |
| धरमजयगढ़ लोहारा जल आपूर्ति कार्यक्रम (6215) | 1 | 73.01 | 10.50 प्रतिशत एवं तीन प्रतिशत दांडिक ब्याज | ऋण की अवधि—8 वर्ष स्थगन—निरंक |
| राजपुर भटेली जल आपूर्ति कार्यक्रम (6215) | 1 | 26.38 | 10.50 प्रतिशत एवं तीन प्रतिशत दांडिक ब्याज | ऋण की अवधि—8 वर्ष स्थगन—निरंक |
| बस्तर जल आपूर्ति कार्यक्रम (6215) | 1 | 96.25 | 10.50 प्रतिशत एवं तीन प्रतिशत दांडिक ब्याज | ऋण की अवधि—8 वर्ष स्थगन—निरंक |
| फारसगांव जल आपूर्ति कार्यक्रम (6215) | 1 | 24.29 | 10.50 प्रतिशत एवं तीन प्रतिशत दांडिक ब्याज | ऋण की अवधि—8 वर्ष स्थगन—निरंक |
| राहोड जल आपूर्ति कार्यक्रम (6215) | 1 | 18.84 | 10.50 प्रतिशत एवं तीन प्रतिशत दांडिक ब्याज | ऋण की अवधि—8 वर्ष स्थगन—निरंक |
| बारसूर जल आपूर्ति कार्यक्रम (6215) | 1 | 86.27 | 10.50 प्रतिशत एवं तीन प्रतिशत दांडिक ब्याज | ऋण की अवधि—8 वर्ष स्थगन—निरंक |
| खारोड़ जल आपूर्ति कार्यक्रम (6215) | 1 | 7.59 | 10.50 प्रतिशत एवं तीन प्रतिशत दांडिक ब्याज | ऋण की अवधि—8 वर्ष स्थगन—निरंक |
| योग—(i) नगर पंचायत | 24 | 2,325.48 | | |

18-सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण-जारी
सेक्शन 2-अन्य ऋणी संस्थाओं से ऋणों के बकाया राशि-जारी

अतिरिक्त प्रकटन-जारी

1. वर्ष के दौरान किये गये नये ऋण तथा उधार

(₹ लाख में)

| ऋणी संस्था | ऋणों की संख्या | ऋणों की कुल राशि | नियम तथा शर्तें | |
|---|----------------|------------------------------|--|-------------------------------|
| | | | ब्याज दर | स्थगन अवधि, यदि हो तो |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| (ii) नगर पालिका | | | | |
| बलौदा बाजार जल आपूर्ति कार्यक्रम (6215) | 1 | 260.10 | 10.50 प्रतिशत एवं तीन प्रतिशत द्वांदिक ब्याज | ऋण की अवधि-8 वर्ष स्थगन-निरंक |
| बेमेतरा जल आपूर्ति कार्यक्रम (6215) | 1 | 141.43 | 10.50 प्रतिशत एवं तीन प्रतिशत द्वांदिक ब्याज | ऋण की अवधि-8 वर्ष स्थगन-निरंक |
| बलरामपुर जल आपूर्ति कार्यक्रम (6215) | 1 | 6.05 | 10.50 प्रतिशत एवं तीन प्रतिशत द्वांदिक ब्याज | ऋण की अवधि-8 वर्ष स्थगन-निरंक |
| सुरजपुर जल आपूर्ति कार्यक्रम (6215) | 1 | 126.23 | 10.50 प्रतिशत एवं तीन प्रतिशत द्वांदिक ब्याज | ऋण की अवधि-8 वर्ष स्थगन-निरंक |
| बालौद जल आपूर्ति कार्यक्रम (6215) | 1 | 162.47 | 10.50 प्रतिशत एवं तीन प्रतिशत द्वांदिक ब्याज | ऋण की अवधि-8 वर्ष स्थगन-निरंक |
| योग-(ii) नगर पालिका | 5 | 696.28 | | |
| (iii) नगर निगम | | | | |
| न्यू रायपुर सिवरेज ट्रीटमेंट प्लॉट (6217) | 1 | 1,500.00 | ब्याज रहित | .. |
| जिलाधीश/खाद्य अधिकारी के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को वर्षा ऋतु में पहुंचविहीन क्षेत्रों में खाद्यान भण्डारण हेतु सहायता हेतु कर्ज (6408) | 3 | 250.00 | ब्याज रहित | .. |
| योग-(iii) नगर निगम | 4 | 1,750.00 | .. | .. |
| (iv) सरकारी कम्पनियों | | | | |
| छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड (6853) | 1 | 4,350.00 | .. | .. |
| (v) सांविधिक निगम | | | | |
| छत्तीसगढ़ राज्य भाण्डागार निगम (6408) | 1 | 838.99 | | |
| महायोग-(i से v) | 35 | 9,960.75¹¹ | .. | .. |

¹¹ वर्ष के दौरान ₹ 9,960.75 लाख ऋण वितरित किया गया था जिसमें से ₹ 4,350.00 लाख का ऋण छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम से प्रतिपूरित किया गया।

18-सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण-समाप्त
सेक्शन 2-अन्य ऋणी संस्थाओं से ऋणों के बकाया राशि-समाप्त
अतिरिक्त प्रकटन

2. निम्नलिखित ऋण के मामलों को "स्थायी ऋण" के रूप में स्वीकृत किया गया है :-

(₹ लाख में)

| सरल क्रमांक | स्वीकृत का वर्ष | स्वीकृति का आदेश क्रमांक | राशि | ब्याज की दरें |
|------------------------------|-----------------|--------------------------|------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| इस प्रकार के प्रकरण नहीं है। | | | | |

3. शासन द्वारा दिये गये ऋण जिनका नियम एवं शर्तों का निर्धारण नहीं किया गया है :-

(₹ लाख में)

| ऋणी संस्था | ऋणों की संख्या | कुल राशि | निकटतम वर्ष जिससे ऋण संबंधित थे |
|--|----------------|------------------|---------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड (6853) | 1 | 8,264.95 | 2018-19 |
| अटल नगर विकास प्राधिकरण (6217) | 3 | 4,580.00 | 2018-19 |
| रियल इस्टेट प्राधिकरण (6217) | 1 | 50.00 | 2018-19 |
| छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड (6853) | 1 | 4,350.00 | 2019-20 |
| छत्तीसगढ़ राज्य भाण्डागार निगम (6408) | 1 | 838.99 | 2019-20 |
| योग | 7 | 18,083.94 | |

4. ऋणी संस्थाएं जिन्हें वर्ष के दौरान नये ऋण एवं अग्रिम दिये गये हैं जिनसे पूर्व में दिये गये ऋण का पुनर्भुगतान बकाया है।

(₹ लाख में)

| ऋणी संस्था का नाम | वर्ष के दौरान प्रदत्त राशि | | 31 मार्च 2020 को बकाया राशि | | | निकटतम वर्ष जिससे ऋण संबंधित थे | वर्ष में वितरित ऋण के कारण |
|------------------------------|----------------------------|-------|-----------------------------|-------|-----|---------------------------------|----------------------------|
| | ब्याज का दर | मूलधन | मूलधन | ब्याज | योग | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| इस प्रकार के प्रकरण नहीं है। | | | | | | | |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण
अनुभाग 1 : 2019-20 तक निवेशों के ब्यौरे

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | प्रतिष्ठानों के नाम | निवेश का वर्ष | निवेश के ब्यौरे | | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | वर्ष के दौरान जमा की गई लाभांश | लाभांश घोषित किया गया परन्तु सरकार के खाते में जमा नहीं किया गया | टिप्पणी |
|-------------------------|--|------------------|-----------------|----------------------------|--|-----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | प्रकार | अंशों/ ऋण पत्रों की संख्या | प्रत्येक अंश/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य (₹ में) | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| I-सांविधिक निगम- | | | | | | | | | | |
| कार्यरत निगम- | | | | | | | | | | |
| 1 | छत्तीसगढ़ राज्य भाण्डागार निगम | 2018-19 तक | इक्यूटी | 2,01,920 | 100 | 201.92 | 50.00 | 40.38 | निरंक | जानकारी अपेक्षित (अक्टूबर 2020) |
| | | 2019-20 | निरंक | निरंक | निरंक | 0.00 | | | | |
| | | | | | | 201.92 | | | | |
| 2 | छत्तीसगढ़ राज्य अन्त्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम | 2018-19 तक | इक्यूटी | 3,83,472 | 1,000 | 3,834.72 | 38.34 | निरंक | निरंक | जानकारी अपेक्षित (अक्टूबर 2020) |
| | | 2019-20 | इक्यूटी | 9,600 | 1,000 | 96.00 | | | | |
| | | | | | | 3,930.72 | | | | |
| 3 | मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 3,776.44 | .. | .. | .. | .. |
| 4 | मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं कुक्कुट विकास निगम, भोपाल | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 36.09 | .. | .. | .. | .. |
| 5 | मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 206.19 | .. | .. | .. | .. |

टीप : वर्ष 2000-01 के पूर्व से संबंधित निवेश मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन की सहमति से वर्ष 2018-19 में प्रभाजित किये गये हैं।

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण—जारी

अनुभाग 1 : 2019-20 तक निवेशों के ब्यौरे

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | प्रतिष्ठानों के नाम | निवेश का वर्ष | निवेश के ब्यौरे | | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | वर्ष के दौरान जमा की गई लाभांश | लाभांश घोषित किया गया परन्तु सरकार के खाते में जमा नहीं किया गया | टिप्पणी |
|-------------------------------|--|------------------|-----------------|----------------------------|--|-----------------|---|--------------------------------|--|---------|
| | | | प्रकार | अंशों/ ऋण पत्रों की संख्या | प्रत्येक अंश/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य (₹ में) | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| I—सांविधिक निगम—समाप्त | | | | | | | | | | |
| कार्यरत निगम—समाप्त | | | | | | | | | | |
| 6 | कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम, मुंबई | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 4.00 | .. | .. | .. | .. |
| 7 | मध्य प्रदेश महिला वित्त निगम | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 13.57 | .. | .. | .. | .. |
| 8 | आदिवासी वित्त एवं विकास निगम | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 343.79 | .. | .. | .. | .. |
| 9 | मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी गृह निगम | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 106.65 | .. | .. | .. | .. |
| 10 | मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, भोपाल | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 168.96 | .. | .. | .. | .. |
| योग—(I)—सांविधिक निगम | | | | | | 8,788.33 | | 40.38 | .. | .. |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण—जारी
अनुभाग 1 : 2019-20 तक निवेशों के ब्यौरे

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | प्रतिष्ठानों के नाम | निवेश का वर्ष | निवेश के ब्यौरे | | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त पूजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | वर्ष के दौरान जमा की गई लाभांश | लाभांश घोषित किया गया परन्तु सरकार के खाते में जमा नहीं किया गया | टिप्पणी |
|--------------------------------------|---|------------------|-----------------|----------------------------|--|--------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | | प्रकार | अंशों/ ऋण पत्रों की संख्या | प्रत्येक अंश/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य (₹ में) | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| II—सरकारी कम्पनियों—जारी | | | | | | | | | | |
| कार्यरत सरकारी कम्पनियों—जारी | | | | | | | | | | |
| 11 | छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम | 2018-19 तक | इक्यूटी | 5,00,000 | 100 | 500.00 | 100 | निरंक | निरंक | जानकारी अपेक्षित (अक्टूबर 2020) |
| | | 2019-20 | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | |
| 12 | प्रोविडेन्ट इन्वेस्टमेंट कम्पनी मर्यादित, मुम्बई | 2018-19 तक | इक्यूटी | 1,281 | 1,000 | 12.81 | ** | निरंक | निरंक | जानकारी अपेक्षित (अक्टूबर 2020) |
| | | 2019-20 | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | |
| 13 | छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल सर्विस निगम | 2018-19 तक | इक्यूटी | 34,50,000 | 10 | 345.00 | 100 | निरंक | निरंक | वर्ष 2018-19 में ₹ 3.08 लाख की हानि। |
| | | 2019-20 | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | |
| 14 | केला तथा फल विकास निगम, चेन्नई | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 0.27 | .. | .. | .. | .. |
| 15 | मध्य प्रदेश ट्रेड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 12.05 | .. | .. | .. | .. |
| 16 | नेशनल न्यूज प्रिंट तथा पेपर मिल्स मर्यादित, नेपालनगर | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 45.18 | .. | .. | .. | .. |
| 17 | मैंगनीज अयस्क (इंडिया) मर्यादित | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 39.14 | .. | .. | .. | .. |
| 18 | राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम मर्यादित, नई दिल्ली | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 2.66 | .. | .. | .. | .. |
| 19 | धार परिवहन कम्पनी मर्यादित, धार | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 0.40 | .. | .. | .. | .. |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-जारी

अनुभाग 1 : 2019-20 तक निवेशों के ब्यौरे

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | प्रतिष्ठानों के नाम | निवेश का वर्ष | निवेश के ब्यौरे | | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | वर्ष के दौरान जमा की गई लाभांश | लाभांश घोषित किया गया परन्तु सरकार के खाते में जमा नहीं किया गया | टिप्पणी |
|--|--|------------------|-----------------|----------------------------|--|--------------------|---|--------------------------------|--|---------|
| | | | प्रकार | अंशों/ ऋण पत्रों की संख्या | प्रत्येक अंश/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य (₹ में) | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| II-सरकारी कम्पनियों-समाप्त | | | | | | | | | | |
| कार्यरत सरकारी कम्पनियों-समाप्त | | | | | | | | | | |
| 20 | मध्य प्रदेश उदवहन सिंचाई निगम मर्यादित, भोपाल | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 155.95 | .. | .. | .. | .. |
| 21 | मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 622.20 | .. | .. | .. | .. |
| 22 | मध्य प्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम मर्यादित, भोपाल | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 135.76 | .. | .. | .. | .. |
| 23 | मध्य प्रदेश पंचायती राज्य वित्त और ग्रामीण विकास निगम, भोपाल | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 7.45 | .. | .. | .. | .. |
| 24 | मध्य प्रदेश चमड़ा विकास निगम भोपाल | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 43.47 | .. | .. | .. | .. |
| 25 | मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम, भोपाल | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 27.64 | .. | .. | .. | .. |
| 26 | समाचार भारती समाचार एजेन्सी, नई दिल्ली | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 2.40 | .. | .. | .. | .. |
| 27 | मध्य प्रदेश उर्जा विकास निगम, भोपाल | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 18.35 | .. | .. | .. | .. |
| 28 | मध्य प्रदेश शहरी विकास वित्त निगम, भोपाल | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 0.58 | .. | .. | .. | .. |
| योग-(II)-सरकारी कम्पनियों | | | | | | 6,68,334.22 | | 154.39 | | |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण—जारी

अनुभाग 1 : 2019-20 तक निवेशों के ब्यौरे

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | प्रतिष्ठानों के नाम | निवेश का वर्ष | निवेश के ब्यौरे | | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | वर्ष के दौरान जमा की गई लाभांश | लाभांश घोषित किया गया परन्तु सरकार के खाते में जमा नहीं किया गया | टिप्पणी |
|---------------------------------|---|------------------|-----------------|----------------------------|--|-----------------------|---|--------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | प्रकार | अंशों/ ऋण पत्रों की संख्या | प्रत्येक अंश/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य (₹ में) | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| III—संयुक्त स्टॉक कम्पनी | | | | | | | | | | |
| 1 | छत्तीसगढ़ राजमार्ग विकास कम्पनी लिमिटेड | 2018-19 तक | इक्यूटी | 26,00,000 | 10 | 260.00 | 26 | निरंक | निरंक | जानकारी अपेक्षित (अक्टूबर 2020) |
| | | 2019-20 | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | |
| 2 | छत्तीसगढ़ पूर्व रेल्वे लिमिटेड | 2016-17 | इक्यूटी | ** | ** | 5,100.00 ¹ | ** | निरंक | निरंक | जानकारी अपेक्षित (अक्टूबर 2020) |
| 3 | छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेल्वे लिमिटेड | 2017-18 | इक्यूटी | ** | ** | 8,720.45 ¹ | | | | |
| 4 | छत्तीसगढ़ उत्तर रेल्वे लिमिटेड | 2018-19 | .. | .. | .. | निरंक | | | | |
| | | 2019-20 | .. | .. | .. | निरंक | | | | |
| 5 | छत्तीसगढ़ रेल्वे कार्पोरेशन लिमिटेड | 2018-19 तक | इक्यूटी | 40,00,000 | 10 | 400.00 ¹ | ** | निरंक | निरंक | जानकारी अपेक्षित (अक्टूबर 2020) |
| | | 2019-20 | इक्यूटी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ** | निरंक | निरंक | |
| 6 | भारतीय निवेश निगम मर्यादित, मुंबई | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 0.94 | .. | .. | .. | .. |
| 7 | मेसर्स शमा इंजन वाल्व मर्यादित, नई दिल्ली | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 0.91 | .. | .. | .. | .. |
| 8 | मशीनरी मैनुफैक्चरिंग निगम मर्यादित, मुंबई | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 0.52 | .. | .. | .. | .. |

** चिन्ह इंगित करता है कि जानकारी वर्तमान में अप्राप्त है। संबंधित अभिकरणों को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

¹ छत्तीसगढ़ शासन ने रेल कॉरिडोर के विकास के लिए छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि (छ.ग.ख.वि.नि.) से छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सी.एस.आई.डी.सी.) को वर्ष 2016-17 में ₹ 5,100.00 लाख उपलब्ध कराए। इसके अतिरिक्त, राज्य शासन ने छ.ग.ख.वि.नि. से छत्तीसगढ़ रेलवे निगम (सी.एस.आई.डी.सी.के माध्यम से) को रेल अधोसंरचना हेतु ₹ 400.00 लाख प्रदान किया। इसीतरह वर्ष 2017-18 में राज्य शासन ने तीन रेल कॉरिडोर के निर्माण हेतु सी.एस.आई.डी.सी. को छ.ग.ख.वि.नि. से ₹ 8,720.45 लाख उपलब्ध कराएं। सी.एस.आई.डी.सी. से प्राप्त सूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त किये गये छ.ग.ख.वि.नि. से ₹ 14,420.45 लाख में से ₹ 1,669.95 लाख छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड, ₹ 5,000.50 लाख छत्तीसगढ़ वेस्ट रेलवे लिमिटेड, ₹ 2,550.00 लाख छत्तीसगढ़ रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड में निवेश किये गये एवं शेष ₹ 5,000.00 लाख वर्ष 2020-21 में निवेश किये जायेंगे।

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-जारी
अनुभाग 1 : 2019-20 तक निवेशों के ब्यौरे

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | प्रतिष्ठानों के नाम | निवेश का वर्ष | निवेश के ब्यौरे | | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | वर्ष के दौरान जमा की गई लाभांश | लाभांश घोषित किया गया परन्तु सरकार के खाते में जमा नहीं किया गया | टिप्पणी |
|--------------------------------------|---|------------------|-----------------|----------------------------|--|--------------|---|--------------------------------|--|---------|
| | | | प्रकार | अंशों/ ऋण पत्रों की संख्या | प्रत्येक अंश/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य (₹ में) | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| III-संयुक्त स्टॉक कम्पनी-जारी | | | | | | | | | | |
| 9 | जिवाजी राव शक्कर कम्पनी मर्यादित दलोदा, जिला मंदसौर | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 1.86 | .. | .. | .. | .. |
| 10 | महारानी पार्वती बाई शक्कर कारखाना मर्यादित, सारंनपुर | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 1.06 | .. | .. | .. | .. |
| 11 | विक्रम शक्कर कारखाना मर्यादित, आलोट | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 0.27 | .. | .. | .. | .. |
| 12 | केसर शक्कर कारखाना मर्यादित, मुंबई | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 0.40 | .. | .. | .. | .. |
| 13 | ग्वालियर शक्कर कारखाना, डबरा | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 17.74 | .. | .. | .. | .. |
| 14 | बंगाल नागपुर सूती कारखाना मर्यादित, राजनांदगांव | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 0.12 | .. | .. | .. | .. |
| 15 | दि कल्याणमल मिल्स मर्यादित, इन्दौर | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 0.06 | .. | .. | .. | .. |
| 16 | एसोसिएटेड सीमेन्ट कम्पनी मर्यादित, मुंबई | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 0.89 | .. | .. | .. | .. |
| 17 | हिन्दाल्को मर्यादित, मुंबई (भारतीय राष्ट्रीय अल्यु-मीनियम कंपनी मर्यादित का प्रबंध एजन्ट) | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 0.65 | .. | .. | .. | .. |
| 18 | टाटा आयरन और स्टील कम्पनी मर्यादित, मुंबई | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 9.33 | .. | .. | .. | .. |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण—जारी
अनुभाग 1 : 2019-20 तक निवेशों के ब्यौरे

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | प्रतिष्ठानों के नाम | निवेश का वर्ष | निवेश के ब्यौरे | | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | वर्ष के दौरान जमा की गई लाभांश | लाभांश घोषित किया गया परन्तु सरकार के खाते में जमा नहीं किया गया | टिप्पणी |
|--|--|------------------|-----------------|----------------------------|--|------------------|---|--------------------------------|--|---------|
| | | | प्रकार | अंशों/ ऋण पत्रों की संख्या | प्रत्येक अंश/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य (₹ में) | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| III—संयुक्त स्टॉक कम्पनी—समाप्त | | | | | | | | | | |
| 19 | इण्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मर्यादित, मुंबई | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 0.05 | .. | .. | .. | .. |
| 20 | देवास (सीनियर) बिजली आपूर्ति कम्पनी (निजी) मर्यादित, देवास | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 0.04 | .. | .. | .. | .. |
| 21 | दि टाटा पावर कम्पनी मर्यादित मुंबई | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 3.44 | .. | .. | .. | .. |
| 22 | दि सेन्ट्रल प्रोविजन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज मर्यादित, नागपुर | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 2.58 | .. | .. | .. | .. |
| योग—(III)—संयुक्त स्टॉक कम्पनी | | | | | | 14,521.31 | ** | निरंक | निरंक | |
| IV- ग्रामीण बैंक | | | | | | | | | | |
| 1 | छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक | 2017-18 तक | इक्यूटी | ** | ** | 2,514.67 | ** | निरंक | निरंक | ** |
| | | 2018-19 | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | ** | निरंक | निरंक | ** |
| 2 | दि बैंक ऑफ देवास मर्यादित, देवास | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 0.04 | .. | .. | .. | .. |
| योग—(IV)-ग्रामीण बैंक | | | | | | 2,514.71 | ** | निरंक | निरंक | |

** चिन्ह इंगित करता है कि जानकारी वर्तमान में अप्राप्त है। संबंधित अभिकरणों को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण—जारी
अनुभाग 1 : 2019–20 तक निवेशों के ब्यौरे

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | प्रतिष्ठानों के नाम | निवेश का वर्ष | निवेश के ब्यौरे | | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | वर्ष के दौरान जमा की गई लाभांश | लाभांश घोषित किया गया परन्तु सरकार के खाते में जमा नहीं किया गया | टिप्पणी |
|-----------------------------------|---|---------------|-----------------|----------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--|---------|
| | | | प्रकार | अंशों/ ऋण पत्रों की संख्या | प्रत्येक अंश/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य (₹ में) | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| V—सहकारी बैंक एवं समितियाँ | | | | | | | | | | |
| (i) सहकारी साख समितियाँ— | | | | | | | | | | |
| (क) सहकारी बैंक— | | | | | | | | | | |
| 1 | राज्य सहकारी बैंक/केन्द्रीय सहकारी बैंक (2) | 2018–19 तक | इक्यूटी | ** | ** | 174.67 ² | ** | निरंक | निरंक | ** |
| | | 2019–20 | इक्यूटी | ** | ** | घ.प्र.व ³ (-)114.98 | ** | 21.72 | निरंक | |
| 2 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, जगदलपुर | 2018–19 तक | इक्यूटी | ** | ** | 198.00 ⁴ | ** | निरंक | निरंक | ** |
| | | 2019–20 | इक्यूटी | ** | ** | घ.प्र.व (-)22.00 | ** | निरंक | निरंक | |
| 3 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, अम्बिकापुर | 2018–19 तक | इक्यूटी | ** | ** | 308.10 | ** | निरंक | निरंक | ** |
| | | 2019–20 | इक्यूटी | ** | ** | घ.प्र.व (-)10.00 | ** | निरंक | निरंक | |
| 4 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, राजनांदगांव | 2018–19 तक | इक्यूटी | ** | ** | 64.60 | ** | ** | निरंक | ** |
| | | 2019–20 | इक्यूटी | ** | ** | घ.प्र.व (-)21.60 | ** | 10.43 | निरंक | |
| 5 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, रायपुर | 2018–19 तक | इक्यूटी | ** | ** | 138.40 | ** | निरंक | निरंक | ** |
| | | 2019–20 | इक्यूटी | ** | ** | घ.प्र.व (-)17.30 | ** | 10.10 | निरंक | |

** चिन्ह इंगित करता है कि जानकारी वर्तमान में अप्राप्त है। संबंधित अभिकरणों को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

² ₹ 148.00 लाख (निवल) कमी की गई। यह राशि राज्य सरकार द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, जगदलपुर में अंशपूंजी में ₹ 170.00 लाख प्रदर्शित करता है जो वर्ष 2009–10 (₹ 45.00 लाख), 2011–12 (₹ 80.00 लाख), 2013–14 (₹ 45.00 लाख) एवं वर्ष 2018–19 में किये गये पुनर्भुगतान (₹ 22.00 लाख) दर्शाता है। वर्ष 2019–20 में ₹ 148.00 लाख को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक जगदलपुर के अन्तर्गत पृथक रूप से दर्शाया गया है।

³ घ.प्र.व. पूंजीगत लेखा में घटाएं प्राप्तियां एवं वसूलियों को प्रदर्शित करता है। इस विवरण में घ.प्र.व. में दर्शाये गये आंकड़े वर्ष में सहकारी संस्थाओं द्वारा अंशपूंजी निवेश के वापसियां को प्रदर्शित करता है। राज्य सरकार के स्वीकृति अनुसार सहकारी संस्थाओं में राज्य शासन द्वारा निवेशित राशि को 5 वर्ष पश्चात 10 समान किश्तों में वापसी करना है।

⁴ ₹ 148.00 लाख (निवल) सम्मिलित है एवं ₹ 50.00 लाख राज्य सहकारी बैंक/सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक के अन्तर्गत त्रुटिवश सम्मिलित किया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए पादटीप क्रमांक 2 एवं 6 देखें।

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण—जारी
अनुभाग 1 : 2019-20 तक निवेशों के ब्यौरे

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | प्रतिष्ठानों के नाम | निवेश का वर्ष | निवेश के ब्यौरे | | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | वर्ष के दौरान जमा की गई लाभांश | लाभांश घोषित किया गया परन्तु सरकार के खाते में जमा नहीं किया गया | टिप्पणी |
|---------------------------------|--|------------------|-----------------|----------------------------|--|---------------------|---|--------------------------------|--|---------|
| | | | प्रकार | अंशों/ ऋण पत्रों की संख्या | प्रत्येक अंश/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य (₹ में) | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| V—सहकारी बैंक एवं समितियाँ—जारी | | | | | | | | | | |
| (i) सहकारी साख समितियाँ—जारी | | | | | | | | | | |
| (क) सहकारी बैंक—जारी | | | | | | | | | | |
| 6 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, बिलासपुर | 2018-19 तक | इक्यूटी | ** | ** | 774.28 ⁵ | ** | निरंक | निरंक | ** |
| | | 2019-20 | इक्यूटी | ** | ** | निरंक | ** | निरंक | निरंक | |
| 7 | प्राथमिक भूमि विकास बैंक | 2018-19 तक | इक्यूटी | ** | ** | 30.00 | ** | निरंक | निरंक | ** |
| | | 2019-20 | इक्यूटी | ** | ** | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | |
| 8 | राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, रायपुर (*) | 2018-19 तक | इक्यूटी | ** | ** | 60.00 | ** | निरंक | निरंक | ** |
| | | 2019-20 | इक्यूटी | ** | ** | घ.प्र.व (-)20.00 | ** | निरंक | निरंक | |
| 9 | जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक (12) (***) | 2018-19 तक | इक्यूटी | ** | ** | 337.03 ⁶ | ** | निरंक | निरंक | ** |
| | | 2019-20 | इक्यूटी | ** | ** | घ.प्र.व (-)32.89 | ** | निरंक | निरंक | |
| 10 | केन्द्रीय सहकारी बैंक | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 870.35 | .. | .. | .. | .. |
| 11 | मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 20.86 | .. | .. | .. | .. |

** चिन्ह इंगित करता है कि जानकारी वर्तमान में अप्राप्त है। संबंधित अभिकरणों को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

(***) संबंधित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में संविलय हो गया है।

(*) राज्य सहकारी केन्द्रीय बैंक, रायपुर में संविलय हो गया है।

⁵ वर्ष 2000-01 के पूर्व के निवेश की वापसी ₹ 90.72 लाख सम्मिलित है।

⁶ ₹ 50.00 लाख कमी की गई। यह राशि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, जगदलपुर में किये गये अंशपूजी निवेश से संबंधित है जो त्रुटिपूर्ण यहाँ सम्मिलित किया गया था।

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण—जारी
अनुभाग 1 : 2019–20 तक निवेशों के ब्यौरे

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | प्रतिष्ठानों के नाम | निवेश का वर्ष | निवेश के ब्यौरे | | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | वर्ष के दौरान जमा की गई लाभांश | लाभांश घोषित किया गया परन्तु सरकार के खाते में जमा नहीं किया गया | टिप्पणी |
|---------------------------------|---|------------------|-----------------|----------------------------|--|--------------|---|--------------------------------|--|---------|
| | | | प्रकार | अंशों/ ऋण पत्रों की संख्या | प्रत्येक अंश/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य (₹ में) | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| V—सहकारी बैंक एवं समितियाँ—जारी | | | | | | | | | | |
| (i) सहकारी साख समितियाँ—जारी | | | | | | | | | | |
| (क) सहकारी बैंक—समाप्त | | | | | | | | | | |
| 12 | प्राथमिक भूमि विकास बैंक मर्यादित, मध्य प्रदेश | 2000–01 से पूर्व | .. | .. | .. | 510.71 | .. | .. | .. | .. |
| 13 | मध्य प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक मर्यादित, भोपाल | 2000–01 से पूर्व | .. | .. | .. | 105.51 | .. | .. | .. | .. |
| 14 | मदंसौर वाणिज्यिक सहकारी बैंक मर्यादित, मदंसौर | 2000–01 से पूर्व | .. | .. | .. | 0.40 | .. | .. | .. | .. |
| 15 | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होशंगाबाद, बिलासपुर, रायपुर, रीवां सीधी, टीकमगढ़, छतरपुर और सतना में | 2000–01 से पूर्व | .. | .. | .. | 733.38 | .. | .. | .. | .. |
| 16 | नगर सहकारी बैंक शिवपुरी, रायपुर, और बैतूल में | 2000–01 से पूर्व | .. | .. | .. | 0.80 | .. | .. | .. | .. |
| योग—(क)—सहकारी बैंक | | | | | | 4,088.32 | | 42.25 | | |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण—जारी
अनुभाग 1 : 2019—20 तक निवेशों के ब्यौरे

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | प्रतिष्ठानों के नाम | निवेश का वर्ष | निवेश के ब्यौरे | | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त पूजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | वर्ष के दौरान जमा की गई लाभांश | लाभांश घोषित किया गया परन्तु सरकार के खाते में जमा नहीं किया गया | टिप्पणी |
|---------------------------------|---|---------------|-----------------|----------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|---------|
| | | | प्रकार | अंशों/ ऋण पत्रों की संख्या | प्रत्येक अंश/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य (₹ में) | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| V—सहकारी बैंक एवं समितियाँ—जारी | | | | | | | | | | |
| (i) सहकारी साख समितियाँ—जारी | | | | | | | | | | |
| (ख) सहकारी समितियाँ— | | | | | | | | | | |
| 1 | प्राथमिक कृषि साख समितियाँ/ बड़े पैमाने सहकारी समितियाँ/ आदिम सहकारी बहुउद्देशीय प्राथमिक/ कृषक सेवा सहकारी समितिया | 2018—19 तक | इक्यूटी | ** | ** | 947.69 | ** | निरंक | निरंक | ** |
| | | 2019—20 | इक्यूटी | ** | ** | 138.00 घ.प्र.व (-)217.56 ⁷ | ** | 1.79 | निरंक | ** |
| 2 | विपणन संघ तथा विपणन एवं प्रसंस्करण सहकारी समितियाँ | 2018—19 तक | इक्यूटी | ** | ** | 580.65 | ** | निरंक | निरंक | ** |
| | | 2019—20 | निरंक | निरंक | निरंक | घ.प्र.व (-)4.42 | निरंक | निरंक | निरंक | |
| 3 | प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियाँ | 2018—19 तक | इक्यूटी | ** | ** | 1,051.44 | ** | निरंक | निरंक | ** |
| | | 2019—20 | इक्यूटी | ** | ** | 11.80 ⁸ | ** | निरंक | निरंक | |

** चिन्ह इंगित करता है कि जानकारी वर्तमान में अप्राप्त है। संबंधित अभिकरणों को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

⁷ वर्ष 2013—14 में मुख्य शीर्ष 6425 के अन्तर्गत त्रुटिपूर्वक दर्ज किये गये पुनर्भुगतान ₹ 0.67 लाख सम्मिलित है।

⁸ ₹ 16.50 लाख का निवेश एवं ₹ 4.70 लाख का वापसी सम्मिलित है।

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण—जारी
अनुभाग 1 : 2019—20 तक निवेशों के ब्यौरे

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | प्रतिष्ठानों के नाम | निवेश का वर्ष | निवेश के ब्यौरे | | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | वर्ष के दौरान जमा की गई लाभांश | लाभांश घोषित किया गया परन्तु सरकार के खाते में जमा नहीं किया गया | टिप्पणी |
|--|---|------------------|-----------------|----------------------------|--|---------------------------|---|--------------------------------|--|---------|
| | | | प्रकार | अंशों/ ऋण पत्रों की संख्या | प्रत्येक अंश/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य (₹ में) | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| V—सहकारी बैंक एवं समितियाँ—जारी | | | | | | | | | | |
| (i) सहकारी साख समितियाँ—समाप्त | | | | | | | | | | |
| (ख) सहकारी समितियाँ—समाप्त | | | | | | | | | | |
| 4 | ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ | 2000—01 से पूर्व | .. | .. | .. | 225.50 | .. | .. | .. | .. |
| 5 | प्राथमिक कृषि साख समितियाँ | 2000—01 से पूर्व | .. | .. | .. | 1,005.04 | .. | .. | .. | .. |
| 6 | जन सहकारी बैंक खिलचीपुर | 2000—01 से पूर्व | .. | .. | .. | 0.00 | .. | .. | .. | .. |
| 7 | जनजाति सेवा सहकारी समितियाँ | 2000—01 से पूर्व | .. | .. | .. | 363.75 | .. | .. | .. | .. |
| योग—(ख)—सहकारी समितियाँ | | | | | | 4,101.89 | | 1.79 | निरंक | |
| योग—(i)—सहकारी साख समितियाँ | | | | | | 8,190.21 | | 1.79 | निरंक | |
| (ii) अन्य सहकारी समितियाँ | | | | | | | | | | |
| 1 | एकीकृत सहकारी विकास परियोजना रायपुर को वित्तीय सहायता | 2018—19 तक | ** | ** | ** | घ.प्र.व 0.00 ⁹ | ** | निरंक | निरंक | ** |
| | | 2019—20 | ** | ** | ** | निरंक | ** | निरंक | निरंक | |

** चिन्ह इंगित करता है कि जानकारी वर्तमान में अप्राप्त है। संबंधित अभिकरणों को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

⁹ ₹ 21.63 लाख का पुनर्भुगतान तथा वर्ष 2001—02 एवं 2016—17 में ₹ 3.00 लाख का पुनर्भुगतान (XIII—अन्य सहकारिता सरल क्रमांक 28) दर्शाया गया है।

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण—जारी
अनुभाग 1 : 2019-20 तक निवेशों के ब्यौरे

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | प्रतिष्ठानों के नाम | निवेश का वर्ष | निवेश के ब्यौरे | | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | वर्ष के दौरान जमा की गई लाभांश | लाभांश घोषित किया गया परन्तु सरकार के खाते में जमा नहीं किया गया | टिप्पणी |
|---|--|------------------|-----------------|----------------------------|--|---------------------|---|--------------------------------|--|---------|
| | | | प्रकार | अंशों/ ऋण पत्रों की संख्या | प्रत्येक अंश/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य (₹ में) | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| V—सहकारी बैंक एवं समितियाँ—जारी | | | | | | | | | | |
| (ii) अन्य सहकारी समितियाँ—समाप्त | | | | | | | | | | |
| 2 | एकीकृत सहकारी विकास परियोजना, रायगढ़ को वित्तीय सहायता | 2018-19 तक | ** | ** | ** | 236.30 | ** | निरंक | निरंक | ** |
| | | 2019-20 | ** | ** | ** | (-)2.50 | ** | निरंक | निरंक | |
| 3 | एकीकृत सहकारी विकास परियोजना बस्तर को वित्तीय सहायता | 2018-19 तक | ** | ** | ** | घ.प्र.व (-)11.86 | ** | निरंक | निरंक | ** |
| | | 2019-20 | ** | ** | ** | घ.प्र.व (-)1.97 | ** | निरंक | निरंक | |
| 4 | एकीकृत सहकारी विकास परियोजना जशपुर को वित्तीय सहायता | 2018-19 तक | ** | ** | ** | 75.05 | ** | निरंक | निरंक | ** |
| | | 2019-20 | ** | ** | ** | (-)5.00 | ** | निरंक | निरंक | |
| आवास सहकारिताएं | | | | | | | | | | |
| 5 | अपेक्स आवास संघ | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 55.85 | .. | .. | .. | .. |
| 6 | मध्य प्रदेश आवास संघ, भोपाल | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 104.51 | .. | .. | .. | .. |
| 7 | मध्य प्रदेश राज्य आवास वित्त प्रबंध सहकारी समितियां | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 65.14 | .. | .. | .. | .. |
| योग—(ii)—अन्य सहकारी समितियां | | | | | | 515.52 | | निरंक | निरंक | |

** चिन्ह इंगित करता है कि जानकारी वर्तमान में अप्राप्त है। संबंधित अभिकरणों को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण—जारी
अनुभाग 1 : 2019-20 तक निवेशों के ब्यौरे

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | प्रतिष्ठानों के नाम | निवेश का वर्ष | निवेश के ब्यौरे | | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त पूजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | वर्ष के दौरान जमा की गई लाभांश | लाभांश घोषित किया गया परन्तु सरकार के खाते में जमा नहीं किया गया | टिप्पणी |
|---------------------------------|---|------------------|-----------------|----------------------------|--|--------------|--|--------------------------------|--|---------|
| | | | प्रकार | अंशों/ ऋण पत्रों की संख्या | प्रत्येक अंश/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य (₹ में) | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| V—सहकारी बैंक एवं समितियाँ—जारी | | | | | | | | | | |
| (iii) सहकारी शक्कर कारखाने— | | | | | | | | | | |
| 1 | भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, कवर्धा | 2018-19 तक | इक्यूटी | 27,700 | 10,000 | 2,770.00 | 68.17 | निरंक | निरंक | ** |
| | | 2019-20 | निरंक | निरंक | निरंक | 0.00 | निरंक | निरंक | निरंक | |
| 2 | मों महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, सरगुजा | 2018-19 तक | इक्यूटी | 49,580 | 10,000 | 4,958.00 | 100 | निरंक | निरंक | ** |
| | | 2019-20 | निरंक | निरंक | निरंक | 0.00 | निरंक | निरंक | निरंक | |
| 3 | दन्तेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, बालोद, दुर्ग | 2018-19 तक | इक्यूटी | 21,825 | 10,000 | 2,182.50 | 100 | निरंक | निरंक | ** |
| | | 2019-20 | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | |
| 4 | लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, पंडरिया, कवर्धा | 2017-18 तक | इक्यूटी | 50,340 | 10,000 | 5,034.00 | 100 | निरंक | निरंक | ** |
| | | 2018-19 | इक्यूटी | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | |
| 5 | मुरैना मण्डल सहकारी शक्कर कारखाना, मर्यादित, केलारस | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 231.59 | .. | .. | .. | .. |
| 6 | मालवा सहकारी शक्कर कारखाना बरलाई जिला इन्दौर | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 144.26 | .. | .. | .. | .. |
| 7 | नवल सिंह सहकारी शक्कर कारखाना | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 128.03 | .. | .. | .. | .. |
| 8 | मध्य प्रदेश सहकारी शक्कर संघ | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 0.53 | .. | .. | .. | .. |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण—जारी
अनुभाग 1 : 2019–20 तक निवेशों के ब्यौरे

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | प्रतिष्ठानों के नाम | निवेश का वर्ष | निवेश के ब्यौरे | | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त पूजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | वर्ष के दौरान जमा की गई लाभांश | लाभांश घोषित किया गया परन्तु सरकार के खाते में जमा नहीं किया गया | टिप्पणी |
|---|--|------------------|-----------------|----------------------------|--|------------------|--|--------------------------------|--|---------|
| | | | प्रकार | अंशों/ ऋण पत्रों की संख्या | प्रत्येक अंश/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य (₹ में) | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| V—सहकारी बैंक एवं समितियाँ—जारी | | | | | | | | | | |
| (iii) सहकारी शक्कर कारखाने—समाप्त | | | | | | | | | | |
| 9 | कृषक सहकारी शक्कर कारखाना, नारायणपुर, गुणा | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 375.05 | .. | .. | .. | .. |
| योग—(iii)—सहकारी शक्कर कारखाने | | | | | | 15,823.96 | | | | |
| (iv) श्रम सहकारिताएं | | | | | | | | | | |
| 1 | वन श्रमिक सहकारी समितियां | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 0.31 | .. | .. | .. | .. |
| 2 | श्रम सहकारी समितियां | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 0.85 | .. | .. | .. | .. |
| योग—(iv)—श्रम सहकारी | | | | | | 1.16 | | | | |
| (v) खेतिहर सहकारिताएं | | | | | | | | | | |
| 1 | खेतिहर सहकारी समितियां | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 18.98 | .. | .. | .. | .. |
| 2 | भूमिहीन खेतिहर सहकारी समितियां (43) | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 3.01 | .. | .. | .. | .. |
| 3 | संयुक्त खेतिहर समितियां और प्रशिक्षण केन्द्र (482) | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 0.44 | .. | .. | .. | .. |
| योग—(v)—खेतिहर सहकारिताएं | | | | | | 22.43 | | | | |
| (vi) भांडागार एवं विपणन सहकारी समितियां— | | | | | | | | | | |
| 1 | क्षेत्रीय विपणन सहकारी समितियां | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 12.20 | .. | .. | .. | .. |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण—जारी
अनुभाग 1 : 2019—20 तक निवेशों के ब्यौरे

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | प्रतिष्ठानों के नाम | निवेश का वर्ष | निवेश के ब्यौरे | | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त पूजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | वर्ष के दौरान जमा की गई लाभांश | लाभांश घोषित किया गया परन्तु सरकार के खाते में जमा नहीं किया गया | टिप्पणी |
|--|---|------------------|-----------------|----------------------------|--|--------------|--|--------------------------------|--|---------|
| | | | प्रकार | अंशों/ ऋण पत्रों की संख्या | प्रत्येक अंश/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य (₹ में) | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| V—सहकारी बैंक एवं समितियाँ—जारी | | | | | | | | | | |
| (vi) भांडागार एवं विपणन सहकारी समितियाँ—समाप्त | | | | | | | | | | |
| 2 | विपणन समितियाँ | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 165.60 | .. | .. | .. | .. |
| 3 | मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ, भोपाल | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 220.21 | .. | .. | .. | .. |
| 4 | प्राथमिक विपणन समितियाँ | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 210.41 | .. | .. | .. | .. |
| 5 | मध्य प्रदेश सहकारी विपणन समिति मर्यादित, नागपुर | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 1.32 | .. | .. | .. | .. |
| 6 | मध्य प्रदेश सहकारी विपणन समिति मर्यादित, जबलपुर | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 1.13 | .. | .. | .. | .. |
| 7 | क्षेत्रीय सहकारी विपणन समिति मर्यादित, जबलपुर | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 5.32 | .. | .. | .. | .. |
| 8 | क्षेत्रीय जनजाति सहकारी विपणन समितियाँ | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 15.19 | .. | .. | .. | .. |
| 9 | भांडागार समितियाँ | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 426.05 | .. | .. | .. | .. |
| 10 | अपेक्स विपणन संघ | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 225.53 | .. | .. | .. | .. |
| 11 | अतिरिक्त गोदामों का निर्माण | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 384.43 | .. | .. | .. | .. |
| योग—(vi) भांडागार एवं विपणन सहकारी समितियाँ | | | | | | 1,667.39 | | | | |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण—जारी
अनुभाग 1 : 2019-20 तक निवेशों के ब्यौरे

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | प्रतिष्ठानों के नाम | निवेश का वर्ष | निवेश के ब्यौरे | | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | वर्ष के दौरान जमा की गई लाभांश | लाभांश घोषित किया गया परन्तु सरकार के खाते में जमा नहीं किया गया | टिप्पणी |
|--|---|------------------|-----------------|----------------------------|--|--------------|---|--------------------------------|--|---------|
| | | | प्रकार | अंशों/ ऋण पत्रों की संख्या | प्रत्येक अंश/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य (₹ में) | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| V—सहकारी बैंक एवं समितियों—जारी | | | | | | | | | | |
| (vii) संसाधन सहकारी समितियां— | | | | | | | | | | |
| 1 | सहकारी चावल मिल | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 79.98 | .. | .. | .. | .. |
| 2 | चावल, चोकर, तेल ईकाई, दुर्ग | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 15.55 | .. | .. | .. | .. |
| 3 | संसाधन समितियां (84) | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 106.12 | .. | .. | .. | .. |
| 4 | शीत भंडार गृह संयंत्र सहकारी समितियां | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 162.08 | .. | .. | .. | .. |
| 5 | साईजिंग और कलेण्डरिंग संयंत्र, बुरहानपुर | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 1.63 | .. | .. | .. | .. |
| 6 | विलायक निस्सारण संयंत्र, दुर्ग | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 13.10 | .. | .. | .. | .. |
| 7 | सोयाबीन कॉम्प्लेक्स की स्थापना | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 727.08 | .. | .. | .. | .. |
| 8 | विलायक निस्सारण स्थापना | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 0.31 | .. | .. | .. | .. |
| 9 | मध्य प्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ, भोपाल | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 1,013.10 | .. | .. | .. | .. |
| 10 | साबुन कारखाना दुर्ग की स्थापना | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 3.58 | .. | .. | .. | .. |
| 11 | वनस्पति कॉम्प्लेक्स स्थापना | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 21.97 | .. | .. | .. | .. |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण—जारी
अनुभाग 1 : 2019-20 तक निवेशों के ब्यौरे

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | प्रतिष्ठानों के नाम | निवेश का वर्ष | निवेश के ब्यौरे | | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | वर्ष के दौरान जमा की गई लाभांश | लाभांश घोषित किया गया परन्तु सरकार के खाते में जमा नहीं किया गया | टिप्पणी |
|--|--|------------------|-----------------|----------------------------|--|-----------------|---|--------------------------------|--|---------|
| | | | प्रकार | अंशों/ ऋण पत्रों की संख्या | प्रत्येक अंश/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य (₹ में) | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| V—सहकारी बैंक एवं समितियाँ—जारी | | | | | | | | | | |
| (vii) संसाधन सहकारी समितियाँ—समाप्त | | | | | | | | | | |
| 12 | सोयाबीन प्रसंस्करण संयंत्र छिंदवाड़ा की स्थापना | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 192.18 | .. | .. | .. | .. |
| 13 | मुरैना मस्टर्ड कॉम्पलेक्स | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 61.49 | .. | .. | .. | .. |
| 14 | सिहोर में तेल शोधक की स्थापना | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 84.21 | .. | .. | .. | .. |
| 15 | महाकाल सहकारी शीत गृह उज्जैन एवं मां चामुन्डा सहकारी शीत गृह | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 46.85 | .. | .. | .. | .. |
| योग—(vii) संसाधन सहकारी समितियाँ— | | | | | | 2,529.23 | | | | |
| (viii) दुग्ध सहकारिताएं— | | | | | | | | | | |
| 1 | दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 0.87 | .. | .. | .. | .. |
| 2 | दुग्ध संघ, इन्दौर | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 0.44 | .. | .. | .. | .. |
| योग—(viii) दुग्ध सहकारिताएं | | | | | | 1.31 | | | | |
| (ix) मछुआरा सहकारी समितियाँ— | | | | | | | | | | |
| 1 | मछुआरा सहकारी संघ | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 0.22 | .. | .. | .. | .. |
| योग—(ix) मछुआरा सहकारी समितियाँ | | | | | | 0.22 | | | | |
| (x)—सहकारी कताई कारखाने | | | | | | | | | | |
| 1 | भारत सहकारी कताई कारखाना मर्यादित, जबलपुर | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 2.72 | .. | .. | .. | .. |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण—जारी
अनुभाग 1 : 2019-20 तक निवेशों के ब्यौरे

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | प्रतिष्ठानों के नाम | निवेश का वर्ष | निवेश के ब्यौरे | | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त पूजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | वर्ष के दौरान जमा की गई लाभांश | लाभांश घोषित किया गया परन्तु सरकार के खाते में जमा नहीं किया गया | टिप्पणी |
|--|--|------------------|-----------------|----------------------------|--|---------------|--|--------------------------------|--|---------|
| | | | प्रकार | अंशों/ ऋण पत्रों की संख्या | प्रत्येक अंश/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य (₹ में) | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| V—सहकारी बैंक एवं समितियाँ—जारी | | | | | | | | | | |
| (x)—सहकारी कताई कारखाने—समाप्त | | | | | | | | | | |
| 2 | श्रमिक सहकारी सूती कारखाना मर्यादित, उज्जैन | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 2.04 | .. | .. | .. | .. |
| 3 | रतलाम सहकारी जवाहर स्मारक कताई कारखाना मर्यादित, रतलाम | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 2.72 | .. | .. | .. | .. |
| 4 | सहकारी कताई कारखाना मर्यादित, बुरहानपुर | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 11.27 | .. | .. | .. | .. |
| 5 | सहकारी कताई मिल खरगोन | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 144.01 | .. | .. | .. | .. |
| 6 | सहकारी सूती मिलों की स्थापना | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 77.97 | .. | .. | .. | .. |
| योग (x) सहकारी कताई कारखाने | | | | | | 240.73 | | | | |
| (xi) औद्योगिक सहकारी समितियाँ— | | | | | | | | | | |
| 1 | मध्य प्रदेश हाथकरघा बुनकर केन्द्रीय सहकारी समिति, जबलपुर | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 74.39 | .. | .. | .. | .. |
| 2 | औद्योगिक सहकारी समितियाँ (144) | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 146.09 | .. | .. | .. | .. |
| 3 | मध्य प्रदेश हाथकरघा बुनकर सहकारी समितियाँ | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 45.04 | .. | .. | .. | .. |
| 4 | विद्युत करघा सहकारी समितियाँ | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 7.81 | .. | .. | .. | .. |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण—जारी
अनुभाग 1 : 2019-20 तक निवेशों के ब्यौरे

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | प्रतिष्ठानों के नाम | निवेश का वर्ष | निवेश के ब्यौरे | | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | वर्ष के दौरान जमा की गई लाभांश | लाभांश घोषित किया गया परन्तु सरकार के खाते में जमा नहीं किया गया | टिप्पणी |
|--------------------------------------|--|------------------|-----------------|----------------------------|--|--------------|---|--------------------------------|--|---------|
| | | | प्रकार | अंशों/ ऋण पत्रों की संख्या | प्रत्येक अंश/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य (₹ में) | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| V-सहकारी बैंक एवं समितियाँ—जारी | | | | | | | | | | |
| (xi) औद्योगिक सहकारी समितियाँ—समाप्त | | | | | | | | | | |
| 5 | बुनकर सहकारी समिति, चंदेरी | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 0.51 | .. | .. | .. | .. |
| 6 | अखिल भारतीय हाथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति, मर्यादित, मुंबई | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 0.03 | .. | .. | .. | .. |
| 7 | सहकारी कताई कारखाना मर्यादित, बुरहानपुर | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 42.79 | .. | .. | .. | .. |
| 8 | मध्य प्रदेश राज्य विद्युत करघा वस्त्र विपणन संघ बुरहानपुर | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 13.55 | .. | .. | .. | .. |
| 9 | प्राथमिक विद्युतकरघा बुनकर सहकारी समितियों की स्थापना | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 2.63 | .. | .. | .. | .. |
| 10 | विद्युतकरघा कार्यशाला | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 0.69 | .. | .. | .. | .. |
| 11 | प्राथमिक हाथकरघा बुनकर समितियाँ | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 19.61 | .. | .. | .. | .. |
| 12 | विद्युत करघा कॉम्प्लेक्स | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 13.82 | .. | .. | .. | .. |
| 13 | साईजिंग प्लांट की स्थापना | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 2.13 | .. | .. | .. | .. |
| योग—(xi) औद्योगिक सहकारी समितियाँ | | | | | | 369.09 | | | | |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण—जारी
अनुभाग 1 : 2019–20 तक निवेशों के ब्यौरे

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | प्रतिष्ठानों के नाम | निवेश का वर्ष | निवेश के ब्यौरे | | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त पूजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | वर्ष के दौरान जमा की गई लाभांश | लाभांश घोषित किया गया परन्तु सरकार के खाते में जमा नहीं किया गया | टिप्पणी |
|---------------------------------|--|------------------|-----------------|----------------------------|--|-----------------|--|--------------------------------|--|---------|
| | | | प्रकार | अंशों/ ऋण पत्रों की संख्या | प्रत्येक अंश/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य (₹ में) | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| V—सहकारी बैंक एवं समितियाँ—जारी | | | | | | | | | | |
| (xii) उपभोक्ता सहकारी समितियाँ— | | | | | | | | | | |
| 1 | प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 61.36 | .. | .. | .. | .. |
| 2 | थोक उपभोक्ता सहकारी भंडार | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 129.02 | .. | .. | .. | .. |
| | | 2019-20 | | | | घ.प्र.व (-)0.30 | | | | |
| 3 | मध्य प्रदेश थोक उपभोक्ता सहकारी भंडार संघ, भोपाल | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 22.12 | .. | .. | .. | .. |
| 4 | विभागीय भण्डार, उज्जैन | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 0.40 | .. | .. | .. | .. |
| 5 | विभागीय भण्डार, शिवपुरी | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 0.40 | .. | .. | .. | .. |
| 6 | थोक उपभोक्ता भण्डार, उज्जैन | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 0.32 | .. | .. | .. | .. |
| 7 | विश्वविद्यालय/ डिग्री कॉलेज उपभोक्ता भण्डार | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 0.08 | .. | .. | .. | .. |
| 8 | उपभोक्ता भण्डारों द्वारा सहकारी बाजारों की स्थापना | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 6.07 | .. | .. | .. | .. |
| 9 | सामुहिक रसोई घर | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 0.04 | .. | .. | .. | .. |
| 10 | उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 203.61 | .. | .. | .. | .. |
| 11 | विभागीय भण्डार का स्वसेवा केन्द्र | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 21.25 | .. | .. | .. | .. |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण—जारी
अनुभाग 1 : 2019—20 तक निवेशों के ब्यौरे

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | प्रतिष्ठानों के नाम | निवेश का वर्ष | निवेश के ब्यौरे | | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | वर्ष के दौरान जमा की गई लाभांश | लाभांश घोषित किया गया परन्तु सरकार के खाते में जमा नहीं किया गया | टिप्पणी |
|--|---|------------------|-----------------|----------------------------|--|---------------|---|--------------------------------|--|---------|
| | | | प्रकार | अंशों/ ऋण पत्रों की संख्या | प्रत्येक अंश/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य (₹ में) | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| V—सहकारी बैंक एवं समितियाँ—जारी | | | | | | | | | | |
| (xii) उपभोक्ता सहकारी समितियाँ—समाप्त | | | | | | | | | | |
| 12 | सहकारी भण्डारों का विकास | 2000—01 से पूर्व | .. | .. | .. | 1.50 | .. | .. | .. | .. |
| 13 | विद्यार्थी सहकारी स्टोर्स | 2000—01 से पूर्व | .. | .. | .. | 0.09 | .. | .. | .. | .. |
| योग— (xii) उपभोक्ता सहकारी समितियाँ | | | | | | 445.96 | | | | |
| (xiii) अन्य सहकारी समितियाँ— | | | | | | | | | | |
| 1 | मध्य प्रदेश राज्य जनजाति सहकारी विकास निगम | 2000—01 से पूर्व | .. | .. | .. | 4.39 | .. | .. | .. | .. |
| 2 | बागवानी सहकारी समिति | 2000—01 से पूर्व | .. | .. | .. | 0.02 | .. | .. | .. | .. |
| 3 | साईज़िंग और कलेण्डरिंग संयंत्र जबलपुर | 2000—01 से पूर्व | .. | .. | .. | 0.07 | .. | .. | .. | .. |
| 4 | वृहद बहुउद्देशीय समितियाँ | 2000—01 से पूर्व | .. | .. | .. | 62.27 | .. | .. | .. | .. |
| 5 | सहकारी मुद्रणालय | 2000—01 से पूर्व | .. | .. | .. | 0.15 | .. | .. | .. | .. |
| 6 | कृषि विपणन सहकारी समितियाँ, भोपाल के लिए सर्विसिंग तथा मरम्मत | 2000—01 से पूर्व | .. | .. | .. | 1.17 | .. | .. | .. | .. |
| 7 | सहकारी सिंचाई समितियाँ | 2000—01 से पूर्व | .. | .. | .. | 1.57 | .. | .. | .. | .. |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण—जारी
अनुभाग 1 : 2019—20 तक निवेशों के ब्यौरे

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | प्रतिष्ठानों के नाम | निवेश का वर्ष | निवेश के ब्यौरे | | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | वर्ष के दौरान जमा की गई लाभांश | लाभांश घोषित किया गया परन्तु सरकार के खाते में जमा नहीं किया गया | टिप्पणी |
|----------------------------------|---|------------------|-----------------|----------------------------|--|--------------|---|--------------------------------|--|---------|
| | | | प्रकार | अंशों/ ऋण पत्रों की संख्या | प्रत्येक अंश/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य (₹ में) | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| V—सहकारी बैंक एवं समितियाँ—जारी | | | | | | | | | | |
| (xiii) अन्य सहकारी समितियाँ—जारी | | | | | | | | | | |
| 8 | इंजीनियरों और डिप्लोमा धारियों के लिए सहकारी समिति, भोपाल | 2000—01 से पूर्व | .. | .. | .. | 0.09 | .. | .. | .. | .. |
| 9 | लौह अयस्क खान श्रमिक सहकारी समिति, दुर्ग | 2000—01 से पूर्व | .. | .. | .. | 0.04 | .. | .. | .. | .. |
| 10 | ग्वालियर साईजिंग संयंत्र | 2000—01 से पूर्व | .. | .. | .. | 0.05 | .. | .. | .. | .. |
| 11 | ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियां पांडुरना तथा बनावर | 2000—01 से पूर्व | .. | .. | .. | 178.74 | .. | .. | .. | .. |
| 12 | सायकल रिक्शा चालक सहकारी समितियां | 2000—01 से पूर्व | .. | .. | .. | 0.03 | .. | .. | .. | .. |
| 13 | पंचायती राज्य मुदणालय, उज्जैन | 2000—01 से पूर्व | .. | .. | .. | 1.10 | .. | .. | .. | .. |
| 14 | साईजिंग और कलेण्डरिंग सहकारी समिति, बुरहानपुर | 2000—01 से पूर्व | .. | .. | .. | 4.92 | .. | .. | .. | .. |
| 15 | मध्य प्रदेश राज्य विपणन संघ बुरहानपुर | 2000—01 से पूर्व | .. | .. | .. | 2.00 | .. | .. | .. | .. |
| 16 | ग्रामीण विपणन हेतु बड़े आकार के गोदामों की स्थापना | 2000—01 से पूर्व | .. | .. | .. | 71.56 | .. | .. | .. | .. |
| 17 | मध्य प्रदेश दुग्ध महासंघ (सहकारी) मर्यादित, भोपाल | 2000—01 से पूर्व | .. | .. | .. | 88.17 | .. | .. | .. | .. |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण—जारी
अनुभाग 1 : 2019-20 तक निवेशों के ब्यौरे

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | प्रतिष्ठानों के नाम | निवेश का वर्ष | निवेश के ब्यौरे | | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | वर्ष के दौरान जमा की गई लाभांश | लाभांश घोषित किया गया परन्तु सरकार के खाते में जमा नहीं किया गया | टिप्पणी |
|----------------------------------|---|------------------|-----------------|----------------------------|--|--------------|---|--------------------------------|--|---------|
| | | | प्रकार | अंशों/ ऋण पत्रों की संख्या | प्रत्येक अंश/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य (₹ में) | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| V—सहकारी बैंक एवं समितियाँ—जारी | | | | | | | | | | |
| (xiii) अन्य सहकारी समितियाँ—जारी | | | | | | | | | | |
| 18 | मध्य प्रदेश अन्त्यवसायी विकास निगम | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 396.30 | .. | .. | .. | .. |
| 19 | मध्य प्रदेश राज्य वनोपज एवं व्यापार संघ मर्यादित, भोपाल | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 950.42 | .. | .. | .. | .. |
| 20 | भारत भवन न्यास | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 26.62 | .. | .. | .. | .. |
| 21 | वन साधन सहकारी समितियाँ | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 0.60 | .. | .. | .. | .. |
| 22 | ग्रामीण तिलहन सहकारी समिति | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 243.59 | .. | .. | .. | .. |
| 23 | कस्टम हाईरिंग केन्द्रों की स्थापना | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 1.80 | .. | .. | .. | .. |
| 24 | फल एवं बीज मंडी क्षेत्र, इन्दौर | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 19.96 | .. | .. | .. | .. |
| 25 | इफको आंवला फर्टीलाइजर | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 2.26 | .. | .. | .. | .. |
| 26 | सहकारी सूती मिल | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 4.82 | .. | .. | .. | .. |
| 27 | अम्बिका आलू उत्पादन विपणन समिति पलासिया, इन्दौर | 2000-01 से पूर्व | .. | .. | .. | 13.71 | .. | .. | .. | .. |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण—जारी
अनुभाग 1 : 2019—20 तक निवेशों के ब्यौरे

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | प्रतिष्ठानों के नाम | निवेश का वर्ष | निवेश के ब्यौरे | | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | वर्ष के दौरान जमा की गई लाभांश | लाभांश घोषित किया गया परन्तु सरकार के खाते में जमा नहीं किया गया | टिप्पणी |
|----------------------------------|---|------------------|-----------------|----------------------------|--|----------------------|---|--------------------------------|--|---------|
| | | | प्रकार | अंशों/ ऋण पत्रों की संख्या | प्रत्येक अंश/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य (₹ में) | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| V—सहकारी बैंक एवं समितियाँ—जारी | | | | | | | | | | |
| (xiii) अन्य सहकारी समितियाँ—जारी | | | | | | | | | | |
| 28 | एकीकृत विकास परियोजना, नरसिंहपुर, रायगढ़, रायसेन, खरगौन, बस्तर, रायपुर, रतलाम, छिंदवाड़ा और भिण्ड | 2000—01 से पूर्व | .. | .. | .. | 451.48 ¹⁰ | .. | .. | .. | .. |
| 29 | महिला सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 2000—01 से पूर्व | .. | .. | .. | 13.10 | .. | .. | .. | .. |
| 30 | लीड/लिंक सहकारी समितियों को सहायता | 2000—01 से पूर्व | .. | .. | .. | 2.00 | .. | .. | .. | .. |
| 31 | जवाहर लाल सहकारी कृषि उत्पादक समिति, खरगौन | 2000—01 से पूर्व | .. | .. | .. | 21.07 | .. | .. | .. | .. |
| 32 | मध्य प्रदेश राज्य सहकारी ग्रामीण संघ मर्यादित, जबलपुर | 2000—01 से पूर्व | .. | .. | .. | 1.33 | .. | .. | .. | .. |
| 33 | कमजोर वर्गों की सहकारी समितियाँ | 2000—01 से पूर्व | .. | .. | .. | 0.96 | .. | .. | .. | .. |
| 34 | मध्य प्रदेश राज्य रेशम संघ | 2000—01 से पूर्व | .. | .. | .. | 43.92 | .. | .. | .. | .. |

¹⁰ वर्ष 2001—02 एवं 2016—17 में ₹ 21.63 लाख एवं ₹ 3.00 लाख का पुनर्भुगतान सम्मिलित है जो एकीकृत सहकारी विकास परियोजना, रायपुर से संबंधित है। यह पुनर्भुगतान राज्य का पुनर्गठन के पूर्व अवधि से संबंधित है।

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण—जारी
अनुभाग 1 : 2019—20 तक निवेशों के ब्यौरे

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | प्रतिष्ठानों के नाम | निवेश का वर्ष | निवेश के ब्यौरे | | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | वर्ष के दौरान जमा की गई लाभांश | लाभांश घोषित किया गया परन्तु सरकार के खाते में जमा नहीं किया गया | टिप्पणी |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|--|-------------------------|---|--------------------------------|--|---------|
| | | | प्रकार | अंशों/ ऋण पत्रों की संख्या | प्रत्येक अंश/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य (₹ में) | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| V—सहकारी बैंक एवं समितियाँ—समाप्त | | | | | | | | | | |
| (xiii) अन्य सहकारी समितियाँ—समाप्त | | | | | | | | | | |
| 35 | विद्युत प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर | 2000—01 से पूर्व | .. | .. | .. | 3.73 | .. | .. | .. | .. |
| योग—(xiii) अन्य सहकारी समितियाँ | | | | | | 2,614.01 | .. | .. | .. | .. |
| योग—V—सहकारी बैंक एवं समितियाँ | | | | | | 32,421.22 ¹¹ | .. | 44.04 | निरंक | .. |
| महायोग | | | | | | 7,26,579.79 | .. | 238.81 | निरंक | .. |

¹¹ राज्य सरकार के प्राप्त जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2020 की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा 1460 सहकारिता संस्थाओं में ₹ 20,781.11 लाख निवेशित है।

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण—समाप्त
अनुभाग 2 : वर्ष के दौरान मुख्य एवं लघुशीर्षवार निवेशों का विस्तृत विवरण

(19—सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण तथा 16—पूंजीगत परिव्यय का लघुशीर्षवार विस्तृत विवरण में दर्शाए गए निवेश के आँकड़ों में अन्तर का विवरण)

| विवरण क्रमांक 19 का सरल क्रमांक | मुख्य/लघुशीर्ष | पूर्व वर्ष 2018—19 के अन्त तक निवेश | वर्ष 2019—20 के दौरान निवेश | वर्ष 2019—20 के दौरान विनिवेश | वर्ष 2019—20 के अन्त में निवेश |
|---|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| विवरण में 16—'पूंजीगत परिव्यय का लघुशीर्षवार विस्तृत विवरण' में दर्शाये गये निवेश के आँकड़ों एवं विवरण में 19—'सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण' में दर्शाए कम्पनीवार आँकड़ों के मध्य कोई अन्तर नहीं है तथापि निगमों द्वारा सूचित निवेश के आँकड़ों तथा विवरण क्रमांक 19 में दर्शाये गये आंकड़ों के मध्य अन्तर को पाद टीप में स्पष्ट किया गया है। | | | | | |

20. सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों¹ का विवरण
I. प्रत्येक वर्ग के लिए प्रत्याभूतियों का संस्थावार विवरण

(₹ लाख में)

| (क) वर्ग : सांविधिक निगमों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए ऋण पत्रों के पुनर्भुगतान हेतु दी गई प्रत्याभूति | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|-------------|---|-------------------------------|-------------|---------------|
| (i) ऊर्जा | | | | | | | | | | |
| क्षेत्र (प्रत्याभूतियों की संख्या कोष्टक में) | 31 मार्च 2020 की स्थिति में प्रत्याभूति की अधिकतम राशि | वर्ष 2019 के प्रारम्भ में बकाया राशि (01.04.2019) | वर्ष के दौरान प्रदत्त प्रत्याभूति | विलोपन की गई प्रत्याभूति (प्रत्याभूति के भुगतान की जाने के अलावा) | वर्ष के दौरान प्रत्याभूति के विरुद्ध भुगतान | | 2020 के अन्त में बकाया राशि (31.03.2020) | प्रत्याभूति कमीशन अथवा फीस | | अन्य विवरण |
| | | | | | उन्मोचित | अनुन्मोचित | | प्राप्य | प्राप्त | |
| (i) ऊर्जा | | | | | | | | | | |
| छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (2) | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | निरंक |
| योग (क) | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | निरंक |
| (ख) वर्ग : बैंको एवं वित्तीय संस्थाओं को मूलधन के पुनर्भुगतान एवं ब्याज के भुगतान हेतु प्रत्याभूति— | | | | | | | | | | |
| (i) ऊर्जा | | | | | | | | | | |
| छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (सीएसपीडीसीएल) (3) | 1,95,500.00 ² | 1,39,562.50 | 0.00 | 39,125.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00,437.50 | 0.00 | 0.00 | निरंक |
| योग—(i) | 1,95,500.00 | 1,39,562.50 | 0.00 | 39,125.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00,437.50 | 0.00 | 0.00 | निरंक |

¹ क्षेत्रवार प्रत्याभूतियों की जानकारी खण्ड-1 का विवरण क्रमांक 9 में दर्शाया गया है।

² यह राशि राज्य शासन की ऑफ बजट दायित्व है। 'कृषक जीवन ज्योति योजना' के अन्तर्गत बी.पी.एल. उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (सी.एस.पी.डी.सी.एल.) को ₹ 1,95,500.00 लाख का दायित्व छत्तीसगढ़ शासन का था। इस दायित्व को उन्मोचित किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ शासन ने वर्ष 2016-17 में सी.एस.पी.डी.सी.एल. को विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ₹ 1,95,500.00 लाख का ऋण प्राप्त करने के लिए प्रत्याभूति इस शर्त पर प्रदान की कि इस प्रत्याभूति के अन्तर्गत लिये गये ऋण एवं इसके ब्याज के पुनर्भुगतान का दायित्व राज्य शासन का होगा तथा राज्य शासन द्वारा सी.एस.पी.डी.सी.एल. को ₹ 1,95,500.00 लाख पांच वर्षों में (एक वर्ष के स्थगन के साथ) भुगतान करेगा। सी.एस.पी.डी.सी.एल. द्वारा वर्ष 2016-17 में ₹ 1,95,500.00 लाख संपूर्ण ऋण वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किया गया।

20. सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों का विवरण—जारी
I. प्रत्येक वर्ग के लिए प्रत्याभूतियों का संस्थावार विवरण—जारी

(₹ लाख में)

| (ख) वर्ग : बैंको एवं वित्तीय संस्थाओं को मूलधन के पुनर्भुगतान एवं ब्याज के भुगतान हेतु प्रत्याभूति—जारी | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|------------|---|-------------------------------|----------|---------------|
| (ii) सहकारिता | | | | | | | | | | |
| क्षेत्र (प्रत्याभूतियों की संख्या कोष्ठक में) | 31 मार्च 2020 की स्थिति में प्रत्याभूति की अधिकतम राशि | वर्ष 2019 के प्रारम्भ में बकाया राशि (01.04. 2019) | वर्ष के दौरान प्रदत्त प्रत्याभूति | विलोपन की गई प्रत्याभूति (प्रत्याभूति के भुगतान की जाने के अलावा) | वर्ष के दौरान प्रत्याभूति के विरुद्ध भुगतान | | 2020 के अन्त में बकाया राशि (31.03.2020) | प्रत्याभूति कमीशन अथवा फीस | | अन्य विवरण |
| | | | | | उन्मोचित | अनुन्मोचित | | प्राप्य | प्राप्त | |
| भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, कबीरधाम (1) | 0.00 ³ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | निरंक |
| छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, रायपुर (1) | 1,480.70 ⁴ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | निरंक |
| छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ, रायपुर (13) | 15,00,000.00 ⁵ | 7,20,000.00 | 6,55,452.00 | 1,00,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,75,452.00 | 7,871.23 | 3,471.00 | निरंक |
| छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (1) | 1,00,000.00 ⁶ | 0.00 | 1,00,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00,000.00 | 0.00 | 0.00 | निरंक |
| लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना, कबीरधाम (3) | 13,100.00 | 12,025.00 | 0.00 | 4,490.28 | 0.00 | 0.00 | 7,534.72 | 0.00 | 0.00 | निरंक |

³ वित्तीय संस्थाओं से शून्य देयता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के कारण ₹ 800.00 लाख की प्रत्याभूति विलोपित की गई है।

⁴ शून्य देयता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण प्रत्याभूति दर्शाई गई है।

⁵ ₹ 8,80,000.00 लाख की दस नई प्रत्याभूतियों के विरुद्ध ₹ 6,55,452.00 लाख का ऋण वर्ष के दौरान लिया गया है। वित्तीय संस्थाओं से शून्य देयता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के कारण ₹ 1,35,000.00 लाख की प्रत्याभूति विलोपित की गई है।

⁶ ₹ 1,00,000.00 लाख की नई प्रत्याभूतियों के विरुद्ध ₹ 1,00,000.00 लाख का ऋण वर्ष के दौरान लिया गया है।

20. सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों का विवरण—जारी
I. प्रत्येक वर्ग के प्रतिभूतियों का संस्थावार विवरण—जारी

(₹ लाख में)

| (ख) वर्ग : बैंको एवं वित्तीय संस्थाओं को मूलधन के पुनर्भुगतान एवं ब्याज के भुगतान हेतु प्रत्याभूति—जारी | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-------------|---|-------------------------------|-----------------|---------------|
| (ii) सहकारिता | | | | | | | | | | |
| क्षेत्र (प्रत्याभूतियों की संख्या कोष्ठक में) | 31 मार्च 2020 की स्थिति में प्रत्याभूति की अधिकतम राशि | वर्ष 2019 के प्रारम्भ में बकाया राशि (01.04.2019) | वर्ष के दौरान प्रदत्त प्रत्याभूति | विलोपन की गई प्रत्याभूति (प्रत्याभूति के भुगतान की जाने के अलावा) | वर्ष के दौरान प्रत्याभूति के विरुद्ध भुगतान | | 2020 के अन्त में बकाया राशि (31.03.2020) | प्रत्याभूति कमीशन अथवा फीस | | अन्य विवरण |
| | | | | | उन्मोचित | अनुमोचित | | प्राप्य | प्राप्त | |
| जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर (1) | 0.00 ⁷ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | निरंक |
| माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना, अम्बिकापुर (1) | 0.00 ⁸ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | निरंक |
| योग—(ii) | 16,14,580.70 | 7,32,025.00 | 7,55,452.00 | 1,04,490.28 | 0.00 | 0.00 | 13,82,986.72 | 7,871.23 | 3,471.00 | निरंक |
| (iii) राज्य वित्तीय संस्थाएं | | | | | | | | | | |
| छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, रायपुर (4) | 429.44 | 28.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.35 | 0.00 | 0.00 | निरंक |
| छत्तीसगढ़ राज्य 'अन्त्यावसायी' वित्त एवं विकास निगम, रायपुर (48) | 31,780.03 | 7,703.83 | 0.00 | 906.39 | 0.00 | 0.00 | 6,797.44 | 0.00 | 0.00 | निरंक |
| छत्तीसगढ़ राज्य निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम, रायपुर (7) | 7,030.82 ⁹ | 2,400.00 | 1,984.36 ¹⁰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,384.36 | 0.00 | 0.00 | निरंक |
| योग—(iii) | 39,240.29 | 10,132.18 | 1,984.36 | 906.39 | 0.00 | 0.00 | 11,210.15 | 0.00 | 0.00 | निरंक |

⁷ वित्तीय संस्थाओं से शून्य देयता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के कारण ₹ 1,000.00 लाख की प्रत्याभूति विलोपित की गई है।

⁸ वित्तीय संस्थाओं से शून्य देयता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के कारण ₹ 1,000.00 लाख की प्रत्याभूति विलोपित की गई है।

⁹ संस्थाओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रत्याभूति में ₹ 100.00 लाख की कमी दर्शाई गई है।

¹⁰ वर्ष के दौरान पुराने प्रत्याभूतियों को विलोपित कर ₹ 1,984.36 लाख का नई ऋण लिया गया है।

20. सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों का विवरण—जारी
I. प्रत्येक वर्ग के प्रतिभूतियों का संस्थावार विवरण—जारी

(₹ लाख में)

| (ख) वर्ग : बैंको एवं वित्तीय संस्थाओं को मूलधन एवं ब्याज के भुगतान हेतु गारंटी—जारी | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|------------|---|-------------------------------|---------|---------------|
| (iv) शहरी विकास तथा आवास | | | | | | | | | | |
| क्षेत्र (प्रत्याभूतियों की संख्या कोष्ठक में) | 31 मार्च 2020 की स्थिति में प्रत्याभूति की अधिकतम राशि | वर्ष 2019 के प्रारम्भ में बकाया राशि (01.04.2019) | वर्ष के दौरान प्रदत्त प्रत्याभूति | विलोपन की गई प्रत्याभूति (प्रत्याभूति के भुगतान की जाने के अलावा) | वर्ष के दौरान प्रत्याभूति के विरुद्ध भुगतान | | 2020 के अन्त में बकाया राशि (31.03.2020) | प्रत्याभूति कमीशन अथवा फीस | | अन्य विवरण |
| | | | | | उन्मोचित | अनुन्मोचित | | प्राप्य | प्राप्त | |
| छत्तीसगढ़ गृह मंडल (2) | 99,500.00 ¹¹ | 75,766.18 ¹² | 8,257.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,023.81 | जानकारी अपेक्षित | 0.00 | निरंक |
| छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास निगम (1) | 3,42,728.00 | 89,622.00 ¹³ | 10,378.00 ¹⁴ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00,000.00 | 0.00 | 0.00 | निरंक |
| अटल नगर विकास प्राधिकरण (1) | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 150.00 | 0.00 | निरंक |
| नगर पालिका परिषद् (21) | 149.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | निरंक |
| नगर पालिका (15) | 526.67 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | निरंक |
| नगर निगम (16) | 5,495.66 | 2,149.55 | 0.00 | 86.55 | 0.00 | 0.00 | 2,063.00 | जानकारी अपेक्षित | 0.00 | निरंक |
| बिलासपुर विकास प्राधिकरण, (6) | 579.00 | 579.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579.00 | 0.00 | 0.00 | निरंक |
| रायपुर विकास प्राधिकरण (1) | 30.00 ¹⁵ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | निरंक |

¹¹ वर्ष 2017-18 में शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये 6,424 आवासीय भवनों के निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को ₹ 80,000.00 लाख का ऋण केनरा बैंक से लेने के लिए प्रत्याभूति प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल से ऋण किये गये जिसके लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को इलाहाबाद बैंक से ₹ 19,500.00 लाख का ऋण लेने हेतु प्रत्याभूति जारी किया गया। यह राज्य शासन का ऑफ बजट दायित्व है तथा ऋण एवं ब्याज का पुनर्भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जाना है। वर्ष 2019-20 में मौजूदा प्रत्याभूति ₹ 80,000.00 लाख के विरुद्ध ₹ 8,257.63 लाख का ऋण प्राप्त किया गया। अतः ₹ 8,257.63 लाख को वर्ष के दौरान प्रदत्त प्रत्याभूति के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

¹² संस्थाओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रत्याभूति में ₹ 0.18 लाख की सुधार के कारण वृद्धि हुई है।

¹³ संस्थाओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रत्याभूति में ₹ 79,244.00 लाख की सुधार के कारण वृद्धि हुई है।

¹⁴ मौजूदा प्रत्याभूति ₹ 3,42,728.00 लाख के विरुद्ध ₹ 10,378.00 लाख का ऋण प्राप्त किया गया।

¹⁵ शून्य देयता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण प्रत्याभूति दर्शाई गई है।

20. सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों का विवरण—जारी
I. प्रत्येक वर्ग के प्रतिभूतियों का संस्थावार विवरण—जारी

(₹ लाख में)

| (ख) वर्ग : बैंको एवं वित्तीय संस्थाओं को मूलधन एवं ब्याज के भुगतान हेतु गारंटी—जारी | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|-------------|--|-------------------------------|-------------|---------------|
| (iv) शहरी विकास तथा आवास—समाप्त | | | | | | | | | | |
| क्षेत्र (प्रत्याभूतियों की संख्या कोष्टक में) | 31 मार्च 2020 की स्थिति में प्रत्याभूति की अधिकतम राशि | वर्ष 2019 के प्रारम्भ में बकाया राशि (01.04.2019) | वर्ष के दौरान प्रदत्त प्रत्याभूति | विलोपन की गई प्रत्याभूति (प्रत्याभूति के भुगतान की जाने के अलावा) | वर्ष के दौरान प्रत्याभूति के विरुद्ध भुगतान | | 2020 के अन्त में बकाया राशि (31.03.2020) | प्रत्याभूति कमीशन अथवा फीस | | अन्य विवरण |
| | | | | | उन्मोचित | अनुमोचित | | प्राप्य | प्राप्त | |
| राज्य शहरी विकास प्राधिकरण, रायपुर (8) | 3,51,806.83 ¹⁶ | 1,785.00 | 50,000.00 | 480.34 | 0.00 | 0.00 | 51,304.66 | 0.00 | 0.00 | निरंक |
| विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कोरबा (11) | 1,521.37 ¹⁷ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | निरंक |
| विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, भिलाई (8) | 1,057.49 | 254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.00 | 0.00 | 0.00 | निरंक |
| विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बिलासपुर (1) | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | निरंक |
| विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बैलाडीला (1) | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | निरंक |
| विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, चिरमीरी (1) | 278.00 | 278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.00 | 0.00 | 0.00 | निरंक |
| योग—(iv) | 8,13,749.02 | 1,80,670.73¹⁸ | 68,635.63 | 566.89 | 0.00 | 0.00 | 2,48,739.47 | 150.00 | 0.00 | निरंक |

¹⁶ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य शहरी विकास प्राधिकरण (सूडा) को प्रधान मंत्री आवास योजना—हाउसिंग फार ऑल के अन्तर्गत राज्य शासन का हिस्सा हेतु ₹ 3,35,700.00 लाख की प्रत्याभूति जारी किया गया तथा प्रत्याभूति की शर्त अनुसार प्रत्याभूति के विरुद्ध प्राप्त ऋण एवं ब्याज का पुनर्भुगतान का दायित्व राज्य शासन का होगा। यह प्रत्याभूति राज्य शासन का ऑफ बजट दायित्व है। वर्ष 2019-20 में इस प्रत्याभूति के विरुद्ध ₹ 3,35,700.00 लाख के विरुद्ध ₹ 50,000.00 लाख का ऋण प्राप्त किया गया एवं ऋण तथा ब्याज का भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जायेगा। अतः ₹ 50,000.00 लाख को "वर्ष के दौरान प्रदत्त प्रत्याभूति" के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

¹⁷ शून्य देयता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण प्रत्याभूति दर्शाई गई है।

¹⁸ संस्थाओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रत्याभूति में ₹ 79,244.18 लाख की वृद्धि की गई है।

20. सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों का विवरण—जारी
I. प्रत्येक वर्ग के प्रतिभूतियों का संस्थावार विवरण—समाप्त

(₹ लाख में)

| (ख) वर्ग : बैंको एवं वित्तीय संस्थाओं को मूलधन एवं ब्याज के भुगतान हेतु गारंटी—समाप्त | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-------------|---|-------------------------------|-----------------|---------------|
| (v) अन्य | | | | | | | | | | |
| क्षेत्र (प्रत्याभूतियों की संख्या कोष्टक में) | 31 मार्च 2020 की स्थिति में प्रत्याभूति की अधिकतम राशि | वर्ष 2019 के प्रारम्भ में बकाया राशि (01.04.2019) | वर्ष के दौरान प्रदत्त प्रत्याभूति | विलोपन की गई प्रत्याभूति (प्रत्याभूति के भुगतान की जाने के अलावा) | वर्ष के दौरान प्रत्याभूति के विरुद्ध भुगतान | | 2020 के अन्त में बकाया राशि (31.03.2020) | प्रत्याभूति कमीशन अथवा फीस | | अन्य विवरण |
| | | | | | उन्मोचित | अनुन्मोचित | | प्राप्य | प्राप्त | |
| छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग मंडल (सी.पी.एच.बी.) (1) | 80,000.00 ¹⁹ | 37,190.53 ²⁰ | 11,168.16 | 642.00 | 0.00 | 0.00 | 47,716.69 | जानकारी अपेक्षित | 0.00 | निरंक |
| दाऊ कल्याण सिंह पोस्ट ग्रज्युएट संस्थान एवं शोध केन्द्र (1) | 6,400.00 | 6,301.13 | 0.00 | 1,464.72 | 0.00 | 0.00 | 4,836.41 | जानकारी अपेक्षित | 0.00 | निरंक |
| बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स, राजनांदगांव (1) | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | निरंक |
| योग—(v) | 86,409.00 | 43,500.66²⁰ | 11,168.16 | 2,106.72 | 0.00 | 0.00 | 52,562.10 | 0.00 | 0.00 | निरंक |
| योग—(ख) | 27,49,479.01 | 11,05,891.07²² | 8,37,240.15 | 1,47,195.28 | 0.00 | 0.00 | 17,95,935.94 | 8,021.23 | 3,471.00 | निरंक |
| योग—(क)+(ख) | 27,99,479.01²¹ | 11,55,891.07²² | 8,37,240.15 | 1,47,195.28 | 0.00 | 0.00 | 18,45,935.94 | 8,021.23 | 3,471.00 | निरंक |

¹⁹ पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 10,000 आवासीय भवनों के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन (सी.पी.एच.सी.एल.) को ₹ 80,000.00 लाख का ऋण दो वित्तीय संस्थानों, इलाहाबाद बैंक से ₹ 40,000.00 लाख एवं केनरा बैंक से ₹ 40,000.00 लाख लेने के लिए प्रत्याभूति प्रदान की। यह राज्य शासन का ऑफ बजट दायित्व है तथा ऋण एवं ब्याज का पुनर्भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जाना है। वर्ष 2019-20 में इस प्रत्याभूति के विरुद्ध इलाहाबाद बैंक से ₹ 5,435.19 लाख एवं केनरा बैंक से ₹ 5,732.97 लाख का ऋण प्राप्त किया गया। अतः ₹ 11,168.16 लाख को "वर्ष के दौरान प्रदत्त प्रत्याभूति" के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

²⁰ संस्थाओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रत्याभूति में ₹ 295.05 लाख की सुधार के कारण कमी हुई है।

²¹ वर्ष के दौरान ₹ 9,80,000.00 लाख की 11 नई प्रत्याभूति जारी की गई तथा ₹ 1,37,800.00 लाख की प्रत्याभूति विलोपित की गई है तथा छत्तीसगढ़ राज्य निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम, रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकतम प्रत्याभूति राशि में ₹ 100.00 लाख की कमी की गई। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया पाद टीप क्रमांक 5 एवं 6 देखें।

²² छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास निगम (₹ 79,244.00 लाख की वृद्धि), छत्तीसगढ़ गृह मंडल (₹ 0.18 लाख की वृद्धि) तथा छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 295.05 लाख की कमी) से जानकारी प्राप्त होने के कारण प्रत्याभूति में ₹ 78,949.13 लाख (निवल) की वृद्धि की गई।

20. सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों का विवरण—जारी
II—प्रत्येक वर्ग के प्रतिभूतियों का संस्थावार विवरण

(₹ लाख में)

| क्षेत्र (प्रत्याभूतियों की संख्या कोष्ठक में) | 31 मार्च 2020 की स्थिति में प्रत्याभूति की अधिकतम राशि | वर्ष 2019 के प्रारम्भ में बकाया राशि (01.04.2019) | वर्ष के दौरान प्रदत्त प्रत्याभूति | विलोपन की गई प्रत्याभूति (प्रत्याभूति के भुगतान की जाने के अलावा) | वर्ष के दौरान प्रत्याभूति के विरुद्ध भुगतान | | 2020 के अन्त में बकाया राशि (31.03.2020) | प्रत्याभूति कमीशन अथवा फीस | | अन्य विवरण |
|--|--|---|-----------------------------------|---|---|-------------|--|----------------------------|-----------------|--------------|
| | | | | | उन्मोचित | अनुन्मोचित | | प्राप्य | प्राप्त | |
| सांविधिक निगमों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी अथवा उगाहे गये ऋण पत्रों के पुनर्भुगतान हेतु दी गई गारंटी (2) | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | निरंक |
| बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को मूलधन के पुनर्भुगतान एवं ब्याज के भुगतान हेतु गारंटी (184) | 27,49,479.01 | 11,05,891.07 ²² | 8,37,240.15 | 1,47,195.28 | 0.00 | 0.00 | 17,95,935.94 | 8,021.23 | 3,471.00 | निरंक |
| योग | 27,99,479.01²¹ | 11,55,891.07²² | 8,37,240.15 | 1,47,195.28 | 0.00 | 0.00 | 18,45,935.94 | 8,021.23 | 3,471.00 | निरंक |

**20. सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों का विवरण—समाप्त
व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ**

1. सांविधिक निगमो, सरकारी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओ, स्थानीय निकायो आदि द्वारा लिए गए कर्जो जैसी देयताएं के शोधन हेतु सरकार द्वारा प्रत्याभूति दी गई है। यह प्रत्याभूतियाँ राज्य के राजस्व पर आकस्मिक दायित्व निर्मित करते हैं।
2. दिनांक 31 मार्च 2020 को प्रत्याभूति की अधिकतम राशि ₹ 27,99,479.01 लाख थी, जिसके विरुद्ध प्राप्त जानकारी अनुसार बकाया प्रत्याभूति की राशि ₹ 18,45,935.94 लाख थी।
3. प्रत्याभूति के ट्रेकिंग का कार्य राज्य शासन के प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग के द्वारा किया जाता है।
4. राज्य शासन द्वारा स्वीकृत अधिकांश प्रत्याभूति मध्यम एवं निम्न जोखिम प्रकृति के होने के कारण छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गारंटी उन्मोचन निधि का गठन नहीं करने का निर्णय लिया गया है तथा संस्थाओं से प्राप्त गारंटी प्रस्तावों के पूर्ण परीक्षण एवं वित्तीय स्थिति के आंकलन के पश्चात ही प्रत्याभूति प्रदाय किया जाता है।
5. वर्ष 2019-20 में प्रत्याभूति के विरुद्ध कोई मांग (invoke) नहीं किया गया है।
6. संविधान के अनुच्छेद 293 के अधीन विधायिका द्वारा बनाया गया छत्तीसगढ़ राज्य सरकार प्रत्याभूति नियम, 2003 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रत्याभूति की सीमा किसी एक वित्तीय वर्ष के लिए गत वित्तीय वर्ष के महालेखाकार लेखे के अनुसार राज्य के राजस्व आय का 70 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। मार्च 2020 के अंत में लंबित प्रत्याभूति राशि ₹ 18,45,935.94 लाख थी जो कि वर्ष 2018-19 के राज्य की राजस्व आय यथा ₹ 29,13,027.49²³ लाख का 63.37 प्रतिशत, थी।
7. वर्ष 2019-20 में शासन द्वारा कोई “लेटर ऑफ कम्फर्ट” जारी नहीं किया गया था।
8. प्रत्याभूति फीस जब तक विशेष रूप से माफ न हो, प्रधान देनदार से वसूली की जाती है। उगाहे गए फीस का आगम सरकार के राजस्व में जमा किया जाता है। वर्ष 2019-20 के दौरान प्रत्याभूति फीस के रूप में कुल ₹ 3,471.00 लाख की वसूली हुई तथा शासकीय लेखे में शीर्ष 0075-108 “प्रत्याभूति फीस” में दर्ज किए गए हैं।
9. छत्तीसगढ़ शासन के बजट अभिलेख (खण्ड-5) में प्रत्याभूति का विवरण दर्शाया जाता है।

²³ वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य का राजस्व प्राप्ति ₹ 29,13,027.49 लाख था जिसमें राज्य के स्वयं के कर राजस्व ₹ 21,42,725.41 लाख एवं करेतर राजस्व ₹ 7,70,302.08 लाख सम्मिलित है।

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखे संब्यवहारों का विस्तृत विवरण

(₹ लाख में)

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को प्रारंभिक शेष | प्राप्तियाँ | संवितरण | 31 मार्च 2020 को अन्तशेष | निवल वृद्धि (+) कमी (-) | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | | राशि | प्रतिशत | |
| ज | आकस्मिकता निधि— | | | | | | |
| 8000 | आकस्मिकता निधि | | | | | | |
| 201 | समेकित निधि से विनियोजन | जमा 9,507.67 | 1,387.23 ¹ | 894.90 | जमा 10,000.00 | (+)492.33 | (+)5.18 |
| योग—8000—आकस्मिकता निधि | | जमा 9,507.67 | 1,387.23 | 894.90 | जमा 10,000.00 | (+)492.33 | (+)5.18 |
| लोक लेखा— | | | | | | | |
| झ | अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि— | | | | | | |
| (*) (ख) | राज्य भविष्य निधि— | | | | | | |
| 8009 | राज्य भविष्य निधि | | | | | | |
| 01 | सिविल | | | | | | |
| 101 | सामान्य भविष्य निधि | जमा 5,90,963.17 | 1,74,386.48 ² | 1,00,865.96 | जमा 6,64,483.69 | (+)73,520.52 | (+)12.44 |
| 102 | अंशदायी भविष्य निधि | जमा 220.37 | (-)2.53 ³ | (-)0.91 ⁴ | जमा 218.75 | (-)1.62 | (-)0.74 |
| 104 | अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि | जमा 4,101.00 | 1,101.73 ⁵ | 1,002.57 | जमा 4,200.16 | (+)99.16 | (+)2.42 |
| योग—01—सिविल | | जमा 5,95,284.54 | 1,75,485.68 | 1,01,867.62 | जमा 6,68,902.60 | (+)73,618.06 | (+)12.37 |
| 60 | अन्य भविष्य निधियाँ | | | | | | |
| 102 | अंशदायी भविष्य पेंशन निधि | जमा 0.64 | 0.00 | 0.00 | जमा 0.64 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | अन्य विविध भविष्य निधि | जमा 0.58 | 0.00 | 0.00 | जमा 0.58 | 0.00 | 0.00 |
| योग—60—अन्य भविष्य निधियाँ | | जमा 1.22 | 0.00 | 0.00 | जमा 1.22 | 0.00 | 0.00 |
| 8009 | राज्य भविष्य निधि | जमा 5,95,285.76 | 1,75,485.68 | 1,01,867.62 | जमा 6,68,903.82 | (+)73,618.06 | (+)12.37 |
| योग—(ख)—राज्य भविष्य निधि | | जमा 5,95,285.76 | 1,75,485.68 | 1,01,867.62 | जमा 6,68,903.82 | (+)73,618.06 | (+)12.37 |

(*) राज्य शासन द्वारा झ—अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि—के अन्तर्गत (क)—राष्ट्रीय अल्प बचत निधि का परिचालन नहीं किया जाता है।

¹ वर्ष 2018-19 में आकस्मिक निधि से ₹ 492.33 लाख का अग्रिम भुगतान की प्रतिपूर्ति सम्मिलित है।

² सामान्य भविष्य निधि शेष पर ब्याज ₹ 52,499.32 लाख सम्मिलित है।

³ अंशदायी भविष्य निधि के अभिदाताओं के अंतिम भुगतान प्रकरण विभागीय भविष्य निधि से किए जाते हैं। अंशदायी भविष्य निधि के अभिदाताओं के कटौती विभागीय भविष्य निधि में स्थानांतरित किये जाने के कारण ऋणात्मक राशि दर्शाई गई है।

⁴ अंशदायी भविष्य निधि के अभिदाताओं के अंतिम भुगतान प्रकरण विभागीय भविष्य निधि से किए जाते हैं। अंशदायी भविष्य निधि के अभिदाताओं के आहरण विभागीय भविष्य निधि में स्थानांतरित किये जाने के कारण ऋणात्मक राशि दर्शाई गई है।

⁵ अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि पर ब्याज की राशि ₹ 347.49 लाख सम्मिलित है।

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखे संव्यवहारों का विस्तृत विवरण—जारी

(₹ लाख में)

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को प्रारंभिक शेष | प्राप्तियाँ | संवितरण | 31 मार्च 2020 को अन्तशेष | निवल वृद्धि (+) कमी (-) | | |
|---|---|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|
| | | | | | राशि | प्रतिशत | |
| लोक लेखा—जारी | | | | | | | |
| झ | अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि—समाप्त | | | | | | |
| (ग) | अन्य लेखे— | | | | | | |
| 8011 | बीमा तथा पेंशन निधि— | | | | | | |
| 107 | राज्य सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना | जमा 87,955.40 | 25,814.74 ⁶ | 20,906.28 | जमा 92,863.86 | (+)4,908.46 | (+)5.58 |
| योग—8011—बीमा तथा पेंशन निधि | | जमा 87,955.40 | 25,814.74 | 20,906.28 | जमा 92,863.86 | (+)4,908.46 | (+)5.58 |
| योग—(ग) अन्य लेखे | | जमा 87,955.40 | 25,814.74 | 20,906.28 | जमा 92,863.86 | (+)4,908.46 | (+)5.58 |
| योग—झ—अल्प बचत भविष्य निधि, आदि | | जमा 6,83,241.16 | 2,01,300.42 | 1,22,773.90 | जमा 7,61,767.68 | (+)78,526.52 | (+)11.49 |
| त्र | आरक्षित निधियाँ— | | | | | | |
| (क) | ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ— | | | | | | |
| 8121 | सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ | | | | | | |
| 122 | राज्य आपदा उन्मोचन निधि | जमा 40,069.78 | 34,372.40 ⁷ | 25,254.00 | जमा 49,188.18 | (+)9,118.40 | (+)22.76 |
| 129 | राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि | 0.00 | 5,89,184.14 ⁸ | 50,000.00 | जमा 5,39,184.14 | 0.00 | 0.00 |
| 129 | राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि—निवेश | 0.00 | 0.00 | 4,78,195.50 | नामे 4,78,195.50 ⁹ | 0.00 | 0.00 |
| योग—129 | | 0.00 | 5,89,184.14 | 5,28,195.50 | जमा 60,988.64 | 0.00 | 0.00 |
| योग—8121—सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ | | जमा 40,069.78 | 6,23,556.54 | 5,53,449.50 | जमा 1,10,176.82 | (+)70,107.04 | (+)174.96 |
| योग—(क)—8121—सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ | | जमा 40,069.78 | 6,23,556.54 | 5,53,449.50 | जमा 1,10,176.82 | (+)70,107.04 | (+)174.96 |
| (ख) | बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ— | | | | | | |
| 8222 | निक्षेप निधि— | | | | | | |
| 01 | ऋण घटाने या उसके परिहार के लिये विनियोजन— | | | | | | |
| 101 | निक्षेप निधि | जमा 2,04,694.00 | 26,500.00 | 0.00 | जमा 2,31,194.00 | (+)26,500.00 | (+)12.95 |
| 02 | निक्षेप निधि—निवेश लेखा | | | | | | |
| 101 | निक्षेप निधि—निवेश खाता | नामे 2,04,694.00 | 0.00 | 26,500.00 | नामे 2,31,194.00 | (+)26,500.00 | (+)12.95 |
| योग—(ख)—8222—निक्षेप निधि | | 0.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

⁶ समूह बीमा योजना के अन्तर्गत ब्याज राशि ₹ 6,649.27 लाख सम्मिलित है।

⁷ मुख्यशीर्ष 2245-05-101 से स्थानांतरित राज्य आपदा उन्मोचन निधि के केन्द्रांश की राशि ₹ 23,565.00 लाख, राज्यांश की राशि ₹ 10,635.00 लाख तथा कोषालय जमा ₹ 172.40 लाख की राशि सम्मिलित है।

⁸ भारत सरकार द्वारा नेशनल कम्पेन्सेटरी एफोरेस्टेशन डिपॉजिट से स्थानांतरित ₹ 5,79,170.20 लाख के कैम्पा फण्ड तथा कैम्पा फण्ड के निवेश से प्राप्त ₹ 8,124.65 लाख सम्मिलित है। इस राशि में कम्पेन्सेटरी एफोरेस्टेशन फण्ड में अनुपयोगी शेष ₹ 1,889.29 लाख सम्मिलित है जिसे राज्य सरकार की सहमति से मुख्यशीर्ष 8229-200-0028 से स्थानांतरित किया गया।

⁹ राज्य सरकार के ₹ 3,80,659.20 लाख एवं ₹ 97,536.30 लाख, क्रमशः 364 दिवस ट्रेजरी बिल्स एवं 182 दिवस ट्रेजरी बिल्स में निवेश किया जाना दर्शाता है।

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखे संव्यवहारों का विस्तृत विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को प्रारंभिक शेष | प्राप्तियाँ | संवितरण | 31 मार्च 2020 को अन्तशेष | निवल वृद्धि (+) कमी (-) | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|----------|
| | | | | | राशि | प्रतिशत | |
| लोक लेखा-जारी | | | | | | | |
| त्र | आरक्षित निधियां-जारी | | | | | | |
| (ख) | बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां-जारी | | | | | | |
| 8223 | अकाल राहत निधि- | | | | | | |
| 101 | अकाल राहत निधि | जमा 401.09 | 4.87 | 0.00 | जमा 405.96 | (+)4.87 | (+)1.21 |
| 102 | अकाल राहत निधि-निवेश लेखा | जमा 460.73 | 0.00 | 0.00 | जमा 460.73 ¹⁰ | 0.00 | 0.00 |
| योग-8223-अकाल राहत निधि | | जमा 861.82 | 4.87 | 0.00 | जमा 866.69 | (+)4.87 | (+)1.21 |
| 8228 | राजस्व आरक्षित निधि- | | | | | | |
| 101 | राजस्व आरक्षित निधि | जमा 462.63 | 0.00 | 0.00 | जमा 462.63 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | राजस्व आरक्षित निधि-निवेश लेखा | नामे 72.75 | 0.00 | 0.00 | नामे 72.75 | 0.00 | 0.00 |
| योग-8228-राजस्व आरक्षित निधि | | जमा 389.88 | 0.00 | 0.00 | जमा 389.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8229 | विकास तथा कल्याण निधि- | | | | | | |
| 101 | शिक्षा प्रयोजनों के लिये विकास निधि- | जमा 2.94 | 0.00 | 0.00 | जमा 2.94 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | कृषि प्रयोजनों के लिये विकास निधि- | | | | | | |
| | निधि लेखा | जमा 6.06 | 0.00 | 0.00 | जमा 6.06 | 0.00 | 0.00 |
| | निवेश लेखा | नामे 5.16 | 0.00 | 0.00 | नामे 5.16 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | विद्युत विकास निधि | जमा 2,898.72 | 23,000.00 | 20,111.20 | जमा 5,787.52 | (+)2,888.80 | (+)99.66 |
| 200 | अन्य विकास तथा कल्याण निधि | जमा 1,35,548.52 ¹¹ | 27,723.20 ¹² | 19,799.82 ¹³ | जमा 1,43,471.90 | (+)7,923.38 | (+)5.85 |
| 200 | अन्य विकास तथा कल्याण निधि-निवेश-लेखा | नामे 14,220.45 | 0.00 | 0.00 | नामे 14,220.45 ¹⁴ | 0.00 | 0.00 |
| योग-200 | | जमा 1,21,328.08 | 27,723.20 | 19,799.82 | जमा 1,29,251.46 | (+)7,923.38 | (-)6.53 |
| योग-8229-विकास तथा कल्याण निधि | | जमा 1,24,230.64 | 50,723.20 | 39,911.02 | जमा 1,35,042.82 | (+)10,812.18 | (+)8.70 |

¹⁰ जमा शेष पूनर्मिलान के अधीन है।¹¹ पूर्णांक में सुधार के कारण ₹ 0.01 करोड़ की कमी की गई।¹² ग्रामीण विकास निधि (₹ 5,090.43 लाख), वन विकास निधि (₹ 521.27 लाख), पंचायत भू-राजस्व उपकर एवं स्टाम्प ड्यूटी निधि (₹ 11,945.02 लाख), अधोसंरचना विकास उपकर निधि (₹ 7,338.57 लाख), पेंशन निधि (₹ 2,200.00 लाख) एवं खनिज विकास निधि (₹ 627.91 लाख) में अंशदान सम्मिलित है।¹³ ₹ 427.20 लाख, ₹ 5,544.30 लाख, ₹ 7,403.96 लाख एवं ₹ 4,535.07 लाख का व्यय क्रमशः वन विकास निधि, पंचायत भू-राजस्व उपकर एवं स्टाम्प ड्यूटी निधि, अधोसंरचना विकास उपकर निधि एवं खनिज विकास निधि से प्रतिपूर्ति किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के सहमति से क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि का अनुपयोगी शेष ₹ 1,889.29 लाख मुख्य शीर्ष 8121-129 को स्थानंतरित किया गया है।¹⁴ राज्य शासन द्वारा "खनिज विकास निधि" से संयुक्त उद्यम कंपनी "छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड", "छत्तीसगढ़ रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड" एवं "छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड" के अंशपूंजी में निवेश किया गया है।

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखे संव्यवहारों का विस्तृत विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को प्रारंभिक शेष | प्राप्तियाँ | संवितरण | 31 मार्च 2020 को अन्तशेष | निवल वृद्धि (+) कमी (-) | | |
|---|---|------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|-----------|
| | | | | | राशि | प्रतिशत | |
| लोक लेखा-जारी | | | | | | | |
| त्र | आरक्षित निधियां-समाप्त | | | | | | |
| (ख) | बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां-समाप्त | | | | | | |
| 8235 | सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधि- | | | | | | |
| 200 | अन्य निधियां | जमा 1.09 | 0.00 | 0.00 | जमा 1.09 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | अन्य निधियां-निवेश लेखा | नामे 0.29 | 0.00 | 0.00 | नामे 0.29 | 0.00 | 0.00 |
| योग-8235-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधि | | जमा 0.80 | 0.00 | 0.00 | जमा 0.80 | 0.00 | 0.00 |
| योग-(ख)-बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां | | जमा 1,25,483.14 | 77,228.07 | 66,411.02 | जमा 1,36,300.19 | (+)10,817.05 | (+)1.68 |
| योग-त्र-आरक्षित निधि | | जमा 3,84,084.83 | 7,00,784.61 | 1,15,165.02 | जमा 9,69,704.42 ¹⁵ | (+)5,85,619.59 | (+)152.47 |
| आरक्षित निधि निवेश लेखा | | नामे 2,18,531.92 | 0.00 | 5,04,695.50 | नामे 7,23,227.42 ¹⁶ | (+)5,04,695.50 | (+)230.95 |
| ट | जमा तथा अग्रिम- | | | | | | |
| (क) | ब्याज वाली जमा- | | | | | | |
| 8342 | अन्य जमा- | | | | | | |
| 103 | "सरकारी कम्पनियों" निगमों आदि की जमा | जमा 0.24 | 0.00 | 0.00 | जमा 0.24 | 0.00 | 0.00 |
| 107 | सम्पदा शुल्क की अदायगी के लिए जमा | जमा 0.01 | 0.00 | 0.00 | जमा 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 117 | सरकारी कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना | जमा 2,241.36 | 1,06,370.33 | 1,06,028.74 | जमा 2,582.95 | (+)341.59 | (+)15.24 |
| 120 | विविध जमा | जमा 2,048.79 | 625.56 ¹⁷ | 1,528.77 | जमा 1,145.58 | (-)903.21 | (-)44.08 |
| योग-8342-अन्य जमा | | जमा 4,290.40 | 1,06,995.89 | 1,07,557.51 | जमा 3,728.78 | (-)561.62 | (-)13.10 |
| योग-(क)-ब्याज वाली जमा | | जमा 4,290.40 | 1,06,995.89 | 1,07,557.51 | जमा 3,728.78 | (-)561.62 | (-)13.10 |
| (ख) | बिना ब्याज वाली जमा- | | | | | | |
| 8443 | सिविल जमा- | | | | | | |
| 101 | राजस्व जमा | जमा 10,460.05 | 1,103.72 | 580.59 | जमा 10,983.18 | (+)523.13 | (+)5.00 |

¹⁵ ब्याज वाली आरक्षित निधियां ₹ 5,88,372.32 लाख एवं बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां ₹ 3,81,332.10 लाख के सकल शेष सम्मिलित है।

¹⁶ भारत सरकार की प्रतिभूति तथा ट्रेजरी बिल्स में निवेशित ₹ 7,09,006.67 लाख एवं संयुक्त उद्यम कंपनी की अंशपूंजी में निवेशित ₹ 14,220.45 लाख सम्मिलित है।

¹⁷ इसमें परिवार कल्याण निधि की ₹ 311.77 लाख की ब्याज राशि सम्मिलित है।

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखे संव्यवहारों का विस्तृत विवरण—जारी

(₹ लाख में)

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को प्रारंभिक शेष | प्राप्तियाँ | संवितरण | 31 मार्च 2020 को अन्तशेष | निवल वृद्धि (+) कमी (-) | | |
|--|--|------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| | | | | | राशि | प्रतिशत | |
| लोक लेखा—जारी | | | | | | | |
| ट | जमा तथा अग्रिम—जारी | | | | | | |
| (ख) | बिना ब्याज वाली जमा—जारी | | | | | | |
| 8443 | सिविल जमा—समाप्त | | | | | | |
| 102 | सीमा-शुल्क तथा अफीम जमा | जमा 2.21 | 0.00 | 0.00 | जमा 2.21 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | प्रतिभूति जमा | जमा 14,370.02 | 3,859.85 | 5,070.87 | जमा 13,159.00 | (-)1,211.02 | (-)8.43 |
| 104 | सिविल न्यायालय जमा | जमा 2,020.16 | 2,260.49 | 2,088.34 | जमा 2,192.31 | (+)172.15 | (+)8.52 |
| 105 | आपराधिक न्यायालय जमा | जमा 0.42 | 0.00 | 0.00 | जमा 0.42 | 0.00 | 0.00 |
| 106 | व्यक्तिगत जमा | जमा 1,89,110.28 | 27,205.37 | 57,788.97 | जमा 1,58,526.68 | (-)30,583.60 | (-)16.17 |
| 108 | लोक निर्माण कार्य जमा | जमा 2,38,879.70 | 1,24,581.65 | 1,43,611.93 | जमा 2,19,849.42 | (-)19,030.28 | (-)7.97 |
| 109 | वन जमा | जमा 11,384.91 | 3,838.70 | 4,321.91 | जमा 10,901.70 | (-)483.21 | (-)4.24 |
| 110 | पुलिस निधि का जमा | जमा 1.87 | 0.00 | 0.00 | जमा 1.87 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | अन्य विभागीय जमा | जमा 31,826.54 | 24,593.65 | 27,428.50 | जमा 28,991.69 | (-)2,834.85 | (-)8.91 |
| 116 | विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य अधिनियमों के अधीन जमा | जमा 2,250.98 | 535.95 | 103.95 | जमा 2,682.98 | (+)432.00 | (+)19.19 |
| 117 | सार्वजनिक निकायों या निजी व्यक्तियों के लिये किए गए कार्य के लिए जमा | जमा 2,075.63 | 2,089.46 | 2,329.68 | जमा 1,835.41 | (-)240.22 | (-)11.57 |
| 121 | चुनावों के संबंध में जमा | जमा 114.07 | 0.00 | 0.54 | जमा 113.53 | (-)0.54 | (-)0.47 |
| 123 | शैक्षणिक संस्थाओं की जमा | जमा 5,885.98 | 1,841.22 | 1,214.47 | जमा 6,512.73 | (+)626.75 | (+)10.65 |
| 800 | अन्य जमा | जमा 87,927.89 | 3,627.39 | 2,841.14 | जमा 88,714.14 | (+)786.25 | (+)0.89 |
| योग—8443—सिविल जमा | | जमा 5,96,310.71 | 1,95,537.45 | 2,47,380.89 | जमा 5,44,467.27 | (-)51,843.04 | (-)8.69 |
| 8448 | स्थानीय निधियों की जमा— | | | | | | |
| 102 | नगरपालिका संबंधी निधियाँ | जमा 0.33 | 0.00 | 0.00 | जमा 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 109 | पंचायत निकाय निधियाँ | जमा 18.26 | 0.00 | 0.00 | जमा 18.26 | 0.00 | 0.00 |
| 120 | अन्य निधियाँ | जमा 0.09 | 0.00 | 0.00 | जमा 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| योग—8448—स्थानीय निधियों की जमा | | जमा 18.68 | 0.00 | 0.00 | जमा 18.68 | 0.00 | 0.00 |

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखे संव्यवहारों का विस्तृत विवरण—जारी

(₹ लाख में)

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को प्रारंभिक शेष | प्राप्तियाँ | संवितरण | 31 मार्च 2020 को अन्तशेष | निवल वृद्धि (+) कमी (-) | | |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | | राशि | प्रतिशत | |
| लोक लेखा—जारी | | | | | | | |
| ट | जमा तथा अग्रिम—समाप्त | | | | | | |
| (ख) | बिना ब्याज वाली जमा—समाप्त | | | | | | |
| 8449 | अन्य जमा— | | | | | | |
| 103 | केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान | जमा 0.14 | 19,854.70 | 19,854.70 | जमा 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 105 | बाजार कर्ज की जमा राशि | जमा 0.62 | 0.00 | 0.00 | जमा 0.62 | 0.00 | 0.00 |
| 120 | विविध जमा | जमा 114.19 | 0.00 | 0.00 | जमा 114.19 | 0.00 | 0.00 |
| 123 | राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट | जमा 0.00 | 8,946.29 | 8,946.29 | जमा 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| योग—8449—अन्य जमा | | जमा 114.95 | 28,800.99 | 28,800.99 | जमा 114.95 | 0.00 | 0.00 |
| योग—(ख)—बिना ब्याज वाली जमा | | जमा 5,96,444.34 | 2,24,338.44 | 2,76,181.88 | जमा 5,44,600.90 | (-)51,843.44 | (-)8.69 |
| (ग) | पेशगियां— | | | | | | |
| 8550 | सिविल अग्रिम— | | | | | | |
| 101 | वन अग्रिम | नामे 41.58 | 51,019.29 | 51,028.64 | नामे 50.93 | (+)9.35 | (+)22.49 |
| 103 | अन्य विभागीय अग्रिम | नामे 5.18 | 0.00 | 0.00 | नामे 5.18 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | अन्य अग्रिम | नामे 127.82 | 0.00 | 0.00 | नामे 127.82 | 0.00 | 0.00 |
| योग—8550—सिविल अग्रिम | | नामे 174.58 | 51,019.29 | 51,028.64 | नामे 183.93 | (+)9.35 | (+)22.49 |
| योग—(ग)—अग्रिम | | नामे 174.58 | 51,019.29 | 51,028.64 | नामे 183.93 | (+)9.35 | (+)22.49 |
| योग—ट—जमा तथा अग्रिम | | जमा 6,00,560.16 | 3,82,353.62 | 4,34,768.03 | जमा 5,48,145.75 | (-)52,414.41 | (-)8.73 |
| ठ | उचंत तथा विविध— | | | | | | |
| (ख) | उचंत लेखा | | | | | | |
| 8658 | उचंत लेखा— | | | | | | |
| 101 | वेतन तथा लेखा कार्यालय उचंत | नामे 3,372.11 | 66.49 | 1,478.56 | नामे 4,784.18 | (+)1,412.07 | (+)41.87 |
| 102 | उचंत लेखे (सिविल) | नामे 3,226.98 | (-)0.06 ¹⁸ | (-)162.94 ¹⁹ | नामे 3,064.10 | (-)162.88 | (-)5.04 |
| 109 | रिजर्व बैंक उचंत (मुख्यालय) | जमा 40.40 | 258.54 | 233.72 | जमा 65.22 | (+)24.82 | (+)61.43 |

¹⁸ निराकरण से अधिक वृद्धि होने के कारण ऋणात्मक आंकड़े हैं। वर्ष 2019-20 में वृद्धि ₹ 118.55 लाख एवं निराकरण ₹ 118.49 लाख था।

¹⁹ वृद्धि से अधिक निराकरण होने के कारण ऋणात्मक आंकड़े हैं। वर्ष 2019-20 में निराकरण ₹ 971.56 लाख एवं वृद्धि ₹ 808.62 लाख था।

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखे संव्यवहारों का विस्तृत विवरण—जारी

(₹ लाख में)

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को प्रारंभिक शेष | प्राप्तियाँ | संवितरण | 31 मार्च 2020 को अन्तशेष | निवल वृद्धि (+) कमी (-) | | |
|----------------------|---|---------------|--------------|--------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| | | | | | राशि | प्रतिशत | |
| लोक लेखा—जारी | | | | | | | |
| ठ | उचंत तथा विविध—जारी | | | | | | |
| (ख) | उचंत लेखा—समाप्त | | | | | | |
| 8658 | उचंत लेखा—समाप्त | | | | | | |
| 110 | रिजर्व बैंक उचंत—केन्द्रीय लेखा कार्यालय | नामे 172.47 | 1.40 | 184.94 | नामे 356.01 | (+)183.54 | (+)106.42 |
| 112 | स्रोत पर कर कटौती उचंत | जमा 6,507.82 | 602.21 | 0.00 | जमा 7,110.03 ²⁰ | (+)602.21 | (+)9.25 |
| 113 | भविष्य निधि उचंत | नामे 4,607.99 | 0.00 | (-)172.98 ²¹ | नामे 4,435.01 | (-)172.98 | (-)3.75 |
| 123 | अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की समूह बीमा योजना | जमा 16.08 | 34.43 | 31.01 | जमा 19.50 | (+)3.42 | (+)21.27 |
| 129 | सामग्री क्रय परिनिर्धारण उचंत लेखा | जमा 8,411.27 | 0.00 | 0.47 | जमा 8,410.80 | (+)0.47 | (+)0.01 |
| योग—8658—उचंत लेखा | | जमा 3,596.02 | 963.01 | 1,592.78 | जमा 2,966.25 | (-)629.77 | (-)17.51 |
| योग—(ख) उचंत लेखा | | जमा 3,596.02 | 963.01 | 1,592.78 | जमा 2,966.25 | (-)629.77 | (-)17.51 |
| (ग) | अन्य लेखे— | | | | | | |
| 8670 | चैक तथा बिल | | | | | | |
| 103 | विभागीय चैक | जमा 2,533.78 | 41,380.22 | 41,398.29 | जमा 2,515.71 | (-)18.07 | (-)0.71 |
| 104 | कोषालय चैक | जमा 3,548.13 | 67,63,181.94 | 67,63,260.50 | जमा 3,469.57 | (-)78.56 | (-)2.21 |
| योग—8670—चैक तथा बिल | | जमा 6,081.91 | 68,04,562.16 | 68,04,658.79 | जमा 5,985.28 | (-)96.63 | (-)1.59 |
| 8671 | विभागीय शेष— | | | | | | |
| 101 | सिविल | नामे 1,249.37 | 288.35 | 255.91 | नामे 1,216.93 | (-)32.44 | (-)2.60 |
| योग—8671—विभागीय शेष | | नामे 1,249.37 | 288.35 | 255.91 | नामे 1,216.93 | (-)32.44 | (-)2.60 |

²⁰ वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 6,723.50 लाख का बैंकर्स चैक क्षेत्रीय लेखा अधिकारी, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, रायपुर को प्रेषण किया गया।

²¹ निराकरण से अधिक वृद्धि होने के कारण ऋणात्मक आंकड़े हैं। वर्ष 2019-20 में वृद्धि ₹ 80.87 लाख एवं निराकरण ₹ 253.85 लाख था।

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखे संव्यवहारों का विस्तृत विवरण—जारी

(₹ लाख में)

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को प्रारंभिक शेष | प्राप्तियाँ | संवितरण | 31 मार्च 2020 को अन्तशेष | निवल वृद्धि (+) कमी (-) | | |
|-------------------------------|--|--------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|----------------|----------|
| | | | | | राशि | प्रतिशत | |
| लोक लेखा—जारी | | | | | | | |
| ठ | उचंत तथा विविध—समाप्त | | | | | | |
| (ग) | अन्य लेखे—समाप्त | | | | | | |
| 8672 | स्थाई रोकड़ अग्रदाय— | | | | | | |
| 101 | सिविल | नामे 33.57 | 0.00 | 0.00 | नामे 33.57 | 0.00 | 0.00 |
| योग—8672—स्थाई रोकड़ अग्रदाय | | नामे 33.57 | 0.00 | 0.00 | नामे 33.57 | 0.00 | 0.00 |
| 8673 | रोकड़ शेष निवेश लेखा— | | | | | | |
| 101 | रोकड़ शेष निवेश लेखा | नामे 9,75,901.66 | 84,29,936.03 | 79,78,715.51 | नामे 5,24,681.14 | (-)4,51,220.52 | (-)46.24 |
| योग—8673—रोकड़ शेष निवेश लेखा | | नामे 9,75,901.66 | 84,29,936.03 | 79,78,715.51 | नामे 5,24,681.14 | (-)4,51,220.52 | (-)46.24 |
| योग—(ग)—अन्य लेखे | | नामे 9,71,102.69 | 1,52,34,786.54 | 1,47,83,630.21 | नामे 5,19,946.36 | (-)4,51,156.33 | (-)46.24 |
| (ड) | विविध ²² | | | | | | |
| 8680 | विविध सरकारी लेखा | | | | | | |
| 102 | शेष संवृत्त करने के लिए लेखा शीर्ष से बट्टे खाते में डालना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| योग—8680—विविध सरकारी लेखा | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| योग—ठ—उचंत तथा विविध | | नामे 9,67,506.67 ²³ | 1,52,35,749.55 | 1,47,85,222.99 | नामे 5,16,980.11 | (-)4,50,526.56 | (+)46.57 |
| (ड) | प्रेषण— | | | | | | |
| (क) | धनादेश तथा अन्य प्रेषण— | | | | | | |
| 8782 | उसी लेखा अधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारियों के बीच नगद प्रेषण तथा समायोजन | | | | | | |
| 102 | लोक निर्माण प्रेषण | नामे 10,320.82 | 7,28,888.33 | 7,21,807.25 | नामे 3,239.74 | (-)7,081.08 | (-)68.61 |
| 103 | वन प्रेषण | नामे 3,260.88 | 1,47,939.31 | 1,47,754.82 | नामे 3,076.39 | (-)184.49 | (-)5.66 |
| 108 | अन्य विभागीय प्रेषण | जमा 5,106.05 | 0.00 | 0.00 | जमा 5,106.05 | 0.00 | 0.00 |

²² क्षेत्र (घ) "विदेशी सरकारों के साथ खोले गये लेखे" के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष 8679 में कोई भी संव्यवहार दर्ज नहीं किया गया है।

²³ ₹ 0.75 लाख वृद्धि की गई। 'ठ—उचंत तथा विविध' में अंत शेष ₹ 9,67,506.67 लाख के स्थान ₹ 9,67,505.92 लाख त्रुटिपूर्ण दर्शाया गया था।

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखे संव्यवहारों का विस्तृत विवरण—जारी

(₹ लाख में)

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को प्रारंभिक शेष | प्राप्तियाँ | संवितरण | 31 मार्च 2020 को अन्तशेष | निवल वृद्धि (+) कमी (-) | | |
|---|---|-------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|----------------|-----------|
| | | | | | राशि | प्रतिशत | |
| लोक लेखा—समाप्त | | | | | | | |
| (ड) | प्रेषण—समाप्त | | | | | | |
| (क) | धनादेश तथा अन्य प्रेषण—समाप्त | | | | | | |
| 8782 | उसी लेखा अधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारियों के बीच नगद प्रेषण तथा समायोजन—समाप्त | | | | | | |
| 110 | विविध प्रेषण | नामे 21,314.04 | 24,242.49 | 22,166.57 | नामे 19,238.12 | (-)2,075.72 | (-)9.74 |
| योग—8782—उसी लेखा अधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारियों के बीच नगद प्रेषण तथा समायोजन | | नामे 29,789.69 | 9,01,070.13 | 8,91,728.64 | नामे 20,448.20 | (-)9,341.39 | (-)31.36 |
| योग—(क)—धनादेश तथा अन्य प्रेषण | | नामे 29,789.69 | 9,01,070.13 | 8,91,728.64 | नामे 20,448.20 | (-)9,341.39 | (-)31.36 |
| (ख) | अंतःसरकार समायोजन लेखे | | | | | | |
| 8793 | अंतर्राज्यीय उचंत लेखा | नामे 6,119.49 | 0.24 | 1,262.43 | नामे 7,381.68 | (+)1,262.19 | (+)20.63 |
| योग—8793 | | नामे 6,119.49 | 0.24 | 1,262.43 | नामे 7,381.68 | (+)1,262.19 | (+)20.63 |
| योग—(ख)—अंतःसरकार समायोजन लेखे | | नामे 6,119.49 | 0.24 | 1,262.43 | नामे 7,381.68 | (+)1,262.19 | (+)20.63 |
| योग—(ड)—प्रेषण | | नामे 35,909.18 | 9,01,070.37 | 8,92,991.07 | नामे 27,829.88 | (-)8,079.30 | (+)22.50 |
| योग—लोक लेखे | | जमा 4,45,938.38 ²⁴ | 1,74,21,258.57 | 1,68,55,616.51 | जमा 10,11,580.44 | (+)5,65,642.06 | (+)125.41 |

रोकड़ शेष की जानकारी

(₹ लाख में)

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को प्रारंभिक शेष | 31 मार्च 2020 को अन्तशेष | निवल वृद्धि (+) कमी (-) | | |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|-----------|
| | | | राशि | प्रतिशत | |
| ढ | रोकड़ शेष — | | | | |
| 8999 | रोकड़ शेष | | | | |
| 102 | रिजर्व बैंक में जमा | (+)32,072.25 | (-)1,09,498.39 ²⁵ | (-)77,426.14 | (-)241.41 |
| योग—ढ—रोकड़ शेष | | (+)32,072.25 | (-)1,09,498.39 | (-)77,426.14 | (-)241.41 |

²⁴ ₹ 0.76 लाख कमी की गई। 31 मार्च 2019 को लोक लेखे का अंतशेष ₹ 4,45,938.39 लाख के स्थान पर ₹ 4,45,939.14 लाख त्रुटिपूर्वक दर्शाये जाने के कारण लोक लेखे के प्रारंभिक शेष में ₹ 0.75 लाख की कमी की गई। इसके अतिरिक्त पूर्णांक में सुधार के कारण प्रारंभिक शेष में ₹ 0.01 लाख कमी की गई।

²⁵ मार्च 2020 के लेखे बन्द किये जाने पर लेखे में दर्शाए आंकड़ों ₹ 1,09,498.39 लाख (जमा) तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित रोकड़ शेष में ₹ 1,08,602.94 लाख (नामे) के मध्य ₹ 895.45 लाख (जमा) का अंतर, है। अंतर मुख्यतः एजन्सी बैंक द्वारा त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग के कारण जो पुनर्मिलान के अधीन है।

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखे संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण—जारी
विवरण 21 का अनुलग्नक
उचंत शेष एवं प्रेषण शेष का विश्लेषण

(₹ लाख में)

| स.क्रं. | लेखा शीर्ष /मंत्रालय/ विभाग जहां लंबित है | 31 मार्च 2020 को शेष | | लेन-देन का प्रकार संक्षेप में | पूर्व के वर्ष जबसे लंबित है | लंबित शेष का रोकड़ शेष पर प्रभाव |
|----------------|--|----------------------|-----------------|-------------------------------|--|--|
| | | नामे | जमा | | | |
| 1 | 8658—उचंत लेखा | | | | | |
| (i) | 101—भुगतान एवं लेखा कार्यालय उचंत | | | | | |
| (क) | भूतल परिवहन एवं राजमार्ग का मंत्रालय, भारत सरकार | छत्तीसगढ़ | 3,148.70 | 0.13 | राष्ट्रीय राजमार्ग का भूतल मंत्रालय से संबंधित दावा लंबित है | 2010—11 से निराकरण होने पर रोकड़ शेष में वृद्धि होगी। |
| (ख) | आर्थिक मामले का विभाग वित्त मंत्रालय, भारत सरकार | छत्तीसगढ़ | 337.98 | 0.00 | केन्द्र सरकार के प्रतिभूति के ब्याज अधिपत्र के प्रतिपूर्ति लम्बित है | 2000—01 के पश्चात निराकरण होने पर रोकड़ शेष में वृद्धि होगी। |
| (ग) | विधि एवं विधायी का मंत्रालय, भारत सरकार | छत्तीसगढ़ | 0.00 | 5.40 | उच्च न्यायलय के न्यायधीशों का सामान्य भविष्य निधि कटौती | 2019—20 से निराकरण होने पर रोकड़ शेष में कमी होगी। |
| (घ) | केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय | छत्तीसगढ़ | 3,247.84 | 0.00 | अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को राज्य शासन द्वारा प्रथमतः प्रदत्त पेंशन का सारांशिकृत मूल्य एवं उपदान की प्रतिपूर्ति लंबित है | 2018—19 से निराकरण होने पर रोकड़ शेष में वृद्धि होगी। |
| (ङ) | वेतन एवं लेखा अधिकारी, इस्पात एवं खनन मंत्रालय | छत्तीसगढ़ | 0.00 | 1,944.79 | रायल्टी का 2 प्रतिशत भुगतान खनन पट्टे के एवं पूर्वक्षण लाइसेंस सह खनन पट्टे को धारकों द्वारा राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट को किया जाना है | 2019—20 निराकरण होने पर रोकड़ शेष में कमी होगी। |
| कुल—101 | | | 6,734.52 | 1,950.32 | | |
| (ii) | 102—उचंत लेखे—सिविल | | | | | |
| (क) | कोषालय उचंत | छत्तीसगढ़ | 47.83 | 0.00 | भुगतान एवं प्रमाणक की सूची के मध्य अंतर या रोकड़ लेखा एवं प्राप्ति का प्रमाणक में अंतर | 2000—01 रोकड़ शेष अप्रभावित रहेगा। |

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखे संब्यवहारों पर विस्तृत विवरण—जारी
विवरण 21 का अनुलग्नक—जारी
उचंत शेष एवं प्रेषण शेष का विश्लेषण

(₹ लाख में)

| स.क्रं. | लेखा शीर्ष /मंत्रालय/ विभाग जहां लंबित है | 31 मार्च 2020 को शेष | | लेन-देन का प्रकार संक्षेप में | पूर्व के वर्ष जबसे लंबित है | लंबित शेष का रोकड़ शेष पर प्रभाव | |
|----------------|---|----------------------|-----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|--|
| | | नामे | जमा | | | | |
| 1 | 8658—उचंत लेखा | | | | | | |
| (ii) | 102—उचंत लेखे सिविल | | | | | | |
| (ख) | आपत्ति पुस्तिका उचंत | छत्तीसगढ़ | 3,018.63 | 0.00 | कोषालय द्वारा प्रमाणक अप्राप्त की स्थिति में | 2000—01 के पश्चात | रोकड़ शेष अप्रभावित रहेगा। |
| (ग) | दक्षिण पूर्व रेल्वे | छत्तीसगढ़ | 5.38 | 0.00 | रेल्वे पेंशनरों को राज्य शासन द्वारा प्रथमतः भुगतान किये गए पेंशन का समाशोधन | 2015—16 | निराकरण होने पर रोकड़ शेष में वृद्धि होगी। |
| (घ) | अन्य विविध मदे | छत्तीसगढ़ | 0.00 | 16.62 | .. | 2000—01 पश्चात | .. |
| (ङ) | अग्रिम पेंशन भुगतान | छत्तीसगढ़ | 9.12 | 0.00 | कोषालय द्वारा पेंशन का भुगतान | .. | रोकड़ शेष अप्रभावित रहेगा। |
| कुल—102 | | | 3,080.96 | 16.62 | | | |
| (iii) | 8658—109—रिजर्व बैंक उचंत मुख्यालय | छत्तीसगढ़ | 2.86 | 68.08 | मंत्रालयो/विभागो से दावो का समाशोधन किया जाना है | 2019—20 | निराकरण करने पर रोकड़ शेष में वृद्धि होगी। |
| (iv) | 8658—110—रिजर्व बैंक उचंत—केन्द्रीय लेखा कार्यालय | छत्तीसगढ़ | 357.41 | 1.40 | मंत्रालयो/विभागो से दावो का समाशोधन | 2019—20 | रोकड़ शेष अप्रभावित रहेगा। |
| (v) | 8658—112—स्रोत पर कर | छत्तीसगढ़ | 0.00 | 6,728.18 | स्रोत पर काटे गये आयकर को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को देय | 2018—19 | निराकरण करने पर रोकड़ शेष में कमी होगी |
| | | मध्य प्रदेश | 0.00 | 381.85 | | | |
| (vi) | 8658—113—भविष्य निधि उचंत | छत्तीसगढ़ | 4,434.99 | 0.00 | सहसाक्ष्य के आधार पर अभिदाताओ के खातो में सामान्य भविष्य निधि कटौतों का समायोजन | 2000—01 के पूर्व से | रोकड़ शेष अप्रभावित रहेगा। |

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखे संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण—जारी
विवरण 21 का अनुलग्नक—जारी
उचंत शेष एवं प्रेषण शेष का विश्लेषण

(₹ लाख में)

| स.क्रं. | लेखा शीर्ष / मंत्रालय / विभाग जहां लंबित है | 31 मार्च 2020 को शेष | | लेन-देन का प्रकार संक्षेप में | पूर्व के वर्ष जबसे लंबित है | लंबित शेष का रोकड़ शेष पर प्रभाव | |
|-----------------|--|---------------------------|------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|--|
| | | नाम | जमा | | | | |
| 1 | 8658—उचंत लेखा | | | | | | |
| (vii) | 8658—123—अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों समूह बीमा योजना | छत्तीसगढ़ | 0.00 | 19.49 | अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों द्वारा समूह बीमा योजना में अशंदान | 2000—01 | निराकरण करने पर रोकड़ शेष में कमी होगी |
| (viii) | 8658—129—सामग्री क्रय समाशोधन लेखा | मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ | 0.00 | 8,410.79 | एक संभाग से दूसरे संभाग या विभाग के मध्य क्रय अथवा स्थानान्तरित किये गये सामग्री का समाशोधन | 2000—01 के पूर्व से | रोकड़ शेष अप्रभावित रहेगा। |
| कुल—8658 | | | 14,610.74 | 17,576.73 | | | |
| 2 | 8782—उसी लेखा अधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारियों के बीच नगद प्रेषण तथा समायोजन | | | | | | |
| (i) | 102—लोक निर्माण प्रेषण | | | | | | |
| (क) | 0077—कोषालयों को प्रेषण | छत्तीसगढ़ | 7,483.08 | 0.00 | लोक निर्माण संभागों द्वारा कोषालय में जमा राशि, लोक निर्माण अधिकारियों द्वारा जारी धनादेश का समाशोधन | 2000—01 के पश्चात | निराकरण होने पर रोकड़ शेष में वृद्धि होगी। |
| (ख) | 0078—लोक निर्माण धनादेश | छत्तीसगढ़ | 0.00 | 3,330.46 | | 2000—01 के पश्चात | निराकरण होने पर रोकड़ शेष में कमी होगी। |
| (ग) | 0080—लोक निर्माण अधिकारियों के मध्य स्थानान्तरण | छत्तीसगढ़ | 0.00 | 912.88 | | 2000—01 के पश्चात | रोकड़ शेष अप्रभावित रहेगा। |
| कुल—102 | | | 7,483.08 | 4,243.34 | | | |
| (ii) | 103—वन प्रेषण | | | | | | |
| (क) | 01—कोषालयों को प्रेषण | छत्तीसगढ़ | 3,620.10 | 0.00 | वन मण्डलों द्वारा प्राप्त राजस्व को बैंको में जमा, वन अधिकारियों द्वारा जारी धनादेश इत्यादि | 2000—01 के पश्चात | निराकरण होने पर रोकड़ शेष में वृद्धि होगी। |
| (ख) | 02—वन विभाग धनादेश | छत्तीसगढ़ | 0.00 | 543.71 | | 2000—01 के पश्चात | निराकरण होने पर रोकड़ शेष में कमी होगी। |
| कुल—103 | | | 3,620.10 | 543.71 | | | |

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखे संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण—समाप्त
विवरण 21 का अनुलग्नक—समाप्त
उचत शेष एवं प्रेषण शेष का विश्लेषण

(₹ लाख में)

| स.क्रं. | लेखा शीर्ष / मंत्रालय / विभाग जहां लंबित है | 31 मार्च 2020 को शेष | | लेन-देन का प्रकार संक्षेप में | पूर्व के वर्ष जबसे लंबित है | लंबित शेष का रोकड़ शेष पर प्रभाव | |
|----------|---|----------------------|-----------|-------------------------------|---|--|-------------------|
| | | नामे | जमा | | | | |
| 2 | 8782—उसी लेखा अधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारियों के बीच नगद प्रेषण तथा समायोजन | | | | | | |
| (iii) | 108—अन्य विभागीय प्रेषण | | | | | | |
| (क) | मिलिटरी सचिवालय प्रेषण | छत्तीसगढ़ | 0.00 | 113.07 | ग्रामीण यांत्रिकी संभाग द्वारा कोषालय में जमा | निराकरण होने पर रोकड़ शेष में कमी होगी। | |
| (ख) | ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं | मध्य प्रदेश | 0.00 | 3,372.81 | | | 2000-01 के पश्चात |
| | | छत्तीसगढ़ | 0.00 | 1,620.17 | | | 2000-01 के पूर्व |
| कुल—108 | | | 0.00 | 5,106.05 | 2000-01 के पश्चात | | |
| (iv) | 110—विविध प्रेषण | | | | | | |
| (क) | अंतः संभाग | मध्य प्रदेश | 0.22 | 0.00 | ग्रामीण यांत्रिकी संभाग द्वारा कोषालय में जमा | निराकरण होने पर रोकड़ शेष में वृद्धि होगी। | |
| (ख) | ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं— कोषालयों को प्रेषण | मध्य प्रदेश | 6,247.41 | 0.00 | | | 2000-01 के पूर्व |
| | | छत्तीसगढ़ | 12,990.49 | 0.00 | | | 2000-01 के पूर्व |
| कुल—110 | | | 19,238.12 | 0.00 | 2000-01 के पश्चात | | |
| कुल—8782 | | | 30,341.30 | 9,893.10 | | | |

22. उद्दिष्ट निधियों के निवेश का विस्तृत विवरण

(₹ लाख में)

| आरक्षित निधियां या जमा लेखे का नाम | | 31 मार्च 2020 को शेष | | | 1 अप्रैल 2019 को शेष | | |
|---|--|----------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|
| | | रोकड़ | निवेश | योग | रोकड़ | निवेश | योग |
| ज-आरक्षित निधियां | | | | | | | |
| (क)-ब्याज वाली आरक्षित निधियां- | | | | | | | |
| 8121 | सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधि- | | | | | | |
| 122 | राज्य आपदा उन्मोचन निधि | 49,188.18 | 0.00 | 49,188.18 | 40,069.78 | 0.00 | 40,069.78 |
| 129 | राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि (एससीएएफ) | 60,988.64 | 4,78,195.50 | 5,39,184.14 ¹ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| योग-8121 | | 1,10,176.82 | 4,78,195.50 | 5,88,372.32 | 40,069.78 | 0.00 | 40,069.78 |
| योग-(क)-ब्याज वाली आरक्षित निधियां | | 1,10,176.82 | 4,78,195.50 | 5,88,372.32 | 40,069.78 | 0.00 | 40,069.78 |
| (ख)-बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां- | | | | | | | |
| 8222 | निक्षेप निधि- | | | | | | |
| 02 | निक्षेप निधि-निवेश लेखा | | | | | | |
| 101 | निक्षेप निधि-निवेश खाता | 0.00 | 2,31,194.00 | 2,31,194.00 ² | 0.00 | 2,04,694.00 | 2,04,694.00 |
| कुल-8222 | | 0.00 | 2,31,194.00 | 2,31,194.00 | 0.00 | 2,04,694.00 | 2,04,694.00 |
| 8223 | अकाल राहत निधि- | | | | | | |
| 101 | अकाल राहत निधि | 866.69 | (-) ³ 460.73 | 405.96 | 861.82 | (-) ³ 460.73 | 401.09 |
| कुल-8223 | | 866.69 | (-)³460.73 | 405.96 | 861.82 | (-)³460.73 | 401.09 |
| 8228 | राजस्व आरक्षित निधि- | | | | | | |
| 101 | राजस्व आरक्षित निधि | 389.88 | 72.75 | 462.63 | 389.88 | 72.75 | 462.63 |
| कुल-8228 | | 389.88 | 72.75 | 462.63 | 389.88 | 72.75 | 462.63 |
| 8229 | विकास तथा कल्याण निधियां- | | | | | | |
| 101 | शिक्षा प्रयोजनों के लिए विकास निधि-छात्र कल्याण निधि | 2.94 | 0.00 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |

¹ इस राशि में राज्य सरकार की सहमति से मुख्यशीर्ष 8229-200-0028 से स्थानांतरित क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि के अनुपयोगी शेष ₹ 1,889.29 लाख सम्मिलित है।

² निक्षेप निधि के गठन संबंधी अध्यादेश अनुसार निधि में अंशदान एवं प्राप्त ब्याज को भारत सरकार कि प्रतिभूति में निवेश किया जाना है। भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2020 के स्थिति में निक्षेप निधि का शेष राशि ₹ 4,29,957.33 लाख है।

³ जमा शेष पुनर्मिलान के अधीन है।

22. उदित नलधलतुं कु नलवश कु वलसुत वलवरण-ऑरल

(रु ललख डुं)

| आरकुषलत नलधलतुं डल ऑडल लखु कु नलड | | 31 डलरु 2020 कु शुक | | | 1 अडुरल 2019 कु शुक | | |
|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | रुकडु | नलवश | डुग | रुकडु | नलवश | डुग |
| ऑ- आरकुषलत नलधलतुं-सडलडुत | | | | | | | |
| (ख)-डलनल डुऑऑ वलली आरकुषलत नलधलतुं-सडलडुत | | | | | | | |
| 8229 | वलकलस तथल कुलुडलण नलधलतुं-सडलडुत | | | | | | |
| 103 | कुषल डुरडुऑनलं कु ललडु वलकलस नलधल- रलऑऑ कुषल सलख रलहत और गलरनुती नलधल | 0.90 | 5.16 | 6.06 | 0.90 | 5.16 | 6.06 |
| 110 | वलदुत वलकलस नलधल | 5,787.52 | 0.00 | 5,787.52 | 2,898.72 | 0.00 | 2,898.72 |
| 200 | अनुड वलकलस तथल कुलुडलण नलधल- | | | | | | |
| | डुंऑलडत डु-रलऑसुव उडकर तथल डुदुरलंक शुलुक नलधल | 18,131.29 | 0.00 | 18,131.29 | 11,730.57 | 0.00 | 11,730.57 |
| | गुरलडुण वलकलस नलधल | 26,566.02 | 0.00 | 26,566.02 | 21,475.59 | 0.00 | 21,475.59 |
| | कुषतलडुरुतल वलनलकु नलधल | 0.00 | 0.00 | 0.00 ⁴ | 1,889.30 | 0.00 | 1,889.30 |
| | वन वलकलस नलधल | 1,495.17 | 0.00 | 1,495.17 | 1,401.10 | 0.00 | 1,401.10 |
| | ऑतुतलसगदु रलऑऑ डुंशन नलधल | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 36,800.00 | 0.00 | 36,800.00 |
| | ऑतुतलसगदु रलऑऑ खनलऑ वलकलस नलधल | 16,907.29 | 14,220.45 | 31,127.74 | 20,814.45 | 14,220.45 | 35,034.90 |
| | अधुसंरऑनल वलकलस उडकर नलधल | 4,778.54 | 0.00 | 4,778.54 | 4,843.93 | 0.00 | 4,843.93 |
| | डुरुडलवरण उडकर नलधल | 22,373.14 | 0.00 | 22,373.14 | 22,373.14 | 0.00 | 22,373.14 |
| | डुग-200 | 1,29,251.45 | 14,220.45 | 1,43,471.90 | 1,21,328.08 | 14,220.45 | 1,35,548.53 |
| | डुग-8229 | 1,35,042.81 | 14,225.61 | 1,49,268.42 | 1,24,230.64 | 14,225.61 | 1,38,456.25 |
| 8235 | सलडलनुड तथल अनुड आरकुषलत नलधलतुं- | | | | | | |
| 200 | अनुड नलधलतुं | 0.80 | 0.29 | 1.09 | 0.80 | 0.29 | 1.09 |
| | डुग-8235 | 0.80 | 0.29 | 1.09 | 0.80 | 0.29 | 1.09 |
| | डुग-(ख)-डलनल डुऑऑ वलली आरकुषलत नलधलतुं | 1,36,300.18 | 2,45,031.92 | 3,72,619.04 | 1,25,483.14 | 2,18,531.92 | 3,44,015.06 |
| | डुग-ऑ-आरकुषलत नलधलतुं | 2,46,477.00 | 7,23,227.42 | 9,69,704.42 | 1,65,552.92 | 2,18,531.92 | 3,84,084.84 |

⁴ इस रलशल डुं रलऑऑ सरकर कु सडडतल सु डुरुखशुडु 8229-200-0028 सु डुरुखशुडु 8121-129-"रलऑऑ कुषतलडुरुतल वनरुडण नलधल" कु सुथलनलंतुरलत "कुषतलडुरुतल वनरुडण नलधल" कु अनुडडुगु शुक रु 1,889.29 ललख सडुडललत डुं डुं डुरुलंक डुं सुधलर कु कलरण रु 0.01 ललख कु शुक कड कु गदु।

22. उदित निधियों के निवेश का विस्तृत विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| आरक्षित निधियां या जमा लेखे का नाम | | 31 मार्च 2020 को शेष | | | 1 अप्रैल 2019 को शेष | | |
|-------------------------------------|---|----------------------|-------|------|----------------------|-------|------|
| | | रोकड़ | निवेश | योग | रोकड़ | निवेश | योग |
| ट-जमा और पेशगिया ⁵ -जारी | | | | | | | |
| (ख)-बिना ब्याज वाली जमा-जारी | | | | | | | |
| 8449 | अन्य जमा- | | | | | | |
| 103 | केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 120 | विविध जमा- | | | | | | |
| | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा दिए अनुदानों का जमा लेखा | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.58 |
| | रेशम उत्पादन उद्योग के लिए केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदानों का जमा लेखा | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| | हथकरघा उद्योग के विकास के लिए केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदानों का जमा लेखा | 0.44 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.44 |
| | कपास उत्पादकों के लाभ हेतु निधि से दिए गए अनुदानों का जमा लेखा | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| | खाद्य उत्पादन योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदानों का जमा लेखा | 9.78 | 0.00 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 9.78 |
| | कपास विस्तार योजना के वित्तीय पोषण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों का जमा लेखा | 0.44 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.44 |
| | गहन खेती और अतिरिक्त अन्न उपजाओ योजना के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों का जमा लेखा | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.94 |
| | यूनिसेफ से प्राप्त अनुदानों का जमा लेखा | 0.84 | 0.00 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.84 |

⁵ ट-जमा और पेशगियां (क)-ब्याज वाली जमा के अन्तर्गत कोई उदित निधियां नहीं है।

22. उद्विष्ट निधियों के निवेश का विस्तृत विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| आरक्षित निधियां या जमा लेखे का नाम | 31 मार्च 2020 को शेष | | | 1 अप्रैल 2019 को शेष | | | |
|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | रोकड़ | निवेश | योग | रोकड़ | निवेश | योग | |
| ट-जमा और पेशगियां-समाप्त | | | | | | | |
| (ख)-बिना ब्याज वाली जमा-समाप्त | | | | | | | |
| 8449 | अन्य जमा-समाप्त | | | | | | |
| 120 | विविध जमा-समाप्त | | | | | | |
| | अन्य राज्यों को अनाज भेजने के लिए प्राप्त राशियों का जमा लेखा | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| | राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा दिए अनुदानों का जमा लेखा | 83.27 | 0.00 | 83.27 | 83.27 | 0.00 | 83.27 |
| | शिल्पकारों को कर्ज देने के लिए फोर्ड फाउन्डेशन से प्राप्त अनुदानों का जमा लेखा | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| | जनगणना कार्य 1991 के जनगणनाकारों को मानदेय भुगतान का जमा लेखा | 16.59 | 0.00 | 16.59 | 16.59 | 0.00 | 16.59 |
| | उर्वरक विक्रेताओं से प्राप्त राशियों का जमा लेखा | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जमा | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| | योग-120 | 114.19 | 0.00 | 114.19 | 114.19 | 0.00 | 114.19 |
| | योग-8449-अन्य जमा | 114.33 | 0.00 | 114.33 | 114.33 | 0.00 | 114.33 |
| | योग-(ख)-बिना ब्याज वाली जमा | 114.33 | 0.00 | 114.33 | 114.33 | 0.00 | 114.33 |
| | योग-ट-जमा लेखा | 114.33 | 0.00 | 114.33 | 114.33 | 0.00 | 114.33 |
| | महायोग-आरक्षित निधियां एवं जमा लेखा | 2,46,591.33 | 7,23,227.42 | 9,69,818.75 | 1,65,667.25 | 2,18,531.92 | 3,84,199.17 |

22. उद्दिष्ट निधियों के निवेश का विस्तृत विवरण—समाप्त
विवरण—22 की व्याख्यात्मक टिप्पणी
निक्षेप निधि निवेश खाता का विवरण

(₹ लाख में)

| कर्ज का विवरण | 1 अप्रैल 2019 का शेष | जोड़ें—राजस्व से विनियोजित राशि | जोड़ें—निवेश पर ब्याज | योग | प्रतिभूतियों के क्रय पर देय ब्याज | घटाये—वर्ष के दौरान उन्मोचन राशि | विविध सरकारी लेखे स्थानान्तरित राशि | 31 मार्च 2020 को शेष | अभ्युक्तियां |
|--|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| (i) कर्जों के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि—राजस्व लेखे से सामान्य निक्षेप निधि में अन्तरण | 2,04,694.00 | 26,500.00 | .. | 2,31,194.00 | .. | .. | .. | 2,31,194.00 | |

समेकित निक्षेप निधि निवेश खाता

(₹ लाख में)

| कर्ज का विवरण | 1 अप्रैल 2019 का शेष | प्रतिभूतियों का क्रय | योग | प्रतिभूतियों का विक्रय | 31 मार्च 2020 को शेष | अंकित मूल्य | बाजार/लागत मूल्य |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------------------|----------------------|-------------|------------------|
| खुले बाजार कर्जों के लिए निक्षेप निधि | 2,04,694.00 | 26,500.00 | 2,31,194.00 | .. | 2,31,194.00 | 4,29,957.33 | .. |

भाग II

परिशिष्ट I—मुख्यशीर्ष वार वेतन पर व्यय का तुलनात्मक विवरण¹

I—दत्तमत व्यय

(₹ लाख में)

| विभाग | लेखा शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | | 2018-19 | | |
|--|------------|---|--------------------|--|------------------|--------------------|---|------------------|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. ² सहित) | योग | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखे) | | | | | | | | |
| क—सामान्य सेवाएं | | | | | | | | |
| (क) राज्य के अंग | | | | | | | | |
| संसदीय मामलें | 2011 | संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल | 2,831.57 | 0.00 | 2,831.57 | 2,457.25 | 0.00 | 2,457.25 |
| सामान्य प्रशासन | 2013 | मंत्रि परिषद | 65.68 | 0.00 | 65.68 | 67.52 | 0.00 | 67.52 |
| विधि तथा विधायी मामले | 2014 | न्याय प्रशासन | 20,452.63 | 463.60 | 20,916.23 | 19,363.92 | 397.11 | 19,761.03 |
| सामान्य प्रशासन और विधि तथा विधायी मामले | 2015 | निर्वाचन | 5,096.38 | 0.00 | 5,096.38 | 3,791.96 | 0.00 | 3,791.96 |
| योग—(क)—राज्य के अंग | | | 28,446.26 | 463.60 | 28,909.86 | 25,680.65 | 397.11 | 26,077.76 |
| (ख) राजकोषीय सेवाएं | | | | | | | | |
| राजस्व | 2029 | भू—राजस्व | 30,661.20 | 266.73 | 30,927.93 | 26,408.26 | 216.55 | 26,624.81 |
| वाणिज्यिक कर | 2030 | स्टाम्प तथा पंजीकरण | 1,431.32 | 0.00 | 1,431.32 | 1,338.93 | 0.00 | 1,338.93 |
| वाणिज्यिक कर | 2039 | राज्य उत्पाद शुल्क | 4,927.37 | 0.00 | 4,927.37 | 4,717.56 | 0.00 | 4,717.56 |
| वाणिज्यिक कर | 2040 | बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर | 5,816.17 | 0.00 | 5,816.17 | 5,524.43 | 0.00 | 5,524.43 |
| परिवहन | 2041 | वाहन कर | 2,431.99 | 0.00 | 2,431.99 | 2,202.10 | 0.00 | 2,202.10 |
| ऊर्जा | 2045 | वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क | 795.29 | 0.00 | 795.29 | 731.31 | 0.00 | 731.31 |
| योग—(ख)—राजकोषीय सेवाएं | | | 46,063.34 | 266.73 | 46,330.07 | 40,922.59 | 216.55 | 41,139.14 |

¹ उक्त आंकड़े उद्देश्य शीर्ष 01—वेतन (₹ 20,58,571.82 लाख) एवं 07—कार्य भारित स्थापना (₹ 41,325.10 लाख) के अन्तर्गत दर्ज किये गये व्यय प्रदर्शित करते हैं। राज्य शासन के 45 विभागों के अन्तर्गत 94 बजट नियंत्रण अधिकारी हैं, जिनमें से 79 बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा कुल 414837 सरकारी कर्मचारियों कार्यरत होना सूचित किया गया है।

² केन्द्रीय योजना (के.यो.) एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना (के.प्र.यो.)

परिशिष्ट I—मुख्यशीर्ष वार वेतन पर व्यय का तुलनात्मक विवरण—जारी

I—दत्तमत व्यय—जारी

(₹ लाख में)

| विभाग | लेखा शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | | 2018-19 | | |
|---|------------|-------------------------|--------------------|--|-------------|--------------------|--|-------------|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो. सहित) | योग | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो. सहित) | योग |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखे)—जारी | | | | | | | | |
| क—सामान्य सेवाएं—समाप्त | | | | | | | | |
| (घ) प्रशासनिक सेवाएं ³ | | | | | | | | |
| सामान्य प्रशासन | 2052 | सचिवालय— सामान्य सेवाएं | 7,020.08 | 0.00 | 7,020.08 | 6,617.03 | 0.00 | 6,617.03 |
| राजस्व, योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी | 2053 | जिला प्रशासन | 23,626.18 | 0.00 | 23,626.18 | 21,460.46 | 0.00 | 21,460.46 |
| वित्त | 2054 | खजाना तथा लेखा प्रशासन | 6,173.50 | 0.00 | 6,173.50 | 5,998.12 | 0.00 | 5,998.12 |
| सामान्य प्रशासन, गृह, वन | 2055 | पुलिस | 3,13,439.45 | 0.00 | 3,13,439.45 | 2,84,838.18 | 0.00 | 2,84,838.18 |
| जेल | 2056 | जेल | 7,174.89 | 0.00 | 7,174.89 | 6,406.95 | 0.00 | 6,406.95 |
| राजस्व | 2058 | लेखन सामग्री तथा मुद्रण | 457.77 | 0.00 | 457.77 | 489.22 | 0.00 | 489.22 |
| सामान्य प्रशासन, लोक निर्माण विभाग | 2059 | लोक निर्माण कार्य | 34,861.00 | 0.00 | 34,861.00 | 33,679.35 | 0.00 | 33,679.35 |
| सामान्य प्रशासन, गृह, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण | 2070 | अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 16,271.47 | 0.00 | 16,271.47 | 16,392.02 | 0.00 | 16,392.02 |
| योग—(घ)—प्रशासनिक सेवाएं | | | 4,09,024.34 | 0.00 | 4,09,024.34 | 3,75,881.33 | 0.00 | 3,75,881.33 |
| महायोग—क—सामान्य सेवाएं | | | 4,83,533.94 | 730.33 | 4,84,264.27 | 4,42,484.57 | 613.66 | 4,43,098.23 |

³ क्षेत्र 'क' के अन्तर्गत उप क्षेत्र 'ग' में कोई भी व्यय दर्ज नहीं है।

I-दत्तमत व्यय-जारी

परिशिष्ट I-मुख्यशीर्ष वार वेतन पर व्यय का तुलनात्मक विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| विभाग | लेखा शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | | 2018-19 | | |
|--|------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|--------------------|---|--------------------|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखे)-जारी | | | | | | | | |
| ख-सामाजिक सेवाएं- | | | | | | | | |
| (क) शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति- | | | | | | | | |
| संस्कृति, स्कूल शिक्षा, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, उच्च शिक्षा | 2202 | सामान्य शिक्षा | 10,53,097.89 | 647.18 | 10,53,745.07 | 7,64,778.75 | 3,109.01 | 7,67,887.76 |
| तकनीकी शिक्षा तथा जनशक्ति नियोजन | 2203 | तकनीकी शिक्षा | 11,202.51 | 17.31 | 11,219.82 | 10,405.46 | 28.82 | 10,434.28 |
| स्कूल शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण | 2204 | खेलकूद तथा युवा सेवाएं | 1,564.22 | 0.00 | 1,564.22 | 1,392.09 | 0.00 | 1,392.09 |
| स्कूल शिक्षा एवं संस्कृति | 2205 | कला एवं संस्कृति | 809.72 | 0.00 | 809.72 | 715.86 | 0.00 | 715.86 |
| योग-(क)-शिक्षा,खेलकूद, कला एवं संस्कृति | | | 10,66,674.34 | 664.49 | 10,67,338.83 | 7,77,292.16 | 3,137.83 | 7,80,429.99 |
| (ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण | | | | | | | | |
| श्रम, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी | 2210 | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | 1,60,627.86 | 788.11 | 1,61,415.97 | 1,43,999.97 | 303.28 | 1,44,303.25 |
| चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य | 2211 | परिवार कल्याण | 0.00 | 25,620.92 | 25,620.92 | 0.00 | 23,393.87 | 23,393.87 |
| योग-(ख)-स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण | | | 1,60,627.86 | 26,409.03 | 1,87,036.89 | 1,43,999.97 | 23,697.15 | 1,67,697.12 |
| (ग) जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास | | | | | | | | |
| लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी | 2215 | जल पूर्ति तथा सफाई | 17,998.84 | 39.14 | 18,037.98 | 17,767.08 | 15.10 | 17,782.18 |
| गृह विभाग | 2216 | आवास | 362.52 | 0.00 | 362.52 | 257.68 | 0.00 | 257.68 |

परिशिष्ट I—मुख्यशीर्ष वार वेतन पर व्यय का तुलनात्मक विवरण—जारी

I—दत्तमत व्यय—जारी

(₹ लाख में)

| विभाग | लेखा शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | | 2018-19 | | |
|--|------------|---|--------------------|---|-----------|--------------------|---|-----------|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखे)—जारी | | | | | | | | |
| ख—सामाजिक सेवाएं—जारी | | | | | | | | |
| (ग) जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास—समाप्त | | | | | | | | |
| नगरीय प्रशासन तथा विकास तथा आवास एवं पर्यावरण | 2217 | शहरी विकास | 1,505.29 | 0.00 | 1,505.29 | 1,425.49 | 0.00 | 1,425.49 |
| योग—(ग)—जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास | | | 19,866.65 | 39.14 | 19,905.79 | 19,450.25 | 15.10 | 19,465.35 |
| (घ) सूचना तथा प्रसारण | | | | | | | | |
| जन सम्पर्क | 2220 | सूचना तथा प्रचार | 1,745.14 | 0.00 | 1,745.14 | 1,589.20 | 0.00 | 1,589.20 |
| योग—(घ)—सूचना तथा प्रसारण | | | 1,745.14 | 0.00 | 1,745.14 | 1,589.20 | 0.00 | 1,589.20 |
| (ड.) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण— | | | | | | | | |
| आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास | 2225 | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | 6,180.76 | 16.34 | 6,197.10 | 5,917.52 | 9.25 | 5,926.77 |
| योग—(ड.)—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | | | 6,180.76 | 16.34 | 6,197.10 | 5,917.52 | 9.25 | 5,926.77 |
| (च) श्रमिक तथा श्रम कल्याण | | | | | | | | |
| तकनीकी शिक्षा तथा जनशक्ति नियोजन एवं श्रम | 2230 | श्रम तथा रोजगार | 11,909.21 | 711.57 | 12,620.78 | 11,075.50 | 651.37 | 11,726.87 |
| योग—(च)—श्रम तथा श्रमिक कल्याण | | | 11,909.21 | 711.57 | 12,620.78 | 11,075.50 | 651.37 | 11,726.87 |

परिशिष्ट I—मुख्यशीर्ष वार वेतन पर व्यय का तुलनात्मक विवरण—जारी

I—दत्तमत व्यय—जारी

(₹ लाख में)

| विभाग | लेखा शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | | 2018-19 | | |
|--|------------|--------------------------------|---------------------|---|---------------------|--------------------|---|---------------------|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखे)—जारी | | | | | | | | |
| ख—सामाजिक सेवाएं—समाप्त | | | | | | | | |
| (छ) समाज कल्याण तथा पोषण— | | | | | | | | |
| गृह, वित्त, सामान्य प्रशासन और महिला एवं बाल विकास | 2235 | सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | 23,399.52 | 51,158.44 | 74,557.96 | 19,827.88 | 33,542.92 | 53,370.80 |
| राजस्व | 2245 | प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत | 95.97 | 0.00 | 95.97 | 55.74 | 5.80 | 61.54 |
| योग—(छ)—समाज कल्याण तथा पोषण | | | 23,495.49 | 51,158.44 | 74,653.93 | 19,883.62 | 33,548.72 | 53,432.34 |
| (ज) अन्य | | | | | | | | |
| सामान्य प्रशासन | 2251 | सचिवालय— सामाजिक सेवाएं | 1,495.88 | 0.00 | 1,495.88 | 1,346.96 | 0.00 | 1,346.96 |
| योग—(ज)—अन्य | | | 1,495.88 | 0.00 | 1,495.88 | 1,346.96 | 0.00 | 1,346.96 |
| महायोग—ख—सामाजिक सेवाएं | | | 12,91,995.33 | 78,999.01 | 13,70,994.34 | 9,80,555.18 | 61,059.42 | 10,41,614.60 |
| ग—आर्थिक सेवाएं | | | | | | | | |
| (क) कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप | | | | | | | | |
| कृषि | 2401 | फसल कृषि—कर्म | 38,510.79 | 0.00 | 38,510.79 | 36,227.67 | 0.00 | 36,227.67 |
| वन, कृषि | 2402 | मृदा तथा जल संरक्षण | 4,090.55 | 0.00 | 4,090.55 | 3,826.68 | 0.00 | 3,826.68 |
| पशुपालन | 2403 | पशुपालन | 26,982.00 | 1,188.53 | 28,170.53 | 24,863.78 | 1,504.25 | 26,368.03 |
| मछली पालन | 2405 | मछली पालन | 3,397.15 | 19.98 | 3,417.13 | 3,266.95 | 0.00 | 3,266.95 |
| वन | 2406 | वानिकी तथा वन्य प्राणी | 44,917.42 | 0.00 | 44,917.42 | 41,791.79 | 0.00 | 41,791.79 |
| खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति | 2408 | खाद्य, भंडारण तथा भांडागार | 3,471.86 | 0.00 | 3,471.86 | 3,261.02 | 0.00 | 3,261.02 |
| मछली पालन | 2415 | कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा | 52.76 | 0.00 | 52.76 | 47.17 | 0.00 | 47.17 |
| सहकारिता | 2425 | सहकारिता | 4,758.78 | 0.00 | 4,758.78 | 4,513.45 | 0.00 | 4,513.45 |
| योग—(क)—कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप | | | 1,26,181.31 | 1,208.51 | 1,27,389.82 | 1,17,798.51 | 1,504.25 | 1,19,302.76 |

परिशिष्ट I—मुख्यशीर्ष वार वेतन पर व्यय का तुलनात्मक विवरण—जारी

I—दत्तमत व्यय—जारी

(₹ लाख में)

| विभाग | लेखा शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | | 2018-19 | | |
|---|------------|------------------------------|--------------------|---|------------------|--------------------|---|------------------|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखे)—जारी | | | | | | | | |
| ग—आर्थिक सेवाएं—जारी | | | | | | | | |
| (ख) ग्रामीण विकास | | | | | | | | |
| पंचायत एवं ग्रामीण विकास | 2505 | ग्राम रोजगार | 116.85 | 0.00 | 116.85 | 144.17 | 0.00 | 144.17 |
| | 2515 | अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम | 32,032.73 | 135.05 | 32,167.78 | 30,604.81 | 118.10 | 30,722.91 |
| योग—(ख)—ग्रामीण विकास | | | 32,149.58 | 135.05 | 32,284.63 | 30,748.98 | 118.10 | 30,867.08 |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण ⁴ | | | | | | | | |
| जल संसाधन | 2700 | बृहद सिंचाई | 4,075.56 | 0.00 | 4,075.56 | 3,687.19 | 0.00 | 3,687.19 |
| | 2701 | मध्यम सिंचाई | 36,582.84 | 0.00 | 36,582.84 | 36,563.25 | 0.00 | 36,563.25 |
| | 2702 | लघु सिंचाई | 2,903.63 | 0.00 | 2,903.63 | 2,816.41 | 0.00 | 2,816.41 |
| आयकट | 2705 | कमान क्षेत्र विकास | 0.00 | 196.92 | 196.92 | 0.00 | 200.91 | 200.91 |
| योग—(घ)—सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण | | | 43,562.03 | 196.92 | 43,758.95 | 43,066.85 | 200.91 | 43,267.76 |
| (च) उद्योग तथा खनिज ⁵ | | | | | | | | |
| वाणिज्य एवं उद्योग, ग्रामोद्योग | 2851 | ग्रामीण तथा लघु उद्योग | 6,720.10 | 0.00 | 6,720.10 | 6,541.82 | 0.00 | 6,541.82 |
| | 2852 | उद्योग | 694.66 | 0.00 | 694.66 | 693.15 | 0.00 | 693.15 |
| खनिज संसाधन | 2853 | अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग | 3,466.12 | 0.00 | 3,466.12 | 3,277.06 | 0.00 | 3,277.06 |
| योग—(च)—उद्योग तथा खनिज | | | 10,880.88 | 0.00 | 10,880.88 | 10,512.03 | 0.00 | 10,512.03 |
| (छ) परिवहन | | | | | | | | |
| लोक निर्माण विभाग | 3054 | सड़क तथा सेतु | 4,868.17 | 0.00 | 4,868.17 | 4,606.58 | 0.00 | 4,606.58 |
| योग—(छ)—परिवहन | | | 4,868.17 | 0.00 | 4,868.17 | 4,606.58 | 0.00 | 4,606.58 |

⁴ क्षेत्र 'ग' के अन्तर्गत उप क्षेत्र 'ग' में कोई भी व्यय दर्ज नहीं है।

⁵ क्षेत्र 'ग' के अन्तर्गत उप क्षेत्र 'ड' में कोई भी व्यय दर्ज नहीं है।

परिशिष्ट I—मुख्यशीर्ष वार वेतन पर व्यय का तुलनात्मक विवरण—जारी

I—दत्तमत व्यय—जारी

(₹ लाख में)

| विभाग | लेखा शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | | 2018-19 | | |
|---|------------|--------------------------------|--------------------|---|--------------|--------------------|---|--------------|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखे)—समाप्त | | | | | | | | |
| ग—आर्थिक सेवाएं—समाप्त | | | | | | | | |
| (ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं ⁶ — | | | | | | | | |
| योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा सामान्य प्रशासन | 3451 | सचिवालय—आर्थिक सेवाएं | 1,828.29 | 0.00 | 1,828.29 | 1,616.22 | 0.00 | 1,616.22 |
| | 3454 | जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी | 2,371.82 | 0.00 | 2,371.82 | 2,109.89 | 10.56 | 2,120.45 |
| वाणिज्य एवं उद्योग विभाग | 3475 | अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं | 763.73 | 0.00 | 763.73 | 669.99 | 0.00 | 669.99 |
| योग—(ज)—सामान्य आर्थिक सेवाएं | | | 4,963.84 | 0.00 | 4,963.84 | 4,396.10 | 10.56 | 4,406.66 |
| महायोग—ग—आर्थिक सेवाएं | | | 2,22,605.81 | 1,540.48 | 2,24,146.29 | 2,11,129.05 | 1,833.82 | 2,12,962.87 |
| कुल योग—व्यय शीर्ष (राजस्व लेखे) | | | 19,98,135.08 | 81,269.82 | 20,79,404.90 | 16,34,168.80 | 63,506.90 | 16,97,675.70 |

⁶ क्षेत्र 'ग' के अन्तर्गत उप क्षेत्र 'ज' एवं 'झ' में कोई भी व्यय दर्ज नहीं है।

परिशिष्ट I—मुख्यशीर्ष वार वेतन पर व्यय का तुलनात्मक विवरण—जारी

(₹ लाख में)

I—दत्तमत व्यय—समाप्त

| विभाग | लेखा शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | | 2018-19 | | |
|--|------------|---------------------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखे) | | | | | | | | |
| ग—आर्थिक सेवाएं के पूँजीगत लेखे | | | | | | | | |
| (घ)—सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा | | | | | | | | |
| जल संसाधन | 4700 | मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय | 12,667.54 | 0.00 | 12,667.54 | 12,956.31 | 0.00 | 12,956.31 |
| | 4701 | मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय | 1,466.85 | 0.00 | 1,466.85 | 1,433.26 | 0.00 | 1,433.26 |
| योग—(घ)—सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा | | | 14,134.39 | 0.00 | 14,134.39 | 14,389.57 | 0.00 | 14,389.57 |
| योग—ग—आर्थिक सेवाओं के पूँजीगत लेखे | | | 14,134.39 | 0.00 | 14,134.39 | 14,389.57 | 0.00 | 14,389.57 |
| योग—व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा) | | | 14,134.39 | 0.00 | 14,134.39 | 14,389.57 | 0.00 | 14,389.57 |
| महायोग—I-दत्तमत व्यय | | | 20,12,269.47 | 81,269.82 | 20,93,539.29 | 16,48,558.37 | 63,506.90 | 17,12,065.27 |

परिशिष्ट I—मुख्यशीर्ष वार वेतन पर व्यय का तुलनात्मक विवरण—जारी

II—भारित व्यय

(₹ लाख में)

| विभाग | लेखा शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | | 2018-19 | | |
|--------------------------|------------|--|--------------------|---|--------------|--------------------|---|--------------|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखे) | | | | | | | | |
| क—सामान्य सेवाएं | | | | | | | | |
| (क) राज्य के अंग | | | | | | | | |
| संसदीय मामलें | 2011 | संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| सामान्य प्रशासन | 2012 | राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक | 737.25 | 0.00 | 737.25 | 705.67 | 0.00 | 705.67 |
| विधि एवं विधायी मामलें | 2014 | न्याय प्रशासन | 4,917.23 | 0.00 | 4,917.23 | 4,024.86 | 0.00 | 4,024.86 |
| योग—(क)—राज्य के अंग | | | 5,654.48 | 0.00 | 5,654.48 | 4,730.62 | 0.00 | 4,730.62 |
| (घ) प्रशासनिक सेवाएं | | | | | | | | |
| सामान्य प्रशासन | 2051 | लोक सेवा आयोग | 560.66 | 0.00 | 560.66 | 557.33 | 0.00 | 557.33 |
| | 2052 | सचिवालय—सामान्य सेवाएं | 142.49 | 0.00 | 142.49 | 140.23 | 0.00 | 140.23 |
| योग—(घ)—प्रशासनिक सेवाएं | | | 703.15 | 0.00 | 703.15 | 697.56 | 0.00 | 697.56 |
| कुल योग—क—सामान्य सेवाएं | | | 6,357.63 | 0.00 | 6,357.63 | 5,428.18 | 0.00 | 5,428.18 |
| कुल योग—II—भारित व्यय | | | 6,357.63 | 0.00 | 6,357.63 | 5,428.18 | 0.00 | 5,428.18 |
| कुल योग (I+ II) | | | 20,18,627.10 | 81,269.82 | 20,99,896.92 | 16,53,986.55 | 63,506.90 | 17,17,493.45 |

परिशिष्ट I—मुख्यशीर्ष वार वेतन पर व्यय का तुलनात्मक विवरण—जारी

III-सहायता अनुदान से वेतन भुगतान^{7 8}

(₹ लाख में)

| विभाग | लेखा शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | | 2018-19 | | |
|--|------------|------------------------|--------------------|---|-----------|--------------------|---|-------------|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग |
| क-सामान्य सेवाएं- | | | | | | | | |
| (क) राज्य के अंग | | | | | | | | |
| विधि तथा विधायी मामले | 2014 | न्याय प्रशासन | जानकारी अपेक्षित | | | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| योग-(क) राज्य के अंग | | | जानकारी अपेक्षित | | | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| (घ) प्रशासनिक सेवाएं | | | | | | | | |
| सामान्य प्रशासन | 2052 | सचिवालय-सामान्य सेवाएं | 225.05 | 0.00 | 225.05 | 212.19 | 0.00 | 212.19 |
| योग-(घ)-प्रशासनिक सेवाएं | | | 225.05 | 0.00 | 225.05 | 212.19 | 0.00 | 212.19 |
| योग-क-सामान्य सेवाएं | | | 225.05 | 0.00 | 225.05 | 612.19 | 0.00 | 612.19 |
| ख-सामाजिक सेवाएं- | | | | | | | | |
| (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति- | | | | | | | | |
| संस्कृति, स्कूल शिक्षा, आदिवासी विकास, उच्च शिक्षा विभाग | 2202 | सामान्य शिक्षा | 47,660.95 | 0.00 | 47,660.95 | 1,45,085.46 | 0.00 | 1,45,085.46 |
| तकनीकी शिक्षा तथा जनशक्ति नियोजन | 2203 | तकनीकी शिक्षा | जानकारी अपेक्षित | | | 875.00 | 0.00 | 875.00 |
| स्कूल शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण | 2204 | खेलकूद तथा युवा सेवाएं | जानकारी अपेक्षित | | | 6.57 | 0.00 | 6.57 |
| कला एवं संस्कृति | 2205 | कला तथा संस्कृति | 28.00 | 0.00 | 28.00 | जानकारी अपेक्षित | | |
| योग-(क)-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति | | | 47,688.95 | 0.00 | 47,688.95 | 1,45,967.03 | 0.00 | 1,45,967.03 |

⁷ सहायता अनुदान से वेतन व्यय उद्देश शीर्ष 14-001 'स्थापना अनुदान' के अंतर्गत दर्ज है जिसमें वेतन व्यय के साथ गैर वेतन व्यय भी सम्मिलित है। राज्य शासन के विभागों से अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी ही दर्शाया गया है।

⁸ सहायता अनुदान से वेतन व्यय का संस्थावार विवरण पृष्ठ क्रमांक 471 एवं 472 में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट I—मुख्यशीर्ष वार वेतन पर व्यय का तुलनात्मक विवरण—जारी

III-सहायता अनुदान से वेतन भुगतान—जारी

(₹ लाख में)

| विभाग | लेखा शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | | 2018-19 | | |
|---|------------|----------------------------|-------------------------|---|------------------|-------------------------|---|--------------------|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग |
| ख—सामाजिक सेवाएं—समाप्त | | | | | | | | |
| (ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण | | | | | | | | |
| श्रम, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी | 2210 | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | 136.13 | 0.00 | 136.13 | जानकारी अपेक्षित | | |
| योग—(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण | | | 136.13 | 0.00 | 136.13 | जानकारी अपेक्षित | | |
| (ग) जल पूर्ति तथा सफाई | | | | | | | | |
| आवास एवं पर्यावरण | 2217 | शहरी विकास | 655.99 | 0.00 | 655.99 | 118.84 | 0.00 | 118.84 |
| योग—(ग)—जल पूर्ति तथा सफाई | | | 655.99 | 0.00 | 655.99 | 118.84 | 0.00 | 118.84 |
| (च) श्रमिक तथा श्रम कल्याण | | | | | | | | |
| श्रम | 2230 | श्रम तथा रोजगार | 576.94 | 0.00 | 576.94 | 472.32 | 0.00 | 472.32 |
| योग—(च)—श्रमिक तथा श्रम कल्याण | | | 576.94 | 0.00 | 576.94 | 472.32 | 0.00 | 472.32 |
| (छ) समाज कल्याण तथा पोषण— | | | | | | | | |
| महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण | 2235 | सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | जानकारी अपेक्षित | | | 44.85 | 0.00 | 44.85 |
| योग—(च)—श्रमिक तथा श्रम कल्याण | | | जानकारी अपेक्षित | | | 44.85 | 0.00 | 44.85 |
| योग—ख—सामाजिक सेवाएं | | | 49,058.01 | 0.00 | 49,058.01 | 1,46,603.04 | 0.00 | 1,46,603.04 |

परिशिष्ट I—मुख्यशीर्ष वार वेतन पर व्यय का तुलनात्मक विवरण—जारी

III-सहायता अनुदान से वेतन भुगतान—जारी

(₹ लाख में)

| विभाग | लेखा शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | | 2018-19 | | |
|-------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------|---|-----------|--------------------|---|----------|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग |
| ग-आर्थिक सेवाएं- | | | | | | | | |
| (क) कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप | | | | | | | | |
| कृषि | 2401 | फसल कृषि कर्म | 0.00 | 224.59 | 224.59 | 166.12 | 0.00 | 166.12 |
| भूमि एवं जल संरक्षण | 2402 | भूमि एवं जल संरक्षण | जानकारी अपेक्षित | | | 294.00 | 0.00 | 294.00 |
| पशुपालन | 2403 | पशुपालन | 2,735.35 | 0.00 | 2,735.35 | 1,880.65 | 0.00 | 1,880.65 |
| मछली पालन | 2405 | मछली पालन | 215.00 | 0.00 | 215.00 | 195.00 | 0.00 | 195.00 |
| वन | 2406 | वानिकी तथा वन्य प्राणी | जानकारी अपेक्षित | | | 90.93 | 0.00 | 90.93 |
| फसल कृषि कर्म | 2415 | कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा | 9,641.00 | 0.00 | 9,641.00 | 7,049.81 | 0.00 | 7,049.81 |
| सहकारिता | 2425 | सहकारिता | 54.21 | 0.00 | 54.21 | जानकारी अपेक्षित | | |
| योग-(क)-कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप | | | 12,645.56 | 224.59 | 12,870.15 | 9,676.51 | 0.00 | 9,676.51 |
| (ड) ऊर्जा | | | | | | | | |
| ऊर्जा | 2810 | नवीन एवं अक्षय ऊर्जा | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | जानकारी अपेक्षित | | |
| योग-(ड)-ऊर्जा | | | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | जानकारी अपेक्षित | | |
| (च) उद्योग एवं खनिज- | | | | | | | | |
| वाणिज्य एवं उद्योग, ग्रामोद्योग | 2851 | ग्रामीण तथा लघु उद्योग | 847.79 | 0.00 | 847.79 | 639.34 | 0.00 | 639.34 |
| वाणिज्यक उद्योग | 2852 | उद्योग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| वाणिज्य एवं उद्योग | 2885 | उद्योगो तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय | 1,289.68 | 0.00 | 1,289.68 | 1,025.82 | 0.00 | 1,025.82 |
| योग-(च)-उद्योग एवं खनिज | | | 2,137.47 | 0.00 | 2,137.47 | 1,675.16 | 0.00 | 1,675.16 |

परिशिष्ट I—मुख्यशीर्ष वार वेतन पर व्यय का तुलनात्मक विवरण—जारी

III-सहायता अनुदान से वेतन भुगतान—जारी

(₹ लाख में)

| विभाग | लेखा शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | | 2018-19 | | |
|--|------------|-------------------------|--------------------|---|--------------|--------------------|---|--------------|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग |
| ग-आर्थिक सेवाएं—समाप्त | | | | | | | | |
| (ज) संचार | | | | | | | | |
| इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी | 3275 | अन्य संचार सेवाएं | 178.15 | 0.00 | 178.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| योग—(ज)—संचार | | | 178.15 | 0.00 | 178.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण— | | | | | | | | |
| विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण | 3425 | अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान | 342.09 | 0.00 | 342.09 | 191.13 | 0.00 | 191.13 |
| योग—(झ)—विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण | | | 342.09 | 0.00 | 342.09 | 191.13 | 0.00 | 191.13 |
| (ञ) सामान्य आर्थिक सेवाएं | | | | | | | | |
| पर्यटन | 3452 | पर्यटन | 736.94 | 0.00 | 736.94 | 517.06 | 0.00 | 517.06 |
| योग—(ञ)—सामान्य आर्थिक सेवाएं | | | 736.94 | 0.00 | 736.94 | 517.06 | 0.00 | 517.06 |
| वेतन—ग—आर्थिक सेवाएं | | | 17,840.21 | 224.59 | 18,064.80 | 12,059.86 | 0.00 | 12,059.86 |
| योग—III—वेतन सहायता अनुदान | | | 67,123.27 | 224.59 | 67,347.86 | 1,59,275.09 | 0.00 | 1,59,275.09 |
| योग वेतन—(I)+(II)+(III) | | | 20,85,750.37 | 81,494.41 | 21,67,244.78 | 18,13,251.92 | 63,506.89 | 18,76,758.81 |

परिशिष्ट I-मुख्यशीर्ष वार वेतन पर व्यय का तुलनात्मक विवरण-जारी

III-सहायता अनुदान से वेतन भुगतान-जारी

(₹ लाख में)

| लेखा शीर्ष | संस्था का नाम | सहायता अनुदान से वेतन भुगतान | |
|------------------------|--|------------------------------|--|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्र प्रवर्तित योजना (केन्द्रीय योजना सहित) |
| सामान्य सेवाएं- | | | |
| 2052 | मानव अधिकार आयोग | 225.05 | 0.00 |
| सामाजिक सेवाएं- | | | |
| 2202 | मदरसा बोर्ड | 240.00 | 0.00 |
| | संस्कृत विद्या मंडलम् | 250.00 | 0.00 |
| | राज्य संस्कृति समिति | 83.13 | 0.00 |
| | छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा आयोग | 25.00 | 0.00 |
| | शिक्षाकर्मी का वेतन | 47,062.82 | 0.00 |
| 2205 | संगित स्कूल | 28.00 | 0.00 |
| 2210 | राम कृष्णा मिशन, नारायणपुर | 56.00 | 0.00 |
| | शासकीय दंत महाविद्यालय, रायपुर | 80.13 | 0.00 |
| 2217 | नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण | 560.00 | 0.00 |
| | छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण प्राधिकरण | 95.99 | 0.00 |
| 2230 | राज्य परियोजना आजीविका महाविद्यालय | 87.79 | 0.00 |
| | रामकृष्णा मिशन आश्रम, नारायणपुर | 489.15 | 0.00 |
| आर्थिक सेवाएं- | | | |
| 2401 | राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर | 0.00 | 224.59 |
| 2403 | छत्तीसगढ़ गौसेवा एवं ग्रामीण विकास आयोग | 69.00 | 0.00 |
| | राज्य जीवजंतु कल्याण बोर्ड | 52.00 | 0.00 |
| | कामधेनु विश्वविद्यालय | 2,614.35 | 0.00 |
| 2405 | छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित | 110.00 | 0.00 |
| | मत्स्यकी महाविद्यालय | 105.00 | 0.00 |
| 2415 | इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर | 9,641.00 | 0.00 |
| 2425 | छत्तीसगढ़ राज्य सहकारिता संघ मर्यादित, रायपुर | 54.21 | 0.00 |
| 2810 | छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) | 1,800.00 | 0.00 |

परिशिष्ट I—मुख्यशीर्ष वार वेतन पर व्यय का तुलनात्मक विवरण—समाप्त

III-सहायता अनुदान से वेतन भुगतान—समाप्त

(₹ लाख में)

| लेखा शीर्ष | संस्था का नाम | सहायता अनुदान से वेतन भुगतान | |
|-----------------------------|--|------------------------------|---|
| | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्र प्रवर्तित योजना (केन्द्रीय योजना सहित) |
| आर्थिक सेवाएं—समाप्त | | | |
| 2851 | हस्तशिल्प विकास बोर्ड | 334.20 | 0.00 |
| | माटीकला बोर्ड | 77.35 | 0.00 |
| | खादी बोर्ड | 436.24 | 0.00 |
| 2885 | अधोसंरचना विकास निगम | 1,289.68 | 0.00 |
| 3275 | छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रोन्नति सोसायटी | | |
| 3425 | इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय | 4.13 | 0.00 |
| | छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद | 337.96 | 0.00 |
| 3452 | छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन विकास मंडल | 676.86 | 0.00 |
| | होटल प्रबंधन खानपान तकनीकी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान | 60.08 | 0.00 |
| योग | | 67,123.27 | 224.59 |

परिशिष्ट-II आर्थिक सहायता पर व्यय का तुलनात्मक विवरण¹

(₹ लाख में)

| विभाग | लेखा शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | | 2018-19 | | |
|--|-------------------------------|--|--------------------|--|--------|--------------------|---|----------|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. ² सहित) | योग | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) | | | | | | | | |
| क-सामान्य सेवाएं | | | | | | | | |
| (ख) राजकोषीय सेवाएं ³ | | | | | | | | |
| राजस्व | 2029-800-7860-सा ⁴ | अधोसंरचना एवं पर्यावरण निधि | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| कुल-2029 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| कुल-(ख)-राजकोषीय सेवाएं | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| (घ) प्रशासनिक सेवाएं ⁵ | | | | | | | | |
| सामान्य प्रशासन | 2052-090-4327-सा | सचिवालय | 104.65 | 0.00 | 104.65 | 80.96 | 0.00 | 80.96 |
| कुल-2052 | | | 104.65 | 0.00 | 104.65 | 80.96 | 0.00 | 80.96 |
| कुल-(घ)-प्रशासनिक सेवाएं | | | 104.65 | 0.00 | 104.65 | 80.96 | 0.00 | 80.96 |
| कुल-क-सामान्य सेवाएं | | | 104.65 | 0.00 | 104.65 | 2,580.96 | 0.00 | 2,580.96 |
| ख-सामाजिक सेवाएं | | | | | | | | |
| (क) शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति | | | | | | | | |
| तकनीकी शिक्षा | 2203-00-800-8643-सा | मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ब्याज अनुदान योजना | 635.00 | 0.00 | 635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कुल-2203 | | | 635.00 | 0.00 | 635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कुल-(क) शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति | | | 635.00 | 0.00 | 635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

¹ इस परिशिष्ट के आंकड़े विस्तृत शीर्ष-13 'वित्तीय सहायता' में दर्ज व्यय को दर्शाते हैं।

² इस परिशिष्ट में के.प्र.यो. (केन्द्र प्रवर्तित योजना) एवं के.यो. (केन्द्रीय योजना) प्रदर्शित करते हैं।

³ क्षेत्र क के अन्तर्गत उप क्षेत्र (क) में कोई भी राशि दर्ज नहीं की गई है।

⁴ सा-सामान्य, जजाक्षेत्रयो-जनजाति क्षेत्र उप योजना, अजाउयो-अनुसूचित जाति उप योजना दर्शाते हैं।

⁵ क्षेत्र क के अन्तर्गत उप क्षेत्र (ग) में कोई भी राशि दर्ज नहीं की गई है।

परिशिष्ट-II आर्थिक सहायता पर व्यय का तुलनात्मक विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| विभाग | लेखा शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | | 2018-19 | | |
|---------------------------------------|--|--|--------------------|---|----------|--------------------|---|--------|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखे)-जारी | | | | | | | | |
| ख-सामाजिक सेवाएं-समाप्त | | | | | | | | |
| (च) श्रम एवं श्रम कल्याण ⁶ | | | | | | | | |
| श्रम कल्याण | 2230-02-101-7632-सा/जजाक्षे उयो/अजाउयो | युवा क्षमता विकास योजना | 212.53 | 0.00 | 212.53 | 144.53 | 0.00 | 144.53 |
| कुल-2230 | | | 212.53 | 0.00 | 212.53 | 144.53 | 0.00 | 144.53 |
| कुल-(च)-श्रम एवं श्रम कल्याण | | | 212.53 | 0.00 | 212.53 | 144.53 | 0.00 | 144.53 |
| (छ) समाज कल्याण तथा पोषण | | | | | | | | |
| समाज कल्याण | 2235-02-001-6969-सा | उत्थान सब्सिडी योजना | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2235-60-800-7297-सा | लोक नायक जय प्रकाश नारायण सम्मान निधि | 3.01 | 0.00 | 3.01 | 593.48 | 0.00 | 593.48 |
| | 2235-60-800-1982-सा | दुर्घटना में घायलों एवं मृतकों के परिवार को वित्तीय सहायता | 369.70 | 0.00 | 369.70 | 244.54 | 0.00 | 244.54 |
| कुल-2235 | | | 386.71 | 0.00 | 386.71 | 838.02 | 0.00 | 838.02 |
| कुल-(छ)-समाज कल्याण तथा पोषण | | | 386.71 | 0.00 | 386.71 | 838.02 | 0.00 | 838.02 |
| कुल-ख-सामाजिक सेवाएं | | | 1,234.24 | 0.00 | 1,234.24 | 982.55 | 0.00 | 982.55 |
| ग-आर्थिक सेवाएं- | | | | | | | | |
| (क) कृषि तथा संबंधित कार्यकलाप- | | | | | | | | |
| कृषि | 2401-102-7258-सा/जजाक्षेउयो/अजाउयो | तेल बीज एवं तेल पाम पर राष्ट्रीय मिशन | 0.00 | 346.60 | 346.60 | 0.00 | 233.97 | 233.97 |

⁶ क्षेत्र ख के अन्तर्गत उप क्षेत्र (ख) से (ङ) तक कोई भी राशि दर्ज नहीं की गई है।

परिशिष्ट-II आर्थिक सहायता पर व्यय का तुलनात्मक विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| विभाग | लेखा शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | | 2018-19 | | |
|-------------------------------------|--|--|--------------------|---|----------|--------------------|---|----------|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-जारी | | | | | | | | |
| ग-आर्थिक सेवाएं-जारी | | | | | | | | |
| (क) कृषि तथा संबंधित कार्यकलाप-जारी | | | | | | | | |
| कृषि | 2401-103-6820-सा / जजाक्षेत्रयो / अजाउयो | कृषक समग्र विकास योजना | 7,035.12 | 0.00 | 7,035.12 | 6,325.26 | 0.00 | 6,325.26 |
| | 2401-103-6901 जजाक्षेत्रयो | जनजागरण अभियान के शिविरार्थियों को प्रोत्साहन | 34.93 | 0.00 | 34.93 | 43.75 | 0.00 | 43.75 |
| | 2401-105-8900-सा / जजाक्षेत्रयो / अजाउयो | जैव कृषि मिशन | 1,122.73 | 0.00 | 1,122.73 | 1,722.87 | 0.00 | 1,722.87 |
| | 2401-108-7242-सा / जजाक्षेत्रयो / अजाउयो | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना | 0.00 | 3,268.04 | 3,268.04 | 0.00 | 2,647.70 | 2,647.70 |
| | 2401-108-7266-सा / जजाक्षेत्रयो / अजाउया | नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रेनफेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम | 0.00 | 686.73 | 686.73 | 0.00 | 674.38 | 674.38 |
| | 2401-108-7267-सा / जजाक्षेत्रयो / अजाउयो | नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (स्वाइल हेल्थ मैनेजमेंट योजना) | 0.00 | 540.58 | 540.58 | 0.00 | 570.30 | 570.30 |
| | 2401-108-7830-सा / जजाक्षेत्रयो / अजाउयो | परमपरागत कृषि विकास योजना | 0.00 | 1,154.33 | 1,154.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2401-108-7832-सा / जजाक्षेत्रयो / अजाउया | टारगेटेड राईस फेलो एरिया (टी.आर.एफ.ए) | 0.00 | 5,571.74 | 5,571.74 | 0.00 | 1,371.56 | 1,371.56 |
| | 2401-108-7833-सा / जजाक्षेत्रयो / अजाउया | रिक्लेमेशन आफ प्राब्लम स्वाइल (आर.पी.एस) | 0.00 | 278.27 | 278.27 | 0.00 | 95.06 | 95.06 |
| | 2401-108-8942 सा / जजाक्षेत्रयो / अजाउयो | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांती) | 0.00 | 8,413.64 | 8,413.64 | 0.00 | 7,783.52 | 7,783.52 |
| | 2401-109-7677 सा / जजाक्षेत्रयो / अजाउयो | फसल प्रदर्शनी | 917.68 | 0.00 | 917.68 | 1,675.54 | 0.00 | 1,675.54 |

परिशिष्ट-II आर्थिक सहायता पर व्यय का तुलनात्मक विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| विभाग | लेखा शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | | 2018-19 | | |
|-------------------------------------|--|---|--------------------|---|------------------|--------------------|---|------------------|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-जारी | | | | | | | | |
| ग-आर्थिक सेवाएं-जारी | | | | | | | | |
| (क) कृषि तथा संबंधित कार्यकलाप-जारी | | | | | | | | |
| कृषि | 2401-113-8539 सा / जजाक्षेउयो / अजाउयो | कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना | 926.75 | 0.00 | 926.75 | 1,521.75 | 0.00 | 1,521.75 |
| | 2401-113-8907 सा / जजाक्षेउयो / अजाउयो | कृषि श्रमिकों के दक्षता उन्नयन हेतु अनुदान | 487.44 | 0.00 | 487.44 | 142.73 | 0.00 | 142.73 |
| | 2401-113-8961 सा / जजाक्षेउयो / अजाउयो | कृषि यांत्रिकी मिशन के अन्तर्गत कृषि संयंत्र पर अनुदान | 0.00 | 5,174.14 | 5,174.14 | 0.00 | 2,475.09 | 2,475.09 |
| | 2401-119-7258 सा / जजाक्षेउयो / अजाउयो | नेशनल मिशन ऑन आइलसीडस् एन्ड आईलपॉम | 0.00 | 207.08 | 207.08 | 0.00 | 235.04 | 235.04 |
| | 2401-119-8638 सा | राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना | 71.84 | 0.00 | 71.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2401-119- 8640 सा / जजाक्षेउयो | नदी के कछार / तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन की योजना | 119.82 | 0.00 | 119.82 | 115.79 | 0.00 | 115.79 |
| कुल-2401 | | | 10,716.31 | 25,641.15 | 36,357.46 | 11,547.69 | 16,086.62 | 27,634.31 |
| पशु पालन | 2403-106-7734 सा / जजाक्षेउयो / अजाउयो | राज्य बकरी उद्यमिता विकास योजना | 3.79 | 0.00 | 3.79 | 1.82 | 0.00 | 1.82 |
| कुल-2403 | | | 3.79 | 0.00 | 3.79 | 1.82 | 0.00 | 1.82 |
| मछली पालन | 2405-101- 3319 सा / अजाउयो | जलाशयों में मत्स्य पालन प्रसार | 352.41 | 0.00 | 352.41 | 501.99 | 0.00 | 501.99 |
| | 2405-101-7756 सा | मछुआरों को मत्स्य पालन में वृद्धि / बीमारी / प्रबंधन हेतु आर्थिक सहायता | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| कुल-2405 | | | 357.41 | 0.00 | 357.41 | 506.99 | 0.00 | 506.99 |

परिशिष्ट-II आर्थिक सहायता पर व्यय का तुलनात्मक विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| विभाग | लेखा शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | | 2018-19 | | |
|-------------------------------------|---|---|--------------------|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-जारी | | | | | | | | |
| ग-आर्थिक सेवाएं-जारी | | | | | | | | |
| (क) कृषि तथा संबंधित कार्यकलाप-जारी | | | | | | | | |
| वन | 2406-02-110-6885 सा | प्रधान मुख्य संरक्षक (वन्य जीवन) कार्यालय की स्थापना | 5.02 | 0.00 | 5.02 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| कुल-2406 | | | 5.02 | 0.00 | 5.02 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति | 2408-01-102-3248 सा | राज्य सहकारी विपणन संघ को धान उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 2408-01-102-5065 सा/जजाक्षेत्रयो/अजाउयो | अन्नपूर्णा योजना | 62.40 | 0.00 | 62.40 | 51.83 | 0.00 | 51.83 |
| | 2408-01-102-5456 सा/जजाक्षेत्रयो/अजाउयो | अन्त्योदय अन्न योजना | 985.70 | 0.00 | 985.70 | 686.47 | 0.00 | 686.47 |
| | 2408-01-102-6839 सा/जजाक्षेत्रयो/अजाउयो | मुख्य मंत्री खाद्यान्न सहायता योजना | 3,99,999.73 | 0.00 | 3,99,999.73 | 2,77,000.00 | 0.00 | 2,77,000.00 |
| | 2408-01-102-7800 सा | प्रधान मंत्री उज्जवला योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| | 2408-01-102-8933 सा/जजाक्षेत्रयो/अजाउयो | शक्कर वितरण योजना | 30,297.00 | 0.00 | 30,297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2408-01-102-9993 जजाक्षेत्रयो/अजाउयो | रियायती दर पर आयोडाईज्ड नमक वितरण हेतु सहायता | 4,922.21 | 0.00 | 4,922.21 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| | 2408-01-102-7894 सा/जजाक्षेत्रयो/अजाउयो | उचित मूल्य दुकानों को वित्तीय पोषण | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| | 2408-01-102-7906 सा | त्योहार/मेलों हेतु दाल भात केन्द्रों का संचालन | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कुल-2408 | | | 4,93,815.04 | 0.00 | 4,93,815.04 | 3,39,438.30 | 0.00 | 3,39,438.30 |

परिशिष्ट-II आर्थिक सहायता पर व्यय का तुलनात्मक विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| विभाग | लेखा शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | | 2018-19 | | |
|---------------------------------------|---|---|--------------------|---|-------------|--------------------|---|-------------|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-जारी | | | | | | | | |
| ग-आर्थिक सेवाएं-जारी | | | | | | | | |
| (क) कृषि तथा संबंधित कार्यकलाप-समाप्त | | | | | | | | |
| सहकारिता | 2425-107-5628 सा/जजाक्षेत्रयो/अजाउयो | कृषक ऋण ब्याजदर युक्ति-युक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान | 18,426.00 | 0.00 | 18,426.00 | 5,636.00 | 0.00 | 5,636.00 |
| | 2425-107-7942 सा/जजाक्षेत्रयो/अजाउयो | अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,00,000.00 | 0.00 | 3,00,000.00 |
| कुल-2425 | | | 18,426.00 | 0.00 | 18,426.00 | 3,05,636.00 | 0.00 | 3,05,636.00 |
| वित्त | 2435-60-101-5628 सा | कृषक ऋण ब्याजदर युक्ति-युक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान | 899.79 | 0.00 | 899.79 | 1,199.13 | 0.00 | 1,199.13 |
| | 2435-60-101-8671 सा | लघु एवं सीमान्त कृषक ऋण माफी योजना | 69,804.78 | 0.00 | 69,804.78 | 24,986.00 | 0.00 | 24,986.00 |
| | 2435-60-101-7973 सा | सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से लिए गये अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना | 2,02,224.89 | 0.00 | 2,02,224.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कुल-2435 | | | 2,72,929.46 | 0.00 | 2,72,929.46 | 26,185.13 | 0.00 | 26,185.13 |
| कुल-(क)-कृषि तथा संबंध क्रियाकलाप | | | 7,96,253.03 | 25,641.15 | 8,21,894.18 | 6,83,320.93 | 16,086.62 | 6,99,407.55 |
| (ख) ग्राम विकास- | | | | | | | | |
| पंचायत एवं ग्रामीण विकास | 2501-06-102-7490 सा | राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन | 0.00 | 242.20 | 242.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कुल-2501 | | | 0.00 | 242.20 | 242.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (ड)-ऊर्जा ⁷ | | | | | | | | |
| ऊर्जा | 2801-06-101-6501 अजाउयो | एकल बत्ती कनेक्शन हेतु अनुदान | 7,020.00 | 0.00 | 7,020.00 | 7,989.00 | 0.00 | 7,989.00 |

⁷ क्षेत्र ग के अन्तर्गत उप क्षेत्र (ग) एवं (घ) में कोई भी व्यय राशि दर्ज नहीं की गई है।

परिशिष्ट-II आर्थिक सहायता पर व्यय का तुलनात्मक विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| विभाग | लेखा शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | | 2018-19 | | |
|-------------------------------|--|---|--------------------|---|-------------|--------------------|---|-------------|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-जारी | | | | | | | | |
| ग-आर्थिक सेवाएं-जारी | | | | | | | | |
| (ङ)-उर्जा-समाप्त | | | | | | | | |
| ऊर्जा | 2801-06-101-7305 जजाक्षेत्रयो/अजाउयो | 5 एच.पी. तक के कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान | 1,12,998.70 | 0.00 | 1,12,998.70 | 82,708.00 | 0.00 | 82,708.00 |
| | 2801-80-101-6501 जजाक्षेत्रयो | एकल बत्ती कनेक्शन हेतु अनुदान | 22,230.00 | 0.00 | 22,230.00 | 15,978.00 | 0.00 | 15,978.00 |
| | 2801-80-101-7620 सा/जजाक्षेत्रयो/ अजाउयो | विद्युत शुल्क राहत के लिए ग्राहक को आर्थिक सहायता | 42,442.00 | 0.00 | 42,442.00 | 7,032.00 | 0.00 | 7,032.00 |
| | 2801-80-101-7305 सा/जजाक्षेत्रयो/ अजाउयो | 5 एच.पी. तक के कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2801-80-101-7972 सा/जजाक्षेत्रयो/ अजाउयो | घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों में राहत | 97,721.00 | 0.00 | 97,721.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कुल-2801 | | | 3,07,411.70 | 0.00 | 3,07,411.70 | 1,13,707.00 | 0.00 | 1,13,707.00 |
| कुल-(ङ)-उर्जा | | | 3,07,411.70 | 0.00 | 3,07,411.70 | 1,13,707.00 | 0.00 | 1,13,707.00 |
| (च) उद्योग तथा खनिज- | | | | | | | | |
| वाणिज्य एवं उद्योग | 2851-102-6857 सा/जजाक्षेत्रयो/ अजाउयो | उद्योग को ब्याज अनुदान | 4,283.13 | 0.00 | 4,283.13 | 3,239.44 | 0.00 | 3,239.44 |
| | कुल-2851 | | | 4,283.13 | 0.00 | 4,283.13 | 3,239.44 | 0.00 |

परिशिष्ट-II आर्थिक सहायता पर व्यय का तुलनात्मक विवरण-समाप्त

(₹ लाख में)

| विभाग | लेखा शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | | 2018-19 | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|---|--------------|--------------------|---|-------------|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-समाप्त | | | | | | | | |
| ग-आर्थिक सेवाएं-समाप्त | | | | | | | | |
| (च) उद्योग तथा खनिज-समाप्त | | | | | | | | |
| वाणिज्य एवं उद्योग | 2852-80-102-7785 सा | पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,832.67 | 0.00 | 1,832.67 |
| | 2852-80-102-8928 सा | मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना | 302.92 | 0.00 | 302.92 | 134.35 | 0.00 | 134.35 |
| | 2852-80-102-9068 सा/जजाक्षेउयो/अजाउयो | औद्योगिक इकाइयों को लागत पूंजी अनुदान | 12,850.29 | 0.00 | 12,850.29 | 10,416.41 | 0.00 | 10,416.41 |
| कुल-2852 | | | 13,153.21 | 0.00 | 13,153.21 | 12,383.43 | 0.00 | 12,383.43 |
| कुल-(च)-उद्योग तथा खनिज | | | 17,436.34 | 0.00 | 17,436.34 | 15,622.87 | 0.00 | 15,622.87 |
| कुल-(ग)-आर्थिक सेवाएं | | | 11,21,101.07 | 25,883.35 | 11,46,984.42 | 8,12,650.80 | 16,086.62 | 8,28,737.42 |
| कुल-व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) | | | 11,22,439.96 | 25,883.35 | 11,48,323.31 | 8,16,214.31 | 16,086.82 | 8,32,300.93 |

परिशिष्ट-III¹-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता
(संस्थावार तथा योजनावार²)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना/ सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|--|---|--|--------------------|--|----------|---|--------------------|--|----------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो. सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो. सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| उप सचिव विधान सभा व्यक्तिगत अनुदान | विधान सभा (2011-4007) | .. | 417.07 | 0.00 | 417.07 | 0.00 | 408.04 | 0.00 | 408.04 | 0.00 |
| वरिष्ठ मुख्य लेखा अधिकारी, मंत्रालय व्यक्तिगत अनुदान | मंत्रियों द्वारा वैकेिक अनुदान (2013-9064) | .. | 3,213.94 | 0.00 | 3,213.94 | 0.00 | 3,551.64 | 0.00 | 3,551.64 | 0.00 |
| रजिस्ट्रार, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय | हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना (2014-5464) | सामान्य | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| उप संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण | अधोसंरचना एवं पर्यावरण उपस्कर निधि (2029-7860) | .. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग | राज्य वित्त आयोग (2052-5338) | .. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.50 | 0.00 | 63.50 | 0.00 |
| सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग | मानव अधिकार आयोग (2052-6513) | .. | 290.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 226.00 | 0.00 | 226.00 | 0.00 |

¹ इस परिशिष्ट में ₹ 100.00 लाख से ऊपर का व्यय को इंगित करता है।

² इस परिशिष्ट में '**' चिन्ह पूर्व वर्ष में ₹ 100.00 लाख से कम व्यय को इंगित करता है।

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/ जनजाति उपयोजना/ सामान्य/वित्त आयोग/बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूँजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूँजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|--|--|---|--------------------------|--|-----------|---|-----------------------|--|-----------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो. सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो. सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक | सामान्य व्यय (जिला स्थापना) (2055-4491) | .. | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 |
| पुलिस अधीक्षक- वैयक्तिक अनुदान | प्रतिपूर्ति योग्य सुरक्षा संबंधी व्यय (2055-6717) | .. | 136.20 | 0.00 | 136.20 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 |
| प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन | छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन (2055-7494) | .. | 325.00 | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| नक्सल प्रभावित जिलों के जिलाध्यक्ष | नक्सल प्रभावित जिलों को सहायता (2055-7918) | सामान्य | 0.00 | 26,664.00 | 26,664.00 | 19,998.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| पुलिस महानिरीक्षक | पुलिस बल आधुनिकीकरण (2055-2643) | .. | 2,476.26 | 0.00 | 2,476.26 | 0.00 | 1,933.34 | 0.00 | 1,933.34 | 0.00 |
| जिला संयोजक आदिवासी कल्याण | प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति हेतु अनुदान (2202-5092) | जजाक्षेउयो ³ / अजाउयो | 1,278.65 | 0.00 | 1,278.65 | 0.00 | 757.86 | 0.00 | 757.86 | 0.00 |

³ इस परिशिष्ट में जजाक्षेउयो-जन-जाति क्षेत्र उप योजना, अ.जा.उ.यो.-अनुसूचित जाति उप योजना को दर्शाता है।

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना/सामान्य/वित्त आयोग/बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|--|--|---|--------------------|---|-----------|---|--------------------|---|-------------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| प्राचार्य, शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं | अशासकीय स्कूलों को सहायता अनुदान (2202-110) | सामान्य/जजाक्षेउयो/अजाउयो | 13,973.93 | 0.00 | 13,973.93 | 0.00 | 10,927.79 | 0.00 | 10,927.79 | 0.00 |
| मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन | सर्व शिक्षा अभियान (2202-5396) | सामान्य/जजाक्षेउयो/अजाउयो | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,26,080.90 | 1,26,080.90 | 0.00 |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत | शिक्षा कर्मियों को वेतन (2202-8403) | सामान्य/जजाक्षेउयो/अजाउयो | 47,062.81 | 0.00 | 47,062.81 | 0.00 | 1,44,746.56 | 0.00 | 1,44,746.56 | 0.00 |
| राज्य उच्च शिक्षा परिषद | राज्य उच्च शिक्षा अभियान (2202-8971) | सामान्य/जजाक्षेउयो/अजाउयो | 0.00 | 9,775.00 | 9,775.00 | 0.00 | 0.00 | 6,014.62 | 6,014.62 | 0.00 |
| ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, रायपुर | अनुसूचित जातियों के कन्याओं को प्रशिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनाएं (2202-4691) | जजाक्षेउयो/अजाउयो | 650.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 315.00 | 0.00 | 315.00 | 0.00 |
| हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ | छात्राओं को शाला गणवेश (2202-2949) | सामान्य/जजाक्षेउयो | 3,684.96 | 0.00 | 3,684.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/ जनजाति उपयोजना/ सामान्य/वित्त आयोग/बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|--|---|---|--------------------|---|-----------|---|--------------------|---|-----------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| व्यक्तिगत अनुदान | अस्वच्छ धन्धे में लगे लोगों के बच्चों के लिए आश्रम छात्रवृत्ति (2202-327) | अजाउयो | 222.24 | 0.00 | 222.24 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत | प्राथमिक शाला के लिए मध्यान्ह भोजन (2202-5169) | जजाक्षेउयो | 0.00 | 11,249.29 | 11,249.29 | 0.00 | 0.00 | 10,484.49 | 10,484.49 | 0.00 |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत | माध्यमिक शाला के मध्यान्ह भोजन हेतु (2202-6933) | जजाक्षेउयो | 0.00 | 6,984.63 | 6,984.63 | 0.00 | 0.00 | 6,492.89 | 6,492.89 | 0.00 |
| व्यक्तिगत अनुदान | निःशुल्क सायकल प्रदाय योजना (2202-5551) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 6,299.79 | 0.00 | 6,299.79 | 0.00 | 2,279.53 | 0.00 | 2,279.53 | 0.00 |
| मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन | राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (2202-7247) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624.47 | 624.47 | 0.00 |
| नोडल अधिकारी, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय | एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (2202-5480) | जजाक्षेउयो | 10,251.07 | 0.00 | 10,251.07 | 1,903.45 | 2,778.62 | 0.00 | 2,778.62 | 0.00 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना/ सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|---|--|--|--------------------|--|-----------|---|--------------------|--|----------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो. सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो. सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| सहायक आयुक्त, आदिम विकास | अशासकीय संस्थाओं को अंशदान (2202-307) | जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 13,067.66 | 0.00 | 13,067.66 | 0.00 | 6,933.21 | 0.00 | 6,933.21 | 30.00 |
| प्राचार्य, सैनिक स्कूल, अम्बिकापुर | सैनिक स्कूल स्थापना हेतु अनुदान (2202-5646) | सामान्य | 484.00 | 0.00 | 484.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 |
| रजिस्ट्रार, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय | विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान (2202-5205) | सामान्य | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 1,770.00 | 0.00 | 1,770.00 | 0.00 |
| रजिस्ट्रार, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकार विश्वविद्यालय | विश्वविद्यालय की स्थापना (2202-5639) | सामान्य | 428.00 | 0.00 | 428.00 | 0.00 | 305.00 | 0.00 | 305.00 | 0.00 |
| रजिस्ट्रार, इंदिरा कला संगीत, विश्वविद्यालय | इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय (2202-7238) | सामान्य | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 975.00 | 0.00 | 975.00 | 0.00 |
| रजिस्ट्रार, बिलासपुर विश्वविद्यालय | बिलासपुर विश्वविद्यालय (2202-7484) | सामान्य | 214.00 | 0.00 | 214.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 |
| रजिस्ट्रार, दुर्ग विश्वविद्यालय | दुर्ग विश्वविद्यालय (2202-7656) | सामान्य | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/ जनजाति उपयोजना/ सामान्य/वित्त आयोग/बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|--|--|---|--------------------|---|----------|---|--------------------|---|----------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| आयुक्त, उच्च शिक्षा | विश्वविद्यालय पेंशन भुगतान योजना (2202-9948) | सामान्य | 1,436.00 | 0.00 | 1,436.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 |
| रजिस्ट्रार, सरगुजा विश्वविद्यालय | सरगुजा विश्वविद्यालय (2202-7289) | जजाक्षेपयो | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 |
| रजिस्ट्रार, बस्तर विश्वविद्यालय | बस्तर विश्वविद्यालय को अनुदान (2202-7290) | जजाक्षेपयो | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 |
| रजिस्ट्रार, सरगुजा विश्वविद्यालय | सरगुजा विश्वविद्यालय में अभियांत्रिकी महाविद्यालय (2202/4202-7445) | जजाक्षेपयो | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| प्राचार्य, चितानी मितानी दुबे महाविद्यालय, बिलासपुर एवं अन्य महाविद्यालय | अशासकीय महाविद्यालय को सहायक अनुदान (2202-3444) | सामान्य | 4,556.70 | 0.00 | 4,556.70 | 0.00 | 3,419.43 | 0.00 | 3,419.43 | 0.00 |
| प्राचार्य, सहायित महाविद्यालय | सहायित महाविद्यालय पेंशन योजना (2202-7364) | सामान्य | 999.00 | 0.00 | 999.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| सचिव, संस्कृत मण्डल | राज्य साक्षरता कार्यक्रम (2202-6943) | सामान्य | 208.40 | 0.00 | 208.40 | 0.00 | 337.50 | 0.00 | 337.50 | 0.00 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना/ सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|--|--|--|--------------------|---|----------|---|--------------------|---|----------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन | साक्षर भारत योजना (2202-7362) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | 0.00 |
| सचिव, संस्कृत मण्डल | संस्कृत मण्डल की स्थापना (2202-5527) | सामान्य | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मदरसा बोर्ड | मदरसा बोर्ड को अनुदान (2202-5526) | सामान्य | 240.00 | 252.47 | 492.47 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 |
| संचालक, तकनीकी शिक्षा (व्यक्तिगत अनुदान) | छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजना (2203-7745) | सामान्य | 209.43 | 0.00 | 209.43 | 0.00 | 2,913.65 | 0.00 | 2,913.65 | 0.00 |
| भारतीय संचार प्रौद्योगिकी संस्थान | भारतीय संचार प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना (2203-7341) | सामान्य | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 1,625.00 | 0.00 | 1,625.00 | 0.00 |
| स्कार्ट एसोसियेशन | स्कार्ट एसोसियेशन को अनुदान (2204-4598) | .. | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| खेलकूद एवं युवा कल्याण अधिकारी | युवक कल्याण गतिविधियाँ (2204-5429) | सामान्य | 212.78 | 0.00 | 212.78 | 0.00 | 167.62 | 0.00 | 167.62 | 0.00 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना/ सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|---|--|--|--------------------|--|----------|---|--------------------|--|----------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो. सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो. सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| सचिव, राज्य स्तरीय महासंघ | राज्य स्तरीय महासंघ एवं अन्य संस्थानों को अनुदान (2204-3706) | सामान्य | 130.10 | 0.00 | 130.10 | 0.00 | 40.36 | 0.00 | 40.36 | 0.00 |
| आयुक्त, खेल एवं युवा कल्याण | खिलाड़ी को प्रोत्साहन (2204-5223) | सामान्य/ जजाक्षेत्रयो/ अजाउयो | 132.24 | 0.00 | 132.24 | 0.00 | 132.35 | 0.00 | 132.35 | 0.00 |
| नोडल अधिकारी, आपातकाल चिकित्सा उन्मोचन सेवाएं | छत्तीसगढ़ आपातकाल चिकित्सा उन्मोचन सेवाएं (2210-7397) | सामान्य/ जजाक्षेत्रयो/ अजाउयो | 1,620.00 | 0.00 | 1,620.00 | 0.00 | 1,680.00 | 0.00 | 1,680.00 | 0.00 |
| मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आयुर्वेदिक अस्पताल | आयुर्वेदिक अस्पताल (2210-460) | सामान्य | 270.18 | 0.00 | 270.18 | 0.00 | 233.69 | 0.00 | 233.69 | 0.00 |
| संचालक, चिकित्सा भारतीय पद्धति एवं होम्योपैथी | राष्ट्रीय आयुष मिशन (2210-7730) | सामान्य/ जजाक्षेत्रयो/ अजाउयो | 0.00 | 1,778.11 | 1,778.11 | 0.00 | 0.00 | 503.78 | 503.78 | 0.00 |
| संचालक, राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र | मितानीन कार्यक्रम (2210-5534) | सामान्य/ जजाक्षेत्रयो/ अजाउयो | 128.80 | 0.00 | 128.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना/ सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|--|---|--|--------------------|---|-------------|---|--------------------|---|-----------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन | मितानीन कल्याण निधि (2210-7330) | सामान्य | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 10,943.00 | 0.00 | 10,943.00 | 0.00 |
| संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन | राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2210-6884) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 0.00 | 1,11,210.00 | 1,11,210.00 | 0.00 | 0.00 | 81,955.16 | 81,955.16 | 0.00 |
| प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवाएं, रायपुर | आयुर्वेदिक ग्राम (2210-7240) | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.73 | 0.00 | 229.73 | 0.00 |
| डीन, चिकित्सा महाविद्यालय | चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (2210-1352) | सामान्य | 199.36 | 0.00 | 199.36 | 0.00 | 192.21 | 0.00 | 192.21 | 0.00 |
| प्राचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ | चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ (2210-6996) | सामान्य | 379.15 | 0.00 | 379.15 | 0.00 | 531.70 | 0.00 | 531.70 | 0.00 |
| संचालक, सिकल सेल संस्थान | सिकल सेल संस्थान की स्थापना (2210-8897) | सामान्य | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 195.00 | 0.00 | 195.00 | 0.00 |
| डीन, चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव | चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव (2210-8939) | सामान्य | 327.62 | 0.00 | 327.62 | 0.00 | 277.40 | 0.00 | 277.40 | 0.00 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना/सामान्य/वित्त आयोग/बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|---|---|---|--------------------|--|----------|---|--------------------|--|----------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| प्राचार्य, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर | शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर की स्थापना (2210-5689) | जजाक्षेउयो | 531.86 | 3,200.00 | 3,731.86 | 0.00 | 533.26 | 0.00 | 533.26 | 0.00 |
| डीन, चिकित्सा महाविद्यालय, सरगुजा | चिकित्सा महाविद्यालय, सरगुजा (2210-8941) | जजाक्षेउयो | 199.99 | 0.00 | 199.99 | 0.00 | 103.37 | 0.00 | 103.37 | 0.00 |
| डीन, चिकित्सा महाविद्यालय, बिलासपुर | चिकित्सा महाविद्यालय, बिलासपुर (2210-6968) | अजाउयो | 424.49 | 3,200.00 | 3,624.49 | 0.00 | 280.29 | 0.00 | 280.29 | 0.00 |
| नोडल अधिकारी, संजीवनी कोष | छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता निधि का गठन (2210-5026) | सामान्य/जजाक्षेउयो/अजाउयो | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 4,016.00 | 4,016.00 | 0.00 |
| रजिस्ट्रार, आयुष एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय | चिकित्सा विश्वविद्यालय (2210-7279) | सामान्य | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना/ सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|---|--|--|--------------------|---|--------|---|--------------------|---|--------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| अस्पताल अधीक्षक सह अकादमिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल | सुपर स्पेशलिटी अस्पताल (2210-7719) | सामान्य | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 182.49 | 0.00 | 182.49 | 0.00 |
| कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, बलौदाबाजार | दल्ली राजहरा जल प्रदाय योजना (2215-6897) | सामान्य | 356.07 | 0.00 | 356.07 | 0.00 | 659.00 | 0.00 | 659.00 | 0.00 |
| कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी | गौरेला जल प्रदाय योजना (2215-7309) | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.81 | 0.00 | 84.81 | 0.00 |
| कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, बलौदाबाजार | भिलाईगढ़ जल प्रदाय योजना (2215-7371) | सामान्य | 280.67 | 0.00 | 280.67 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 |
| कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, महासमुन्द | तूमगांव जल प्रदाय योजना (2215-7665) | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.01 | 0.00 | 400.01 | 0.00 |
| कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, धमतरी | भाखरा भटेली जल प्रदाय योजना (2215-8565) | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.03 | 0.00 | 223.03 | 0.00 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना/सामान्य/वित्त आयोग/बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|---|--|---|--------------------|--|-----------|---|--------------------|--|-----------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, दुर्ग | पाटन आवर्धन जल प्रदाय योजना (2215-8612) | सामान्य | 377.63 | 0.00 | 377.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग | उतई जल प्रदाय योजना (2215-8613) | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.65 | 0.00 | 454.65 | 0.00 |
| कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग | नवीन नगरीय आवर्धन जल प्रदाय योजना (2215/4215-8908) | सामान्य | 4,921.95 | 0.00 | 4,921.95 | 184.77 | 3,501.98 | 0.00 | 3,501.98 | 1.75 |
| कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग | राजपुर जल प्रदाय योजना (2215-6875) | जजाक्षेउयो | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 |
| कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग | नलकूपों का रखरखाव (2215-2219) | सामान्य | 3,144.43 | 0.00 | 3,144.43 | 0.00 | 2,741.74 | 0.00 | 2,741.74 | 0.00 |
| विकास आयुक्त | स्वच्छ भारत अभियान (2215-7610) | सामान्य/जजाक्षेउयो/अजाउयो | 0.00 | 29,348.49 | 29,348.49 | 0.00 | 0.00 | 43,190.48 | 43,190.48 | 0.00 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना/ सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|--|---|--|--------------------|---|-----------|---|--------------------|---|-------------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत | प्रधान मंत्री आवास योजना (2216-7807) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 0.00 | 64,326.77 | 64,326.77 | 0.00 | 0.00 | 2,34,567.12 | 2,34,567.12 | 0.00 |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अटल नगर विकास प्राधिकरण | नया रायपुर डेव्हलपमेन्ट अथारिटी (2217-5371) | सामान्य | 2,480.00 | 0.00 | 2,480.00 | 0.00 | 2,480.00 | 0.00 | 2,480.00 | 0.00 |
| | नया मंत्रालय का रखरखाव (2217-8635) | .. | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 2,120.00 | 0.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण | छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण (2217-8892) | .. | 140.50 | 0.00 | 140.50 | 0.00 | 140.50 | 0.00 | 140.50 | 0.00 |
| उप संचालक, शहरी प्रशासन एवं विकास (यूएडी) रायपुर | चौदहवें वित्त आयोग अनुदान (2217-7675) | .. | 50,612.50 | 0.00 | 50,612.50 | 0.00 | 22,747.50 | 0.00 | 22,747.50 | 0.00 |
| | झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में पीने का पानी एवं शौचालयों के लिए निकायों को अनुदान (2217-1785) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 941.00 | 0.00 | 941.00 | 304.00 | 941.00 | 0.00 | 941.00 | 304.00 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना/ सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|---|--|--|--------------------|--|-----------|---|--------------------|--|-----------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो. सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो. सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| उप संचालक, शहरी प्रशासन एवं विकास (यूएडी) रायपुर | मूलभूत सेवाये हेतु शहरी निकायों को अनुदान (2217-7260) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो/ वित्त आयोग | 7,708.90 | 0.00 | 7,708.90 | 0.00 | 7,205.00 | 0.00 | 7,205.00 | 0.00 |
| | शिक्षकों को वेतन (2217-7761) | .. | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 1,842.35 | 0.00 | 1,842.35 | 0.00 |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास प्राधिकरण, रायपुर (छत्तीसगढ़) | स्मार्ट सिटी (2217-7685) | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 | 0.00 | 34,800.00 | 0.00 |
| | अमृत मिशन (2217-7706) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 0.00 | 46,886.20 | 46,886.20 | 0.00 | 0.00 | 23,100.00 | 23,100.00 | 0.00 |
| | सबके लिए आवास (2217-7709) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 0.00 | 9,211.42 | 9,211.42 | 0.00 | 0.00 | 17,866.06 | 17,866.06 | 0.00 |
| | स्वच्छ भारत अभियान (2217-7610) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 0.00 | 2,949.50 | 2,949.50 | 0.00 | 0.00 | 14,745.07 | 14,745.07 | 0.00 |
| | राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (2217-8996) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,187.92 | 3,187.92 | 0.00 |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत | अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण को अनुदान (2225/4225-5631) | अजाउयो | 2,968.69 | 0.00 | 2,968.69 | 2,793.49 | 2,794.96 | 0.00 | 2,794.96 | 2,598.23 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना/ सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|---|--|--|--------------------|---|-----------|---|--------------------|---|-----------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं अन्य | विशेष केन्द्रीय सहायता से स्थानीय विकास कार्यक्रम (2225/4225-7626) | जजाक्षेत्रयो/ अजाउयो | 0.00 | 10,709.29 | 10,709.29 | 6,013.04 | 0.00 | 13,243.58 | 13,243.58 | 12,665.19 |
| अत्याचार प्रभावित व्यक्ति (व्यक्तिगत अनुदान) | अनुसूचित जाति के लिए केन्द्रीय समर्थित योजना (2225-7629) | अजाउयो | 0.00 | 3,179.23 | 3,179.23 | 0.00 | 0.00 | 1,401.98 | 1,401.98 | 0.00 |
| प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य अन्त्यावसायी, वित्त एवं विकास निगम | अनुसूचित जाति सहकारी वित्त विकास निगम की स्थापना (2225-3185) | अजाउयो | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 |
| | अनुसूचित जनजाति हिताग्राहियों को ऋण की प्राप्यता (2225-6870) | जजाक्षेत्रयो | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 |
| प्राचार्य, लाईलीवुड कॉलेज एवं अन्य | पांडो विकास अभिकरण (2225-5475) | जजाक्षेत्रयो | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 73.92 | 0.00 | 73.92 | 0.00 |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जगदलपुर | बस्तर विकास प्राधिकरण (2225/4225-5601) | जजाक्षेत्रयो | 3,549.98 | 0.00 | 3,549.98 | 3,199.98 | 3,299.29 | 0.00 | 3,299.29 | 3,175.39 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोग/ सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|---|--|--|--------------------|--|----------|---|--------------------|--|----------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सुरजपुर | सरगुजा, जशपुर, विकास प्राधिकरण (2225/4225-5602) | जजाक्षेउयो | 3,544.68 | 0.00 | 3,544.68 | 3,199.68 | 3,359.27 | 0.00 | 3,359.27 | 3,189.14 |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, पंचायत | आदिम संस्कृति का संरक्षण एवं विकास (2225-9853) | जजाक्षेउयो | 656.98 | 0.00 | 656.98 | 351.00 | 513.77 | 0.00 | 513.77 | 313.37 |
| परियोजना अधिकारी, एकीकृत आदिवासी कल्याण विकास परियोजना | विशेष अनुसूचित जनजाति पिछड़े समूह को अनुदान (2225/4225-5024) | जजाक्षेउयो | 0.00 | 990.55 | 990.55 | 382.57 | 0.00 | 962.10 | 962.10 | 362.20 |
| सचिव, वक्फ बोर्ड | वक्फ बोर्ड (2225-9408) | सामान्य | 152.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत | छत्तीसगढ़ ऊर्दू अकादमी का गठन (2225-5488) | सामान्य | 230.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| श्रम आयुक्त | मजदूर कल्याण निधि की स्थापना (2230-4270) | .. | 432.14 | 0.00 | 432.14 | 0.00 | 104.91 | 0.00 | 104.91 | 0.00 |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण | राज्य कौशल विकास मिशन (2230-7438) | सामान्य | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना/ सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|---|---|--|--------------------|--|--------|---|--------------------|--|--------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड | केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी (2230-7700) | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 11.25 | 0.00 |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लाईलीवुड कॉलेज समिति | लाईलीवुड कॉलेज (2230-8935) | सामान्य/ जजाक्षेउयो | 440.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 680.00 | 0.00 | 680.00 | 0.00 |
| सचिव, रामकृष्ण मिशन | उद्योग प्रशिक्षण संस्थान (2230-717) | जजाक्षेउयो | 730.39 | 48.00 | 778.39 | 133.44 | 153.00 | 0.00 | 153.00 | 0.00 |
| संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण | विकलांग तथा दिव्यांगजनों को अनुदान (2235-3921) | सामान्य | 556.23 | 0.00 | 556.23 | 0.00 | 330.92 | 0.00 | 330.92 | 0.00 |
| उप संचालक | निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना (2235-7740) | सामान्य | 358.92 | 0.00 | 358.92 | 0.00 | 258.51 | 0.00 | 258.51 | 0.00 |
| उप आयुक्त, सामाजिक सेवाएं | निःशक्तता स्वाभिमान एवं संबल योजना (2235-8990) | सामान्य | 66.82 | 0.00 | 66.82 | 0.00 | 94.93 | 0.00 | 94.93 | 0.00 |
| | अंधे बहरे तथा गूंगों के शालाओं को अनुदान (2235-73) | जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 194.98 | 0.00 | 194.98 | 0.00 | 52.33 | 0.00 | 52.33 | 0.00 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना/ सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|---|--|--|--------------------|--|----------|---|--------------------|--|----------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| संयुक्त संचालक पंचायत एवं समाज कल्याण | निःशक्त सामर्थ विकास योजना (2235-6902) | .. | 157.51 | 0.00 | 157.51 | 0.00 | 148.06 | 0.00 | 148.06 | 0.00 |
| सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य शिशु संरक्षण आयोग | राज्य बालक राईट प्रोटेक्शन कमीशन (2235-7303) | सामान्य | 143.00 | 0.00 | 143.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 |
| सचिव, छत्तीसगढ़ महिला बाल विकास | आईसीडीएस के अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को प्रशिक्षण (2235-9131) | सामान्य | 0.00 | 138.92 | 138.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अध्यक्ष, राज्य शिशु संरक्षण योजना | एकीकृत शिशु संरक्षण योजना (2235-9949) | सामान्य | 0.00 | 3,721.12 | 3,721.12 | 0.00 | 0.00 | 4,335.19 | 4,335.19 | 0.00 |
| जिला कार्यक्रम अधिकारी, छत्तीसगढ़ महिला बाल विकास | ग्रामीण महिलाओं के लिए दिशा दर्शन व भ्रमण (2235-1206) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 135.66 | 0.00 | 135.66 | 0.00 | 127.69 | 0.00 | 127.69 | 0.00 |
| प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ महिला निधि | महिला निधि की स्थापना (2235-5373) | सामान्य | 104.00 | 0.00 | 104.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोग/ सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|--|--|--|--------------------|---|-----------|---|--------------------|---|-----------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| परियोजना अधिकारी, एकीकृत शिशु विकास परियोजना | गरीब बालक एवं बालिकाओं के शादी हेतु अनुदान (2235-5645) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 1,713.13 | 0.00 | 1,713.13 | 0.00 | 500.57 | 0.00 | 500.57 | 0.00 |
| भारतीय जीवन बीमा निगम | नोनी सुरक्षा योजना (2235-8957) | सामान्य/ जजाक्षेउयो | 1,865.00 | 0.00 | 1,865.00 | 0.00 | 1,634.10 | 0.00 | 1,634.10 | 0.00 |
| छत्तीसगढ़ संवाद | वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना (2235-7014) | सामान्य | 408.77 | 0.00 | 408.77 | 0.00 | 212.43 | 0.00 | 212.43 | 0.00 |
| मुख्य मंत्री तीर्थ यात्रा कोष | छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थ योजना (2235-8662) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,990.00 | 0.00 | 2,990.00 | 0.00 |
| संयुक्त संचालक पंचायत एवं समाज कल्याण | घरोन्दा (2235-8980) | .. | 185.17 | 0.00 | 185.17 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| अध्यक्ष, योग आयोग | छत्तीसगढ़ योगा आयोग (2235-7864) | .. | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (2235-5401) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 18,455.28 | 0.00 | 18,455.28 | 0.00 | 16,926.02 | 0.00 | 16,926.02 | 0.00 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना/ सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पत्तियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पत्तियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|---|--|--|--------------------|---|-----------|---|--------------------|---|-----------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (2235-7336) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 6,710.93 | 0.00 | 6,710.93 | 0.00 | 5,695.51 | 0.00 | 5,695.51 | 0.00 |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन (2235-7340) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 1,184.88 | 0.00 | 1,184.88 | 0.00 | 1,155.24 | 0.00 | 1,155.24 | 0.00 |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत | राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (2235-5397) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 1,609.40 | 0.00 | 1,609.40 | 0.00 | 1,534.53 | 0.00 | 1,534.53 | 0.00 |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत | सुखद सहारा योजना (2235-4858) | .. | 9,872.25 | 0.00 | 9,872.25 | 0.00 | 9,441.96 | 0.00 | 9,441.96 | 0.00 |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत | सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (2235-9142) | .. | 35,303.20 | 0.00 | 35,303.20 | 0.00 | 33,271.01 | 0.00 | 33,271.01 | 0.00 |
| कलेक्टर (वित्त) | अनपेक्षित उद्देश्य हेतु अनुकम्पा अनुदान (2235-2653) | .. | 772.10 | 0.00 | 772.10 | 0.00 | 730.39 | 0.00 | 730.39 | 0.00 |
| संचालक, कोष एवं लेखा | पेंशन कल्याण निधि की प्रतिपूर्ति (2235-7000) | .. | 520.42 | 0.00 | 520.42 | 0.00 | 393.44 | 0.00 | 393.44 | 0.00 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना/ सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|--------------|--|--|--------------------|---|----------|---|--------------------|---|----------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| जिलाध्यक्ष | अपराध शिकार व्यक्तियों के लिए नुकसान भरपाई (2235-7495) | .. | 439.75 | 0.00 | 439.75 | 0.00 | 377.79 | 0.00 | 377.79 | 0.00 |
| तहसीलदार | नगद दान (2245-2018) | .. | 4,075.19 | 0.00 | 4,075.19 | 0.00 | 2,942.97 | 0.00 | 2,942.97 | 0.00 |
| | फसल नुकसान हेतु सहायता (2245-7710) | .. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.25 | 0.00 | 530.25 | 0.00 |
| | शोक्ति परिवार को अनुदान (2245-7352) | .. | 1,752.50 | 0.00 | 1,752.50 | 0.00 | 1,359.52 | 0.00 | 1,359.52 | 0.00 |
| | बाढ़ नियंत्रण (2245-5607) | .. | 261.37 | 0.00 | 261.37 | 0.00 | 25.20 | 0.00 | 25.20 | 0.00 |
| | बाढ़ राहत (2245-7357) | .. | 2,200.07 | 0.00 | 2,200.07 | 0.00 | 1,577.24 | 0.00 | 1,577.24 | 0.00 |
| | ओला पीड़ितों को राहत (2245-747) | .. | 4,660.60 | 0.00 | 4,660.60 | 0.00 | 530.68 | 0.00 | 530.68 | 0.00 |
| | डुबने से, खदान धसकने से, रसोई गैस फैलने से, बिजली गिरने से मृत्यु होने पर राहत (2245-7729) | .. | 6,393.13 | 0.00 | 6,393.13 | 0.00 | 4,346.49 | 0.00 | 4,346.49 | 0.00 |

**परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)**

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोगना/ सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|---|---|--|--------------------|---|-----------|---|--------------------|---|-------------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| तहसीलदार | आगजनी से राहत (2245-96) | .. | 2,003.09 | 0.00 | 2,003.09 | 0.00 | 1,737.33 | 0.00 | 1,737.33 | 0.00 |
| प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल | राजिम एवं गिरौदपुरी मेले में जनसुविधावो के लिए अनुदान (2250-5455) | सामान्य | 345.00 | 0.00 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | 0.00 | 345.00 | 345.00 |
| प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम मर्यादित | धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना (2401-8972) | सामान्य/ जजाक्षेत्रयो/ अजाउयो | 37,490.62 | 0.00 | 37,490.62 | 0.00 | 7,37,003.37 | 0.00 | 7,37,003.37 | 0.00 |
| संचालक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (2401-7255) | सामान्य/ जजाक्षेत्रयो/ अजाउयो | 0.00 | 10,352.96 | 10,352.96 | 0.00 | 0.00 | 6,450.60 | 6,450.60 | 0.00 |
| छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम | कृषक सामग्र विकास योजना (2401-6820) | सामान्य/ जजाक्षेत्रयो/ अजाउयो | 312.95 | 0.00 | 312.95 | 0.00 | 232.76 | 0.00 | 232.76 | 0.00 |
| | एन.एम.ए.ई.टी. सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मेटेरियल योजना (2401-7264) | सामान्य/ जजाक्षेत्रयो/ अजाउयो | 0.00 | 2,137.30 | 2,137.30 | 0.00 | 0.00 | 1,705.89 | 1,705.89 | 0.00 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना/ सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|--|--|--|--------------------|---|----------|---|--------------------|---|----------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| प्रबंध संचालक, सहकारी शक्कर कारखाना | गन्ना किसानो को बोनस (2401-5549) | जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,402.60 | 0.00 | 5,402.60 | 0.00 |
| छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी, रजिस्ट्रार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण बोर्ड, आदि | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत बीज उत्पादक कृषक को उत्पादन अनुदान (2401-7242) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 0.00 | 4,836.02 | 4,836.02 | 0.00 | 0.00 | 2,697.54 | 2,697.54 | 0.00 |
| उप संचालक, कृषि, जगदलपुर | एन.एम.एस.ए. स्वाईल हेल्थ मैनेजमेंट योजना (2401-7267) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 0.00 | 447.26 | 447.26 | 0.00 | 0.00 | 399.13 | 399.13 | 0.00 |
| उप संचालक, कृषि | परम्परागत कृषि विकास योजना (2401-7830) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 0.00 | 481.13 | 481.13 | 0.00 | 0.00 | 359.20 | 359.20 | 0.00 |
| अतिरिक्त संचालक, कृषि | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांती) (2401-8942) | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.17 | 107.17 | 0.00 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना/ सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|---|---|--|--------------------|---|-----------|---|--------------------|---|----------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| संचालक, कृषि | अशासकीय संस्थाओं को सहायता अनुदान (2401-309) | जजाक्षेउयो | 147.00 | 0.00 | 147.00 | 0.00 | 140.83 | 0.00 | 140.83 | 0.00 |
| | एन.एम.ए.ई.टी. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (2401-7269) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 0.00 | 3,784.64 | 3,784.64 | 0.00 | 0.00 | 1,574.51 | 1,574.51 | 0.00 |
| सहायक संचालक उद्यानिकी कार्यालय, मुंगेली | फलों के पौधे के लिए सहायता अनुदान (2401-2806) | सामान्य/ अजाउयो | 178.11 | 0.00 | 178.11 | 0.00 | 170.61 | 0.00 | 170.61 | 0.00 |
| सहायक संचालक उद्यमिकी कार्यालय, मुंगेली | नर्सरी में उन्नत एवं प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम (2401-5610) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 148.31 | 0.00 | 148.31 | 0.00 | 145.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 |
| सहायक संचालक, बागवानी | कम्यूनिटी फेनसिंग योजना (2401-7662) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 479.53 | 0.00 | 479.53 | 0.00 | 371.67 | 0.00 | 371.67 | 0.00 |
| छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम, रायपुर | प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (2401-7684) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 0.00 | 5,435.96 | 5,435.96 | 0.00 | 0.00 | 970.15 | 970.15 | 0.00 |
| सहायक संचालक, उद्यानिकी कार्यालय | एकीकृत बागवानी विकास मिशन (2401-7705) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 0.00 | 14,938.65 | 14,938.65 | 0.00 | 0.00 | 9,931.01 | 9,931.01 | 0.00 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना/ सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|--|---|--|--------------------|---|-----------|---|--------------------|---|----------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| सह संचालक, कृषि छत्तीसगढ़ | एन.एम.एस.ए. कृषि वानिकी पर राष्ट्रीय मिशन (2401-7874) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 0.00 | 260.67 | 260.67 | 0.00 | 0.00 | 155.95 | 155.95 | 0.00 |
| संचालक, कृषि उत्पादन | एकीकृत वाटर शेड मैनेजमेंट कार्यक्रम (2402-7350) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 0.00 | 13,365.48 | 13,365.48 | 0.00 | 0.00 | 8,619.33 | 8,619.33 | 0.00 |
| उप संचालक, पशुपालन सेवाएं | पशु औषधालय एवं चिकित्सालय (2403-2549) | सामान्य/ जजाक्षेउयो | 183.82 | 0.00 | 183.82 | 0.00 | 97.76 | 0.00 | 97.76 | 0.00 |
| उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, जशपुर | विशेष पशुपालन कार्यक्रम (2403-4082) | सामान्य | 200.63 | 0.00 | 200.63 | 0.00 | 186.33 | 0.00 | 186.33 | 0.00 |
| | राज्य पोषित डेयरी उद्यमिता विकास योजना (2403-8898) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 1,708.37 | 0.00 | 1,708.37 | 0.00 | 1,445.42 | 0.00 | 1,445.42 | 0.00 |
| उप संचालक, पशुपालन सेवाएं | गहन पशु विकास परियोजना (2403-1108) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 307.16 | 0.00 | 307.16 | 0.00 | 221.91 | 0.00 | 221.91 | 0.00 |
| प्रबंध संचालक, सहकारी दुग्ध संघ एवं अन्य | राष्ट्रीय पशुधन मिशन (2403-7621) | सामान्य/ अजाउयो | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474.70 | 474.70 | 0.00 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना/ सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|---|---|--|--------------------|---|----------|---|--------------------|---|----------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं | छत्तीसगढ़ गौसेवा एवं ग्राम विकास आयोग के लिए अनुदान (2403-5535) | .. | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 |
| उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, नारायणपुर | कुकुट प्रक्षेत्रों का विस्तार (2403-846) | जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 511.62 | 0.00 | 511.62 | 0.00 | 238.25 | 0.00 | 238.25 | 0.00 |
| उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं | सुअर वितरण के लिए आर्थिक सहायता (2403-9332) | जजाक्षेउयो | 71.92 | 0.00 | 71.92 | 0.00 | 94.23 | 0.00 | 94.23 | 0.00 |
| राज्य कृषि विपणन संघ, सहकारिता दुग्ध उत्पादन मर्यादित इत्यादि | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (2403-7242) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 0.00 | 4,247.43 | 4,247.43 | 0.00 | 0.00 | 1,991.19 | 1,991.19 | 0.00 |
| रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ कामधेनु पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय | पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय (2403/4403-7403) | सामान्य | 3,908.71 | 0.00 | 3,908.71 | 618.71 | 2,958.75 | 0.00 | 2,958.75 | 500.00 |
| प्रबंध संचालक, रायपुर दुग्ध उत्पादन संघ | दुध उत्पादन एवं अधोसंरचना हेतु अनुदान (2403-8703) | सामान्य | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 238.98 | 238.98 | 0.00 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना/ सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|--|--|--|--------------------|--|----------|---|--------------------|--|----------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो. सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो. सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| संयुक्त संचालक, मत्स्य पालन, रायपुर | मत्स्य पालन का विस्तार (2405-3319) | जजाक्षेउयो | 345.90 | 0.00 | 345.90 | 0.00 | 284.64 | 0.00 | 284.64 | 0.00 |
| संचालक, मत्स्योद्योग कवर्धा | मत्सिकी महाविद्यालय कवर्धा हेतु अनुदान (2405-7434) | सामान्य | 105.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 |
| सहायक संचालक, मछली पालन | नीलक्रांति अंतर्गत मत्स्य पालन विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रम (2405-7814) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 0.00 | 3,999.68 | 3,999.68 | 0.00 | 0.00 | 1,336.99 | 1,336.99 | 0.00 |
| छत्तीसगढ़ राज्य सहकारिता मत्स्य पालन संघ | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (2405-7242) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 0.00 | 802.49 | 802.49 | 0.00 | 0.00 | 562.67 | 562.67 | 0.00 |
| उप संचालक, मछली पालन | विस्तार एवं प्रशिक्षण (2405-4217) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 181.93 | 0.00 | 181.93 | 0.00 |
| सहायक संचालक, मछलीपालन, बलौदा बाजार | मछुआं सहकारी समितियों को अनुदान (2405-4427) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 378.69 | 0.00 | 378.69 | 0.00 | 326.20 | 0.00 | 326.20 | 0.00 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोग/ सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|--|--|--|--------------------|---|-----------|---|--------------------|---|-----------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| संभागीय वन अधिकारी | राज्य औषध वनस्पति मंडल की स्थापना (2406-5420) | सामान्य | 352.00 | 0.00 | 352.00 | 0.00 | 880.00 | 0.00 | 880.00 | 0.00 |
| | लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना (2406-5091) | जजाक्षेउयो | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 |
| | लाक विकास योजना (2406-6854) | जजाक्षेउयो | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| | लघु वनोपज संग्रह (2406-6792) | सामान्य/ जजाक्षेउयो | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,343.20 | 0.00 | 1,343.20 | 0.00 |
| प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनपोज संघ | लघु वनोपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान (2406-5231) | जजाक्षेउयो | 937.04 | 0.00 | 937.04 | 0.00 | 759.21 | 0.00 | 759.21 | 0.00 |
| संभागीय वन अधिकारी | वन प्रबंध समितियाँ (2406-5641) | .. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,492.42 | 0.00 | 1,492.42 | 0.00 |
| छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग | पी.डी.एस. डीलर का मार्जिन (2408-7872) | सामान्य | 0.00 | 12,512.58 | 12,512.58 | 0.00 | 0.00 | 3,183.63 | 3,183.63 | 0.00 |
| प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित | अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत चना प्रदाय (2408-7436) | जजाक्षेउयो | 27,827.88 | 0.00 | 27,827.88 | 0.00 | 29,416.42 | 0.00 | 29,416.42 | 0.00 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना/ सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|---|--|--|--------------------|--|-----------|---|--------------------|--|-----------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो. सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो. सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| वित्त नियंत्रक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर | इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान (2415-9182) | सामान्य | 13,970.00 | 0.00 | 13,970.00 | 0.00 | 9,487.50 | 0.00 | 9,487.50 | 0.00 |
| अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समिति | राज्य सहकारी संघ को अनुदान (2425-6786) | .. | 64.91 | 0.00 | 64.91 | 0.00 | 108.97 | 0.00 | 108.97 | 0.00 |
| मिशन संचालक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन | राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (2501-7490) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 0.00 | 48,662.20 | 48,662.20 | 0.00 | 0.00 | 14,677.92 | 14,677.92 | 0.00 |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत | जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी प्रशासन (2501-8775) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 0.00 | 1,562.47 | 1,562.47 | 0.00 | 0.00 | 1,286.45 | 1,286.45 | 0.00 |
| आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी | महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (2505-6728) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 0.00 | 98,098.11 | 98,098.11 | 0.00 | 0.00 | 76,414.03 | 76,414.03 | 0.00 |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत | जिला पंचायत विकास निधि (2515-7788) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो/ वित्त आयोग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,040.00 | 0.00 | 4,040.00 | 0.00 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना/ सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|--------------------------------------|--|--|--------------------|--|-----------|---|--------------------|--|----------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो. सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो. सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत | जनपद पंचायत विकास निधि (2515-7848) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो/ वित्त आयोग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,989.39 | 0.00 | 6,989.39 | 0.00 |
| | जिला पंचायत को सामान्य प्रयोजन के लिए अनुदान (2515-5847) | .. | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 290.75 | 0.00 | 290.75 | 0.00 |
| | पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय एवं सुविधायें (2515-8209) | .. | 7,506.62 | 0.00 | 7,506.62 | 0.00 | 7,157.29 | 0.00 | 7,157.29 | 0.00 |
| | छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण क्षेत्र विकास प्राधिकरण (2515/4515-8555) | सामान्य/ वित्त आयोग | 6,337.29 | 0.00 | 6,337.29 | 6,137.29 | 6,262.04 | 0.00 | 6,262.04 | 6,262.04 |
| | श्रद्धाजली योजना (2515-7790) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 490.53 | 0.00 | 490.53 | 0.00 | 206.11 | 0.00 | 206.11 | 0.00 |
| | मूलभूत सेवाओं के लिए अनुदान (2515-5848) | सामान्य/ वित्त आयोग | 20,967.60 | 0.00 | 20,967.60 | 0.00 | 8,480.38 | 0.00 | 8,480.38 | 0.00 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना/ सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|--|--|--|--------------------|--|-------------|---|--------------------|--|-----------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| संचालक, ठाकूर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान | त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता विकास (2515-7789) | सामान्य/ वित्त आयोग | 1,852.05 | 0.00 | 1,852.05 | 0.00 | 446.18 | 0.00 | 446.18 | 0.00 |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत | सचिवालय व्यवस्था (2515-8214) | सामान्य/ वित्त आयोग | 25,089.79 | 0.00 | 25,089.79 | 0.00 | 19,587.86 | 0.00 | 19,587.86 | 0.00 |
| | चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत अनुदान (2515-7675) | .. | 1,92,317.88 | 0.00 | 1,92,317.88 | 0.00 | 66,130.73 | 0.00 | 66,130.73 | 0.00 |
| | विवेकानन्द युवा प्रोत्साहन योजना (2515-8918) | .. | 975.58 | 0.00 | 975.58 | 0.00 | 957.05 | 0.00 | 957.05 | 0.00 |
| कार्यकारी अभियंता, जल संसाधन विभाग | बैराज एवं नहर (2700-2894) | .. | 321.71 | 0.00 | 321.71 | 0.00 | 316.20 | 0.00 | 316.20 | 0.00 |
| | अन्य लघु सिंचाई निर्माण कार्य (2702-207) | .. | 251.56 | 0.00 | 251.56 | 0.00 | 223.02 | 0.00 | 223.02 | 0.00 |
| उप संचालक, कृषि | शाकम्बरी परियोजना (2702-5707) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 966.33 | 0.00 | 966.33 | 0.00 | 766.45 | 0.00 | 766.45 | 0.00 |
| | किसान समृद्धि योजना को अनुदान (2702-5709) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 882.11 | 0.00 | 882.11 | 0.00 | 1,001.45 | 0.00 | 1,001.45 | 0.00 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना/ सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|--|---|--|--------------------|--|-------------|---|--------------------|--|-----------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) | एकल बत्ती कनेक्शन हेतु अनुदान (2801-6501) | सामान्य | 29,250.00 | 0.00 | 29,250.00 | 0.00 | 12,347.00 | 0.00 | 12,347.00 | 0.00 |
| | 5 एच.पी. के कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान (2801-7305) | सामान्य | 1,28,451.30 | 0.00 | 1,28,451.30 | 0.00 | 81,823.00 | 0.00 | 81,823.00 | 0.00 |
| | 'उदय' योजना के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी को अनुदान (2801-7758) | सामान्य | 3,965.75 | 0.00 | 3,965.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास एजन्सी (क्रेडा) | सौर ऊर्जा आधारित योजनाओं हेतु अनुदान (2810-7694) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 2,190.00 | 0.00 | 2,190.00 | 2,190.00 | 844.00 | 0.00 | 844.00 | 844.00 |
| | मशीनरी की क्षमता का रखरखाव एवं विकास (2810-7695) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति / जनजाति उपयोजना / सामान्य / वित्त आयोग / बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|--|--|---|--------------------|---|----------|---|--------------------|---|--------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. / के.यो. सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. / के.यो. सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास एजन्सी (क्रेडा) | ऊर्जा शिक्षा पार्क को अनुदान (2810-7698) | सामान्य | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 |
| संचालक, छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण | छत्तीसगढ़ ऊर्जा विकास एजन्सी को सहायता (2810-3188) | सामान्य | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 848.00 | 0.00 | 848.00 | 0.00 |
| छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास एजन्सी (क्रेडा) | ऊर्जा संरक्षण निधि से व्यय (2810-6785) | सामान्य | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 88.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| संचालक, छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण | ग्रामीण ऊर्जा को अनुदान (2810-5415) | जजाक्षेउयो | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 |
| इन्वेस्ट इंडिया, नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एण्ड फैसिलिटेशन एजेंसी, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र आदि | स्टार्टअप छत्तीसगढ़ (2851-7825) | सामान्य | 68.46 | 0.00 | 68.46 | 0.00 | 32.89 | 0.00 | 32.89 | 0.00 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना/सामान्य/वित्त आयोग/बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|---|--|---|--------------------|--|--------|---|--------------------|--|--------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| महात्मा गांधी बुनकर सहकारी समिति मर्यादित | एकीकृत हाथकरघा विकास योजना (2851-8810) | सामान्य/जजाक्षेउयो/अजाउयो | 656.37 | 0.00 | 656.37 | 0.00 | 480.72 | 0.00 | 480.72 | 0.00 |
| छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड | विकास केन्द्रों के संचालन हेतु हस्तशिल्प विकास बोर्ड को अनुदान (2851-5020) | सामान्य अजाउयो | 266.59 | 0.00 | 266.59 | 0.00 | 231.90 | 0.00 | 231.90 | 0.00 |
| | हस्तशिल्प विकास बोर्ड (2851-5458) | सामान्य | 162.95 | 0.00 | 162.95 | 0.00 | 163.28 | 0.00 | 163.28 | 0.00 |
| छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड | माटीकला बोर्ड की स्थापना (2851-8655) | सामान्य | 113.75 | 0.00 | 113.75 | 3.25 | 133.75 | 0.00 | 133.75 | 20.00 |
| छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड | प्रदर्शनी प्रचार एवं प्रसार (2851-9201) | सामान्य | 32.50 | 0.00 | 32.50 | 32.50 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 |
| | हस्तशिल्प निगम को विकास योजनाओं हेतु अनुदान (2851-4748) | सामान्य/जजाक्षेउयो/अजाउयो | 365.21 | 0.00 | 365.21 | 214.71 | 257.67 | 0.00 | 257.67 | 161.69 |
| प्रबंध संचालक, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड | खादी बोर्ड की स्थापना हेतु अनुदान (2851-1068) | सामान्य | 495.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 429.00 | 0.00 | 429.00 | 0.00 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना/ सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पत्तियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पत्तियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|--|---|--|--------------------|--|--------|---|--------------------|--|----------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो. सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो. सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड | खादी बोर्ड के परिवार मूलक इकाईयों को स्थापना हेतु सहायता (2851-6193) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 426.07 | 0.00 | 426.07 | 0.00 | 397.89 | 0.00 | 397.89 | 0.00 |
| | कच्चा माल क्रय हेतु खादी बोर्ड को सहायता (2851-9307) | जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 72.41 | 0.00 | 72.41 | 0.00 | 67.61 | 0.00 | 67.61 | 0.00 |
| क्षेत्र अधिकारी, रेशम | पालित प्रजाति के कृमि पालको को स्वस्थ टसर डिम्ब समूह का वितरण (2851-5662) | जजाक्षेउयो | 983.07 | 0.00 | 983.07 | 654.38 | 877.25 | 0.00 | 877.25 | 595.67 |
| छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित | नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना (2852-5385) | सामान्य | 249.52 | 0.00 | 249.52 | 249.52 | 1,180.00 | 0.00 | 1,180.00 | 1,180.00 |
| विविध औद्योगिक इकाई | अंशपूंजी सहायता योजना (2852-5451) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 278.02 | 0.00 | 278.02 | 0.00 | 285.92 | 0.00 | 285.92 | 0.00 |
| छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित | खाद्य संस्करण सहायता अनुदान (2852-8890) | सामान्य | 756.78 | 0.00 | 756.78 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना/सामान्य/वित्त आयोग/बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|--|---|---|--------------------|---|-----------|---|--------------------|---|-----------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| विविध औद्योगिक संस्थान | मंडी शुल्क की प्रतिपूर्ति अनुदान (2852-7396) | सामान्य | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत | खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायत एवं स्थानीय निकायों को वितरण (2853-6299) | सामान्य/जजाक्षेउयो/अजाउयो | 12,772.63 | 0.00 | 12,772.63 | 0.00 | 3,709.11 | 0.00 | 3,709.11 | 0.00 |
| खनिज अधिकारी | गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का नगरीय निकायों के लिए अंतरण (2853-7611) | सामान्य/जजाक्षेउयो/अजाउयो | 63.52 | 0.00 | 63.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम मर्यादित | अधोसंरचना विकास निगम (2885-4843) | .. | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 1,048.00 | 0.00 | 1,048.00 | 0.00 |
| कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण | प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (3054-4855) | .. | 38,592.18 | 0.00 | 38,592.18 | 0.00 | 26,035.85 | 0.00 | 26,035.85 | 0.00 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना/ सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|---|---|--|--------------------|--|----------|---|--------------------|--|----------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो. सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो. सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| मुख्य कार्यकारी अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक एवं बायोटेक प्रोन्नति सोसायटी | स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क परियोजना (स्वान) (3275-6818) | सामान्य | 2,086.28 | 0.00 | 2,086.28 | 0.00 | 1,111.84 | 0.00 | 1,111.84 | 0.00 |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रोन्नति सोसाइटी (चिप्स) | डिजिटल शासन की स्थापना (3275-6894) | सामान्य | 35.70 | 0.00 | 35.70 | 0.00 | 83.30 | 0.00 | 83.30 | 0.00 |
| उप सचिव, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, रायपुर | सेन्ट्रल मॉनिटरिंग यूनिट फार इन्फ्रास्ट्रक्चर (3275-7773) | सामान्य | 263.53 | 0.00 | 263.53 | 0.00 | 77.88 | 0.00 | 77.88 | 0.00 |
| | नागरिक संबंध केन्द्र परियोजना (3275-7775) | सामान्य | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 | 630.00 | 0.00 |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रोन्नति सोसाइटी (चिप्स) | मुख्यमंत्री डैश बोर्ड योजना (3275-8546) | सामान्य | 56.33 | 0.00 | 56.33 | 0.00 | 50.49 | 0.00 | 50.49 | 0.00 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोग/ सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|---|---|--|--------------------|--|----------|---|--------------------|--|--------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो. सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो. सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| मुख्य कार्यकारी अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रोन्नति सोसायटी (चिप्स) | छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रोन्नति सोसायटी की स्थापना (3275-8726) | सामान्य | 560.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 594.64 | 0.00 | 594.64 | 0.00 |
| | मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना (3275-8922) | सामान्य | 321.00 | 0.00 | 321.00 | 0.00 | 631.00 | 0.00 | 631.00 | 0.00 |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रोन्नति सोसाइटी (चिप्स) | राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन की योजना (3275-8955) | सामान्य | 280.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| | ई-जिला परियोजना (3275-7270) | सामान्य | 1,262.00 | 0.00 | 1,262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कार्यपालन संचालक, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिक परिषद | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (3425-5433) | सामान्य | 475.00 | 0.00 | 475.00 | 100.00 | 383.00 | 0.00 | 383.00 | 175.00 |
| | साईन्स सिटी की स्थापना (3425/5425-5632) | सामान्य | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 200.00 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना/ सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|---|--|--|--------------------|--|----------|---|--------------------|--|----------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो. सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो. सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल | छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन मंडल को अनुदान (3452-3239) | सामान्य | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 525.00 | 0.00 | 525.00 | 0.00 |
| | भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान (3452-7323) | सामान्य | 99.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| आयुक्त, नगर निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत | विभिन्न अधि-नियमों के अधीन स्थानीय निकायों को समर्पित शुल्क, अर्थदण्ड तथा अन्य प्राप्तियां (3604-4035) | .. | 7,134.50 | 0.00 | 7,134.50 | 0.00 | 4,901.51 | 0.00 | 4,901.51 | 0.00 |
| | वाहनों पर कर से प्राप्त आगम से शहरीय स्थानीय निकायों को सड़क मरम्मत के लिए अनुदान (3604-8017) | .. | 540.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना/सामान्य/वित्त आयोग/बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पत्तियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पत्तियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|---|--|---|--------------------|--|-------------|---|--------------------|--|-----------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| आयुक्त, नगर निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत | प्रवेश कर से प्राप्त आगम के बराबर शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान (3604-8018) | .. | 1,00,000.00 | 0.00 | 1,00,000.00 | 0.00 | 79,152.40 | 0.00 | 79,152.40 | 0.00 |
| आयुक्त नगर निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत | एफ.एल. लाइसेन्स फीस की राशि से नगर निकायों को अनुदान (3604-5061) | .. | 1,710.00 | 0.00 | 1,710.00 | 0.00 | 1,275.57 | 0.00 | 1,275.57 | 0.00 |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत | सामान्य उद्देश्यीय अनुदान (3604-7306) | .. | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
| | मनोरंजन कर से प्राप्त राशि से नगरीय निकायों को अनुदान (3604-8850) | .. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| आयुक्त, नगर निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत | यात्रीकर समाप्त किये जाने के एवज में स्थानीय निकायों को विशेष अनुदान (3604-9436) | .. | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोग/ सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|--|---|--|--------------------|--|-----------|---|--------------------|--|-----------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो. सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो. सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| आयुक्त, नगर निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत | राज्य उत्पाद कर से नगरीय निकायो को अनुदान (3604-8666) | .. | 1,047.32 | 0.00 | 1,047.32 | 0.00 | 1,446.10 | 0.00 | 1,446.10 | 0.00 |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत | मुख्य मंत्री घोषणा की प्रतिपूर्ति (4059-7862) | सामान्य | 601.48 | 0.00 | 601.48 | 601.48 | 938.67 | 0.00 | 938.67 | 938.67 |
| सहायक संचालक, खेलकूद एवं युवा कल्याण | मूलभूत सुविधाओं का विकास, स्टेडियम आदि (2202/4202-5226) | सामान्य | 6.43 | 0.00 | 6.43 | 6.43 | 139.07 | 0.00 | 139.07 | 139.07 |
| उप संचालक, शहरी क्षेत्र विकास, रायपुर | शहरी मूलभूत अधोसंरचना का विकास (4217-7241) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो/ (वित्त आयोग) | 37,407.96 | 0.00 | 37,407.96 | 37,407.96 | 22,770.50 | 0.00 | 22,770.50 | 22,770.50 |
| छत्तीसगढ़ राज्य रूबर्न मिशन | श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन (4515-7759) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 5,452.67 | 5,452.67 | 5,452.67 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना/सामान्य/वित्त आयोग/बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|---|--|---|--------------------|---|-----------|---|--------------------|---|-----------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत | मुख्य मंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना (4515-8986) | सामान्य/जजाक्षेउयो/अजाउयो/(वित्त आयोग) | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 38,101.06 | 0.00 | 38,101.06 | 38,101.06 |
| | गांव की गलियों का आंतरिक विद्युतीकरण (4515-8991) | सामान्य/जजाक्षेउयो/अजाउयो/(वित्त आयोग) | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड | मुख्य मंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना (4801-8965) | सामान्य/अजाउयो | 3,008.60 | 0.00 | 3,008.60 | 3,008.60 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | कृषि पंपो का उर्जीकरण (4801-6758) | सामान्य/जजाक्षेउयो/अजाउयो | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | मुख्य मंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना (4801-8548) | सामान्य/जजाक्षेउयो | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजन्सी | सोलर पंप हेतु सहायक अनुदान (4810-7693) | सामान्य/जजाक्षेउयो/अजाउयो | 47,732.00 | 0.00 | 47,732.00 | 47,732.00 | 53,526.00 | 0.00 | 53,526.00 | 53,526.00 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना/सामान्य/वित्त आयोग/बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|--|--|---|--------------------|--|-----------|---|--------------------|--|-----------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड | प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य योजना) (4810/4801-7897) | सामान्य/जजाक्षेउयो/अजाउयो | 4,083.60 | 0.00 | 4,083.60 | 4,083.60 | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 |
| | मुख्य मंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना (4810-8965) | सामान्य | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्रीय ऊर्जा विकास एजन्सी | दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (4810-7652) | जजाक्षेउयो/अजाउयो | 3,822.00 | 0.00 | 3,822.00 | 3,822.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संचार प्रोन्निति समिति | संचार क्रांति योजना (5275-7861) | सामान्य/जजाक्षेउयो/अजाउयो | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 20,800.00 | 0.00 | 20,800.00 | 20,800.00 |
| संचालक, पुरातत्व संग्रहालय एवं सर्वेक्षण, राजभाषा एवं संस्कृति | पर्यटन क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों हेतु अनुदान (5452-7771) | सामान्य | 1,268.00 | 0.00 | 1,268.00 | 1,268.00 | 1,276.83 | 0.00 | 1,276.83 | 1,276.83 |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत | मुद्रांक शुल्क के वसूली के विरुद्ध पंचायत को अनुदान (3604-4610) | सामान्य | 5,544.30 | 0.00 | 5,544.30 | 0.00 | 2,472.09 | 0.00 | 2,472.09 | 0.00 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना/ सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|--|---|--|--------------------|--|--------|---|--------------------|--|----------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य हज कमेटी | हज कमेटी को सहायता (2225-9410) | सामान्य | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 |
| ब्लाक शिक्षा अधिकारी, रायपुर | विशेष कोचिंग केन्द्र योजना (2202-2194) | जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 110.44 | 0.00 | 110.44 | 0.00 | 61.70 | 0.00 | 61.70 | 0.00 |
| सहायक संचालक, युवा कल्याण क्रियाकलाप | युवा आयोग को सहायता (2204-5430) | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
| रजिस्ट्रार, पं. सुन्दरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय | पं. सुन्दरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना (2202/4202-5531) | सामान्य | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| वन विकास निधि से व्यय | वन विकास उपकर निधि से व्यय (2406-6699) | सामान्य | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| प्रबंध संचालक, जिला सहकारी बैंक, अम्बिकापुर एवं अन्य (छत्तीसगढ़) | राज्य/जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको का सहकारी बैंको में विलय (2425-8654) | सामान्य | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना/ सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|---|---|--|--------------------|---|--------|---|--------------------|---|--------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| जल प्रबंधन समितियाँ | सिंचाई सहभागिता प्रबंध समितियों को अनुदान (2705-6305) | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.77 | 0.00 | 24.77 | 0.00 |
| संचालक, छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण | सौर ऊर्जा के अतिरिक्त अन्य गैर पारंपरिक स्रोत के प्रोत्साहन हेतु अनुदान (2810-7696) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
| संचालक, छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण | बायो एनर्जी आधारित कार्यक्रम (2810-7697) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 220.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 |
| डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल | मॉडल स्कूल योजना (2202/4202-7367) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 576.00 | 0.00 | 576.00 | 0.00 | 504.18 | 0.00 | 504.18 | 0.00 |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी (चिप्स) | कोर इनक्यूबेटर-सह एक्सीलरेटर संस्थान (3275/5275-7752) | सामान्य | 446.38 | 0.00 | 446.38 | 0.00 | 167.24 | 0.00 | 167.24 | 0.00 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना/सामान्य/वित्त आयोग/बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|--|--|---|--------------------|--|--------|---|--------------------|--|--------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग | वाड्डफनगर जल प्रदाय योजना (2215-6879) | सामान्य | 407.97 | 0.00 | 407.97 | 0.00 | 271.00 | 0.00 | 271.00 | 0.00 |
| | राजीम जल प्रदाय योजना (2215-7372) | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.55 | 0.00 | 296.55 | 0.00 |
| | सहसपूर लोहारा जल प्रदाय योजना (2215-7376) | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.09 | 0.00 | 121.09 | 0.00 |
| | पाली आवर्धन लोहारा जल प्रदाय योजना (2215-7666) | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.91 | 0.00 | 555.91 | 0.00 |
| मुख्य नगर पालिका अधिकारी | बालोद आवर्धन जल प्रदाय योजना (2215-8614) | सामान्य | 103.69 | 0.00 | 103.69 | 0.00 | 275.40 | 0.00 | 275.40 | 0.00 |
| कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग | कोटवा जल प्रदाय योजना (2215-7370) | सामान्य | 196.96 | 0.00 | 196.96 | 0.00 | 364.00 | 0.00 | 364.00 | 0.00 |
| | पलारी जल प्रदाय योजना (2215-6863) | सामान्य | 98.27 | 0.00 | 98.27 | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 325.00 | 0.00 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना/ सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|--|--|--|--------------------|---|-----------|---|--------------------|---|-----------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| उप संचालक, शहरी प्रशासन एवं विकास | वाटर ए.टी.एम. की स्थापना (2217-7681) | जजाक्षेउयो | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 610.00 | 0.00 | 610.00 | 0.00 |
| आयुक्त, महिला एवं बाल विकास परियोजना | प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (2235-7884) | जजाक्षेउयो | 0.00 | 3,425.56 | 3,425.56 | 0.00 | 2,462.18 | 0.00 | 2,462.18 | 0.00 |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायत | मुख्य मंत्री पेंशन योजना (2235-7921) | सामान्य | 15,926.03 | 0.00 | 15,926.03 | 0.00 | 7,027.91 | 0.00 | 7,027.91 | 0.00 |
| तहसीलदार, मुंगेली | चना उत्पादन प्रोत्साहन योजना (2401-7931) | अजाउयो | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,487.74 | 0.00 | 11,487.74 | 0.00 |
| सहायक संचालक, बागवानी | नाबार्ड पोषित संरक्षित खेती एवं फसलोत्तर प्रबंधन योजना (2401-7854) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 489.70 | 0.00 | 489.70 | 0.00 | 491.59 | 0.00 | 491.59 | 0.00 |
| उप संचालक, पशुचिकित्सा सेवाएं | पशुधन मित्र योजना (2403-8899) | सामान्य | 295.14 | 0.00 | 295.14 | 0.00 | 285.17 | 0.00 | 285.17 | 0.00 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना/ सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|---|--|--|--------------------|--|-----------|---|--------------------|--|----------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो.सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी | राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (2515-7893) | के.प्र.यो. | 0.00 | 1,754.07 | 1,754.07 | 0.00 | 436.28 | 0.00 | 436.28 | 0.00 |
| सचिव, छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी | उद्योग पूंजीगत निधि (3275-7772) | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| | उद्यमियों को ऋण के लिए कार्पस निधि हेतु अनुदान (3275-7774) | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| | जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी का संचालन (3275-7821) | सामान्य | 160.79 | 0.00 | 160.79 | 0.00 | 149.04 | 0.00 | 149.04 | 0.00 |
| उप संचालक, शहरी प्रशासन एवं विकास | नगरीय निकायों की जल आवर्धन योजना (4215-7845) | .. | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य आवास मण्डल | मुख्य मंत्री आवास योजना (2216-7670) | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| विविध हस्तकला समिति | हथकरघा बुनकर वर्क शेड (2851-7762) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 77.50 | 0.00 | 77.50 | 77.50 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोग/ सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूजीगत परिसम्पत्तियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूजीगत परिसम्पत्तियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|---|--|--|--------------------|---|----------|--|--------------------|---|--------|--|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रोन्नति सोसाइटी (चिप्स) | छत्तीसगढ़ नवाचार निधि (3275-7920) | .. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग | बस्तर आवर्धन जल प्रदाय योजना (2215-7454) | सामान्य | 24.59 | 0.00 | 24.59 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक | महिलाओं एवं बच्चों के बचाव के लिए फॉरेंसिक लैब एवं ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना (2055-7933) | सामान्य | 0.00 | 212.74 | 212.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | विशेष अधोसंरचना योजना-सुदृढ़ पुलिस थानों के निर्माण (2055-7936) | सामान्य | 0.00 | 1,460.03 | 1,460.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| विविध शाला | पुलिस कॅडेट प्रोग्राम (2055-7908) | सामान्य | 0.00 | 204.75 | 204.75 | 0.00 | ** | ** | ** | 0.00 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना/ सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|---|---|--|--------------------|--|-------------|---|--------------------|--|------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो. सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो. सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| प्रबंध संचालक, कार्यालय राज्य परियोजना, समग्र शिक्षा | समग्र शिक्षा (2202-7979) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 0.00 | 1,81,610.17 | 1,81,610.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| संस्कृति संस्थाएं | विविध संस्थाओ को अनुदान (2205-4060) | सामान्य | 159.27 | 0.00 | 159.27 | 0.00 | ** | ** | ** | 0.00 |
| संचालक, पुरातत्व संग्रहालय तथा राजभाषा एवं संस्कृति, रायपुर | रायपुर में स्वामी विवेकानंद स्मृति संस्थान की स्थापना (2205-6361) | सामान्य | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य नोडल अधिकारी | मुख्य मंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम (2210-8649) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन | सिकल सेल परियोजना (2210-6869) | सामान्य | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | ** | ** | ** | 0.00 |
| | परिचारिकाओं का प्रशिक्षण (2210-2502) | सामान्य | 0.00 | 1,474.84 | 1,474.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोग/ सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|---|---|--|--------------------|--|----------|---|--------------------|--|------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो. सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो. सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण (2210-3463) | जजाक्षेउयो | 0.00 | 400.94 | 400.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य नोडल अधिकारी | डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना (2210-6362) | सामान्य | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी | मुख्य मंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना (2210-6363) | सामान्य | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, बेमेतरा | बेमेतरा जल प्रदाय योजना (2215-7451) | सामान्य | 330.01 | 0.00 | 330.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग | धरमजयगढ़ जल आवर्धन योजना (2215-8611) | सामान्य | 246.13 | 0.00 | 246.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग | तुंद्रा जल प्रदाय योजना (2215-8617) | सामान्य | 126.33 | 0.00 | 126.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोगना/ सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|---|---|--|--------------------|--|----------|---|--------------------|--|------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो. सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो. सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग | भाटगांव जल प्रदाय योजना (2215-8618) | सामान्य | 101.67 | 0.00 | 101.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, बलौदा बाजार | लवन जल आपूर्ति योजना (2215-6862) | सामान्य | 174.82 | 0.00 | 174.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं अन्य | मध्य क्षेत्रीय आदिवासी विकास प्राधिकरण (2225/4225-7995) | सामान्य | 1,906.46 | 0.00 | 1,906.46 | 1,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परिक्षा मंडल एवं अन्य शैक्षणिक संस्थाएं | युवा क्षमता विकास योजना (2230-7632) | सामान्य | 132.46 | 0.00 | 132.46 | 132.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| सचिव, विवेकानंद सामाजिक स्वास्थ्य एवं सेवा तथा अन्य | एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (2235-9044) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 0.00 | 191.00 | 191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-जारी
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना/ सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|--|--|--|--------------------|--|--------|---|--------------------|--|------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो. सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो. सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| सचिव, विधि एवं विधायी | राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु अनुदान (2235-5136) | जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 105.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | ** | ** | ** | 0.00 |
| उप संचालक, कृषि | नेशनल ई गवर्नेस प्लान एग्रीकल्चर (2401-7829) | सामान्य | 0.00 | 144.06 | 144.06 | 0.00 | ** | ** | ** | 0.00 |
| व्यक्तिगत अनुदान-विविध कृषक | पोषण बाड़ी विकास योजना (2401-7967) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 901.70 | 0.00 | 901.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास मंडल, रायपुर | एन.एम.एस.ए. अन्तर्गत पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन (2401-7947) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 0.00 | 621.66 | 621.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता | प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता योजना (2403-8544) | सामान्य | 197.51 | 0.00 | 197.51 | 0.00 | ** | ** | ** | 0.00 |
| व्यक्तिगत अनुदान-विविध गणनाकार | पशु संगणना कार्यक्रम (2403-5505) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 0.00 | 438.28 | 438.28 | 0.00 | ** | ** | ** | 0.00 |

परिशिष्ट-III-सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता-समाप्त
(संस्थावार तथा योजनावार)

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना/ सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायित परियोजनाएं | 2019-20 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल विमुक्त राशियों में से पूंजीगत परिसम्पतियों को निर्मित करने हेतु स्वीकृत राशि |
|---|---|--|--------------------|--|-------------|---|--------------------|--|------|---|
| | | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो. सहित) | योग | | राज्य निधि से व्यय | केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.यो. सहित) | योग | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी (अपेक्स) बैंक मर्यादित, रायपुर | अल्पकालिन कृषि माफी योजना (2425-7942) | सामान्य/ जजाक्षेउयो/ अजाउयो | 2,19,020.00 | 0.00 | 2,19,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड | कुम्भकार टेराकोटा शिल्प योजना (2851-6913) | सामान्य | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रोन्नति सोसाइटी (चिप्स) | स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना (3275-7276) | सामान्य | 947.00 | 0.00 | 947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन परियोजना (3275-7919) | सामान्य | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| प्रबंधक, अंबुजा रियलिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेड, अंबुजा सिटी मॉल | नये सिनेमाघर/ मल्टीप्लेक्स सिनेमाघर को प्रोत्साहन (2039-8629) | .. | 113.57 | 0.00 | 113.57 | 0.00 | ** | ** | ** | 0.00 |
| जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास | मानसिक बीमार महिलाओं के लिए एकीकृत महिला सहायता केन्द्र (पारिजात) (2235-8665) | सामान्य | 113.29 | 0.00 | 113.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

परिशिष्ट-IV-बाह्य सहायित परियोजनाओं की जानकारी

(₹ लाख में)

| सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी | योजना / परियोजना | कुल अनुमोदित सहायता | | | राशि | | | प्राप्त | | | पुनर्भुगतान राशि | | व्यय | |
|--|--|---------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-----------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------|---------------|---|
| | | अनुदान | ऋण | योग | वर्ष के दौरान ऋण | | | वर्ष तक | | | वर्ष के दौरान | वर्ष तक | वर्ष के दौरान | वर्ष तक |
| | | | | | अनुदान | ऋण | योग | अनुदान ¹ | ऋण | योग | | | | |
| यूरोपियन कमीशन | यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम | 46,827.12 | 0.00 | 46,827.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,827.12 | 0.00 | 46,827.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,512.93 |
| कृषि विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निधि | छत्तीसगढ़ आदिम जाति विकास कार्यक्रम (ऋण क्रमांक 0506-आईएन) | 0.00 | 11,351.00 | 11,351.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,494.10 | 3,486.22 | 4,980.32 | 203.36 | 1,630.11 | 0.00 | 5,500.00 30 अगस्त 2009 को परियोजना पूर्ण हुआ। |
| एशियन डेव्हलपमेंट बैंक | छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास परियोजना (ऋण क्रमांक 2050-आईएनडी) | 0.00 | 81,000.00 | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,007.30 | 51,350.29 | 73,357.59 | 2,995.43 | 21,657.59 | 0.00 | 1,22,243.79 31 जुलाई 2011 को परियोजना पूर्ण हुआ। |
| | छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास परियोजना-द्वितीय चरण (ऋण क्रमांक 2981-आईएनडी) | 0.00 | 1,80,000.00 | 1,80,000.00 | 0.00 | 18,186.83 | 18,186.83 | 0.00 | 1,66,126.72 | 1,66,126.72 | 3,031.66 ² | 5,045.73 | 14,737.71 | 2,30,571.67 |
| अन्तर्राष्ट्रीय पुनःनिर्माण एवं डेव्हलपमेंट बैंक | राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना-द्वितीय चरण (ऋण क्रमांक 4749-आईएन) | 0.00 | 994.09 | 994.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 809.39 | 809.39 | 83.35 ² | 820.33 | 0.00 | 2,240.40 31 मई 2014 को परियोजना पूर्ण हुआ। |

¹ छत्तीसगढ़ आदिम जाति विकास कार्यक्रम, छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास परियोजना एवं ग्रामीण गरीबी उन्मूलन परियोजना के दावे की अदायगी 70:30 के अनुपात में किया गया अर्थात् 70 प्रतिशत ऋण एवं 30 प्रतिशत अनुदान।

² वर्ष 2019-20 के दौरान वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामला विभाग, नई दिल्ली द्वारा पुनर्भुगतान सीधे प्रभावित की गई एवं परियोजना वार विवरण की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अंतः शासकीय एडवाइज एवं गत वर्ष के पुनर्भुगतान के आंकड़ों की जानकारी के आधार पर विभिन्न परियोजनाओं में पुनर्भुगतान की राशि दर्शायी गई है।

परिशिष्ट-IV-बाह्य सहायित परियोजनाओं की जानकारी-समाप्त

(₹ लाख में)

| सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी | योजना / परियोजना | कुल अनुमोदित सहायता | | | राशि | | | प्राप्त | | | पुनर्भुगतान राशि | | व्यय | |
|--|--|---------------------|-----------|-----------|------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|---------------|---|
| | | अनुदान | ऋण | योग | वर्ष के दौरान ऋण | | | वर्ष तक | | | वर्ष के दौरान | वर्ष तक | वर्ष के दौरान | वर्ष तक |
| | | | | | अनुदान | ऋण | योग | अनुदान | ऋण | योग | | | | |
| एशियन डेव्हलपमेंट बैंक | छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना (ऋण क्रमांक 2159-आईएनडी) | 872.10 | 21,160.00 | 22,032.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,367.80 | 15,367.80 | 967.47 ² | 5,188.42 | 0.00 | 20,895.64 31 मार्च 2013 को परियोजना पूर्ण हुआ। |
| अन्तर्राष्ट्रीय डेव्हलपमेंट एजेंसी | जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना (ऋण क्रमांक 3749-आईएन) | 0.00 | 61,725.00 | 61,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,268.92 | 19,294.14 | 27,563.06 | 1,125.49 | 10,016.01 | 0.00 | 29,152.06 31 मार्च 2010 को परियोजना पूर्ण हुआ। |
| वैश्विक पर्यावरण निधि एवं अन्तर्राष्ट्रीय पुनःनिर्माण एवं विकास बैंक | सस्टेनेबल अरबन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट (ऋण क्रमांक 7818-आईएन) | 912.00 | 6,690.00 | 7,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 904.29 | 7,521.61 | 8,425.90 | 339.59 ² | 1,105.56 | 0.00 | 9,824.51 |
| वैश्विक पर्यावरण फ़ैसिलिटी ट्रस्ट फण्ड | पारिस्थितिकीय विकास कार्यक्रम | 4,927.00 | 0.00 | 4,927.00 | 1,273.39 | 0.00 | 1,273.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 864.00 | 2,528.00 |
| अन्तर्राष्ट्रीय पुनःनिर्माण एवं विकास बैंक | छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन परियोजना (ऋण क्रमांक 8923-आईएन) | .. | 25,686.00 | 25,686.00 | 0.00 | 1,385.78 | 1,385.78 | 0.00 | 1,385.78 | 1,385.78 | 0.00 | 0.00 | 152.16 | 152.16 |
| एशियन डेव्हलपमेंट बैंक | छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास परियोजना-तृतीय चरण | अपेक्षित | अपेक्षित | अपेक्षित | 0.00 | 8,266.55 | 8,266.55 | 0.00 | 8,266.55 | 8,266.55 | 0.00 | 0.00 | 15,961.48 | 15,961.48 |

परिशिष्ट-V-योजनाओं में व्यय
क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं केन्द्रीय योजना)

(₹ लाख में)

| भारत सरकार की योजना | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य / आदिम जाति / अनुसूचित जाति | बजट प्रावधान 2019-20 | | | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | | | 2018-19 के वास्तविक आंकड़े | | | |
|--|---|-------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|----------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------------|------------|----------|-----------|
| | | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | |
| | | | | | | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल |
| राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) | राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (अ.के.स. ¹) | सामान्य | 1,300.23 | 0.00 | 1,300.23 | 2,637.01 | 1,114.00 | 0.00 | 1,114.00 | 2,257.24 | 1,069.13 | 0.00 | 1,069.13 |
| | | आजाउयो ² | 398.80 | 0.00 | 398.80 | | 398.80 | 0.00 | 398.80 | | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| | | अजाउयो ² | 96.60 | 0.00 | 96.60 | | 96.60 | 0.00 | 96.60 | | 115.40 | 0.00 | 115.40 |
| | राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (अ.के.स.) | सामान्य | 9,591.37 | 0.00 | 9,591.37 | 18,641.65 | 9,778.10 | 0.00 | 9,778.10 | 18,091.27 | 8,786.62 | 0.00 | 8,786.62 |
| | | आजाउयो | 5,614.48 | 0.00 | 5,614.48 | | 5,614.48 | 0.00 | 5,614.48 | | 5,323.40 | 0.00 | 5,323.40 |
| | | अजाउयो | 3,062.83 | 0.00 | 3,062.83 | | 3,062.79 | 0.00 | 3,062.79 | | 2,816.00 | 0.00 | 2,816.00 |
| | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (अ.के.स.) | सामान्य | 3,546.09 | 0.00 | 3,546.09 | 6,548.37 | 3,601.68 | 0.00 | 3,601.68 | 5,771.33 | 2,879.06 | 0.00 | 2,879.06 |
| | | आजाउयो | 2,136.05 | 0.00 | 2,136.05 | | 2,136.07 | 0.00 | 2,136.07 | | 1,966.05 | 0.00 | 1,966.05 |
| | | अजाउयो | 956.39 | 0.00 | 956.39 | | 973.20 | 0.00 | 973.20 | | 850.42 | 0.00 | 850.42 |
| | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (अ.के.स.) | सामान्य | 606.21 | 0.00 | 606.21 | 1,158.56 | 603.82 | 0.00 | 603.82 | 1,161.76 | 568.64 | 0.00 | 568.64 |
| आजाउयो | | 360.11 | 0.00 | 360.11 | 360.50 | | 0.00 | 360.50 | 358.13 | | 0.00 | 358.13 | |
| अजाउयो | | 237.42 | 0.00 | 237.42 | 220.56 | | 0.00 | 220.56 | 228.46 | | 0.00 | 228.46 | |
| राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना | महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) (के.प्र.यो. ²) | सामान्य | 36,786.78 | 12,262.26 | 49,049.04 | 61,440.38 | 36,786.78 | 12,262.26 | 49,049.04 | 48,901.25 | 28,818.22 | 9,606.08 | 38,424.30 |
| | | आजाउयो | 27,957.96 | 9,319.32 | 37,277.28 | | 27,957.96 | 9,319.32 | 32,277.28 | | 21,900.69 | 7,300.90 | 29,201.59 |
| | | अजाउयो | 8,828.84 | 2,942.95 | 11,771.79 | | 8,828.84 | 2,942.95 | 11,771.79 | | 6,591.11 | 2,197.03 | 8,788.14 |
| अनुसूचित जाति का विकास के लिए अब्रेला योजना | प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम सड़क योजना (के.प्र.यो.) | अजाउयो | 80.50 | 80.51 | 161.01 | 4,552.30 | 79.16 | 79.15 | 158.31 | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

¹ अ.के.स.-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, के.प्र.यो.-केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं के.यो.-केन्द्र योजना दर्शाते हैं।

² आजाउयो-आदिम जाति उप योजना एवं अजाउयो-अनुसूचित जाति उप योजना दर्शाते हैं।

परिशिष्ट-V-योजनाओं में व्यय-जारी
क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं केन्द्रीय योजना)-जारी

(₹ लाख में)

| भारत सरकार की योजना | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य/ आदिम जाति/ अनुसूचित जाति | बजट प्रावधान 2019-20 | | | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | | | 2018-19 के वास्तविक आंकड़े | | | |
|--|--|-----------------------------------|----------------------|-----------|-----------|----------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------------|------------|-----------|-----------|
| | | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | |
| | | | | | | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल |
| अनुसूचित जाति का विकास के लिए अब्रेला योजना | अनुसूचित जाति ³ के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो.) | अजाउयो | 1,596.62 | 1,580.15 | 3,176.77 | 3,249.90 | 1,621.75 | 1,573.82 | 3,195.57 | 2,148.00 | 723.54 | 687.69 | 1,411.23 |
| | छात्रावृत्ति ⁴ (के.यो.) | अजाउयो | 650.00 | 0.00 | 650.00 | 1,368.00 | 644.73 | 0.00 | 644.73 | 323.00 | 1,302.02 | 0.00 | 1,302.02 |
| अनुसूचित जनजाति का विकास के लिए अब्रेला योजना | एकीकृत अम्ब्रेला योजना ⁵ (के.प्र.यो.) | आजाउयो | 15,104.66 | 2,984.85 | 18,089.51 | 11,819.63 | 14,227.18 | 3,556.80 | 17,783.98 | 0.00 | 8,819.60 | 2,204.90 | 11,024.50 |
| | आदिम जाति के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (के.यो.) | आजाउयो | 907.70 | 0.00 | 907.70 | 0.00 | 990.55 | 0.00 | 990.55 | 0.00 | 962.10 | 0.00 | 962.10 |
| | स्थानीय विकास कार्यक्रम ⁶ के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (अ.के.स.) | आजाउयो | 9,115.93 | 0.00 | 9,115.93 | 9,415.53 | 9,053.11 | 0.00 | 9,053.11 | 10,342.65 | 12,805.85 | 0.00 | 12,805.85 |
| | | अजाउयो | 2,364.18 | 0.00 | 2,364.18 | | 2,560.07 | 0.00 | 2,560.07 | | 3,720.70 | 0.00 | 3,720.70 |
| आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार अनुच्छेद 275 (1) (अ.के.स.) | आजाउयो | 15,599.52 | 0.00 | 15,599.52 | 22,500.77 | 15,276.52 | 0.00 | 15,276.52 | 11,352.92 | 13,240.30 | 0.00 | 13,240.30 | |

³ यह राशि विवरण क्रमांक 14 में मुख्यशीर्ष 1601-06-101 के अन्तर्गत "अनुसूचित जाति के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (सहायता अनुदान-सामान्य)" (₹ 1,553.50 लाख) एवं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 (₹ 1,696.40 लाख) योजना के विरुद्ध दर्शाया गया है।

⁴ यह राशि विवरण क्रमांक 14 में मुख्यशीर्ष 1601-06-101 के अन्तर्गत "अनुसूचित जाति के छात्राओं को मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति" (₹ 327.00 लाख) एवं "अनुसूचित जाति के छात्राओं को मेट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति" (₹ 1,041.00 लाख) योजना के विरुद्ध दर्शाया गया है।

⁵ यह राशि विवरण क्रमांक 14 में मुख्यशीर्ष 1601-06-101 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के विकास के लिए "अम्ब्रेला कार्यक्रम-अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति" (₹ 7,022.69 लाख) एवं "अनुसूचित जाति के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम-अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मेट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति" (₹ 4,796.94 लाख) योजना के विरुद्ध दर्शाया गया है।

⁶ यह राशि विवरण क्रमांक 14 में मुख्यशीर्ष 1601-06-101 के अन्तर्गत "जनजाति उप योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (पूँजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान)" (₹ 6,154.56 लाख) एवं "जनजाति उप योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (सहायता अनुदान-सामान्य)" (₹ 3,260.97 लाख) योजना के विरुद्ध दर्शाया गया है।

परिशिष्ट-V-योजनाओं में व्यय-जारी
क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं केन्द्रीय योजना)-जारी

(₹ लाख में)

| भारत सरकार की योजना | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य/आदिम जाति/अनुसूचित जाति | बजट प्रावधान 2019-20 | | | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | | | 2018-19 के वास्तविक आंकड़े | | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------|----------|--------|----------------------------|------------|----------|--------|----------------------------|------------|----------|----------|
| | | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | |
| | | | | | | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल |
| अनुसूचित जनजाति का विकास के लिए अंब्रेला योजना | लघु वन उत्पाद के लिए अनुदान (के.यो) | आजाउयो | 937.04 | 0.00 | 937.04 | 703.53 | 937.04 | 0.00 | 937.04 | 197.31 | 759.21 | 0.00 | 759.21 |
| | वनबंधू कल्याण योजना ⁷ (के.यो.) | आजाउयो | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,311.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,051.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अल्पसंख्यकों का विकास के लिए अंब्रेला योजना | लघु बहु क्षेत्रीय विकास योजना (के.प्र.यो.) | सामान्य | 117.60 | 50.40 | 168.00 | 100.80 | 117.60 | 50.40 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन तथा कमजोर समूह के विकास के लिए अंब्रेला योजना | समाज कल्याण सलाहकार मण्डल का गठन (के.प्र.यो.) | सामान्य | 0.00 | 25.80 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 25.80 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 48.20 | 48.20 |
| | छात्रवृत्ति (के.यो.) | सामान्य | 903.53 | 0.00 | 903.53 | 0.00 | 900.38 | 0.00 | 900.38 | 2,632.00 | 2,260.63 | 0.00 | 2,260.63 |
| हरित क्रांति (कृषि उन्नति योजनाएं एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना) | कृषि सांख्यिकी सुधार योजना (के.यो.) | सामान्य | 31.50 | 0.00 | 31.50 | 35.00 | 29.65 | 0.00 | 29.65 | 120.00 | 48.56 | 0.00 | 48.56 |
| | क्षेत्र एवं उत्पाद-कता का अनुमान समय पर उपलब्ध कराने की योजना (के.यो.) | सामान्य | 57.03 | 0.00 | 57.03 | 50.00 | 54.63 | 0.00 | 54.63 | 0.00 | 54.53 | 0.00 | 54.53 |

⁷ यह राशि विवरण क्रमांक 14 में मुख्यशीर्ष 1601-06-101 के अन्तर्गत "अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए अंब्रेला कार्यक्रम : वनबंधू कल्याण योजना-विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास (सहायता अनुदान-सामान्य)" (₹ 527.73 लाख) एवं "अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए अंब्रेला कार्यक्रम : वनबंधू कल्याण योजना-विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास (पूँजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान)" (₹ 783.62 लाख) योजना के विरुद्ध दर्शाया गया है।

परिशिष्ट-V-योजनाओं में व्यय-जारी
क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं केन्द्रीय योजना)-जारी

(₹ लाख में)

| भारत सरकार की योजना | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य / आदिम जाति / अनुसूचित जाति | बजट प्रावधान 2019-20 | | | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | | | 2018-19 के वास्तविक आंकड़े | | | |
|---|--|-------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------------------------|------------|----------|----------|----------------------------|------------|----------|----------|
| | | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | |
| | | | | | | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल |
| हरित क्रांति (कृषि उन्नति योजनाएं एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना) | कृषि जनगणना (के.यो) | सामान्य | 112.68 | 0.00 | 112.68 | 57.00 | 93.56 | 0.00 | 93.56 | 86.21 | 48.34 | 0.00 | 48.34 |
| | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ⁸ (के.प्र.यो.) | सामान्य | 3,600.00 | 2,400.00 | 6,000.00 | 5,532.68 | 3,600.00 | 2,400.00 | 6,000.00 | 5,953.38 | 2,190.63 | 1,460.42 | 3,651.05 |
| | | आजाउयो | 1,759.41 | 1,172.94 | 2,932.35 | | 1,759.41 | 1,172.94 | 2,932.35 | | 1,230.78 | 820.52 | 2,051.30 |
| | | अजाउयो | 852.36 | 568.25 | 1,420.61 | | 852.36 | 568.25 | 1,420.61 | | 448.95 | 299.30 | 748.25 |
| | तिलहन एवं पाम तेल पर राष्ट्रीय मिशन (के.प्र.यो.) | सामान्य | 208.41 | 138.93 | 347.34 | 450.00 | 208.41 | 138.93 | 347.34 | 441.54 | 156.50 | 104.34 | 260.84 |
| | | आजाउयो | 92.00 | 61.34 | 153.34 | | 92.00 | 61.34 | 153.34 | | 110.15 | 73.43 | 183.58 |
| | | अजाउयो | 39.56 | 26.38 | 65.94 | | 39.56 | 26.38 | 65.94 | | 34.29 | 22.87 | 57.16 |
| | बीज एवं रोपण सामग्री पर सबमिशन (एन.एम.ए.इ.टी.) ⁹ (के.प्र.यो.) | सामान्य | 657.05 | 438.04 | 1,095.09 | 1,356.77 | 657.05 | 438.04 | 1,095.09 | 586.50 | 551.41 | 367.60 | 919.01 |
| | | आजाउयो | 496.99 | 331.32 | 828.31 | | 496.99 | 331.32 | 828.31 | | 435.01 | 290.01 | 725.02 |
| | | अजाउयो | 49.91 | 33.28 | 83.19 | | 157.22 | 104.81 | 262.03 | | 50.89 | 33.93 | 84.82 |
| | रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट स्कीम (एन.एम.एस.ए.) (के.प्र.यो.) | सामान्य | 301.27 | 200.85 | 502.12 | 0.00 | 301.02 | 200.68 | 501.70 | 650.00 | 355.06 | 236.70 | 591.76 |
| | | आजाउयो | 116.23 | 77.49 | 193.72 | | 116.23 | 77.49 | 193.72 | | 141.56 | 94.38 | 235.94 |
| | | अजाउयो | 33.55 | 22.37 | 55.92 | | 33.55 | 22.37 | 55.92 | | 33.28 | 22.18 | 55.46 |
| | स्वाइल हेल्थ मैनेजमेंट योजना (एन.एम.एस.ए.) ¹⁰ (के.प्र.यो.) | सामान्य | 328.42 | 218.94 | 547.36 | 405.13 | 329.23 | 219.50 | 548.73 | 1,140.40 | 303.88 | 202.58 | 506.46 |
| | | आजाउयो | 254.76 | 169.85 | 424.61 | | 254.76 | 169.84 | 424.60 | | 334.75 | 223.16 | 557.91 |
| | | अजाउयो | 66.48 | 44.31 | 110.79 | | 66.48 | 44.31 | 110.79 | | 108.98 | 72.66 | 181.64 |

⁸ यह राशि विवरण क्रमांक 14 में मुख्यशीर्ष 1601-06-101 के अन्तर्गत "हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (सहायता अनुदान-सामान्य)" (₹ 2,892.68 लाख) एवं "हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (सहायता अनुदान-सामान्य)" पूर्वतर भारत में तिलहन के खेती हेतु टारगेटेड राईस फेलो एरिया (टीआरएफए) (₹ 2,640.00 लाख) योजना के विरुद्ध दर्शाया गया है।

⁹ यह राशि विवरण क्रमांक 14 में मुख्यशीर्ष 1601-06-101 के अन्तर्गत "हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना-बीज एवं रोपण सामग्री पर उप मिशन (एनएमएइटी) (सहायता अनुदान-सामान्य)" (₹ 516.77 लाख) एवं "हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना-बीज एवं रोपण सामग्री पर मिशन-बीज अधोसंरचना सुविधाओं का सृजन (पूजीगत संपत्तियों का निर्माण-अनुदान के लिए)" (₹ 840.00 लाख) योजना के विरुद्ध दर्शाया गया है।

¹⁰ यह राशि विवरण क्रमांक 14 में मुख्यशीर्ष 1601-06-101 के अन्तर्गत "मृदा स्वास्थ्य कार्ड-उपजाओं के प्रबंधन पर राष्ट्रीय मिशन (सहायता अनुदान-सामान्य)" (₹ 220.13 लाख) एवं "कृषोन्नति योजना-मृदा स्वास्थ्य तथा उपजाओं के प्रबंधन पर राष्ट्रीय मिशन (सहायता अनुदान-सामान्य)" (₹ 185.00 लाख) योजना के विरुद्ध दर्शाया गया है।

परिशिष्ट-V-योजनाओं में व्यय-जारी
क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं केन्द्रीय योजना)-जारी

(₹ लाख में)

| भारत सरकार की योजना | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य / आदिम जाति / अनुसूचित जाति | बजट प्रावधान 2019-20 | | | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | | | 2018-19 के वास्तविक आंकड़े | | | |
|---|---|-------------------------------------|----------------------|----------|-----------|----------------------------|------------|----------|----------|----------------------------|------------|----------|----------|
| | | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | |
| | | | | | | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल |
| हरित क्रांति (कृषि उन्नति योजनाएं एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना) | सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (एन.एम.ए.ई.टी.) (के.प्र.यो.) | सामान्य | 1,509.71 | 1,006.48 | 2,516.19 | 1,567.90 | 1,509.71 | 1,006.48 | 2,516.19 | 1,225.92 | 572.47 | 381.64 | 954.11 |
| | | आजाउयो | 464.48 | 309.66 | 774.14 | | 464.48 | 309.66 | 774.14 | | 264.74 | 176.50 | 441.24 |
| | | अजाउयो | 288.00 | 192.00 | 480.00 | | 296.59 | 197.72 | 494.31 | | 107.50 | 71.66 | 179.16 |
| | राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स प्लान-कृषि (के.प्र.यो.) | सामान्य | 86.44 | 57.62 | 144.06 | 188.00 | 86.44 | 57.62 | 144.06 | 57.60 | 53.96 | 0.00 | 53.96 |
| | एकीकृत बागवानी विकास मिशन (के.प्र.यो.) | सामान्य | 5,004.02 | 3,336.02 | 8,340.04 | 6,844.50 | 5,006.08 | 3,337.38 | 8,343.46 | 10,453.00 | 3,249.53 | 2,166.36 | 5,415.89 |
| | | आजाउयो | 2,902.38 | 1,934.92 | 4,837.30 | | 2,902.38 | 1,934.92 | 4,837.30 | | 2,029.48 | 1,352.99 | 3,382.47 |
| | | अजाउयो | 1,056.79 | 704.52 | 1,761.31 | | 1,054.74 | 703.16 | 1,757.90 | | 679.58 | 453.06 | 1,132.64 |
| | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति) (के.प्र.यो.) | सामान्य | 3,015.31 | 2,010.20 | 5,025.51 | 0.00 | 3,015.31 | 2,010.20 | 5,025.51 | 11,294.30 | 2,696.71 | 1,797.80 | 4,494.51 |
| | | आजाउयो | 2,339.06 | 1,559.38 | 3,898.44 | | 2,339.06 | 1,559.38 | 3,898.44 | | 2,098.77 | 1,399.18 | 3,497.95 |
| | | अजाउयो | 448.44 | 298.96 | 747.40 | | 448.44 | 298.96 | 747.40 | | 472.41 | 314.94 | 787.35 |
| राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) (के.प्र.यो.) | सामान्य | 4,559.18 | 3,039.46 | 7,598.64 | 12,600.00 | 4,523.18 | 3,015.46 | 7,538.64 | | 2,872.40 | 1,914.93 | 4,787.33 | |
| | आजाउयो | 3,408.63 | 2,272.42 | 5,681.05 | | 3,154.22 | 2,102.81 | 5,257.03 | | 1,576.03 | 1,050.69 | 2,626.72 | |
| | अजाउयो | 1,198.17 | 798.79 | 1,996.96 | | 989.28 | 659.53 | 1,648.81 | | 913.15 | 608.76 | 1,521.91 | |
| कृषि यांत्रिकी-करण मिशन अंतर्गत कृषि उपकरण हेतु अनुदान (के.प्र.यो.) | सामान्य | 2,281.56 | 1,329.69 | 3,611.25 | 2,000.00 | 2,166.75 | 1,444.50 | 3,611.25 | 2,000.00 | 765.61 | 510.35 | 1,275.96 | |
| | आजाउयो | 976.06 | 650.70 | 1,626.76 | | 976.06 | 650.70 | 1,626.76 | | 442.61 | 295.05 | 737.66 | |
| | अजाउयो | 332.06 | 221.38 | 553.44 | | 332.06 | 221.38 | 553.44 | | 277.19 | 184.77 | 461.96 | |

परिशिष्ट-V-योजनाओं में व्यय-जारी
क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं केन्द्रीय योजना)-जारी

(₹ लाख में)

| भारत सरकार की योजना | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य / आदिम जाति / अनुसूचित जाति | बजट प्रावधान 2019-20 | | | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | | | 2018-19 के वास्तविक आंकड़े | | | |
|---|---|-------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------------------------|------------|----------|----------|----------------------------|------------|----------|----------|
| | | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | |
| | | | | | | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल |
| हरित क्रांति (कृषि उन्नति योजनाएं एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना) | कृषि वानिकी पर राष्ट्रीय परियोजना (के.प्र.यो.) | सामान्य | 83.75 | 55.84 | 139.59 | 200.00 | 83.75 | 55.84 | 139.59 | 150.00 | 53.32 | 35.54 | 88.86 |
| | | आजाउयो | 55.14 | 36.76 | 91.90 | | 55.14 | 36.76 | 91.90 | | 28.93 | 19.28 | 48.21 |
| | | अजाउयो | 17.50 | 11.67 | 29.17 | | 17.50 | 11.67 | 29.17 | | 11.33 | 7.55 | 18.88 |
| | परमपरागत कृषि विकास योजना (के.प्र.यो.) | सामान्य | 591.25 | 394.17 | 985.42 | 0.00 | 591.25 | 394.17 | 985.42 | 1,009.80 | 74.93 | 49.96 | 124.89 |
| | | आजाउयो | 342.38 | 228.26 | 570.64 | | 342.38 | 228.26 | 570.64 | | 103.53 | 69.01 | 172.54 |
| | | अजाउयो | 130.04 | 86.69 | 216.73 | | 130.04 | 86.69 | 216.73 | | 39.46 | 26.30 | 65.76 |
| | टारगेटेड राईस फेलो एरिया (टीआरएफए) (के.प्र.यो.) | सामान्य | 1,844.50 | 1,229.66 | 3,074.16 | 3,000.00 | 1,844.50 | 1,229.66 | 3,074.16 | 2,105.36 | 406.69 | 271.12 | 677.81 |
| | | आजाउयो | 1,488.37 | 992.24 | 2,480.61 | | 1,488.37 | 992.24 | 2,480.61 | | 0.00 | 524.40 | 524.40 |
| | | अजाउयो | 400.20 | 266.80 | 667.00 | | 400.20 | 266.80 | 667.00 | | 0.00 | 169.35 | 169.35 |
| | रिक्लेमेशन आफ प्राब्लम स्वाइल (आरपीएस) (के.प्र.यो.) | सामान्य | 84.49 | 56.33 | 140.82 | 150.00 | 84.49 | 56.33 | 140.82 | 100.00 | 34.94 | 23.29 | 58.23 |
| | | आजाउयो | 68.52 | 45.68 | 114.20 | | 68.52 | 45.68 | 114.20 | | 0.00 | 36.33 | 36.33 |
| | | अजाउयो | 13.96 | 9.30 | 23.26 | | 13.96 | 9.30 | 23.26 | | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| | एन.एम.एस.ए. के अन्तर्गत बांबू मिशन का पुनर्गठन (के.प्र.यो.) | सामान्य | 214.22 | 142.82 | 357.04 | 376.00 | 214.22 | 142.82 | 357.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | आजाउयो | 117.77 | 78.51 | 196.28 | | 117.77 | 78.51 | 196.28 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | अजाउयो | 41.00 | 27.34 | 68.34 | | 41.00 | 27.34 | 68.34 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| श्वेत क्रांति (पशु पालन एवं दुग्ध व्यवसाय) | दुग्ध, अण्डा, ऊन एवं मांस की उपलब्धता का आकलन (के.प्र.यो.) | सामान्य | 21.90 | 20.19 | 42.09 | 0.00 | 21.80 | 20.09 | 41.89 | 0.00 | 18.07 | 18.07 | 36.14 |
| | कुक्कुट पाल प्रक्षेत्रों पर मुर्गी पालन विकास की योजना (के.प्र.यो.) | सामान्य | 12.70 | 1,535.32 | 1,548.02 | 0.00 | 0.00 | 1,545.57 | 1,545.57 | 0.00 | 57.31 | 1,202.26 | 1,259.57 |

परिशिष्ट-V-योजनाओं में व्यय-जारी
क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं केन्द्रीय योजना)-जारी

(₹ लाख में)

| भारत सरकार की योजना | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य/ आदिम जाति/ अनुसूचित जाति | बजट प्रावधान 2019-20 | | | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | | 2018-19 के वास्तविक आंकड़े | | | | |
|--|--|-----------------------------------|----------------------|----------|----------|----------------------------|------------|----------|----------------------------|--------|------------|----------|--------|
| | | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | | |
| | | | | | | | केन्द्रांश | राज्यांश | | कुल | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल |
| श्वेत क्रांति (पशु पालन एवं दुग्ध व्यवसाय) | पशु जनगणना कार्यक्रम ¹¹ (के.यो.) | सामान्य | 389.13 | 0.00 | 389.13 | 367.66 | 389.13 | 0.00 | 389.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | आजाउयो | 38.15 | 0.00 | 38.15 | | 38.15 | 0.00 | 38.15 | | | | |
| | | अजाउयो | 0.99 | 0.00 | 0.99 | | 11.01 | 0.00 | 11.01 | | | | |
| नीलक्रांति (एकीकृत मछलीपालन का विकास) | मछुआ सहकारिता एवं मत्स्य विपणन (के.प्र.यो.) | सामान्य | 5.45 | 5.46 | 10.91 | 0.00 | 5.45 | 5.46 | 10.91 | 0.00 | 0.00 | 10.10 | 10.10 |
| | | आजाउयो | 5.21 | 0.00 | 5.21 | | 5.21 | 0.00 | 5.21 | | | | |
| | मत्स्य क्षेत्र में भौगोलिक सूचना तन्त्र एवं डाटा बेस के सुदृढीकरण (के.यो.) | सामान्य | 52.50 | 0.00 | 52.50 | 0.00 | 52.50 | 0.00 | 52.50 | 74.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | नीलक्रांति अंतर्गत मत्स्य पालन विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रम (के.प्र.यो.) | सामान्य | 839.76 | 559.84 | 1,399.60 | 3,293.90 | 935.28 | 623.52 | 1,558.80 | 971.32 | 479.45 | 479.45 | 958.90 |
| | | आजाउयो | 824.13 | 549.42 | 1,373.55 | | 1,101.54 | 734.37 | 1,835.91 | | 188.70 | 188.70 | 377.40 |
| अजाउयो | 269.99 | 179.99 | 449.98 | 362.99 | 241.99 | | 604.98 | 15.34 | 15.35 | | 30.69 | | |
| प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना | महानदी आयाकट विकास प्राधिकरण (के.प्र.यो.) | सामान्य | 74.04 | 71.52 | 145.56 | 0.00 | 73.69 | 71.16 | 144.85 | 0.00 | 63.20 | 78.76 | 141.96 |
| | हसदेव विकास प्राधिकरण (के.प्र.यो.) | सामान्य | 23.08 | 46.33 | 69.41 | 0.00 | 20.80 | 41.75 | 62.55 | 0.00 | 34.89 | 32.51 | 67.40 |

¹¹ यह राशि विवरण क्रमांक 14 में मुख्यशीर्ष 1601-06-101 के अन्तर्गत "श्वेत क्रांति-पशुधन जनगणना एवं एकीकृत नमूना सर्वेक्षण (सहायता अनुदान-सामान्य)" (₹ 10.11 लाख) एवं "श्वेत क्रांति-पशुधन जनगणना एवं एकीकृत नमूना सर्वेक्षण" (₹ 357.55 लाख) योजना के विवरण क्रमांक 14 में मुख्यशीर्ष 1601-08-113 के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

परिशिष्ट-V-योजनाओं में व्यय-जारी
क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं केन्द्रीय योजना)-जारी

(₹ लाख में)

| भारत सरकार की योजना | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य / आदिम जाति / अनुसूचित जाति | बजट प्रावधान 2019-20 | | | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | | 2018-19 के वास्तविक आंकड़े | | | | |
|--|---|-------------------------------------|----------------------|-----------|-------------|----------------------------|------------|-----------|----------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | | |
| | | | | | | | केन्द्रांश | राज्यांश | | कुल | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल |
| प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना | लघु सिंचाई योजनाओं की गणना, मानदेय एवं अन्य आकस्मिक व्यय (के.यो.) | सामान्य | 47.40 | 0.00 | 47.40 | 0.00 | 45.53 | 0.00 | 45.53 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| | प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना ¹² (के.प्र.यो.) | सामान्य | 2,171.30 | 1,447.53 | 3,618.83 | 7,922.00 | 2,171.30 | 1,447.53 | 3,618.83 | 10,042.00 | 489.86 | 326.57 | 816.43 |
| | | आजाउयो | 859.09 | 572.72 | 1,431.81 | | 859.09 | 572.72 | 1,431.81 | | 58.60 | 39.06 | 97.66 |
| | | अजाउयो | 276.54 | 184.35 | 460.89 | | 276.54 | 184.35 | 460.89 | | 33.64 | 22.42 | 56.06 |
| | एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम ¹² (के.प्र.यो.) | सामान्य | 5,738.40 | 3,825.60 | 9,564.00 | | 5,738.40 | 3,825.60 | 9,564.00 | | 3,904.60 | 2,603.06 | 6,507.66 |
| | | आजाउयो | 840.89 | 560.59 | 1,401.48 | | 840.89 | 560.59 | 1,401.48 | | 525.00 | 350.00 | 875.00 |
| | | अजाउयो | 1,440.00 | 960.00 | 2,400.00 | | 1,440.00 | 960.00 | 2,400.00 | | 742.00 | 494.66 | 1,236.66 |
| बौध तथा सम्बद्ध कार्य (के.प्र.यो.) | सामान्य | 947.94 | 1,418.04 | 2,365.98 | 0.00 | | 948.03 | 1,417.91 | 2,365.94 | | 0.00 | 1,794.84 | 1,196.56 |
| प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएस वाय) ¹³ (के.प्र.यो.) | सामान्य | 43,684.20 | 29,122.80 | 72,807.00 | 1,18,922.00 | 43,684.20 | 29,122.80 | 72,807.00 | 66,439.00 | 28,800.00 | 19,200.00 | 48,000.00 | |
| | आजाउयो | 33,193.57 | 22,133.33 | 55,326.90 | | 33,193.57 | 22,133.33 | 55,326.90 | | 22,200.00 | 14,800.00 | 37,000.00 | |
| | अजाउयो | 10,484.21 | 6,989.47 | 17,473.68 | | 10,484.21 | 6,989.47 | 17,473.68 | | 6,712.00 | 4,488.00 | 11,200.00 | |
| | आर.आर.पी. फेज-II(के.प्र.यो.) | आजाउयो | 39,956.43 | 26,637.60 | 66,594.03 | 42,537.90 | 39,956.22 | 26,637.48 | 66,594.70 | 0.00 | 7,608.06 | 5,072.03 | 12,680.09 |

¹² यह राशि विवरण क्रमांक 14 में मुख्यशीर्ष 1601-06-101 के अन्तर्गत "प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना-प्रति बुंद अधिक फसल (सहायता अनुदान-सामान्य)" (₹ 3,215.00 लाख) एवं "प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना-एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम" (₹ 4,707.00 लाख) के विरुद्ध दर्शाया गया है।

¹³ यह राशि विवरण क्रमांक 14 में मुख्यशीर्ष 1601-06-101 एवं 1601-06-102 के अन्तर्गत क्रमशः "प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-नियमित पीएमजीएसवाय के लिए कार्यक्रम निधि (पूँजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान)" (₹ 95,941.20 लाख) एवं "प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-कार्यक्रम घटक (एडीबी)" (₹ 22,980.80 लाख) योजना के विरुद्ध दर्शाया गया है।

परिशिष्ट-V-योजनाओं में व्यय-जारी
क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं केन्द्रीय योजना)-जारी

(₹ लाख में)

| भारत सरकार की योजना | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य / आदिम जाति / अनुसूचित जाति | बजट प्रावधान 2019-20 | | | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | | | 2018-19 के वास्तविक आंकड़े | | | |
|---|--|-------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|----------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------------|------------|-----------|-------------|
| | | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | |
| | | | | | | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल |
| प्रधान मंत्री आवास योजना | सबके लिए आवास योजना ¹⁴ (के.प्र.यो.) | सामान्य | 1,148.93 | 765.94 | 1,914.87 | 6,531.07 | 1,148.93 | 765.94 | 1,914.87 | 1,86,487.15 | 6,819.64 | 4,446.42 | 11,266.06 |
| | | आजाउयो | 2,525.92 | 1,683.95 | 4,209.87 | | 2,525.92 | 1,683.95 | 4,209.87 | | 2,520.00 | 1,680.00 | 4,200.00 |
| | | अजाउयो | 1,852.01 | 1,234.67 | 3,086.68 | | 1,852.01 | 1,234.67 | 3,086.68 | | 1,440.00 | 960.00 | 2,400.00 |
| | प्रधान मंत्री आवास योजना (के.प्र.यो.) | सामान्य | 19,963.88 | 10,593.31 | 30,557.19 | 56,254.50 | 19,963.88 | 10,593.31 | 30,557.19 | | 64,767.72 | 43,178.48 | 1,07,946.20 |
| | | आजाउयो | 23,975.67 | 0.00 | 23,975.67 | | 23,975.67 | 0.00 | 23,975.67 | | 51,257.26 | 34,171.51 | 85,428.77 |
| | | अजाउयो | 9,793.91 | 0.00 | 9,793.91 | | 9,793.91 | 0.00 | 9,793.91 | | 30,807.31 | 10,384.85 | 41,192.16 |
| राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन / जल जीवन मिशन | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी. डब्ल्यू.पी.) (के.प्र.यो.) | सामान्य | 1,453.34 | 1,423.33 | 2,876.67 | 6,581.96 | 1,437.97 | 1,437.98 | 2,875.95 | 4,818.72 | 1,410.50 | 1,410.49 | 2,820.99 |
| | | आजाउयो | 2,854.47 | 2,894.46 | 5,748.93 | | 2,875.86 | 2,875.86 | 5,751.72 | | 1,862.60 | 1,862.59 | 3,725.19 |
| | | अजाउयो | 778.86 | 778.86 | 1,557.72 | | 776.31 | 776.32 | 1,552.63 | | 573.59 | 573.59 | 1,147.18 |
| | राज्य स्तरीय एम & आई प्रकोष्ठ की स्थापना (के.प्र.यो.) | सामान्य | 15.20 | 15.19 | 30.39 | 0.00 | 19.57 | 19.57 | 39.14 | | 0.00 | 7.55 | 7.55 |
| स्वच्छ भारत मिशन (एस.बी.एम) | स्वच्छ भारत अभियान (के.प्र.यो.) | सामान्य | 9,163.12 | 6,720.25 | 15,883.37 | 13,897.97 | 9,163.12 | 6,720.25 | 15,883.37 | 32,608.00 | 14,900.64 | 9,933.76 | 24,834.40 |
| | | आजाउयो | 7,028.98 | 4,875.98 | 11,904.96 | | 7,142.98 | 4,761.98 | 11,904.96 | | 13,285.14 | 9,216.82 | 22,501.96 |
| | | अजाउयो | 2,633.80 | 1,875.86 | 4,509.66 | | 2,633.80 | 1,875.86 | 4,509.66 | | 6,232.11 | 4,367.08 | 10,599.19 |
| राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) | क्षेत्रीय परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र (के.प्र.यो.) | सामान्य | 91.68 | 9.52 | 101.20 | 22.30 | 89.29 | 9.27 | 98.56 | 116.33 | 80.11 | 8.90 | 89.01 |

¹⁴ यह राशि विवरण क्रमांक 14 में मुख्यशीर्ष 1601-06-102 के अन्तर्गत "प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी)-सबके लिए आवास (पूँजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान)" (₹ 5,974.20 लाख), "प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी)-जियो टैगिंग कार्यकलाप (सहायता अनुदान-सामान्य)" (₹ 36.34 लाख), "प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी)-केन्द्र स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ का गठन (सीएलटीसी) (सहायता अनुदान-सामान्य)" (₹ 288.36 लाख), "प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी)-क्षमता निर्माण (सहायता अनुदान-सामान्य)" (₹ 140.59 लाख) एवं "प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी)-गुणवत्ता की जाँच" (₹ 91.58 लाख) योजना के विरुद्ध दर्शाया गया है।

परिशिष्ट-V-योजनाओं में व्यय-जारी
क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं केन्द्रीय योजना)-जारी

(₹ लाख में)

| भारत सरकार की योजना | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य / आदिम जाति / अनुसूचित जाति | बजट प्रावधान 2019-20 | | | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | | 2018-19 के वास्तविक आंकड़े | | | | |
|---|---|-------------------------------------|----------------------|----------|-----------|----------------------------|------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|-----------|
| | | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | | |
| | | | | | | | केन्द्रांश | राज्यांश | | कुल | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल |
| राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) | जिला स्तरीय स्टाफ (के.प्र.यो.) | सामान्य | 361.58 | 107.45 | 469.03 | 839.79 | 359.39 | 106.81 | 466.20 | 1,449.49 | 275.02 | 91.67 | 366.69 |
| | | आजाउयो | 171.26 | 45.32 | 216.58 | | 170.64 | 45.14 | 215.78 | | 169.32 | 48.26 | 217.58 |
| | | अजाउयो | 86.56 | 0.00 | 86.56 | | 85.84 | 0.00 | 85.84 | | 83.93 | 0.00 | 83.93 |
| | बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना (के.प्र.यो.) | सामान्य | 74.97 | 19.06 | 94.03 | 176.93 | 74.76 | 19.00 | 93.76 | 165.34 | 77.09 | 20.66 | 97.75 |
| | | आजाउयो | 95.12 | 27.88 | 123.00 | | 109.53 | 32.11 | 141.64 | | 60.11 | 20.04 | 80.15 |
| | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण (के.प्र.यो.) | सामान्य | 1.69 | 1.81 | 3.50 | 0.00 | 1.68 | 1.81 | 3.49 | 0.00 | 19.31 | 23.60 | 42.91 |
| | | आजाउयो | 406.96 | 79.74 | 486.70 | | 385.16 | 114.14 | 499.30 | | 79.41 | 26.47 | 105.88 |
| | उप स्वास्थ्य केन्द्र (के.प्र.यो.) | सामान्य | 10,168.86 | 62.72 | 10,231.58 | 7,383.21 | 10,598.13 | 65.05 | 10,663.18 | 19,964.10 | 9,583.12 | 96.80 | 9,679.92 |
| | | आजाउयो | 11,353.54 | 55.89 | 11,409.43 | | 11,531.49 | 56.78 | 11,588.27 | | 10,033.25 | 101.35 | 10,134.60 |
| | | अजाउयो | 1,881.42 | 14.37 | 1,895.79 | | 1,911.19 | 14.64 | 1,925.83 | | 1,586.36 | 16.02 | 1,602.38 |
| | ऑकजीलियरी नर्स, मिडवाइफ एवं हेल्थ विजीटर्स को परिवार कल्याण का प्रशिक्षण (के.प्र.यो.) | सामान्य | 117.12 | 49.44 | 166.56 | 43.57 | 117.11 | 49.43 | 166.54 | 281.30 | 111.84 | 50.25 | 162.09 |
| | | आजाउयो | 138.50 | 32.82 | 171.32 | | 138.11 | 32.71 | 170.82 | | 127.11 | 31.78 | 158.89 |
| राज्य स्तरीय परिवार कल्याण (के.प्र.यो.) | सामान्य | 528.82 | 51.86 | 580.68 | 0.00 | 537.45 | 52.70 | 590.15 | 0.00 | 519.68 | 57.74 | 577.42 | |

परिशिष्ट-V-योजनाओं में व्यय-जारी
क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं केन्द्रीय योजना)-जारी

(₹ लाख में)

| भारत सरकार की योजना | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य/आदिम जाति/अनुसूचित जाति | बजट प्रावधान 2019-20 | | | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | | | 2018-19 के वास्तविक आंकड़े | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------|-----------|-----------|----------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------------|------------|-----------|-----------|
| | | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | |
| | | | | | | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल |
| राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) | छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता निधि के गठन हेतु आर्थिक सहायता अनुदान (के.प्र.यो.) | सामान्य | 179.10 | 1,611.90 | 1,791.00 | 0.00 | 179.10 | 1,611.90 | 1,791.00 | 0.00 | 208.00 | 1,872.00 | 2,080.00 |
| | | आजाउयो | 132.90 | 1,196.10 | 1,329.00 | | 132.90 | 1,196.10 | 1,329.00 | | 148.00 | 1,332.00 | 1,480.00 |
| | | अजाउयो | 0.00 | 360.00 | 360.00 | | 0.00 | 480.00 | 480.00 | | 45.60 | 410.40 | 456.00 |
| | पारिचारिकाओं का प्रशिक्षण (के.प्र.यो.) | सामान्य | 691.53 | 158.45 | 849.98 | 0.00 | 469.92 | 380.16 | 850.08 | 0.00 | 71.73 | 71.73 | 143.46 |
| | | आजाउयो | 733.67 | 167.34 | 901.01 | | 604.43 | 307.37 | 911.80 | | 115.71 | 62.30 | 178.01 |
| | बर्न एवं ट्रामा केयर सेंटर (के.प्र.यो.) | सामान्य | 24.99 | 4.54 | 29.53 | 0.00 | 31.25 | 5.67 | 36.92 | 0.00 | 22.02 | 9.91 | 31.93 |
| | | आजाउयो | 39.71 | 26.48 | 66.19 | | 33.12 | 22.08 | 55.20 | | 107.70 | 71.80 | 179.50 |
| | शहरी स्वास्थ्य केन्द्र ¹⁵ (के.प्र.यो.) | सामान्य | 249.17 | 47.23 | 296.40 | 1,246.96 | 322.38 | 61.13 | 383.51 | 662.49 | 245.14 | 48.79 | 293.93 |
| | | आजाउयो | 4.21 | 6.43 | 10.64 | | 4.80 | 7.33 | 12.13 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | अजाउयो | 4.64 | 3.27 | 7.91 | | 4.28 | 3.01 | 7.29 | | 0.14 | 0.10 | 0.24 |
| | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ¹⁶ (के.प्र.यो.) | सामान्य | 34,869.00 | 23,246.00 | 58,115.00 | 53,162.00 | 34,869.00 | 23,246.00 | 58,115.00 | 46,049.00 | 24,556.40 | 19,153.81 | 43,710.21 |
| | | आजाउयो | 26,588.44 | 17,058.96 | 43,647.40 | | 26,188.44 | 17,458.96 | 43,647.40 | | 15,599.73 | 12,696.53 | 28,296.26 |
| | | अजाउयो | 6,068.56 | 3,379.04 | 9,447.60 | | 5,668.56 | 3,779.04 | 9,447.60 | | 5,589.17 | 4,359.52 | 9,948.69 |

¹⁵ यह राशि विवरण क्रमांक 14 में मुख्यशीर्ष 1601-06-101 के अन्तर्गत "परिवार कल्याण-अवसंरचना अनुरक्षण-शहरी परिवार कल्याण केन्द्र का सुधार (सहायता अनुदान-सामान्य)" (₹ 1,158.45 लाख) एवं "अवसंरचना अनुरक्षण-शहरी परिवार कल्याण केन्द्र (सहायता अनुदान-सामान्य)" (₹ 88.51 लाख) योजना के विरुद्ध दर्शाया गया है।

¹⁶ यह राशि विवरण क्रमांक 14 में मुख्यशीर्ष 1601-06-101 के अन्तर्गत "संक्रामक रोग के लिए फ्लेक्सिबल समूह (सहायता अनुदान-सामान्य)" (₹ 1,784.00 लाख), "राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत व्यापक स्वास्थ्य देखभाल" (₹ 294.00 लाख), "राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अन्य स्वास्थ्य प्रणाली हेतु गतिविधियां सुरक्षा" (सहायता अनुदान-सामान्य) (₹ 33,926.00 लाख), "राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अन्य स्वास्थ्य प्रणाली हेतु गतिविधियां सुरक्षा (पूँजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान)" (₹ 3,029.00 लाख), "असंक्रामक रोग के लिए फ्लेक्सिबल समूह (सहायता अनुदान-सामान्य)" (₹ 464.00 लाख), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन-असंक्रामक रोगों के लिए फ्लेक्सिबल समूह (पूँजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान), (₹ 52.00 लाख), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन-आर.सी.एच. फ्लेक्सिबल समूह (सहायता अनुदान-सामान्य) (₹ 12,138.00 लाख) तथा विवरण क्रमांक 14 में मुख्यशीर्ष 1601-06-102 के अन्तर्गत "राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन-फ्लेक्सिबल समूह-सामान्य" (₹ 556.00 लाख), "राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अन्य स्वास्थ्य प्रणाली (पूँजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान) (₹ 61.00 लाख) एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन-संक्रामक रोगों के लिए फ्लेक्सिबल समूह (सहायता अनुदान-सामान्य) (₹ 858.00 लाख), योजना के विरुद्ध दर्शाया गया है।

परिशिष्ट-V-योजनाओं में व्यय-जारी
क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं केन्द्रीय योजना)-जारी

(₹ लाख में)

| भारत सरकार की योजना | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य / आदिम जाति / अनुसूचित जाति | बजट प्रावधान 2019-20 | | | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | | | 2018-19 के वास्तविक आंकड़े | | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------------------------|------------|----------|----------|----------------------------|------------|----------|--------|
| | | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | |
| | | | | | | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल |
| राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम) | आयुष पर राष्ट्रीय मिशन (के.प्र.यो.) | सामान्य | 600.00 | 400.00 | 1,000.00 | 0.00 | 460.87 | 307.24 | 768.11 | 1,066.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | आजाउयो | 432.00 | 288.00 | 720.00 | | 432.00 | 288.00 | 720.00 | | 302.27 | 201.51 | 503.78 |
| | | अजाउयो | 174.00 | 116.00 | 290.00 | | 174.00 | 116.00 | 290.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव (के.प्र.यो.) | सामान्य | 2,020.28 | 1,229.72 | 3,250.00 | 0.00 | 2,020.20 | 1,229.80 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर (के.प्र.यो.) | आजाउयो | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण (अ.के.स.) | सामान्य | 145.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.98 | 0.00 | 37.98 |
| | | आजाउयो | 10.00 | 0.00 | 10.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | चिकित्सा महाविद्यालय, बिलासपुर (के.प्र.यो.) | अजाउयो | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबंध चिकित्सालय, रायगढ़ (के.प्र.यो.) | सामान्य | 112.35 | 74.90 | 187.25 | 0.00 | 112.35 | 74.90 | 187.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

परिशिष्ट-V-योजनाओं में व्यय-जारी
क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं केन्द्रीय योजना)-जारी

(₹ लाख में)

| भारत सरकार की योजना | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य / आदिम जाति / अनुसूचित जाति | बजट प्रावधान 2019-20 | | | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | | 2018-19 के वास्तविक आंकड़े | | | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------------|----------|-----------|----------------------------|------------|----------|----------------------------|----------|------------|-----------|-----------|
| | | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | | |
| | | | | | | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल |
| राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम) | चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबंध चिकित्सालय, सरगुजा (के.प्र.यो.) | आजाउयो | 0.85 | 0.56 | 1.41 | 0.00 | 0.55 | 0.36 | 0.91 | 3,000.00 | 95.57 | 23.89 | 119.46 |
| | चिकित्सा महाविद्यालय सरगुजा (के.प्र.यो.) | आजाउयो | 3,600.00 | 2,400.00 | 6,000.00 | | 3,600.00 | 2,400.00 | 6,000.00 | | 12.75 | 3.73 | 16.48 |
| | आयुष्यमान भारत (के.प्र.यो.) | सामान्य | 9,000.00 | 6,000.00 | 15,000.00 | 3,662.00 | 6,300.00 | 4,200.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 15,200.00 | 15,200.00 |
| | | आजाउयो | 6,840.00 | 4,560.00 | 11,400.00 | | 4,788.00 | 3,192.00 | 7,980.00 | | 0.00 | 11,628.00 | 11,628.00 |
| अजाउयो | 2,160.00 | 1,440.00 | 3,600.00 | 1,512.00 | 1,008.00 | | 2,520.00 | 0.00 | 3,672.00 | | 3,672.00 | | |
| राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (एन.ई.एम) | विकास खण्ड शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (के.प्र.यो.) | सामान्य | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 96.22 | 96.22 | 815.43 | 61.22 | 47.10 | 108.32 |
| | पोलीटेक्निक संस्थाएं (के.प्र.यो.) | सामान्य | 90.17 | 0.00 | 90.17 | 0.00 | 80.45 | 0.00 | 80.45 | 1,100.00 | 312.19 | 0.00 | 312.19 |
| | | आजाउयो | 123.06 | 0.00 | 123.06 | | 123.06 | 0.00 | 123.06 | | 958.03 | 0.00 | 958.03 |
| | | अजाउयो | 1.22 | 0.00 | 1.22 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2.95 | 0.00 | 2.95 |
| | राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (के.प्र.यो.) | सामान्य | 4,203.25 | 2,706.84 | 6,910.09 | 6,645.00 | 4,151.24 | 2,767.50 | 6,918.74 | 3,030.00 | 2,904.08 | 2,055.97 | 4,960.05 |
| | | आजाउयो | 586.50 | 391.00 | 977.50 | | 586.50 | 391.00 | 977.50 | | 216.00 | 144.00 | 360.00 |
| | | अजाउयो | 1,173.00 | 782.00 | 1,955.00 | | 1,173.00 | 782.00 | 1,955.00 | | 459.90 | 306.60 | 766.50 |
| राष्ट्रीय सेवा योजना (के.प्र.यो.) एवं (के.प्र.यो.) | सामान्य | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 28.48 | 0.00 | 28.48 | 0.00 | 39.29 | 0.00 | 39.29 | |
| | सामान्य | 0.00 | 103.41 | 103.41 | | 0.00 | 103.49 | 103.49 | | 93.46 | 0.00 | 93.46 | |

परिशिष्ट-V-योजनाओं में व्यय-जारी
क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं केन्द्रीय योजना)-जारी

(₹ लाख में)

| भारत सरकार की योजना | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य / आदिम जाति / अनुसूचित जाति | बजट प्रावधान 2019-20 | | | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | | | 2018-19 के वास्तविक आंकड़े | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|----------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------------|------------|----------|-----------|
| | | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | |
| | | | | | | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल |
| राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (एन.ई.एम) | मदरसा बोर्ड का गठन (के.प्र.यो.) एवं (के.यो.) | सामान्य | 209.67 | 0.00 | 209.67 | 0.00 | 252.47 | 0.00 | 252.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | सामान्य | 21.40 | 21.40 | 42.80 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (के.प्र.यो.) | सामान्य | 127.35 | 127.35 | 254.70 | 0.00 | 106.73 | 106.62 | 213.35 | 0.00 | 1,842.49 | 1,228.33 | 3,070.82 |
| | छात्रावास / आश्रम भवन का निर्माण (अ.के.स.) | आजाउयो | 2.50 | 2.50 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 5.00 | 0.00 | 2.94 | 2.95 | 5.89 |
| | समग्र शिक्षा ¹⁷ (के.प्र.यो.) | सामान्य | 55,492.17 | 36,994.78 | 92,486.95 | 1,01,322.73 | 55,492.17 | 36,994.78 | 92,486.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | आजाउयो | 40,200.93 | 26,733.95 | 66,934.88 | | 40,160.93 | 26,773.95 | 66,934.88 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अजाउयो | | 13,253.01 | 8,935.33 | 22,188.34 | 13,313.01 | | 8,875.33 | 22,188.34 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| मध्याह्न भोजन कार्यक्रम | प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण आहार का राष्ट्रीय कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन) प्राथमिक शाला (के.यो. एवं के.प्र.यो.) | सामान्य | 3,541.53 | 0.00 | 3,541.53 | 25,489.23 | 3,551.70 | 0.00 | 3,551.70 | 32,085.98 | 1,244.41 | 0.00 | 1,244.41 |
| | | सामान्य | 3,529.05 | 3,944.92 | 7,473.97 | | 3,529.05 | 3,944.92 | 7,473.97 | | 2,773.66 | 3,530.12 | 6,303.78 |
| | | आजाउयो | 7,633.90 | 8,542.99 | 16,176.89 | | 7,634.04 | 8,542.85 | 16,176.89 | | 6,742.93 | 7,628.20 | 14,371.13 |
| | | अजाउयो | 1,445.42 | 1,592.21 | 3,037.63 | | 1,445.42 | 1,592.21 | 3,037.63 | | 1,014.18 | 1,014.17 | 2,028.35 |

¹⁷ यह राशि विवरण क्रमांक 14 में मुख्यशीर्ष 1601-06-101 के अन्तर्गत "समग्र शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा)-(सहायता अनुदान-सामान्य)" (₹ 73,353.24 लाख), "समग्र शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा)-(पूँजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान)" (₹ 9,401.03 लाख), "समग्र शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा)-(सहायता अनुदान-सामान्य)" (₹ 13,834.06 लाख), "समग्र शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा)-(पूँजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान)" (₹ 4,114.00 लाख) एवं "समग्र शिक्षा (शिक्षकों के लिए शिक्षा)-(सहायता अनुदान-सामान्य)" (₹ 620.40 लाख) योजना के विरुद्ध दर्शाया गया है।

परिशिष्ट-V-योजनाओं में व्यय-जारी
क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं केन्द्रीय योजना)-जारी

(₹ लाख में)

| भारत सरकार की योजना | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य/ आदिम जाति/ अनुसूचित जाति | बजट प्रावधान 2019-20 | | | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | | | 2018-19 के वास्तविक आंकड़े | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|-----------|-----------|----------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------------|------------|-----------|-----------|
| | | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | |
| | | | | | | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल |
| मध्याह्न भोजन कार्यक्रम | प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण आहार का राष्ट्रीय कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन) उच्च प्राथमिक शाला (के.यो. एवं के.प्र.यो.) | सामान्य | 2,207.66 | 0.00 | 2,207.66 | | 2,207.15 | 0.00 | 2,207.15 | | 1,129.56 | 0.00 | 1,129.56 |
| | | सामान्य | 2,665.68 | 2,862.10 | 5,527.78 | | 2,665.68 | 2,862.10 | 5,527.78 | | 2,924.21 | 2,265.22 | 5,189.43 |
| | | आजाउयो | 5,216.05 | 5,680.29 | 10,896.34 | | 5,216.36 | 5,679.98 | 10,896.34 | | 5,511.15 | 3,951.68 | 9,462.83 |
| | | अजाउयो | 1,172.82 | 1,254.38 | 2,427.20 | | 1,172.82 | 1,254.38 | 2,427.20 | | 943.15 | 713.37 | 1,656.52 |
| एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडी एस) | आंगणवाड़ी केन्द्र भवन का मरम्मत एवं निर्माण (के.प्र.यो.) | सामान्य | 842.00 | 378.90 | 1,220.90 | 87.79 | 842.00 | 378.90 | 1,220.90 | 12,444.24 | 397.34 | 264.90 | 662.24 |
| | | आजाउयो | 833.00 | 374.85 | 1,207.85 | | 833.00 | 374.85 | 1,207.85 | | | | |
| | | अजाउयो | 325.00 | 146.25 | 471.25 | | 325.00 | 146.25 | 471.25 | | | | |
| | आईसीडीएस योजना के अन्तर्गत आंगणवाड़ी कार्यकर्ता का प्रशिक्षण (के.प्र.यो.) | सामान्य | 359.13 | 239.42 | 598.55 | 339.55 | 359.13 | 239.42 | 598.55 | 24.20 | 16.13 | 40.33 | |
| | | सामान्य | 313.20 | 300.77 | 613.97 | 48.40 | 313.20 | 300.77 | 613.97 | 724.75 | 314.33 | 314.33 | 628.66 |
| | | आजाउयो | 288.80 | 288.79 | 577.59 | | 288.98 | 288.99 | 577.97 | | 193.69 | 193.69 | 387.38 |
| | अजाउयो | 104.75 | 104.74 | 209.49 | 104.75 | | 104.74 | 209.49 | 49.54 | | 49.55 | 99.09 | |
| | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष पोषण योजना ¹⁸ (के.प्र.यो.) | सामान्य | 14,682.19 | 14,682.18 | 29,364.37 | 21,030.70 | 14,685.05 | 14,685.05 | 29,370.10 | 33,909.46 | 10,268.05 | 10,268.05 | 20,536.10 |
| | | आजाउयो | 11,414.57 | 11,414.58 | 22,829.15 | | 11,414.73 | 11,414.73 | 22,829.46 | | 7,609.65 | 7,609.65 | 15,219.30 |
| | | अजाउयो | 3,605.75 | 3,605.75 | 7,211.50 | | 3,605.75 | 3,605.75 | 7,211.50 | | 2,374.66 | 2,374.66 | 4,749.32 |

¹⁸ यह राशि विवरण क्रमांक 14 में मुख्यशीर्ष 1601-06-101 के अन्तर्गत "एकीकृत बाल विकास सेवा-आंगणवाड़ी सेवाएं-पूरक पोषण (सहायता अनुदान-सामान्य)" (₹ 20,930.70 लाख) एवं "एकीकृत बाल विकास योजना-राष्ट्रीय पोषण मिशन बाह्य सहायित घटक (सहायता अनुदान-सामान्य)" (₹ 100.00 लाख) योजना के विरुद्ध दर्शाया गया है।

परिशिष्ट-V-योजनाओं में व्यय-जारी
क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं केन्द्रीय योजना)-जारी

(₹ लाख में)

| भारत सरकार की योजना | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य / आदिम जाति / अनुसूचित जाति | बजट प्रावधान 2019-20 | | | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | | | 2018-19 के वास्तविक आंकड़े | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|----------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------------|------------|----------|-----------|--------|----------|
| | | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | | | |
| | | | | | | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल | | |
| एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडी एस) | एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना (के.प्र.यो.) | सामान्य | 11,766.03 | 7,844.03 | 19,610.06 | 26,981.63 | 11,709.38 | 7,806.26 | 19,515.64 | 18,144.17 | 7,523.61 | 5,015.74 | 12,539.35 | | |
| | | आजाउयो | 18,230.76 | 12,899.16 | 31,129.92 | | 18,666.55 | 12,444.36 | 31,110.91 | | 10,095.07 | 6,730.04 | 16,825.11 | | |
| | | अजाउयो | 4,057.15 | 2,744.44 | 6,801.59 | | 4,081.36 | 2,720.90 | 6,802.26 | | 2,760.37 | 1,840.24 | 4,600.61 | | |
| | एकीकृत बाल विकास सेवाएं का देखरेख (के.प्र.यो.) | सामान्य | 319.64 | 213.10 | 532.74 | | 318.81 | 212.54 | 531.35 | | 272.63 | 181.75 | 454.38 | | |
| | | आजाउयो | 180.03 | 208.68 | 388.71 | | 179.58 | 208.19 | 387.77 | | 196.40 | 130.94 | 327.34 | | |
| | | अजाउयो | 80.05 | 53.59 | 133.64 | | 80.05 | 53.59 | 133.64 | | 72.57 | 48.37 | 120.94 | | |
| | प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (के.प्र.यो.) | सामान्य | 1,145.24 | 763.50 | 1,908.74 | | 384.79 | 1,145.15 | 763.44 | | 1,908.59 | 308.00 | 431.62 | 287.75 | 719.37 |
| | | आजाउयो | 834.13 | 556.08 | 1,390.21 | | | 834.13 | 556.08 | | 1,390.21 | | 942.34 | 628.23 | 1,570.57 |
| अजाउयो | | 355.64 | 237.09 | 592.73 | 355.64 | 237.09 | | 592.73 | 103.35 | 68.90 | 172.25 | | | | |
| एकीकृत बाल सुरक्षा योजना (के.प्र.यो.) | सामान्य | 2,234.50 | 1,489.67 | 3,724.17 | 2,098.74 | 2,234.50 | 1,489.67 | 3,724.17 | 2,151.01 | 2,601.11 | 1,734.08 | 4,335.19 | | | |
| एकीकृत बाल सुरक्षा योजना के अन्तर्गत बाल गृह (के.प्र.यो.) | सामान्य | 610.12 | 406.74 | 1,016.86 | | 609.98 | 406.88 | 1,016.64 | | 410.34 | 273.56 | 683.90 | | | |
| महिलाओं के लिए सुरक्षा मिशन एवं सशक्तिकरण | राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन प्राधिकरण अन्तर्गत राज्य महिला केन्द्र की स्थापना (के.प्र.यो.) | सामान्य | 223.23 | 148.82 | 372.05 | 35.41 | 223.23 | 148.82 | 372.05 | 7.28 | 41.80 | 27.86 | 69.66 | | |
| | स्वधर गृह (के.प्र.यो.) | सामान्य | 51.47 | 34.32 | 85.79 | 22.96 | 51.47 | 34.32 | 85.79 | 30.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | उज्ज्वला योजना (के.प्र.यो.) | सामान्य | 46.40 | 18.74 | 65.14 | 34.36 | 46.40 | 18.74 | 65.14 | 9.67 | 7.81 | 5.21 | 13.02 | | |

परिशिष्ट-V-योजनाओं में व्यय-जारी
क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं केन्द्रीय योजना)-जारी

(₹ लाख में)

| भारत सरकार की योजना | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य / आदिम जाति / अनुसूचित जाति | बजट प्रावधान 2019-20 | | | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | | | 2018-19 के वास्तविक आंकड़े | | | |
|---|--|-------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|----------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------------|------------|----------|----------|
| | | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | |
| | | | | | | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल |
| महिलाओं के लिए सुरक्षा मिशन एवं सशक्तिकरण | महिला पुलिस स्वयंसेवक योजना (के.प्र.यो.) | सामान्य | 267.26 | 178.18 | 445.44 | 0.00 | 267.26 | 178.18 | 445.44 | 0.00 | 20.69 | 13.80 | 34.49 |
| | अशक्तता कार्यान्वयन बाधारहित वातावरण का निर्माण (के.यो.) | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,988.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| राष्ट्रीय आजीविका मिशन (एनएलएम) | टाकूर प्यारे लाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान (के.प्र.यो.) | सामान्य | 557.14 | 0.00 | 557.14 | 32.42 | 334.69 | 0.00 | 334.69 | 83.11 | 242.31 | 0.00 | 242.31 |
| | राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ¹⁹ (के.प्र.यो.) | सामान्य | 16,294.52 | 10,863.01 | 27,157.53 | 13,320.57 | 16,294.52 | 10,863.01 | 27,157.53 | 10,317.47 | 5,098.75 | 3,399.17 | 8,497.92 |
| | | आजाउयो | 5,895.14 | 3,930.09 | 9,825.23 | | 5,895.14 | 3,930.09 | 9,825.23 | | 1,568.59 | 1,045.72 | 2,614.31 |
| | | अजाउयो | 7,152.99 | 4,768.65 | 11,921.64 | | 7,152.99 | 4,768.65 | 11,921.64 | | 2,139.41 | 1,426.28 | 3,565.69 |
| | प्रशासन योजना जिला स्तर (के.प्र.यो.) | सामान्य | 468.74 | 312.49 | 781.23 | 909.92 | 468.74 | 312.49 | 781.23 | 816.50 | 385.94 | 257.29 | 643.23 |
| | | आजाउयो | 356.24 | 237.50 | 593.74 | | 356.24 | 237.50 | 593.74 | | 293.31 | 195.54 | 488.85 |
| | | अजाउयो | 112.50 | 75.00 | 187.50 | | 112.50 | 75.00 | 187.50 | | 92.63 | 61.75 | 154.38 |
| | राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (के.प्र.यो.) | सामान्य | 1,993.06 | 1,328.71 | 3,321.77 | 1,701.96 | 1,993.06 | 1,328.71 | 3,321.77 | 2,115.36 | 1,533.66 | 1,022.43 | 2,556.09 |
| | | आजाउयो | 409.93 | 273.27 | 683.20 | | 409.93 | 273.27 | 683.20 | | 139.52 | 93.01 | 232.53 |
| | | अजाउयो | 297.01 | 198.02 | 495.03 | | 297.01 | 198.02 | 495.03 | | 239.58 | 159.72 | 399.30 |

¹⁹ यह राशि विवरण क्रमांक 14 में मुख्यशीर्ष 1601-06-101 के अन्तर्गत "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)-आजीविका (सहायता अनुदान-सामान्य)" (₹ 10,763.97 लाख) एवं मुख्यशीर्ष 1601-06-102 के अन्तर्गत "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना" (₹ 2,556.60 लाख) योजना के विरुद्ध दर्शाया गया है।

परिशिष्ट-V-योजनाओं में व्यय-जारी
क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं केन्द्रीय योजना)-जारी

(₹ लाख में)

| भारत सरकार की योजना | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य/ आदिम जाति/ अनुसूचित जाति | बजट प्रावधान 2019-20 | | | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | | 2018-19 के वास्तविक आंकड़े | | | | |
|--|---|-----------------------------------|----------------------|----------|-----------|----------------------------|------------|----------|----------------------------|--------|------------|----------|--------|
| | | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | | |
| | | | | | | | केन्द्रांश | राज्यांश | | कुल | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल |
| रोजगार एवं कौशल विकास | एकीकृत सेवा योजना (के.प्र.यो.) | सामान्य | 1,221.64 | 305.41 | 1,527.05 | 0.00 | 1,221.70 | 305.42 | 1,527.12 | 0.00 | 710.46 | 96.97 | 807.43 |
| | | आजाउयो | 1,560.11 | 390.04 | 1,950.15 | | 1,560.11 | 390.04 | 1,950.15 | | 750.08 | 102.28 | 852.36 |
| | | अजाउयो | 1,031.53 | 257.89 | 1,289.42 | | 1,031.53 | 257.89 | 1,289.42 | | 245.41 | 33.47 | 278.88 |
| | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं (के.प्र.यो.) | सामान्य | 403.77 | 185.84 | 589.61 | 0.00 | 352.55 | 235.03 | 587.58 | 5.69 | 320.89 | 213.92 | 534.81 |
| | | आजाउयो | 49.99 | 16.66 | 66.65 | | 49.64 | 16.55 | 66.19 | | 53.15 | 17.71 | 70.86 |
| | प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (के.प्र.यो.) | सामान्य | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 2,273.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 230.00 | 325.26 | 178.09 | 503.35 |
| | | आजाउयो | 192.47 | 0.00 | 192.47 | | 192.47 | 0.00 | 192.47 | | | | |
| | | अजाउयो | 213.80 | 0.00 | 213.80 | | 213.80 | 0.00 | 213.80 | | | | |
| | रोजगार कार्यालय (के.यो.) | सामान्य | 68.56 | 0.00 | 68.56 | 51.09 | 68.56 | 0.00 | 68.56 | 0.00 | 65.44 | 0.00 | 65.44 |
| | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्यालय भवन का निर्माण (के.प्र.यो.) | आजाउयो | 18.20 | 18.20 | 36.40 | 0.00 | 9.63 | 9.63 | 19.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| राज्य कौशल विकास मिशन (के.प्र.यो.) | आजाउयो | 199.14 | 164.46 | 363.60 | 13,913.07 | 250.46 | 112.19 | 362.65 | 0.00 | 377.52 | 125.83 | 503.35 | |
| औद्योगिक गुणवत्ता को बढ़ावा हेतु कौशल प्रशिक्षण (के.यो.) | सामान्य | 173.00 | 0.00 | 173.00 | | 173.00 | 0.00 | 173.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जीवन निर्वाह के लिए प्रशिक्षण (के.प्र.यो.) | सामान्य | 240.00 | 160.00 | 400.00 | 804.49 | 240.00 | 160.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | आजाउयो | 69.18 | 46.12 | 115.30 | | 69.18 | 46.12 | 115.30 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

परिशिष्ट-V-योजनाओं में व्यय-जारी
क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं केन्द्रीय योजना)-जारी

(₹ लाख में)

| भारत सरकार की योजना | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य / आदिम जाति / अनुसूचित जाति | बजट प्रावधान 2019-20 | | | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | | | 2018-19 के वास्तविक आंकड़े | | | |
|---|--|-------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|----------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------------|------------|----------|-----------|
| | | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | |
| | | | | | | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल |
| पर्यावरण, वानिकी एवं वन्य जीवन (ईएफडब्ल्यूएल) | प्रोजेक्ट टाईगर (के.प्र.यो.) | आजाउयो | 525.27 | 350.18 | 875.45 | 358.53 | 525.27 | 350.18 | 875.45 | 536.14 | 422.29 | 281.52 | 703.81 |
| | प्रोजेक्ट एलीफैंट (के.यो.) | सामान्य | 90.63 | 0.00 | 90.63 | 0.00 | 90.63 | 0.00 | 90.63 | 65.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास (के.प्र.यो.) | सामान्य | 192.05 | 128.04 | 320.09 | 310.03 | 199.31 | 132.87 | 332.18 | 350.55 | 221.33 | 147.56 | 368.89 |
| | | आजाउयो | 177.32 | 118.22 | 295.54 | | 168.94 | 112.63 | 281.57 | | 13.79 | 9.19 | 22.98 |
| | | अजाउयो | 16.73 | 11.15 | 27.88 | | 16.73 | 11.15 | 27.88 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (के.प्र.यो.) | सामान्य | 821.44 | 547.62 | 1,369.06 | 571.37 | 821.44 | 547.62 | 1,369.06 | 1,317.94 | 799.85 | 533.23 | 1,333.08 |
| | | आजाउयो | 180.22 | 120.15 | 300.37 | | 108.13 | 72.09 | 180.22 | | | | |
| | ग्रीन इंडिया मिशन (के.प्र.यो.) | सामान्य | 165.00 | 110.00 | 275.00 | 503.61 | 165.00 | 110.00 | 275.00 | 1,317.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | आजाउयो | 120.00 | 80.00 | 200.00 | | 120.00 | 80.00 | 200.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | अजाउयो | 39.00 | 25.00 | 64.00 | | 110.49 | 73.66 | 184.15 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| एकीकृत वन सुरक्षा (संरक्षण) योजना (के.प्र.यो.) | सामान्य | 138.89 | 92.60 | 231.49 | 392.07 | 145.52 | 97.02 | 242.54 | 104.60 | 151.07 | 100.71 | 251.78 | |
| | आजाउयो | 18.74 | 69.65 | 88.39 | | 19.37 | 72.01 | 91.38 | | 28.07 | 18.72 | 46.79 | |
| | अजाउयो | 35.00 | 23.34 | 58.34 | | 50.44 | 33.62 | 84.06 | | 29.15 | 19.44 | 48.59 | |
| शहरी कायाकल्प मिशन (अमृत एवं स्मार्ट सिटी मिशन) | अमृत ²⁰ (के.प्र.यो.) | सामान्य | 19,238.64 | 11,439.76 | 30,678.40 | 17,933.20 | 19,238.64 | 11,439.76 | 30,678.40 | 23,337.00 | 9,109.00 | 6,598.89 | 15,708.00 |
| | | आजाउयो | 4,797.48 | 3,198.32 | 7,995.80 | | 4,797.48 | 3,198.32 | 7,995.80 | | 2,772.00 | 1,848.00 | 4,620.00 |
| | | अजाउयो | 5,244.00 | 2,968.00 | 8,212.00 | | 5,244.00 | 2,968.00 | 8,212.00 | | 1,980.00 | 792.00 | 2,772.00 |

²⁰ यह राशि विवरण क्रमांक 14 में मुख्यशीर्ष 1601-06-101 के अन्तर्गत "अर्बन पुनर्जागरण मिशन-(अमृत)-(सहायता अनुदान-सामान्य)" (₹ 3,366.00 लाख) एवं "अर्बन पुनर्जागरण मिशन-(अमृत)-(पूँजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान)" (₹ 14,567.20 लाख) योजना के विरुद्ध दर्शाया गया है।

परिशिष्ट-V-योजनाओं में व्यय-जारी
क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं केन्द्रीय योजना)-जारी

(₹ लाख में)

| भारत सरकार की योजना | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य / आदिम जाति / अनुसूचित जाति | बजट प्रावधान 2019-20 | | | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | | 2018-19 के वास्तविक आंकड़े | | | | |
|---|---|-------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------------------------|------------|----------|----------------------------|-------|------------|----------|--------|
| | | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | | |
| | | | | | | | केन्द्रांश | राज्यांश | | कुल | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल |
| पुलिस बल का आधुनिकीकरण (सुरक्षा से संबंधित व्यय सहित) | क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क सिस्टम (के.यो.) | सामान्य | 765.66 | 0.00 | 765.66 | 0.00 | 765.66 | 0.00 | 765.66 | 0.00 | 192.48 | 0.00 | 192.48 |
| | नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साईकोट्रापिक अपराधों का नियंत्रण (के.यो.) | सामान्य | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 7.24 | 0.00 | 7.24 | 0.00 | 19.38 | 0.00 | 19.38 |
| | विशेष अधोसंरचना योजना-सुदृढ़ पुलिस थानों के निर्माण (के.प्र.यो.) | सामान्य | 876.02 | 584.01 | 1,460.03 | 2,362.50 | 876.02 | 584.01 | 1,460.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | स्टूडेंट पुलिस क्रेडिट प्रोग्राम (के.प्र.यो.) | सामान्य | 122.84 | 81.91 | 204.75 | 0.00 | 122.84 | 81.91 | 204.75 | 66.60 | 27.48 | 18.33 | 45.81 |
| | डायल 100/112 (के.यो.) | सामान्य | 737.84 | 0.00 | 737.84 | 0.00 | 731.60 | 0.00 | 731.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | महिलाओं एवं बच्चों के बचाव के लिए फोरेंसिक लैब एवं ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना (के.यो.) | सामान्य | 212.74 | 0.00 | 212.74 | 0.00 | 212.74 | 0.00 | 212.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

परिशिष्ट-V-योजनाओं में व्यय-जारी
क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं केन्द्रीय योजना)-जारी

(₹ लाख में)

| भारत सरकार की योजना | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य / आदिम जाति / अनुसूचित जाति | बजट प्रावधान 2019-20 | | | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | | | 2018-19 के वास्तविक आंकड़े | | | |
|---|---|-------------------------------------|----------------------|----------|-----------|----------------------------|------------|----------|----------|----------------------------|------------|----------|----------|
| | | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | |
| | | | | | | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल |
| पुलिस बल का आधुनिकीकरण (सुरक्षा से संबंधित व्यय सहित) | महिला अपराध अनुसंधान इकाई (के.प्र.यो.) | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | पुलिस (अ.के.स.) | आजाउयो | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अधोसंरचना न्यायपालिका के लिए सुविधाएं (न्यायालय एवं ई-कोर्ट सहित) | न्याय प्रशासन (के.प्र.यो.) | सामान्य | 3,744.84 | 2,496.56 | 6,241.40 | 0.00 | 493.13 | 328.75 | 821.88 | 0.00 | 607.19 | 404.79 | 1,011.98 |
| | न्याय प्रशासन कर्मचारियों के लिए आवास का निर्माण (के.प्र.यो.) | सामान्य | 6,007.81 | 4,005.20 | 10,013.01 | 1,983.00 | 838.61 | 559.07 | 1,397.68 | 1,968.00 | 889.87 | 98.87 | 988.74 |
| | विशेष न्यायालय की स्थापना (के.प्र.यो.) | आजाउयो | 256.26 | 170.84 | 427.10 | 0.00 | 255.76 | 170.50 | 426.26 | 0.00 | 244.55 | 163.03 | 407.58 |
| | सी.बी.आई. न्यायालय की स्थापना (के.प्र.यो.) | सामान्य | 30.08 | 19.88 | 49.96 | 0.00 | 62.89 | 41.55 | 104.44 | 0.00 | 29.84 | 26.67 | 56.31 |
| | फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट और पाक्सो (के.प्र.यो.) | सामान्य | 44.63 | 29.76 | 74.39 | 337.50 | 10.43 | 6.96 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन | श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन (के.प्र.यो.) | सामान्य | 1,080.00 | 720.00 | 1,800.00 | 2,700.00 | 1,080.00 | 720.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,555.00 | 1,036.67 | 2,591.67 |
| | | आजाउयो | 1,620.00 | 1,080.00 | 2,700.00 | | 1,620.00 | 1,080.00 | 2,700.00 | | 1,716.60 | 1,144.40 | 2,861.00 |

परिशिष्ट-V-योजनाओं में व्यय-जारी
क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं केन्द्रीय योजना)-जारी

(₹ लाख में)

| भारत सरकार की योजना | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य / आदिम जाति / अनुसूचित जाति | बजट प्रावधान 2019-20 | | | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | | | 2018-19 के वास्तविक आंकड़े | | | |
|--|---|-------------------------------------|----------------------|----------|-----------|----------------------------|------------|----------|-----------|----------------------------|------------|----------|----------|
| | | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | |
| | | | | | | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल |
| राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान | राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (के.प्र.यो.) | सामान्य | 534.56 | 356.37 | 890.93 | 0.00 | 534.56 | 356.37 | 890.93 | 724.00 | 115.98 | 77.32 | 193.30 |
| | | आजाउयो | 393.59 | 262.39 | 655.98 | | 393.59 | 262.39 | 655.98 | | 88.14 | 58.76 | 146.90 |
| | | अजाउयो | 124.29 | 82.86 | 207.15 | | 124.29 | 82.86 | 207.15 | | 57.65 | 38.43 | 96.08 |
| राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना राष्ट्रीय पूर्ववर्ती स्वास्थ्य बीमा योजना सहित | बंधक मजदूरों की पुनर्वास योजना (के.प्र.यो.) | सामान्य | 0.00 | 63.35 | 63.35 | 0.00 | 0.00 | 63.35 | 63.35 | 193.35 | 16.28 | 64.67 | 80.95 |
| अन्य योजनाएं²¹ | | | | | | | | | | | | | |
| पर्यटक परिक्रमा विशिष्ट जगह के आसपास (स्वदेश दर्शन) का एकीकृत विकास | पर्यटन केन्द्रों का विकास (के.प्र.यो.) | सामान्य | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| सार्वजनिक वितरण प्रणाली एकीकृत प्रबंधन | सार्वजनिक वितरण प्रणाली एकीकृत प्रबंधन (के.यो.) | सामान्य | 92.35 | 0.00 | 92.35 | 92.35 | 92.35 | 0.00 | 92.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत अंतर्राज्यीय संचालन तथा उचित मूल्य दुकानदारों को मार्जिन | पी.डी.एस. डीलर का मार्जिन (के.प्र.यो.) | सामान्य | 3,699.54 | 8,813.04 | 12,512.58 | 0.00 | 4,827.35 | 7,685.23 | 12,512.58 | 14,064.83 | 3,183.63 | 0.00 | 3,183.63 |

²¹ केन्द्र सरकार की उपरोक्त फ्लैगशिप योजनाओं के अतिरिक्त, "अन्य योजनाओं" के अंतर्गत योजनाओं की जानकारी राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है।

परिशिष्ट-V-योजनाओं में व्यय-जारी
क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं केन्द्रीय योजना)-जारी

(₹ लाख में)

| भारत सरकार की योजना | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य/आदिम जाति/अनुसूचित जाति | बजट प्रावधान 2019-20 | | | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | | | 2018-19 के वास्तविक आंकड़े | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------|----------|--------|----------------------------|------------|----------|--------|----------------------------|------------|----------|------|
| | | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | |
| | | | | | | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल |
| मूल्य स्थिरीकरण निधि | मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना (के.प्र.यो.) | सामान्य | 7.53 | 0.00 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| प्राइस मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर | प्राइस मॉनिटरिंग सेल (के.यो.) | सामान्य | 2.63 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना | दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (के.प्र.यो.) | सामान्य | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | आजाउयो | 0.00 | 2.00 | 2.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | अजाउयो | 0.00 | 2.00 | 2.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| एकीकृत विद्युत विकास योजना | एकीकृत विद्युत विकास कार्यक्रम (के.प्र.यो.) | सामान्य | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | आजाउयो | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | अजाउयो | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| सड़क तथा पुल | अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़को का निर्माण (के.प्र.यो.) | सामान्य | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम | राष्ट्रीय भू-अभिलेख का आधुनिकीकरण (के.प्र.यो.) | सामान्य | 212.15 | 367.83 | 579.98 | 0.00 | 212.15 | 367.83 | 579.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

परिशिष्ट-V-योजनाओं में व्यय-जारी
क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं केन्द्रीय योजना)-समाप्त

(₹ लाख में)

| भारत सरकार की योजना | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य / आदिम जाति / अनुसूचित जाति | बजट प्रावधान 2019-20 | | | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | | 2018-19 के वास्तविक आंकड़े | | | | |
|---|---|-------------------------------------|----------------------|----------|-------|----------------------------|------------|----------|----------------------------|------|------------|----------|------|
| | | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | भारत सरकार की विमुक्तियां | व्यय | | | |
| | | | | | | | केन्द्रांश | राज्यांश | | कुल | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल |
| शराब एवं मादक पदार्थ (ड्रग्स) दुरुपयोग की रोकथाम के लिए योजना | नशाबन्दी कार्यक्रम (के.यो.) | सामान्य | 67.50 | 0.00 | 67.50 | 351.50 | 67.50 | 0.00 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

नोट :-

- केन्द्र सरकार की योजनाओं को मुख्य शीर्ष 1601 से तथा मुख्यशीर्ष 1601. से व्यय शीर्ष का लिकिंग केन्द्रीय शासन के योजनाओं के नाम से राज्य शासन के बजट में दर्शायी गई संबंधित योजनाओं से मैपिंग कर किया गया है। यह छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर किया गया है, जिसमें केन्द्र प्रवर्तित योजना, केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना सम्मिलित है।
- सामान्य वर्ग ₹ 6,27,942.89 लाख, अनुसूचित जनजाति उपयोजना ₹ 5,47,682.51 लाख तथा अनुसूचित जाति उपयोजना ₹ 1,58,040.21 लाख का निवल बजट प्रावधान था। वास्तविक व्यय सामान्य वर्ग ₹ 6,07,584.30 लाख, अनुसूचित जनजाति उपयोजना ₹ 5,42,732.92 लाख तथा अनुसूचित जाति उपयोजना ₹ 1,57,328.36 लाख किया गया।
- केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के व्यय को भारत सरकार के अंश एवं राज्य शासन के अंश के रूप में राज्य शासन से प्राप्त बजट दस्तावेजों में इन योजनाओं हेतु प्रदत्त अनुपात के अनुसार विभाजित किया गया है।

परिशिष्ट-V-आयोजना व्यय-जारी
(ख)-राज्य योजनागत योजनाए¹

(₹ लाख में)

| राज्य योजना | सा./आ.जा.उयो./अ.जा.उयो. ² | योजना परिव्यय ³ | | बजट प्रावधान | | व्यय | |
|---|--------------------------------------|----------------------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019-20 | 2018-19 | 2019-20 | 2018-19 | 2019-20 | 2018-19 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| मुख्य मंत्री खाद्यान्न सहायता योजना | सा./आ.जा.उयो./अ.जा.उयो. | .. | .. | 3,99,999.76 | 2,77,000.00 | 3,99,999.73 | 2,77,000.00 |
| 5 अश्व शक्ति तक के कृषि पंप को निःशुल्क बिजली आपूर्ति हेतु अनुदान | सा./आ.जा.उयो./अ.जा.उयो. | .. | .. | 2,66,450.00 | 1,64,531.00 | 2,66,450.00 | 1,64,531.00 |
| कृषि अल्प अवधि के लिए कर्ज में छुट | सा./आ.जा.उयो./अ.जा.उयो. | .. | .. | 2,19,020.00 | 3,00,000.00 | 2,19,020.00 | 3,00,000.00 |
| शासकीय प्राथमिक विद्यालय (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं हेतु) | सा./आ.जा.उयो./अ.जा.उयो. | .. | .. | 1,97,666.80 | 1,36,997.02 | 2,03,038.79 | 1,37,093.11 |
| सार्वजनिक क्षेत्र बैंक से लिया गया अल्पवधि माफी योजना के तहत कृषि ऋण | सा. | .. | .. | 2,84,587.38 | 0.00 | 2,02,224.89 | 0.00 |
| उच्चतर माध्यमिक विद्यालय | सा./आ.जा.उयो./अ.जा.उयो. | .. | .. | 1,74,972.98 | 1,33,443.43 | 1,85,204.68 | 1,33,496.88 |
| माध्यमिक विद्यालय (न्यूनतम आधारित सेवाओं के लिए) | सा./आ.जा.उयो./अ.जा.उयो. | .. | .. | 1,73,601.57 | 1,33,273.94 | 1,72,519.10 | 1,33,262.58 |
| घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों में राहत | सा./आ.जा.उयो./अ.जा.उयो. | .. | .. | 97,721.00 | 0.00 | 97,721.00 | 0.00 |
| लघु एवं सीमान्त कृषक ऋण माफी योजना | सा. | .. | .. | 65,412.63 | 24,986.00 | 69,804.78 | 24,986.00 |
| कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय | सा./आ.जा.उयो./अ.जा.उयो. | .. | .. | 60,301.86 | 51,746.63 | 64,376.29 | 51,841.77 |
| एकल बत्ती कनेक्शन हेतु अनुदान | सा./आ.जा.उयो./अ.जा.उयो. | .. | .. | 58,500.00 | 36,314.00 | 58,500.00 | 36,314.00 |
| छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपाजन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति | सा./आ.जा.उयो./अ.जा.उयो. | .. | .. | 55,000.00 | 50,000.00 | 55,000.00 | 50,000.00 |
| प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना | सा./आ.जा.उयो./अ.जा.उयो. | .. | .. | 52,473.17 | 34,929.57 | 52,518.97 | 34,881.14 |
| शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए | सा./आ.जा.उयो./अ.जा.उयो. | .. | .. | 47,302.88 | 1,44,774.57 | 47,062.81 | 1,44,746.56 |

¹ वर्ष 2019-20 में 50 राज्य योजनाओं जिनमें अत्याधिक व्यय दर्ज की गई है, इन्हे घटते क्रम में दर्शाया गया है।

² इस परिशिष्ट में सा. सामान्य, आ.जा.उयो.-अनुसूचित जनजाति उपयोजना एवं अजा.उयो.-अनुसूचित जाति उपयोजना दर्शाते हैं।

³ राज्य शासन ने सूचित किया है कि नीति आयोग के नये रूप में गठन के कारण वर्ष 2017-18 से वार्षिक आयोजना परिव्यय तैयार करने की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया। अतः इस स्तम्भ में कोई भी आंकड़े दर्ज नहीं किये गये हैं।

परिशिष्ट-V-आयोजना व्यय-जारी
(ख)-राज्य योजनागत योजनाएं-जारी

(₹ लाख में)

| राज्य योजना | सा./आ.जा.उयो./अ.जा.उयो. | योजना परिव्यय ³ | | बजट प्रावधान | | व्यय | |
|--|-------------------------|----------------------------|---------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| | | 2019-20 | 2018-19 | 2019-20 | 2018-19 | 2019-20 | 2018-19 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मूलभूत सेवाएं) | सा./आ.जा.उयो/अ.जा.उयो. | .. | .. | 44,394.90 | 33,882.44 | 45,343.58 | 37,922.66 |
| उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी | सा./आ.जा.उयो/अ.जा.उयो. | .. | .. | 42,445.00 | 7,032.00 | 42,442.00 | 7,032.00 |
| धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना | सा./आ.जा.उयो/अ.जा.उयो. | .. | .. | 37,490.62 | 7,36,955.37 | 37,490.62 | 7,37,003.37 |
| राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुई व्यय में प्रतिपूर्ति | सा./आ.जा.उयो/अ.जा.उयो. | .. | .. | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| जिला अस्पताल | सा./आ.जा.उयो. | .. | .. | 35,060.30 | 25,818.28 | 33,223.96 | 23,874.44 |
| सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र | सा./आ.जा.उयो/अ.जा.उयो. | .. | .. | 25,471.65 | 20,640.35 | 32,015.84 | 26,157.06 |
| छात्रावास | सा./आ.जा.उयो/अ.जा.उयो. | .. | .. | 31,032.00 | 26,432.95 | 31,184.85 | 26,402.05 |
| क्रियान्वयन | सा. | .. | .. | 32,045.05 | 29,689.96 | 31,041.60 | 29,855.86 |
| शक्कर वितरण योजना | सा./आ.जा.उयो/अ.जा.उयो. | .. | .. | 30,297.00 | 20,000.00 | 30,297.00 | 0.00 |
| राज्य छात्रवृत्तियाँ | सा./आ.जा.उयो/अ.जा.उयो. | .. | .. | 29,519.53 | 18,648.13 | 29,519.53 | 18,648.13 |
| कार्यपालिका स्थापना | सा. | .. | .. | 29,128.63 | 28,998.65 | 29,071.71 | 28,979.26 |
| लघु सिंचाई योजना | आ.जा.उयो/अ.जा.उयो. | .. | .. | 28,169.36 | 34,552.88 | 28,015.52 | 34,498.88 |
| अंत्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत चना का वितरण | आ.जा.उयो. | .. | .. | 27,827.76 | 45,000.00 | 27,827.88 | 29,416.42 |
| उच्च शिक्षा | आ.जा.उयो | .. | .. | 23,856.92 | 18,277.97 | 26,163.30 | 18,272.04 |
| आश्रम एवं शालाएं | आ.जा.उयो/अ.जा.उयो. | .. | .. | 22,783.80 | 21,039.33 | 26,042.47 | 21,339.98 |
| सूचना क्रान्ती योजना | सा./आ.जा.उयो/अ.जा.उयो. | .. | .. | 25,000.00 | 20,800.00 | 25,000.00 | 20,800.00 |
| मुख्य मंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना | सा./आ.जा.उयो/अ.जा.उयो. | .. | .. | 16,100.00 | 5,240.00 | 23,100.00 | 5,240.00 |
| न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | सा./आ.जा.उयो. | .. | .. | 30,000.00 | 19,249.82 | 22,250.06 | 19,886.98 |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र | सा./आ.जा.उयो/अ.जा.उयो. | .. | .. | 11,946.85 | 10,315.12 | 19,723.84 | 15,540.30 |
| पशु चिकित्सालय एवं अस्पताल | सा./आ.जा.उयो | .. | .. | 19,633.56 | 17,178.45 | 19,619.58 | 17,140.85 |
| कृषक ऋण ब्याजदर युक्ति युक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान | सा./आ.जा.उयो/अ.जा.उयो. | .. | .. | 20,626.00 | 6,835.13 | 19,325.79 | 6,835.13 |
| निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय | सा./आ.जा.उयो/अ.जा.उयो. | .. | .. | 19,024.62 | 48.92 | 19,024.62 | 48.92 |

परिशिष्ट—V—आयोजना व्यय—जारी
(ख)—राज्य योजनागत योजनाएं—जारी

(₹ लाख में)

| राज्य योजना | सा./आ.जा.उयो./अ.जा.उयो. | योजना परिव्यय ³ | | बजट प्रावधान | | व्यय | |
|---|-------------------------|----------------------------|---------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2019-20 | 2018-19 | 2019-20 | 2018-19 | 2019-20 | 2018-19 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| विधायी निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना | सा./आ.जा.उयो./अ.जा.उयो. | .. | .. | 17,895.55 | 9,100.00 | 17,897.02 | 8,943.45 |
| कार्यरत कर्मचारी एवं सहायक को मानदेय | सा./आ.जा.उयो./अ.जा.उयो. | .. | .. | 17,413.79 | 14,061.16 | 17,429.71 | 14,126.54 |
| नवा रायपुर विकास प्राधिकरण | सा. | .. | .. | 17,407.34 | 16,673.45 | 17,357.34 | 16,673.45 |
| इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय को अनुदान | सा./आ.जा.उयो./अ.जा.उयो. | .. | .. | 16,574.50 | 11,051.50 | 16,574.50 | 11,051.50 |
| मूलभूत न्यूनतम सेवा के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण | सा. | .. | .. | 16,500.00 | 16,222.14 | 16,041.07 | 16,480.27 |
| छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेव्हलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट फेस—III | सा./आ.जा.उयो./अ.जा.उयो. | .. | .. | 30,600.00 | 0.00 | 15,961.48 | 0.00 |
| छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेव्हलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट फेस—II | सा./आ.जा.उयो./अ.जा.उयो. | .. | .. | 30,492.00 | 45,875.54 | 14,737.71 | 45,875.53 |
| अशासकीय स्कूलों को अनुदान (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं हेतु) | सा./आ.जा.उयो./अ.जा.उयो. | .. | .. | 13,975.42 | 10,928.81 | 13,973.93 | 10,927.79 |
| वृहद पुलों का निर्माण | आ.जा.उयो./अ.जा.उयो. | .. | .. | 14,000.00 | 13,475.05 | 13,115.55 | 13,719.77 |
| शहरी स्थानीय निकायों का अधोसंरचना विकास | सा./आ.जा.उयो./अ.जा.उयो. | .. | .. | 13,043.54 | 0.00 | 13,043.54 | 0.00 |
| पतित वन का सुधार | आ.जा.उयो./अ.जा.उयो. | .. | .. | 13,055.73 | 10,573.30 | 13,027.30 | 9,137.48 |
| उद्योग इकाई के लिए पूंजीगत अनुदान | सा./आ.जा.उयो./अ.जा.उयो. | .. | .. | 12,862.18 | 10,416.41 | 12,850.29 | 10,416.41 |
| गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतो को ग्रामीण क्षेत्र के लिए अंतरण | सा./आ.जा.उयो./अ.जा.उयो. | .. | .. | 12,855.51 | 4,539.47 | 12,772.63 | 3,709.11 |
| वृहद पुलों का निर्माण | सा. | .. | .. | 12,000.00 | 13,950.14 | 12,010.32 | 14,024.74 |

परिशिष्ट-V-आयोजना व्यय-जारी
(ख)-राज्य योजनागत योजनाएं-जारी

वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 की अवधि में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य संचित निधि में उपलब्ध राशि से राज्य योजनाओं में क्रमशः ₹ 62,01,821.01 लाख (निवल) एवं ₹ 69,30,830.65 लाख (निवल) का व्यय किया है। भारत शासन ने भी राज्य आयोजना के स्रोत आवर्धन हेतु कुछ योजनाओं में अनुदान विमुक्त किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :

(₹ लाख में)

| सरल क्रमांक | योजना का नाम | केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त | |
|-------------|--|------------------------------|--------------------|
| | | 2019-20 | 2018-19 |
| I. | वित्त आयोग अनुदान | | |
| | ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान | 1,41,589.00 | 1,04,786.00 |
| | शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान | 45,156.00 | 28,204.00 |
| | राज्य आपदा उन्मोचन निधि के लिए सहायता अनुदान | 17,730.00 | 34,957.50 |
| | योग-I | 2,04,475.00 | 1,67,947.50 |
| II. | बाहय सहायित परियोजना | 28,285.79 | 49,031.32 |
| III. | वामपंथी प्रभावित जिलों को विशेष केन्द्रीय सहायता | .. | .. |
| IV. | राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम | | |
| | राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना | 18,641.65 | 18,091.27 |
| | राष्ट्रीय अक्षमता पेंशन योजना | 1,158.56 | 1,161.76 |
| | राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना | 6,548.37 | 5,771.33 |
| | राष्ट्रीय परिवार बेनीफिट योजना | 2,637.01 | 2,257.24 |
| | योग-IV | 28,985.59 | 27,281.60 |
| V. | राज्यों को अन्य हस्तांतरित/अनुदान | | |
| | संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत अनुदान | 22,500.77 | 11,352.92 |
| | केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान | 37,161.00 | 21,402.30 |
| | आपदा तैयारियां | 50.00 | 103.64 |
| | हरित क्रांति-कृषिन्नति योजना-कृषि गणना एवं सांख्यिकी पर एकीकृत योजना-कृषि सांख्यिकी पर सुधार | 85.00 | 120.00 |
| | हरित क्रांति-कृषिन्नति योजना-कृषि गणना एवं सांख्यिकी पर एकीकृत योजना-कृषि गणना | 57.00 | 86.21 |
| | विशेष भारतीय रिजर्व बटालियन | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | भारतीय रिजर्व बटालियन | 5,238.00 | 0.00 |

परिशिष्ट-V-आयोजना व्यय-समाप्त
(ख)-राज्य योजनागत योजनाएं-समाप्त

(₹ लाख में)

| सरल क्रमांक | योजना का नाम | केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त | |
|-------------|--|------------------------------|--------------------|
| | | 2019-20 | 2018-19 |
| V. | राज्यों को अन्य हस्तांतरित/अनुदान-समाप्त | | |
| | महिला एवं बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध की रोकथाम-निर्भया निधि | 44.09 | 0.00 |
| | पुलिस स्टेशन एवं महिला सुरक्षा योजना के तहत महिलाओं की मदद हेतु मानव तस्करी विरोधी इकाई-निर्भया निधि (सहायता अनुदान-सामान्य) | 660.00 | 0.00 |
| | राज्य/जिला स्तरीय अनुकरण अभ्यास | 28.00 | 28.00 |
| | श्वेत क्रांती-पशुधन जनगणना एवं एकीकृत नमूना सर्वेक्षण | 357.55 | 139.23 |
| | क्षेत्रीय सैनिक मण्डल/आंचलिक सैनिक मण्डल का रखरखाव हेतु केन्द्रीय अंश | 0.00 | 296.18 |
| | नक्सल हिंसा में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को भुगतान के लिए सहायता | 0.00 | 42.90 |
| | वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन से उत्पन्न राजस्व हानि के लिए क्षतिपूर्ति | 3,08,143.50 | 2,26,100.00 |
| | योग-V | 3,75,824.91 | 2,61,171.38 |
| | महायोग | 6,37,571.29 | 5,05,431.80 |

परिशिष्ट-VI

भारत सरकार द्वारा राज्य में क्रियान्वयन अभिकरणों को निधियों का प्रत्यक्ष स्थानान्तरण
राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष अन्तरण
(राज्य बजट के अलावा दी गई निधियों) (अलेखापरीक्षित आंकड़े)

(₹ लाख में)

| भारत सरकार की योजना | क्रियान्वयन एजेन्सी | भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि | | |
|--|---|--------------------------------|-------------|-------------|
| | | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 |
| राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारतीय खाद्य निगम को खाद्य राजसहायता (के.यो.) | छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड | 3,64,075.54 | 3,30,318.80 | 4,27,236.20 |
| महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (के.प्र.यो.) | छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद | 2,18,561.20 | 2,60,532.00 | 1,63,023.44 |
| प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पी.एम.-किसान) (के.यो.) | राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छत्तीसगढ़ | 1,31,761.32 | 2,297.96 | 0.00 |
| सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.लेड) (के.यो.) | जिलाधीश | 6,750.00 | 7,750.00 | 7,750.00 |
| प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (के.प्र.यो.) | महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ | 4,908.17 | 1,717.85 | 3,938.58 |
| राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंतर्राज्यीय संचालन तथा उचित मूल्य दुकानदारों को मार्जिन (के.यो.) | छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड | 3,128.31 | 0.00 | 0.00 |
| राष्ट्रीय एड्स एवं यौन संचारित रोगों का नियंत्रण कार्यक्रम (के.यो.) | मेसर्स छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति | 2,531.01 | 2,119.53 | 1,845.80 |
| खुरपका और मुंहपका रोग (एफ एम डी) और ब्रुसलोसिस के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम | छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास एजन्सी | 1,939.32 | 0.00 | 0.00 |
| सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देय चीनी राजसहायता (के.यो.) | छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड | 1,595.96 | 1,955.05 | 1,313.23 |
| चालू कार्यक्रम एवं स्कीमें (के.यो.) | जिलाधीश, बीजापुर | 1,451.10 | 0.00 | 0.00 |
| | आकांक्षात्मक-कोण्डागांव | | | |
| | आकांक्षात्मक-महासमुंद | | | |
| राष्ट्रीय गोकुल मिशन (के.प्र.यो.) | छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास एजन्सी | 1,019.79 | 2,640.42 | 100.00 |
| अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं अध्ययन और अन्य सड़क सुरक्षा योजनाएं (के.प्र.) | परिवहन आयुक्त का कार्यालय, छत्तीसगढ़ | 728.20 | 1,394.25 | 0.00 |
| वन स्टाप सेंटर (के.प्र.यो.) | वन स्टाप सेंटर-बीजापुर | 677.38 | 662.44 | 167.04 |
| | वन स्टाप सेंटर-बिलासपुर | | | |
| | वन स्टाप सेंटर-दंतेवाड़ा | | | |
| | वन स्टाप सेंटर-धमतरी | | | |
| | वन स्टाप सेंटर-दुर्ग | | | |
| | वन स्टाप सेंटर-गरियाबन्द | | | |
| | वन स्टाप सेंटर-जाजगीर चापा | | | |
| | वन स्टाप सेंटर-जशपुर | | | |
| वन स्टाप सेंटर-कबीरधाम | | | | |

परिशिष्ट-VI

भारत सरकार द्वारा राज्य में क्रियान्वयन अभिकरणों को निधियों का प्रत्यक्ष स्थानान्तरण—जारी
राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष अन्तरण
(राज्य बजट के अलावा दी गई निधियों) (अलेखापरीक्षित आंकड़े)

(₹ लाख में)

| भारत सरकार की योजना | क्रियान्वयन एजेंसी | भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि | | |
|--|--|--------------------------------|----------|-----------|
| | | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 |
| वन स्टाप सेंटर (के.प्र.यो.) | वन स्टाप सेंटर—कांकेर | | | |
| | वन स्टाप सेंटर—सुकमा | | | |
| | वन स्टाप सेंटर—सूरजपुर | | | |
| | रायगढ़—डी.सी. | | | |
| | वन स्टाप सेंटर—रायपुर | | | |
| | वन स्टाप सेंटर—बालोद | | | |
| | वन स्टाप सेंटर—बलौदा बाजार | | | |
| | वन स्टाप सेंटर—बलरामपुर | | | |
| | वन स्टाप सेंटर—बस्तर | | | |
| | वन स्टाप सेंटर—बेमेतरा | | | |
| | वन स्टाप सेंटर—कोण्डागांव | | | |
| | वन स्टाप सेंटर—कोरबा | | | |
| | वन स्टाप सेंटर—कोरिया | | | |
| | वन स्टाप सेंटर—महासमुंद | | | |
| | वन स्टाप सेंटर—मुंगेली | | | |
| | वन स्टाप सेंटर—नारायणपुर | | | |
| वन स्टाप सेंटर—राजनांदगांव | | | | |
| वन स्टाप सेंटर—सरगुजा | | | | |
| अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण (ईएपी) (के.यो.) | छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग विकास निगम मर्यादित | 665.83 | 384.00 | 0.00 |
| विशिष्ट विषयों के आसपास पर्यटन सर्किट के समन्वित विकास (स्वदेश दर्शन) (के.यो.) | छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल | 590.83 | 2,828.63 | 2,502.05 |
| दुग्ध विकास के लिए राष्ट्रीय योजना (के.प्र.यो.) | छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, रायपुर | 464.88 | 0.00 | 0.00 |
| ई-कोर्ट द्वितीय चरण (के.यो.) | महापंजीयक, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय | 444.20 | 133.00 | 14,682.02 |
| केन्द्रीय विश्वविद्यालय को अनुदान (अन्य केन्द्रीय क्षेत्र व्यय) | गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर छत्तीसगढ़ | 372.42 | 0.00 | 0.00 |
| पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण (के.यो.) | छत्तीसगढ़ वातावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर | 359.25 | 0.00 | 0.00 |

परिशिष्ट-VI

भारत सरकार द्वारा राज्य में क्रियान्वयन अभिकरणों को निधियों का प्रत्यक्ष स्थानान्तरण-जारी
राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष अन्तरण
(राज्य बजट के अलावा दी गई निधियाँ) (अलेखापरीक्षित आंकड़े)

(₹ लाख में)

| भारत सरकार की योजना | क्रियान्वयन एजेन्सी | भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि | | |
|---|---|--------------------------------|---------|---------|
| | | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 |
| राष्ट्रीय सेवा योजना (के.यो.) | छत्तीसगढ़ राज्य राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ पं. रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, रायपुर | 353.40 | 339.04 | 340.26 |
| जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास (के.यो.) | इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर | 324.30 | 96.87 | 135.57 |
| | शासकीय विश्वनाथ यादव तामसकर स्नातकोत्तर स्वायत्त महाविद्यालय, दुर्ग | | | |
| | पं. रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, रायपुर | | | |
| | अमिटी विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ | | | |
| सांख्यिकी सुदृढीकरण हेतु समर्थन (के.यो.) | डी.ई.एस. छत्तीसगढ़ | 291.25 | 0.00 | 0.00 |
| विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत एवं मानवीय क्षमता निर्माण (के.यो.) | श्री गंगाजली शिक्षण संस्था पीआईए | 287.56 | 231.61 | 274.75 |
| | कृषि महाविद्यालय, रायपुर | | | |
| | इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर | | | |
| | छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद | | | |
| | शासकीय विश्वनाथ यादव तामसकर स्नातकोत्तर स्वायत्त महाविद्यालय, दुर्ग, छत्तीसगढ़ | | | |
| | हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग | | | |
| | शासकीय विश्वनाथ यादव तामसकर स्नातकोत्तर स्वायत्त महाविद्यालय, दुर्ग, छत्तीसगढ़ | | | |
| | पं. रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, रायपुर | | | |
| | प्रोत्साहन पुरस्कार मानक योजना, छत्तीसगढ़ | | | |
| | गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ | | | |
| सौर विद्युत-ग्रिड इन्टरएक्टिव (के.यो.) | छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण | 266.90 | 0.00 | 329.84 |
| बायोगैस कार्यक्रम-ऑफ-ग्रिड (के.यो.) | छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण | 249.18 | 244.73 | 145.56 |
| दिव्यांगजनों हेतु योजनाएं (के.प्र.यो.) | उप संचालक, समाज कल्याण, रायपुर | 200.40 | 169.50 | 6.24 |
| | कम्पोजिट क्षेत्रीय केन्द्र | | | |
| पंचायतों को प्रोत्साहन (के.यो.) | संचालक पंचायत, संचालनालय छत्तीसगढ़ | 155.00 | 129.00 | 142.00 |
| आयुष्य स्थापना व्यय (केन्द्र का स्थापना व्यय) | वन संभाग, धमतरी | 106.55 | 20.00 | 150.84 |

परिशिष्ट-VI

भारत सरकार द्वारा राज्य में क्रियान्वयन अभिकरणों को निधियों का प्रत्यक्ष स्थानान्तरण-जारी
राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष अन्तरण
(राज्य बजट के अलावा दी गई निधियों) (अलेखापरीक्षित आंकड़े)

(₹ लाख में)

| भारत सरकार की योजना | क्रियान्वयन एजेंसी | भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि | | |
|---|--|--------------------------------|----------|----------|
| | | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 |
| सेतु सहित अटल नवोन्मेष मिशन (एआईएम) (के.यो.) | केन्द्रीय विद्यालय, अम्बिकापुर | 92.00 | 420.00 | 625.52 |
| | केन्द्रीय विद्यालय, जशपुर | | | |
| | शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, भानुप्रतापपुर एटीएल | | | |
| | शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक शाला, बतौली, सरगुजा, छत्तीसगढ़ | | | |
| | शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, सारगांव, अम्बिकापुर | | | |
| | शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, बारटोली | | | |
| | शासकीय आदर्श बालक उच्चतर माध्यमिक शाला, गनराजी | | | |
| | शासकीय कुलदीप निगम उच्चतर माध्यमिक शाला, नर्रा | | | |
| | शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, देवनगर | | | |
| | शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला, बालोद | | | |
| शासकीय बहुदेशीय उच्चतर माध्यमिक शाला, पेन्द्रा | | | | |
| प्रवासियों एवं प्रत्यायवासियों को राहत एवं पुनर्वास (के.यो.) | जिलाधीश, बीजापुर | 80.80 | 221.00 | 465.30 |
| | उप जिलाधीश | | | |
| डिज़ाइन एवं तकनीकी उन्नयन योजना (के.यो.) | छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास मण्डल | 80.58 | 0.00 | 0.00 |
| विपणन सहायता एवं सेवाएं (के.यो.) | छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास मण्डल | 76.95 | 0.00 | 0.00 |
| राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (के.प्र.यो.) | छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति | 67.00 | 1,132.43 | 1,494.52 |
| ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता एवं जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढीकरण (के.यो.) | जिला पंचायत-डीआरडीए, रायगढ़ | 54.75 | 166.54 | 236.60 |
| | छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास संस्थान | | | |
| बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (के.प्र.यो.) | रायगढ़-डी.सी. | 34.78 | 36.54 | 36.91 |
| | जिलाध्यक्ष, बीजापुर | | | |
| महिला हेल्पलाइन (के.प्र.यो.) | 181 महिला हेल्पलाइन, रायपुर | 34.08 | 85.35 | 63.64 |
| अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी स्कीम (के.यो.) | छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद | 33.45 | 49.29 | 30.91 |
| | इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर | | | |
| स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास (के.यो.) | पं. जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर | 31.44 | 237.44 | 0.00 |

परिशिष्ट-VI

भारत सरकार द्वारा राज्य में क्रियान्वयन अभिकरणों को निधियों का प्रत्यक्ष स्थानान्तरण-जारी
राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष अन्तरण
(राज्य बजट के अलावा दी गई निधियों) (अलेखापरीक्षित आंकड़े)

(₹ लाख में)

| भारत सरकार की योजना | क्रियान्वयन एजेन्सी | भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि | | |
|--|--|--------------------------------|---------|---------|
| | | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 |
| वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान-मॉडलिंग प्रेषण प्रणालियां तथा सेवाएं (एकरॉस) (के.यो.) | इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर | 27.13 | 19.26 | 30.21 |
| आर एण्ड डी प्रौद्योगिकी/इलेक्ट्रानिक्स/सीसीबीटी (के.यो.) | एआईसी@36आईएनसी | 24.80 | 0.00 | 0.00 |
| आयुष कार्मिको का पुनर्भिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम/सतत चिकित्सा शिक्षा (आरओटीपी/सीएमई) (के.यो.) | शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर | 23.07 | 20.46 | 10.50 |
| बाजार विकास सहायता सहित स्वदेशी संवर्धन एवं प्रचार (के.यो.) | छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल | 20.00 | 25.00 | 0.00 |
| राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (के.यो.) | छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर | 19.77 | 0.00 | 0.00 |
| | सहस्त्रबहु बुनकर सहकारी समिति मर्यादित संकरा | | | |
| | मों परमेश्वरी बुनकर सहकारी समिति मर्यादित | | | |
| | मेसर्स आदर्श बुनकर सहकारी समिति मर्यादित सोमाझितियों | | | |
| स्पेस विज्ञान प्रोन्नति (के.यो.) | गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर छत्तीसगढ़ | 17.30 | 0.00 | 0.00 |
| नर्सिंग सेवा का विकास (के.यो.) | शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, रायगढ़ छत्तीसगढ़ | 16.53 | 0.00 | 0.00 |
| एनसीडीसी 27 शाखा की स्थापना तथा सुदृढीकरण एवं स्वास्थ्य पहलें | पं. जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र/सहायक सामग्री की फिटिंग एवं उपकरण की खरीददारी के लिए सहायता | समग्र क्षेत्रीय केन्द्र | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| प्रशिक्षण योजनाएं (के.यो.) | छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी | 11.48 | 5.63 | 40.14 |
| मानव संसाधन विकास-हस्तशिल्प (के.यो.) | छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास मण्डल | 11.25 | 0.00 | 0.00 |
| कृषि गणना एवं सांख्यिकी पर एकीकृत योजना (के.प्र.यो.) | छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद | 8.15 | 2.36 | 8.28 |
| | इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर | | | |
| उच्चतर शिक्षा सांख्यिकी और सार्वजनिक सूचना प्रणाली (एच.ई.एस.पी.आई.एस.) (के.यो.) | उच्च शिक्षा पर छत्तीसगढ़ अखिल भारतीय सर्वेक्षण इकाई (एआईएसएचई) | 6.73 | 0.00 | 7.57 |
| अनुसंधान एवं विकास (के.यो.) | शासकीय विश्वनाथ यादव तामसकर स्नातकोत्तर स्वायत्त महाविद्यालय, दुर्ग, छत्तीसगढ़ | 5.91 | 73.40 | 0.00 |

परिशिष्ट-VI

भारत सरकार द्वारा राज्य में क्रियान्वयन अभिकरणों को निधियों का प्रत्यक्ष स्थानान्तरण—जारी
राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष अन्तरण
(राज्य बजट के अलावा दी गई निधियों) (अलेखापरीक्षित आंकड़े)

(₹ लाख में)

| भारत सरकार की योजना | क्रियान्वयन एजेंसी | भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि | | |
|---|---|--------------------------------|----------|-----------|
| | | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 |
| अनुसंधान संस्थाओं के माध्यम से बहिर्वर्ती अनुसंधान परियोजनाएं (के.यो.) | गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ | 4.74 | 0.00 | 7.65 |
| सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु सहायता (के.यो.) | खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा ग्राहक संरक्षण | 4.05 | 0.00 | 0.00 |
| बीज एवं रोपण सामग्री पर उप मिशन (के.प्र.यो.) | छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम मर्यादित | 4.05 | 30.39 | 136.40 |
| कृषि विस्तार पर सब मिशन (के.प्र.यो.) | इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| विपणन अनुसंधान (के.यो.) | गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ | 1.81 | 0.00 | 0.00 |
| अजजा के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति (के.यो.) | हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रायपुर | 0.93 | 15.30 | 11.56 |
| बागवानी पर राष्ट्रीय मिशन (के.प्र.यो.) | छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद | 0.68 | 23.50 | 37.00 |
| संस्थान सेवाएं प्रचार कार्यक्रम (के.यो.) | एम.एस.एम.ई. प्रौद्योगिकी केन्द्र, दुर्ग | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम (के.यो.) | दुर्ग विश्वविद्यालय | 0.34 | 1.09 | 0.00 |
| | शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय (युनिट 1 एवं 2) | | | |
| | प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय, लवन | | | |
| सौर विद्युत-ग्रिड इन्टरएक्टिव अक्षय विद्युत (के.यो.) | छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण | 0.00 | 9,334.76 | 15,485.87 |
| सड़क विंग अन्तर्गत कार्य (के.यो.) | कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, लोक निर्माण विभाग, अंबिकापुर | 0.00 | 6,505.92 | 0.00 |
| इलेक्ट्रॉनिक्स/आई.टी. हार्डवेयर विनिर्माण को प्रोत्साहन (एमएसआईपीएस, ईडीएफ एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर) (के.यो.) | छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग विकास निगम मर्यादित | 0.00 | 1,292.31 | 0.00 |
| कृषि विपणन (के.प्र.यो.) | छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड | 0.00 | 630.00 | 277.70 |
| इलेक्ट्रॉनिक्स शासन (के.यो.) | छत्तीसगढ़ इंफोटेक एवं जैव प्रौद्योगिकी संवर्धन समिति | 0.00 | 612.00 | 0.00 |
| औद्योगिक और उद्यमिता विकास (के.यो.) | छत्तीसगढ़ जैव प्रौद्योगिकी प्रौन्नात समिति | 0.00 | 449.17 | 0.00 |
| प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना प्रतिबद्धित दायित्वों के लिए अधोसंरचना से संबंधित योजना (के.यो.) | नगर निगम, भिलाई | 0.00 | 210.27 | 0.00 |
| वानिकी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण (के.यो.) | छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास एजेंसी | 0.00 | 167.57 | 83.36 |

परिशिष्ट-VI

भारत सरकार द्वारा राज्य में क्रियान्वयन अभिकरणों को निधियों का प्रत्यक्ष स्थानान्तरण—जारी
राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष अन्तरण
(राज्य बजट के अलावा दी गई निधियों) (अलेखापरीक्षित आंकड़े)

(₹ लाख में)

| भारत सरकार की योजना | क्रियान्वयन एजेंसी | भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि | | |
|--|---|--------------------------------|---------|----------|
| | | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 |
| कृषि मशीनीकरण पर सबमिशन (के.प्र.यो.) | राज्य स्तरीय कृषि उन्नति प्रयोग केन्द्र | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
| राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्र.यो.) | इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर | 0.00 | 133.00 | 0.00 |
| खेलो इंडिया (के.यो.) | संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, छत्तीसगढ़ | 0.00 | 80.00 | 250.00 |
| स्थापना व्यय (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन) (केन्द्र का स्थापना व्यय) | कार्यालय वन संभाग | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| उच्च शिक्षा स्थापना व्यय (केन्द्र का स्थापना व्यय) | छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
| पर्यावरण सूचना प्रणाली (के.यो.) | छत्तीसगढ़ वातावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर | 0.00 | 14.85 | 17.09 |
| सूचना का अधिकार का प्रसारण—शासन में पारदर्शिता एवं दायित्वोद्घिनता उन्नतिकरण (अन्य केन्द्र प्रवर्तित योजना) | छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी | 0.00 | 10.60 | 9.20 |
| अनुसूचित जातियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा योजना (के.यो.) | हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रायपुर | 0.00 | 7.76 | 11.62 |
| सूचना, शिक्षा और संचार (के.यो.) | छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण | 0.00 | 1.58 | 0.00 |
| क्षमता निर्माण—पंचायत सशक्तिकरण अभियान (पीएसए) | छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास का संस्थान | 0.00 | 0.00 | 3,320.88 |
| महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम—राज्य घटक | छत्तीसगढ़ सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई | 0.00 | 0.00 | 684.76 |
| उद्योग अवसंरचना उन्नयन स्कीम (आईआईयूएस) | छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित | 0.00 | 0.00 | 627.55 |
| राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन | गुरु घासीदास महाविद्यालय, बिलासपुर | 0.00 | 0.00 | 441.00 |
| राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना | जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ | 0.00 | 0.00 | 197.00 |
| राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम | नवयुवक बुनकर सहकारी समिति मर्यादित बिलाईगढ़ | 0.00 | 0.00 | 93.40 |
| | विकास हाथकरघा बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, कुरुद | | | |
| | छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर | | | |
| जनशक्ति विकास | छत्तीसगढ़ इंफोटेक एवं जैव प्रौद्योगिकी संवर्धन समिति | 0.00 | 0.00 | 64.77 |
| अन्य अक्षय ऊर्जा अनुप्रयोग (सौर शहर, हरित भवन, राज्यों को सहायता, अक्षय ऊर्जा अनुप्रयोगों का प्रदर्शन, कुक स्टोव इत्यादि) | छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण | 0.00 | 0.00 | 42.40 |

परिशिष्ट-VI

भारत सरकार द्वारा राज्य में क्रियान्वयन अभिकरणों को निधियों का प्रत्यक्ष स्थानान्तरण-समाप्त
राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष अन्तरण
(राज्य बजट के अलावा दी गई निधियों) (अलेखापरीक्षित आंकड़े)

(₹ लाख में)

| भारत सरकार की योजना | क्रियान्वयन एजेन्सी | भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि | | |
|---|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 |
| ¹ | छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| लघु पन बिजली-ऑफ-ग्रिड | छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
| प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम | राज्य परियोजना आजीविका महाविद्यालय | 0.00 | 0.00 | 25.20 |
| संरक्षण और विकास के लिए अनुसंधान और विकास | गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| शताब्दी एवं जयंती समारोह | छत्तीसगढ़ राज्य समाज कल्याण मण्डल, रायपुर | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| ई-पंचायत पर मिशन मोड परियोजना | ठाकूर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान | 0.00 | 0.00 | 4.44 |
| मीडिया एवं प्रचार | निदेशक पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ | 0.00 | 0.00 | 4.38 |
| स्वयंसेवी एजेन्सियों को अनुदान सहायता और बंधुआ श्रमिकों की सहायता की प्रतिपूर्ति सहित राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना | जिला बाल श्रमिक परियोजना समिति, दुर्ग | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी | पं. रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, रायपुर | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-केन्द्रीय घटक | छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास एजेन्सी, रायपुर | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
| | योग | 7,45,085.20 | 6,38,179.45 | 6,49,081.02 |

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1. महालेखा नियंत्रक के "पब्लिक फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट सिस्टम (पी.एफ.एम.एस.)" पोर्टल से आंकड़े लिए गए हैं। आंकड़ों की लेखापरीक्षा नहीं की गई है।
2. भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में राज्य हेतु कुल विमुक्त राशि ₹ 22,55,106.10 लाख है (राज्य शासन के दिये गये ₹ 13,78,245.59 लाख सम्मिलित है)।
3. इस परिशिष्ट में विमुक्त राशि में ₹ 1,31,775.31 लाख सम्मिलित नहीं है जो कि राज्य में स्थित केन्द्रीय संस्थाओं एवं छत्तीसगढ़ शासन के अधिकार क्षेत्र के बाहर की अनेक संस्थाओं को विमुक्त की गई है।

¹ पी.एफ.एम.एस. पोर्टल में योजना का नाम नहीं दिये गये हैं।

परिशिष्ट-VII

विवरण क्रमांक 18 एवं 21 में दर्शाए गए अंतशेषों का मिलान एवं स्वीकरण

- (i) सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण (विवरण क्रमांक 18) तथा आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखे संव्यवहारों का विस्तृत विवरण (विवरण क्रमांक 21) एवं लेखा कार्यालय/विभागीय कार्यालय में संधारित पृथक पंजियो या अभिलेख के मध्य असंगत भिन्नता का विवरण निम्नानुसार है :

(₹ लाख में)

| स.क्रं. | लेखा शीर्ष | वर्ष जिससे अन्तर संबंधित है | अन्तर की राशि | विभागीय अधिकारी/कोषालय अधिकारी जिससे अन्तर विचाराधीन/समाधानाधीन है। | अपेक्षित अभिलेख, विवरण इत्यादि |
|------------------|------------|-----------------------------|---------------|---|--------------------------------|
| ठ-उचंत तथा विविध | | | | | |
| निरंक | | | | | |

- (ii) शेषों को स्वीकार किये जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक वर्ष सूचित किये जाते हैं। अधिकांश प्रकरणों में ऐसी स्वीकृति अब तक प्राप्त नहीं हुई है। संबंधित जानकारी निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

| सरल क्रमांक | लेखा शीर्ष एवं संस्था का नाम | पूर्व के वर्ष जिससे पुष्टि अपेक्षित है। | 31.03.2020 तक बकाया राशि |
|-------------|---|---|--------------------------|
| 1 | 6075-विविध सामान्य सेवाएं के लिए कर्ज | 2002-03 | 7,500.16 |
| 2 | 6202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज | 2000-01 से | 90.81 |
| 3 | 6210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के लिए कर्ज | 2000-01 से | 3.16 |
| 4 | 6215-जल पूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज | 2000-01 से | 10,200.15 |
| 5 | 6216-आवास के लिए कर्ज | 2000-01 से | 4,929.45 |
| 6 | 6217-शहरी विकास के लिए कर्ज | 2000-01 से | 33,056.40 |
| 7 | 6225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये कर्ज | 2000-01 से | 270.55 |
| 8 | 6235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज | 2000-01 से | 123.18 |

परिशिष्ट-VII

विवरण क्रमांक 18 एवं 21 में दर्शाए गए अंतशेषों का मिलान एवं स्वीकरण-समाप्त

(ii) अधिकांश प्रकरणों में ऐसी स्वीकृति अब तक प्राप्त नहीं हुई है-समाप्त

(₹ लाख में)

| सरल क्रमांक | लेखा शीर्ष एवं संस्था का नाम | पूर्व के वर्ष जिससे पुष्टि अपेक्षित है। | 31.03.2019 तक बकाया राशि |
|-------------|---|---|--------------------------|
| 9 | 6245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज | 2000-01 से | 82.85 |
| 10 | 6250-अन्य समाज सेवाओं के लिए कर्ज | 2000-01 से | 91.11 |
| 11 | 6401-फसल कृषि-कर्म के लिए कर्ज | 2000-01 से | 2,454.58 |
| 12 | 6402-मृदा एवं जल संरक्षण के लिए कर्ज | 2000-01 से | 806.30 |
| 13 | 6403-पशुपालन के लिए कर्ज | 2000-01 से | 155.82 |
| 14 | 6404-डेयरी विकास के लिए कर्ज | 2000-01 से | 0.82 |
| 15 | 6405-मछली पालन के लिए कर्ज | 2000-01 से | 0.05 |
| 16 | 6406-वानिकी तथा वन्य जीवन के लिए कर्ज | 2000-01 से | 1,274.54 |
| 17 | 6408-खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार के लिये कर्ज | 2000-01 से | 14,597.59 |
| 18 | 6425-सहकारिता के लिए कर्ज | 2000-01 से | 34,053.52 |
| 19 | 6435-कृषि कार्यक्रमों के लिये कर्ज | 2000-01 से | 2.78 |
| 20 | 6515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों के लिए कर्ज | 2000-01 से | 58.30 |
| 21 | 6702-लघु सिंचाई के लिये कर्ज | 2000-01 से | 11.85 |
| 22 | 6705-कमान क्षेत्र विकास के लिये कर्ज | 2000-01 से | 4.65 |
| 23 | 6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज | 2000-01 से | 27,174.46 |
| 24 | 6851-ग्राम एवं लघु उद्योगों के लिये कर्ज | 2000-01 से | 207.37 |
| 25 | 6853- अलौह खनन तथा घातुकर्म उद्योग के लिये कर्ज | 2000-01 से | 1.14 |
| 26 | 6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज | 2000-01 से | 155.92 |
| 27 | 6885-उद्योग और खनिज के लिए अन्य कर्ज | 2000-01 से | 643.36 |
| 28 | 7055-सड़क परिवहन के लिए कर्ज | 2000-01 से | 616.92 |
| 29 | 7452-पर्यटक के लिए कर्ज | 2000-01 से | 552.70 |
| 30 | 7465-सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं के लिए कर्ज | 2000-01 से | 0.61 |

परिशिष्ट-VIII

(I) सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम

(₹ लाख में)

| स. क्र. | परियोजना का नाम | वर्ष के दौरान पूंजीगत परिव्यय | | | वर्ष के अंत तक पूंजीगत परिव्यय | | | वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियां | | | वर्ष के दौरान परित्यक्त या छोड़े गये राजस्व | वर्ष के दौरान कुल राजस्व (कॉलम 11 तथा 12) | वर्ष के दौरान कार्य चालन व्यय तथा रखरखाव प्रभार | | | ब्याज को छोड़कर निवल राजस्व | | | ब्याज देने के बाद निवल हानि या लाभ | |
|---------|-----------------|-------------------------------|------------|-----|--------------------------------|------------|-----|----------------------------------|------------------------|------|---|---|---|------------|------|--|--|------------------------------------|--|--|
| | | प्रत्यक्ष | अप्रत्यक्ष | कुल | प्रत्यक्ष | अप्रत्यक्ष | कुल | प्रत्यक्ष प्राप्तियाँ | अप्रत्यक्ष प्राप्तियाँ | कुल | | | प्रत्यक्ष | अप्रत्यक्ष | कुल | व्यय (कॉलम 16) पर राजस्व (कॉलम 13) का आधिक्य (+) अथवा राजस्व (कॉलम 13) पर व्यय (कॉलम 16) का आधिक्य (-) | वर्ष के अंत तक पूंजीगत परिव्यय पर प्रतिशत दर | प्रत्यक्ष पूंजीगत परिव्यय पर ब्याज | व्यय से राजस्व का आधिक्य (+) या राजस्व से व्यय का आधिक्य (-) | वर्ष के अंत तक पूंजीगत परिव्यय पर प्रतिशत दर |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी के अनुसार राज्य में कोई वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना नहीं है ।

परिशिष्ट-VIII-समाप्त

(II) विद्युत योजनाओं के वित्तीय परिणाम

(₹ लाख में)

| स.क्रं. | परियोजना का नाम | प्रत्यक्ष पूंजीगत परिव्यय | | वर्ष के दौरान सकल राजस्व | कार्य चालन व्यय | | | ब्याज को छोड़कर निवल राजस्व | | पूंजीगत परिव्यय पर ब्याज | ब्याज के बाद निवल लाभ या हानि | |
|---|-----------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|--|---|--------------------------|--|---|
| | | वर्ष के दौरान | वर्ष के अंत में | | मूल्य-ह्रास | प्रत्यक्ष कार्य चालन व्यय | कुल कार्य चालन व्यय | व्यय से राजस्व का आधिक्य (+) या राजस्व से व्यय का आधिक्य (-) | वर्ष के अंत में पूंजीगत परिव्यय पर दर प्रतिशत | | व्यय से राजस्व (+) या राजस्व से व्यय का आधिक्य (-) | वर्ष के अंत में पूंजीगत परिव्यय पर दर प्रतिशत |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| राज्य में विभाग द्वारा संचालित कोई भी वाणिज्यिक विद्युत परियोजना नहीं है। | | | | | | | | | | | | |

परिशिष्ट-IX
राज्य शासन की प्रतिबद्धता-अपूर्ण निर्माण कार्यों की सूची
₹ 10 करोड़ एवं अधिक लागत के अपूर्ण पूँजीगत निर्माण कार्यों का विवरण

(₹ लाख में)

| अवधि | सिंचाई | | भवन | | सड़क | | पुल | | अन्य | |
|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
| | कार्यों की संख्या | राशि | कार्यों की संख्या | राशि | कार्यों की संख्या | राशि | कार्यों की संख्या | राशि | कार्यों की संख्या | राशि |
| 1995 से पूर्व | 09 | 24,095.60 | निरंक | 0.00 | निरंक | 0.00 | निरंक | 0.00 | निरंक | 0.00 |
| 1995 से 2000 | निरंक | 0.00 | निरंक | 0.00 | निरंक | 0.00 | निरंक | 0.00 | निरंक | 0.00 |
| 2000 से 2005 | 01 | 9,850.00 | निरंक | 0.00 | निरंक | 0.00 | निरंक | 0.00 | निरंक | 0.00 |
| 2005 से 2010 | 48 | 1,63,778.20 | 05 | 22,784.91 | 06 | 22,051.46 | 02 | 2,599.17 | निरंक | 0.00 |
| 2010 से 2015 | 79 | 3,96,006.51 | 13 | 33,987.74 | 49 | 2,90,120.34 | 27 | 59,450.67 | निरंक | 0.00 |
| 2015 से 2019 | 27 | 58,518.68 | 01 | 51,795.52 | 55 | 2,99,641.73 | 09 | 16,480.06 | निरंक | 0.00 |
| योग | 164 | 6,52,248.99 | 19 | 1,08,568.17 | 110 | 6,11,813.53 | 38 | 78,529.90 | निरंक | 0.00 |

परिशिष्ट-IX
राज्य शासन की प्रतिबद्धता-अपूर्ण निर्माण कार्यों की सूची-जारी

जल संसाधन विभाग

(₹ लाख में)

| स.क्रं. | कार्य/परियोजनाओं के नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृति तिथि | कार्य प्रारंभ का वर्ष | कार्य समाप्ति का वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में) 31 मार्च 2020 की स्थिति में | वर्ष में व्यय | वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय | लंबित भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो एवं पुनरीक्षण का दिनांक | |
|---------|---|--|-----------------------|-----------------------|---|---------------|-----------------------------|--------------|--|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
| 1 | सोंढूर परियोजना में भाटापारा नहर | 3,445.00 2/77 | 1982 | 2011-12 | * | 0.00 | 24,982.08 | * | 56,569.00 | * |
| 2 | दुधावा परियोजना (बांध सुरक्षा) | 1,122.59 2/06 | 2006 | 6/2011 | * | 0.00 | 1,961.65 | * | * | * |
| 3 | दुलना एनिकट | 7,668.74 6/08 | 2008 | 3/2012 | * | 14.53 | 9,497.40 | * | 13,665.52 | * |
| 4 | मलेंजर व्यपवर्धन | 1,118.96 | 2006 | 3/2012 | * | 10.32 | 4,204.09 | * | 4,965.10 | * |
| 5 | पैरी बांयी तट नहर की लाइनिंग | 1,653.34 2008 | 2009 | 6/2011 | * | 378.09 | 8,096.80 | * | 4,997.50 | * |
| 6 | पैरी परियोजना दायी तट नहर-1 के अंतर्गत लाइनिंग कार्य | 5,308.78 7.7.2008 | 2010 | 6/2011 | * | 29.15 | 3,191.12 | * | * | * |
| 7 | घुमरिया नाला बैराज | 4,778.86 2005 | 2005 | 6/2012 | * | 3.13 | 5,337.92 | * | * | * |
| 8 | जोंक व्यपवर्तन के मुख्य नहर के ओपन मेसनरी ट्रप का कार्य | 7,500.00 | * | * | * | 0.00 | 4,281.93 | * | * | * |
| 9 | खातुटोला बैराज | 4,765.33 | 10/2006 | 3/2014 | * | 162.86 | 6,047.83 | * | 5,845.18 | * |
| 10 | गोढी वितरक नहर शाखा लाइनिंग एवं स्ट्रेक्चर कार्य | 250.00 | 2009 | 3/2011 | * | 0.00 | 2,105.41 | * | 2,391.00 | * |
| 11 | खरखरा नहर दांयी तट का लाइनिंग कार्य | 1,289.39 2007 | 2008 | 3/2011 | * | 0.00 | 1,410.03 | * | 1,695.11 | * |
| 12 | पैरी घुमर व्यपवर्तन | 1,527.00 1991 | 2008 | 6/2017 | * | 203.27 | 3,496.62 | * | 2,958.20 4,617.87 | 31.03.10 31.03.16 |
| 13 | उरमाल जलप्लावन परियोजना | 4,268.23 | 1977 | 6/2015 | * | 658.90 | 5,133.18 | * | 4,448.04 | 13.02.14 |

* इंगित करता है कि जानकारी उपलब्ध नहीं।

परिशिष्ट-IX

जल संसाधन विभाग-जारी

राज्य शासन की प्रतिबद्धता-अपूर्ण निर्माण कार्यों की सूची-जारी

(₹ लाख में)

| स.क्रं. | कार्य/परियोजनाओं के नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृति तिथि | कार्य प्रारंभ का वर्ष | कार्य समाप्ति का वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में) 31 मार्च 2020 की स्थिति में | वर्ष में व्यय | वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय | लंबित भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो एवं पुनरीक्षण का दिनांक | |
|---------|--|--|-----------------------|-----------------------|---|---------------|-----------------------------|--------------|--|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
| 14 | बकोरी जलाशय | 1,039.00 1978 | 2008 | 2011 | * | 0.00 | 218.33 | * | 1,831.14 | 17.02.10 |
| 15 | राजाडेरा जलाशय | 4,763.00 1980 | 2008 | 2011 | * | 0.00 | 1,582.98 | * | 4,769.20 3,302.52 5,245.12 | 2008 10.07.15 |
| 16 | खातपाली व्यपवर्तन | 2,952.88 25.08.07 | 8/2007 | 3/2018 | * | 721.85 | 9,885.56 | * | 8,646.85 15,738.09 | 20.03.14 |
| 17 | कटघोरा व्यपवर्तन | 1,519.94 29.03.07 | 2/2008 | 12/2010 | * | 1,104.33 | 4,578.34 | * | 5,607.66 | 30.11.14 |
| 18 | चम्पाझारिया व्यपवर्तन | 2,713.65 01.09.07 | 2/2009 | 3/2011 | * | 0.00 | 919.86 | * | * | * |
| 19 | रामपुर जलाशय | 1,800.82 28.04.05 | 7/2008 | 3/2016 | * | 439.80 | 3,802.91 | * | 8,340.45 | 29.03.16 |
| 20 | सालका व्यपवर्तन | 4,723.22 16.03.07 | 12/2007 | 3/2015 | * | 201.55 | 6,523.26 | * | 5,950.30 | * |
| 21 | लछनपुर व्यपवर्तन | 1,782.00 20.11.07 | 1/2009 | 6/2011 | * | 16.94 | 4,091.68 | * | 4,933.22 | * |
| 22 | लाथनाला व्यपवर्तन | 1,505.00 22.01.07 | 2009 | 3/2015 | * | 371.01 | 3,757.83 | * | 3,858.43 | * |
| 23 | लीलागर व्यपवर्तन | 3,620.24 14.08.08 | 8/2008 | 6/2011 | * | 557.36 | 4,781.58 | * | * | * |
| 24 | मांड एनीकट अम्बेटिकारा | 1,332.52 01.12.05 | 5/2006 | 3/2015 | * | 0.00 | 704.29 | * | * | * |
| 25 | मनियारी नहर प्रणाली का रिमाडलिंग एवं लाइनिंग कार्य | 10,666.00 29.08.08 | 1/2009 | 6/2015 | * | 272.85 | 13,961.49 | * | 15,995.00 | 20.07.10 |

परिशिष्ट-IX
राज्य शासन की प्रतिबद्धता-अपूर्ण निर्माण कार्यों की सूची-जारी

जल संसाधन विभाग-जारी

(₹ लाख में)

| स.क्रं. | कार्य/परियोजनाओं के नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृति तिथि | कार्य प्रारंभ का वर्ष | कार्य समाप्ति का वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में) 31 मार्च 2020 की स्थिति में | वर्ष में व्यय | वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय | लंबित भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो एवं पुनरीक्षण का दिनांक | |
|---------|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---|---------------|-----------------------------|--------------|--|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
| 26 | मनियारी डी-3 जलाशय का लाइनिंग कार्य | 1,064.08 | * | 3/2019 | * | 122.50 | 402.00 | * | * | * |
| 27 | मनियारी बैराज | 1,921.00 13.07.07 | 3/2008 | 6/2011 | * | 76.95 | 5,274.76 | * | 4,375.31 | 15.04.11 |
| 28 | केन्दा व्यपवर्तन | 835.00 29.08.08 | 8/2008 | 6/2017 | * | 236.12 | 2,298.69 | * | 2,073.06 | * |
| 29 | आमामुडा व्यपवर्तन | 3,155.00 13.11.09 | 11/2009 | 6/2014 | * | 128.18 | 3,775.23 | * | * | * |
| 30 | रेहर व्यपवर्तन | 1,687.00 12.12.07 | 2/2009 | 3/2013 | * | 72.53 | 4,848.96 | * | 2,706.09 | 16.07.09 |
| 31 | खारून व्यपवर्तन | 2,217.00 08.08.09 | 8/2009 | 6/2014 | * | 135.32 | 2,896.94 | * | 3,499.65 | 13.07.17 |
| 32 | लिलार व्यपवर्तन | 1,740.42 | * | 6/2011 | * | 0.00 | 11.23 | * | * | * |
| 33 | हल्दीमूण्डा व्यपवर्तन | 2,508.83 | 10/1976 | 6/2010 | * | 0.00 | 111.02 | * | * | * |
| 34 | बेलसूंगा जलाशय | 3,061.76 | 1/1982 | 3/2009 | * | 0.00 | 9.61 | * | * | * |
| 35 | मैनी एनीकट | 1,237.18 | 1/2009 | 3/2011 | * | 500.75 | 2,728.67 | * | 2,750.61 | * |
| 36 | महादेवघाट एनीकट | 1,175.44 | 8/2012 | 3/2017 | * | 0.00 | 809.84 | * | 1,276.50 | * |
| 37 | भेन्द्रा जलाशय | 1,175.00 | 12/2003 | 6/2010 | * | 0.00 | 1,119.37 | * | 1,063.43 | * |
| 38 | लोकर जलाशय | 3,043.23 | * | 3/2014 | * | 285.51 | 2,792.51 | * | * | * |
| 39 | भरारी जलाशय | 3,167.35 | * | * | * | 0.00 | 1,036.87 | * | * | * |
| 40 | शिवरी नारायण बैराज | 11,644.64 08.10.09 | 2011-12 (29.07.11) | 7/2013 | * | 11.41 | 13,261.85 | * | 16,242.75 24,391.00 | 18.03.16 * |
| 41 | केलो परियोजना बांध एवं सुरक्षा | 9,850.00 | 7/2003 | 3/2013 | * | 1,145.78 | 26,250.97 | * | 59,891.00 | 25.07.09 |
| 42 | साराडीह बैराज | 37,284.57 | 7/2012 | 7/2013 | * | 1,399.61 | 53,431.72 | * | 52,752.06 | * |

परिशिष्ट-IX

राज्य शासन की प्रतिबद्धता-अपूर्ण निर्माण कार्यों की सूची-जारी

जल संसाधन विभाग-जारी

(₹ लाख में)

| स.क्रं. | कार्य/परियोजनाओं के नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृति तिथि | कार्य प्रारंभ का वर्ष | कार्य समाप्ति का वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में) 31 मार्च 2020 की स्थिति में | वर्ष में व्यय | वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय | लंबित भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो एवं पुनरीक्षण का दिनांक | |
|---------|------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---|---------------|-----------------------------|--------------|--|----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
| 43 | न्यू महामारा एनीकट | 1,674.55 | * | * | * | 0.00 | 1,245.71 | * | * | * |
| 44 | पाराघाट फीडर व्यपवर्तन | 2,773.97 | * | 6/2013 | * | 424.47 | 4,268.49 | * | 5,436.68 | * |
| 45 | समोदा फेस-1 | 9,771.00 | 10/2002 | 6/2012 | * | 0.00 | 11,113.97 | * | * | * |
| 46 | रेंगाबोद (कुण्ड) व्यपवर्तन | 1,690.10 | 12/2011 | 6/2014 | * | 385.86 | 2,186.27 | * | * | * |
| 47 | रावेली जलाशय | 1,068.72 | * | * | * | 0.00 | 11.58 | * | * | * |
| 48 | अमेठी एनीकट | 1,080.00 | 12/2008 | 3/2012 | * | 0.00 | 27.55 | * | * | * |
| 49 | अरपा बैसाझर परियोजना | 60,643.00 | 9/2013 | * | * | 5,676.25 | 99,276.66 | * | 1,14,190.00 | 19.07.16 |
| 50 | लिलाघाट नदी पर मुदापार एनीकट | 1,900.00 | * | 3/2013 | * | 0.00 | 0.15 | * | * | * |
| 51 | कंचनपुर जलाशय | 1,209.12 | * | 6/2012 | * | 0.00 | 402.27 | * | * | * |
| 52 | सरब कोम्बो व्यपवर्तन | 2,300.50 | * | * | * | 0.00 | 27.85 | * | * | * |
| 53 | बागोद एनीकट | 2,100.00 | * | 12/2017 | * | 0.00 | 3,787.36 | * | * | * |
| 54 | सोंदूर परियोजना बांध सुरक्षा | 1,405.00 | * | 6/2019 | * | 83.22 | 1,620.39 | * | 1,411.31 | * |
| 55 | बानगांव व्यपवर्तन | 1,000.00 | * | * | * | 0.00 | 552.92 | * | * | * |
| 56 | गेरानाला जलाशय | 1,481.05 | * | 6/2020 | * | 15.59 | 288.03 | * | * | * |
| 57 | रतीझा एनीकट | 1,013.71 | 10/2011 | 3/2016 | * | 0.00 | 1,026.77 | * | 1,208.28 | * |
| 58 | गोबरा बैराज | 2,364.37 | * | * | * | 0.00 | 0.90 | * | * | * |
| 59 | भरारी व्यपवर्तन | 3,998.17 | * | 6/2015 | * | 826.74 | 5,589.71 | * | 7,212.17 | 03/2010 |
| 60 | हसदेव नदी पर सीलादेही एनीकट | 1,387.96 | * | * | * | 0.00 | 836.32 | * | 1,584.23 | * |
| 61 | डोंगरा पथरा देवपुर एनीकट | 3,806.73 | 2012 | 3/2014 | * | 0.00 | 3,807.51 | * | 4,997.50 | * |
| 62 | सहसपूर व्यपवर्तन | 1,265.59 | 12/2012 | 6/2019 | * | 7.53 | 2,497.99 | * | * | * |
| 63 | पथरिया बैरेज | 3,586.20 12.03.12 | * | 3/2019 | * | 0.00 | 4,481.86 | * | * | * |

परिशिष्ट-IX
राज्य शासन की प्रतिबद्धता-अपूर्ण निर्माण कार्यों की सूची-जारी

जल संसाधन विभाग-जारी

(₹ लाख में)

| स.क्रं. | कार्य /परियोजनाओं के नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृति तिथि | कार्य प्रारंभ का वर्ष | कार्य समाप्ति का वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में) 31 मार्च 2020 की स्थिति में | वर्ष में व्यय | वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय | लंबित भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो एवं पुनरीक्षण का दिनांक |
|---------|------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---|---------------|-----------------------------|--------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 64 | छेलानाला व्यपवर्तन | 1,058.21 | * | 6/2013 | * | 511.50 | 3,486.51 | * | * * |
| 65 | खैराडीह जलाशय | 1,060.05 | * | 3/2014 | * | 0.00 | 14.30 | * | * * |
| 66 | मोहरा एनीकट | 1,079.77 | 2/2012 | 6/2019 | * | 29.34 | 5,043.04 | * | * * |
| 67 | समोदा बैराज | 15,920.00 | 2/2012 | 2/2014 | * | 343.00 | 11,227.04 | * | * * |
| 68 | कुद्री एनीकट | 9,778.47 | 2012 | 2016 | * | 19.44 | 8,848.47 | * | * * |
| 69 | मोहद जलाशय | 2,282.27 | * | * | * | 0.00 | 2,191.11 | * | * * |
| 70 | कोइलारी व्यपवर्तन | 1,472.43 | 10/2009 | 6/2014 | * | 0.00 | 3.82 | * | * * |
| 71 | सकालो जलाशय | 1,917.81 | * | 3/2014 | * | 58.51 | 1,704.48 | * | * * |
| 72 | गागर फीडर | 3,662.79 | * | 3/2014 | * | 1,105.92 | 5,419.25 | * | * * |
| 73 | मयूर सागर (बसना) जलाशय | 1,049.75 | * | * | * | 0.00 | 11.33 | * | * * |
| 74 | सपनई बैराज फेस-1 | 4,974.37 | * | 3/2014 | * | 35.96 | 3,030.88 | * | * * |
| 75 | मुन्द्रा एनीकट | 1,319.77 | * | * | * | 0.00 | 408.32 | * | * * |
| 76 | चीरमिरी जलाशय | 1,377.81 30.03.13 | 2013 | 6/2018 | * | 0.00 | 1,637.46 | * | 3,259.51 * |
| 77 | अजंजी जलाशय | 1,084.00 | 2013 | 6/2018 | * | 64.39 | 2,572.13 | * | 2,216.00 * |
| 78 | लैन पारा व्यपवर्तन | 2,216.00 | * | * | * | 0.00 | 0.01 | * | * * |
| 79 | बड़ेकरेली बाढ़ सुरक्षा | 2,026.55 | * | 3/2013 | * | 0.00 | 0.10 | * | * * |
| 80 | मारागांव एनीकट | 2,500.00 | * | 12/2016 | * | 0.00 | 2,703.83 | * | 2,663.53 * |
| 81 | डूमरपाली एनीकट | 4,500.00 | * | * | * | 0.00 | 4,812.31 | * | 4,799.00 * |
| 82 | मोहलाई व्यपवर्तन | 2,023.73 | 9/2011 | 2/2014 | * | 0.00 | 81.75 | * | 2,205.84 * |
| 83 | काशी डिस्ट्रिब्यूटरी लाईनिंग | 2,483.11 | * | 6/2017 | * | 116.72 | 3,300.78 | * | * * |
| 84 | मोहपार जलाशय | 1,031.71 | 12/2005 | 6/2014 | * | 0.00 | 621.83 | * | 1,095.84 * |

परिशिष्ट-IX

राज्य शासन की प्रतिबद्धता-अपूर्ण निर्माण कार्यों की सूची-जारी

जल संसाधन विभाग-जारी

(₹ लाख में)

| स.क्रं. | कार्य/परियोजनाओं के नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृति तिथि | कार्य प्रारंभ का वर्ष | कार्य समाप्ति का वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में) 31 मार्च 2020 की स्थिति में | वर्ष में व्यय | वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय | लंबित भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो एवं पुनरीक्षण का दिनांक | |
|---------|--|--|-----------------------|-----------------------|---|---------------|-----------------------------|--------------|--|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
| 85 | हेम्प दाई तट नहर | 1,571.00 | * | 6/2014 | * | 0.00 | 1,215.30 | * | * | * |
| 86 | जोंक बैराज | 3,512.59 | 2012 | * | * | 0.00 | 1,232.55 | * | * | * |
| 87 | मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना (ई.आर.एम.) | 49,231.00 | 4/2012 | * | * | 3,191.17 | 37,090.16 | * | * | * |
| 88 | लवन शाखा मुख्य नहर के शेष लाइनिंग कार्य एवं पक्के स्ट्रक्चर के शेष कार्य | 9,000.00 | * | 3/2017 | * | 90.53 | 6,742.93 | * | 7,235.44 | 2015-16 |
| 89 | रावाघाट परियोजना | 5,596.00 | * | 6/2014 | * | 0.00 | 4.99 | * | * | * |
| 90 | सहानपुर व्यपवर्तन | 1,546.84 | 3/2010 | 6/2015 | * | 37.31 | 1,771.84 | * | * | * |
| 91 | घाघी व्यपवर्तन | 1,918.01 | 2/2013 | 6/2015 | * | 1.15 | 1,361.85 | * | * | * |
| 92 | सपना व्यपवर्तन | 1,204.42 | 2/2015 | 6/2015 | * | 360.10 | 1,566.78 | * | * | * |
| 93 | अस्कला (बुल्गा) व्यपवर्तन | 1,097.52 | 1/2015 | 3/2018 | * | 49.15 | 1,337.01 | * | * | * |
| 94 | उदमकेला व्यपवर्तन | 1,774.46 | 12/2015 | 3/2018 | * | 26.93 | 2,079.38 | * | * | * |
| 95 | श्याम घुन्घुट्टा जलाशय | 9,787.00 | * | * | * | 249.57 | 382.56 | * | * | * |
| 96 | करोली व्यपवर्तन | 1,314.70 | 10/2014 | 6/2015 | * | 48.71 | 1,514.01 | * | * | * |
| 97 | महानदी नहर वितरक नं. 05 एवं 16 का लाइनिंग एवं मजबूतीकरण का कार्य (एमआरपी) | 1,141.42 | * | * | * | 0.00 | 270.71 | * | * | * |
| 98 | मांढर शाखा नहर 32 से 55 कि.मी. रिमोल्टिंग एवं लाइनिंग कार्य (एमआरपी) | 3,355.16 | * | 10/2016 | * | 32.34 | 2,411.05 | * | * | * |
| 99 | महानदी मुख्य नहर 49.20 से 99 कि.मी. लाइनिंग एवं संरचना का बकाया कार्य (एमआरपी) | 4,742.87 | 6/2016 | 6/2020 | * | 39.27 | 4,710.09 | * | * | * |

परिशिष्ट-IX

जल संसाधन विभाग-जारी

राज्य शासन की प्रतिबद्धता-अपूर्ण निर्माण कार्यों की सूची-जारी

(₹ लाख में)

| स.क्रं. | कार्य/परियोजनाओं के नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृति तिथि | कार्य प्रारंभ का वर्ष | कार्य समाप्ति का वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में) 31 मार्च 2020 की स्थिति में | वर्ष में व्यय | वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय | लंबित भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो एवं पुनरीक्षण का दिनांक | |
|---------|--|--|-----------------------|-----------------------|---|---------------|-----------------------------|--------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
| 100 | महानदी मुख्य नहर के वितरण नं. 17 एवं इसके लघु नहरों का जीर्णोद्धार, लाईनिंग एवं संरचना कार्य (एमआरपी) | 1,348.13 | * | * | * | 234.25 | 1,125.52 | * | * | * |
| 101 | महानदी मुख्य नहर मांडर शाखा वितरण नं. 1, 1ए, 2ए, 3, 4 एवं 6 एवं लघु नहर का जीर्णोद्धार, लाईनिंग एवं संरचना कार्य | 1,383.71 | 7/2016 | 6/2018 | * | 24.41 | 1,059.76 | * | * | * |
| 102 | महानदी मुख्य नहर शाखा वितरण नं. 21, 24, 25 एवं लघु नहर का रिमॉडलिंग एवं लाईनिंग कार्य | 2,418.62 | 6/2016 | 6/2019 | * | 134.92 | 1,863.98 | * | * | * |
| 103 | महानदी परियोजना बलौदा बाजार शाखा नहर क्रमांक 22 नहर संरचना का रिमॉडलिंग कार्य (एमआरपी) | 1,013.74 | * | * | * | 293.87 | 505.28 | * | * | * |
| 104 | महानदी परियोजना बलौदा बाजार शाखा नहर का लाईनिंग एवं रिमॉडलिंग कार्य (एमआरपी) | 7,887.65 | 12/2013 | 3/2018 | * | 467.39 | 8,960.16 | * | * | * |
| 105 | बैहामुड़ा बैराज | 243.00 | * | 3/2017 | * | 214.41 | 3,695.43 | * | 2,876.22 | * |
| 106 | मेघा एनीकट | 4,484.00 01.10.13 | 1/2014 | 12/2015 | * | 26.44 | 5,185.77 | * | * | * |
| 107 | महानदी मुख्य नहर के वितरण ब्रान्च 19 का जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य (एमआरपी) | 1,154.97 | * | 12/2017 | * | 81.27 | 560.66 | * | * | * |
| 108 | महानदी मुख्य नहर के 83.35 कि.मी. पर रेलवे ब्रिज नं. 64 का पुनर्निर्माण कार्य (एमआरपी) | 2,633.75 | * | * | * | 0.23 | 2,760.25 | * | * | * |

परिशिष्ट-IX

राज्य शासन की प्रतिबद्धता-अपूर्ण निर्माण कार्यों की सूची-जारी

जल संसाधन विभाग-जारी

(₹ लाख में)

| स.क्रं. | कार्य/परियोजनाओं के नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृति तिथि | कार्य प्रारंभ का वर्ष | कार्य समाप्ति का वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में) 31 मार्च 2020 की स्थिति में | वर्ष में व्यय | वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय | लंबित भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो एवं पुनरीक्षण का दिनांक | |
|---------|---|--|-----------------------|-----------------------|---|---------------|-----------------------------|--------------|--|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
| 109 | महानदी परियोजना के नहर वितरण क्रं. 23 का लाईनिंग कार्य | 2,851.10 | * | 12/2017 | * | 0.00 | 1,573.15 | * | * | * |
| 110 | महानदी परियोजना के नहर वितरण क्रं. 12-16 तक का मांढर ब्रान्च नहर का लाईनिंग कार्य | 1,532.08 | * | 6/2017 | * | 0.00 | 1,154.72 | * | * | * |
| 111 | महानदी परियोजना मांढर शाखा नहर के वितरण क्रं. 10 का लाईनिंग कार्य (एमआरपी) | 1,227.53 | * | 3/2017 | * | 11.69 | 1,201.51 | * | * | * |
| 112 | सिंगबहल जलाशय | 2,231.78 | 2008 | 2011 | * | 0.00 | 3,738.11 | * | 2,232.00 | 2008 |
| 113 | कोमा जलाशय | 1,251.00 | * | 6/2015 | * | 0.00 | 60.49 | * | 2,475.00 | * |
| 114 | रत्नाखण्ड व्यपवर्तन | 1,500.00 | * | 3/2016 | * | 134.29 | 1,944.18 | * | 1,512.84 | * |
| 115 | भेजीपदार व्यपवर्तन | 2,977.74 | * | 3/2016 | * | 645.39 | 2,905.81 | * | * | * |
| 116 | सकरी रिमॉडलिंग कार्य | 2,746.76 | * | 6/2014 | * | 751.25 | 4,019.10 | * | 2,314.78 | * |
| 117 | भोंड एनीकट | 1,011.84 | * | 6/2015 | * | 4.86 | 199.70 | * | * | * |
| 118 | पैरी बांध सुरक्षा (सिकासार) | 1,515.36 | * | 3/2016 | * | 1,499.89 | 2,309.95 | * | * | * |
| 119 | अटेम व्यपवर्तन | 1,262.54 | * | 6/2020 | * | 178.48 | 1,482.47 | * | * | * |
| 120 | लेन्गू व्यपवर्तन | 1,325.00 | * | 12/2019 | * | 148.85 | 2,264.65 | * | 1,802.74 | * |
| 121 | बेलनाला जलाशय | 1,162.44 | * | 6/2019 | * | 26.87 | 1,116.63 | * | * | * |
| 122 | बिंगंगा जलाशय | 1,142.37 | * | 6/2015 | * | 101.95 | 233.17 | * | * | * |
| 123 | हुदिका बांध जलाशय | 1,588.26 13.05.14 | * | 12/2018 | * | 0.00 | 1,744.43 | * | * | * |
| 124 | चेन्द्रा जलाशय | 1,063.14 | 1/2006 | 3/2013 | * | 24.83 | 3,938.09 | * | 1,150.00 | * |
| 125 | मुरुमसिल्ली बांध | 1,110.80 | * | 6/2017 | * | 21.88 | 600.05 | * | * | * |
| 126 | सोंदूर कार्य | 6,357.40 | * | * | * | 1,423.88 | 3,397.60 | * | * | * |

परिशिष्ट-IX
राज्य शासन की प्रतिबद्धता-अपूर्ण निर्माण कार्यों की सूची-जारी

जल संसाधन विभाग-जारी

(₹ लाख में)

| स.क्रं. | कार्य/परियोजनाओं के नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृति तिथि | कार्य प्रारंभ का वर्ष | कार्य समाप्ति का वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में) 31 मार्च 2020 की स्थिति में | वर्ष में व्यय | वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय | लंबित भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो एवं पुनरीक्षण का दिनांक | |
|---------|--|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------------|--------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
| 127 | महानदी मुख्य नहर के वितरक क्रमांक 5 एवं 16 का लाईनिंग क्रांकीट स्ट्रक्चर कार्य | 1,783.10 | * | * | * | 42.07 | 783.67 | * | * | * |
| 128 | सोंदूर परियोजना-भाटापारा शाखा एवं वितरण का सीमेन्ट क्रांकीट लाईनिंग कार्य | 63,574.00 | * | * | * | 0.00 | 1,189.03 | * | * | * |
| 129 | खरखरा मोंहदीपाट लाईनिंग | 8,169.30 | * | * | * | 0.00 | 1.04 | * | * | * |
| 130 | बलार बांध परियोजना | 2,491.61 | * | 6/2018 | * | 0.00 | 3,098.98 | * | 2,597.23 | * |
| 131 | बालमदेही व्यपवर्तन | 1,326.67 | 5/2007 | 6/2015 | * | (-2.00 ¹) | 166.14 | * | * | * |
| 132 | परसादी व्यपवर्तन | 2,163.10 | * | 3/2015 | * | 0.00 | 0.50 | * | * | * |
| 133 | मुदियाडीहा एनीकट | 2,607.89 | * | 6/2017 | * | 452.83 | 2,505.85 | * | * | * |
| 134 | बिल्लानाला जलाशय | 2,000.00 | * | 3/2016 | * | 417.36 | 2,244.18 | * | 2,441.39 | * |
| 135 | मोंगरा परियोजना बायी तट मुख्य नहर लाईनिंग कार्य | 6,029.05 | * | 3/2019 | * | 75.81 | 5,604.12 | * | 4,600.68 5,845.18 | * |
| 136 | धूधीचुई जलाशय | 1,353.94 | * | 3/2015 | * | 43.62 | 552.78 | * | * | * |
| 137 | राखेली व्यपवर्तन | 1,163.26 | * | 3/2018 | * | 4.80 | 1,355.41 | * | * | * |
| 138 | पोसरी तुलसी एनीकट | 1,016.60 | * | 6/2014 | * | 0.00 | 527.49 | * | * | * |
| 139 | दुधावा सरोना नहर लाईनिंग कार्य | 1,310.50 05.01.13 | 1/2014 | 12/2017 | * | 204.60 | 6,573.96 | * | * | * |
| 140 | नहरनार जलाशय | 1,188.69 | 3/2012 | 6/2016 | * | 155.42 | 1,071.99 | * | * | * |

¹ ठेकेदार से वसूली के कारण ऋणात्मक आंकड़े हैं।

परिशिष्ट-IX

राज्य शासन की प्रतिबद्धता-अपूर्ण निर्माण कार्यों की सूची-जारी

जल संसाधन विभाग-जारी

(₹ लाख में)

| स.क्रं. | कार्य/परियोजनाओं के नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृति तिथि | कार्य प्रारंभ का वर्ष | कार्य समाप्ति का वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में) 31 मार्च 2020 की स्थिति में | वर्ष में व्यय | वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय | लंबित भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो एवं पुनरीक्षण का दिनांक | |
|---------|--|--|-----------------------|-----------------------|---|---------------|-----------------------------|--------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
| 141 | भाटापारा शाखा के नहर के 10 से 45 कि.मी. के मध्य पुनर्निर्माण, लाईनिंग एवं संरचना कार्य (एम.आर.पी.) | 4,614.87 | * | 3/2019 | * | 559.63 | 2,535.33 | * | * | * |
| 142 | सोंदूर परियोजना-भाटापारा नहर का बकाया कार्य | 4,053.00 | * | 2/2018 | * | 295.38 | 1,917.47 | * | * | * |
| 143 | सोंदूर परियोजना- क्रांकीट संरचना निर्माण सहित भाटापारा शाखा नहर का 45 से 85 कि.मी. तक वितरण प्रणाली | 4,180.33 | * | 3/2018 | * | 532.55 | 2,837.75 | * | * | * |
| 144 | बाकोरी जलाशय | 1,586.87 | 1980 | 12/2017 | * | 0.00 | 118.51 | * | * | * |
| 145 | सिंघोर जलाशय | 1,193.68 | 5/2013 | 6/2016 | * | 62.84 | 142.20 | * | * | * |
| 146 | कुम्हारी जलाशय | 1,373.65 | * | 6/2019 | * | 251.03 | 1,268.78 | * | * | * |
| 147 | लोवर जॉक बैराज | 9,183.14 | 4/2014 | 3/2016 | * | 429.51 | 7,195.95 | * | * | * |
| 148 | महानदी मुख्य नहर के कि.मी. 101 से 116 के मध्य लाईनिंग कार्य एवं पर हेड/क्रास रेग्युलेटर का शेष निर्माण | 2,672.98 | * | * | * | 0.00 | 2,453.15 | * | * | * |
| 149 | हेम्प व्यपवर्तन हाफ शाखा नहर का लाईनिंग कार्य | 1,408.05 | * | 6/2017 | * | 86.34 | 876.10 | * | * | * |
| 150 | फोंक व्यपवर्तन नहर प्रणाली का लाईनिंग कार्य | 2,000.73 | * | 6/2017 | * | 287.13 | 1,153.45 | * | * | * |
| 151 | जॉक व्यपवर्तन के कि.मी. 0 से 36 कि.मी. पर रिमाण्डलिंग एवं लाईनिंग कार्य | 4,907.20 | * | 6/2018 | * | 0.00 | 4,855.73 | * | * | * |

परिशिष्ट-IX

राज्य शासन की प्रतिबद्धता-अपूर्ण निर्माण कार्यों की सूची-जारी

जल संसाधन विभाग-जारी

(₹ लाख में)

| स.क्रं. | कार्य /परियोजनाओं के नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृति तिथि | कार्य प्रारंभ का वर्ष | कार्य समाप्ति का वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में) 31 मार्च 2020 की स्थिति में | वर्ष में व्यय | वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय | लंबित भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो एवं पुनरीक्षण का दिनांक |
|---------|--|--|-----------------------|-----------------------|---|---------------|-----------------------------|--------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 152 | आतुरबेड़ा रिजर्वायर (रावघाट परियोजना) | 4,634.07 | * | 6/2018 | * | 192.70 | 756.62 | * | * * |
| 153 | महानदी परियोजना के अन्तर्गत लवन शाखा नहर का 54 से 69 कि.मी. का रिमॉडलिंग एवं लाईनिंग कार्य संरचना सहित | 1,142.73 | * | 3/2017 | * | 0.00 | 1,225.30 | * | * * |
| 154 | थूवा (कुबा) व्यपवर्तन | 1,684.45 | * | 3/2018 | * | 0.00 | 558.97 | * | * * |
| 155 | सीलड़ाहा व्यपवर्तन | 2,266.16 | 20.08.10 | 3/2017 | * | 14.78 | 1,319.84 | | |
| 156 | हथमुडी व्यपवर्तन नहर का लाईनिंग कार्य | 1,657.79 | * | 3/2018 | * | 96.43 | 1,486.92 | * | * * |
| 157 | पिपरिया जलाशय मुख्य नहर का शीर्ष कार्य एवं शाखा नहर का मरम्मत एवं लाईनिंग कार्य | 3,910.88 | 6/2016 | 6/2018 | * | 0.00 | 4,051.06 | * | * * |
| 158 | कोसारटेड़ा परियोजना के वितरक एवं लघु नहर की सीमेंट लाईनिंग क्रांकीट कार्य | 1,454.53 | 3/2015 | 3/2018 | * | 226.66 | 729.43 | * | * * |
| 159 | बलौदा बाजार शाखा नहर का रिमॉडलिंग तथा सीमेंट क्रांकीट लाईनिंग कार्य (वितरण क्रमांक 03, 07 एवं 09) | 1,390.95 | * | * | * | 490.62 | 708.75 | * | * * |
| 160 | डी-14 लवन ब्रान्च नहर का रिमॉडलिंग तथा लाईनिंग कार्य | 2,101.19 | * | * | * | 0.00 | 214.55 | * | * * |
| 161 | कर्रा व्यपवर्तन का रिमॉडलिंग तथा लाईनिंग कार्य | 1,393.19 | 7/2017 | 6/2019 | * | 624.86 | 624.86 | * | * * |
| 162 | झिपानियों व्यपवर्तन का रिमॉडलिंग तथा लाईनिंग कार्य | 1,299.35 | 7/2017 | 6/2019 | * | 469.33 | 469.33 | * | * * |

परिशिष्ट-IX

राज्य शासन की प्रतिबद्धता-अपूर्ण निर्माण कार्यों की सूची-जारी

लोक निर्माण विभाग-

(₹ लाख में)

| स.क्रं. | कार्य/परियोजनाओं के नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृति तिथि | कार्य प्रारंभ का वर्ष | कार्य समाप्ति का वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में) 31 मार्च 2020 की स्थिति में | वर्ष में व्यय | वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय | लंबित भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो एवं पुनरीक्षण का दिनांक | |
|--------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|---|---------------|-----------------------------|--------------|--|----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
| भवन निर्माण | | | | | | | | | | |
| 1 | जगदलपुर में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय परिसर भवन का निर्माण कार्य | 6,817.84 05.09.07 | 2007-08 | 2011-12 | * | 558.56 | 21,916.02 | * | 26,868.82 | 05.01.17 |
| 2 | रायगढ़ में चिकित्सा महाविद्यालय भवन का निर्माण | 8,343.00 17.07.08 | 2008-09 | 2009-10 | * | 542.40 | 23,379.06 | * | 28,251.00 | 26.09.13 |
| 3 | बेमेतरा में काम्पोज़िट भवन का निर्माण | 1,200.00 03.10.12 | 2013-14 | * | * | 0.00 | 1,040.94 | * | 1,956.68 | 01.07.16 |
| 4 | अम्बिकापुर में काम्पोज़िट भवन का निर्माण | 1,200.00 22.01.13 | 2012-13 | * | * | 0.08 | 873.82 | * | * | * |
| 5 | बलरामपुर में काम्पोज़िट कार्यालय भवन का निर्माण | 1,200.00 03.10.12 | * | * | * | 0.00 | 3,411.42 | * | * | * |
| 6 | बलौदा बाजार में काम्पोज़िट जिला कार्यालय भवन का निर्माण | 1,200.00 03.10.12 | 2013-14 | * | * | 15.98 | 1,032.63 | * | 1,874.40 | 03.10.12 |
| 7 | पंडित जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय में आडिटोरियम का निर्माण | 2,630.28 21.06.13 | 2014-15 | * | * | 0.00 | 763.75 | * | * | * |
| 8 | विज्ञान महाविद्यालय रायपुर में सिन्थेटिक ट्रैक का निर्माण | 1,641.88 10.01.14 | 2014-15 | * | * | 0.00 | 1,979.56 | * | 2,029.61 | 29.09.18 |
| 9 | गरियाबंद में काम्पोज़िट भवन का निर्माण | 1,200.00 03.10.12 | 2012-13 | * | * | 163.97 | 2,033.88 | * | 2,333.13 | 31.01.17 |
| 10 | विज्ञान महाविद्यालय केम्पस में आडिटोरियम का निर्माण | 2,066.75 12.01.15 | 2015-16 | * | * | 0.00 | 1,896.69 | * | * | * |
| 11 | बीजापुर में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अधोसंरचना विकास योजना | 1,641.99 30.09.09 | * | * | * | 0.00 | 23.52 | * | * | * |

परिशिष्ट-IX

राज्य शासन की प्रतिबद्धता-अपूर्ण निर्माण कार्यों की सूची-जारी

लोक निर्माण विभाग-जारी

(₹ लाख में)

| स.क्रं. | कार्य/परियोजनाओं के नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृति तिथि | कार्य प्रारंभ का वर्ष | कार्य समाप्ति का वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में) 31 मार्च 2020 की स्थिति में | वर्ष में व्यय | वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय | लंबित भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो एवं पुनरीक्षण का दिनांक |
|---------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|---|---------------|-----------------------------|--------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| भवन निर्माण-समाप्त | | | | | | | | | |
| 12 | जगदलपुर में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय भवन का निर्माण कार्य | 2,210.78 24.04.12 | 2012-13 | * | * | 0.00 | 2,527.28 | * | 17,339.63 18.03.13 |
| 13 | बिलासपुर में राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र भवन का निर्माण | 3,988.71 20.03.07 | 2006-07 | * | * | 0.00 | 8,630.34 | * | 10,367.32 11,184.00 01.02.11 18.01.13 |
| 14 | जगदलपुर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में ट्रान्सफार्मर एवं उप केन्द्र भवन की स्थापना | 73.05 16.07.10 | 2010-11 | * | * | 0.00 | 1,859.08 | * | 1,747.62 11/2013 |
| 15 | उच्च न्यायालय बिलासपुर में द्वितीय तल पर अधिवक्ता के लिए कमरों का निर्माण | 16,965.00 06.11.12 | * | * | * | 0.00 | 221.98 | * | * * |
| 16 | शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में आडिटोरियम भवन का निर्माण | 1,993.37 17.03.10 | 2010-11 | * | * | 11.80 | 1,686.02 | * | * * |
| 17 | कोण्डागांव में काम्पोजिट जिला कार्यालय भवन का निर्माण | 1,200.00 03.10.12 | 2012-13 | * | * | 0.00 | 1,846.33 | * | 1,860.00 27.12.17 |
| 18 | दंतेवाड़ा में काम्पोजिट जिला कार्यालय भवन का निर्माण | 1,200.00 13.12.12 | 2012-13 | * | * | 0.00 | 1,009.65 | * | 2,126.32 30.01.17 |
| 19 | नवा रायपुर सेक्टर 18 में राज भवन, मुख्य मंत्री एवं केबिनेट मंत्री भवन का निर्माण | 51,795.52 10.11.18 | * | * | * | 3,744.74 | 3,744.74 | * | * * |
| कुल-भवन | | 1,08,568.17 | | | | | | | |

परिशिष्ट-IX

राज्य शासन की प्रतिबद्धता-अपूर्ण निर्माण कार्यों की सूची-जारी

लोक निर्माण विभाग-जारी

(₹ लाख में)

| स.क्रं. | कार्य /परियोजनाओं के नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृति तिथि | कार्य प्रारंभ का वर्ष | कार्य समाप्ति का वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में) 31 मार्च 2020 की स्थिति में | वर्ष में व्यय | वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय | लंबित भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो एवं पुनरीक्षण का दिनांक | |
|-------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|---|---------------|-----------------------------|--------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
| पुल कार्य- | | | | | | | | | | |
| 20 | सिंहावा-मैनपूर-खरियार मार्ग पर पांच पुलिया का निर्माण | 1,303.25 09.02.12 | * | * | * | 0.00 | 748.91 | * | * | * |
| 21 | तिल्दा बलौदाबाजार मार्ग में हावड़ा-मुंबई रेल लाईन पर रेल्वे ओवर ब्रिज का निर्माण | 2,581.12 2012-13 | 2012-13 | * | * | 0.00 | 1,705.09 | * | * | * |
| 22 | गरियाबंद मार्ग में पैरी नदी पर पुल का निर्माण | 1,087.30 2010-11 | * | * | * | 37.82 | 1,253.01 | * | 1,687.30 | * |
| 23 | मारागांव-गरियाबंद मार्ग पर महानदी पुल का निर्माण | 1,061.80 06.03.12 | 19.12.12 | * | * | 53.77 | 994.18 | * | * | * |
| 24 | मरोदा में रेल्वे ओवर ब्रिज का निर्माण | 3,328.19 20.09.12 | 2015-16 | * | * | 498.84 | 3,335.89 | * | * | * |
| 25 | बागरसुता एवं महाराजगंज के मध्य मांड नदी पर पुल का निर्माण | 1,096.52 15.12.10 | 2011-12 | * | * | 0.00 | 549.05 | * | * | * |
| 26 | हावड़ा-मुंबई रेल लाईन में लालखदान क्रासिंग पर रेल्वे ओवर ब्रिज का निर्माण | 2,011.00 12.06.12 | 2012-13 | * | * | 54.65 | 1,902.17 | * | * | * |
| 27 | जांजगीर के चापा यार्ड पर रेल्वे ओवर ब्रिज का निर्माण | 5,405.00 18.03.13 | 2013-14 | * | * | 78.82 | 2,455.98 | * | * | * |
| 28 | जांजगीर चापा में खोक्सा रेल्वे ओवर ब्रिज का निर्माण | 2,926.29 25.07.12 | 2012-13 | * | * | 50.00 | 2,082.91 | * | * | * |
| 29 | बिलासपुर-कटनी रेल्वे लाईन पर गोरेला में रेल्वे ओवर ब्रिज का निर्माण | 3,469.85 30.09.13 | 2014-15 | * | * | 633.06 | 2,484.15 | * | * | * |
| 30 | कोरबा-गेरुआघाट-दर्री मार्ग में हसदेव नदी पर पुल निर्माण | 1,540.17 29.08.08 | 2009-10 | 2011-12 | * | 0.00 | 795.76 | * | * | * |

परिशिष्ट-IX

राज्य शासन की प्रतिबद्धता-अपूर्ण निर्माण कार्यों की सूची-जारी

लोक निर्माण विभाग-जारी

(₹ लाख में)

| स.क्रं. | कार्य/परियोजनाओं के नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृति तिथि | कार्य प्रारंभ का वर्ष | कार्य समाप्ति का वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में) 31 मार्च 2020 की स्थिति में | वर्ष में व्यय | वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय | लंबित भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो एवं पुनरीक्षण का दिनांक |
|-----------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|---|---------------|-----------------------------|--------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| पुल कार्य-जारी | | | | | | | | | |
| 31 | राष्ट्रीय राजमार्ग 200 में चाम्पा रेल्वे स्टेशन के पास ओवर ब्रिज का निर्माण | 1,059.00 16.09.05 | 2005-06 | 2005-06 | * | 0.00 | 1.62 | * | * * |
| 32 | पंचझर-देवरी मार्ग में मांड नदी पर पुल का निर्माण | 1,042.80 30.09.10 | 2010-11 | * | * | 146.60 | 798.42 | * | * * |
| 33 | नगरनार-भेजापदर-बोरगांव मार्ग के इन्द्रावती नदी पर उच्च गुणवत्ता का पुल निर्माण | 1,071.88 25.02.15 | 2015-16 | * | * | 0.00 | 1,068.79 | * | * * |
| 34 | शंकर नगर, रायपुर में टीटलागढ़ रेल्वे लाइन पर रेल्वे ओवर ब्रिज का निर्माण | 6,130.71 2012-13 | 2014-15 | * | * | 517.64 | 7,195.60 | * | * * |
| 35 | जांजगीर चापा राधापूर-घुगवा मार्ग में मांड नदी पर पुल का निर्माण | 1,319.48 24.08.13 | 2013-14 | * | * | 158.37 | 834.66 | * | * * |
| 36 | नेहरू नगर भिलाई में रेल्वे ओवर ब्रिज का निर्माण | 2,993.21 03.10.13 | 2013-14 | 2015-16 | * | 34.85 | 1,906.90 | * | * * |
| 37 | कांकर में शाहवाड़ा-तारसगांव मार्ग में महानदी नदी पर पुल का निर्माण, लंबाई 5/6 कि.मी. | 2,269.73 16.04.15 | 2015-16 | * | * | 142.06 | 1,966.30 | * | * * |
| 38 | सुकमा में नगर पंचायत कोंटा से उड़िसा पहुँच मार्ग में सबरी नदी पर पुल का निर्माण, लंबाई 1/8 कि.मी. | 1,556.67 30.08.13 | 2013-14 | * | * | 177.42 | 1,034.10 | * | * * |
| 39 | राजीम के हाथखोज-चिंगरौड़ मार्ग में सुखा नदी पर पुल का निर्माण | 1,014.72 07.02.13 | 2013-14 | * | * | 0.00 | 1,489.14 | * | 1,497.23 * |

परिशिष्ट-IX

राज्य शासन की प्रतिबद्धता-अपूर्ण निर्माण कार्यों की सूची-जारी

लोक निर्माण विभाग-जारी

(₹ लाख में)

| स.क्रं. | कार्य/परियोजनाओं के नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृति तिथि | कार्य प्रारंभ का वर्ष | कार्य समाप्ति का वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में) 31 मार्च 2020 की स्थिति में | वर्ष में व्यय | वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय | लंबित भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो एवं पुनरीक्षण का दिनांक |
|-----------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|---|---------------|-----------------------------|--------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| पुल कार्य-जारी | | | | | | | | | |
| 40 | कांशीराम नगर के पास कैनाल मार्ग पर फ्लाई ओवर का निर्माण | 4,633.00 10.02.15 | 2015-16 | * | * | 904.50 | 5,345.21 | * | * * |
| 41 | पिथौरा-बागबहारा-कोमाखान-चुरा-गरियाबंद मार्ग पर पुल का निर्माण, लंबाई 2/8, 3/6, 5/8, 6/8 कि.मी. | 1,815.00 10.02.15 | 2015-16 | * | * | 39.30 | 1,738.90 | * | * * |
| 42 | गोगांव-गुढ़ियारी मार्ग पर ओवर ब्रिज एवं अंडर ब्रिज का निर्माण | 3,540.00 10.02.15 | 2015-16 | * | * | 9.46 | 483.64 | * | * * |
| 43 | लेवल क्रॉसिंग नं. 424-बी में गुढ़ियारी-गोंदवारा मार्ग पर रेलवे अंडर ब्रिज का निर्माण | 1,018.00 10.02.15 | 2015-16 | * | * | 93.50 | 2,511.61 | * | 2,085.00 * |
| 44 | सिरसा गेट पर रेलवे अंडर ब्रिज का निर्माण | 1,950.89 29.04.14 | 2014-15 | * | * | 0.00 | 1,073.02 | * | * * |
| 45 | नेहरू नगर भिलाई में रेलवे अंडर ब्रिज का निर्माण | 1,164.47 04.07.12 | 2012-13 | * | * | 124.74 | 396.86 | * | * * |
| 46 | राजनांदगांव-कवर्धा-पोंड़ी मार्ग में करी नाला पर पुल का निर्माण | 1,370.00 10.02.15 | 2015-16 | * | * | 8.43 | 481.64 | * | * * |
| 47 | राजनांदगांव-अर्जुनदा-गुंडरदेही मार्ग में कुम्हालोरी नाला पर पुल का निर्माण | 2,417.00 10.02.15 | 2015-16 | * | * | 0.00 | 596.47 | * | * * |
| 48 | दुर्ग-धमधा-बेमेतरा मार्ग में करुहा नाला पर पुल का निर्माण, लंबाई 71/2 | 1,440.00 10.02.15 | 2015-16 | * | * | 0.00 | 596.77 | * | * * |

परिशिष्ट-IX
राज्य शासन की प्रतिबद्धता-अपूर्ण निर्माण कार्यों की सूची-जारी

लोक निर्माण विभाग-जारी

(₹ लाख में)

| स.क्रं. | कार्य/परियोजनाओं के नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृति तिथि | कार्य प्रारंभ का वर्ष | कार्य समाप्ति का वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में) 31 मार्च 2020 की स्थिति में | वर्ष में व्यय | वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय | लंबित भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो एवं पुनरीक्षण का दिनांक |
|--------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|---|---------------|-----------------------------|--------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| सड़क कार्य- | | | | | | | | | |
| 58 | केशकाल-बंशकोट-मकड़ी अमरावती मार्ग का निर्माण | 4,999.39 05.10.10 | 2010-11 | * | * | 219.55 | 3,622.96 | * | * * |
| 59 | राजनांदगांव बायपास मार्ग का निर्माण | 5,492.90 31.08.10 | 2011-12 | * | * | 168.05 | 7,048.78 | * | * * |
| 60 | अम्बिकापुर में दरिमा हवाईपट्टी का उन्नयन एवं नवीनीकरण | 1,265.87 22.12.10 | 2010-11 | * | * | 10.37 | 1,437.91 | * | 1,407.72 12.07.17 |
| 61 | राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 6 से हवाई अड्डा मार्ग रायपुर तक छ: लेन मार्ग का निर्माण | 3,430.94 * | * | * | * | 0.00 | 3,581.58 | * | * * |
| 62 | तखतपुर में खपरी-बीजा-करगी मार्ग का निर्माण | 2,043.46 29.09.12 | 2012-13 | * | * | 0.00 | 2,117.47 | * | * * |
| 63 | बिलासपुर-बेलतरा-जयरामनगर मार्ग का उन्नयन | 2,129.65 22.08.13 | 2014-15 | * | * | 0.00 | 1,935.17 | * | * * |
| 64 | जिला बालोद में बालोद से पडकीभात बायपास मार्ग का निर्माण | 1,068.10 27.06.12 | 2012-13 | * | * | 0.00 | 1,938.20 | * | 2,292.58 03.03.16 |
| 65 | धमधा-रोहन्डा-जोरतराई-आंतरिया-खैरागढ़ मार्ग का निर्माण | 6,699.00 30.08.12 | * | * | * | 0.00 | 5,867.34 | * | 9,202.00 29.12.16 |
| 66 | चंदखूरी-मारो-सम्बलपुर-नवागढ़-चिरहा-उमरिया मार्ग का निर्माण | 8,964.00 14.09.12 | * | * | * | 451.08 | 7,967.30 | * | 12,854.00 09.03.17 |
| 67 | रतनपुर-कोटा-लोरमी-पंडरिया-मुंगेली मार्ग का निर्माण | 17,560.00 * | * | * | * | 1,323.30 | 11,753.47 | * | 26,623.00 25.04.17 |
| 68 | जयरामनगर-मस्तुरी-मल्हार-जोधरा-लवन मार्ग का निर्माण | 11,940.00 * | * | * | * | 222.26 | 10,703.07 | * | 16,888.00 29.12.16 |

परिशिष्ट-IX

राज्य शासन की प्रतिबद्धता-अपूर्ण निर्माण कार्यों की सूची-जारी

लोक निर्माण विभाग-जारी

(₹ लाख में)

| स.क्रं. | कार्य/परियोजनाओं के नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृति तिथि | कार्य प्रारंभ का वर्ष | कार्य समाप्ति का वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में) 31 मार्च 2020 की स्थिति में | वर्ष में व्यय | वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय | लंबित भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो एवं पुनरीक्षण का दिनांक |
|------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|---|---------------|-----------------------------|--------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| सड़क कार्य-जारी | | | | | | | | | |
| 69 | नांदघाट-भाटापारा-बलौदा बाजार-कसडोल-गिधोरी मार्ग का निर्माण | 22,300.00 17.08.12 | * | * | * | 1,092.67 | 23,346.94 | * | 39,707.00 31.03.17 |
| 70 | शिवरीनारायण-बिरा-चांपा मार्ग का निर्माण | 10,409.00 06.10.12 | * | * | * | 370.69 | 10,445.38 | * | 14,612.00 29.12.16 |
| 71 | रायपुर-उरला-पठारीडीह-बेरला-कोटवा मार्ग का निर्माण | 8,853.00 14.09.12 | * | * | * | 467.69 | 7,947.35 | * | 12,744.00 29.12.16 |
| 72 | खैरागढ़-डोंगरगढ़ तूमड़ीबोड मार्ग का निर्माण | 10,917.00 14.09.12 | * | * | * | 5.49 | 7,887.36 | * | 13,990.00 29.12.16 |
| 73 | सिमगा-तिल्दा-खरोरा-आरंग-नयापारा-कुरुद मार्ग का निर्माण | 23,194.00 16.08.12 | 2013-14 | * | * | 1,453.18 | 25,233.24 | * | 37,391.00 10.02.17 |
| 74 | बालौद-धमतरी मार्ग का निर्माण | 5,991.00 24.08.12 | * | * | * | 355.72 | 5,093.90 | * | 7,707.00 29.12.16 |
| 75 | रायपुर बलौदा बाजार मार्ग का निर्माण | 17,523.00 24.08.12 | * | * | * | 961.62 | 18,891.69 | * | 27,165.00 29.12.16 |
| 76 | राजनांदगांव मार्ग का निर्माण | 17,521.00 20.09.12 | * | * | * | 892.44 | 19,028.20 | * | 23,424.00 10.02.17 |
| 77 | चिल्फी-रेंगाखार-साव्हेहरा मार्ग का निर्माण | 10,240.00 27.09.12 | * | * | * | 0.00 | 2,050.68 | * | * * |
| 78 | अण्डा-फुण्डा मार्ग 33 कि.मी. का निर्माण | 6,773.00 24.08.12 | * | * | * | 11.35 | 5,538.40 | * | * * |
| 79 | सुरजपुर के प्रेमनगर में रिंग रोड का निर्माण | 4,356.88 20.09.12 | 12.06.13 | * | * | 0.00 | 3,924.20 | * | 6,251.85 08.09.16 |
| 80 | जशपुर-सन्ना मार्ग का चौड़ीकरण एवं डामरीकरण | 1,765.76 24.08.11 | * | * | * | 0.00 | 1,630.32 | * | * * |

परिशिष्ट-IX

लोक निर्माण विभाग-जारी

राज्य शासन की प्रतिबद्धता-अपूर्ण निर्माण कार्यों की सूची-जारी

(₹ लाख में)

| स.क्रं. | कार्य/परियोजनाओं के नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृति तिथि | कार्य प्रारंभ का वर्ष | कार्य समाप्ति का वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में) 31 मार्च 2020 की स्थिति में | वर्ष में व्यय | वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय | लंबित भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो एवं पुनरीक्षण का दिनांक |
|------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|---|---------------|-----------------------------|--------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| सड़क कार्य-जारी | | | | | | | | | |
| 81 | बलरामपूर में हवाई पट्टी का निर्माण | 1,362.32 24.09.10 | * | * | * | 8.61 | 1,359.80 | * | * * * |
| 82 | धमतरी में सिंहावा-सीतानदी-बोरई मार्ग में पुल-पुलिया सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण | 3,954.07 25.09.12 | 2014-15 | * | * | 14.60 | 1,629.43 | * | * * * |
| 83 | गरियाबन्द-बरदूला मार्ग का निर्माण | 3,611.00 04.02.06 | 2007-08 | 2008-09 | * | 0.00 | 1,613.00 | * | * * * |
| 84 | तिल्दा-भगोरा-जामगांव 14.50 कि. मी. मार्ग चौड़ीकरण तथा उन्नयन | 1,576.28 22.09.08 | 2007-08 | 2009-10 | * | 0.00 | 168.26 | * | * * * |
| 85 | लेमरू से बड़गांव मार्ग का प्रथम श्रेणी डामरीकरण | 1,026.22 26.05.05 | 2005-06 | 2008-09 | * | 0.00 | 82.65 | * | * * * |
| 86 | नेलासनार-कोडोली-गंगलूर मार्ग का निर्माण | 1,374.00 16.11.05 | 2006-07 | 2015-16 | * | 0.00 | 319.85 | * | * * * |
| 87 | फरसेगढ़-सेन्द्रा (लं. 38.00 कि.मी.) मार्ग का निर्माण | 13,401.83 21.12.06 | 2007-08 | 2020-21 | * | 0.00 | 59.55 | * | * * * |
| 88 | लेमरू-नाकिया-विमलता स्यांग मार्ग (पुल-पुलिया सहित) का निर्माण प्रथम श्रेणी डामरीकरण | 1,062.13 26.05.05 | 2005-06 | * | * | 0.00 | 12.56 | * | * * * |
| 89 | जिला चापा-जांजगीर में सकार्रा चौक-कटारी मार्ग, चिखलारौदा से मालनी मार्ग का चौड़ीकरण तथा मजबूतीकरण | 1,084.00 | * | * | * | 41.67 | 1,008.89 | * | 2,726.38 05.10.15 |
| 90 | टाटीबंध से खमतराई लं. 8.40 कि. मी. 6 लेन मार्ग का उन्नयन एवं चौड़ीकरण का कार्य | 9,228.38 15.10.14 | 2014-15 | * | * | 0.00 | 10,467.63 | * | * * * |

परिशिष्ट-IX

राज्य शासन की प्रतिबद्धता-अपूर्ण निर्माण कार्यों की सूची-जारी

लोक निर्माण विभाग-जारी

(₹ लाख में)

| स.क्रं. | कार्य/परियोजनाओं के नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृति तिथि | कार्य प्रारंभ का वर्ष | कार्य समाप्ति का वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में) 31 मार्च 2020 की स्थिति में | वर्ष में व्यय | वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय | लंबित भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो एवं पुनरीक्षण का दिनांक |
|------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|---|---------------|-----------------------------|--------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| सड़क कार्य-जारी | | | | | | | | | |
| 91 | कांसाबेल-सराईपानी मार्ग का मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण | 2,428.00 14.03.12 | 18.10.12 | 4 / 2014 | * | 419.84 | 1,037.24 | * | * * |
| 92 | बोदला-तर्रगांव-दलडाली मार्ग का निर्माण | 10,040.00 | 2012-13 | * | * | 327.24 | 4,642.39 | * | * * |
| 93 | मोहबा बाजार-कोटा-गुढीयारी फोरलेन मार्ग (स्ट्रीट लाईट एवं डिवायडर सहित) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण | 1,298.95 28.05.15 | 2015-16 | * | * | 146.80 | 1,215.73 | * | * * |
| 94 | आमापारा-गुढीयारी मार्ग (भूमी अधिग्रहण सहित) चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य (लं. 2.00 कि.मी.) | 3,296.64 03.09.15 | 2015-16 | * | * | 0.00 | 2,066.55 | * | * * |
| 95 | जिला रायपुर में ताटीबंध-हिरापुर फोरलेन का निर्माण | 3,746.54 02.01.16 | 2016-17 | * | * | 0.00 | 139.98 | * | * * |
| 96 | जिला धमतरी कुरुद में भाखरा-सुपेला-सिलघाट मार्ग का निर्माण | 1,062.92 02.08.13 | 2013-14 | * | * | 347.07 | 907.45 | * | * * |
| 97 | अंजोरा-बीरेझर-चुंगोरी मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण (लं. 10.00 कि.मी.) | 1,848.85 29.07.15 | 2015-16 | * | * | 16.23 | 506.39 | * | * * |
| 98 | बिजली तिराहा भाटापारा-पाटपर नाका मार्ग का चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण | 1,228.28 01.05.15 | 2015-16 | * | * | 0.00 | 1,331.29 | * | * * |
| 99 | मालपूरीका-मूरमुण्डा से खोदामारा-नकट्टी-दानिया मार्ग का उन्नयन (लं. 15.00 कि.मी.) | 3,443.19 26.09.14 | 2014-15 | * | * | 92.51 | 2,594.87 | * | * * |

परिशिष्ट-IX

राज्य शासन की प्रतिबद्धता-अपूर्ण निर्माण कार्यों की सूची-जारी

लोक निर्माण विभाग-जारी

(₹ लाख में)

| स.क्रं. | कार्य/परियोजनाओं के नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृति तिथि | कार्य प्रारंभ का वर्ष | कार्य समाप्ति का वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में) 31 मार्च 2020 की स्थिति में | वर्ष में व्यय | वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय | लंबित भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो एवं पुनरीक्षण का दिनांक |
|------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|---|---------------|-----------------------------|--------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| सड़क कार्य-जारी | | | | | | | | | |
| 100 | बोरसी-धानोरा-उतई मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन (लं. 10.40 कि.मी.) | 1,544.33 29.07.15 | 2015-16 | * | * | 55.41 | 710.38 | * | * * |
| 101 | बीजापुर बायपास मार्ग का निर्माण | 4,766.50 04.03.14 | 2014-15 | * | * | 15.76 | 615.01 | * | * * |
| 102 | जिला कोरबा कटघोरा बायपास मार्ग का निर्माण (लं. 15.00 कि.मी.) | 3,306.00 23.05.14 | 2014-15 | * | * | 0.34 | 3,331.16 | * | * * |
| 103 | जिला जॉजगीर चापा में बसंतपुर-पपरसादा-घोघरी मार्ग का निर्माण | 4,968.30 27.09.13 | 2013-14 | * | * | 0.00 | 5,464.79 | * | * * |
| 104 | गौरैला-करंगरा मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण | 3,436.00 10.02.15 | 2015-16 | * | * | 0.00 | 2,633.47 | * | * * |
| 105 | कोरिया में चंटी-जनकपुर मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण | 4,400.00 * | 2015-16 | * | * | 0.88 | 2,097.93 | * | 4,026.20 29.09.15 |
| 106 | लेंजवार-तारालिम-बेरला मार्ग का निर्माण | 1,046.30 03.03.15 | 2014-15 | * | * | 0.00 | 744.36 | * | * * |
| 107 | जिला बालौदा बाजार भैसा-भण्डा-तेलसी-सिरपुर मार्ग का निर्माण (लं. 19.00 कि.मी.) | 3,739.68 19.02.15 | 2014-15 | * | * | 23.54 | 2,459.83 | * | * * |
| 108 | नवागढ़ में बेलतुकरी-पुतपुरा-बुन्देली-गिधवा मार्ग का निर्माण | 1,492.97 09.03.15 | 2015-16 | * | * | 3.05 | 460.85 | * | * * |
| 109 | जिला रायपुर गुढीयारी-गोंदवारा फोरलेन मार्ग का निर्माण | 4,582.42 02.01.16 | 2015-16 | * | * | 35.44 | 3,271.94 | * | * * |
| 110 | काथकोनी-मुधपार (लं. 15 कि.मी.) मार्ग का निर्माण | 2,306.42 11.02.14 | 2014-15 | * | * | 0.00 | 2,116.83 | * | * * |

परिशिष्ट-IX
राज्य शासन की प्रतिबद्धता-अपूर्ण निर्माण कार्यों की सूची-जारी

लोक निर्माण विभाग-जारी

(₹ लाख में)

| स.क्रं. | कार्य/परियोजनाओं के नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृति तिथि | कार्य प्रारंभ का वर्ष | कार्य समाप्ति का वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में) 31 मार्च 2020 की स्थिति में | वर्ष में व्यय | वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय | लंबित भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो एवं पुनरीक्षण का दिनांक |
|------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|---|---------------|-----------------------------|--------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| सड़क कार्य-जारी | | | | | | | | | |
| 111 | जिला धमतरी बीरेझर-सिर्री मौरीकला मार्ग का मजबूतीकरण | 3,874.87 09.05.16 | * | * | * | 5.84 | 3,859.36 | * | * * |
| 112 | राजनांदगांव (बसंतपुर-फरहाद चौक) लंबाई 4 कि.मी. फोरलेन मार्ग का निर्माण | 1,584.39 04.03.16 | * | * | * | 0.00 | 1,359.71 | * | * * |
| 113 | बालौद से तारौद-देहान मार्ग (बालौद बायपास) का निर्माण, लंबाई 10.80 कि.मी. | 4,007.29 08.02.16 | * | * | * | 49.00 | 208.91 | * | * * |
| 114 | जांजगीर चापा ग्राम-नागरदा से बरदवार मार्ग का निर्माण, लंबाई 11 कि.मी. | 2,453.00 24.09.16 | * | * | * | 262.06 | 1,910.99 | * | * * |
| 115 | भिलाई-3 से मोतीपूर मार्ग का मजबूतीकरण (लं. 14.50 कि.मी.) | 3,270.02 31.08.16 | * | * | * | 0.00 | 2,483.08 | * | * * |
| 116 | बिलासपुर सिपत-बेलतरा मार्ग का उन्नयन कार्य (लं. 10 कि.मी.) | 2,151.39 30.03.16 | * | * | * | 0.00 | 1,479.47 | * | * * |
| 117 | जिला रायपुर में रामनगर-कोटा फोरलाईन मार्ग का निर्माण | 2,958.11 29.03.16 | * | * | * | 19.59 | 1,614.09 | * | * * |
| 118 | डोंगरगढ़ कलदाबरी-घुमका-पटेवा मार्ग चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण (लंबाई 14.80 कि.मी.) | 3,363.33 27.11.15 | 2016-17 | * | * | 62.37 | 2,855.83 | * | * * |
| 119 | साजा-सोमझकला-चिल्फी-बेंदारची रणबीरपूर मार्ग का उन्नयन कार्य (लंबाई 18 कि.मी.) | 2,409.28 30.03.16 | * | * | * | 4.56 | 1,306.25 | * | * * |

परिशिष्ट-IX

राज्य शासन की प्रतिबद्धता-अपूर्ण निर्माण कार्यों की सूची-जारी

लोक निर्माण विभाग-जारी

(₹ लाख में)

| स.क्रं. | कार्य/परियोजनाओं के नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृति तिथि | कार्य प्रारंभ का वर्ष | कार्य समाप्ति का वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में) 31 मार्च 2020 की स्थिति में | वर्ष में व्यय | वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय | लंबित भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो एवं पुनरीक्षण का दिनांक |
|------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|---|---------------|-----------------------------|--------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| सड़क कार्य-जारी | | | | | | | | | |
| 120 | खैरागढ़ लंबाई 4.65 कि.मी. (रा.रा. 5 37/2 कि.मी. सोनेसारर से रा. रा. नं. 5 कि.मी. 42/4) सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल बायपास मार्ग का निर्माण | 3,116.10 03.09.14 | * | * | * | 416.49 | 1,821.72 | * | * * |
| 121 | बैकुण्ठपुर में बंजारीडाण्ड एवं चीरमीरी मार्ग का निर्माण (पुल की लंबाई 16 कि.मी.) | 2,576.99 31.03.16 | * | * | * | 0.00 | 267.43 | * | * * |
| 122 | जिला जॉजगीर चापा सक्ति से बसनीपत (लं. 5 कि.मी.) का उन्नयन कार्य | 1,058.95 21.07.16 | * | * | * | 25.66 | 742.70 | * | * * |
| 123 | जिला रायपुर में धनेली-गिरोड-टेकारी-बरौदा मार्ग (लं. 11 कि.मी.) का उन्नयन कार्य | 2,071.14 26.03.16 | 2016-17 | * | * | 0.00 | 1,537.41 | * | * * |
| 124 | सोंध रेवे-देवारबीजा मार्ग (लं. 9 कि.मी.) का चौड़ीकरण तथा उन्नयन कार्य | 4,315.25 14.06.16 | * | * | * | 857.45 | 2,490.21 | * | * * |
| 125 | जिला बिलासपुर पेन्ड्रा बायपास मार्ग (लं. 14 कि.मी.) का निर्माण | 5,425.53 30.03.16 | * | * | * | 0.00 | 129.76 | * | * * |
| 126 | कटघोरा में दर्री से गेरुआघाट मार्ग (लं. 4.50 कि.मी.) का निर्माण | 1,899.49 06.04.16 | 29.07.17 | * | * | 182.75 | 1,404.10 | * | * * |
| 127 | सिंहावा-करेगांव-गातासिली-बीरगुड़ी मार्ग (लं. 24.80 कि.मी.) का चौड़ीकरण | 4,901.95 31.03.16 | 15.09.16 | * | * | 705.54 | 2091.42 | * | * * |

परिशिष्ट-IX

राज्य शासन की प्रतिबद्धता-अपूर्ण निर्माण कार्यों की सूची-जारी

लोक निर्माण विभाग-जारी

(₹ लाख में)

| स.क्रं. | कार्य/परियोजनाओं के नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृति तिथि | कार्य प्रारंभ का वर्ष | कार्य समाप्ति का वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में) 31 मार्च 2020 की स्थिति में | वर्ष में व्यय | वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय | लंबित भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो एवं पुनरीक्षण का दिनांक |
|------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|---|---------------|-----------------------------|--------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| सड़क कार्य-जारी | | | | | | | | | |
| 128 | जिला कांकेर में पी.वी. 102 से पानावर मार्ग (लं. 7 कि.मी.) का निर्माण | 1,442.97 26.05.16 | * | * | * | 0.00 | 222.45 | * | * * |
| 129 | जिला बस्तर में नानगूर-नेतानर-कोलेंग मार्ग (लं. 25.50 कि.मी.) का निर्माण | 4,321.64 25.05.16 | * | * | * | 762.17 | 2,650.87 | * | * * |
| 130 | जिला सुकमा में पूसारापारा-कुम्हारास पहुँच मार्ग (लं. 4.60 कि.मी.) का उन्नयन कार्य | 1,017.51 30.03.16 | * | * | * | 0.00 | 823.80 | * | * * |
| 131 | जिला सरगुजा में दरिमा-बारेदमाली लखनपुर (लं. 10 कि.मी.) मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य | 1,931.73 25.08.15 | * | * | * | 4.51 | 1,659.29 | * | * * |
| 132 | जिला सरगुजा जराहादण्ड से मुण्डारदण्ड (बकोई) मार्ग का निर्माण (लं. 13 कि.मी.) | 2,736.76 10.05.16 | * | * | * | 1,016.24 | 2,449.46 | * | * * |
| 133 | जिला धमतरी में सितानदी से ओड़िशा बार्डर (5 कि.मी.) का उन्नयन कार्य | 1,074.46 04.03.16 | * | * | * | 0.00 | 856.50 | * | * * |
| 134 | जिला गरियाबन्द में छुरा-फिंगेश्वर मार्ग (लं. 28 कि.मी.) का मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण | 4,971.87 30.03.16 | * | * | * | 539.97 | 2,085.08 | * | * * |
| 135 | जिला जॉजगीर चापा में शिवरी नारायण बायपास (लं. 8 कि.मी.) मार्ग का निर्माण | 2,615.33 03.02.16 | * | * | * | 81.95 | 2,014.30 | * | * * |

परिशिष्ट-IX

राज्य शासन की प्रतिबद्धता-अपूर्ण निर्माण कार्यों की सूची-जारी

लोक निर्माण विभाग-जारी

(₹ लाख में)

| स.क्रं. | कार्य/परियोजनाओं के नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृति तिथि | कार्य प्रारंभ का वर्ष | कार्य समाप्ति का वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में) 31 मार्च 2020 की स्थिति में | वर्ष में व्यय | वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय | लंबित भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो एवं पुनरीक्षण का दिनांक |
|-----------------|--|--|-----------------------|-----------------------|---|---------------|-----------------------------|--------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| सड़क कार्य-जारी | | | | | | | | | |
| 136 | जिला जॉजगीर चापा औराईकला-उसलापूर जरवे मार्ग (लं. 6.50 कि.मी.) का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य | 1,687.15 05.10.15 | * | * | * | 0.00 | 772.43 | * | * * |
| 137 | नवागांव-गोधी-भन्सोज मार्ग (लं. 8.40 कि.मी. आरंग) का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य | 1,720.47 10.11.15 | * | * | * | 0.00 | 1,289.34 | * | * * |
| 138 | मरवाही के बसंतपूर-करीयम मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण | 2,138.22 09.11.11 | 2010-11 | * | * | 0.00 | 2,152.54 | * | * * |
| 139 | कोण्डागांव-फरसगांव-रणधावा-मकड़ी-इरला मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन | 3,284.98 09.11.11 | 2011-12 | * | * | 0.00 | 4,017.12 | * | * * |
| 140 | रायगढ़ में चापले-बंसपल्ली-सोइनका मार्ग का निर्माण | 1,173.00 04.08.12 | * | * | * | 0.00 | 858.33 | * | * * |
| 141 | विधान सभा मार्ग से टेकारी-धनेली तक छः लेन मार्ग का निर्माण | 6,860.11 10.06.13 | 2012-13 | * | * | 0.00 | 3,821.17 | * | * * |
| 142 | धरसीवा में सड़कू-उरकुरा मार्ग का उन्नयन | 2,313.59 21.06.12 | 2012-13 | * | * | 0.00 | 1,348.77 | * | * * |
| 143 | जिला कोरिया बैकुण्ठपुर-पचारापोरी मार्ग (लं. 48.60 कि.मी.) का निर्माण कार्य | 4,924.63 2013-14 | 2013-14 | * | * | 0.00 | 4,579.70 | * | * * |
| 144 | रामानुजगंज का स्याही-सनवाल मार्ग का निर्माण | 3,409.76 03.10.13 | 2013-14 | * | * | 95.92 | 4,815.15 | * | * * |
| 145 | जिला रायपुर में रायपुर सिटी के चारों ओर सीमेंट क्रांकीट मार्ग का निर्माण | 3,444.82 18.03.13 | 2013-14 | * | * | 2.92 | 2,087.74 | * | * * |

परिशिष्ट-IX

लोक निर्माण विभाग-जारी

राज्य शासन की प्रतिबद्धता-अपूर्ण निर्माण कार्यों की सूची-जारी

(₹ लाख में)

| स.क्रं. | कार्य/परियोजनाओं के नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृति तिथि | कार्य प्रारंभ का वर्ष | कार्य समाप्ति का वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में) 31 मार्च 2020 की स्थिति में | वर्ष में व्यय | वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय | लंबित भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो एवं पुनरीक्षण का दिनांक |
|------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|---|---------------|-----------------------------|--------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| सड़क कार्य-जारी | | | | | | | | | |
| 146 | कुरुद के भाखरा सिटी मार्ग (लं. 40/6 से 43/6) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण | 1,184.34 01.09.15 | 2015-16 | * | * | 0.00 | 1,049.89 | * | * * |
| 147 | जिला सरगुजा चेन्द्रा चौकी से करौती दर्रा घाट का निर्माण | 1,012.92 25.08.15 | 2015-16 | * | * | 0.00 | 526.95 | * | * * |
| 148 | रायगढ़ में घरघोरा बायपास मार्ग का उन्नयन कार्य (6.50 कि.मी.) | 2,474.00 28.03.18 | * | * | * | 388.87 | 388.87 | * | * * |
| 149 | रायगढ़ में पथलगांव कापू मार्ग का उन्नयन कार्य (10.50 कि.मी.) | 2,248.00 28.03.18 | * | * | * | 1,449.55 | 1,471.22 | * | * * |
| 150 | घनेली राष्ट्रीय राजमार्ग 30 से भाटागांव (5 कि.मी.) | 1,295.41 24.07.18 | * | * | * | 267.82 | 267.82 | * | * * |
| 151 | रायपुर में भांसोज-जरोड़-कालेरी मार्ग (8 कि.मी.) का चौड़ीकरण | 1,826.10 01.08.18 | * | * | * | 907.92 | 907.92 | * | * * |
| 152 | रायपुर में रासनी कौरा फारफौद फारदहा मार्ग का चौड़ीकरण | 4,624.73 03.01.18 | * | * | * | 2,293.85 | 3,988.33 | * | * * |
| 153 | रायपुर (35 कि.मी.) पंडरिया-डोटोपार-भालूकोना मार्ग का उन्नयन कार्य | 6,885.00 | * | * | * | 1,632.73 | 1,726.62 | * | * * |
| 154 | बलौदाबाजार (19.20 कि.मी.) भाटापारा से घनेली मार्ग का उन्नयन कार्य | 4,059.00 | * | * | * | 2,442.65 | 3,131.25 | * | * * |
| 155 | भाटापारा से निपोनिया (19 कि.मी.) मार्ग निर्माण | 4,723.00 | * | * | * | 2,780.30 | 2,933.88 | * | * * |
| 156 | थेकाडीह-दुर्ग (31.00 कि.मी.) मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य | 11,639.00 06.08.18 | * | * | * | 211.23 | 211.23 | * | * * |

परिशिष्ट-IX

राज्य शासन की प्रतिबद्धता-अपूर्ण निर्माण कार्यों की सूची-जारी

लोक निर्माण विभाग-जारी

(₹ लाख में)

| स.क्रं. | कार्य/परियोजनाओं के नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृति तिथि | कार्य प्रारंभ का वर्ष | कार्य समाप्ति का वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में) 31 मार्च 2020 की स्थिति में | वर्ष में व्यय | वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय | लंबित भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो एवं पुनरीक्षण का दिनांक |
|------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|---|---------------|-----------------------------|--------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| सड़क कार्य-जारी | | | | | | | | | |
| 157 | अंड़ा-रांचीराय-जामगांव (33.60 कि.मी.) मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य | 10,255.48 07.08.18 | * | * | * | 799.91 | 799.91 | * | * * * |
| 158 | जोंगरगांव-खुज्जी-पिनकापार-जेवर तल्ला (23.00 कि.मी.) मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य | 8,809.00 06.08.18 | * | * | * | 214.35 | 214.35 | * | * * * |
| 159 | छुईखदान-उदयपुर-बुंदेली (27.00 कि.मी.) मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य | 11,073.00 07.08.18 | * | * | * | 105.85 | 105.85 | * | * * * |
| 160 | करहीभादर-निपानी-मोखा-भटलेर-जामगांव (31 कि.मी.) मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य | 14,257.00 06.08.18 | * | * | * | 1,347.48 | 1,347.48 | * | * * * |
| 161 | बिहारीकला-दनगढ़-सोमतोला-खडगांव (39 कि.मी.) मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य | 15,735.00 06.08.18 | * | * | * | 874.43 | 874.43 | * | * * * |
| 162 | घोटिया-पलारी-बाटगन-घीरपुरी-चिखली-समौदा-अचोली-तुमगांव (40 कि.मी.) मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य | 14,947.00 07.08.18 | * | * | * | 748.69 | 748.69 | * | * * * |
| 163 | बुदेनी-नयापारा-परसवानी-मगरलोड-मोहंदा-बोरसी-भोयेना मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य | 28,239.00 07.08.18 | * | * | * | 3,596.00 | 3,596.00 | * | * * * |
| 164 | राजीम-चुरा-तरीघाट (45 कि.मी.) मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य | 16,592.00 07.08.18 | * | * | * | 158.95 | 158.95 | * | * * * |

परिशिष्ट-IX

राज्य शासन की प्रतिबद्धता-अपूर्ण निर्माण कार्यों की सूची-समाप्त

लोक निर्माण विभाग-समाप्त

(₹ लाख में)

| स.क्रं. | कार्य/परियोजनाओं के नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृति तिथि | कार्य प्रारंभ का वर्ष | कार्य समाप्ति का वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में) 31 मार्च 2020 की स्थिति में | वर्ष में व्यय | वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय | लंबित भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो एवं पुनरीक्षण का दिनांक |
|--------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|---|---------------|-----------------------------|--------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| सड़क कार्य-समाप्त | | | | | | | | | |
| 165 | पांडूका-जतमई-घटारानी-गायदात्री-मंदेली-मुड़ागांव (40 कि.मी.) मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य | 14,876.00 06.08.18 | * | * | * | 302.48 | 302.48 | * | * * |
| 166 | मंगला से भेसारजार (26 कि.मी.) मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य | 11,196.00 06.08.18 | * | * | * | 2.39 | 2.39 | * | * * |
| 167 | पुरूर-फागुण्डा-पलारी-अरकार-जामगांव (35 कि.मी.) मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य | 14,257.00 | * | * | * | 34.88 | 34.88 | * | * * |
| कुल-सड़क कार्य | | 6,11,813.53 | | | | | | | |

परिशिष्ट-X
अनुरक्षण व्यय¹ का वेतन एवं गैर वेतन भाग का विवरण

(₹ लाख में)

| अनुदान क्रमांक | अनुदान का नाम | व्यय का मद | | | | | विवरण | व्यय का मद | | |
|---------------------------|--|-------------|----------------|-----------|------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | मुख्य शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष | समूह शीर्ष | योजना शीर्ष | | वेतन | गैर वेतन | कुल व्यय |
| 01 | सामान्य प्रशासन | 2012 | 03 | 800 | | 3609 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 3.98 | 3.98 |
| | | 2015 | | 101 | | 6262 | | 0.00 | 3.43 | 3.43 |
| | | 2051 | | 102 | | 3689 | | 0.00 | 3.13 | 3.13 |
| | | 2052 | | 090 | | 4327 | | 0.00 | 2.29 | 2.29 |
| | | 2052 | | 091 | | 458 | | 0.00 | 16.10 | 16.10 |
| | | 2055 | | 101 | | 4544 | | 0.00 | 10.48 | 10.48 |
| | | 2055 | | 101 | | 5461 | | 0.00 | 7.77 | 7.77 |
| | | 2059 | 80 | 001 | | 3541 | | 0.00 | 2.41 | 2.41 |
| | | 2070 | | 003 | | 5435 | | 0.00 | 49.30 | 49.30 |
| | | 2070 | | 105 | | 6205 | | 0.00 | 0.06 | 0.06 |
| | | 2070 | | 800 | | 5405 | 0.00 | 2.94 | 2.94 | |
| योग-मांग संख्या 01 | | | | | | | 0.00 | 101.89 | 101.89 | |
| 02 | सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय | 2052 | | 092 | | 6705 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 5.66 | 5.66 |
| योग-मांग संख्या 02 | | | | | | | 0.00 | 5.66 | 5.66 | |
| 03 | पुलिस | 2055 | | 001 | | 3680 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 55.26 | 55.26 |
| | | 2055 | | 001 | | 7012 | | 0.00 | 0.45 | 0.45 |
| | | 2055 | | 003 | | 195 | | 0.00 | 95.22 | 95.22 |
| | | 2055 | | 101 | | 279 | | 0.00 | 1.68 | 1.68 |
| | | 2055 | | 104 | | 4492 | | 0.00 | 541.77 | 541.77 |
| | | 2055 | | 108 | | 5067 | | 0.00 | 32.65 | 32.65 |
| | | 2055 | | 109 | | 4491 | | 0.00 | 1,261.64 | 1,261.64 |
| | | 2055 | | 109 | | 6717 | | 0.00 | 104.42 | 104.42 |
| | | 2055 | | 111 | | 2531 | | 0.00 | 2.69 | 2.69 |
| | | 2055 | | 114 | | 4155 | | 0.00 | 18.80 | 18.80 |
| | | 2070 | | 107 | | 2710 | | 0.00 | 43.77 | 43.77 |
| योग-मांग संख्या 03 | | | | | | | 0.00 | 2,158.35 | 2,158.35 | |

¹ अनुरक्षण कार्य हेतु "उद्देश्य शीर्ष 24--"अनुरक्षण एवं मरम्मत" के अन्तर्गत राज्य बजट में प्रावधान किया गया है ।

परिशिष्ट-X

अनुरक्षण व्यय का वेतन एवं गैर वेतन भाग का विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| अनुदान क्रमांक | अनुदान का नाम | व्यय का मद | | | | | विवरण | व्यय का मद | | |
|---------------------------|------------------------------------|-------------|----------------|-----------|------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|---------------|
| | | मुख्य शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष | समूह शीर्ष | योजना शीर्ष | | वेतन | गैर वेतन | कुल व्यय |
| 04 | गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय | 2070 | | 108 | | 7714 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 4.52 | 4.52 |
| | | 2070 | | 108 | | 7715 | | 0.00 | 1.75 | 1.75 |
| | | 2070 | | 108 | | 7716 | | 0.00 | 150.00 | 150.00 |
| | | 2070 | | 108 | | 7717 | | 0.00 | 1.97 | 1.97 |
| | | 2070 | | 108 | | 7718 | | 0.00 | 1.63 | 1.63 |
| | | 2216 | 80 | 001 | | 5347 | | 0.00 | 0.19 | 0.19 |
| | | 2235 | 60 | 200 | | 3700 | | 0.00 | 0.80 | 0.80 |
| | | 2235 | 60 | 200 | | 9262 | | 0.00 | 3.48 | 3.48 |
| योग-मांग संख्या 04 | | | | | | | | 0.00 | 164.34 | 163.34 |
| 05 | जेल | 2056 | | 001 | | 2272 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 1.69 | 1.69 |
| | | 2056 | | 101 | | 938 | | 0.00 | 20.09 | 20.09 |
| योग-मांग संख्या 05 | | | | | | | | 0.00 | 21.78 | 21.78 |
| 06 | वित्त विभाग से संबंधित व्यय | 2052 | | 091 | | 4295 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 4.37 | 4.37 |
| | | 2052 | | 091 | | 4296 | | 0.00 | 0.14 | 0.14 |
| | | 2054 | | 003 | | 3843 | | 0.00 | 0.08 | 0.08 |
| | | 2054 | | 095 | | 2274 | | 0.00 | 14.85 | 14.85 |
| | | 2054 | | 095 | | 4307 | | 0.00 | 2.22 | 2.22 |
| | | 2054 | | 095 | | 8904 | | 0.00 | 0.56 | 0.56 |
| | | 2054 | | 097 | | 1026 | | 0.00 | 5.46 | 5.46 |
| | | 2054 | | 098 | | 4361 | | 0.00 | 6.30 | 6.30 |
| योग-मांग संख्या 06 | | | | | | | | 0.00 | 33.98 | 33.98 |
| 07 | वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय | 2030 | 01 | 001 | | 6003 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 0.86 | 0.86 |
| | | 2030 | 03 | 001 | | 1480 | | 0.00 | 3.06 | 3.06 |
| | | 2039 | | 001 | | 122 | | 0.00 | 5.04 | 5.04 |
| | | 2039 | | 001 | | 1470 | | 0.00 | 22.50 | 22.50 |
| | | 2040 | | 001 | | 3569 | | 0.00 | 11.35 | 11.35 |
| | | 2040 | | 101 | | 1509 | | 0.00 | 11.15 | 11.15 |
| | | 2040 | | 001 | | 6810 | | 0.00 | 0.59 | 0.59 |
| योग-मांग संख्या 07 | | | | | | | | 0.00 | 54.55 | 54.55 |

परिशिष्ट-X

अनुरक्षण व्यय का वेतन एवं गैर वेतन भाग का विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| अनुदान क्रमांक | अनुदान का नाम | व्यय का मद | | | | | विवरण | व्यय का मद | | |
|---------------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|------------|-------------|-------------------------|---------------|---------------|----------|
| | | मुख्य शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष | समूह शीर्ष | योजना शीर्ष | | वेतन | गैर वेतन | कुल व्यय |
| 08 | भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन | 2029 | | 103 | 0701 | 2727 | केन्द्र प्रवर्तित योजना | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| | | 2029 | | 103 | | 1472 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 6.27 | 6.27 |
| | | 2029 | | 001 | | 456 | | 0.00 | 5.94 | 5.94 |
| | | 2052 | | 099 | | 3657 | | 0.00 | 3.55 | 3.55 |
| | | 2053 | | 093 | | 1510 | | 0.00 | 81.00 | 81.00 |
| | | 2053 | | 101 | | 452 | | 0.00 | 8.44 | 8.44 |
| | | 2053 | | 800 | | 7769 | | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| योग-मांग संख्या 08 | | | | | | | 0.00 | 105.34 | 105.34 | |
| 09 | राजस्व विभाग से संबंधित व्यय | 2058 | | 102 | | 2820 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 11.71 | 11.71 |
| | | 2058 | | 102 | | 5659 | | 0.00 | 6.92 | 6.92 |
| योग-मांग संख्या 09 | | | | | | | 0.00 | 18.63 | 18.63 | |
| 10 | वन | 2406 | 01 | 001 | 0101 | 2723 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 6.34 | 6.34 |
| | | 2406 | 01 | 001 | | 3555 | | 0.00 | 50.90 | 50.90 |
| | | 2406 | 01 | 003 | | 4462 | | 0.00 | 2.09 | 2.09 |
| | | 2406 | 01 | 003 | 0101 | 1859 | | 0.00 | 19.53 | 19.53 |
| | | 2406 | 01 | 070 | | 4349 | | 0.00 | 898.92 | 898.92 |
| | | 2406 | 01 | 070 | | 6218 | | 0.00 | 1,032.96 | 1,032.96 |
| | | 2406 | 01 | 101 | | 2786 | | 0.00 | 5.99 | 5.99 |
| | | 2406 | 01 | 101 | | 3836 | | 0.00 | 7.89 | 7.89 |
| | | 2406 | 01 | 101 | | 3877 | | 0.00 | 99.00 | 99.00 |
| | | 2406 | 01 | 101 | | 812 | | 0.00 | 5.65 | 5.65 |
| | | 2406 | 01 | 101 | | 813 | | 0.00 | 4.75 | 4.75 |
| | | 2406 | 01 | 102 | | 4475 | | 0.00 | 7.05 | 7.05 |
| | | 2406 | 01 | 203 | | 535 | | 0.00 | 1,397.29 | 1,397.29 |
| | | 2406 | 01 | 204 | | 2901 | | 0.00 | 116.91 | 116.91 |
| | | 2406 | 02 | 110 | | 2899 | | 0.00 | 8.87 | 8.87 |
| | | 2406 | 02 | 110 | | 2900 | | 0.00 | 15.03 | 15.03 |
| | | 2406 | 02 | 110 | | 8644 | | 0.00 | 5.65 | 5.65 |
| | | 2406 | 02 | 110 | | 6885 | | 0.00 | 6.15 | 6.15 |
| | | 2406 | 02 | 111 | 0101 | 6540 | | 0.00 | 0.49 | 0.49 |

परिशिष्ट-X

अनुरक्षण व्यय का वेतन एवं गैर वेतन भाग का विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| अनुदान क्रमांक | अनुदान का नाम | व्यय का मद | | | | | विवरण | व्यय का मद | | |
|---------------------------|--|-------------|----------------|-----------|------------|-------------|-------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | मुख्य शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष | समूह शीर्ष | योजना शीर्ष | | वेतन | गैर वेतन | कुल व्यय |
| 10 | वन | 2406 | 02 | 800 | | 4349 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 132.61 | 132.61 |
| | | 2406 | 02 | 800 | | 6218 | | 0.00 | 134.45 | 134.45 |
| | | 2406 | 04 | 103 | 0530 | 7993 | | 0.00 | 1,015.00 | 1,015.00 |
| | | 2406 | 02 | 110 | 0801 | 5502 | केन्द्र प्रवर्तित योजना | 0.00 | 57.47 | 57.47 |
| योग-मांग संख्या 10 | | | | | | | 0.00 | 5,030.99 | 5,030.99 | |
| 11 | वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय | 2851 | | 200 | | 1464 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 6.46 | 6.46 |
| | | 3475 | | 200 | | 255 | | 0.00 | 1.40 | 1.40 |
| योग-मांग संख्या 11 | | | | | | | 0.00 | 7.86 | 7.86 | |
| 12 | उर्जा विभाग से संबंधित व्यय | 2045 | | 103 | | 4281 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 5.94 | 5.94 |
| योग-मांग संख्या-12 | | | | | | | 0.00 | 5.94 | 5.94 | |
| 13 | कृषि | 2401 | | 001 | | 119 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 22.97 | 22.97 |
| | | 2401 | | 001 | | 124 | | 0.00 | 3.64 | 3.64 |
| | | 2401 | | 001 | | 4288 | | 0.00 | 7.19 | 7.19 |
| | | 2401 | | 001 | | 6931 | | 0.00 | 0.49 | 0.49 |
| | | 2401 | | 103 | | 898 | | 0.00 | 27.38 | 27.38 |
| | | 2401 | | 105 | | 1060 | | 0.00 | 0.21 | 0.21 |
| | | 2401 | | 107 | | 2680 | | 0.00 | 0.23 | 0.23 |
| | | 2401 | | 108 | | 3911 | | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| | | 2401 | | 109 | | 867 | | 0.00 | 1.87 | 1.87 |
| | | 2401 | | 113 | | 6929 | | 0.00 | 29.33 | 29.33 |
| | | 2401 | | 113 | | 7017 | | 0.00 | 33.67 | 33.67 |
| | | 2401 | | 113 | | 8675 | | 0.00 | 1.11 | 1.11 |
| | | 2401 | | 119 | | 2013 | | 0.00 | 94.72 | 94.72 |
| | | 2401 | | 119 | | 6788 | | 0.00 | 1.49 | 1.49 |
| | | 2401 | | 119 | 0101 | 7868 | | 0.00 | 17.50 | 17.50 |
| | | 2401 | | 119 | | 9188 | | 0.00 | 198.75 | 198.75 |
| | | 2402 | | 102 | | 3143 | | 0.00 | 6.15 | 6.15 |
| 2402 | | 101 | | 8351 | 0.00 | 8.17 | 8.17 | | | |
| योग-मांग संख्या-13 | | | | | | | 0.00 | 454.97 | 454.97 | |

परिशिष्ट-X

अनुरक्षण व्यय का वेतन एवं गैर वेतन भाग का विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| अनुदान क्रमांक | अनुदान का नाम | व्यय का मद | | | | | विवरण | व्यय का मद | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | मुख्य शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष | समूह शीर्ष | योजना शीर्ष | | वेतन | गैर वेतन | कुल व्यय |
| 14 | पशु पालन विभाग से संबंधित व्यय | 2403 | | 101 | 0701 | 3786 | केन्द्र प्रवर्तित योजना | 0.00 | 1.23 | 1.23 |
| | | 2403 | | 103 | 0701 | 3578 | | 0.00 | 4.39 | 4.39 |
| | | 2403 | | 109 | 0701 | 5557 | | 0.00 | 0.25 | 0.25 |
| | | 2403 | | 113 | 0701 | 1971 | | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| | | 2403 | | 001 | | 1468 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 10.46 | 10.46 |
| | | 2403 | | 001 | | 4297 | | 0.00 | 4.10 | 4.10 |
| | | 2403 | | 101 | 0101 | 2549 | | 0.00 | 15.06 | 15.06 |
| | | 2403 | | 104 | 0101 | 5027 | | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| | | 2403 | | 102 | | 1108 | | 0.00 | 9.26 | 9.26 |
| | | 2403 | | 102 | | 2567 | | 0.00 | 111.73 | 111.73 |
| | | 2403 | | 105 | 0101 | 6784 | | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| | | 2403 | | 113 | | 3784 | | 0.00 | 4.87 | 4.87 |
| | | 2403 | | 800 | 0101 | 8703 | | 0.00 | 1.31 | 1.31 |
| | | योग-मांग संख्या 14 | | | | | | | 0.00 | 163.23 |
| 16 | मछली पालन | 2405 | | 001 | | 2280 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 6.52 | 6.52 |
| | | 2405 | | 101 | 0101 | 1451 | | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
| | | 2405 | | 101 | 0101 | 3308 | | 0.00 | 7.78 | 7.78 |
| | | 2405 | | 101 | | 162 | | 0.00 | 14.16 | 14.16 |
| | | 2405 | | 109 | 0101 | 4217 | | 0.00 | 0.80 | 0.80 |
| | | 2415 | 05 | 004 | | 4167 | | 0.00 | 0.37 | 0.37 |
| योग-मांग संख्या 16 | | | | | | | 0.00 | 32.63 | 32.63 | |
| 17 | सहकारिता | 2425 | | 001 | | 123 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 15.96 | 15.96 |
| | | 2425 | | 001 | | 2282 | | 0.00 | 3.14 | 3.14 |
| | | 2425 | | 001 | | 8932 | | 0.00 | 0.34 | 0.34 |
| | | 2425 | | 800 | | 7606 | | 0.00 | 0.44 | 0.44 |
| योग-मांग संख्या 17 | | | | | | | 0.00 | 19.88 | 19.88 | |
| 18 | श्रम | 2230 | 01 | 001 | | 4268 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 1.91 | 1.91 |
| | | 2230 | 01 | 101 | | 4271 | | 0.00 | 0.45 | 0.45 |
| | | 2230 | 01 | 101 | | 712 | | 0.00 | 0.38 | 0.38 |

परिशिष्ट-X

अनुरक्षण व्यय का वेतन एवं गैर वेतन भाग का विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| अनुदान क्रमांक | अनुदान का नाम | व्यय का मद | | | | | विवरण | व्यय का मद | | |
|---------------------------|---------------------------------|-------------|----------------|-----------|------------|-------------|-------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | मुख्य शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष | समूह शीर्ष | योजना शीर्ष | | वेतन | गैर वेतन | कुल व्यय |
| 18 | श्रम | 2230 | 01 | 102 | | 5810 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 1.44 | 1.44 |
| | | 2230 | 01 | 102 | 0101 | 5648 | | 0.00 | 0.93 | 0.93 |
| | | | | | | | 0.00 | 5.11 | 5.11 | |
| 19 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 2210 | 01 | 001 | | 2283 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 12.93 | 12.93 |
| | | 2210 | 01 | 110 | 0101 | 748 | | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
| | | 2210 | 01 | 110 | 0101 | 7327 | | 0.00 | 1.29 | 1.29 |
| | | 2210 | 01 | 196 | 0101 | 1473 | | 0.00 | 419.82 | 419.82 |
| | | 2210 | 01 | 200 | | 77 | | 0.00 | 1.96 | 1.96 |
| | | 2210 | 03 | 197 | 0101 | 5998 | | 0.00 | 315.74 | 315.74 |
| | | 2210 | 03 | 197 | 0101 | 748 | | 0.00 | 7.64 | 7.64 |
| | | 2210 | 03 | 198 | 0101 | 2777 | | 0.00 | 141.59 | 141.59 |
| | | 2210 | 06 | 003 | 0101 | 6811 | | 0.00 | 0.34 | 0.34 |
| | | 2210 | 06 | 101 | | 4244 | | 0.00 | 3.52 | 3.52 |
| | | 2210 | 06 | 101 | | 858 | | 0.00 | 2.41 | 2.41 |
| | | 2210 | 06 | 102 | | 1070 | | 0.00 | 3.43 | 3.43 |
| | | 2210 | 06 | 104 | | 750 | | 0.00 | 2.03 | 2.03 |
| | | 2211 | | 001 | 0701 | 1508 | केन्द्र प्रवर्तित योजना | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| योग-मांग संख्या 19 | | | | | | | 0.00 | 923.20 | 923.20 | |
| 20 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग | 2215 | 01 | 001 | | 2294 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 21.40 | 21.40 |
| | | 2215 | 01 | 001 | | 2715 | | 1,001.17 | 50.18 | 1,051.35 |
| | | 2215 | 01 | 052 | 0101 | 693 | | 0.00 | 69.80 | 69.80 |
| | | 2215 | 01 | 102 | 0101 | 5403 | | 0.00 | 594.91 | 594.91 |
| | | 2215 | 01 | 101 | | 5300 | | 299.71 | 0.00 | 299.71 |
| | | 2215 | 01 | 102 | | 1854 | | 419.48 | 358.56 | 778.04 |
| | | 2215 | 01 | 102 | | 1202 | | 503.53 | 0.00 | 503.53 |
| | | 2215 | 01 | 102 | | 2219 | | 1,082.85 | 235.30 | 1,318.15 |
| योग-मांग संख्या 20 | | | | | | | 3,306.74 | 1,330.15 | 4,636.89 | |

परिशिष्ट-X
अनुरक्षण व्यय का वेतन एवं गैर वेतन भाग का विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| अनुदान क्रमांक | अनुदान का नाम | व्यय का मद | | | | | विवरण | व्यय का मद | | |
|---------------------------|---|-------------|----------------|-----------|------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | मुख्य शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष | समूह शीर्ष | योजना शीर्ष | | वेतन | गैर वेतन | कुल व्यय |
| 21 | आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय | 2217 | 05 | 001 | | 2020 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 5.59 | 5.59 |
| योग-मांग संख्या 21 | | | | | | | | 0.00 | 5.59 | 5.59 |
| 22 | नगर प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय | 2217 | 80 | 001 | | 6148 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 0.47 | 0.47 |
| | | 2217 | 80 | 001 | | 7442 | | 0.00 | 0.13 | 0.13 |
| योग-मांग संख्या 22 | | | | | | | | 0.00 | 0.60 | 0.60 |
| 23 | जल संसाधन विभाग | 2700 | 01 | 101 | | 2894 | राज्य निधि से व्यय | 2,172.55 | 1,326.42 | 3,498.97 |
| | | 2700 | 02 | 101 | | 2894 | | 421.97 | 2,062.80 | 2,484.77 |
| | | 2700 | 03 | 101 | | 2894 | | 181.60 | 126.60 | 308.20 |
| | | 2700 | 04 | 101 | | 2894 | | 231.62 | 52.86 | 284.48 |
| | | 2700 | 05 | 101 | | 2894 | | 402.45 | 283.50 | 685.95 |
| | | 2700 | 06 | 101 | | 2894 | | 387.32 | 231.07 | 918.39 |
| | | 2700 | 07 | 101 | | 2894 | | 68.63 | 142.10 | 210.73 |
| | | 2700 | 08 | 101 | | 2894 | | 0.00 | 47.50 | 47.50 |
| | | 2700 | 10 | 101 | | 2894 | | 129.88 | 367.35 | 497.23 |
| | | 2700 | 11 | 101 | | 2894 | | 79.54 | 149.76 | 229.30 |
| | | 2701 | 01 | 101 | | 2250 | | 6.42 | 49.15 | 55.57 |
| | | 2701 | 02 | 101 | | 2250 | | 22.97 | 26.10 | 49.07 |
| | | 2701 | 03 | 101 | | 2250 | | 40.91 | 35.93 | 76.84 |
| | | 2701 | 04 | 101 | | 2250 | | 105.47 | 23.46 | 128.93 |
| | | 2701 | 05 | 101 | | 2250 | | 13.81 | 42.69 | 56.50 |
| | | 2701 | 06 | 101 | | 2250 | | 38.18 | 36.21 | 74.39 |
| | | 2701 | 07 | 101 | | 2250 | | 38.55 | 12.60 | 51.15 |
| | | 2701 | 08 | 101 | | 2250 | | 21.67 | 108.25 | 129.92 |
| | | 2701 | 09 | 101 | | 2250 | | 27.88 | 41.56 | 69.44 |
| | | 2701 | 10 | 101 | | 2250 | | 29.63 | 22.94 | 52.57 |

परिशिष्ट-X
अनुरक्षा व्यय का वेतन एवं गैर वेतन भाग का विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| अनुदान क्रमांक | अनुदान का नाम | व्यय का मद | | | | | विवरण | व्यय का मद | | |
|--------------------|-----------------|-------------|----------------|-----------|------------|-------------|--------------------|------------|-----------|----------|
| | | मुख्य शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष | समूह शीर्ष | योजना शीर्ष | | वेतन | गैर वेतन | कुल व्यय |
| 23 | जल संसाधन विभाग | 2701 | 11 | 101 | | 2250 | राज्य निधि से व्यय | 9.94 | 16.95 | 26.89 |
| | | 2701 | 12 | 101 | | 2250 | | 50.32 | 38.57 | 88.89 |
| | | 2701 | 13 | 101 | | 2250 | | 43.55 | 30.88 | 74.43 |
| | | 2701 | 14 | 101 | | 2250 | | 67.89 | 42.21 | 110.10 |
| | | 2701 | 15 | 101 | | 2250 | | 58.79 | 81.09 | 139.88 |
| | | 2701 | 16 | 101 | | 2250 | | 16.49 | 23.60 | 40.09 |
| | | 2701 | 17 | 101 | | 2250 | | 30.55 | 27.90 | 58.45 |
| | | 2701 | 18 | 101 | | 2250 | | 14.95 | 36.06 | 51.01 |
| | | 2701 | 19 | 101 | | 2250 | | 18.56 | 20.70 | 39.26 |
| | | 2701 | 20 | 101 | | 2250 | | 27.10 | 31.69 | 58.79 |
| | | 2701 | 21 | 101 | | 2250 | | 23.15 | 18.33 | 41.48 |
| | | 2701 | 22 | 101 | | 2250 | | 49.62 | 34.71 | 84.33 |
| | | 2701 | 23 | 101 | | 2250 | | 55.24 | 8.06 | 63.30 |
| | | 2701 | 24 | 101 | | 2250 | | 126.37 | 200.18 | 326.55 |
| | | 2701 | 25 | 101 | | 2250 | | 17.33 | 92.14 | 109.47 |
| | | 2701 | 26 | 101 | | 2250 | | 15.00 | 19.09 | 34.09 |
| | | 2701 | 27 | 101 | | 2250 | | 10.31 | 16.43 | 26.74 |
| | | 2701 | 28 | 101 | | 2250 | | 44.12 | 33.04 | 77.16 |
| | | 2701 | 29 | 101 | | 2250 | | 27.92 | 154.93 | 182.85 |
| | | 2701 | 30 | 101 | | 2250 | | 30.89 | 15.60 | 46.49 |
| | | 2701 | 31 | 101 | | 2250 | | 31.47 | 8.55 | 40.02 |
| | | 2701 | 32 | 101 | | 2250 | | 13.69 | 32.90 | 46.59 |
| | | 2701 | 33 | 101 | | 2250 | | 0.00 | 59.92 | 59.92 |
| 2701 | 34 | 101 | | 2250 | 0.00 | 59.87 | 59.87 | | | |
| 2701 | 80 | 002 | | 4793 | 0.00 | 118.75 | 118.75 | | | |
| 4700 | 01 | 001 | 0101 | 2428 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| योग-मांग संख्या 23 | | | | | | | 5,204.30 | 6,411.00 | 11,615.30 | |

परिशिष्ट-X
अनुरक्षा व्यय का वेतन एवं गैर वेतन भाग का विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| अनुदान क्रमांक | अनुदान का नाम | व्यय का मद | | | | | विवरण | व्यय का मद | | |
|---------------------------|---------------------------------|-------------|----------------|-----------|------------|-------------|--------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | मुख्य शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष | समूह शीर्ष | योजना शीर्ष | | वेतन | गैर वेतन | कुल व्यय |
| 24 | लोक निर्माण कार्य-सड़क एवं पुल | 3053 | 60 | 102 | | 7755 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 25.00 | 25.00 |
| | | 3054 | 01 | 337 | | 134 | | 0.00 | 1,451.59 | 1,451.59 |
| | | 3054 | 03 | 337 | | 134 | | 0.00 | 7,150.26 | 7,150.26 |
| | | 3054 | 01 | 337 | | 4090 | | 0.00 | 17.95 | 17.95 |
| | | 3054 | 03 | 337 | | 4090 | | 0.00 | 481.85 | 481.85 |
| | | 3054 | 03 | 337 | | 2227 | | 0.00 | 7,514.39 | 7,514.39 |
| | | 3054 | 04 | 337 | | 134 | | 0.00 | 13,524.04 | 13,524.04 |
| | | 3054 | 04 | 337 | | 4557 | | 0.00 | 736.54 | 736.54 |
| | | 3054 | 04 | 337 | | 7983 | | 0.00 | 5,463.73 | 5,463.73 |
| | | 3054 | 04 | 337 | | 7984 | | 0.00 | 131.68 | 131.68 |
| | | 3054 | 04 | 337 | | 7985 | | 0.00 | 268.63 | 268.63 |
| | | 3054 | 04 | 337 | | 7986 | | 0.00 | 21.63 | 21.63 |
| | | 3054 | 04 | 337 | | 7987 | | 0.00 | 381.32 | 381.32 |
| योग-मांग संख्या 24 | | | | | | | 0.00 | 37,168.61 | 37,168.61 | |
| 25 | खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय | 2853 | 02 | 001 | | 4639 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 8.81 | 8.81 |
| | | 2853 | 02 | 001 | | 4640 | | 0.00 | 7.72 | 7.72 |
| | | 2853 | 02 | 001 | | 4643 | | 0.00 | 16.71 | 16.71 |
| योग-मांग संख्या 25 | | | | | | | 0.00 | 33.24 | 33.24 | |
| 26 | संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय | 2202 | 05 | 102 | | 444 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 0.60 | 0.60 |
| | | 2202 | 05 | 102 | 0101 | 7013 | | 0.00 | 0.35 | 0.35 |
| | | 2205 | | 103 | | 2318 | | 0.00 | 0.64 | 0.64 |
| | | 2205 | | 103 | | 758 | | 0.00 | 11.82 | 11.82 |
| योग-मांग संख्या 26 | | | | | | | 0.00 | 13.41 | 13.41 | |
| 27 | स्कूल शिक्षा | 2202 | 01 | 001 | | 1500 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 9.07 | 9.07 |
| | | 2202 | 01 | 107 | | 3024 | | 0.00 | 0.85 | 0.85 |

परिशिष्ट-X

अनुरक्षण व्यय का वेतन एवं गैर वेतन भाग का विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| अनुदान क्रमांक | अनुदान का नाम | व्यय का मद | | | | | विवरण | व्यय का मद | | |
|---------------------------|--|-------------|----------------|-----------|------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------|---------------|
| | | मुख्य शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष | समूह शीर्ष | योजना शीर्ष | | वेतन | गैर वेतन | कुल व्यय |
| 27 | स्कूल शिक्षा | 2202 | 02 | 105 | 0101 | 6744 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 14.02 | 14.02 |
| | | 2202 | 02 | 105 | 0101 | 3694 | | 0.00 | 4.31 | 4.31 |
| | | 2202 | 02 | 105 | | 4402 | | 0.00 | 0.61 | 0.61 |
| | | 2202 | 80 | 001 | | 3858 | | 0.00 | 2.89 | 2.89 |
| | | 2204 | | 102 | | 3755 | | 0.00 | 5.19 | 5.19 |
| योग-मांग संख्या 27 | | | | | | | | 0.00 | 36.94 | 36.94 |
| 28 | राज्य विधान मंडल | 2011 | 02 | 101 | | 4007 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 124.63 | 124.63 |
| | | 2011 | 02 | 103 | | 4312 | | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| योग-मांग संख्या 28 | | | | | | | | 0.00 | 125.13 | 125.13 |
| 29 | न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन | 2014 | | 105 | 0701 | 7502 | केन्द्र प्रवर्तित योजना | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| | | 2014 | | 102 | | 5421 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 2.73 | 2.73 |
| | | 2014 | | 102 | | 573 | | 0.00 | 61.32 | 61.32 |
| | | 2014 | | 105 | 0101 | 7798 | | 0.00 | 0.61 | 0.61 |
| | | 2014 | | 105 | | 4497 | | 0.00 | 28.98 | 28.98 |
| | | 2014 | | 114 | | 3428 | | 0.00 | 8.44 | 8.44 |
| | | 2014 | | 117 | | 5416 | | 0.00 | 5.62 | 5.62 |
| | | 2014 | | 118 | 0101 | 7256 | | 0.00 | 34.54 | 34.54 |
| | | 2015 | | 102 | | 2409 | | 0.00 | 2.39 | 2.39 |
| | | 2235 | 60 | 200 | 0101 | 3255 | | 0.00 | 5.05 | 5.05 |
| | | 2052 | | 090 | | 9057 | | 0.00 | 4.73 | 4.73 |
| | | 2052 | | 091 | | 9056 | | 0.00 | 1.97 | 1.97 |
| योग-मांग संख्या 29 | | | | | | | | 0.00 | 156.42 | 156.42 |
| 30 | पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय | 2515 | | 003 | 0701 | 5063 | केन्द्र प्रवर्तित योजना | 0.00 | 51.57 | 51.57 |
| | | 2505 | 60 | 101 | 0101 | 6728 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 0.53 | 0.53 |
| | | 2515 | | 001 | 0101 | 3926 | | 0.00 | 3.85 | 3.85 |
| | | 2515 | | 101 | | 2467 | | 0.00 | 0.62 | 0.62 |
| | | 2515 | | 101 | | 2468 | | 0.00 | 1.08 | 1.08 |

परिशिष्ट-X

अनुरक्षण व्यय का वेतन एवं गैर वेतन भाग का विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| अनुदान क्रमांक | अनुदान का नाम | व्यय का मद | | | | | विवरण | व्यय का मद | | |
|---------------------------|---|-------------|----------------|-----------|------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|---------------|
| | | मुख्य शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष | समूह शीर्ष | योजना शीर्ष | | वेतन | गैर वेतन | कुल व्यय |
| 30 | पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय | 2515 | | 102 | 0101 | 1208 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 3.04 | 3.04 |
| | | 2515 | | 102 | 0101 | 7644 | | 0.00 | 2.28 | 2.28 |
| | | 2515 | | 102 | 0101 | 4855 | | 0.00 | 19.53 | 19.53 |
| योग-मांग संख्या 30 | | | | | | | | 0.00 | 82.50 | 82.50 |
| 31 | योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय | 3451 | | 101 | | 3686 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 60.75 | 60.75 |
| | | 3454 | 02 | 111 | | 1430 | | 0.00 | 1.36 | 1.36 |
| | | 3454 | 02 | 205 | | 8048 | | 0.00 | 9.44 | 9.44 |
| योग-मांग संख्या 31 | | | | | | | | 0.00 | 71.55 | 71.55 |
| 32 | जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय | 2220 | 01 | 001 | | 2320 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 17.40 | 17.40 |
| | | 2210 | 60 | 106 | | 1479 | | 0.00 | 20.10 | 20.10 |
| योग-मांग संख्या 32 | | | | | | | | 0.00 | 37.50 | 37.50 |
| 33 | आदिम जाति कल्याण | 2202 | 01 | 001 | | 2721 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 1.09 | 1.09 |
| | | 2202 | 02 | 109 | | 1117 | | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
| | | 2202 | 02 | 109 | | 363 | | 0.00 | 12.33 | 12.33 |
| | | 2202 | 02 | 109 | | 979 | | 0.00 | 32.18 | 32.18 |
| | | 2225 | 02 | 001 | | 1483 | | 0.00 | 81.82 | 81.82 |
| | | 2225 | 02 | 001 | | 6130 | | 0.00 | 13.48 | 13.48 |
| | | 2225 | 02 | 001 | | 3728 | | 0.00 | 4.34 | 4.34 |
| | | 2225 | 02 | 102 | | 2604 | | 0.00 | 1.95 | 1.95 |
| योग-मांग संख्या 33 | | | | | | | | 0.00 | 157.19 | 157.19 |
| 34 | समाज कल्याण | 2235 | 02 | 001 | 0101 | 2969 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 3.31 | 3.31 |
| | | 2235 | 02 | 001 | 0101 | 8159 | | 0.00 | 0.44 | 0.44 |
| | | 2235 | 02 | 001 | | 2322 | | 0.00 | 8.99 | 8.99 |
| | | 2235 | 02 | 101 | | 79 | | 0.00 | 17.73 | 17.73 |
| | | 2235 | 02 | 107 | 0101 | 5490 | | 0.00 | 0.18 | 0.18 |
| | | 2235 | 02 | 200 | | 1986 | | 0.00 | 2.63 | 2.63 |
| योग-मांग संख्या 34 | | | | | | | | 0.00 | 33.28 | 33.28 |

परिशिष्ट-X

अनुरक्षण व्यय का वेतन एवं गैर वेतन भाग का विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| अनुदान क्रमांक | अनुदान का नाम | व्यय का मद | | | | | विवरण | व्यय का मद | | |
|---------------------------|--|-------------|----------------|-----------|------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------|---------------|
| | | मुख्य शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष | समूह शीर्ष | योजना शीर्ष | | वेतन | गैर वेतन | कुल व्यय |
| 35 | पुनर्वास | 2235 | 01 | 200 | | 3135 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 6.25 | 6.25 |
| योग-मांग संख्या 35 | | | | | | | | 0.00 | 6.25 | 6.25 |
| 36 | परिवहन | 2041 | | 001 | | 3565 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 4.47 | 4.47 |
| | | 2041 | | 101 | | 4280 | | 0.00 | 1.51 | 1.51 |
| | | 2041 | | 001 | | 5379 | | 0.00 | 0.36 | 0.36 |
| | | 2041 | | 102 | | 679 | | 0.00 | 0.80 | 0.80 |
| | | 2070 | | 114 | | 3598 | | 0.00 | 251.91 | 251.91 |
| योग-मांग संख्या 36 | | | | | | | | 0.00 | 259.05 | 259.05 |
| 39 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय | 2408 | 01 | 001 | | 1471 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 6.22 | 6.22 |
| | | 2408 | 01 | 001 | | 3537 | | 0.00 | 1.50 | 1.50 |
| | | 2408 | 01 | 001 | | 629 | | 0.00 | 4.90 | 4.90 |
| | | 2408 | 01 | 102 | 0101 | 6964 | | 0.00 | 0.94 | 0.94 |
| | | 3475 | | 106 | | 6112 | | 0.00 | 3.99 | 3.99 |
| योग-मांग संख्या 39 | | | | | | | | 0.00 | 17.55 | 17.55 |
| 40 | आयाकट विभाग से संबंधित व्यय | 2705 | | 209 | 0701 | 3436 | केन्द्र प्रवर्तित योजना | 0.00 | 0.12 | 0.12 |
| | | 2705 | | 210 | 0701 | 5593 | | 0.00 | 0.47 | 0.47 |
| योग-मांग संख्या 40 | | | | | | | | 0.00 | 0.59 | 0.59 |
| 41 | अनुसूचित जनजाति उपयोजना | 2202 | 01 | 101 | 0102 | 495 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 968.17 | 968.17 |
| | | 2202 | 01 | 109 | 0102 | 7437 | | 0.00 | 17.76 | 17.76 |
| | | 2202 | 02 | 109 | 0102 | 1395 | | 0.00 | 450.33 | 450.33 |
| | | 2202 | 02 | 109 | 0102 | 761 | | 0.00 | 59.57 | 59.57 |
| | | 2202 | 02 | 109 | 0102 | 7363 | | 0.00 | 4.15 | 4.15 |
| | | 2202 | 02 | 109 | 0102 | 8549 | | 0.00 | 10.80 | 10.80 |
| | | 2202 | 03 | 103 | 0102 | 798 | | 0.00 | 26.19 | 26.19 |
| | | 2203 | | 105 | 0102 | 2668 | | 0.00 | 23.14 | 23.14 |
| | | 2203 | | 112 | 0102 | 502 | | 0.00 | 32.11 | 32.11 |
| | | 2210 | 01 | 001 | 0102 | 7476 | | 0.00 | 0.42 | 0.42 |
| | | 2210 | 01 | 110 | 0102 | 8940 | | 0.00 | 10.84 | 10.84 |

परिशिष्ट-X
अनुरक्षण व्यय का वेतन एवं गैर वेतन भाग का विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| अनुदान क्रमांक | अनुदान का नाम | व्यय का मद | | | | | विवरण | व्यय का मद | | |
|--------------------|-------------------------|-------------|----------------|-----------|------------|-------------|--------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| | | मुख्य शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष | समूह शीर्ष | योजना शीर्ष | | वेतन | गैर वेतन | कुल व्यय |
| 41 | अनुसूचित जनजाति उपयोगना | 2210 | 01 | 110 | 0102 | 8950 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 265.50 | 265.50 |
| | | 2210 | 01 | 196 | 0102 | 1473 | | 0.00 | 59.50 | 59.50 |
| | | 2210 | 02 | 101 | 0102 | 5683 | | 0.00 | 0.89 | 0.89 |
| | | 2210 | 03 | 197 | 0102 | 5998 | | 0.00 | 16.19 | 16.19 |
| | | 2210 | 03 | 198 | 0102 | 2777 | | 0.00 | 24.98 | 24.98 |
| | | 2210 | 04 | 101 | 0102 | 5683 | | 0.00 | 0.38 | 0.38 |
| | | 2210 | 04 | 102 | 0102 | 5683 | | 0.00 | 0.18 | 0.18 |
| | | 2210 | 04 | 103 | 0102 | 5683 | | 0.00 | 0.07 | 0.07 |
| | | 2210 | 05 | 105 | 0102 | 5689 | | 0.00 | 49.66 | 49.66 |
| | | 2210 | 05 | 105 | 0102 | 8941 | | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
| | | 2210 | 06 | 003 | 0102 | 2216 | | 0.00 | 3.97 | 3.97 |
| | | 2210 | 06 | 101 | 0102 | 4244 | | 0.00 | 2.10 | 2.10 |
| | | 2230 | 02 | 101 | 0102 | 9147 | | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| | | 2230 | 03 | 003 | 0102 | 717 | | 0.00 | 2.97 | 2.97 |
| | | 2405 | | 101 | 0102 | 1451 | | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| | | 2405 | | 101 | 0102 | 3308 | | 0.00 | 26.93 | 26.93 |
| | | 2406 | 02 | 110 | 0102 | 6991 | | 0.00 | 171.66 | 171.66 |
| | | 2408 | 01 | 102 | 0102 | 6964 | | 0.00 | 0.67 | 0.67 |
| | | 2515 | | 102 | 0102 | 1208 | | 0.00 | 18.65 | 18.65 |
| | | 2235 | 02 | 102 | 0702 | 9044 | | केन्द्र प्रवर्तित योजना | 0.00 | 1,073.10 |
| 2235 | 02 | 102 | 0702 | 9130 | 0.00 | 6.92 | 6.92 | | | |
| 2406 | 02 | 110 | 0702 | 3730 | 0.00 | 42.62 | 42.62 | | | |
| योग-मांग संख्या 41 | | | | | | | | 0.00 | 3,377.12 | 3,377.12 |
| 44 | उच्च शिक्षा | 2202 | 03 | 001 | | 3443 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 4.85 | 4.85 |
| | | 2202 | 03 | 103 | 0101 | 798 | | 0.00 | 65.85 | 65.85 |
| योग-मांग संख्या 44 | | | | | | | | 0.00 | 70.70 | 70.70 |

अनुरक्षण व्यय का वेतन एवं गैर वेतन भाग का विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| अनुदान क्रमांक | अनुदान का नाम | व्यय का मद | | | | | विवरण | व्यय का मद | | |
|---------------------------|--|-------------|----------------|-----------|------------|-------------|-------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | मुख्य शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष | समूह शीर्ष | योजना शीर्ष | | वेतन | गैर वेतन | कुल व्यय |
| 45 | लघु सिंचाई निर्माण कार्य | 2702 | 03 | 101 | | 207 | राज्य निधि से व्यय | 1,950.53 | 1,884.37 | 3,834.90 |
| | | 2702 | 03 | 102 | | 207 | | 47.92 | 217.20 | 265.12 |
| | | 2702 | 03 | 103 | | 207 | | 905.19 | 265.72 | 1,170.91 |
| | | 2702 | 03 | 101 | | 8967 | | 0.00 | 755.29 | 755.29 |
| योग-मांग संख्या 45 | | | | | | | 2,903.64 | 3,122.58 | 6,026.22 | |
| 47 | कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग | 2203 | | 001 | | 1869 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 1.62 | 1.62 |
| | | 2203 | | 105 | 0101 | 2668 | | 0.00 | 80.97 | 80.97 |
| | | 2203 | | 112 | 0101 | 502 | | 0.00 | 31.08 | 31.08 |
| | | 2230 | 02 | 001 | | 3795 | | 0.00 | 1.19 | 1.19 |
| | | 2230 | 02 | 101 | 0101 | 9147 | | 0.00 | 7.96 | 7.96 |
| | | 2230 | 03 | 001 | | 9148 | | 0.00 | 1.14 | 1.14 |
| | | 2230 | 03 | 003 | 0101 | 717 | | 0.00 | 3.32 | 3.32 |
| | | 2230 | 03 | 003 | 0101 | 8935 | | 0.00 | 30.00 | 30.00 |
| योग-मांग संख्या 47 | | | | | | | 0.00 | 157.28 | 157.28 | |
| 49 | अनुसूचित जाति कल्याण | 2225 | 01 | 102 | | 6800 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 2.91 | 2.91 |
| योग-मांग संख्या 49 | | | | | | | 0.00 | 2.91 | 2.91 | |
| 55 | महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय | 2235 | 02 | 102 | 0701 | 9042 | केन्द्र प्रवर्तित योजना | 0.00 | 20.99 | 20.99 |
| | | 2235 | 02 | 102 | 0701 | 9044 | | 0.00 | 649.32 | 649.32 |
| | | 2235 | 02 | 102 | 0701 | 5354 | | 0.00 | 6.99 | 6.99 |
| | | 2235 | 02 | 102 | 0701 | 9130 | | 0.00 | 3.95 | 3.95 |
| | | 2235 | 02 | 001 | | 9041 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 19.64 | 19.64 |
| | | 2235 | 02 | 103 | 0101 | 8681 | | 0.00 | 0.94 | 0.94 |
| | | 2235 | 02 | 103 | | 9132 | | 0.00 | 1.98 | 1.98 |
| योग-मांग संख्या 55 | | | | | | | 0.00 | 703.81 | 703.81 | |
| 56 | ग्राम उद्योग | 2851 | | 103 | 0101 | 6769 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 2.64 | 2.64 |
| | | 2851 | | 103 | | 931 | | 0.00 | 6.27 | 6.27 |
| | | 2851 | | 107 | 0101 | 3394 | | 0.00 | 5.96 | 5.96 |
| | | 2851 | | 107 | | 3778 | | 0.00 | 64.06 | 64.06 |
| योग-मांग संख्या 56 | | | | | | | 0.00 | 78.93 | 78.93 | |

परिशिष्ट-X
अनुरक्षण व्यय का वेतन एवं गैर वेतन भाग का विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| अनुदान क्रमांक | अनुदान का नाम | व्यय का मद | | | | | विवरण | व्यय का मद | | |
|---------------------------|---|---------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------|--------------|
| | | मुख्य शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष | समूह शीर्ष | योजना शीर्ष | | वेतन | गैर वेतन | कुल व्यय |
| 58 | प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय | 2245 | 80 | 001 | | 2304 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 0.41 | 0.41 |
| योग-मांग संख्या 58 | | | | | | | | 0.00 | 0.41 | 0.41 |
| 64 | अनुसूचित जाति उप योजना | 2014 | | 103 | 0703 | 5171 | केन्द्र प्रवर्तित योजना | 0.00 | 1.62 | 1.62 |
| | | 2235 | 02 | 102 | 0703 | 9044 | | 0.00 | 61.21 | 61.21 |
| | | 2235 | 02 | 102 | 0703 | 5354 | | 0.00 | 3.27 | 3.27 |
| | | 2235 | 02 | 102 | 0703 | 9130 | | 0.00 | 1.40 | 1.40 |
| | | 2202 | 01 | 101 | 0103 | 495 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 37.30 | 37.30 |
| | | 2202 | 02 | 109 | 0103 | 1395 | | 0.00 | 289.06 | 289.06 |
| | | 2202 | 03 | 103 | 0103 | 798 | | 0.00 | 1.47 | 1.47 |
| | | 2202 | 02 | 109 | 0103 | 979 | | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| | | 2203 | | 105 | 0103 | 2668 | | 0.00 | 1.23 | 1.23 |
| | | 2210 | 01 | 110 | 0103 | 6967 | | 0.00 | 124.72 | 124.72 |
| | | 2210 | 02 | 101 | 0103 | 8951 | | 0.00 | 1.43 | 1.43 |
| | | 2210 | 03 | 197 | 0103 | 5998 | | 0.00 | 12.17 | 12.17 |
| | | 2210 | 03 | 198 | 0103 | 2777 | | 0.00 | 23.45 | 23.45 |
| | | 2210 | 05 | 101 | 0103 | 8952 | | 0.00 | 1.06 | 1.06 |
| | | 2210 | 05 | 105 | 0103 | 6968 | | 0.00 | 22.25 | 22.25 |
| | | 2210 | 06 | 003 | 0103 | 2216 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | 2230 | 03 | 003 | 0103 | 717 | | 0.00 | 0.59 | 0.59 |
| | | 2403 | | 102 | 0103 | 1108 | | 0.00 | 0.29 | 0.29 |
| | | 2408 | 01 | 102 | 0103 | 6964 | | 0.00 | 0.16 | 0.16 |
| | | योग-मांग संख्या 64 | | | | | | | | 0.00 |
| 65 | विमानन विभाग | 2052 | | 091 | | 4043 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 73.56 | 73.56 |
| योग-मांग संख्या 65 | | | | | | | | 0.00 | 73.56 | 73.56 |
| 66 | पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण | 2202 | 02 | 109 | 0101 | 1395 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 45.12 | 45.12 |
| | | 2202 | 02 | 109 | 0101 | 979 | | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| योग-मांग संख्या 66 | | | | | | | | 0.00 | 47.12 | 47.12 |

परिशिष्ट-X

अनुरक्षण व्यय का वेतन एवं गैर वेतन भाग का विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| अनुदान क्रमांक | अनुदान का नाम | व्यय का मद | | | | | विवरण | व्यय का मद | | |
|----------------|-----------------------|-------------|----------------|-----------|------------|-------------|--------------------|------------|----------|----------|
| | | मुख्य शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष | समूह शीर्ष | योजना शीर्ष | | वेतन | गैर वेतन | कुल व्यय |
| 67 | लोक निर्माण कार्य-भवन | 2059 | 01 | 053 | | 1024 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 49.61 | 49.61 |
| | | 2059 | 01 | 053 | | 1481 | | 0.00 | 381.86 | 381.86 |
| | | 2059 | 01 | 053 | | 1533 | | 0.00 | 166.92 | 166.92 |
| | | 2059 | 01 | 053 | | 2449 | | 0.00 | 1,283.78 | 1,283.78 |
| | | 2059 | 01 | 053 | | 2631 | | 0.00 | 136.06 | 136.06 |
| | | 2059 | 01 | 053 | | 3125 | | 0.00 | 221.14 | 221.14 |
| | | 2059 | 01 | 053 | | 3383 | | 0.00 | 781.09 | 781.09 |
| | | 2059 | 01 | 053 | | 3387 | | 0.00 | 714.37 | 714.37 |
| | | 2059 | 01 | 053 | | 3643 | | 0.00 | 99.72 | 99.72 |
| | | 2059 | 01 | 053 | | 3692 | | 0.00 | 342.63 | 342.63 |
| | | 2059 | 01 | 053 | | 3839 | | 0.00 | 44.11 | 44.11 |
| | | 2059 | 01 | 053 | | 3859 | | 0.00 | 11.73 | 11.73 |
| | | 2059 | 01 | 053 | | 4144 | | 0.00 | 884.38 | 884.38 |
| | | 2059 | 01 | 053 | | 4574 | | 0.00 | 14.39 | 14.39 |
| | | 2059 | 01 | 053 | | 4608 | | 0.00 | 37.49 | 37.49 |
| | | 2059 | 01 | 053 | | 6220 | | 0.00 | 507.37 | 507.37 |
| | | 2059 | 01 | 053 | | 6519 | | 0.00 | 2,746.68 | 2,746.68 |
| | | 2059 | 01 | 053 | | 7479 | | 0.00 | 38.56 | 38.56 |
| | | 2059 | 60 | 053 | | 1864 | | 0.00 | 112.35 | 112.35 |
| | | 2059 | 60 | 053 | | 2553 | | 0.00 | 51.70 | 51.70 |
| | | 2059 | 60 | 053 | | 3645 | | 0.00 | 869.32 | 869.32 |
| | | 2059 | 60 | 053 | | 3647 | | 0.00 | 845.92 | 845.92 |
| | | 2059 | 60 | 053 | | 3779 | | 0.00 | 13.83 | 13.83 |
| | | 2059 | 60 | 053 | | 4143 | | 0.00 | 461.84 | 461.84 |
| | | 2059 | 60 | 053 | | 4177 | | 0.00 | 55.67 | 55.67 |
| | | 2059 | 60 | 053 | | 5056 | | 0.00 | 186.60 | 186.60 |
| | | 2059 | 60 | 053 | | 7421 | | 0.00 | 85.06 | 85.06 |
| | | 2059 | 60 | 053 | | 7425 | | 0.00 | 161.13 | 161.13 |
| | | 2059 | 60 | 053 | | 7755 | | 0.00 | 6,584.59 | 6,584.59 |
| | | 2059 | 60 | 053 | | 7808 | | 0.00 | 78.47 | 78.47 |

परिशिष्ट-X

अनुरक्षण व्यय का वेतन एवं गैर वेतन भाग का विवरण-जारी

(₹ लाख में)

| अनुदान क्रमांक | अनुदान का नाम | व्यय का मद | | | | | विवरण | व्यय का मद | | |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------|-----------|------------|-------------|--------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | मुख्य शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष | समूह शीर्ष | योजना शीर्ष | | वेतन | गैर वेतन | कुल व्यय |
| 67 | लोक निर्माण कार्य-भवन | 2059 | 60 | 053 | | 794 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 141.38 | 141.38 |
| | | 2059 | 60 | 053 | | 8167 | | 0.00 | 91.28 | 91.28 |
| | | 2059 | 80 | 001 | 0101 | 2418 | | 10,557.80 | 0.00 | 10,557.80 |
| | | 2059 | 80 | 001 | 0101 | 3300 | | 5.63 | 0.00 | 5.63 |
| | | 2059 | 80 | 052 | | 9269 | | 0.00 | 156.90 | 156.90 |
| | | 2216 | 05 | 053 | | 1482 | | 0.00 | 66.86 | 66.86 |
| | | 2216 | 05 | 053 | | 184 | | 0.00 | 11.87 | 11.87 |
| | | 2216 | 05 | 053 | | 2450 | | 0.00 | 107.69 | 107.69 |
| | | 2216 | 05 | 053 | | 2631 | | 0.00 | 21.79 | 21.79 |
| | | 2216 | 05 | 053 | | 3644 | | 0.00 | 0.21 | 0.21 |
| | | 2216 | 05 | 053 | | 4095 | | 0.00 | 1,018.06 | 1,018.06 |
| | | 2216 | 05 | 053 | | 4489 | | 0.00 | 1,658.69 | 1,658.69 |
| | | 2216 | 05 | 053 | | 6220 | | 0.00 | 80.12 | 80.12 |
| | | 2401 | | 119 | | 6984 | | 0.00 | 5.98 | 5.98 |
| योग-मांग संख्या 67 | | | | | | | 10,563.43 | 21,329.20 | 31,892.63 | |
| 79 | चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय | 2210 | 01 | 110 | 0101 | 6997 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 8.02 | 8.02 |
| | | 2210 | 01 | 110 | | 962 | | 0.00 | 249.95 | 249.95 |
| | | 2210 | 01 | 110 | 0101 | 8938 | | 0.00 | 56.53 | 56.53 |
| | | 2210 | 01 | 110 | | 1353 | | 0.00 | 554.29 | 554.29 |
| | | 2210 | 01 | 110 | | 7719 | | 0.00 | 9.07 | 9.07 |
| | | 2210 | 02 | 101 | 0101 | 5553 | | 0.00 | 1.21 | 1.21 |
| | | 2210 | 02 | 101 | 0101 | 5683 | | 0.00 | 0.24 | 0.24 |
| | | 2210 | 02 | 101 | 0101 | 4194 | | 0.00 | 0.64 | 0.64 |
| | | 2210 | 02 | 101 | | 4286 | | 0.00 | 4.04 | 4.04 |
| | | 2210 | 02 | 101 | 0101 | 460 | | 0.00 | 0.36 | 0.36 |
| | | 2210 | 02 | 101 | | 461 | | 0.00 | 8.58 | 8.58 |
| | | 2210 | 02 | 101 | 0101 | 7511 | | 0.00 | 2.91 | 2.91 |
| | | 2210 | 05 | 101 | 0101 | 469 | | 0.00 | 7.53 | 7.53 |

परिशिष्ट-X

अनुरक्षण व्यय का वेतन एवं गैर वेतन भाग का विवरण-समाप्त

(₹ लाख में)

| अनुदान क्रमांक | अनुदान का नाम | व्यय का मद | | | | | विवरण | व्यय का मद | | |
|------------------------|---|-------------|----------------|-----------|------------|-------------|-------------------------|------------|-------------|----------|
| | | मुख्य शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष | समूह शीर्ष | योजना शीर्ष | | वेतन | गैर वेतन | कुल व्यय |
| 79 | चिकित्सा शिक्षा विभाग | 2210 | 05 | 105 | 0101 | 1352 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 200.32 | 200.32 |
| | | 2210 | 05 | 105 | 0101 | 1915 | | 0.00 | 29.67 | 29.67 |
| | | 2210 | 05 | 105 | 0101 | 6996 | | 0.00 | 10.16 | 10.16 |
| | | 2210 | 05 | 105 | 0101 | 8939 | | 0.00 | 1.25 | 1.25 |
| | | 2210 | 05 | 105 | 0101 | 1355 | | 0.00 | 5.26 | 5.26 |
| | | 2210 | 05 | 105 | 0101 | 7328 | | 0.00 | 1.35 | 1.35 |
| | | 2210 | 06 | 003 | 0101 | 2216 | | 0.00 | 9.82 | 9.82 |
| | | 2210 | 05 | 105 | 0101 | 7880 | | 0.00 | 2.98 | 2.98 |
| | | 2210 | 06 | 003 | 0101 | 3463 | | 0.00 | 6.74 | 6.74 |
| | | 2210 | 06 | 003 | 0701 | 336 | केन्द्र प्रवर्तित योजना | 0.00 | 0.17 | 0.17 |
| योग-मांग संख्या 79 | | | | | | | 0.00 | 1,171.09 | 1,171.09 | |
| कुल (राजस्व) | | | | | | | 21,978.11 | 85,975.27 | 1,07,953.38 | |
| 55 | महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय | 4235 | 02 | 102 | 0101 | 7764 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 19.04 | 19.04 |
| योग-मांग संख्या 55 | | | | | | | 0.00 | 19.04 | 19.04 | |
| 66 | पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित व्यय | 4225 | 03 | 800 | 0101 | 7978 | राज्य निधि से व्यय | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
| योग-मांग संख्या 66 | | | | | | | 0.00 | 10.00 | 10.00 | |
| कुल (पूंजीगत) | | | | | | | 0.00 | 29.04 | 29.04 | |
| कुल (राजस्व + पूंजीगत) | | | | | | | 21,978.11 | 86,004.31 | 1,07,982.42 | |

परिशिष्ट—XI

वर्ष के दौरान मुख्य नीतिगत निर्णयों अथवा बजट में प्रस्तावित नवीन योजनाओं

(₹ लाख में)

| नई योजनाओं/नीति निर्णय का स्वरूप | प्राप्ति/व्यय/दोनो | आवर्ति/अनावर्ति | यदि आवर्ति हो, तो निवल रोकड़ प्रवाह पर पढ़ने वाले प्रभाव का वार्षिक प्रभार | | वार्षिक व्यय | | नई योजनाओं के व्यय की पूर्ति हेतु संभावित स्रोत | | |
|---|--------------------|-----------------|--|--------|--------------|---------|---|-----------------|---------------------|
| | | | निर्धारित अवधि | स्थायी | राजस्व | पूँजीगत | राज्य के स्वयं के संसाधन | केन्द्रीय अंतरण | ऋण उगाही से (वर्णन) |
| | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| वित्त विभाग | | | | | | | | | |
| 2049-7938 8.04 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2028 | व्यय | आवर्ति | 16,080.00 (2 वर्ष) | .. | 8,040.00 | 0.00 | 100 प्रतिशत | .. | .. ¹ |
| 2049-7939 8.11 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2028 | व्यय | आवर्ति | 12,165.00 (3 वर्ष) | .. | 4,055.00 | 0.00 | 100 प्रतिशत | .. | .. |
| 2049-7940 8.07 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2028 | व्यय | आवर्ति | 12,105.00 (3 वर्ष) | .. | 4,035.00 | 0.00 | 100 प्रतिशत | .. | .. |
| 2049-7941 7.90 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2028 | व्यय | आवर्ति | 11,850.00 (3 वर्ष) | .. | 3,950.00 | 0.00 | 100 प्रतिशत | .. | .. |
| 2049-7954 7.64 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2029 | व्यय | आवर्ति | 22,920.00 (2 वर्ष) | .. | 11,460.00 | 0.00 | 100 प्रतिशत | .. | .. |
| 2049-7956 7.94 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2029 | व्यय | आवर्ति | 63,520.00 (4 वर्ष) | .. | 15,880.00 | 0.00 | 100 प्रतिशत | .. | .. |
| 2049-6341 8.18 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2025 | व्यय | आवर्ति | 49,080.00 (6 वर्ष) | .. | 8,180.00 | 0.00 | 100 प्रतिशत | .. | .. |

¹ .. चिन्ह जानकारी अपेक्षित इंगित करता है।

परिशिष्ट—XI

वर्ष के दौरान मुख्य नीतिगत निर्णयों अथवा बजट में प्रस्तावित नवीन योजनाओं—जारी

(₹ लाख में)

| नई योजनाओं/नीति निर्णय का स्वरूप | प्राप्ति/ व्यय/ दोनो | आवर्ति/ अनावर्ति | यदि आवर्ति हो, तो निवल रोकड़ प्रवाह पर पढ़ने वाले प्रभाव का वार्षिक प्रभार | | वार्षिक व्यय | | नई योजनाओं के व्यय की पूर्ति हेतु संभावित स्रोत | | |
|---|----------------------|------------------|--|--------|--------------|---------|---|-----------------|---------------------|
| | | | निर्धारित अवधि | स्थायी | राजस्व | पूंजीगत | राज्य के स्वयं के संसाधन | केन्द्रीय अंतरण | ऋण उगाही से (वर्णन) |
| | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| वित्त विभाग | | | | | | | | | |
| 2049-6342 7.48 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2022 | व्यय | आवर्ति | 16,830.00 (3 वर्ष) | .. | 5,610.00 | 0.00 | 100 प्रतिशत | .. | .. |
| 2049-6344 7.43 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2022 | व्यय | आवर्ति | 16,719.00 (3 वर्ष) | .. | 5,572.50 | 0.00 | 100 प्रतिशत | .. | .. |
| 2049-6345 7.68 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2024 | व्यय | आवर्ति | 19,200.00 (5 वर्ष) | .. | 3,840.00 | 0.00 | 100 प्रतिशत | .. | .. |
| 2049-6347 8.04 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2026 | व्यय | आवर्ति | 39,396.00 (7 वर्ष) | .. | 5,628.00 | 0.00 | 100 प्रतिशत | .. | .. |
| 2049-6348 7.57 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2023 | व्यय | आवर्ति | 21,196.00 (4 वर्ष) | .. | 5,299.00 | 0.00 | 100 प्रतिशत | .. | .. |
| 2049-6349 7.69 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2024 | व्यय | आवर्ति | 19,225.00 (5 वर्ष) | .. | 3,845.00 | 0.00 | 100 प्रतिशत | .. | .. |
| 2049-6402 7.03 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2026 | व्यय | आवर्ति | 49,210.00 (7 वर्ष) | .. | 3,515.00 | 0.00 | 100 प्रतिशत | .. | .. |
| 2049-6403 7.28 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2027 | व्यय | आवर्ति | 58,240.00 (8 वर्ष) | .. | 3,640.00 | 0.00 | 100 प्रतिशत | .. | .. |

परिशिष्ट—XI

वर्ष के दौरान मुख्य नीतिगत निर्णयों अथवा बजट में प्रस्तावित नवीन योजनाओं—जारी

(₹ लाख में)

| नई योजनाओं/नीति निर्णय का स्वरूप | प्राप्ति/ व्यय/ दोनो | आवर्ति/ अनावर्ति | यदि आवर्ति हो, तो निवल रोकड़ प्रवाह पर पढ़ने वाले प्रभाव का वार्षिक प्रभार | | वार्षिक व्यय | | नई योजनाओं के व्यय की पूर्ति हेतु संभावित स्रोत | | |
|--|----------------------|------------------|--|--------|--------------|---------|---|-----------------|---------------------|
| | | | निर्धारित अवधि | स्थायी | राजस्व | पूंजीगत | राज्य के स्वयं के संसाधन | केन्द्रीय अंतरण | ऋण उगाही से (वर्णन) |
| | | | | | | | | | |
| वित्त विभाग | | | | | | | | | |
| 2049-7996 8.14 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2025 | व्यय | आवर्ति | 48,840.00 (5 वर्ष) | .. | 8,140.00 | 0.00 | 100 प्रतिशत | .. | .. |
| 2049-7997 7.93 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2024 | व्यय | आवर्ति | 39,650.00 (5 वर्ष) | .. | 7,930.00 | 0.00 | 100 प्रतिशत | .. | .. |
| 2435-7973 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से लिए गये अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना | व्यय | अनावर्ति | .. | .. | 2,02,224.89 | 0.00 | 100 प्रतिशत | .. | .. |
| संस्कृति विभाग | | | | | | | | | |
| 2205-6360 राम वन गमन पथ निर्माण एवं उन्नयन | व्यय | .. | .. | .. | 500.00 | 0.00 | .. | .. | .. |
| 2205-6361 रायपुर में स्वामी विवेकानंद स्मृति संस्थान की स्थापना | व्यय | .. | .. | .. | 100.00 | 0.00 | .. | .. | .. |
| 4202-7981 संग्रहालय भवन का निर्माण | व्यय | .. | .. | 0.00 | 0.00 | .. | .. | .. | .. |
| लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | | | | | | | | | |
| 2210-6362 डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना | व्यय | .. | .. | .. | 5,000.00 | 0.00 | .. | .. | .. |

परिशिष्ट—XI

वर्ष के दौरान मुख्य नीतिगत निर्णयों अथवा बजट में प्रस्तावित नवीन योजनाओं—जारी

(₹ लाख में)

| नई योजनाओं/नीति निर्णय का स्वरूप | प्राप्ति/ व्यय/ दोनो | आवर्ति/ अनावर्ति | यदि आवर्ति हो, तो निवल रोकड़ प्रवाह पर पढ़ने वाले प्रभाव का वार्षिक प्रभार | | वार्षिक व्यय | | नई योजनाओं के व्यय की पूर्ति हेतु संभावित स्रोत | | |
|---|----------------------|------------------|--|--------|--------------|---------|---|-----------------|---------------------|
| | | | निर्धारित अवधि | स्थायी | राजस्व | पूँजीगत | राज्य के स्वयं के संसाधन | केन्द्रीय अंतरण | ऋण उगाही से (वर्णन) |
| | | | | | | | | | |
| लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | | | | | | | | | |
| 2210-6363 मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना | व्यय | .. | .. | .. | 2,000.00 | 0.00 | .. | .. | .. |
| 2210-7949-फ्लोरोसिस | व्यय | .. | .. | .. | 4.35 | 0.00 | .. | .. | .. |
| कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग | | | | | | | | | |
| 2230-7955 जीवन निर्वाह हेतु प्रशिक्षण | व्यय | अनावर्ति | .. | 0.00 | 615.30 | 0.00 | .. | .. | .. |
| 2230-7960 औद्योगिक गुणवत्ता में वृद्धि हेतु कौशल प्रशिक्षण | व्यय | आवर्ति | .. | 0.00 | 173.00 | 0.00 | .. | .. | .. |
| 4202-7960 औद्योगिक गुणवत्ता में वृद्धि हेतु कौशल प्रशिक्षण | व्यय | आवर्ति | .. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .. | .. | .. |
| पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | | | | | | | | | |
| 2235-7974 अभिसरित आम आदमी बीमा योजना | व्यय | आवर्ति | .. | .. | .. | 0.00 | .. | .. | .. |
| 2235-7975 अभिसरित प्रधान मंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना/प्रधान मंत्री सुरक्षा योजना | व्यय | आवर्ति | .. | .. | .. | 0.00 | .. | .. | .. |
| कृषि विकास एवं कृषक कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी | | | | | | | | | |
| 2401-7945 प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान | व्यय | आवर्ति | .. | .. | 0.00 | 0.00 | 60 प्रतिशत | 40 प्रतिशत | .. |

परिशिष्ट—XI

वर्ष के दौरान मुख्य नीतिगत निर्णयों अथवा बजट में प्रस्तावित नवीन योजनाओं—जारी

(₹ लाख में)

| नई योजनाओं/नीति निर्णय का स्वरूप | प्राप्ति/व्यय/दोनो | आवर्ति/अनावर्ति | यदि आवर्ति हो, तो निवल रोकड़ प्रवाह पर पढ़ने वाले प्रभाव का वार्षिक प्रभार | | वार्षिक व्यय | | नई योजनाओं के व्यय की पूर्ति हेतु संभावित स्रोत | | |
|---|--------------------|-----------------|--|-----------------------------|--------------|---------|---|-----------------|---------------------|
| | | | निर्धारित अवधि | स्थायी | राजस्व | पूंजीगत | राज्य के स्वयं के संसाधन | केन्द्रीय अंतरण | ऋण उगाही से (वर्णन) |
| | | | | | | | | | |
| कृषि विकास एवं कृषक कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी | | | | | | | | | |
| 2401-7946 सोयाबीन उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना | व्यय | आवर्ति | .. | .. | 0.00 | 0.00 | 100 प्रतिशत | .. | .. |
| 2401-7947 एन.एम.एस.ए. अन्तर्गत पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन | व्यय | आवर्ति | 693.33 | 4,200.00 (5 वर्ष के लिए) | 621.66 | 0.00 | 60 प्रतिशत | 40 प्रतिशत | 0.00 |
| 2401-7967 पोषण बाड़ी विकास योजना | व्यय | आवर्ति | 1,000.00 | 5,000.00 (5 वर्ष के लिए) | 901.70 | 0.00 | 100 प्रतिशत | 0.00 | 0.00 |
| 2401-7968 जैविक खाद उत्पादन प्रोत्साहन (जीवामृत) योजना | व्यय | आवर्ति | .. | .. | 0.00 | 0.00 | 100 प्रतिशत | 0.00 | 0.00 |
| 2401-7969 औषधीय एवं सुगंधित फसलों का क्षेत्र विस्तार योजना | व्यय | आवर्ति | .. | .. | 0.00 | 0.00 | 100 प्रतिशत | 0.00 | 0.00 |
| 4401-7970 प्लग टाईप यूनिट की स्थापना | व्यय | आवर्ति | .. | .. | 0.00 | 0.00 | 100 प्रतिशत | 0.00 | 0.00 |
| 2401-6353 चिराग योजना | व्यय | आवर्ति | 95,000.00 (6 वर्ष) | .. | 0.00 | 0.00 | .. | .. | विश्व बैंक हेतु ऋण |
| 2401-6366 कृषक सहायता | व्यय | आवर्ति | .. | .. | 0.00 | 0.00 | 100 प्रतिशत | .. | .. |
| 4415-7988 उद्यानिकी विश्वविद्यालय | व्यय | आवर्ति | 1,010.00 (5 वर्ष) | .. | 0.00 | 0.00 | 100 प्रतिशत | 0.00 | 0.00 |

परिशिष्ट—XI

वर्ष के दौरान मुख्य नीतिगत निर्णयों अथवा बजट में प्रस्तावित नवीन योजनाओं—जारी

(₹ लाख में)

| नई योजनाओं/नीति निर्णय का स्वरूप | प्राप्ति/ व्यय/ दोनो | आवर्ति/ अनावर्ति | यदि आवर्ति हो, तो निवल रोकड़ प्रवाह पर पढ़ने वाले प्रभाव का वार्षिक प्रभार | | वार्षिक व्यय | | नई योजनाओं के व्यय की पूर्ति हेतु संभावित स्रोत | | |
|---|----------------------|------------------|--|--------------------|--------------|---------|---|-----------------|---------------------|
| | | | निर्धारित अवधि | स्थायी | राजस्व | पूंजीगत | राज्य के स्वयं के संसाधन | केन्द्रीय अंतरण | ऋण उगाही से (वर्णन) |
| | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| वन विभाग | | | | | | | | | |
| 2406-7959 विभागीय नर्सरी में पौध तैयारी | व्यय | आवर्ति | .. | .. | 0.00 | 0.00 | 100 प्रतिशत | 0.00 | 0.00 |
| 2406-7992 छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि में अंतरण (भारित) | व्यय | .. | .. | .. | 0.00 | 0.00 | .. | .. | .. |
| 2406-7993 छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि से व्यय | व्यय | .. | .. | .. | 50,000.00 | 0.00 | .. | .. | .. |
| खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं ग्राहक सुरक्षा विभाग | | | | | | | | | |
| 2408-7994 गुड़ वितरण योजना | व्यय | आवर्ति | .. | 260.00 (5 वर्ष) | 0.00 | 0.00 | 100 प्रतिशत | .. | .. |
| वाणिज्य एवं उद्योग विभाग | | | | | | | | | |
| 2852-7952 इंडिया एग्री फूड प्रोसेसिंग एण्ड एडिशन प्रोग्राम | व्यय | अनावर्ति | .. | .. | 0.00 | 0.00 | 100 प्रतिशत | 0.00 | 0.00 |
| 2852-7957 छत्तीसगढ़ उद्यमिता विकास संस्थान | व्यय | अनावर्ति | .. | .. | 0.00 | 0.00 | 100 प्रतिशत | 0.00 | 0.00 |
| शहरी विकास विभाग | | | | | | | | | |
| 2217-7948 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन | व्यय | अनावर्ति | .. | .. | 0.00 | 0.00 | 100 प्रतिशत | 0.00 | 0.00 |
| 4217-7958 जल प्रशिक्षण प्रयोगशाला | व्यय | आवर्ति | .. | .. | 0.00 | 0.00 | 100 प्रतिशत | 0.00 | 0.00 |

परिशिष्ट—XI

वर्ष के दौरान मुख्य नीतिगत निर्णयों अथवा बजट में प्रस्तावित नवीन योजनाओं—जारी

(₹ लाख में)

| नई योजनाओं/नीति निर्णय का स्वरूप | प्राप्ति/व्यय/दोनो | आवर्ति/अनावर्ति | यदि आवर्ति हो, तो निवल रोकड़ प्रवाह पर पढ़ने वाले प्रभाव का वार्षिक प्रभार | | वार्षिक व्यय | | नई योजनाओं के व्यय की पूर्ति हेतु संभावित स्रोत | | |
|--|--------------------|-----------------|--|----------------------|--------------|---------|---|-----------------|---------------------|
| | | | निर्धारित अवधि | स्थायी | राजस्व | पूँजीगत | राज्य के स्वयं के संसाधन | केन्द्रीय अंतरण | ऋण उगाही से (वर्णन) |
| | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| विधि एवं विधायी विभाग | | | | | | | | | |
| 2014-6356 फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट और पाक्सो | व्यय | आवर्ति | .. | 5,000.00 (5 वर्ष) | 17.39 | 0.00 | 40 प्रतिशत | 60 प्रतिशत | 0.00 |
| 2014-7982 राज्य अधिवक्ता संस्थान (लॉयर्स अकादमी) | व्यय | .. | .. | .. | 0.00 | 0.00 | .. | .. | .. |
| लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग | | | | | | | | | |
| 2215-7950 उच्च न्यायालय के भवनों में पेयजल व्यवस्था का संधारण | व्यय | अनावर्ति | जानकारी अपेक्षित | | 22.47 | 0.00 | 100 प्रतिशत | 0.00 | 0.00 |
| 2215-7964 राजीव गांधी सर्व जल योजना | व्यय | अनावर्ति | .. | | 0.00 | 0.00 | 100 प्रतिशत | 0.00 | 0.00 |
| 4215-7951 आंगनवाड़ी एवं अस्पताल में नलकूप खनन कार्य | व्यय | आवर्ति | .. | 5,500.00 (5 वर्ष) | 0.00 | 898.72 | 100 प्रतिशत | 0.00 | 0.00 |
| 4215-7961 गिरौदपुरी समूह नल जल योजना | व्यय | अनावर्ति | .. | | 0.00 | 0.00 | 100 प्रतिशत | 0.00 | 0.00 |
| 4215-7962 मिनीमाता अमृत धारा नल योजना | व्यय | अनावर्ति | .. | | 0.00 | 886.93 | 100 प्रतिशत | 0.00 | 0.00 |
| 4215-7963 मुख्यमंत्री चलित सयंत्र पेयजल योजना | व्यय | अनावर्ति | .. | | 0.00 | 0.00 | 100 प्रतिशत | 0.00 | 0.00 |
| 4215-7965 सुपेबेड़ा जल प्रदाय योजना | व्यय | अनावर्ति | .. | | 0.00 | 100.00 | 100 प्रतिशत | 0.00 | 0.00 |

परिशिष्ट—XI

वर्ष के दौरान मुख्य नीतिगत निर्णयों अथवा बजट में प्रस्तावित नवीन योजनाओं—जारी

(₹ लाख में)

| नई योजनाओं/नीति निर्णय का स्वरूप | प्राप्ति/व्यय/दोनो | आवर्ति/अनावर्ति | यदि आवर्ति हो, तो निवल रोकड़ प्रवाह पर पढ़ने वाले प्रभाव का वार्षिक प्रभार | | वार्षिक व्यय | | नई योजनाओं के व्यय की पूर्ति हेतु संभावित स्रोत | | |
|--|--------------------|-----------------|--|--------|--------------|---------|---|-----------------|---------------------|
| | | | निर्धारित अवधि | स्थायी | राजस्व | पूँजीगत | राज्य के स्वयं के संसाधन | केन्द्रीय अंतरण | ऋण उगाही से (वर्णन) |
| | | | | | | | | | |
| 4215-7989 चिकित्सा महाविद्यालय परिसर एवं मेकाहारा अस्पताल रायपुर हेतु जल प्रदाय व्यवस्था का सुदृढीकरण | व्यय | अनावर्ति | .. | | 0.00 | 0.00 | 100 प्रतिशत | 0.00 | 0.00 |
| 4215-7990 चंदखुरी कोलिहापुरी समूह नल जल प्रदाय योजना | व्यय | अनावर्ति | .. | | 0.00 | 0.00 | 100 प्रतिशत | 0.00 | 0.00 |
| जल संसाधन विभाग | | | | | | | | | |
| 4700-6354 बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना फेस-II | व्यय | .. | .. | | 0.00 | 11.78 | .. | .. | .. |
| 4701-6354 बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना फेस-II | व्यय | .. | .. | | 0.00 | 0.00 | .. | .. | .. |
| 4702-6354 बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना फेस-II | व्यय | .. | .. | | 0.00 | 0.00 | .. | .. | .. |
| 4702-7953 जलवायु संवेदनशील योजना | व्यय | अनावर्ति | .. | | 0.00 | 0.00 | .. | .. | .. |
| ऊर्जा विभाग | | | | | | | | | |
| 2801-7972 घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों में राहत | व्यय | आवर्ति | .. | | 97,721.00 | 0.00 | .. | .. | .. |

परिशिष्ट—XI

वर्ष के दौरान मुख्य नीतिगत निर्णयों अथवा बजट में प्रस्तावित नवीन योजनाओं—जारी

(₹ लाख में)

| नई योजनाओं/नीति निर्णय का स्वरूप | प्राप्ति/व्यय/दोनो | आवर्ति/अनावर्ति | यदि आवर्ति हो, तो निवल रोकड़ प्रवाह पर पढ़ने वाले प्रभाव का वार्षिक प्रभार | | वार्षिक व्यय | | नई योजनाओं के व्यय की पूर्ति हेतु संभावित स्रोत | | |
|--|--------------------|-----------------|--|--------------------------------|--------------|----------|---|-----------------|---------------------|
| | | | निर्धारित अवधि | स्थायी | राजस्व | पूँजीगत | राज्य के स्वयं के संसाधन | केन्द्रीय अंतरण | ऋण उगाही से (वर्णन) |
| | | | | | | | | | |
| आदिम जाति विभाग का विकास | | | | | | | | | |
| 2225-7995 मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण | व्यय | आवर्ति | .. | | 131.46 | 0.00 | .. | .. | .. |
| 4225-7995 मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण | व्यय | आवर्ति | .. | | 0.00 | 1,775.00 | .. | .. | .. |
| 4225-7978 दामाखेड़ा का समन्वित विकास | व्यय | आवर्ति/अनावर्ति | .. | | 0.00 | 100.00 | .. | .. | .. |
| स्कूल शिक्षा विभाग | | | | | | | | | |
| 2202-7979 समग्र शिक्षा | व्यय | .. | .. | | 1,81,610.17 | 0.00 | .. | .. | .. |
| 4202-7979 समग्र शिक्षा | व्यय | .. | .. | | 0.00 | 0.00 | .. | .. | .. |
| तकनीकी शिक्षा विभाग | | | | | | | | | |
| 2203-7980 मुख्यमंत्री युवा स्वालंबन योजना | व्यय | आवर्ति | .. | | 0.00 | 0.00 | 100 प्रतिशत | 0.00 | 0.00 |
| खेल एवं युवा कल्याण विभाग | | | | | | | | | |
| 2204-6351 राज्य खेल महोत्सव | व्यय | आवर्ति | .. | 5,000.00 से 10,000.00 (5 वर्ष) | 0.00 | 0.00 | 100 प्रतिशत | 0.00 | 0.00 |
| इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग | | | | | | | | | |
| 3275-7966 स्टेट पोर्टल परियोजना | व्यय | आवर्ति | .. | 0.00 | 0.00 | .. | .. | .. | .. |

परिशिष्ट—XI

वर्ष के दौरान मुख्य नीतिगत निर्णयों अथवा बजट में प्रस्तावित नवीन योजनाओं—जारी

(₹ लाख में)

| नई योजनाओं/नीति निर्णय का स्वरूप | प्राप्ति/व्यय/दोनो | आवर्ति/अनावर्ति | यदि आवर्ति हो, तो निवल रोकड़ प्रवाह पर पढ़ने वाले प्रभाव का वार्षिक प्रभार | | वार्षिक व्यय | | नई योजनाओं के व्यय की पूर्ति हेतु संभावित स्रोत | | |
|---|--------------------|-----------------|--|-----------------------|--------------|---------|---|-----------------|---------------------|
| | | | निर्धारित अवधि | स्थायी | राजस्व | पूँजीगत | राज्य के स्वयं के संसाधन | केन्द्रीय अंतरण | ऋण उगाही से (वर्णन) |
| | | | | | | | | | |
| गृह विभाग | | | | | | | | | |
| 3454-6399 जनगणना कार्य | व्यय | .. | .. | .. | 663.38 | 0.00 | .. | .. | .. |
| महिला एवं बाल कल्याण विभाग | | | | | | | | | |
| 4235-7971 महिला छात्रावास भवन का निर्माण कार्य | व्यय | अनावर्ति | .. | 0.00 | 0.00 | .. | .. | .. | .. |
| 2236-6359 मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान | व्यय | आवर्ति | .. | 1,20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100 प्रतिशत | .. | .. |
| 2250-6358 अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सर्वेक्षण | व्यय | .. | .. | .. | 0.00 | 0.00 | .. | .. | .. |
| लोक निर्माण विभाग | | | | | | | | | |
| 3054-7983 ग्रामीण मार्गों की साधारण मरम्मत | व्यय | आवर्ति | .. | 23,800.00 (5 वर्ष) | 5,463.73 | 0.00 | 100 प्रतिशत | .. | |
| 3054-7984 ग्रामीण मार्गों की विशेष मरम्मत | व्यय | आवर्ति | .. | 1,800.00 (5 वर्ष) | 131.68 | 0.00 | 100 प्रतिशत | .. | |
| 3054-7985 ग्रामीण मार्गों की सुदृढ़ीकरण | व्यय | आवर्ति | .. | 6,100.00 (5 वर्ष) | 268.63 | 0.00 | 100 प्रतिशत | .. | |
| 3054-7986 ग्रामीण मार्गों की डामरीकरण | व्यय | आवर्ति | .. | 1,800.00 (5 वर्ष) | 21.63 | 0.00 | 100 प्रतिशत | .. | |
| 3054-7987 ग्रामीण मार्गों का नवीनीकरण | व्यय | आवर्ति | .. | 1,800.00 (5 वर्ष) | 381.32 | 0.00 | 100 प्रतिशत | .. | |

परिशिष्ट—XI

वर्ष के दौरान मुख्य नीतिगत निर्णयों अथवा बजट में प्रस्तावित नवीन योजनाओं—समाप्त

(₹ लाख में)

| नई योजनाओं/नीति निर्णय का स्वरूप | प्राप्ति/व्यय/दोनो | आवर्ति/अनावर्ति | यदि आवर्ति हो, तो निवल रोकड़ प्रवाह पर पढ़ने वाले प्रभाव का वार्षिक प्रभार | | वार्षिक व्यय | | नई योजनाओं के व्यय की पूर्ति हेतु संभावित स्रोत | | |
|---|--------------------|-----------------|--|----------|--------------------|-----------------|---|-----------------|---------------------|
| | | | निर्धारित अवधि | स्थायी | राजस्व | पूँजीगत | राज्य के स्वयं के संसाधन | केन्द्रीय अंतरण | ऋण उगाही से (वर्णन) |
| | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| लोक निर्माण विभाग | | | | | | | | | |
| 4059-6357 छत्तीसगढ़ भवन निर्माण, मुंबई | व्यय | अनावर्ति | 4,500.00 | .. | 0.00 | 0.00 | 100 प्रतिशत | .. | .. |
| 5054-7977 शहरी क्षेत्र के मार्ग | व्यय | आवर्ति | .. | 4,300.00 | 0.00 | 149.33 | 100 प्रतिशत | .. | .. |
| 5054-7976 जवाहर सेतु योजना | व्यय | अनावर्ति | 15,999.54 (3 वर्ष) | 0.00 | 0.00 | 33.34 | 20 प्रतिशत | .. | 80 प्रतिशत |
| योग | | | | | 6,57,193.26 | 3,955.10 | | | |

परिशिष्ट-XII-शासन के प्रतिबद्धित दायित्वों का विवरण

(₹ लाख में)

| स.क्रं. | दायित्वों के प्रकार | राशि | दायित्वों मुक्ति हेतु प्रस्तावित संभावित स्रोत | | | दायित्वों मुक्ति के संभावित वर्ष | चालु वर्ष के दौरान मुक्त किये गये दायित्वों | बकाया शेष |
|----------|---|--------------|--|------------------|--------------------|----------------------------------|---|-----------|
| | | | राज्य के स्वयं के स्रोत | केन्द्रीय अन्तरण | ऋण उगाही से | | | |
| I | ऐकाऊंटस् पेयेबल | | | | | | | |
| | वेतन¹ | | | | | | | |
| | 2020-21 | 24,84,612.00 | राज्य के स्वयं के संसाधन | लागू नहीं | 2020-21 से 2022-23 | निरंक | 24,84,612.00 | |
| | 2021-22 | 26,83,380.96 | | | | | 26,83,380.96 | |
| | 2022-23 | 28,98,051.44 | | | | | 28,98,051.44 | |
| | पेंशन | | | | | | | |
| | 2020-21 | 7,62,748.37 | राज्य के स्वयं के संसाधन | लागू नहीं | 2020-21 से 2022-23 | निरंक | 7,62,748.37 | |
| | 2021-22 | 8,77,160.63 | | | | | 8,77,160.63 | |
| | 2022-23 | 10,08,734.73 | | | | | 10,08,734.73 | |
| | सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज | | | | | | | |
| | 2020-21 | 57,124.76 | राज्य के स्वयं के संसाधन | लागू नहीं | 2020-21 से 2022-23 | निरंक | 57,124.76 | |
| | 2021-22 | 61,749.00 | | | | | 61,749.00 | |
| | 2022-23 | 66,747.59 | | | | | 66,747.59 | |
| | केन्द्र सरकार से कर्ज और उधारों पर ब्याज² | | | | | | | |
| | 2020-21 | 7,533.92 | राज्य के स्वयं के संसाधन | लागू नहीं | 2020-21 से 2022-23 | निरंक | 7,533.92 | |
| | 2021-22 | 6,226.08 | | | | | 6,226.08 | |
| | 2022-23 | 4,918.25 | | | | | 4,918.25 | |
| | आन्तरिक ऋण पर ब्याज³ | | | | | | | |
| | 2020-21 | 4,67,098.81 | राज्य के स्वयं के संसाधन | लागू नहीं | 2020-21 से 2022-23 | निरंक | 4,67,098.81 | |
| | 2021-22 | 4,38,308.40 | | | | | 4,38,308.40 | |
| | 2022-23 | 4,05,722.52 | | | | | 4,05,722.52 | |

¹ राज्य शासन द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई गई है।

² केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभारित किये जाने के कारण, बैंक-टु-बैंक श्रेणी के ऋणों में भुगतान किये जाने वाले ब्याज सम्मिलित नहीं है।

³ राज्य शासन द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई गई है।

परिशिष्ट—XII-शासन के प्रतिबद्धित दायित्वों का विवरण—जारी

(₹ लाख में)

| स.क्रं. | दायित्वों के प्रकार | राशि | दायित्वों मुक्ति हेतु प्रस्तावित संभावित स्रोत | | | दायित्वों मुक्ति के संभावित वर्ष | चालु वर्ष के दौरान मुक्त किये गये दायित्वों | बकाया शेष |
|----------|---|-----------------------|--|------------------|-------------|----------------------------------|---|-----------------------|
| | | | राज्य के स्वयं के स्रोत | केन्द्रीय अन्तरण | ऋण उगाही से | | | |
| I | ऐकाऊंटस् पेयेबल—समाप्त | | | | | | | |
| | भुगतान हेतु बकाया बिल⁴ | | | | | | | |
| | विभाग | | | | | | | |
| | गृह विभाग | 4,194.24 | राज्य के स्वयं के संसाधन | लागू नहीं | लागू नहीं | 2020—21 | निरंक | 4,194.24 |
| | संस्कृति तथा पुरातत्व विभाग | 13.97 | | | | 2020—21 | निरंक | 13.97 |
| | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य विभाग | 1,394.18 | | | | 2020—21 | निरंक | 1,394.18 |
| | विधि तथा विधायी मामले | 37.35 | | | | 2020—21 | निरंक | 37.35 |
| | कृषि विभाग | 2,398.79 | | | | 2020—21 | निरंक | 2,398.79 |
| | सामान्य प्रशासन विभाग | 5.26 | | | | 2020—21 | निरंक | 5.26 |
| | पशुपालन विभाग | 321.93 | | | | 2020—21 | निरंक | 321.93 |
| | वाणिज्यिक कर विभाग | 1.00 | | | | 2020—21 | निरंक | 1.00 |
| | जेल विभाग | 242.06 | | | | 2020—21 | निरंक | 242.06 |
| | वित्त विभाग | 6.81 | | | | 2020—21 | निरंक | 6.81 |
| | क्षमता भवन, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार कार्यालय | 34.50 | | | | 2020—21 | निरंक | 34.50 |
| | चिकित्सा शिक्षा विभाग | 10.43 | | | | 2020—21 | निरंक | 10.43 |
| | श्रम विभाग | 4.35 | | | | 2020—21 | निरंक | 4.35 |
| | योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग | 3.62 | | | | 2020—21 | निरंक | 3.62 |
| | योग—ऐकाऊंटस् पेयेबल | 1,22,38,785.95 | | | | | | 1,22,38,785.95 |

⁴ राज्य शासन द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई गई है।

परिशिष्ट—XII-शासन के प्रतिबद्धित दायित्वों का विवरण—समाप्त

(₹ लाख में)

| स.क्रं. | दायित्वों के प्रकार | राशि | दायित्वों मुक्ति हेतु प्रस्तावित संभावित स्रोत | | | दायित्वों मुक्ति के संभावित वर्ष | चालु वर्ष के दौरान मुक्त किये गये दायित्वों | बकाया शेष |
|---------|---|----------------|--|------------------|-------------|----------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | राज्य के स्वयं के स्रोत | केन्द्रीय अन्तरण | ऋण उगाही से | | | |
| II | केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में राज्यांश | | | | | | | |
| | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| III | योजनागत योजनाओं को आयोजनेत्तर मद में स्थानान्तरण से उत्पन्न दायित्व | | | | | | | |
| | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| IV | अपूर्ण परियोजनाओं से उत्पन्न दायित्व | | | | | | | |
| | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| V | अन्य/विविध | | | | | | | |
| 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | योग—V | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | कुल योग | 1,22,38,785.95 | | | | | | 1,22,38,785.95 ⁵ |

⁵ वर्ष 2020-21, वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 में ऑफ बजट दायित्व पर देय ब्याज की राशि क्रमशः ₹ 36,381.47 लाख, ₹ 38,093.80 लाख एवं ₹ 37,369.86 लाख कुल ₹ 1,11,845.13 लाख सम्मिलित नहीं है।

परिशिष्ट-XIII

राज्यों के पुनर्गठन-राज्यों के मध्य शेषों के प्रभाजन नहीं किए गए मदों का विवरण

(₹ लाख में)

| सरल क्रमांक | मुख्यशीर्ष | पुनर्गठन के समय | 31.03.2020 तक |
|-------------|--------------------|------------------|---------------|
| 1. | पूंजीगत व्यय | नामे 6,72,791.40 | निरंक |
| 2. | कर्जे तथा पेशगियों | नामे 2,18,744.09 | निरंक |
| 3. | लोक लेखे | जमा 93,064.00 | निरंक |
| 4. | गारन्टी | 5,85,605.82 | निरंक |

© भारत के नियंत्रक
महालेखापरीक्षक
2021
www.cag.gov.in



agaechhattigarh@cag.gov.in